FOR REFERNCE ONLY.

NOT TO BE ISSUED

माला, खंड 18, अंक 20

सोमवार, 20 अगस्त, 2001
29 श्रावण, 1923 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 18 में अंक 11 से 20 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 2 52
Date 12/6/2002

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 18, सातवां सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 20, सोमवार, 20 अगस्त, 2001/29 श्रावण, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 383, 386, 387 और 389	4–39
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 381, 382, 384, 385, 388 और 390 से 400	39–59
अतारांकित प्रश्न संख्या 3975 से 4204	59–252
मैच फिक्सिंग घोटाले के बारे में दिनांक 12.3.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2115 और दिनांक 30.7.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1284 के उत्तर में शुद्धि करने वाले विवरण	352–353
सभा पटल पर रखे पए पत्र	353–355
कार्य मंत्रणा समिति के पच्चीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	355
नियम 377 के अधीन मामले	369–375
(एक) देश में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता	
डा. एन. वेंकटस्वामी	369
(दो) पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले को बार-बार आने वाली बाढ़ से बचाने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री अधीर चौधरी	370
(तीन) उड़ीसा में लघु क्षेत्र के उद्योगों को कच्चे माल की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नाल्को को निदेश दिए जाने की आवश्यकता	
श्री के.पी. सिंह देव	370
(चार) पश्चिम बंगाल के हल्दिया रेलवे स्टेशन पर और अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री लक्ष्मण सेठ	371
(पांच) सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश को 1998-99 में आवंटित धनराशि के समतुल्य धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता	
डा. मन्दा जगन्नाथ	372

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(छह) उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में नवोदय विद्यालय के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री अखिलेश यादव	372
(सात) त्रिपुरा राज्य में उग्रवादी गुटों के खतरे को रोकने के लिए त्रिपुरा बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाये जाने की आवश्यकता	
डा. रंजीत कुमार पांजा	373
(आठ) देश में सभी प्रमुख नदियों, विशेषरूप से उड़ीसा की नदियों से गाद निकालने के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता	
श्री भर्तृहरि महताब	374
(नौ) बिहार राज्य की कतिपय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती कांति सिंह	374
(दस) आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल के झारग्राम तथा पुरूलिया के बीच नई रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री बीर सिंह महतो	375
भारतीय विश्व मामले परिषद (दूसरा) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और	
भारतीय विश्व मामले परिषद विधेयक	375–386
विचार करने के लिए प्रस्ताव – स्थगित	375
श्री वरकला राधाकृष्णन	375
श्री जगमोहन	375
श्री शिवराज वि. पाटील	376
श्री अरूण जेटली	381
सरकारी विधेयक - पारित	386–420, 421–433
(एक) भारतीय रेल कम्पनी (निरसन) विधेयक	386–391
विचार करने के लिए प्रस्ताव	386
श्री ओ. राजगोपाल	386
श्री गिरधारी लाल भार्गव	386
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	387
श्री ए. ब्रह्मनैया	388
श्री सी. श्रीनिवासन	389
खंड 2 और 1	390
पारित करने के लिए प्रस्ताव	391

विषय		कॉलम
(दो)	रेल कम्पनी (सिविल कार्यवाहियों में पक्षकारों का प्रतिस्थापन) निरसन विधेयक	391–394
	विचार करने का प्रस्ताव	391
	श्री ओ. राजगोपाल	391
	श्री ए. ब्रह्मनैया	391
	डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	392
	खंड 2 और 1	393
	पारित करने के लिए प्रस्ताव	394
(तीन)	गन्ना उपकर (विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक	394–395
	विचार करने के लिए प्रस्ताव	394
	श्री शान्ता कुमार	394
	खंड 2 और 1	395
	पारित करने के लिए प्रस्ताव	395
(चार)	भाण्डागारण निगम (संशोधन) विधेयक	395–420
	विचार करने के लिए प्रस्ताव	395
	श्री शान्ता कुमार	395, 418
	वैद्य विष्णु दत्त शर्मा	396
	श्री अधीर चौधरी	399
	प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु	402
	श्री धर्म राज सिंह पटेल	404
	श्री शंकर प्रसाद जायसवाल	406
	श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	408
	डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	410
	श्री वरकला राधाकृष्णन	413
	श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	415
	श्री सुरेश रामराव जाधव	416
	श्री सुदीप बंद्योपाध्याय	416
	खंड 2 से 6 और 1	419
	पारित करने के लिए प्रस्ताव	420

विषय	कॉलम
(पांच) निरसन और संशोधन विधेयक	421–433
विचार करने के लिए प्रस्ताव	421, 422
श्री अरूण जेटली	421, 429
श्री जी.एम. बनातवाला	423
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	427
श्री शिवराज वि. पाटील	432
खंड 2 से 4 और 1	432
पारित करने के लिए प्रस्ताव	432
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
भारतीय विश्व मामले परिषद विधेयक को स्थायी समिति को भेजे जाने के प्रश्न के बारे में	420–421
आधे घंटे की चर्चा	
लघु उद्योग क्षेत्र में अनारक्षण	433–445
श्री नरेश पुगलिया	433
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	436
श्री राजीव प्रताप रूडी	437
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति	438
श्रीमती वसुन्धरा राजे	439
नियम 193 के अधीन चर्चा	
शिक्षा का भगवाकरण	445–542
श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम	445
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	450
डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा	454
श्री जोवाकिम बखला	458
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	459
श्री अजय चक्रवर्ती	465
श्री भर्तृहरि महताब	468
श्री सी. श्रीनिवासन	472
श्रीमती कृष्णा बोस	475
श्री पवन कुमार बंसल	478
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव	482
प्रो. ए.के. प्रेमाजम	485
श्री मोहन रावले	488
श्री हरीभाऊ शंकर महाले	492
डा. मुरली मनोहर जोशी	493

लोक सभा

सोमवार, 20 अगस्त, 2001/29 श्रावण, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता की 54वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के इशारे पर व्यापारियों और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को पीटा गया...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह, बहुत हो गया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 381 - श्री चन्द्रकांत खैरे - अनुपस्थित। प्रश्न संख्या 382 - श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी - अनुपस्थित।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 383

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश, बहुत हो गया।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अखिलेश जी, यह आप क्या कर रहे हैं? यह जीरो ऑवर नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या आपके लिये कोई नियम है? आप रोज-रोज ऐसा कर रहे हैं। आप बैठ जायें प्लीज।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अखिलेश जी, आप बैठ जायें प्लीज। यह क्वश्चन ऑवर है।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश, आप मुझे इस बात के लिए बाध्य न करें कि मैं आपको बाहर जाने के लिए कहूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गए।)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, आप अपने मैम्बर्स को बतायें कि ये क्वश्चन ऑवर में रोज-रोज क्या कर रहे हैं। आप जीरो ऑवर में मामला रखें।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है, आप उस पर अखिलेश को बोलने दीजिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप क्वश्चन ऑवर में रोज ऐसा कर रहे हैं। अगर इम्पॉर्टेन्ट है तो जीरो ऑवर में बोलिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अखिलेश का बिहेवियर ठीक नहीं है, इसलिए हम बार-बार कहते हैं कि अगर आपको कोई प्राब्लम है तो जीरो ऑवर में रेज करें।

श्री मुलायम सिंह यादव: आप कार्य स्थगन प्रस्ताव को नियमावली से निकाल दीजिए। नियमावली हम भी जानते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अगर आपको कोई प्राब्लम है तो आप जीरो आवर में रेज करें।

श्री मुलायम सिंह यादव: हम नियमावली के अनुसार बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि यदि इस मामले को आप शून्यकाल में सुनेंगे तो हम तैयार हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हम जीरो ऑवर में सुनेंगे, लेकिन यह वैल में बार-बार क्यों आते हैं, यह ठीक नहीं है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मुलायम सिंह यादव: हम नियमावली से चलते हैं आप भी नियमावली से बंधे हैं, इसलिए आप प्रश्नकाल को सस्पैंड कीजिए।

अध्यक्ष महोदय: टाइम आया तो एक दिन सस्पैंड भी करेंगे।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन

***383. श्री जे.एस. बराड़: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले एक दशक के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन न तो सन्तोषजनक और न ही उत्साहजनक रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हॉकी, कुश्ती, मुक्केबाजी, क्रिकेट आदि के क्षेत्र में खोई हुई प्रतिष्ठा को पुन: प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के रास्ते में खिलाड़ियों के गलत चयन, खिलाड़ियों के कुपोषण, घटिया प्रशिक्षण, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बुनियादी ढांचे का अभाव आदि, जैसी आने वाली बाधाओं को हटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

[हिन्दी]

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा दिया गया है।

विवरण

(क) भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन का स्तर उतना उत्साहवर्धक नहीं रहा है जितनी आशा की गयी थी। फिर भी, पिछले वर्षों में उनके प्रदर्शन में सुधार हुआ है। खेलों के स्तर में सुधार की प्रक्रिया धीमी हैं किंतु इसने पहले ही आशाजनक परिणाम देने शुरू कर दिए हैं। कई खेल विधाओं में प्रति वर्ष नये राष्ट्रीय रिकार्ड बनाए जा रहे हैं। वर्ष 2000 में हुई सिडनी ओलंपिक्स के दौरान, प्रथम बार भारत के 7 खिलाड़ियों/टीमों ने पहले दस में अपना स्थान बनाया।

(ख) कड़ी वित्तीय बाध्यताएं और देश भर में खेलों के संवर्धन तथा खेल अवस्थापना के विकास की बड़ी चुनौती, देश में खेलों के प्रदर्शन में धीमे विकास के मुख्य कारण हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतियोगी खेलों में भाग लेने वाले व्यक्तियों का अनुपात अपेक्षाकृत कम है जिसके परिणामस्वरूप कम प्रतिस्पर्धा होती है तथा परिणामस्वरूप प्रदर्शन में कमी आ जाती है। खान-पान की आदतें, संस्कृति और वातावरण, तथा वैज्ञानिक प्रशिक्षण के अलावा प्रोत्साहन, नवीनतम अद्यतन उपस्करों तथा अवस्थापना संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता, किसी भी खिलाड़ी के प्रदर्शन के स्तर के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

(ग) भारतीय खिलाड़ियों के स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि खेलों के चहुमुंखी विकास और उत्कृष्टता प्राप्त करने, दोनों के वास्ते ही खेलों के लिए संसाधनों के आबंटन में पर्याप्त रूप से वृद्धि की जाए। इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

(1) सरकार की नीति तथा ओलंपिक चार्टर के अनुसार, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघ, अपनी-अपनी खेल विधाओं के संवर्धन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। राष्ट्रीय खेल परिसंघों ने भारतीय खेल प्राधिकरण के परामर्श से, अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए, दीर्घावधिक विकास योजनाएं (एल.टी.डी.पी.) तैयार की हैं। राष्ट्रीय टीमों में शामिल खिलाड़ियों के लिए भारतीय और विदेशी प्रशिक्षकों की सहायता से प्रशिक्षण शिविरों के प्रबंध में, राष्ट्रीय खेल परिसंघों की सहायता अपेक्षित उपस्कर एवं वैज्ञानिक समर्थन के प्रावधान के द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण के जरिए की जा रही हैं।

(2) राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिपों के आयोजन तथा अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए होनहार खिलाड़ियों को भेजने में भी इन परिसंघों की सहायता की जाती है।

(3) होनहार खिलाड़ियों को प्रशिक्षण तथा उनके कौशल के उन्नयन के लिए एक सहायता पैकेज (प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक) प्रदान किया जा रहा है। सहायक कार्मिकों, जैसे प्रशिक्षकों तथा खेल वैज्ञानिकों, को भी विशेषज्ञता-प्राप्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

(4) प्रशिक्षकों को लक्ष्योन्मुखी कार्य सौंप कर, राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना को सक्रिय बनाया जा रहा है।

(5) सिंथेटिक सतह बिछाने समेत, खेल अवस्थापना के सृजन के लिए, सहायता प्रदान की जा रही है।

(6) खिलाड़ियों को और अधिक अभिप्रेरित करने की दृष्टि से पुरस्कार और प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं, पुरस्कारों की राशि पर्याप्त रूप से बढ़ा दी गयी है।

श्री जे.एस. बराड़: माननीय अध्यक्ष जी, मेरे मूल प्रश्न का जो जवाब माननीय मंत्री महोदया ने दिया है, उसमें उन्होंने पहले पैरा में एक बात कही है:-

[अनुवाद]

2000 में हुए सिडनी ओलम्पिक के दौरान पहली बार भारत के 7 खिलाड़ियों/टीमों ने प्रथम दस में अपना स्थान बनाया।

[हिन्दी]

आदरणीय मंत्री साहिबा जिन मुल्कों की आबादी एक करोड़ से कम है, वे गोल्ड मैडल जीतते हैं। आप जवाब देने में बड़ा गर्व महसूस कर रही हैं कि हम दसवें नम्बर पर आये हैं। सारे देश के नौजवानों, खेल प्रेमियों में यह चर्चा है कि हमारा स्तर नीचे होता जा रहा है। आपने जवाब में यह बताने की कोशिश की है कि हम बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं। अब सैफ्रोनाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स की चर्चा भी देश में चल रही है और आप पहली कतार में खड़े होकर इन्हें सैफ्रोनाइज करने का यत्न कर रहे हैं। मैं आपसे मूल प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इन दिनों देश में बहुत चर्चा है कि स्पोर्ट्स को मैरिट की बिना पर न लेते हुए इसमें राजनीति और एक विशेष कल्चर को इन्ट्रोडयूस किया जा रहा है। इस बारे में देश के माने हुए हमारे एथलीट्स ने सरकार पर इल्जाम लगायें हैं। इसके बारे में माननीय मंत्री महोदया का क्या जवाब है।

कुमारी उमा भारती: अध्यक्ष महोदय, माननीय संसद सदस्य ने मेरा बहुत सम्मान रखते हुए जो सवाल किया है, मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि यह जो बात आ रही है कि इसमें राजनीतिक दबाव आते हैं, खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन की जगह पर राजनीतिक दबावों के कारण निर्णय में कोई परिवर्तन होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूं और सदन की भावना को भी मैं शेयर करती हूं कि जो ओलम्पिक प्रदर्शन हुआ है, वह कोई ऐसा नहीं है कि हम उस पर गर्व करें, लेकिन फिर भी उसमें एक संकेत यह है कि उसमें हमारे सात खिलाड़ी ऐसे थे जिनका परफारमेन्स ओलम्पिक में अच्छा रहा था, जिन खिलाड़ियों ने वहां अच्छा परफारमेन्स दिखाया था, हमें उन्हें निराश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, इसलिए उनके परफारमेन्स के कारण हम उनका सम्मान रख रहे

हैं। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा उसके अनुसार यदि हम सौ करोड़ की आबादी वाले देश की तुलना एक करोड़ की आबादी वाले देश के साथ करें, जो ओलम्पिक खेलों में बड़ी संख्या में गोल्ड मैडल्स जीतकर लाते हैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और पूरे सदन से एक निवेदन जरूर करूंगी कि आप एक करोड़ की आबादी वाले देश के खेल के बजट को देखें और सौ करोड़ की आबादी वाले देश के खेल के बजट को देखें तो आप उसी से अंदाजा लगा लेंगे कि इसमें कितनी कठिनाइयां आती हैं।

श्री जे.एस. बराड़: यही प्रश्न है कि इसे बढ़ायें।

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: बजट के लिए कौन जिम्मेदार है? आप इसके लिए जिम्मेदार हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुमारी उमा भारती, आपको श्री बराड़ के अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देना है न कि किसी अन्य माननीय सदस्य के अनुपूरक प्रश्न का।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती: माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय संसद सदस्यों से निवेदन करना चाहती हूं कि सांसद विकास निधि की जो सुविधा उन्हें प्राप्त है, अगर उसका दस परसेन्ट भी प्रतिवर्ष...*(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़: उमा जी, ऐसे मत करिए। आप ज्यादती करती हैं। आप बात का सीधा जवाब दीजिए।

कुमारी उमा भारती: अगर खेलों की संरचना के लिए या खिलाड़ियों को खेल की सुविधाओं में और बढ़ावा देने के लिए यह करना पड़े...*(व्यवधान)* मैं निवेदन कर रही हूं, दबाव नहीं डाल रही हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक और निवेदन है कि सिर्फ बजट बढ़ जाने में प्रदर्शन बेहतर हो जाएगा ऐसा कतई नहीं है। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहती हूं कि आपने जो मुझसे सवाल किया है उस सवाल का जवाब देने के लिए मैं यहां रिस्पान्सिबल हूं लेकिन अथारिटी उसकी फेडेरेशन्स के पास है। इसलिए आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उस पार्टी की जो मंत्री थीं, उनके समय पर भी यह बात आई थी कि स्पोर्ट्स जब तक कनकरेन्स में नहीं आएगा, तब तक स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए जो कदम हम उठाना चाहते हैं, खासकर स्पोर्ट्सपरसन्स के लिए, वह कदम उठाना चाहते हुए भी हम नहीं उठा पाते हैं। इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों से जिनकी संसद में उपस्थिति है और उनका नेतृत्व भी यहां उपस्थित है, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि रिस्पान्सिबिलिटी आप हमसे मांग रहे हैं लेकिन अथारिटी आपने हमें क्या दी हुई है? रिस्पान्सिबिलिटी हमारी और अथारिटी फैडेरेशंन की? फेडेरेशंस को स्वायत्तता मिले हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स अगर कनकरेन्स में आएगा तो हम भी खिलाड़ियों की परफारमेन्स बढ़ाने में उन्मुक्त भाव से योगदान दे पाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा निवेदन करूंगी कि स्पोटर्स को कनकरेन्स में लाने में सभी राजनीतिक दल हमारा सहयोग करें और अगर सभी राजनीतिक दल हमारा सहयोग करेंगे तो मेरे पास रिस्पान्सिबिलिटी के साथ-साथ अथारिटी भी होगी इस बात की कि खिलाड़ियों की परफारमेन्स बेहतर हो। मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि खिलाड़ियों की परफारमेन्स तो अच्छी थी लेकिन भारत की परफारमेन्स अच्छी नहीं थी, हमें उस पर गर्व नहीं करना चाहिए, लेकिन भारत की परफारमेन्स को बेहतर बनाने के लिए अन्य उपाय होने चाहिए और वह हम निरन्तर कर रहे हैं।

श्री जे.एस. बराड़: माननीय अध्यक्ष जी, जो देश के एथलीट्स हैं या स्पोर्ट्सपरसन्स हैं, उनमें यह चर्चा है कि उनके आगे जाने का जो लैवल है वह बहुत नीचे है और जो फारेन प्रोफैशनल कोचेज हैं वह पर्क्स ज्यादा मांगते हैं। उनको ज्यादा पर्क्स देकर अगर ऐसे स्पोटर्स की कैटेगिरीज हैं जहां उनकी जरूरत है तो उनको लाना समय की मांग है। दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा कि पहले अपने खेलकूद बाद में पराए। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप अपने दो करोड़ रुपये स्पोर्ट्स परसन्स को देंगी तो मैं अध्यक्ष जी से वादा करता हूं कि मैं एम.पी. के तौर पर पूरे दे दूंगा। लेकिन आप कह रही हैं और सारे एम.पीज. को अपील कर रही हैं। अगर आप फंड देने के काबिल हैं तो मुहैया कराएं और मेरा लास्ट आफ शूट क्वश्चन है कि देश के माने हुए एथलीट मिल्खा सिंह ने पी.एम.ओ. पर आप पर सैफ्रोनाइजेशन के मुद्दे पर इल्जाम लगाए हैं। उनके बारे में आपका क्या कहना है?

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, कल मिल्खा सिंह जी ने टी वी पर कहा कि पी.एम. का नाम नहीं लिया। ये बार-बार पी.एम. का नाम ले रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़: वह उन्होंने कहा है मिल्खा सिंह जी ने। ये मल्होत्रा जी को रियैक्शन हो जाता है बिना वजह। इनको पता नहीं इतना रियैक्शन क्यों होता है।...*(व्यवधान)*

कुमारी उमा भारती: अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं निवेदन कर दूं कि मैंने यह बिल्कुल नहीं कहा है कि दो करोड़ रुपया पूरा का पूरा देना है। मैंने 10 परसेंट की बात कही थी। 10 परसेंट का मतलब 20 लाख रुपये होता है, पूरे दो करोड़ रुपये नहीं।

दूसरी बात जो सैफ्रानाइजेशन की कही, मैं कहना चाहूंगी कि भगवा रंग बहुत अच्छा है। सूर्योदय के समय भी यह रंग होता है, और वह इस बात का डिक्लेयरेशन होता है कि काली रात खत्म हो गई है, अब सूरज उग आया है। भगवाकरण ऐसी धारणा है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: सूर्यास्त में भी वह कलर होता है। ...*(व्यवधान)*

कुमारी उमा भारती: काला रंग अच्छा नहीं होता है लेकिन सैफ्रन अच्छा रंग होता है।...*(व्यवधान)* दूसरी बात आई है कोचेज की जो माननीय सदस्य ने कही। हम स्पोर्ट्स के उस डिसिप्लिन में फारेन कोचेज लेते हैं जिसमें हमें लगता है कि मैडल जीत सकेंगे और फारेन कोचेज से हमें सहायता मिलेगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अब हम दूसरी तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहां दिक्कत यह है कि बहुत सारे खिलाड़ी ही कोचेज में परिवर्तित हुए हैं। पहले की जो स्थिति थी उसके बारे में आपको मालूम है। इसलिए अब हम चाहते हैं कि हम अपने भारत के कोचेज को ही इस प्रकार से तैयार करें कि वे स्पोर्ट्स कल्चर के एक्सपर्ट हों, वे स्पोर्ट्स मैडीसिन्स के भी एक्सपर्ट हों और जिस प्रकार के फारेन कोचेज हैं, उस प्रकार के भारतीय कोचेज भी हों। हम इस प्रकार की स्कीम लेकर आ भी गए हैं और हम लगभग इस तैयारी में हैं कि हमारे भारत के जो कोचेज हैं, वे उतने ही एक्सपर्ट हो जाएं कितने कि फारेन के कोचेज हैं और हम उन्हें ट्रेनिंग के लिए बाहर भी भेजेंगे, लेकिन उन्हीं डिसिप्लिन में जिनमें हमारी तात्कालीक तैयारी है और जहां हम मैडल लाने की स्थिति में हैं।

जब खिलाड़ी और फैडरेशन हमसे मांग करते हैं, तो उनकी तैयारी के लिए हम निश्चित रूप से फारेन कोचेज बुलाते हैं। ऐसे कई उदाहरण मैं आपके सामने दे सकती हूं जब हमसे खिलाड़ियों ने इस प्रकार की मांग की और हमने फारेन कोच की व्यवस्था की। अभी पंजाब के अभिनव बिन्द्रा ने फारेन कोच की मांग की और मुझसे कमिट किया दीदी यदि हमें फारेन कोच मिले, तो हम ओलम्पिक में गोल्ड मैडल ला सकते हैं, तो हमने फारेन कोच की व्यवस्था की। कई बार तो मैं खिलाड़ियों के आग्रह को देखते हुए सब नियमों को ताक पर रखकर उनकी मांग मंजूर कर लेती हूं क्योंकि हमें विश्वास है कि वे हमें बैटर परफारमेंस देंगे।

अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात यह है कि यहां प्रधान मंत्री कार्यालय पर जो यह आरोप लगाया गया कि अर्जुन पुरस्कार देने में उनकी दखलंदाजी है, यह बयान आधारहीन, शरारतपूर्ण बहुत कपट से भरा हुआ और राजनीतिक कुटिलता है जो इसमें मिली हुई है। इसको मैं पूरी तरह से इस सदन में रूल आउट करती हूं।

श्री कीर्ति झा आजाद: अध्यक्ष महोदय, इस सदन में शायद मैं ही इस समय अकेला अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हूं। इसलिए मैं खिलाड़ियों की ओर से आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि जब कोई खिलाड़ी विदेश से मैडल लेकर आता है, जैसे मल्लेश्वरी जी आईं, तो उसकी बहुत आवभगत की जाती है, उसके लिए जमीन देते हैं, उसके लिए पैसा दिया जाता है और चाहे राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो सभी के द्वारा आवभगत की जाती है, लेकिन जब कोई इस देश का नया खिलाड़ी, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई खेल खेलने जाना चाहता हो, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करना चाहता हो, तो वह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कैसे करे, क्या उसके लिए सरकार के पास कोई योजना है और दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे खेलों में खिलाड़ियों का जो अच्छा प्रदर्शन नहीं होता है, उसके लिए क्या सरकार जिम्मेदार है या फैडरेशन जिम्मेदार है, जैसी कि शिकायत बार-बार खिलाड़ी करते हैं और आरोप लगाते हैं?

कुमारी उमा भारती: सर, माननीय सदस्य की पहली बात का उत्तर मैं "हां" में दूंगी। मैं चाहती हूं कि खिलाड़ी का शुरू से आखिरी तक उत्साहवर्धन होना चाहिए और जब वह खेल-खेल कर आए, तो हर तरफ से उसका सम्मान होना चाहिए। खेलों को बढ़ाने के लिए उनकी जो इच्छाएं हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए उनको पूरा संरक्षण मिले। दूसरी बात माननीय सदस्य ने जो पूछी है उसके बारे में लगातार, गत एक वर्ष से जब से खेल विभाग मुझे मिला है, मैं रिपीट करती रही हूं और आज सदन में प्रमुख विरोधी दल के सभी सदस्य उपस्थित हैं, मैं फिर इस बात को कहना चाहती हूं कि फैडरेशनों की स्वायत्तता के हम बिलकुल खिलाफ नहीं है। उनको जितनी औटोनौमी चाहिए वह मिलनी चाहिए और उसको बढ़ावा देने चाहिए और फैडरेशन जितने ट्रांसपेरेंट हों, ज्यादा जिम्मेदार हों, उतना अच्छा है और हम यह चाहते ऐसा हो, लेकिन अगर वे इरैगुलैरिटीज करते हैं, तो उनको सजा मिलनी चाहिए। उसके लिए हमारे हाथ-पैर बिलकुल बंधे हुए होते हैं। इसलिए खिलाड़ियों की परफारमेंस को ठीक करने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से फैडरेशन की होती है, सरकार की नहीं। फैडरेशन जितनी सहायता हमसे मांगते हैं, हम देते हैं, लेकिन खिलाड़ियों की परफारमेंस की जिम्मेदारी फैडरेशन की है, सरकार की नहीं है।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू: माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की जनसंख्या एक करोड़ है। माननीय मंत्री ने अभी-अभी कहा कि चूंकि खेलकूद का विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है इसलिए निधि प्रदान करना बहुत कठिन है। लेकिन कृषि, पेयजल और स्वच्छता भी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं परन्तु केन्द्र सरकार इनके लिए राज्यों को काफी धनराशि देती है। 100 करोड़ रुपये

का आबंटन से सरकार किस तरह अपने सभी उद्देश्य प्राप्त कर सकती है? इतने थोड़े बजट आबंटन से खेलकूद में प्रदर्शन बेहतर करना बहुत कठिन है। यह आबंटन मंत्रालय की सभी योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु पर्याप्त नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस मंत्रालय के बजट आबंटन को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती: सर, मैं माननीय सदस्य को, इस प्रश्न को पूछने के लिए बहुत धन्यवाद देती हूं क्योंकि इससे मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। मैं बताना चाहती हूं कि इसके लिए हमने शिक्षा मंत्री महोदय से एक-दो बार सदन में भी और लिखित में भी निवेदन किया है। इसके साथ-साथ दसवीं पंचवर्षीय योजना जो तैयार हो रही है उसमें भी हमारे मंत्रालय की तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया है कि शिक्षा मंत्रालय का जितना बजट है उसका कम से कम 10 प्रतिशत बज़ट खेलों की अधोसंरचना के लिए रिजर्व होना चाहिए। आपको स्मरण होगा कि पिछले सत्र में एक स्पेशल मैंसन भी आया था अगर उस समय उस पर चर्चा हो जाती, तो सदन के माननीय सदस्यों का अभिमत आ जाता, और एक कनक्लूजन भी उस समय आने वाला था कि शिक्षा मंत्रालय के बजट का 10 प्रतिशत धन खेलों की अधोसंरचना के लिए आरक्षित हो। मैं नहीं चाहती कि हमारे विभाग का बजट बढ़े, लेकिन शिक्षा मंत्रालय के बजट का 10 प्रतिशत धन खेलों की अधोसंरचना के लिए आरक्षित हो, यह मैं जरूर चाहती हूं। यह प्रस्ताव हमारे मंत्रालय की ओर से 10वीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप बनाने के समय प्रस्तुत किया गया है। शिक्षा मंत्री महोदय को भी इस बारे में लिखा हुआ है। हम उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री की चिंता से पूर्णत: सहमत हूं।

भारत के खेलकूद मंत्री किसी भी खेल में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के लिए निश्चितरूप से जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए केवल ओलम्पिक भाईचारा संघ, खेलकूद परिसंघ सरकार तथा राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री को एक बात बताना चाहता हूं। 20 वर्ष पूर्व ओलम्पिक खेलों में टीम और व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं में कौशल पूर्णत: शौकिया था। लेकिन पिछले दो दशकों में सभी ओलम्पिक खेलों में टीम और व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का पूर्णत: व्यवसायीकरण हो गया है परन्तु भारत में अभी भी शौकिया तौर पर खेलकूद में भाग लिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप भारत उन उभरते हुए राष्ट्रों का सामना नहीं कर सकता जिनके खिलाड़ी पूर्णत: पेशेवर हो गए हैं। क्या माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है।

दूसरे, अत: क्या माननीय मंत्री यह पता लगाने हेतु कि किस खेल में व्यवसायीकरण किए जाने की आवश्यकता है, कार्यबल नियुक्त करेंगी ताकि अंतर्राष्ट्रीय मानक को पूरा किया जा सके और क्या वह यह भी सुनिश्चित करेंगी कि इस प्रयोजनार्थ देश में किस तरह के पेशेवर कोचों की आवश्यकता है? मैं अपने अनुभव से आपको यह बता सकता हूं कि संयुक्त अरब अमीरात के फुटबाल कोच की 20,000 अमरीकी डालर दिए जाते हैं लेकिन मैं उसे 2,000 अमरीकी डालर भी नहीं दे सकता हूं। इसलिए प्रत्येक खेल में व्यवसायीकरण शुरू किया जाना चाहिए। मैं यहां सभा की जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि पिछले 100 वर्षों में भारत में किसी ओलम्पिक खेल में केवल एक ही सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को यूरोप भेजा गया है और वह है बैचुंग भूटिया। उसके बाद पिछले माह श्री सुखविन्दर सिंह को उस महीने का पूरे एशिया का सर्वश्रेष्ठ कोच घोषित किया गया है। इन खिलाड़ियों ने विदेश में जाकर प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने प्रयासों से अपने कौशल को निखारा है। अत:, क्या मंत्री महोदया कार्यबल के माध्यम से इस बात का निर्णय करेंगे कि किन खेलों को पेशेवर खेल समझा जाए और किन खेलों को शौकिया खेल समझा जाए? अन्यथा, हमारा कोई भविष्य नहीं है। क्या मंत्री महोदया इस मामले पर विचार करेंगी?

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती: धन्यवाद महोदय। इस सवाल में एक मार्गदर्शन और सुझाव भी है। हमने इस बारे में विचार करने के लिए दो महीने पहले फैडरेशन की बैठक बुलाई थी कि खेलों की परफारमेंस ठीक करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। उस समय हमने फैडरेशन से सुझाव मांगे थे। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, उस पर हम पहले ही विचार कर रहे थे और मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और इस हाउस को कमिट करती हूं कि हम बहुत जल्दी उस टास्क फोर्स का गठन करेंगे और उसके माध्यम से उन्हीं बातों पर विचार करेंगे जो आपने कही हैं। माननीय सदस्य की भी उस टास्क फोर्स में जिम्मेदारी रहेगी क्योंकि वे स्वयं भी भारत की एक मान्य प्रतिभावान फैडरेशन के अध्यक्ष पद पर हैं और इस जिम्मेदारी को हम सब मिल कर शेयर करेंगे। टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर हम प्रोग्राम बना कर उसे इम्प्लीमैंट करेंगे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि हिन्दुस्तान के जो खिलाड़ी बाहर ओलम्पिक और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में खेलने जाते हैं, उनमें उनकी

परफारमैंस उत्साहजनक नहीं है। वे यह भी कह रही हैं कि हमको पूरा अधिकार नहीं है। माननीय मंत्री जी को पूरा अधिकार नहीं है तो हम इसका क्या उपाय करें। यह देखा गया है कि सरकार की ओर से प्रोत्साहन देने के लिए छः कदम उठाए गए हैं, लेकिन उसमें गांवों के असली खिलाड़ी, जो जन्मजात खेल जानते हैं, जैसे सैनी लोग तैराकी जानते हैं, उन्होंने पुराने जमाने से अपने पूर्वजों से सीखा है, लेकिन गांवों के खिलाड़ियों को कोई प्रोत्साहन, प्रशिक्षण और सहूलियत दी जाएगी, ऐसा कोई उपाय नहीं है। मेरी सोच है कि प्रदर्शन उत्साहजनक नहीं रहने का कारण क्या है। इतनी ज्यादा आबादी और इतने प्रतिभाशाली लोग हैं लेकिन केवल शहरी इलाकों में प्रशिक्षण और खेलों का इंतजाम है देहाती इलाके जहां अस्सी प्रतिशत लोग रहते हैं और वहां असली प्रतिभा छिपी हुई है, क्या सरकार वहां कोई प्रोत्साहन के उपाय करना चाहती है जिससे गांवों की छिपी हुई प्रतिभा भी आगे आ सके और दुनिया के मुल्कों में जाकर वे लोग हिन्दुस्तान का माथा ऊंचा कर सकें?

कुमारी उमा भारती: अध्यक्ष महोदय, मैंने जो बात कही थी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और सदन को बताना चाहती हूं कि ओलम्पिक की परफौमैंस के लिए कही है, बाकी कामनवैल्थ, एशियन गेम्स और इनडिवीजुअल तरीके से जो अन्य प्रतिस्पर्धाओं में वे भाग लेते हैं, जैसे अभिनव इंदिरा, गोपीचंद, विश्वनाथन आनन्द, लिएंडर पेश हैं, इन लोगों ने भारत का माथा बहुत ऊंचा उठाया है। ओलम्पिक में ही कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें हम गर्व करने की स्थिति में नहीं होते। बाकी खिलाड़ियों ने आलेम्पिक्स के अलावा अन्य प्रतिस्पर्धाओं में तो भारत का नाम ऊंचा उठाया है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि हम इसमें कैसे सहयोग कर सकते हैं। मान्यवर, सहयोग तो आपके ही हाथ में है, क्योंकि हमने स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स की दो-दो बार बैठक बुलाई हैं तो उसमें बिहार के मंत्री कन्करेंस में हमारा समर्थन नहीं करते हैं। अगर कन्करेंस के लिए हमें आपके जनता दल से और समाजवादी पार्टी से समर्थन मिल जाये, हमें लगता है कि कांग्रेस से तो ओरल समर्थन हमें मिला हुआ है, लेकिन स्टेट्स से हमें समर्थन नहीं मिला है तो वह आपके हाथ में है। हमने जो बोला है, वह सच में लिट्रली आपके हाथ में है। हम यह कह रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: कांग्रेस पार्टी ने अभी आफिशियली आपको समर्थन नहीं दिया, यह कोई इंडीविजुअल ख्याल है। हम लोग स्टेट्स की पावर छीनना नहीं चाहते हैं।

कुमारी उमा भारती: मार्गरेट आल्वा जी ने यहां हमें समर्थन देकर हमारा साथ दिया। दूसरी जो बात आपने हमसे कही है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: महोदया, ग्रामीण खिलाड़ियों के बारे में आपका क्या विचार है?

कुमारी उमा भारती: इस प्रश्न के तीन भाग हैं। इसलिए मैं, तदुनसार उत्तर दे रही हूं। प्रश्न का तीसरा भाग है कि क्या ग्रामीण खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए अथवा नहीं

[हिन्दी]

मैं उसी के बारे में बताना चाहती हूं कि अभी जब यह जानकारी हमें हुई कि स्वीमिंग के मामले में हमारे देश के खिलाड़ियों का बहुत निराशाजनक प्रदर्शन रहता है तो मैं माननीय रघुवंश जी को बताना चाहती हूं कि जैसे वे गांव के हैं, मैं भी गांव की हूं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि गांव में जो निषादों, केवटों और मल्लाहों के बच्चे होते हैं, अगर उनको हम गांव से निकालकर थोड़ी सी भी स्वीमिंग में ठीक से ट्रेनिंग दें तो वे स्वीमिंग के मामले में पूरी दूनिया के बच्चों को पछाड़ देंगे और इसलिए हम इसकी तैयारी कर रहे हैं कि जिला, प्रान्त और राष्ट्रीय स्तर पर स्वीमिंग के मामले में, आर्चरी के मामले में अपने वनवासियों के बच्चों को, पिछड़ी जातियों के बच्चों को, निषादों, केवटों और मल्लाहों के बच्चों को निकालकर लाएंगे। मैं माननीय सदस्य को एश्योर करती हूं कि हम उन गांव के बच्चों के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा प्रदर्शन करवाने की तैयारी करेंगे, जिसमें वे राष्ट्र का माथा ऊंचा उठाएंगे और अपनी गरीबी के स्तर से भी ऊपर उठेंगे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: जब गांव के खिलाड़ियों के लिए मदद, सहयोग और प्रोत्साहन दिया जायेगा तो बिहार भी समर्थन करेगा।

कुमारी उमा भारती: रूरल स्पोर्ट्स के लिए हमारे यहां अलग से पूरी की पूरी स्कीम है, आप अभी कन्करेंस में हमें बिहार की तरफ से समर्थन दीजिए।

[अनुवाद]

बीड़ी मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी

***386. श्री ए. नरेन्द्र:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बीड़ी मजदूरों को नियोक्ताओं के शोषण से बचाने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीड़ी मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार ने बीड़ी कर्मकारों को नियोजकों के शोषण से बचाने के लिए बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 अधिनियमित किया है। यह अधिनियम बीड़ी और सिगार उद्योग में रोजगार की शर्तों को विनियमित करता है और बीड़ी कर्मकारों को स्वच्छता, साफ-सफाई, पीने के पानी, वातायन, शिशु सदनों, धुलाई सुविधाओं, प्रथमोपचार, कैन्टीन जैसी मुहैया कराई जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के संबंध में नियोजकों का उत्तरदायित्व निर्धारित करता है। यह कार्य के घंटों, समयोपरि कार्य के लिए मजदूरी, विश्राम-समय, साप्ताहिक अवकाश, छुट्टी की अवधि के दौरान मजदूरी आदि को भी निर्धारित करता है। यह राज्य सरकारों को बीड़ियों की छंटाई करने अथवा बीड़ियों को अस्वीकृत करने और अस्वीकृत बीड़ियों का निपटान किये जाने, अस्वीकृत बीड़ियों की प्रतिशतता की अधिकतम सीमा निर्धारित करने, मजदूरी का भुगतान करने के तरीके, कच्चे माल के वितरण के संबंध में निरीक्षकों द्वारा पर्यवेक्षण करने, विवादों का निपटान करने आदि तरीकों सहित विभिन्न मामलों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है। उपर्युक्त अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

साथ ही, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत बीड़ी बनाने का कार्य राज्य क्षेत्र में एक अनुसूचित नियोजन के रूप में शामिल किया गया है। राज्य सरकारें न्यूनतम मजदूरी निर्धारित तथा संशोधित करने और तत्संबंधी भुगतान को कराने एवं समयोपरि कार्य घंटों को निर्धारित करने, अधिकृत कटौतियों आदि को करने के लिए समुचित सरकारें हैं। निरीक्षकों के रूप में नियुक्त अधिकारी नियमित रूप में निरीक्षण करते हैं और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किये जाने अथवा उससे कम का भुगतान किये जाने के मामले में नियोजकों को इस कम भुगतान को पूरा करने की सलाह देते हैं। अधिनियम में चूककर्त्ता नियोजकों के खिलाफ कानूनी और दण्डात्मक कार्रवाई किये जाने का प्रावधान है।

(ग) और (घ) सम्बन्धित राज्यों में मौजूदा विद्यमान न्यूनतम मजदूरी दरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

बीड़ी कर्मकारों के लिए राज्य-वार न्यूनतम मजदूरी को दर्शाने वाला विवरण (30.6.2001 तक की स्थिति)

क्रमांक	राज्य का नाम	प्रति हजार बीड़ियों के लिए न्यूनतम मजदूरी (रुपयों में)	न्यूनतम दैनिक मजदूरी (रुपयों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	44.00	–
2.	असम	38.80	–
3.	अरूणाचल प्रदेश	39.87	–
4.	बिहार	51.39	–
5.	दादर और नगर हवेली	–	80.00
6.	दमन और दीव	–	50.00
7.	गुजरात	73.80	–
8.	कर्नाटक	–	58.29
9.	केरल	132.50	–
10.	मध्य प्रदेश	49.04	–
11.	महाराष्ट्र	50.00	–
12.	उड़ीसा	–	42.50
13.	राजस्थान	86.05	–
14.	त्रिपुरा	43.95	–
15.	तमिलनाडु	52.78	–
16.	उत्तर प्रदेश	–	59.62
17.	पश्चिम बंगाल	79.14	–

श्री ए. नरेन्द्र: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि गत सैशन में बीड़ी कर्मकार कल्याण विधेयक बना था, जिसमें बीड़ी वर्कर्स के वेतन से 50 पैसे कटते थे, उसकी जगह एक रुपया काटने का निर्णय लिया। आप उस एक रुपये से उनको क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं? उत्तर में तो बताया गया है कि कई फैसिलिटीज उनके लिए बनाई गई हैं, लेकिन कोई फैसिलिटी कर्मचारियों को कारखानों में नहीं मिल रही हैं। क्या सरकार की ओर से कोई योजना है कि वे फैसिलिटीज उनको मिलें? इसके बारे में मैनेजमेंट को देखने के लिए कोई नियंत्रण करने वाली

संस्था की या सरकार की ओर से कोई योजना है? मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है कि बीड़ी के बजाय सरकार मिनी सिगरेट्स इण्ट्रोड्यूस करने बीत सोच रही है। ऐसा करने से लाखों कर्मचारियों को बहुत तकलीफ होगी और वे लोग परेशान होंगे, क्योंकि लाखों लोग इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, दूसरा कोई काम उनके लिए नहीं है। इसलिए सरकार क्या सोच रही है, यह बताने की कोशिश करे?

डा. सत्यनारायण जटिया: माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि उन्होंने कहा है कि वास्तव में बीड़ी मजदूरों को नियोक्ताओं के शोषण से बचाने के संदर्भ में और न्यूनतम वेतन भुगतान के संदर्भ में यह मूल प्रश्न है। साथ ही उन्होंने यह पूछा कि बीड़ी कर्मकारों के लिए जो कल्याण योजनाएं हैं, उनको चलाने के लिए सरकार ने जो उपकर लगाया है, उससे जो राशि मिलती है, उसके कारण कौन-कौन सी कल्याण योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्योंकि उसका प्रभाव दिखाई नहीं देता है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि वास्तव में देश में बीड़ी श्रमिकों की संख्या 44 लाख के लगभग है। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए जो उपकर हमें मिलता है, वह पर्याप्त नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार उनके लिए चिकित्सालयों की स्थापना करके, अस्पताल बनाकर, डिस्पेंसरीज खोलकर उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का काम करती है। इन चिकित्सा सुविधाओं के आधार पर देश में अभी चार अस्पताल बनाए गए हैं और 210 औषधालय चलाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में धुलियान में एक अस्पताल है, दूसरा उत्तर प्रदेश में, तीसरा कर्मा झारखंड में और चौथा मैसूर में है। कुछ और अस्पताल बनाने का काम हम कर रहे हैं। बीड़ी क्षेत्र के लाखों लोगों को चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। ज्यादातर बीड़ी मजदूर अपने घरों में बीड़ी बनाते हैं, औद्योगिक शेड्स में बीड़ी बनाने का काम बहुत कम होता है। उनके बच्चे भी जो बीड़ी का काम करते हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। बीड़ी मजदूरों के लिए मकान बनाने का काम भी हम करते हैं। मकान बनाने के लिए सहायता राशि को बढ़ा कर 20,000 रुपए कर दिया है। लेकिन जो शेष हमारे पास आ रहा है, वह पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण चिकित्सा सुविधा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती। अनेक माननीय सदस्यों ने अस्पतालों, मकानों आदि के लिए मंत्रालय को आग्रह किया है। इन सारी बातों को पूरा करने के लिए जो पहले तीस पैसे उपकर लगता था, उसको बढ़ाकर पचास पैसे किया गया, फिर एक रुपया किया गया और संसद की अनुमति लेकर पांच रुपए किया गया है। लेकिन आज की स्थिति में उसे हम दो रुपए कर रहे हैं। यह पैसा जब आ जाएगा तो हम और सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।

श्री ए. नरेन्द्र: आंध्र प्रदेश में लाखों बीड़ी मजदूर हैं। उनको रहने के लिए मकान नहीं है। सरकार ने उनको पहचान पत्र नहीं दिए हैं। कई प्रकार के घपले चल रहे हैं, जिसके कारण उन्हीं के पैसे से उनका शोषण हो रहा है और उनको मजदूरी भी नहीं मिल रही है। केरल में प्रति हजार बीड़ी लपेटने के लिए 132 रुपए दिए जाते हैं, गुजरात में 73 रुपए, राजस्थान में 86 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में जहां लाखों लोग बीड़ी बनाने का काम करते हैं, वहां केवल 44 रुपए मिलते हैं। यह राशि इतनी कम क्यों है, इसका विवरण मंत्री जी दें और उनको भी अधिक मजदूरी मिले, इसके लिए सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है या नहीं?

डा. सत्यनारायण जटिया: अध्यक्ष जी, बीड़ी दर तय करने का काम राज्य सरकारों के जिम्मे है। हर प्रदेश सरकार ने अपने हिसाब से बीड़ी बनाने की न्यूनतम दर निश्चित की हुई है। असम में 38.80 रुपए, अरूणाचल प्रदेश में 39.87 रुपए, बिहार में 52.39 रुपए, गुजरात में 73.80 रुपए, केरल में 132.50 रुपए, मध्य प्रदेश में 49.04 रुपए, महाराष्ट्र में 50 रुपए, राजस्थान में 86.05 रुपए और तमिलनाडु में 52.78 रुपए प्रति हजार बीड़ी लपेटने की दर निश्चित है। इसलिए बीड़ी बनाने की मजदूरी तय करने का काम राज्य सरकारें करती हैं और उनको यह पूरी स्वतंत्रता है कि बीड़ी मजदूरों के लिए एक हजार बीड़ी लपेटने के लिए कितनी मजदूरी देनी है। यह काम हमारे पास नहीं है कि हम बीड़ी मजदूरों की मजदूरी तय करें। न्यूनतम मजदूरी तय करने का काम भी राज्य सरकारों के पास है परंतु सब राज्य सरकार यदि चाहें तो एक समान नीति बनाने का काम किया जा सकता है। *...(व्यवधान)*

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि 90 प्रतिशत बीड़ी का निर्माण घरों में होता है और आप भी जानते हैं कि फैक्टरी एक्ट उन पर लागू नहीं होता है और इससे बड़ी-बड़ी जो बीड़ी की निर्माता कंपनियां हैं, वे फैक्टरी एक्ट से बच जाती हैं। इस हेतु आप क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इसी प्रश्न के दूसरे भाग की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि आवासीय सुविधाओं के बारे में भी उन्होंने पर्याप्त धनराशि विभिन्न राज्यों को दी हैं। बीड़ी का निर्माण घरों में होता है और फैक्टरी एक्ट से वे बच जाते हैं और श्रम पदाधिकारी इनको नियंत्रण में नहीं ले पाते। उसको रोकने के लिए क्या किया गया है साथ ही मध्य प्रदेश में बीड़ी मजदूरों के आवास के लिए दी गई धनराशि क्या है तथा मध्य प्रदेश में कौन-कौन से स्थान हैं जिन्हें लिया गया है?

डा. सत्यानारायण जटिया: वास्तव में बीड़ी मजदूरों के लिए जो मकान बनाने का काम है, वह प्रस्तावित रूप से राज्य सरकारों की ओर से किया जाता है और कहीं-कहीं इस प्रकार के प्रस्ताव सरकार के पास आ जाते हैं, उसमें मकान बनाने का काम सरकार करती है। जहां तक जो लोग घरों में बीड़ी बनाते हैं, उनका

पहचान-पत्र जो होना है, वास्तव में पहचान-पत्र देने का काम नियोक्ता का है परंतु वे पहचान-पत्र नहीं दे पाते। जो हमारी डिस्पेंसरीज हैं, जहां मजदूर लोग अपने इलाज के लिए जाते हैं, वे डिस्पेंसरीज भी पहचान-पत्र देने का काम करती है किंतु जैसा मैंने बताया कि डिस्पेंसरीज और अस्पताल सीमित संख्या में हैं और सभी मजदूरों को कवर नहीं कर पाते हैं। जो पहचान-पत्र देने का काम है, वह नियोक्ताओं को करना चाहिए। निश्चित रूप से यह पूरा नहीं होने के कारण पहचान-पत्र देना संभव नहीं है। मध्य प्रदेश में मकान की मंजूरी देने का जो काम है, जैसे जावरा से एक प्रस्ताव आया है और मकान बनाने के बारे में वहां और अन्य स्थानों से यदि इस प्रकार से प्रस्ताव आते हैं तो स्वीकृति देने का काम करते हैं।

[अनुवाद]

श्री एन.टी. षणमुगम: वेल्लौर जिले में हजारों बीड़ी मजदूरों की स्थिति दयनीय है। पूरे परिवार बीड़ी बनाने के काम में लगे हुए हैं। उन्हें अनेक बीमारियां हैं। उनके पास उचित आवास और अस्पताल की सुविधाएं नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वेल्लौर जिले में मकान और पर्याप्त अस्पताल बनाने की कोई योजना है।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: इस प्रस्ताव के बारे में, वहां मकान बनाने के बारे में जो ये पूछ रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि इस प्रस्ताव की जांच हम कर लेंगे और यदि हमारे पास फंड की उपलब्धता होगी तो हम जरूर करेंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: माननीय मंत्री और उनका मंत्रालय श्रमिकों के हितों की अनदेखी नहीं कर सकता है। इसके लिए श्रम मंत्रालय, केन्द्र सरकार और केन्द्रीय श्रमिक आयुक्त बनाए गये हैं। इसलिए केन्द्र सरकार का यह कर्त्तव्य है कि श्रमिकों का शोषण रोकें।

मैं माननीय मंत्री को बताना चाहता हूं कि बीड़ी मजदूर मुख्यत: महिलाएं हैं, वे घर पर ही काम करती हैं। इस उद्योग में बाल श्रमिक भी हैं। ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार को अपना कर्त्तव्य निर्वाह करना है। प्रति बीड़ी तथा प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी उन मजदूरों पर लागू होती है जो फैक्टरियों में काम करते हैं। इसलिए घर पर ही यह काम करने वाली महिला कर्मचारियों विशेषरूप से समाज के कमजोर वर्गों की महिलाओं के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। गुजरात दक्षिण भारतीय राज्यों को तम्बाकू देता है और आंध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों में बड़े पैमाने पर बीड़ी बनाई जाती है।

मैं, माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय श्रम आयुक्त उन महिला और बाल श्रमिकों की देखभाल करेगा जो घर पर ही बीड़ी बनाने का काम करते हैं और तम्बाकू के कारण होने वाली बीमारियों से ग्रस्त है और जो अपनी मौत के करीब हैं।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि महिलाएं ज्यादा इस काम को करती हैं और निश्चित रूप से यह प्रतिशत 65.9 प्रतिशत है। चूंकि बच्चे उस काम में नहीं लगते हैं। हम जानते हैं कि बीड़ी बनाने के लिए जो पत्ते लगते हैं, उनको गलाना पड़ता है और उनके ऊपर जो नसें होती हैं, उनको साफ करना पड़ता है। उस काम में घरों के काम में जो बच्चे लगते हैं, वास्तव में यह माना नहीं गया है कि वे बच्चे बीड़ी बनाने के काम में लगे होते हैं। जो बीड़ी बनाने का काम है जिसे हम रौलिंग कहते हैं, धागा लपेटना हम कहते हैं और उसको बंडल बनाने का काम करते हैं, कहीं-कहीं बच्चे घरों में सहायता करने का काम जरूर कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में उनकी गणना कि वे उस काम में लगे हैं, इस प्रकार की गणना नहीं होती है। चूंकि यह काम इस प्रकार का है जो रोजगार चलाने के लिए जरूरी है और यदि वे नहीं लगेंगे तो मुश्किल होगी। फिर हमने कहा है कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। इन सारी बातों के कारण हुई स्वास्थ्य की समस्याओं को देखते हुए और उनकी आजीविका को देखते हुए हमें ऐसे उपाय करने होंगे जिससे उनका रोजगार, उनकी आजीविका न जाये और उनका स्वास्थ्य भी सुरक्षित रह सके। स्वास्थ्य को सुरक्षित करने की दृष्टि से हमारे पास जितनी धनराशि है, उसके माध्यम से अस्पताल और डिस्पेंसरी चलाने का काम करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि उनको पर्याप्त प्रकार की सुविधाओं का लाभ मिले। जहां-जहां से मांग आती है, उसको पूरा करने का काम भी हम करें और सैस की जो राशि आती है, वह ज्यादा नहीं है और बीड़ी करने के बाद भी हम दो रुपया ले रहे हैं तो उस दो रुपये में क्या होने वाला है, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। उस दृष्टि से जो कमिश्नर होता है, वह कल्याण अधिकारी है, वह वैल्फेयर कमिश्नर है, वह वैल्फेयर एक्टिविटीज तो कर सकते हैं लेकिन कानून को लागू करने का काम जिससे एक्सप्लाइटेशन रोका जा सके, उसमें निश्चित रूप से राज्य सरकारों का दायित्व ज्यादा है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि राज्य सरकार अपने यहां काम करने वाली बीड़ी मजदूर, जिनमें महिलाएं भी हैं, उनकी चिंता करने का काम करे। मकान बनाने की दृष्टि से सरकार बीस हजार रुपया देती है। राज्य सरकारों ने 20,000 रुपया अनुदान देने का काम किया है और 20,000 रुपये का यदि वे लोन ले लेते हैं तो 60,000 रुपये में एक अच्छा मकान बन सकता है, रहने लायक मकान बन सकता है। यह राज्य सरकार पर निर्भर है कि वे बीड़ी मजदूरों के कल्याण के बारे में अपनी तरफ से क्या सहायता जोड़ सकती है, यही मुझे इस संबंध में कहना है।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, केरल में बीड़ी उद्योग फलता-फूलता व्यापार है, और हमारे राज्य में एक हजार बीड़ी बनाने के लिए 132 रुपये दिए जाते हैं। ऐसा मुख्यत: सहकारी क्षेत्र में होता है। एक सहकारी संस्था में हजारों श्रमिक होते हैं, वे अपने-अपने घरों में बीड़ी बनाते हैं और सोसायटी उनसे बीड़ी खरीदती है तथा उसे बाजार में बेचती है। अभी तक हमें कोई समस्या नहीं थी। लेकिन माननीय मंत्री को एक बहुत गंभीर मुद्दे अर्थात् धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर विचार करना चाहिए। इससे बहुत ही कम समय में बीड़ी बाजार में नहीं मिलेगी।

केरल में उत्पादित बीड़ी खाड़ी देशों तथा लंदन में भी बेची जाती थी। लेकिन अब उन्हें वहां बीड़ी बेचने की अनुमति नहीं है क्योंकि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस मुद्दे पर विचार किया है और हम भी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध करने संबंधी का विधान लाने के बारे में विचार कर रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री से इस संदर्भ में अनुरोध करता हूं कि वे इन श्रमिकों के पुनर्वास के बारे में विचार करें। उनके लिए कोई रोजगार ढूंढे और समाज में उनका किसी और तरीक से पुनर्वास करें क्योंकि ऐसी स्थिति में बीड़ी उद्योग के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। यह उद्योग अब फलेगा-फूलेगा नहीं और हम इस संकट का सामना कर रहे हैं। बाहर बीड़ी नहीं बेची जा रही है; केवल कुछ स्थानों पर ही बीड़ी बेची जाती है।

अध्यक्ष महोदय: आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है?

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं, केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस संदर्भ में कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बीड़ी श्रमिकों के पुनर्वास के बारे में विचार करे। धूम्रपान के विरुद्ध एक विश्वव्यापी अभियान शुरू हो चुका है। इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि बीड़ी श्रमिकों को भुखमरी से बचाने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: माननीय सदस्य ने बीड़ी बनाने और बीड़ी पीने वालों के बीच की बात कही है। अब जो बीड़ी बना रहे हैं, चूंकि बीड़ी पीने वाले हैं, इसलिए बीड़ी बना रहे हैं। जब पीने वाले नहीं रहेंगे तो बीड़ी बनाने वालों का क्या करेंगे, यह चिंता का विषय है, निश्चित रूप से यह गंभीर बात है। सरकार और हम सभी यह चाहते हैं कि बीड़ी पीने के कारण जो ट्यूबरकयूलोसिस आदि बीमारियां हो जाती हैं, उनको जरूर रोकना चाहिए लेकिन वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे बीड़ी और तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और विज्ञापन देने के बाद भी लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यह लोगों के ऊपर निर्भर है कि वे इन चीजों का इस्तेमाल करें या न करें। इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होना चाहिए। आज भी बीड़ी या तम्बाकू का धुंआ रोकने में बहुत मुश्किलें होती हैं। इस कानून को लागू करने के लिए नैतिक रूप से जागरूकता नहीं आती है। यह हैल्थ का विषय है, इसलिए मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता हूं। जागरूकता नहीं होने की वजह से लोग बीड़ी या तम्बाकू का इस्तेमाल करते हैं। जहां तक दूसरे पक्ष का सवाल है, जिस विषय पर आपको चिन्ता है, इस बारे में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। उस स्थिति में इस उद्योग के निकलने वाले लोग कौन से दूसरे रोजगार कर सकते हैं और महिलायें इस उद्योग में ज्यादा हैं, तो घर में वे क्या काम कर सकती हैं, क्योंकि महिलाओं का पुरुष की आय में बहुत बड़ा योगदान हैं, यदि इस बारे में आपके पास कोई सुझाव हैं, तो सरकार निश्चित रूप से उन पर विचार कर उपाय करने की कोशिश करेगी।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस द्वारा तैयार किए गए होलीडे पैकेज

***387. श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी:**
श्री के.एच. मुनियप्पा:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने अपना व्यापार बढ़ाने और देश में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए होलीडे पैकेज तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस ने इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और इन राज्यों के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमनलाल गुप्त): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। होलीडे पैकेज का ब्यौरा अनुबंध पर दिया गया है।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइंस ने पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में संयुक्त रूप से पहल करने के संबंध में राजस्थान पर्यटन विकास निगम (आर.टी.डी.सी.) तथा पर्यटन विभाग, केरल सरकार के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

राजस्थान पर्यटन विकास निगम (आर.टी.डी.सी.) के साथ समझौता ज्ञापन

1. इंडियन एयरलाइंस होलीडे पैकेज तथा स्लीपओवरों को तैयार करने के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम के माध्यम से राजस्थान में हैरीटेज होटलों तथा पैलेस-ऑन-व्हील्स समेत विभिन्न होटलों से संपर्क करेगी।

2. राजस्थान पर्यटन विकास निगम पैकेजों/स्लीपओवरों को बनाने में संबंधित होटल तथा परिवहन प्रचालक द्वारा इंडियन एयरलाइंस को सर्वोत्तम रेट दिए जाना सुनिश्चित करने में मदद् करेगा। ये रेट विशेष रूप से इंडियन एयरलाइंस के लिए होंगे और इसी मार्ग पर चलने वाली किसी भी दूसरी एयरलाइन के लिए नहीं होंगे।

3. राजस्थान पर्यटन विकास निगम इंडियन एयरलाइंस को अपना सामान्य बिक्री एजेंट नियुक्त करेगा बशर्ते सामान्य बिक्री एजेंट समझौते को उन सभी विदेशी स्टेशनों पर लागू किया जाए, जहां-जहां इंडियन एयरलाइंस के कार्यालय है।

4. इंडियन एयरलाइंस, राजस्थान में, पैलेस-ऑन-व्हील्स। हैरीटेज होटलों को अपना प्रमुख आकर्षण बनाकर राजस्थान पर्यटन विकास निगम के माध्यम से पैकेज तैयार करेगी। इंडियन एयरलाइंस तथा रा.प.वि.नि. भारत और विदेशों में इन पैकेजों को संयुक्त रूप से संवर्धन करेंगे।

5. जब ये पैकेज स्लीपओवर तैयार हो जाएंगे तब इंडियन एयरलाइंस रा.प.वि.नि. द्वारा बनाई गई प्रचार-प्रसार संबंधी सामग्री में रा.प.वि.नि. का लोगो भी शामिल कर लेगा। इसी प्रकार राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्मित प्रचार-प्रसार संबंधी सामग्री पर इंडियन एयरलाइंस तथा एलायंस एयर के लोगो भी लगाए जाएंगे।

6. इंडियन एयरलाइंस अपने कार्यालयों तथा अपनी ट्रैवल एजेंसियों में प्रमुख रूप से दर्शाए जाने के लिए रा.प.वि.नि. द्वारा निर्मित प्रचार-प्रसार संबंधी सामग्री जैसे पोस्टर आदि वितरित करेगा।

7. रा.प.वि.नि. इन पैकेजों को प्रभावी करने के संबंध में सभी व्यवस्थाएं करेगा। रा.प.वि.नि. और इंडियन एयरलाइंस द्वारा ऐसे सभी प्रचार संवर्धनों की लागत को पारस्परिक सहमति अनुपात आधार पर भागीदारी की जाएगी।

केरल सरकार के पर्यटन विभाग के साथ समझौता ज्ञापन

1. इंडियन एयरलाइंस होलीडे पैकेज और स्लीपओवरों को तैयार करने के लिए केरल सरकार के पर्यटन विभाग के माध्यम से केरल में विभिन्न होटलों से समझौता करेगी।

2. पर्यटन विभाग, केरल सरकार पैकेजों/स्लीपओवरों को बनाने में संबंधित परिसम्पत्ति स्वामी द्वारा इंडियन एयरलाइंस को सर्वोत्तम रेट दिए जाना सुनिश्चित करने में मदद् करेगा। ये रेट विशेष रूप से इंडियन एयरलाइंस के लिए होंगे जबकि सामान्य रूटों पर प्रचालन करने वाली किसी अन्य एयरलाइन को नहीं होंगे।

3. पर्यटन विभाग, केरल सरकार इंडियन एयरलाइंस को उन सभी विदेशी स्टेशनों पर अपना सामान्य बिक्री एजेंट (जी.एस.ए.) नियुक्त करेगी जहां इंडियन एयरलाइंस के कार्यालय हैं।

4. इंडियन एयरलाइंस केरल सरकार के पर्यटन विभाग के माध्यम से केरल के लिए विशेष पैकेज अर्थात् मुख्य थीम के बतौर आयुर्वेदिक थेरेपी से युक्त स्वास्थ्य पैकेज और बैकवाटर पैकेज तैयार करेगी। इंडियन एयरलाइंस और केरल सरकार का पर्यटन विभाग को भारत में और विदेश दोनों में संयुक्त रूप से विकसित करेंगे।

5. जब कभी ये पैकेज/स्लीपओवर तैयार होंगे तब केरल सरकार का पर्यटन विभाग अपने द्वारा प्रस्तुत प्रचार-प्रसार सामग्री में इंडियन एयरलाइंस और एलाइंस एयर के लोगो को भी शामिल करेगा। इसी तरह, इंडियन एयरलाइंस द्वारा प्रस्तुत प्रचार-प्रसार सामग्री में केरल सरकार के पर्यटन विभाग के लोगो को भी दर्शाया जाएगा।

6. इंडियन एयरलाइंस केरल राज्य के पर्यटन विभाग को अपने स्वयं के कार्यालयों में और अपनी ट्रैवल्स एजेंसियों में प्रमुख रूप से दर्शाए जाने की दृष्टि से तैयार पोस्टर आदि जैसी प्रचार-प्रसार संबंधी सामग्री वितरित करेगी।

7. केरल सरकार का पर्यटन विभाग भी इन पैकेजों को लागू करने संबंधी सभी प्रबंध व्यवस्था करेगा। केरल सरकार का पर्यटन विभाग और इंडियन एयरलाइंस पारस्परिक रूप से सहमत अनुपात आधार पर ऐसी सभी प्रचार-प्रसार संबंधी सामग्री की लागत को मिलकर बाँटेंगे।

भावी योजनाएं: इंडियन एयरलाइंस ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और असम राज्य के पर्यटन विभागों को ऐसे ही प्रस्ताव किए हैं।

अनुबंध

इंडियन एयरलाइन द्वारा प्रस्तावित मौजूदा होलीडे पैकेज

इंडियन एयरलाइंस ने यात्रियों को वैल्यू ऐड-आन्स मुहैया कराने के लिए विभिन्न पर्यटक स्थलों पर चुनींदे होटलों के साथ समझौता किया है।

- *स्लीपओवर पैकेज-* निम्नलिखित होटलों-दिल्ली में सिद्धार्थ तथा वसंत कोन्टिनेटल और पार्क होटल, मुम्बई में होलीडे इन तथा होडल एम्बेस्डर, कोलकाता में होटल हिन्दुस्तान इन्टरनेशनल और पार्क होटल, चेन्नई में राधा पार्क इन, बंगलौर में होटल अशोक और होटल एटरिया के साथ इंडियन एयरलाइंस लि. के यात्रियों को ये विशेष रियायतें दी जा रही हैं। (30 सितम्बर, 2001 तक वैध)

- *केरल पैकेज-* ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, कासिनों ग्रुप होटल्स और एलेक्स रिजार्ट्स के साथ मसझौता। (30 सितम्बर, 2001 तक वैध)

- *गोवा में मैजार्डा बीच रिजार्ट, हिव्स्पेरिंग पाल्मज, सिडाडे-डे गोवा और लीलापैलेस होटल-* विमान किराया, दर्शनीय स्थलों सहित 3 रात/4 दिन विश्राम के लिए उपयुक्त रेट्स देते हैं। (30 सितम्बर, 2001 तक वैध)

- *बोधगया होलीडे पैकेज-* आई.टी.डी.सी. (अशोक बोधगया) के साथ समझौता। 3 दिन/3 रात विश्राम तथा नालन्दा, राजगीर दर्शनीय स्थल के लिए उपयुक्त रेट्स देता है। (31 मार्च, 2001 तक)

- *जम्मू होलीडे पैकेज-* होटल एशिया, होटल के.सी. रेजिडेंसी और हेलीकॉप्टर सेवा के लिए मैं. निधीश ट्रैवल्स के साथ समझौता। (30 सितम्बर, 2001 तक वैध)

- *श्रीनगर होलीडे पैकेज-* श्रीनगर होटल ग्रांड पैलेस इंटर कांटिनेंटल के साथ 2 रात/3 दिन पैकेज का समझौता। (30 सितम्बर, 2001 तक वैध)

- *हैल्थ पैकेज (फिटनेस फ्लाई एवे)-* चुनींदे कार्यक्रम के आधार पर 8 दिन/7 रात से लेकर 15 दिन/14 रात की रेंज के एक आयुर्वेद ट्रीटमेंट/फिटनेस पैकेज के लिए कैराली हैल्थ रिजार्ट के साथ समझौता। (31 दिसम्बर, 2001 तक वैध)

- *राजस्थान होलीडे पैकेज-* दिल्ली-जयपुर-जोधपुर-दिल्ली तथा दिल्ली-जयपुर-उदयपुर-दिल्ली पैकेज के 2 सर्किट आपरेशन सहित 4 रात/5 दिन पैकेज के लिए जयपुर, जोधपुर तथा उदयपुर में विभिन्न स्टार होटलों के साथ समझौता। (30 सितम्बर, 2001 तक वैध)

श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी: महोदय, मैं जानना चाहती हूं कि क्या इंडियन एयरलाइन्स ने होलीडे पैकेज के लिए कुछ निजी यात्रा पर्यटन एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यदि हां, तो कृपया तत्संबंधी ब्यौरा दें।

[हिन्दी]

प्रो. चमन लाल गुप्त: टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमने कुछ राज्य सरकारों से एम.ओ.यू. साइन किए हैं। इनमें राजस्थान और केरल की सरकार है।

[अनुवाद]

श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी: महोदय, मैं जानना चाहती हूं कि क्या इंडियन एयरलाइन्स ने आंध्र प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के साथ ऐसा कोई समझौता किया है। यदि नहीं, तो क्या ऐसा समझौता करने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार के साथ वार्ता शुरू की जाएगी?

[हिन्दी]

प्रो. चमन लाल गुप्त: महोदय, टूरिज्म को बढ़ावा देने की दृष्टि से हम अपनी एयरलाइन्स को भी बढ़ावा देने चाहते हैं। जिन-जिन सरकारों की तरफ से हमारे पास रिक्वैस्ट आई हैं, उनके साथ हमने एग्रीमेंट करने की कोशिश की है। अगर आन्ध्र प्रदेश की सरकार की तरफ से कोई भी सुझाव आएगा, तो हमें खुशी होगी और हम उनसे समझौता ज्ञापन साइन करने के लिए तैयार हैं।

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा: महोदय, हाल ही में, मैं उदयपुर के 'लक्ष्मी पैलेस' गया जो प्रतिष्ठित होटलों से एक है। यूनियन के लोग मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि वे इस होटल को निजी क्षेत्र को बेच रहे हैं। सरकारी सम्पत्ति की रक्षा करने की बजाय वे इस होटल को 30 करोड़ रुपये में बेच रहे हैं। जबकि इसकी वास्तविक कीमत 150 करोड़ रुपये है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस होटल की रक्षा करने के बजाय इतनी कम कीमत पर बेचने का निर्णय ले लिया है।

कर्नाटक में बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या केरल सरकार और भारत सरकार ने कर्नाटक में पर्यटन का विकास करने के लिए किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप इनके अनुपूरक प्रश्न के केवल दूसरे भाग का उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. चमन लाल गुप्त: महोदय, जहां तक केरल की सरकार का सवाल है, उनके साथ हमने एम.ओ.यू. साइन किया है। हमारी कोशिश है कि टूरिज्म को बढ़ावा दें। इसके लिए हम हर तरह की कोशिश करने के लिए तैयार हैं। इस संबंध में यदि माननीय सदस्य के पास कोई सुझाव हैं, तो उन सुझावों का हम वैलकम करेंगे।

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और असम राज्यों के साथ होलीडे पैकेज की योजनायें बनाई हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं उन्होंने महाराष्ट्र के साथ योजनायें क्यों नहीं बनाई?

आप डिसइनवेस्टमेंट की योजनाएं बनाने के लिए जा रहे हैं। असलियत में इंडियन एयरलाइंस प्रोफिट में है या नहीं? आप जब डिसइनवेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि नेटवर्थ कितना है और असेट्स कितने हैं।

प्रो. चमन लाल गुप्त: महोदय, जहां तक इन्होंने महाराष्ट्र का प्रश्न उठाया है, मैंने पहले ही कहा कि जिस-जिस सरकार से हमें थोड़ी सी भी रिकवेस्ट आ रही है तो उसके साथ हम एमओयू साइन कर रहे हैं। अब हमने यह तय किया है कि हम अपनी तरफ से, इंडियन एयरलाइंस की तरफ से सभी सरकारों को पत्र लिखेंगे और जो-जो सरकार आगे आएगी उसके साथ हम एमओयू साइन करके टूरिज्म को बढ़ावा देंगे।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले: महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में बहुत सब्जियां और अंगूर होता है तो क्या इसे देश के बाहर भेजने के लिए कारगो सेवा की व्यवस्था हो जाएगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह एक अलग प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री श्रीचन्द कृपलानी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राजस्थान के पर्यटन विभाग से आपका समझौता हो गया है, लेकिन क्या इंडियन एयरलाइंस ने, सिर्फ जहां आपके एयरपोर्ट्स हैं वहां के पर्यटन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए खाली एग्रीमेंट करते हैं या उसके अलावा भी करते हैं? जैसे हमारा चित्तौड़गढ़ है, यह पूरे देश में ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्व रखता है। वहां एयरपोर्ट खोला जाए, क्योंकि लम्बे समय से यह डिमांड चल रही है। मंत्री जी बताएंगे कि क्या भविष्य में पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए वहां एयरपोर्ट खोल सकते हैं या पर्यटन निगम से एग्रीमेंट करते हैं उसमें ऐसे स्थान को भी चयन करेंगे...*(व्यवधान)* ऐसा सरकार का कोई विचार है?

अध्यक्ष महोदय: यह एयरपोर्ट का प्रश्न नहीं है।

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: माननीय अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों में से एक है। हैदराबाद में चारमीनार, गोलकुंडा किला तथा सलारजंग संग्रहालय जैसे अनेक पर्यटक स्थल है। इसी तरह विशाखापत्तनम में बोरा गुफा, अराकू घाटी तथा बौद्ध स्थल जैसे अनेक पर्यटक स्थल है। इंडियन एयरलाइन्स विमान इन स्थलों तक नहीं जाते हैं। विशाखापत्तनम जो एक अन्तर्राष्ट्रीय गंतव्य है परन्तु यहां विमानपत्तन सुविधा शुरू नहीं की जा रही है। यहां इस सुविधा का होना अनिवार्य है। हमारे माननीय नागर विमानन मंत्री श्री शरद यादव द्वारा किए गए भरसक उपायों तथा उनकी रूचि के बावजूद विजाग विमानपत्तन का विकास कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या विजाग विमानपत्तन का दर्जा तत्काल बढ़ाया जाएगा और इस पैकेज में पर्यटक स्थलों को शामिल किया जाएगा। श्री येरननायडू जी भी यही जानना चाहते हैं। पहले विशाखापत्तनम से दिल्ली तक सातों दिन उड़ान सुविधा उपलब्ध थी। यदि प्रमुख स्थलों के लिए दैनिक उड़ान सुविधा उपलब्ध नहीं होगी तो पर्यटक वहां जाने का विचार किस तरह करेंगे? इसलिए यह भी आवश्यक है कि प्रतिदिन

पर्यटकों के लिए तीन दिन रायपुर से होकर तथा चार दिन भुवनेश्वर से होकर दिल्ली से विमान सेवाएं शुरू की जाए। मैं इस बारे में निश्चित उत्तर चाहता हूं।

श्री के. येरननायडू: पहले दिल्ली से विशाखापत्तनम तक सीधी दैनिक उड़ान सुविधा उपलब्ध थी। अब यह सुविधा केवल चार दिन उपलब्ध होती है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. चमन लाल गुप्त: आंध्र प्रदेश सरकार से हमारी बातचीत इस सिलसिले में पहले से ही चल रही है। मैं मंत्री जी से रिकवेस्ट करूंगा कि हम उनसे जो पत्र व्यवहार कर रहे हैं वह अभी तक फाइनल स्टेज पर नहीं आया है। वहां से जवाब नहीं आ रहा है। वह इस पर हमारी मदद करें और उसे एक्सपीडाइट करें।

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: आपने जो कुछ लिखा है उसके बारे में सभा को पता होना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मूर्ति जी कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

बेरोजगारी का सर्वेक्षण

*389. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में बेरोजगारी की समस्या के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक राज्य से दूसरे राज्य में श्रमिकों का बड़े पैमाने पर पलायन होता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्यों में श्रमिकों के हितों की रक्षा करने तथा रोजगार के नए साधन सृजित करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ङ) एक वक्तव्य सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा समय-समय पर आयोजित नमूना सर्वेक्षणों के माध्यम से रोजगार, बेरोजगारी तथा श्रम बल पर राष्ट्रव्यापी आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस प्रकार का पिछला सर्वेक्षण 1999-2000 के दौरान किया गया था। विभिन्न राज्यों में वर्ष 1999-2000 के दौरान अनुमानित बेरोजगारी दरें अनुबंध-I में दी गई है।

1991 की जनगणना के अनुसार, लगभग 1 करोड़ तथा 11 लाख व्यक्तियों के राज्यों से बाहर प्रवास करने का अनुमान है। रोजगार हेतु प्रवास करने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत सहित प्रवास का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कामगारों के कल्याणार्थ अनेक कदम उठाए हैं। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, ठेका श्रम (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, बंधुवा मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 तथा अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार (आर.ई. एवं सी.एस.) अधिनियम, 1979, भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (रोजगार का नियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 तथा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 जैसे अनेक विद्यमान श्रम कानून असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए लागू हैं। ये अधिनियम मजदूरी कार्य के घंटों, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि के संदर्भ में कामगारों के हितों की रक्षा करते हैं।

नौवीं योजना में बोरजगारी तथा अल्प रोजगार की उच्च दरों की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों में श्रम सघन क्षेत्रों, उप-क्षेत्रों तथा प्रौद्योगिकियों पर संकेन्द्रण से उत्पादक रोजगार को प्राथमिकता दी गई है। सरकार गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु विशेष कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रही है।

अनुबंध-I

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राज्यवार बेरोजगारी दर	राज्यवार बेरोजगारी दर*			
		1999-2000			
		ग्रामीण		शहरी	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1.2.	0.7	4.2	4.2
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.9	0.1	1.4	10.0
3.	असम	4.7	11.9	9.1	22.3
4.	बिहार	2.4	0.6	7.6	9.4
5.	गोवा	7.0	18.7	15.3	35.2
6.	गुजरात	0.8	0.3	2.1	2.6
7.	हरियाणा	1.3	0.5	2.7	4.6
8.	हिमाचल प्रदेश	3.0	1.8	6.3	11.8
9.	जम्मू और कश्मीर	2.6	7.1	4.7	12.8
10.	कर्नाटक	1.0	0.3	3.0	4.7
11.	केरल	7.6	19.7	6.9	26.4
12.	मध्य प्रदेश	0.7	0.2	4.3	1.6
13.	महाराष्ट्र	2.4	1.1	6.9	7.8
14.	मणिपुर	2.4	2.5	7.4	10.3
15.	मेघालय	0.5	0.3	3.4	6.8
16.	मिजोरम	2.1	0.5	4.4	2.6
17.	नागालैंड	3.0	3.8	9.3	10.8
18.	उड़ीसा	3.1	1.6	7.2	6.7
19.	पंजाब	2.3	6.2	3.1	3.5
20.	राजस्थान	0.8	0.2	2.7	3.7
21.	सिक्किम	3.5	2.0	6.7	10.0
22.	तमिलनाडु	3.0	1.2	3.9	5.8

1	2	3	4	5	6
23.	त्रिपुरा	0.8	4.6	5.5	8.8
24.	उत्तर प्रदेश	1.3	0.6	4.5	4.6
25.	पश्चिम बंगाल	3.4	3.8	7.7	11.1
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3.3	7.6	3.8	23.9
27.	चंडीगढ़	1.0	–	3.9	14.4
28.	दादर व नगर हवेली	1.6	–	1.6	–
29.	दमन व दीव	1.3	–	1.4	8.3
30.	दिल्ली	3.9	26.0	3.2	5.3
31.	लक्षद्वीप	10.9	52.9	8.2	26.3
32.	पांडिचेरी	4.7	2.6	3.5	6.9
	अखिल भारत	2.1	1.5	4.8	7.1

* सामान्य स्थिति दृष्टिकोण के अनुसार।
श्रम बल के संदर्भ में बेरोजगारी दर से तात्पर्य बेरोजगारों की प्रतिशतता से है।

अनुबंध-II

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	0 से 9 वर्ष की निवास अवधि वाले बाहर जाने वाले प्रवासियों का विवरण				
		कुल प्रवासी			रोजगार के कारण पलायन (%)	
		व्यक्ति	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	492030	217828	274202	36.2	4.8
2.	अरूणाचल प्रदेश	17706	8770	8936	28.6	3.6
3.	असम	172820	88541	84279	33.9	5.0
4.	बिहार	1226839	700317	526522	52.8	6.3
5.	गोवा	28767	12109	16658	35.4	7.7
6.	गुजरात	305738	131623	174115	28.4	2.9
7.	हरियाणा	561504	196323	365181	36.7	2.1
8.	हिमाचल प्रदेश	144362	69628	74734	47.3	4.8
9.	जम्मू और कश्मीर	81254	42287	38967	33.8	4.9

1	2	3	4	5	6	7
10.	कर्नाटक	582750	241915	340835	33.6	5.2
11.	केरल	439285	228684	210601	53.5	13.7
12.	मध्य प्रदेश	597184	209693	387491	33.2	4.3
13.	महाराष्ट्र	770030	324888	445142	35.1	6.2
14.	मणिपुर	17317	8823	8494	28.1	6.1
15.	मेघालय	22593	9895	12698	30.7	4.5
16.	मिजोरम	11832	5754	6078	25.9	5.4
17.	नागालैंड	12757	6305	6452	25.0	3.1
18.	उड़ीसा	267594	135333	132261	56.6	7.0
19.	पंजाब	513763	222972	290791	29.9	3.0
20.	राजस्थान	769967	335695	434272	40.2	4.1
21.	सिक्किम	11560	4860	6700	31.5	4.1
22.	तमिलनाडु	679280	344542	334738	49.1	10.4
23.	त्रिपुरा	27100	12055	15045	29.9	5.1
24.	उत्तर प्रदेश	2457996	1317662	1140334	51.3	3.9
25.	पश्चिम बंगाल	454862	193802	261060	43.6	3.9
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7555	3345	4210	28.1	5.3
27.	चंडीगढ़	79224	36944	42280	23.0	3.6
28.	दादर व नगर हवेली	5879	1982	3897	34.1	4.1
29.	दमन व दीव	5325	1599	3726	26.9	8.6
30.	दिल्ली	281946	109318	172628	29.4	3.1
31.	लक्षद्वीप	3563	1379	2184	29.7	4.8
32.	पांडिचेरी	38754	13946	24808	23.5	4.0
	अखिल भारत	11089136	5238817	5850139	43.9	5.1

स्रोत: भारत की जनगणना 1991, भाग-V प्रवास तालिकाएं, तालिका डी-3

श्री रवि प्रकाश वर्मा: जैसा कि स्टेटमेंट में दिया गया है उससे स्थिति साफ नहीं हो रही है कि सरकार इस बारे में क्या कर रही है। आर्थिक सुधारों के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है, तो क्या सरकार तत्काल अपनी नीतियों की समीक्षा करेगी और इस ओर सही कदम उठाएगी? साथ ही क्या रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा देने का प्रयास करेगी?

डा. सत्यनारायण जटिया: बेरोजगारी की जो समस्या है वह हमारे यहां संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में है। उन्होंने जो कहा है कि रोजगार के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी जाए। इसमें दूसरा प्रश्न तो संसद को तय करना है लेकिन जहां तक बेरोजगारी का मामला है इसमें एक तो पढ़े-लिखे बेरोजगार हैं और जो आंकड़े हमारे पास है उसमें कुछ लोग बिलकुल रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं इनकी संख्या करीब 90 लाख है और जिनके पास कुछ समय का काम है पूरा काम नहीं है ऐसे लोगों की संख्या ढ़ाई करोड़ है। हमारे पास जो 40 करोड़ की वर्क-फोर्स है उसमें संगठित क्षेत्र की बेरोजगारी कम हैं, असंगठित क्षेत्र के बेरोजगारी हमारी चिंता का कारण बनी हुई है। इसलिए जो अकुशल बेरोजगार हैं उन्हें प्रशिक्षण देकर कुशलता देकर कार्यक्षम बनाने का काम कर सकें तो निश्चित रूप से उनको रोजगार भी मिलेगा और उसके कारण उनको जो आय होगी उससे उनकी स्थिति बदली जा सकती है। इस प्रकार हमारे जो रोजगार का परिदृश्य है वह संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में चिंता का विषय बना हुआ है। आने वाले समय में संगठित क्षेत्र की समस्या ज्यादा गंभीर होती जा रही है लेकिन असंगठित क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बढ़ती जा रही है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि एक करोड़ रोजगार का सृजन किया जायेगा जबकि उदारीकरण की नीतियों के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। मेरे पास आंकड़े हैं कि बीआईएफआर के पास 3296 केस बीमार रूप से दर्ज हैं जिनमें ऐसी संभावना है कि 18 लाख 85 हजार लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार को इस बारे में स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए।

डा. सत्यनारायण जटिया: यह उनका सुझाव है और जैसा कि उन्होंने कहा है कि एक करोड़ रोजगारी का सृजन होने वाला है तो माननीय मोंटेक सिंह अहलूवालिया की रिपोर्ट आ गयी है और निर्माण की विधा में जितने काम हैं चाहे सड़कों का निर्माण हो, भवन निर्माण हो, सिंचाई और बाकी के उनसे संबंधित काम हों, उनसे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। सीमेंट उद्योग, स्टील उद्योग और ईंट बनाने वाले लोगों को और इनसे संबंधित सब लोगों को निश्चित रूप से रोजगार मिलता है। साथ ही साथ ये चीजें जब बनकर तैयार हो जाती हैं तो उसके कारण ट्रांसपोर्ट और बाकी बातें जो इससे संबंधित हैं उसके कारण भी रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। इसलिए जैसा आपने कहा है कि एक करोड़ रोजगार का सृजन किस प्रकार से होने वाला है तो इसकी पूरी रूपरेखा बन चुकी है। आने वाले समय में निश्चित रूप से इसके परिणाम हमें दिखाई देने लगेंगे।

श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे: क्या सरकार कृषि में रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए कोई विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है और वे विशेष कार्यक्रम कौन से हैं? दूसरा कृषि एवं कुटीर उद्योग को अगर ज्यादा बढ़ावा दिया गया तो बेरोजगारी का सवाल हल हो सकता है। इसलिए कृषि और कुटीर उद्योग के लिए क्या आप अगले बजट में ज्यादा प्रावधान करेंगे?

डा. सत्यनारायण जटिया: हम जानते हैं कि आज भी हमारे देश में जीडीपी का बड़ा हिस्सा कृषि से आता है। टास्क-फोर्स के बारे में तथा नये रोजगार सृजन के बारे में जो कुछ कहा गया है उसमें काफी काम करने के क्षेत्र और मुद्दे हैं। जो स्व:रोजगार योजना चलती हैं उनके द्वारा रोजगार देने का काम होता है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम होता है और गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम हमारे पास चलते हैं और उसमें ऋण लेने की सुविधा भी है। स्वर्ण-जयंती स्व:रोजगार योजना है तथा इसी प्रकार जो दूसरी सारी योजनाएं चली हुई हैं उनके माध्यम से रोजगार के सृजन करने का काम जारी है और समय-समय पर इन सारे कार्यक्रमों की हम समीक्षा करते रहते हैं।

श्री सुरेश रामराव जाधव: अध्यक्ष महोदय, हमारी फ्री इकानोमिक पालिसी हैं। मैं मंत्री महोदय, से जानना चाहता हूं कि डब्ल्यूटीओ पर हस्ताक्षर करने के बाद और फ्री इकोनामिक पालिसी के कारण बेरोजगारी बढ़ेगी या घटेगी?

अध्यक्ष महोदय: समय ज्यादा नहीं है। आप सवाल पूछिए।

श्री सुरेश रामराव जाधव: अध्यक्ष महोदय, यदि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी तो उसे दूर करने की सरकार की कोई नीति है या नहीं?

डा. सत्यनारायण जटिया: जैसा कहा गया कि आर्थिक उदारीकरण के कारण बेरोजगारी की समस्या पैदा होने वाली है लेकिन यह समस्या हमेशा रहने वाली नहीं है क्योंकि आर्थिक उदारीकरण का कनसैप्ट अभी पूरा नहीं हुआ है। आप सब जानते हैं कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम लोगों का हुनर, कुशलता बढ़ा कर और ट्रेनिंग देकर उनकी क्षमता बढ़ा सकते हैं जिससे रोजगार के अवसर तलाश किए जा सकते हैं और बेरोजगारी को रोका जा सकता है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: अध्यक्ष महोदय, इस पर आधे घंटे की चर्चा कराई जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

घरेलू एअरलाइनों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाना

***381. श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू एअरलाइनों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस संबंध में लिए गए निर्णय का कार्यान्वयन कर दिया गया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) जी, नहीं।

सरकार ने जनवरी, 1997 में नई घरेलू विमान परिवहन नीति स्वीकार की थी। जहां तक विदेशी इक्विटी भागीदारी का संबंध है अप्रैल, 1997 में यह निर्णय किया गया था कि विदेशी इक्विटी की सीमा घरेलू विमान परिवहन सेक्टर में 40 प्रतिशत तक सीमित होनी चाहिए, तथापि, अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.) और समुद्र पर निगमित निकायों (ओ.सी.बी.) से निवेश की अनुमति 100 प्रतिशत तक रहेगी। यह भी निर्णय किया गया था कि इस सेक्टर में विदेशी एयरलाइनों से इक्विटी की अनुमति प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगी।

सरकार ने नागर विमानन सहित अलग-अलग सेक्टरों में विदेशी इक्विटी भागीदारी संबंधी मामले की समीक्षा फरवरी, 2001 में की थी। विस्तृत विचार विमर्श के बाद 9 फरवरी, 2001 में यह निर्णय किया गया कि फिलहाल मौजूदा एफ.डी.आई. कैप एंड कंडीशन्स जारी रखी जाए चूंकि इस स्थिति में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन से एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस लि. की चालू निवेशन प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ सकता है।

दूरसंचार क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

***382. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अगस्त, 1991 से अक्तूबर, 2001 के दौरान दूरसंचार क्षेत्र के लिए 45,397 करोड़ रुपये के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान घरेलू गैर-सरकारी निवेश से संबंधित कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई;

(ग) इन प्रस्तावों को किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है;

(घ) अब कुल कितने गांवों को इसमें शामिल किया गया है; और

(ङ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों का दूरसंचार उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ङ) हालांकि, अगस्त 1991 से अक्तूबर 2000 की अवधि के दौरान दूरसंचार क्षेत्र के लिए 45397 करोड़ रु. के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं, दूरसंचार क्षेत्र में घरेलू गैर-सरकारी निवेश से संबंधित ऐसे प्रस्तावों के लिए सरकार से इस प्रकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इनकी मानिटरिंग नहीं की जाती है। तथापि, देश में दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक कंपनियों को भारतीय तार अधिनियम, 1885 के तहत दूरसंचार सेवा लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। अगस्त 1991 से अक्तूबर, 2000 की अवधि के दौरान बुनियादी और सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने के लिए 74 लाइसेंस जारी किए गए थे जिनमें से 70 लाइसेंस क्रियान्वयन के अधीन हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्ताव दूरसंचार क्षेत्र, विशेषकर सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा और दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र, के तीव्रतर विकास में सहायक सिद्ध हुए हैं।

31 जुलाई, 2001 तक कुल 4,10,757 गांवों को सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराए गए हैं।

नन्दा देवी जैव भंडार

***384. श्रीमती मिनाती सेन:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "भविष्य और वर्तमान में उपयोग और जैव विविधता संरक्षण हेतु वृहद पारिस्थितिकी क्षेत्र" के रूप में कहा जाने वाला नन्दा देवी जैव भंडार का "बफर जोन" शिकारियों का पसन्दीदा शिकार स्थल बन गया है;

(ख) क्या इस जैवमंडल को ऊंचाई पर पैदा होने वाली जड़ी-बूटियों के कारण खतरा है जिनकी खुलेआम तस्करी की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) नन्दादेवी जैव मंडल रिजर्व के बफर जोन में, अवैध शिकार के मामलों का पता लगाया है और अवैध शिकारियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की गई है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, स्थानीय लोगों द्वारा छिटपुट रूप से औषधीय जड़ी-बूटियां एकत्र किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

(घ) केन्द्र सरकार कर्मचारियों की प्रभावी कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ उन्हें प्रशिक्षण व आधुनिक उपकरण मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार को धनराशि उपलब्ध कराती है। जैवमंडल रिजर्व के प्रभावी प्रबंधन के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान 37.33 लाख रु. की राशि राज्य सरकार को जारी की जा चुकी है।

[हिन्दी]

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन

***385. श्री मानसिंह पटेल: क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वनों को प्रभावित करने वाली विकासात्मक समस्याओं के निराकरण के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) स्थल विशिष्ट विकासात्मक कार्यकलापों का ध्यान रखने के साथ-साथ वनों पर परियोजना का न्यूनतम प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में पर्याप्त लचीलापन है। विकास और संरक्षण के बीच ऐसा संतुलन मानव के दीर्घ-कालिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नियमों को लागू किया जाना

***388. श्रीमती श्यामा सिंह: क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्वयं अपने नियम बना रहे हैं और उन्हें लागू कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा अपनाए जाने के लिए सहमति के आधार पर एक समान प्रक्रिया तैयार किए जाने के विषय में दिशा-निर्देशों/नियमों के निर्धारण के लिए एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो एक समान नियम कब तक तैयार किए जाने की संभावना है और उक्त ढंग से निर्धारित नियमों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण संबंधी मानदंडों को लागू किए जाने के लिए राज्यों को कब तक निर्देश जारी किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों को क्रियान्वित कर रहे हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गठित एक समिति की सिफारिशों के आधार पर समान सहमति प्रक्रिया पर दिशानिर्देश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को जारी किए गए हैं।

बांस का विकास

***390. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बांस और उससे निर्मित उत्पादों के विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू.एन.ई.पी.) से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से किस प्रकार की सहायता की मांग की गई है;

(ग) इससे कितने लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(घ) क्या बांस की पैदावार के विकास के लिए सतत प्रयास किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) सरकार ने इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू.एन.ई.पी.) से संपर्क नहीं किया है। तथापि, फरवरी, 2000 में यू.एन.ई.पी. के कार्यकारी निदेशक के भारत दौरे के दौरान बांस संसाधनों के विकास और उपयोग में सहयोग संबंधी मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न वनीकरण कार्यक्रमों में अन्य प्रजातियों के साथ-साथ बांस की रोपाई की जाती है। सरकार ने बांस संसाधनों के विकास की एक मुख्य क्षेत्र के रूप में पहचान की है तथा एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत राज्यों को सहायता प्रदान की जा रही है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 30,161 है. क्षेत्र पर पौधरोपण के लिए 20.85 करोड़ रु. की धनराशि निर्धारित की गई है।

[हिन्दी]

युवा विकास केन्द्र की स्थापना

*391. **श्री दिनेश चन्द्र यादव:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1994-95 से दस गांवों के प्रत्येक समूह के लिए एक युवा विकास केन्द्र स्थापित किए जाने की कोई नई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक देश में, विशेष तौर पर बिहार में कितने युवा विकास केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है; और

(ग) इन केन्द्रों के संचालन पर केन्द्र-वार कुल कितनी राशि खर्च की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) जी हां। सरकार ने पूरे देश में दस गांवों के प्रत्येक समूह के लिए युवा विकास केन्द्र स्थापित करने संबंधी एक योजना वर्ष 1994-95 में प्रारम्भ की थी।

(ख) अब तक स्थापित किये गए 1205 युवा विकास केन्द्रों में से 2000-2001 तक बिहार में 29 केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है। प्रत्येक केन्द्र की अवस्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) देश में 1205 युवा विकास केन्द्रों की स्थापना के लिए अब तक 3,31,50,000/- रु. की कुल राशि जारी की गई है। बिहार में 29 केन्द्रों की स्थापना के लिए 8,70,000/- रु. की रकम जारी की गई है।

विवरण

बिहार में युवा विकास केन्द्रों की जिला-वार अवस्थिति

क्र.सं.	जिला	युवा विकास केन्द्रों की संख्या
1.	भागलपुर	01
2.	दरभंगा	02
3.	कटिहार	01
4.	मुजफ्फरपुर	01
5.	डाल्टनगंज (पलामू)	01
6.	पूर्णिया	02
7.	गिरिडीह	01
8.	साहेबगंज	02
9.	सिवान	05
10.	सीतामढ़ी	01
11.	हजारीबाग	01
12.	जहानाबाद	02
13.	बोकारो	06
14.	पटना	02
15.	मधुबनी	01
	कुल	29

[अनुवाद]

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा शुरू किया गया वनरोपण कार्यक्रम

*392. **श्री अनन्त नायक:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय स्तर पर वन क्षतिपूर्ति के रूप में चलाया गया वनरोपण कार्यक्रम सफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उड़ीसा में उद्योगों और खान-मालिकों द्वारा वन क्षतिपूर्ति के रूप में कितने क्षेत्रफल में वनरोपण किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) वन संरक्षण अधिनियम 25 अक्तूबर, 1980 को लागू हुआ था। केन्द्र सरकार ने तब से 518793 हैक्टेयर वनभूमि के उपयोग की 6246 परियोजनाएं अनुमोदित की हैं। अनुमोदन में 61280 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण की शर्त लगाई गई थी। इस संबंध में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में हुई उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं। अधिकतर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रतिपूरक वनीकरण की प्रगति अपेक्षित सीमा तक नहीं हुई है क्योंकि राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा दी गई धनराशियों को कार्यकारी एजेंसी अर्थात् क्षेत्रीय वन अधिकारी और वन निगम को समय पर देने में असफल रहे हैं।

(ग) उड़ीसा में लगभग 9625 हैक्टेयर वनभूमि पर उद्योगों और खानों द्वारा दी गई धनराशि से प्रतिपूरक वनीकरण का कार्य किया गया।

विवरण

18.6.2001 की स्थिति के अनुसार वन भूमि के उपयोग के लिए अनुमोदित मामले और प्रतिपूरक वनीकरण की प्रगति दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमोदित मामलों की संख्या	अनुमोदित वन क्षेत्र	कुल प्रतिपूरक वनीकरण की शर्त	किया गया कुल प्रतिपूरक वनीकरण
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	162	20308	17744	12594
2.	अरूणाचल प्रदेश	43	1680	3267	1623
3.	असम	119	1653	2338	1375
4.	बिहार	102	5979	3819	72
5.	गोवा	45	375	759	658
6.	गुजरात	421	51783	76763	41636
7.	हरियाणा	201	1141	1632	1314
8.	हिमाचल प्रदेश	267	4452	6974	5092
9.	जम्मू और कश्मीर	8	1286	1425	288
10.	कर्नाटक	255	30433	27836	29434
11.	केरल	104	30618	58507	38854
12.	मध्य प्रदेश	611	232492	256174	121260
13.	महाराष्ट्र	1103	44517	76828	66293
14.	मणिपुर	8	247	1	0
15.	मेघालय	43	182	258	240

1	2	3	4	5	6
16.	मिजोरम	42	8519	8574	3377
17.	उड़ीसा	197	24333	28323	17601
18.	पंजाब	320	2287	3322	2756
19.	राजस्थान	184	10418	11735	7763
20.	सिक्किम	38	432	1517	1517
21.	तमिलनाडु	163	4920	2055	1393
22.	त्रिपुरा	60	1994	1049	668
23.	उत्तर प्रदेश	1554	27148	16500	11346
24.	पश्चिम बंगाल	73	9217	2571	2400
25.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	36	2211	2047	2184
26.	दादर व नगर हवेली	87	168	262	266
	कुल	6246	518793	612280	372104

केन्द्रीय सड़क निधि से धनराशि एकत्र करना

***393. श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से 5000 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि एकत्रित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सड़क निर्माण हेतु योजना का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्यों में खर्च की जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) सन् 1999-2000 से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से 5092 करोड़ रु. प्रदान किए गए हैं।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए किया जा रहा है जिसमें दिल्ली-कोलकाता-चेन्नई-मुम्बई-दिल्ली को जोड़ने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज पर विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों और जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर को कन्याकुमारी से और सिल्चर को पोरबन्दर से जोड़ने वाले उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम महामार्गों व सलेम-कोचीन खंड को चार/छः लेन का बनाया जाना है। गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत 906.00 करोड़ रु. के कार्य सौंप दिए गए हैं। तथापि, छत्तीसगढ़ राज्य में कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत नहीं आता।

एलपीजी/सीएनजी चालित वाहनों हेतु समान उत्सर्जन मानदंड

***394. श्री सुरेश रामराव जाधव:**
डा. जसवंतसिंह यादव:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एलपीजी और सीएनजी चालित वाहनों के लिए समान उत्सर्जन मानदंड तैयार किए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) एलपीजी और सीएनजी से चलने वाले वाहनों के लिए द्रव्य उत्सर्जन मानक एक समान तकनीकी प्रतिफल पर आधारित हैं। सीएनजी के मामले में अभिक्रियाशील हाइड्रो कार्बन (गैर मीथेन हाइड्रो कार्बन) की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार मीथेन की प्रतिशतता के आधार पर की जाती है:-

एनएमएचसी = एच सी × (1-के 100)

यहां एचसी = मापे गए कुल हाइड्रोकार्बन

के = % प्राकृतिक गैस ईंधन में मीथेन अंश (70% से अन्यून)

एलपीजी के मामले में अभिक्रियाशील हाइड्रो कार्बन कुल हाइड्रो कार्बन का 50% माना जाता है और तदनुसार प्रदूषण मापन के लिए अभिक्रियाशीलता कारक 0.5 माना जाता है।

(ग) और (घ) द्रव्य उत्सर्जन मानक से संबंधित मानकों को अद्यतन बनाना एक सतत् प्रक्रिया है क्योंकि इंजन प्रौद्योगिकी और ईंधन की गुणता में निरन्तर सुधार हो रहा है।

[हिन्दी]

हिमालय में हिमनदों का सिकुड़ना

***395. श्री रामपाल सिंह:**
डा. अशोक पटेल:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिमालय के अधिकांश हिमनद सिकुड़ रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप गंगा और यमुना जैसी नदियों के सूखने का खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विशेषज्ञों द्वारा गंगा और यमुना को सूखने से बचाने के लिए किए गए अध्ययन के अनुसरण में कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (ग) भूमण्डलीय तापमान में वृद्धि होने के कारण जलवायु में होने वाले उतार-चढ़ावों के परिणामस्वरूप प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में हिमनदों का सिकुड़ना एक विश्वव्यापी घटना है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला है कि हिमालयी हिमनद धीरे-धीरे सिकुड़ रहे हैं। पिछले 1000 वर्षों के जलवायु संबंधी एक अध्ययन के आधार पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने यह निष्कर्ष निकाला है कि हिमनद सैकड़ों वर्षों से घट-बढ़ रहे हैं तथा अनुकूल जलवायुवीय परिस्थितियां होने पर कुछ समय में हिमनदों में इसके विपरीत फैलाव भी आ सकता है।

बारहमासी नदियों में जल की कमी वाले मौसम में जल प्रवाह बनाए रखने में हिमगलन और भूजल का योगदान होता है। हिमालयी नदियों में ग्रीष्म ऋतु के जल प्रवाह मुख्यत: उससे पहले की शीतऋतु के हिमपात पर निर्भर करते हैं। हिमनदों के थोड़ा बहुत सिकुड़ने से इन नदियों के सूखने की संभावना नहीं है।

जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार को गंगा और यमुना के सूखने से बचाने के लिए विशेषज्ञों की अध्ययन रिपोर्ट प्रदान नहीं हुई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, गंगोत्री हिमनद पर एकीकृत अनुसंधान और विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत चलाई जा रही परियोजनाएं विभिन्न प्रकार के मौसम वैज्ञानिक आंकड़ों के संग्रह सहित हिमनद के वास्तविक, रासायनिक, भूवैज्ञानिक और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं से संबंधित हैं।

[अनुवाद]

अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को बिना बारी के पदोन्नति

***396. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को बिना बारी के पदोन्नति देने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सभी संबंधित विभागों को अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को बिना बारी पदोन्नति देने पर विचार करने के लिए कोई अनुदेश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ विभाग अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को बिना बारी के पदोन्नति देने संबंधी मौजूदा मानदंडों के उल्लंघन के लिए जिम्मेवार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) योजना में कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

समेकित जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय आयोग

***397. श्री एन. जनार्दन रेड्डी:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समेकित जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय आयोग ने अन्तर-राज्यीय नदियों के संयुक्त प्रबंधन हेतु सरकार से व्यापक कानून बनाने की जोरदार सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या मौजूदा नदी जल विवाद के निराकरण संबंधी कानून निष्प्रभावी हैं और इनकी जगह नए कानून बनाए जाने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) से (ग) राष्ट्रीय एकीकृत संसाधन विकास योजना आयोग ने प्रत्येक नदी बेसिन को, उसके विकास की दृष्टि से एक जलवैज्ञानिक इकाई मानने पर जोर दिया है तथा उसने यह सिफारिश की है कि अंतर्राज्यीय नदी एवं नदी-घाटी अधिनियम (एकीकृत एवं सहभागिता प्रबन्धन) के नाम से अंतर्राज्यीय नदियों (नदी बोर्ड अधिनियम के स्थान पर) संबंधी कानून बनाया जाए। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ नदी-बेसिन संगठनों के गठन और उनके अधिकारों तथा कार्यों की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

राष्ट्रीय आयोग ने अन्तर्राज्यीय नदी-विवादों के शीघ्र समाधान एवं उनके त्वरित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कुछ और उपायों की सिफारिश की है। इन उपायों में नदी-बेसिन संगठनों के तंत्र के द्वारा आपसी सहमति से विवादों का समाधान करना, न केवल विवाद से जुड़े राज्यों बल्कि अन्य सभी साझेदारों के विचारों को सुनना तथा सरकारिया आयोग की सिफारिश के अनुसार वर्तमान अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम में संशोधन करना और उन पर अन्तर्राज्यीय परिषद् में सहमत होना शामिल है।

अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम में संगत संशोधन करने का प्रस्ताव है। इसके लिए भारत सरकार ने अंतर्राज्यीय जल विवाद (संशोधन) विधेयक तैयार किया है तथा सरकार ने इसे संसद में प्रस्तुत किया है। यह विधेयक लोक सभा में पहले ही पारित हो गया है तथा इसे राज्य सभा में प्रस्तुत किया जाना है।

जल-मल व्ययन संयंत्र

***398. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कतिपय नदियों की सफाई करने के लिए राज्य सरकारों को जल-मल व्ययन संयंत्रों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना का कार्यान्वयन कब तक किए जाने का प्रस्ताव है और परियोजनाओं का काम शुरू करने के लिए राज्यों को कितनी राशि जारी की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) जी हां, सरकार ने देश की मुख्य नदियों की सफाई के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना नामक केन्द्र प्रायोजित स्कीम अनुमोदित की है। इस स्कीम के अन्तर्गत सीवेज शोधन संयंत्रों और नीचे दिए गए नदी प्रदूषण निवारण के अन्य कार्यों के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है:-

* खुले नालों के माध्यम से नदी में बहने वाले अशोधित सीवेज को रोकने के लिए अवरोधन और शोधन के लिए इसका दिशा परिवर्तन।
* दिशा परिवर्तित सीवेज के शोधन के लिए सीवेज शोधन संयंत्र।
* नदी किनारे खुले में शौच को रोकने के लिए अल्प लागत शौचालय का निर्माण।
* विद्युत शवदाहगृह और काष्ठ संरक्षण और जलाने के लिए घाटों पर लाए गए शवों का उचित शवदाह सुनिश्चित करने के लिए उन्नत काष्ठ शवदाहगृह।

* नदी तटाग्र विकास कार्य जैसे स्नान घाटों आदि का सुधार।

* अन्य विविध कार्य।

राज्यवार अनुमोदित परियोजनाएं और जारी की गई राशि संलग्न विवरण में दी गई है। इन परियोजनाओं के 2005 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

विवरण

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत राज्यवार अनुमोदित लागत और जारी की गई राशि

(लाख रुपये)

क्रम सं.	कार्य योजना/राज्य	अनुमोदित लागत	भारत सरकार द्वारा जारी राशि (27.7.2001)
राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना			
1.	आंध्र प्रदेश	5103.33	1259.20
2.	बिहार	3289.73	249.22
3.	झारखंड	4086.15	445.41
4.	गुजरात	9383.39	3560.86
5.	कर्नाटक	2572.70	1039.37
6.	महाराष्ट्र	11153.35	1690.68
7.	मध्य प्रदेश	10119.26	2810.10
8.	उड़ीसा	2398.30	91.93
9.	पंजाब	23458.36	4227.64
10.	राजस्थान	1321.00	68.17
11.	तमिलनाडु	110309.75	7413.92
12.	दिल्ली	18656.42	3344.41
13.	हरियाणा	24855.89	15397.40
14.	उत्तर प्रदेश	53704.33	26362.28*
15.	उत्तरांचल	3848.60	उत्तर प्रदेश में सम्मिलित
16.	पश्चिम बंगाल	39465.24	1915.37
	कुल	323725.80	69875.96

*उत्तरांचल सहित

खेल संवर्धन हेतु क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना

***399. श्री सी. श्रीनिवासन:** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में खेलों के संवर्धन के लिए कुछ और क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खिलाड़ियों द्वारा अपनी क्षमता में वृद्धि करने के लिए मादक पदार्थों का सेवन किए जाने की बढ़ रही घटनाओं को रोकने के लिए भी कोई कार्ययोजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो अपनी खेल क्षमता में वृद्धि करने के लिए मादक पदार्थों का सेवन करने वाले खिलाड़ियों को दिए जाने वाले दंड का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) खेलों में नशीली दवाओं के उपयोग पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से, मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के हाल ही के आदेश के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार, भारतीय ओलम्पिक संघ तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रतिनिधियों की एक समिति स्थापित की जाए जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए औपचारिकताएं तथा उपायों का पता लगाएगी।

(2) भारतीय खेल प्राधिकरण (भा.खे.प्रा.) अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति के चिकित्सा आयोग से भा.खे.प्रा. प्रयोगशाला की मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। आशा है कि हमारी प्रयोगशाला को शीघ्र ही मान्यता मिल जाएगी।

(3) युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने सभी राष्ट्रीय खेल परिसंघों को पत्र लिखा है कि उनको वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव भेजते समय यह वचन देना चाहिए कि डोप परीक्षण, संबंधित खेल-विधाओं के अंतर्राष्ट्रीय परिसंघों द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा।

(4) मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता हेतु अपनी योजना के प्रावधानों को भी इस प्रकार संशोधित किया है कि परिसंघों के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि इसके सभी खिलाड़ियों का डोप परीक्षण संबंधित खेल-विधा के अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ द्वारा निर्धारित मानदण्डों/स्तरों के अनुसार नियमित रूप से किया जाता है।

(5) भारतीय खेल प्राधिकरण ने भारतीय ओलम्पिक संघ से अनुरोध किया है कि ऐसे खिलाड़ियों पर, जिनका परीक्षण अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति द्वारा प्रतिबंध नशीली दवाओं के वर्ग के संदर्भ में "सकारात्मक" पाया गया है, प्रतिबंध लगाने के संबंध में एक नीति तैयार करें जिसे सभी राष्ट्रीय खेल परिसंघ कार्यान्वित करेंगे।

(घ) और (ङ) प्रतियोगिताओं के दौरान अथवा प्रशिक्षण के दौरान यादृच्छिक परीक्षणों में संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों/संघों के अनुरोध पर भा.खे.प्रा. प्रयोगशाला द्वारा डोप परीक्षण किये जाते हैं। प्रयोगशाला की मान्यता के अभाव में, इस प्रकार प्राप्त हुए परिणाम केवल संकेतात्मक माने जा सकते हैं। परीक्षणों के परिणाम अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति की नियम पुस्तक के अनुसार उनके संबंधित अंतर्राष्ट्रीय परिसंघों द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार आगे कार्रवाई के लिए संबंधित परिसंघों को भेज दिए गए थे।

विकलांग व्यक्तियों को रोजगार

***400. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आरक्षण के बावजूद विकलांग व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 1 जुलाई, 2001 की स्थिति के अनुसार विभिन्न रोजगार केन्द्रों में राज्यवार कितने विकलांग व्यक्ति पंजीकृत हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान रोजगार केन्द्रों के माध्यम से प्रतिवर्ष राज्यवार कितने विकलांग व्यक्तियों को नौकरियां दिलाई गई; और

(ङ) सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित स्थानों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ङ) विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) निहित आरक्षण के प्रावधानों को केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठानों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा एक सतत् प्रक्रिया के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। पदों का आरक्षण सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र तक सीमित है जहां पर रोजगार वृद्धि की सम्भावना सीमित है।

31 दिसम्बर, 1999 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वाले विकलांग व्यक्तियों, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, की राज्यवार संख्या तथा वर्ष 1997, 1998 एवं 1999 के दौरान किए गए उनके नियोजन संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

वैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त, सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

* समय-समय पर विकलांग व्यक्तियों हेतु विशेष भर्ती अभियान;
* विकलांग व्यक्तियों के उपयुक्त और अधिक पदों का निर्धारण।
* केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा कर्मचारी चयन आयोग/संघ लोक सेवा आयोग/केन्द्रीय रोजगार कार्यालयों को रिक्तियों की तुरंत सूचना;
* सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा संबंधित मंत्रालयों का 15.11.2000 को एक सम्मेलन किया गया जिसमें विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की समीक्षा की गई तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को रिक्तियां निर्धारित करके उन पर विकलांगों की नियुक्ति करने का व्यापक अभियान चलाने की सलाह दी गई; तथा
* विकलांगों के रोजगार की केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत विशेष रोजगार कार्यालयों की स्थापना/विशेष रोजगार कार्यलयों के विशेष प्रकोष्ठों के उन्नयन हेतु राज्य सरकार को वित्तीय सहायता का प्रवाधान।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विकलांग व्यक्तियों की संख्या			
		31.12.1999 को चालू रजिस्टर	1997	1998	1999
			के दौरान किया गया नियोजन		
1		2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	61155	433	142	80
2.	अरूणाचल प्रदेश	44	–	–	–
3.	असम	4500	12	2	8
4.	बिहार	18615	4	12	1
5.	गोवा	1055	54	15	8
6.	गुजरात	18608	456	249	380
7.	हरियाणा	10463	83	150	28
8.	हिमाचल प्रदेश	7878	26	10	23
9.	जम्मू और कश्मीर	799	–	–	–
10.	कर्नाटक	26939	547	527	376
11.	केरल	34937	650	716	1542
12.	मध्य प्रदेश	29560	144	99	43
13.	महाराष्ट्र	32663	450	287	183
14.	मणिपुर	1599	3	12	1
15.	मेघालय	121	3	1	2
16.	मिजोरम	87	–	–	–
17.	नागालैंड	147	–	–	–
18.	उड़ीसा	10432	140	25	66
19.	पंजाब	10323	81	44	47
20.	राजस्थान	21717	223	191	138
21.	सिक्किम*	–	–	–	–
22.	तमिलनाडु	60959	984	939	1051
23.	त्रिपुरा	2300	–	34	55
24.	उत्तर प्रदेश	28723	70	50	22

1		2	3	4	5
25.	पश्चिम बंगाल	61637	54	29	128
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	380	–	–	–
27.	चंडीगढ़	984	11	5	4
28.	दादर व नगर हवेली	52	–	–	–
29.	दिल्ली	6929	22	89	19
30.	दमन व दीव	110	–	2	–
31.	लक्षद्वीप	88	–	–	–
32.	पांडिचेरी	1663	–	–	–
	अखिल भारत	455467	4450	3630	4205

नोट:- *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।
– शून्य

[हिन्दी]

विमान संपर्क

3975. श्री रामदास आठवले: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के प्रत्येक जिले को हवाई मार्ग से जोड़ने की कोई संदर्शी योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए अनुमानत: कितनी राशि की आवश्यकता है;

(ग) इस योजना को कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा;

(घ) महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न राज्यों के किन-किन जिलों को आज तक विमान सेवा से जोड़ा जा चुका है;

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किन-किन जिलों को विमान सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव है; और

(च) देश के सभी जिलों को विमान सेवा से कब तक जोड़ दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस समय निम्नलिखित स्टेशन विमान सेवाओं से जुड़े हुए हैं-- पोर्टब्लेयर, हैदराबाद, तिरूपति, विजाग, पुट्टापार्थी, पटना, गुवाहाटी, जोरहाट, डिब्रूगढ़, सिल्चर, तेजपुर, चंडीगढ़, अमृतसर, दिल्ली, दियु, गोआ, अहमदाबाद, बडोदरा, भुज, राजकोट, भावनगर, पोरबन्दर, जामनगर, जम्मू, श्रीनगर, लेह, बैंगलौर, मंगलोर, कालीकट, कोचीन, त्रिवेन्द्रम, इन्दौर, खजुराहो, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, मुम्बई, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर, इम्फाल, भुवनेश्वर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, कोयम्बतूर, चेन्नई, मुदरै, त्रिची, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, देहरादून, कलकता, बागडोगरा, शिमला, कुल्लू, धर्मशाला, रांची, रायपुर, ऐजवाल, दीमापुर, अगरतला और आगाती।

(ङ) मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुपालन के आधार पर तथा यातायात मार्ग और वाणिज्यिक साध्यता के आधार पर एयरलाइनें किसी भी स्टेशन के लिए प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(च) इस समय इस प्रकार की किसी संभाव्यता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

दूरसंचार क्षेत्र के संबंध में भारत और चीन के बीच समझौता

3976. श्री बसुदेव आचार्य:
श्री समर चौधरी:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और चीन तीसरी दुनिया के देशों में दूरसंचार के क्षेत्र में एक संयुक्त उद्यम शुरू करने पर सहमत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस समझौते को कब तक कार्यान्वित कर लिया जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रोगों से ग्रस्त कामगार

3977. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जोधपुर संभाग के सात जिलों में स्थित विभिन्न खनिजों की खानों की संख्या कितनी है और पुरुष महिला और बाल मजदूरों के ब्यौरे सहित इन खानों में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों का खान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनमें से अधिकांश श्रमिक क्षय रोग, सिलकोसिस और फेफड़ों की दूसरी बीमारियों और इन श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए केन्द्रीय श्रम कानूनों की अनुपालन न किए जाने और शोषण के परिणामस्वरूप कुपोषण से ग्रस्त हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कौन लोग उत्तरदायी हैं; और

(घ) इन खानों में कार्यरत श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए लागू श्रम कानूनों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि श्रमिक

3978. श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आज की तारीख में देश में कृषि श्रमिकों और सीमान्त किसानों की अलग-अलग और राज्य-वार संख्या क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भूमिहीन कृषि श्रमिकों की संख्या (1991 की जनगणना के अनुसार	सीमान्त किसानों की संख्या* (कृषि जनगणना, 1990-91 के अनुसार) ('000 में)
1	2	3	4
I.	**भारत (जम्मू और कश्मीर को छोड़कर)**	74,597,744	63389
1.	आंध्र प्रदेश	11,625,159	5211
2.	अरूणाचल प्रदेश	20,054	16
3.	असम	844,964	1521
4.	बिहार (झारखंड सहित)	9,512,892	10193
5.	गुजरात	3,230,547	924

1	2	3	4
6.	हरियाणा	896,782	622
7.	हिमाचल प्रदेश	58,668	532
8.	जम्मू और कश्मीर	–	902
9.	कर्नाटक	4,999,959	2262
10.	केरल	2,120,452	5016
11.	मध्य प्रदेश	5,863,029	3136
12.	महाराष्ट्र	8,313,223	3275
13.	मणिपुर	47,350	69
14.	मेघालय	89,492	59
15.	नागालैंड	7,233	13
16.	उड़ीसा	2,976,750	2118
17.	पंजाब	1,452,828	296
18.	राजस्थान	1,391,670	1517
19.	सिक्किम	12,851	26
20.	तमिलनाडु	7,896,295	5848
21.	त्रिपुरा	187,538	217
22.	उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	7,833,258	14819
23.	पश्चिम बंगाल	5,055,478	4639
24.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4,989	2
25.	चंडीगढ़	1,642	1
26.	दादर और नगर हवेली	6,233	6
27.	दिल्ली	25,195	26
28.	गोवा	35,284	58
29.	दमन और दीव	1,199	3
30.	लक्षद्वीप	–	6
31.	मिजोरम	9,527	29
32.	पांडिचेरी	77,203	26

*कृषिगत उत्पादन के लिए पूर्णत: या अंशत: प्रयुक्त भूमि का हर अंश जिसका प्रचालन किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं या अन्य के साथ मिलकर एक तकनीकी इकाई के रूप में किया जाता है और जिसमें पदवी, विधिक स्वरूप, आकार या स्थान महत्वपूर्ण नहीं होते।

[अनुवाद]

संकोश नदी से नहर का निकाला जाना

3979. श्री अमर राय प्रधान: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार कलकत्ता पत्तन में, विशेषकर जल की कमी वाले महीनों में जल के निगमित संवर्धन और बेहतर प्रवाह के लिए पश्चिम बंगाल में संकोष नदी से नहर निकालने और उसे गंगा नदी से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार को वर्षवार कितना धन आबंटित किया गया है;

(ग) परियोजना को पूरा करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) इस परियोजना के माध्यम से किन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जल संसाधन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने फरक्का के ऊपरी गंगा नदी में मानस और संकोश नदियों, ब्रह्मपुत्र नदी को सहायक नदियों और तीस्ता तक मध्यवर्ती नदियों के अधिशेष जल प्रवाहों का हस्तांतरण करने के लिए मानस-संकोश-तीस्ता गंगा संपर्क की व्यहार्यता पूर्व तैयार रिपोर्ट की थी। कलकत्ता पत्तन की जल की कमी को पूरा करने के लिए गंगा नदी में और अधिक जल बढ़ाने के वास्ते इस अधिशेप जल के भाग को वहां हस्तांतरित करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ख) व्यवहार्यता पूर्व रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना की कुल अनुमानित लागत 11,670 करोड़ रुपये (1994-95 के मूल्य स्तर पर)।

(ग) इस समय उपरोक्त संपर्क परियोजना का व्यवहार्यता-पूर्व रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सर्वेक्षण और अन्वेषण स्तर पर है। यह कार्यक्रम वर्ष 2003 तक पूरा किया जाना है।

(घ) मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा संपर्क व्यवहार्यता-पूर्व रिपोर्ट में 6.54 लाख हैक्टेयर के क्षेत्र की सिंचाई की व्यवस्था है।

दुर्लभ जड़ी-बूटियों का लुप्त होना

3980. श्रीमती जस कौर मीणा: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुर्लभ जड़ी-बूटियां लुप्त होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दुर्लभ जड़ी-बूटियों के संरक्षण और विकास के लिए कोई योजना आरंभ करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने एक रेड डाटा बुक तैयार की है जिसमें भारत में खतरे में पड़ी और संकटापन्न पौध प्रजातियों की सूची दी गई है। इसने 20 वंशों से संबंधित जड़ी-बूटियों की 27 प्रजातियों की सूची तैयार की है जो खतरे में पड़ी और संकटापन्न श्रेणी में आती है।

(ग) से (ङ) सरकार खतरे में पड़ी और संकटापन्न पौध प्रजातियों के संरक्षण और विकास के लिए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। औषधीय पौधों सहित गैर इमारती वन उत्पाद की 100 प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित स्कीम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। सुरक्षित क्षेत्र के नेटवर्क से भी, जिसमें 89 राष्ट्रीय पार्क 497 वन्यजीव अभयारण्य शामिल है, खतरे में पड़ी/संकटापन्न जड़ी बूटियों सहित वन्य वनस्पतिजात के स्व:स्थाने संरक्षण में सहायता मिली है। भारतीय औषधीय एवं होम्योपैथी प्रणाली विभाग "औषधीय पौधों की कृषि और विकास" और "कृषि तकनीकों का विकास एवं औषधीय पौधों की कृषि" जैसी केन्द्रीय स्कीमों का वित्त पोषण कर रहा है।

[हिन्दी]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

3981. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन औद्योगिक केन्द्रों की राज्य-वार संख्या क्या है जिनमें कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना कार्यान्वित की जाती है;

(ख) वर्ष 1998, 1999 और 2000 के दौरान राज्य-वार कितने परिवारों को इससे लाभ पहुंचा है; और

(ग) देश के सभी कारखानों में उपर्युक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार क्या नीति अपना रही है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) वांछित सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत, चिकित्सा देखभाल के प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना नए क्षेत्रों में चरणबद्ध रूप में कार्यान्वित की जाती है जो इस बात पर निर्भर करती है कि चिकित्सा देखभाल के लिए राज्य सरकारों ने कितनी सुविधाएं प्रदान की हैं। इस प्रयोजनार्थ, कर्मचारी राज्य बीमा निगम आवधिक सर्वेक्षण भी करता है।

विवरण

क्षेत्रवार कवरेज (31.3.98 की स्थिति के अनुसार)

राज्य/क्षेत्र	कार्यान्वित क्षेत्र				
	केन्द्रों की संख्या	नियोक्ताओं की संख्या	कर्मचारियों की संख्या	बीमित व्यक्तियों/परिवारों (आईपी) इकाइयों की संख्या	लाभ-भोगियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश और दमन	94	12,663	4,53,800	5,03,500	19,53,600
असम और मेघालय	19	1,235	40,850	43,850	1,70,100
बिहार	33	5,038	1,64,100	1,84,050	7,14,100
चंडीगढ़	1	1,353	29,750	30,900	1,19,900
दिल्ली	1	23,202	5,53,400	5,88,500	22,83,400
गोवा	7	1,485	64,550	70,800	2,74,700
गुजरात	31	17,034	6,36,050	7,03,050	27,27,850
हरियाणा	29	8,495	3,63,650	4,04,800	15,70,600
हिमाचल प्रदेश	7	483	32,900	35,900	1,39,300
जम्मू और कश्मीर	3	290	13,700	16,400	63,650
कर्नाटक	35	14,625	6,48,550	7,24,700	28,11,850
केरल और माहे	51	9,644	4,13,600	4,61,950	17,92,350
मध्य प्रदेश	31	4,833	2,36,000	2,56,500	9,95,200
महाराष्ट्र					
(1) मुम्बई क्षेत्र	1	33,813	10,32,900	11,11,250	43,11,650
(2) नागपुर क्षेत्र	13	3,638	1,18,500	1,25,100	4,85,400
(3) पुणे क्षेत्र	15	8,291	3,78,900	4,16,900	16,17,550

1	2	3	4	5	6
उड़ीसा	52	2,357	1,39,400	1,54,700	6,00,250
पांडिचेरी	1	673	34,450	35,950	1,39,500
पंजाब	44	9,579	4,20,850	4,35,750	16,90,700
राजस्थान	43	6,277	2,97,650	3,11,650	12,90,700
तमिलनाडु					
(1) चेन्नई क्षेत्र	31	13,360	6,01,900	6,29,450	24,42,250
(2) कोयम्बतूर क्षेत्र	12	5,522	2,21,200	2,50,350	9,71,350
(3) मदुरै क्षेत्र	17	4,474	2,05,750	2,27,550	8,82,900
उत्तर प्रदेश	58	11,277	4,54,550	4,84,300	18,79,100
पश्चिम बंगाल	11	13,290	8,04,950	8,87,600	34,43,900
अखिल भारतीय (31.8.98 की स्थिति के अनुसार)	640	2,12,931	83,61,900	90,95,450	3,52,90,350
अखिल भारतीय (31.3.97 की स्थिति के अनुसार)	632	2,00,471	77,31,650	84,45,000	3,27,66,600

क्षेत्रवार कवरेज (31.3.99 की स्थिति के अनुसार)

राज्य/क्षेत्र	कार्यान्वित क्षेत्र				
	केन्द्रों की संख्या	नियोक्ताओं की संख्या	कर्मचारियों की संख्या	बीमित व्यक्तियों/परिवारों (आईपी) इकाइयों की संख्या	लाभ-भोगियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश और दमन	96	13,112	4,74,100	5,23,800	20,32,350
असम और मेघालय	19	1,265	38,000	41,000	1,59,100
बिहार	33	5,295	1,70,850	1,90,800	7,40,300
चंडीगढ़	1	1,341	28,350	29,500	1,14,450
दिल्ली	1	25,372	5,43,250	5,78,350	22,44,000
गोवा	7	1,516	70,800	77,050	2,98,950
गुजरात	31	14,465	5,48,100	6,15,100	23,86,600

1	2	3	4	5	6
हरियाणा	29	8,830	3,56,300	3,97,450	15,42,100
हिमाचल प्रदेश	7	551	48,600	51,600	2,00,200
जम्मू और कश्मीर	3	286	17,450	20,150	78,200
कर्नाटक	20	13,337	5,36,150	6,01,200	23,32,650
हूबली	15	2,173	91,250	1,02,350	3,97,100
केरल और माहे	51	10,363	3,78,950	4,27,300	16,57,900
मध्य प्रदेश	30	5,600	2,36,000	2,56,500	9,95,200
महाराष्ट्र					
(1) मुम्बई क्षेत्र	1	35,585	8,94,550	9,72,900	37,74,850
(2) नागपुर क्षेत्र	13	3,853	1,18,100	1,25,000	4,85,000
(3) पुणे क्षेत्र	15	8,985	3,68,550	4,06,550	15,77,400
उड़ीसा	52	2,559	1,29,050	1,44,350	5,60,100
पांडिचेरी	1	738	39,750	41,250	1,60,050
पंजाब	45	9,614	4,00,200	4,15,100	16,10,600
राजस्थान	43	5,216	2,92,250	3,06,250	11,88,250
तमिलनाडु					
(1) चेन्नई क्षेत्र	31	14,149	6,14,750	6,42,300	24,92,150
(2) कोयम्बतूर क्षेत्र	14	6,378	2,20,900	2,50,050	9,70,200
(3) मदुरै क्षेत्र	17	4,707	2,17,200	2,39,000	9,27,300
उत्तर प्रदेश	58	12,315	5,14,750	5,44,500	21,12,650
पश्चिम बंगाल	9	12,199	7,37,000	8,19,650	31,80,250
अखिल भारतीय (31.8.99 की स्थिति के अनुसार)	642	2,19,804	80,85,200	88,19,050	3,42,17,900
अखिल भारतीय (31.3.98 की स्थिति के अनुसार)	640	2,12,931	83,61,900	90,95,450	3,52,90,350

क्षेत्रवार कवरेज (31.3.2000 की स्थिति के अनुसार)

राज्य/क्षेत्र	कार्यान्वित क्षेत्र				
	केन्द्रों की संख्या	नियोक्ताओं की संख्या	कर्मचारियों की संख्या	बीमित व्यक्तियों/परिवारों (आईपी) इकाइयों की संख्या	लाभ-भोगियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश और दमन	100	13715	512350	562050	2180750
असम और मेघालय	21	1298	41600	45500	176550
बिहार	33	5509	143700	163650	634950
चंडीगढ़	1	1370	34200	35350	137150
दिल्ली	1	26797	532950	568050	2204050
गोवा	7	1626	65000	71250	276450
गुजरात	31	14717	505600	572600	2221700
हरियाणा	29	9151	370850	412000	1598550
हिमाचल प्रदेश	8	614	47200	50200	194800
जम्मू और कश्मीर	3	254	13450	16150	62650
कर्नाटक	15	11859	563450	628500	2438600
हुबली क्षेत्र	20	1922	80600	91700	355800
केरल और माहे	51	10001	366500	414850	1609600
मध्य प्रदेश	30	5973	229700	254500	987450
महाराष्ट्र					
(1) मुम्बई क्षेत्र	1	36925	858250	936600	3634000
(2) नागपुर क्षेत्र	13	3956	104750	111650	433200
(3) पुणे क्षेत्र	15	9547	327000	365000	1416200
उड़ीसा	52	2151	113050	128350	498000
पांडिचेरी	1	787	37150	38650	149950
पंजाब	46	9668	374100	389000	1509300
राजस्थान	44	5520	290300	304300	1180700

1	2	3	4	5	6
तमिलनाडु					
(1) चेन्नई क्षेत्र	31	14651	643500	671050	2603650
(2) कोयम्बतूर क्षेत्र	14	6813	238550	267700	1038700
(3) मदुरै क्षेत्र	17	5284	222350	244150	947300
उत्तर प्रदेश	62	12955	510250	540000	2095200
पश्चिम बंगाल	9	12013	635650	718300	2787000
अखिल भारतीय (31.8.2000 की स्थिति के अनुसार)	655	225076	7862050	8601100	33372250
अखिल भारतीय (31.3.99 की स्थिति के अनुसार)	642	219804	8085200	8819050	34217900

[अनुवाद]

अन्तर्राज्यीय और आर्थिक महत्व योजना के अंतर्गत परियोजना

3982. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं योजना अवधि के दौरान अन्तर्राज्यीय सड़क और आर्थिक महत्व योजना के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं के राज्य-वार नाम क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान परियोजनाओं के चयन तथा प्रत्येक परियोजना हेतु धनराशि की संस्वीकृति का आधार क्या था;

(ग) क्या उड़ीसा ने कभी इस योजना के अंतर्गत निधियों का लाभ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) योजना की वर्तमान स्थिति तथा दसवीं योजना अवधि के लिए क्या कार्यक्रम है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) नौवीं योजना के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) परियोजनाओं का चयन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित मानदंड के आधार पर किया गया था। ई एण्ड आई के तहत धनराशि का आबंटन राज्यवार किया जाता है न कि परियोजनावार। गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों के लिए जिनमें परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं, धनराशि का आबंटन इस प्रकार है:-

(लाख रु.)

राज्य	1998-99	1999-2000	2000-2001
मिजोरम	300.00	208.00	23.93
मध्य प्रदेश	कुछ नहीं	कुछ नहीं	918.49
त्रिपुरा	कुछ नहीं	5.00	50.00
उड़ीसा	50.00	500.00	151.56

(ग) जी हां।

(घ) ई एण्ड आई स्कीम के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य के लिए जारी की गई धनराशि भाग (ख) में दी गई है।

(ङ) अब ई एण्ड आई स्कीम के अंतर्गत प्रस्ताव नवीकृत केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत स्वीकृत किए जाएंगे। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार कर लिए गए हैं। दसवीं योजना के लिए कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

विवरण

राज्य का नाम	प्रस्ताव का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपए)	केन्द्रीय हिस्सा (लाख रुपए)
मिजोरम	सेरंग-लंगपुई सड़क का निर्माण (लम्बाई 1150 कि.मी.)	891.95	710.91
मध्य प्रदेश	राज्यीय राजमार्ग संख्या 6 को 83.4 से 108 कि.मी. और 1 से 161/8 कि.मी. तक चौड़ा और सुदृढ़ करना	1324.60	662.30
त्रिपुरा	(1) तलचेरा नदी पर खोवई में खोवई-तेलिमापुर सड़क पर पुल का निर्माण	113.46	56.71
	(2) सरदूचेरा नदी पर करईलांग में पुल का निर्माण	112.42	56.21
	(3) तेदूचेरट देदूबारी पर पुल का निर्माण	120.83	60.48
	(4) पुल का निर्माण	255.51	127.76
	(5) रंगमती		
उड़ीसा	जिला बोध, उड़ीसा में बोध - कईकाटा-रैराखोले सड़क (राज्यीय राजमार्ग सं. 24) पर बोध के निकट महानदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण	2994.33	750.16

[हिन्दी]

श्रमिकों को बकाये का भुगतान नहीं होना

3983. श्री बल्लभ राजभर: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की भटनी और देवरिया ईकायिों में सेवानिवृत्ति के बाद भी श्रमिकों को उनके बकाये का भुगतान समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इस मामले की जांच करवाने और यह सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है कि श्रमिकों के सभी बकायों का निपटारा कर दिया जाए; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ऐसा कर लिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राडारों द्वारा एयर स्पेस की कवरेज

3984. श्री सी.पी. राधाकृष्णन: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में एयर स्पेस को राडार कवरेज प्रदान करने में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) किस वर्ष तक समूचे एयर स्पेस को राडार कवरेज प्रदान कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) किन-किन हवाई अड्डों पर राडार स्थापित किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) त्रिवेन्द्रम, हैदराबाद, गुवाहाटी, अहमदाबाद, कोलकाता, चैन्नई, मुम्बई और दिल्ली सहित हवाई अड्डों पर प्रारंभिक और गौण निगरानी राडार लगे हैं। नागपुर, वाराणसी और मंगलौर स्थित हवाई अड्डों पर गौण निगरानी राडार लगे हैं। दिसम्बर, 2001 तक बहरमपुर पर गौण निगरानी के संस्थापित और चालू हो जाने की संभावना है और उसके बाद समूचा भारतीय आकाशीय क्षेत्र राडार निगरानी व्यवस्था के अधीन हो जायेगा। इसलिए इस समय देश में किसी अन्य हवाई अड्डे पर गौण निगरानी राडार की व्यवस्था किये जाने की और आगे आवश्यकता नहीं है।

पश्चिम बंगाल में गांवों में टेलीफोन सुविधा

3985. श्री सुनील खां: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 जुलाई, 2001 तक पश्चिम बंगाल, विशेष रूप से धबानी में गांवों की संख्या कितनी है जहां टेलीफोन सुविधा है/नहीं है;

(ख) सभी गांवों को कब तक उक्त सुविधा से युक्त कर लिए जाने की सभावना है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल को अमर कानन टेलीफोन एक्सचेंज से सतत् टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस पर और उक्त एक्सचेंज को संचालनात्मक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या सरकार का पानागढ़ एक्सचेंज में उपभोक्ता केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) आज की तारीख तक पश्चिम बंगाल में 23,898 गांव टेलीफोन-सुविधा-युक्त तथा 14,439 गांव उक्त सुविधा-रहित हैं। आज की तारीख तक 'धामानी' गांव में टेलीफोन सुविधा नहीं है।

(ख) 2002 तक सभी गांवों को टेलीफोन-सुविधा प्रदान किये जाने की योजना है।

(ग) से (ङ) जी, हां। "अमर कानन" एक्सचेंज को अब आप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया है, जिससे टेलीफोन-सेवा बेहतर व विश्वसनीय हो गई है।

(च) और (छ) 2000 लाइनों का पानागढ़ एक्सचेंज किराए के भवन में है। वहां उपभोक्ता-सेवा-केन्द्र शुरू करने के लिए और जगह नहीं है। तथापि, विभागीय भवन बन चुका है तथा मार्च, 2002 तक इसे वहां स्थानांतरित करने की योजना है। नए परिसर में उपभोक्ता सेवा-केन्द्र की योजना है।

[हिन्दी]

केलो बहुउद्देश्यीय परियोजना

3986. श्री विष्णुदेव साय: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में केलो बहुउद्देश्यीय परियोजना स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार के पास कब से लम्बित पड़ी है;

(ख) वर्ष 2000-2001 तथा स्थापना, सर्वेक्षण तथा अन्य कार्यकरण पर वर्ष-वार कितनी राशि खर्च हुई है; और

(ग) उक्त परियोजना को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) 57.88 करोड़ रुपये की लागत वाली केलों सिंचाई स्कीम की परियोजना रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के वास्ते मई, 1988 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी। इसकी जांच की गई और अनुपालन के लिए टिप्पणियां राज्य सरकार को भेजी गई थी। एक वर्ष से अधिक समय तक केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना न होने के कारण यह परियोजना रिपोर्ट नवम्बर, 1996 में वापस भेज दी गई थी। इस परियोजना का 188.18 करोड़ रुपये का अद्यतन अनुमान केन्द्रीय जल आयोग में जुलाई, 1998 में प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार से टिप्पणियों की अनुपालना, संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्राप्त करने का अनुरोध किया गया था जो अभी प्राप्त नहीं हुई है। इस परियोजना की स्वीकृति, केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की शेष टिप्पणियों की राज्य सरकार द्वारा तत्काल अनुपालना करने पर निर्भर करती है।

सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई और स्थापना के लिए अपेक्षित निधियों के प्रावधान सहित सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण, वित्तपोषण और

क्रियान्वयन के साथ-साथ कार्य तथा स्थापना के लिए अपेक्षित धन का प्रावधान करना मुख्यत: राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है।

दूरभाष केन्द्रों के लिए भवन

3987. **श्री राजो सिंह:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में वर्तमान में दूरभाष केन्द्रों की जिला-वार संख्या क्या है जिनके पास विभागीय भवन हैं;

(ख) चेवाड्स बरबीघा और हथियाना में दूरभाष केन्द्र भवनों के निर्माण की क्या प्रगति है;

(ग) उक्त कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का 2001-2002 के दौरान राज्य में दूरभाष केन्द्रों हेतु कुछ और विभागीय भवनों का निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) 124, ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

(क) विभागीय इमारतों में अवस्थित टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या का जिलावार ब्यौरा

क्र.सं.	राजस्व जिला	टेलीफोन एक्सचेंज इमारतों की संख्या
1	2	3
1.	भोजपुर	2
2.	बक्सर	2
3.	भागलपुर	5
4.	बांका	2
5.	सारण	4
6.	सिवान	1
7.	गोपालगंज	2
8.	दरभंगा	3
9.	समस्तीपुर	3
10.	मधुबनी	4
11.	सुपौल	4
12.	गया	5
13.	नवादा	1
14.	औरंगाबाद	3
15.	जहानाबाद	2
16.	वैशाली	8
17.	कटिहार	4
18.	किशनगंज	2
19.	अररिया	2
20.	पूर्णिया	2
21.	खगड़िया	6
22.	बेगुसराय	2
23.	पूर्वी चम्पारण	4
24.	पश्चिमी चम्पारण	5
25.	मूंगेर	2
26.	लखीसराय	2
27.	शेखपुरा	2
28.	जमुई	2
29.	मुजफ्फरपुर	2
30.	सीतामढ़ी	1

1	2	3
31.	शिवहर	1
32.	पटना	19
33.	नालंदा	3
34.	सहरसा	3
35.	मधेपुरा	2
36.	रोहतास	5
37.	भभुआ	2
	कुल	124

विवरण-II

(ख) टेलीफोन एक्सचेंज की इमारतों के निर्माण में प्रगति

(1)	चेवड़ा	इमारत का मुख्य ढांचा तैयार हो चुका है-फिनिशिंग का काम चल रहा है- इमारत के अक्तूबर, 2001 में तैयार हो जाने की आशा है।
(2)	बरबीघा	इमारत का मुख्य ढांचा तैयार हो चुका है-पलस्तर का काम भी पूरा हो चुका है- बैटरी रूम, पावर रूम और स्विच रूम का फर्श बन कर तैयार हो चुका है- शेष फर्श तल का कार्य प्रगति पर है। दरवाजे और खिड़की की चौखटें लगा दी गई हैं। इमारत के सितम्बर, 2001 में तैयार हो जाने की आशा है।
(3)	हथियामा	भूतल की छत की सेन्टरिंग और शटरिंग चल रही है। भूतल पर ईंट का कार्य पूरा हो गया है। इमारत के नवम्बर 2001 में तैयार हो जाने की आशा है।

(ग) उपर्युक्त निर्माण कार्य के निम्नलिखित अवधि तक पूरा होने की आशा है:

(1) चेवड़ा	अक्तूबर, 2001
(2) बरबीघा	सितंबर, 2001
(3) हथियामा	नवम्बर, 2001

विवरण-III

(ङ) निम्नलिखित इमारतों का कार्य प्रगति पर है

क्र.सं.	जिला	टेलीफोन एक्सचेंज इमारतें	कुल सं.
1	2	3	4
1.	भागलपुर	कहलगांव, सुल्तानगंज, इसीपुर	3
2.	बांका	अमापुर, बाउसी	2
3.	छपरा	छपरा, एकमा, मसरख, मढ़ौरा, माझी, तरिया, परसा	7
4.	गोपालगंज	गोपालगंज	1
5.	सिवान	बसंतपुर, मैरवां, महाराजगंज	3
6.	दरभंगा	भलपट्टी	1
7.	मधुबनी	खतौना	1
8.	समस्तीपुर	रोसरा, पुसा	2

1	2	3	4
9.	गया	गया, मानपुर	2
10.	औरंगाबाद	नबीनगर	1
11.	कटिहार	गुरु बाजार, बहादुरगंज	2
12.	पूर्णिया	बायसी	1
13.	अररिया	फारबिसगंज	1
14.	बेगुसराय	मझौल	1
15.	खगड़िया	मुस्कीपुर, परबट्टा, अलौली	3
16.	बेतिया	जेगापट्टी	1
17.	मोतिहारी	मोतिहारी, हरसीढ़ी, मधुबन, सुगौली	4
18.	शेखपुरा	बामनबीघा, चेवड़ा, हथियामा	3
19.	मुजफ्फरपुर	रतवाड़ा, मिठनपुरा, बसंतपुर पट्टी	3
20.	शिवहर	शिवहर	1
21.	पटना	पटेल नगर, फतुहा, पुनपुन, बाढ़, मोकामा, बख्तियारपुर, विक्रम, नौबतपुर	8
22.	मधेपुरा	मधेपुरा, मुरलीगंज, उदा किशनगंज	3
23.	सुपौल	राघोपुर, त्रिवेणीगंज, बीरपुर	3
		कुल	57

स्थानीय काल सुविधा की समीक्षा

3988. श्री जय प्रकाश: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दो सौ किलोमीटर की परिधि में उपलब्ध स्थानीय काल सुविधा की उपयोगिता की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस सीमा को समाप्त करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

केरल में डाकघर/उप-डाकघर

3989. श्री टी. गोविन्दन: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान केरल में डाकघरों के नए भवनों के निर्माण और रख-रखाव के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): महोदय, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान केरल में डाकघरों के नए भवनों के निर्माण तथा रख-रखाव के लिए आवंटित की गई धनराशि नीचे दी गई है:-

वित्तीय वर्ष	आवंटित राशि	
	डाकघरों के नए भवनों के निर्माण के लिए	रख-रखाव के लिए
1999-2000	38.43 लाख रु.	80 लाख रु.
2000-2001	58.46 लाख रु.	188 लाख रु.

अतिविशिष्टता प्राप्त उपचार

3990. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं के तहत विशिष्ट/अतिविशिष्ट उपचार के लिए तत्काल धन उपलब्ध कराने हेतु आवर्ती कोष (रिवाल्विंग फंड) बनाया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को जारी किए गये धन का किसी अन्य क्षेत्र में उपयोग किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार आपातकालीन मांगों को पूरा करने के लिए इस प्रकार का आवर्ती कोष बनाने के लिए शेष राज्य सरकारों के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (च) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर एक चक्रीय निधि स्थापित की गई है जिससे अति विशेषज्ञता इलाज के लिए अग्रिम राशि/प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जाती है और पांडिचेरी व चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्रों तथा मेघालय की राज्य सरकारों को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने इस निधि के प्रचालन को स्वीकार कर लिया है।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 58 के अन्तर्गत किए गए करार के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपने हिस्से का 90 प्रतिशत चार तिमाही किस्तों में अग्रिम रूप से चिकित्सा लाभ के लिए देता है और वह राशि उनके राजकोष में जमा करा दी जाती है। राज्य सरकारें उस राशि को अपने बजट प्रावधानों के अनुसार अपनी कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं के लिए निर्गत करती है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से अन्तिम "आन अकाउंट" भुगतान अलग-अलग राज्य सरकारों के महालेखाकार द्वारा जारी लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर ही किया जाता है।

राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में चल रही योजना के लिए उचित और समय से निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने राज्य सरकारों से सुझाव मांगें हैं।

किसानों को क्षतिपूर्ति

3991. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन्य प्राणी उद्यानों के निकट स्थित खेतों (फार्मों) के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में पीड़ित किसानों को कोई क्षतिपूर्ति दी जा रही है/दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दुलेगांव, रेहेकुडी वन्य प्राणी उद्यानों के निकट स्थित कृषि भूमि लगातार नष्ट की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी क्षतिपूर्ति की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के बचाव के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा 'हाथी परियोजना' के अंतर्गत फसलों के नुकसान के लिए किसानों को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले 3 वर्षों के दौरान फसलों के नुकसान के लिए किसानों को क्षतिपूर्ति करने हेतु राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है:-

क्र.सं.	वर्ष	राशि (लाख रुपये में)
1.	1998-1999	20.10
2.	1999-2000	9.03
3.	2000-2001	13.5

(ग) और (घ) वन्य प्राणी अभयारण्यों के बाहर कृषि खेतों में घूमते रहते हैं तथापि, रेहेकुडी वन्यजीव अभयारण्य के आस-पास वन्य प्राणियों द्वारा बड़े पैमाने पर नुकसान करने के संबंध में राज्य सरकार से कोई विशिष्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) वन्य प्राणियों द्वारा फसलों के नुकसान को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं:- खेतों के आस-पास मजबूत बाड़ लगाना, हाथी प्रूफ खाईयां खोदना और सुरक्षित क्षेत्रों के आस-पास रहने वाले किसानों को ऐसी फसले उगाने के बारे में शिक्षित करना जो वन्य जीवों के आहार के लिए अपेक्षित नहीं है। केन्द्र सरकार किसानों को अपने खेतों के चारों और पावर फैन्सिंग लगाने के लिए सहायता देने की इच्छुक हैं।

एफ्रो-एशियन खेलों के लिए खिलाड़ियों का चयन

3992. श्री सुबोध मोहिते: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगामी एफ्रो-एशियन खेलों के लिए एथलीटों और अन्य खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है;

(ख) यदि हां, तो चयन के मानदंड क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव ट्रायल के पूर्व और पश्चात् विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय एथलीटों की खेलों में उनके प्रदर्शन बेहतर बनाने के लिए क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी, हां।

(ख) प्रारंभ में एफ्रो-एशियाई खेलों की तैयारी में प्रशिक्षण शिविरों के लिए कई एथलीटों/खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया था। अब ऐसे खिलाड़ियों की छटनी करने की प्रक्रिया आरंभ हो गयी है जिन्होंने अपने प्रदर्शन में सुधार नहीं किया है। संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों की विधिवत रूप से गठित चयन समिति द्वारा खिलाड़ियों/टीमों की अंतिम रूप से चयन किया जाएगा।

(ग) जी हां।

(घ) पटियाला, बंगलौर, शिमला, शिलारू, लुधियाना, चेन्नई, जालंधर, दिल्ली और लखनऊ में भारतीय खिलाड़ियों/टीमों की तैयारी के लिए कई प्रशिक्षण शिविर चलाये जा रहे हैं।

(ङ) प्रदर्शन में वृद्धि करने के लिए भारतीय एथलीटों के लिए अपेक्षित वैज्ञानिक तथा चिकित्सा सहायता सहित, भारतीय और विदेशी प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण शिविरों के दौरान विशेषज्ञता-प्राप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के डाकघरों में टेलीफोन कनेक्शन

3993. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में स्थान-वार कितने डाकघरों में अभी तक टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिया गया है; और

(ख) राज्य में सभी डाकघरों में उक्त सुविधा कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) कनेक्शन भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा प्रदान किए जाते हैं बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहे।

[अनुवाद]

दिल्ली से रेनीगुण्टा (तिरूपति) के लिए सीधी उड़ान

3994. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली से रेनीगुण्टा (तिरूपति) के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 को छः लेनों वाला बनाना

3995. डा. चरणदास महंत: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 को जयपुर से किशनगढ़ तक के भाग को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत छः लेनों वाला बनाए जाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस भाग को छः लेनों वाला बनाए जाने की कोई योजना है;

(ग) क्या उपर्युक्त योजना के अंतर्गत उदयपुर से रतनपुरा के बीच के भाग को चार लेनों वाला बनाया जाना भी शामिल है; और

(घ) किशनगढ़ से उदयपुर के बीच के मार्ग का निर्माण कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य का आशय राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से है। जयपुर और किशनगढ़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के खंड को दिसम्बर, 2003 तक 6 लेन का बनाने का प्रस्ताव है।

(ग) जी हां।

(घ) दिसम्बर, 2003।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय नौकाचालन अकादमी की स्थापना

3996. श्री राजैया मल्याला: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद में टैंक बंड के निकट राष्ट्रीय नौकाचालन अकादमी की स्थापना किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) जी, हां। हुसैन सागर, लेक, हैदराबाद में एक रोइंग अकादमी स्थापित करने के बारे में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। सचिव, युवा विकास, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार ने महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण को अपने दिनांक 21.7.2001 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने हुसैन सागर लेक, हैदराबाद में रोइंग अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है जिसके लिए 2.147 एकड़ भूमि भारतीय खेल प्राधिकरण को इस शर्त पर आबंटित की जाएगी कि लेक सामने का हिस्सा आंध्र प्रदेश के अन्य संघों तथा खिलाड़ियों और अन्य जलक्रीडा खेल क्लबों नामतः क्याकिंग, केनोइंग, याटिंग आदि द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने युवा सेवा आयुक्त के विद्यमान भवन को भारतीय खेल प्राधिकरण को हस्तांतरित करने और उन्हें आवास एवं शयनशालाओं के लिए अतिरिक्त तलों के निर्माण की अनुमति देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने इस भवन का मूल्य 33.52 लाख रु. (400/- रु. प्रति वर्ग फीट की दर से) आंका है तथा भा.खे.प्रा. से युवा सेवा आयुक्त को उपर्युक्त राशि का भुगतान करने की अपेक्षा करती है। राज्य सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण को भी सूचित किया है कि लेक के सामने की मिट्टी के तथा अन्य कार्य हैदराबाद नगर निगम के द्वारा वास्तविक लागत के पुनः भुगतान द्वारा भी किया जा सकता है।

यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

सैटेलाइट मनीआर्डर/वी-सैट प्रणाली

3997. श्री रामजी मांझी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान डाक विभाग एक्सटेंडेट सैटेलाइट मनीआर्डर्स तथा वी-सैट्स प्रणाली की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त कर पाने में असमर्थ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आगामी वर्षों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वी एस ए टी प्रणाली और ई एस एम ओ की संख्या का जो लक्ष्य था, विभाग ने उसे प्राप्त किया है। सात सौ बत्तीस (732) ई एस एम ओ में से दो सौ छियासठ (266) संस्थापित और चालू हो गए हैं। शेष चार सौ छियासठ (466) ई एस एम ओ संस्थापित किए जा रहे हैं। एक सौ पचास (150) वी एस ए टी प्रणालियां स्थापित करने का जो लक्ष्य था, उस संदर्भ में, इन प्रणालियों को भी संस्थापित एवं चालू करने की प्रक्रिया चल रही है जिसके लिए एक नया साफ्टवेयर विकसित किया गया है और उसका परीक्षण चल रहा है।

(ग) और (घ) वर्ष 2001-2002 के दौरान विभाग का अन्य चार सौ (400) एक्सटेंडिट सेटेलाइट मनीआर्डर स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है।

बाल श्रम परियोजनाएं

3998. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी बाल श्रम परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है और कितनी परियोजनाओं की स्थापना की गई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने बाल श्रमिकों का पुनर्वास किया गया और अभी कितने बाल श्रमिकों का पुनर्वास किया जाना है;

(ग) प्रत्येक बालक को प्रतिमाह कितनी वृत्तिका का भुगतान किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार का वृत्तिका की धनराशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं को जारी रखने का अनुमोदन कर दिया है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 24 नयी बाल श्रम परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। आदिनांक 13 बाल श्रम बहुल राज्यों में 2.10 लाख बाल श्रमिकों को दायरे में लेते हुए 100 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की स्कीम के अन्तर्गत अब तक 53,000 बाल श्रमिकों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में लाया जा चुका है।

(ग) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की स्कीम के अन्तर्गत प्रति बच्चा 100/- रु. प्रतिमाह का वजीफा दिया जाता है।

(घ) से (च) स्कीम में संशोधन के दौरान सरकार ने वजीफे की राशि में वृद्धि के मुद्दे पर विचार किया था और निर्णय लिया था कि विद्यमान राशि पर्याप्त है। संशोधित स्कीम 01.04.2001 से लागू है।

अन्तर-राज्यीय जल-विवाद

3999. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का जल विवाद के निपटान हेतु दक्षिणी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की कोई बैठक बुलाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के लंबित प्रस्ताव

4000. श्री जय प्रकाश: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल सरकारों द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक अनुमोदनार्थ भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार के पास आज तक अनुमोदन हेतु लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा कितने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए गए हैं;

(घ) उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल सरकारों को सिंचाई परियोजनाओं हेतु कितनी सहायता प्रदान की गई है; और

(ङ) उक्त राज्यों में क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) उत्तरांचल राज्य के गठन के पश्चात् उत्तरांचल सरकार ने कोई नई जल संसाधन परियोजना का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। यद्यपि विभाजन पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 नई सिंचाई/बहुउद्देशीय परियोजनाओं का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिनमें से एक परियोजना उत्तरांचल में है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जमा करने की तारीख	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)	लाभ (हजार हेक्टे./एम.डब्ल्यू.)	स्थिति
1.	आगरा नहर का आधुनिकीकरण	4.3.98	45.83	65.96/0	बी
2.	भूपालि पंप नहर की क्षमता में वृद्धि	28.8.97	29.39	34.605/0	ए
3.	पूर्वी यमुना नहर के लिए हथनीकुण्ड संपर्क चैनल	8.9.99	22.49	–	बी
4.	कंचनोडा बांध	30.10.2000	70.46	13.55/0	ए
5.	मौजूदा शारदा नहर प्रणाली के जल प्रबंध में सुधार	12.7.2001	102.98	65.54/0	ए
6.	उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	27.4.2001	843.70	300/0	ए
7.	किशाऊ बांध परियोजना (अब यह उत्तरांचल के अधिकार क्षेत्र में आती है)	15.7.97	3455.11	0/600	ए

ए- राज्य सरकार से पत्राचार चल रहा है।
बी- कुछ टिप्पणियों के अधीन जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत।

(ग) विस्तृत परियोजना रिपोर्टों पर केन्द्रीय मूल्यांकन अधिकरणों की टिप्पणियों पर राज्य सरकार द्वारा अनुपालन के पश्चात इन परियोजनाओं को जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसके पश्चात् पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण और वन स्वीकृति दिए जाने के बाद योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति दी गई। इस परियोजना के प्रस्तावों के लिए आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा अविभाजित उत्तर प्रदेश राज्य को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा कमान क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई गई है। नौवीं योजना अवधि के दौरान जारी की गई राशियों (करोड़ में) का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है।

उत्तर प्रदेश	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002
त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	78.00	76.50	286.00	122.25	27.45*
कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम	30.58	39.59	28.05	32.47	शून्य*

*वर्ष 2001-2002 के दौरान जुलाई, 2001 तक निधियों को जारी करेगा।

(ङ) उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल में चल रही सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उत्तर प्रदेश की चल रही वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं का वित्तीय एवं वास्तविक विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय विवरण		
		योजना जिनमें शुरू की गई	आकलित लागत	
			वास्तविक	नवीनतम
वृहद परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गई)				
1.	वेवर फीडर	III	27.91	59.90
2.	शारदा सहायक	III	64.84	1290.00
3.	मौधा बांधा	V	66.82	127.90
4.	चित्तौड़गढ़ जलाशय	V	34.06	36.70
5.	मध्य गंगा नहर	V	66.01	615.00
6.	सरयू नहर	V	78.68	2810.00
7.	पूर्वी गंगा नहर	V	48.46	579.00
8.	सोन पंप नहर	V	5.64	72.55
9.	ज्ञानपुर पंप नहर	V	110.51	159.88
10.	राजघाट बांध (उ.प्र. हिस्सा) (आई.एस.)	V	123.22	150.30
11.	राजघाट नहर (उ.प्र.)	V	126.43	230.95
12.	बाणसागर बांध (उ.प्र.) हिस्सा (आई.एस.)	V	91.31	234.00
13.	बाण सागर नहर (उ.प्र.)	V	169.52	268.00
14.	बाणसागर नहर (म.प्र.) (उ.प्र. का हिस्सा)	V	27.92	27.92
15.	कनहर सिंचाई	V	–	240.00
16.	चंबल लिफ्ट	78-79	–	91.00
17.	टेहरी बांध (उ.प्र. का हिस्सा)	79-80	197.92	711.14
18.	हिंडण कृष्णी दोआब में खरीफ चैनल मुहैया कराना	79-80	15.53	56.00
19.	जरौली पंप नहर	90-91	47.92	48.22
मध्यम परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गई)				
1.	गुन्ताल नाला बांधा	VI	1.85	24.00
2.	पथराई बांध	VII	12.54	48.33

उत्तरांचल की चल रही वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं का वित्तीय एवं वास्तविक विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय विवरण		
		योजना जिनमें शुरू की गई	आकलित लागत	
			वास्तविक	नवीनतम
वृहद परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गई)				
1.	लखवर	V	140.97	578.40
2.	जमरानी बांध	V	61.25	433.00

मध्यम परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गई) – शून्य

[अनुवाद]

विदेश संचार निगम का कार्यनिष्पादन

4001. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश संचार निगम लिमिटेड (वीएसएनएल) ने वर्ष 2000-2001 के दौरान बेहतर कार्य निष्पादन किया है और पिछले तीन वर्षों की तुलना में अधिक लाभांश की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए कौन-कौन से कारक जिम्मेदार हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) विदेश संचार निगम लि. के पिछले चार वर्षों के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(राशि मिलियन रुपये में)

विवरण	31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष			
	1998	1999	2000	* 2001
प्रचालन से निवल बिक्री	61,251	68,314	69,676	72,975
अन्य प्राप्तियां	3,110	3,441	2,629	6,684
कुल राजस्व	64,361	71,756	72,305	79,659
कुल व्यय	50,077	52,101	52,878	54,964
कर-पूर्व लाभ	14,284	19,655	19,427	24,695
कर के पश्चात लाभ	9,679	13,250	**8,403	17,788
घोषित लाभांश (प्रतिशत)	40	80	80	500*
प्रदत्त लाभांश की राशि	380	760	760	14,250*

* एजीएम में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन लेने के अध्यधीन

** असाधारण मद के रूप में 5127 मिलियन रुपये के आईसीओ को बट्टे खाते में डालने के कारण

(ग) वर्ष 2000-2001 की लाभप्रदता निम्नलिखित कारणों की वजह से अधिक रही है:-

(1) वायस टेलीफोन ट्रैफिक में वृद्धि।

(2) इन्टरनेट, इन्टरनेशनल प्राइवेट लीज्ड सर्किटों, फ्रेम रीले इत्यादि जैसी मूल्यवर्धित सेवाओं से राजस्व में वृद्धि।

(3) इन्टेलसैट से लाभ में वृद्धि.

(4) अन्य आय में वृद्धि।

(5) आईसीओ ग्लोबल कम्यूनिकेशंस (होल्डिंग्स) लि. में पूंजी निवेश के संबंध में 5127 मिलियन रुपये की राशि को बट्टे खाते में डालने के कारण वर्ष 1999-2000 में लाभ कम हुआ। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष की तुलना के आधार पर वर्ष 1999-2000 के लाभ में वर्ष 2000-2001 के लाभ की तुलना में भारी कमी आयी।

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइंस द्वारा जारी मानार्थ टिकट

4002. श्री अशोक अर्गल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया द्वारा जारी मानार्थ टिकटों की संख्या कितनी है;

(ख) मानार्थ टिकट पाने वाले लोगों के नाम क्या-क्या हैं तथा उन्हें टिकट जारी करने के क्या कारण थे; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान एअर इंडिया के अधिकारियों द्वारा की गई विदेश यात्राओं का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

एन.एच. 65 के साथ जोधपुर को जोड़ा जाना

4003. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान का जोधपुर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 65 से जुड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जोधपुर शहर के पास एन.एच. 65 गत 6 महीनों से क्षतिग्रस्त है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त मार्ग की मरम्मत हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) जी हां। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 65 की कुल लंबाई 494.9 कि.मी. है जिसमें से 106 कि.मी. जोधपुर जिले से गुजरती है।

(ग) से (ङ) जी नहीं। तथापि, जोधपुर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 65 की 26 कि.मी. की कुल लंबाई में से कुछ छोटे खंड जिन पर गुणता में सुधार किया गया था, अभी हाल की वर्षा और पानी की लाइन में रिसाव के कारण कुछ गड्ढे हो गए हैं। इनकी मरम्मत दोष दायित्व अवधि के अंतर्गत उसी ठेकेदार से कराई जा रही है।

[अनुवाद]

वेल्लोर में हवाई अड्डे का निर्माण

4004. श्री एन.टी. षणमुगम: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वेल्लोर में एक हवाई अड्डा बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, नही।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक संयंत्रों द्वारा सुरक्षा उपायों का अपनाया जाना

4005. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र के कुछ उर्वरक संयंत्र सुरक्षा के पर्याप्त उपाय नहीं कर रहे हैं क्योंकि उड़ीसा के पारादीप में ओसवाल उर्वरक संयंत्र से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था और इससे इलाके में लम्बे समय से स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संयंत्रों के मालिकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उस स्थान के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) फैक्टरी अधिनियम, 1948, भारतीय विस्फोटक अधिनियम तथा नियम, 1983, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 तथा परिसंकटमय रसायन विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 के विभिन्न सांविधिक उपबंधों के अन्तर्गत उर्वरक संयंत्रों को आवश्यक बचाव उपाय करने अपेक्षित होते हैं।

उड़ीसा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पारादीप, उड़ीसा में मेसर्स ओसवाल कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के फास्फेटिक फर्टिलाइजर काम्पेलक्स से दो बार अमोनिया का रिसाव हुआ था, पहली बार 24.05.2000 को तथा दूसरी बार 01.11.2000 को। यद्यपि पहली बार के रिसाव का पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा लेकिन दूसरी दुर्घटना में परिवेशी वायु में अमोनिया स्तर 0.8 पीपीएम से 18.4 पीपीएम तक चला गया। तथापि, इससे स्थायी रूप से किसी के बीमार पड़ने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) और (ग) उड़ीस में उद्योगों द्वारा उठाए गए उपायों की जांच मुख्य निरीक्षक, फैक्टरी तथा बायलर, उड़ीसा द्वारा की जाती है। फैक्टरी मुख्य निरीक्षणालय की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए महानिदेशक, फैक्टरी परामर्श सेवाएं श्रम संस्थान, सियोन मुम्बई के माध्यम से एक सुरक्षा आडिट कराया गया था। केन्द्रीय सरकार तथा उड़ीसा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी स्थल का निरीक्षण किया है और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत निर्देश जारी करके उद्योगों को सुरक्षा और सुधरे पर्यावरणीय प्रबंधन के बचाव के लिए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, उड़ीसा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अन्तर्गत सब-जूडिशियल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जगतसिंहपुर, उड़ीसा के न्यायालय में कंपनी के विरुद्ध एक मामला दायर किया है।

[हिन्दी]

सिक्के द्वारा प्रचालित टेलीफोन बाक्स की स्थापना

4006. कुंवर अखिलेश सिंह: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली द्वारा मान्यताप्राप्त पी.सी.ओ./एस.टी.डी/आई.एस.डी. केन्द्र के मालिक सिक्के द्वारा प्रचालित टेलीफोन बाक्सों की जगह सामान्य टेलीफोन सेट लगाकर प्रति काल तीन रुपये से पांच रुपये तक वसूल कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ग) क्या टेलीफोन केन्द्र मालिकों के लिए केन्द्र पर सतर्कता और अन्य अधिकारियों के नाम और उनके टेलीफोन नम्बर प्रदर्शित करना अनिवार्य है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा अधिक धन वसूल करने वाले निर्देशों को न मानने वाले और टेलीफोन केन्द्र पर सिक्के द्वारा प्रचालित टेलीफोन बाक्स न लगाने वाले टेलीफोन केन्द्र मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) पीसीओ प्रचालकों द्वारा केवल महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड दिल्ली में अधिक पैसे वसूले जाने के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) 1.8.2000 से 31.7.2001 तक 86 मामलों का पता लगा है।

(ग) पीसीओ बूथ आपरेटरों को क्षेत्रीय सहायक सतर्कता अधिकारी के नाम और टेलीफोन नम्बरों को प्रदर्शित करना पड़ता है।

(घ) कुछ मामलों में पाया जाता है कि ऐसे अनुदेशों को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। ऐसे फ्रेंचाइजी को पुन: इन्हें तुरंत कार्यान्वित करने के लिए कहा जाता है। क्षेत्रीय महाप्रबंधकों से कहा गया है कि वे फ्रेंचाइजी के साथ संशोधित करारों के माध्यम से इन अनुदेशों का अनुपालन अनिवार्य बनाएं।

(ङ) (1) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड मुख्यालय में प्राप्त सभी शिकायतों की जांच की जाती है।

(2) पीसीओ बूथों की समय-समय पर आकस्मिक जांच की जाती है।

(3) फील्ड स्टाफ द्वारा पीसीओ बूथों का नियमित रूप से निरीक्षण शुरू किया गया है।

(4) इस समय, सीसीबी उपकरणों के साथ-साथ स्थानीय पीसीओ संस्थापित किये जा रहे हैं।

(5) मौजूदा पुश बटन किस्म के पीसीओ के स्थान पर चरणबद्ध तरीके से सीसीबी किस्म का प्रयोग करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान

4007. डा. डी.वी.जी. शंकर राव: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद स्थित इंडियन एयरलाइंस का केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान विमान चालकों को प्रशिक्षण दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक प्रशिक्षित तथा वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विमान चालकों की संख्या कितनी है एवं इसकी भावी प्रशिक्षण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वहां विदेशी एयरलाइनों के विमान चालकों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान (सीटीई) ने वर्ष 1958 से अपने अस्तित्व में आने से लेकर अब तक 1554 विमानचालकों को प्रशिक्षण दिया है, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

1. इंडियन एयरलाइंस के प्रशिक्षु विमानचालकों की संख्या 922
2. बाहरी पार्टियों और विदेशी एयरलाइनों के विमानचालकों की संख्या 610
3. बी-737 पृष्ठाकंन के लिए निजी उम्मीदवारों की संख्या 22

उपरोक्त के अलावा, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, इंडियन एयरलाइंस अपने स्वयं के विमानचालकों के लिए एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड (एएएसआई), एसएचओडी और भारतीय वायु सेना के विमानचालकों के लिए आवधिक पुनश्चर्या कार्यक्रमों का भी आयोजन करती है। यह एक प्रकार के विमानों से दूसरे प्रकार के विमानों के बदलने के लिए पाठ्यक्रम भी आयोजित करती है।

केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद में इस समय प्रशिक्षण पा रहे विमानचालकों की संख्या इस प्रकार है:-

1. एयरबस ए-320 के लिए 63 प्रशिक्षु विमानचालक आरम्भिक पाठ्यक्रम में भाग ले रहे हैं।
2. 15 बाहरी उम्मीदवार बी-737 पर पृष्ठाकंन पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण पा रहे हैं।
3. 17 विमानचालक ए-320 परिवर्तन पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण पा रहे हैं।
4. 07 विमानचालक एयरबस ए-300 पृष्ठाकंन पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण पा रहे हैं।

केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान द्वारा विमानचालकों के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के लिए भविष्य में भी ध्यान दिया जाना जारी रहेगा;

क्लासरूम प्रशिक्षण लाइसेंस; वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस पाठ्यक्रम; एयरलाइन ट्रांसपोर्ट विमानचालक लाइसेंस पाठ्यक्रम; उड़ान रेडियो टेलीफोन आपरेटर्स लाइसेंस पाठ्यक्रम; काकपिट रिसोर्स मैनेजमैंट।

बी-737, ए-320 और ए-300 प्रकार के विमान।

पुनश्चर्या:- बी-737-200, ए-320 और ए-300 प्रकार के विमान।

सिमुलेटर:- टाइप पृष्ठाकंन प्रशिक्षण, पाइलट-इन-कमांड प्रशिक्षण अथवा बी-737-200; ए-320, ए-300 विमान पर पुनरावृत्तिक प्रशिक्षण।

(ग) और (घ) जी, हां। इस समय एअर लंका केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थापना पर प्रशिक्षण सुविधा का लाभ उठा रही है। उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान लगभग 100 घंटों की अवधि के लिए तथा वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान 110 घंटों की अवधि के लिए ए-320 सिमुलेटर सुविधाओं का लाभ उठाया गया।

दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण

4008. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीमित मोबिलिटी मामले में सरकार के अधिकार क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण ने सरकार से वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) के संबंध में उसकी शक्तियों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 (ट्राई अधिनियम, 1997) की धारा 14 के अनुसार दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण (टीडीएसएटी) के पास निम्नलिखित के बीच उत्पन्न किसी भी विवाद पर निर्णय करने की शक्तियां हैं:

(1) लाइसेंसदाता और लाइसेंसधारी।

(2) दो या अधिक सेवा प्रदाता।

(3) कोई एक सेवा प्रदाता और उपभोक्ताओं के समूह।

सेल्यूलर आपरेटर्स एसोसिएशन आफ इंडिया द्वारा वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) में सीमित मोबिलिटी के विरुद्ध याचिका टी.डी.एस.ए.टी. में दायर की गई है। नीतिगत मामलों में निर्णय लेना सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान जिंक के एक संयंत्र की स्थापना

4009. श्री श्रीचन्द कृपलानी: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चित्तौड़गढ़ जिले के कापसान में हिन्दुस्तान जिंक के संयंत्र की स्थापना की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थापना कार्य के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील): (क) से (ग) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा 1203.75 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 100,000 टन प्रतिवर्ष (टी.पी.ए.) क्षमता का एक नया प्रगालक कापासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) में स्थापित किए जाने का सरकार ने फरवरी, 2001 में अनुमोदन कर दिया था। एच.जैड.एल. की विनिवेश की प्रक्रिया पूरी हो जाने की तारीख से 48 महीने में परियोजना के क्रियान्वित हो जाने की आशा है।

[अनुवाद]

तटीय विनियमन क्षेत्र

4010. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को तटीय विनियमन क्षेत्र में वर्तमान मत्स्य परियोजनाओं को बचाने के उद्देश्य से तटीय विनियमन क्षेत्र (सी.आर.जेड.) अधिसूचना, 1991 में संशोधन करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) कृषि मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ जलकृषि करने वाले किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए जलकृषि प्राधिकरण विधेयक तैयार किया है।

[हिन्दी]

जम्मू एवं कश्मीर में रोजगार कार्यालय

4011. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू एवं कश्मीर में कार्यरत रोजगार कार्यालयों की जिलावार संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक रोजगार कार्यालय में, आज की तिथि के अनुसार, पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) इनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की जिलावार एवं रोजगार कार्यालयवार की संख्या कितनी है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) अद्यतन स्थिति के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर में कार्य कर रहे रोजगार कार्यालयों की कुल संख्या 14 है। जम्मू व कश्मीर के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों पर रोजगार चाहने वालों,

जिनमें यह आवश्यक नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, की रोजगार कार्यालय-वार संख्या तथा उनमें से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। जिला-वार सूचना नहीं रखी जाती है।

विवरण

पंजीकरण (हजार में)

क्र.सं.	रोजगार कार्यालय	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	अनंतनाग	3.7	@	-
2.	बदगाम	5.5	@	@
3.	बारामुल्ला	12.4	@	@
4.	डोडा	10.0	0.3	@
5.	जम्मू	65.9	0.5	1.1
6.	कारगिल	4.0	@	0.5
7.	कथुआ	7.3	1.8	0.1
8.	कुपवारा	3.3	@	@
9.	लेह	5.1	0.1	@
10.	पूंच	1.8	0.1	0.1
11.	पुलवामा	4.1	@	@
12.	राजौरी	3.0	0.5	0.4
13.	श्रीनगर	27.2	0.2	0.1
14.	उधमपुर	13.8	0.7	0.1
	कुल	167.3	4.2	2.5

@आंकड़े पचास से कम।

- शून्य।

दूरसंचार सुविधाएं

4012. श्री धर्म राज सिंह पटेल:
श्रीमती शीला गौतम:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 जुलाई, 2001 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश, विशेषकर मैनपुरी जिले में टेलीफोन सुविधा प्राप्त गांवों/ग्राम पंचायतों की जिलावार संख्या कितनी है;

(ख) उन गांवों को यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दिये जाने कि संभावना है जहां यह सुविधा वर्तमान में नहीं है;

(ग) वर्तमान में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की जिलावार संख्या कितनी है;

(घ) उक्त राज्य में गत तीन वर्षों और आज की तिथि के अनुसार दिए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या मंत्रालय को इलाहाबाद के बड़ौत टेलीफोन एक्सचेंज के उपभोक्ताओं से असंतोषजनक टेलीफोन सुविधाएं मिलने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में प्रतीक्षा सूची समाप्त करने और बेहतर टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (छ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

4013. श्री पी.आर. खूंटे: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विशेषरूप से छत्तीसगढ़ में तथा राज्यवार निर्माण हेतु प्रस्तावित और सरकार के विचाराधीन राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या क्या है; और

(ख) इस कार्य पर आने वाली राज्यवार अनुमानित लागत क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) छत्तीसगढ़ में 9 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित देश में कुल 175 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास एक सतत् प्रक्रिया है और यह कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति, यातायात की आवश्यकताओं, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की समग्र उपलब्धता के आधार पर किया जा रहा है। वर्ष 2001-2002 के दौरान छत्तीसगढ़ सहित प्रत्येक राज्य में विकास कार्यों पर खर्च किए जाने के लिए निर्धारित धनराशि संलग्न विवरण में दिए ब्यौरे में दर्शाई गई है।

विवरण

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2001-2002 के दौरान व्यय के लिए नियत धनराशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	90.00
2.	असम	70.00
3.	बिहार	55.00
4.	चण्डीगढ़	1.50
5.	छत्तीसगढ़	30.00
6.	दिल्ली	10.00
7.	गोवा	20.00
8.	गुजरात	85.00
9.	हरियाणा	55.00
10.	हिमाचल प्रदेश	47.00
11.	जम्मू और कश्मीर	4.00
12.	झारखंड	25.00
13.	कर्नाटक	75.00
14.	केरल	75.00
15.	मध्य प्रदेश	80.00
16.	महाराष्ट्र	108.00
17.	मणिपुर	18.00
18.	मेघालय	25.00
19.	मिजोरम	18.00
20.	नागालैण्ड	16.00
21.	उड़ीसा	70.00
22.	पाण्डिचेरी	2.00
23.	पंजाब	48.00
24.	राजस्थान	100.00
25.	तमिलनाडु	95.00
26.	उत्तर प्रदेश	129.00
27.	उत्तरांचल	20.00
28.	पश्चिम बंगाल	105.38

आप्टिकल फाइबर केबल्स

4014. **श्री उत्तमराव पाटील:**
श्री कोलूर बसवनागौड़:
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक और महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में आप्टिकल फाइबर केबल्स बिछाने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या बंगलौर शहर में आप्टिकल फाइबर केबल्स बिछाने का कार्य बंगलौर महानगर पालिका द्वारा अनुमति न दिए जाने के कारण रोक दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त कार्य को पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार को महाराष्ट्र के जलगांव जिले में लगभग 1100 कि.मी. आप्टिकल फाइबर केबल्स बिछाने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) उक्त योजना पर अनुमानित कितना व्यय किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) कर्नाटक और महाराष्ट्र में आप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाने की जिलावार वर्तमान स्थिति क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) भारत संचार निगम लि. संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ संपर्क में है। मामला दर मामला अनुमोदन मिल रहा है।

(घ) और (ङ) जी, हां। चालू कार्यों के लिए अपेक्षित 962.6 रूट कि.मी. आप्टिकल फाइबर केबल की खरीद की कार्रवाई की गई है।

(च) 962.6 रूट कि.मी. आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की अनुमानित लागत 1771.184 लाख रु. होगी।

विवरण-I

कर्नाटक में आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की जिलावार स्थिति (31.7.2001 तक)

क्र.सं.	जिला	31.3.2001 तक उपलब्ध ओ.एफ. रूट कि.मी.	2001-2002 के दौरान बिछाई गई	कुल उपलब्धि 31.7.2001
1	2	3	4	5
1.	बंगलूर	910.31	348.04	1258.35
2.	बेलगाम	938.40	105.63	1044.03
3.	बेलारी	817.57	82.24	899.81
4.	बीदर	582.17	43.43	625.60
5.	बीजापुर	562.00	60.87	622.87
6.	बागलकोट	400.12	56.00	456.12
7.	चिकमंगलूर	688.59	17.18	705.77
8.	चित्रदुर्ग	557.00	40.00	597.00
9.	दावनगेरे	500.00	52.80	552.80
10.	गुलबर्गा	1084.99	111.88	1196.87

1	2	3	4	5
11.	हासन	760.76	58.40	819.16
12.	हुबली	447.29	11.03	458.32
13.	कावेरी	350.00	10.00	360.00
14.	गडग	350.00	11.00	361.00
15.	कारवाड़	927.77	179.62	1107.39
16.	कोलार	905.88	44.93	950.81
17.	माडीकेरी	558.95	5.74	564.69
18.	मांड्या	449.26	21.81	471.07
19.	मंगलोर	939.09	40.74	979.83
20.	उडीपी	800.92	37.00	837.92
21.	मैसूर	488.00	20.00	508.00
22.	सी.आर. नगर	400.56	17.12	417.68
23.	रायचूर	500.44	20.13	520.57
24.	कोप्पाल	425.00	20.13	445.13
25.	शिमोगा	991.09	46.73	1037.82
26.	टुमकुर	501.04	66.20	567.24
	जोड़	16887.20	1528.65	18415.85

विवरण-II

महाराष्ट्र में आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की जिलावार स्थिति (31.7.2001 तक)

क्र.सं.	जिला	31.3.2001 तक उपलब्ध ओ एफ रूट किमी.	बिछाई गई ओएफसी	कुल उपलब्धि 31.7.2001
1	2	3	4	5
1.	अहमदनगर	728.88	39	728.88
2.	अकोला	202.2	–	241.2
3.	वाशिम	116	–	116
4.	अमरावती	304	106.3	410.3
5.	औरंगाबाद	464.5	–	464.5

1	2	3	4	5
6.	बीड	52.5	–	52.5
7.	भंडारा	156	–	156
8.	गोंदिया	162	–	162
9.	बुलढाना	307.7	–	307.7
10.	चन्द्रपुर	308.6	–	308.6
11.	धुले	125	40.7	165.7
12.	नांदुरबार	113.6	15.85	129.45
13.	गडचिरौली	100	–	100
14.	गोवा उत्तर	240.6	–	240.6
15.	गोवा दक्षिण	203	–	203
16.	जलगांव	491.1	46.98	538.08
17.	जालना	237	–	237
18.	कल्याण	858.95	–	858.95
19.	कोल्हापुर	1066.76	63.01	1129.77
20.	लातूर	328.73	13.8	342.53
21.	नागपुर	460.3	–	460.3
22.	नांदेड़	538	–	538
23.	नासिक	717	68.8	780.8
24.	उस्मानाबाद	330.1	–	330.1
25.	परभनी	203.6	–	203.6
26.	हिंगोली	120	–	120
27.	पुणे	1706.61	204.31	1910.92
28.	रायगढ़	517.2	–	517.2
29.	रत्नागिरि	359.37	–	359.37
30.	सांगली	560.79	–	560.79
31.	सतारा	437.8	–	437.8
32.	सिंधुदुर्ग	553	–	553
33.	सोलापुर	569.25	–	569.25
34.	वर्धा	159	15.88	174.86
35.	यवतमाल	214.5	10.33	224.83
	जोड़	14045.1401	619.94	14665.0801

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत की गई नागर विमानन परियोजनाएं

4015. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय से संबंधित आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई अनेक परियोजनाएं मंजूरी हेतु लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्राप्त की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें से कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है;

(घ) उनमें से कितनी परियोजनाएं अभी भी लम्बित हैं;

(ङ) उनके लम्बित रहने के क्या कारण हैं; और

(च) सभी लम्बित परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की सम्भावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (च) आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश नागर विमानन से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों पर कार्रवाई का अनुरोध किया है। विभिन्न परियोजनाओं तथा उन पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव	की गई कार्रवाई/प्रस्थिति
1	2
हैदराबाद स्थित घरेलू हवाई अड्डे की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषणा तथा संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत हैदराबाद के समीप शमसाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय मान के नए हवाई अड्डे का निर्माण	सरकार ने हैदराबाद स्थित मौजूदा हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है और हैदराबाद के समीप संयुक्त उद्यम के आधार पर शमसाबाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नये हवाई अड्डे के निर्माण को अनुमोदित कर दिया है। नये हवाई अड्डे के चालू होने के बाद हैदराबाद के मौजूदा हवाई अड्डे पर सिविल प्रचालनों को बन्द करना और शमशाबाद हवाई अड्डे के चालू होने के बाद नए प्रस्तावित हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा देना यदि यहां अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होने के लिए अपेक्षित सभी सुविधाएं उपलब्ध हों।
हैदराबाद स्थित मौजूदा हवाई अड्डे का विस्तार	हैदराबाद हवाई अड्डे पर नए अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माण, मौजूदा घरेलू टर्मिनल भवन का परिवर्धन/विस्तार कार्य सन् 1999 में पूरा किया गया। रनवे को बाह्य रूप रेखा, में सुधार तथा संबद्ध फर्स का कार्य मार्च, 2001 में पूरा किया गया। ऐप्रन का विस्तार तथा नए टैक्सी मार्ग निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और मार्च, 2002 तक इसके पूरा होने की आशा है। इतना ही नहीं, मौजूदा धावनपथ के 10,600 फुट तक सुदृढ़ीकरण तथा विस्तार कार्य के लिए वृहत अभियंत्रण आयोजना कार्य पूरा हो चुका है।
विशाखापत्तनम हवाई अड्डे का विकास	विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर 10,000 फुट × 150 फुट की वीमा का नया रनवे बनाने का प्रस्ताव है। नए ऐप्रन, संबद्ध टैक्सी पथ इत्यादि के निर्माण, दिक्चालनात्मक सुविधाएं एवं भू-प्रकाश सुविधाएं, चार दिवारी, पेरिमीटर रोड, उप अग्नि शमन केन्द्र ऐप्रोच रोड तथा एक नए एकीकृत टर्मिनल भवन के निर्माण का भी प्रस्ताव है।
विजयवाड़ा हवाई अड्डे का कोटिउन्नयन	रनवे का सुदृढ़ीकरण कार्य तथा नए ऐप्रन के साथ टैक्सी पथ का निर्माण कार्य जुलाई, 1999 में पूरा किया गया। यह हवाई अड्डा बी-737 किस्म के वैमानिक प्रचालन के लिए उपयुक्त है।

1	2
तिरूपति हवाई अड्डे का विकास	धानवपथ का 6,000 फुट से 7,000 फुट तक विस्तार कार्य पूरा हो चुका है। भू-प्रकाश सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गयी हैं।
राजामुंद्री हवाई अड्डे का विकास	धावनपथ का सुदृढ़ीकरण कार्य, नए ऐप्रन तथा टैक्सी पथ का निर्माण कार्य और चार दीवारी का निर्माण कार्य मार्च, 2002 में पूरा होने की आशा है।
हैदराबाद हवाई अड्डे पर शीत भण्डारण तथा अन्य सुविधाएं	2 करोड़ रु. की लागत से हैदराबाद हवाई अड्डे पर शीघ्रनष्ट होने वाले कार्गो के लिए अत्याधुनिक केन्द्र की स्थापना की गई है। निविदा के आधार पर शीघ्र नष्ट होने वाले कार्गो केन्द्र को आंध्र प्रदेश राज्य व्यापार निगम (ए.पी.एस.टी.सी.) को 7.6.2001 को सौंपा गया है।

मुम्बई में आवास परिसर के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र

4016. श्री किरीट सोमैया: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मुम्बई के विभिन्न भागों में आवास के प्रस्तावों को मंजूरी देने हेतु महाराष्ट्र सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने सी.आर.जैड. दिशा निर्देशों के अंतर्गत अनुमति नहीं दी है;

(ग) क्या राज्य सरकार निगम ने सी.आर.जैड. विनियमावली के अस्तित्व में आने से पहले निम्न आय वर्ग और दलितों को प्लाट आबंटित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसमें वास्तविक समस्या क्या है;

(ङ) क्या राज्य सरकार ने भूखंड के निकट और कांदीवली, मुम्बई में आवास परिसर को अनापत्ति प्रमाणपत्र देने और जारी करने का एक बार फिर अनुरोध किया है;

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (छ) केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र राज्य सरकार से तटीय विनियमन क्षेत्र में आरम्भ किए जाने हेतु महाराष्ट्र आवास एवं विकास प्राधिकरण (एम.एच.डी.ए.) की स्लम पुनर्वास स्कीम और आवास परियोजनाओं के अन्तर्गत आवास परियोजनाओं के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। केन्द्र सरकार ने इस संबंध में अनुमोदन नहीं दिया है क्योंकि ये प्रस्ताव दिनांक 19 फरवरी, 1991 की तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना के उपबंधों के अनुरूप नहीं है।

मणिपुर में डाक सेवाएं

4017. प्रो. आर.आर. प्रमाणिक: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मणिपुर में डाक सेवाएं कर्मचारियों द्वारा हाल ही में अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण प्रभावित हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी मांगों को किस सीमा तक पूरा किया गया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) 'कार्यालय के भीतर' स्थानांतरण आदेश के विरोध में स्टाफ ने 1.6.2001 को 'काम करना बंद' कर दिया। इस समझौते पर पहुंचने के बाद 7.6.2001 को इसे वापस ले लिया गया तथा एकता और व्यापक जनहित में स्थानांतरण आदेशों में संशोधन किया गया।

[हिन्दी]

खजुराहो हवाई अड्डे का विस्तार

4018. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खजुराहो हवाई अड्डे के विकास का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) हवाई अड्डे के प्रस्तावित विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत कौन-कौन से निर्माण कार्य शुरू किए जाने हैं और उन पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) विस्तार कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है और इसके पूरा होने की लक्षित तारीख क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की चरणबद्ध तरीके से खजुराहो हवाई अड्डे पर विस्तार कार्य करने की योजनाएं हैं। चरण-1 में, रनवे का विस्तार, 6000 फुट से 7500 फुट तक करने का है ताकि इसे एबी-320 प्रचालन के उपयुक्त बनाया जा सके। बेहतर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए वर्तमान टर्मिनल भवन का परिवर्धन किया जाएगा। चरण-2 के अधीन, रनवे का 9000 फुट तक विस्तार किये जाने का प्रस्ताव है और विशाल कार्य जेट विमानों को हैंडल करने और तदनुसार बढ़ती हुई यात्री प्रचालन क्षमता को पूरा करने के लिए एक नये टर्मिनल भवन का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) 20 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से चरण-1 के कार्य के दिसम्बर 2001/जनवरी, 2002 में आरंभ होने की आशा है और इसके 12 महीने की अवधि में पूरा होने की आशा है। हवाई अड्डे पर यातायात आवश्यकता/यात्री संवृद्धि के आधार पर चरण-2 पर कार्य आरंभ किया जाएगा।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाओं हेतु परिव्यय में वृद्धि

4019. **श्री कोलूर बसवनागौड़: क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक सरकार से खाद्य उत्पादन में लक्ष्य हासिल करने के लिए केन्द्र से आवश्यक धनराशि प्राप्त करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं हेतु परिव्यय में वृद्धि करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कर्नाटक सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जी, नहीं। फिर भी कर्नाटक सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत वर्ष 2001-2002 में राज्य की केन्द्रीय ऋण सहायता की सीमा 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 525 करोड़ रुपये करने के लिए योजना आयोग से संपर्क किया है।

बी.बी.एम.बी. को कार्य के नियंत्रण का हस्तांतरण

4020. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार रोपड़, हरीके और फिरोजपुर के हैड वर्क्स का नियंत्रण भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड के पास है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्थान सरकार के बार-बार अनुरोध के बावजूद केन्द्र सरकार बी.बी.एम.बी. को उक्त हैड वर्क्स का नियंत्रण देने में समर्थ नहीं हो पायी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सूखा प्रवण राजस्थान की जल समस्या का समाधान करने के लिए इस लम्बे समय से चले आ रहे लंबित विवाद का समाधान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) राजस्थान द्वारा किए गए अनुरोधों एवं भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के संबंधित प्रावधान के अनुसार रोपड़, हरिके एवं फिरोजपुर के हेड वर्क्स का नियंत्रण इस समय अब पंजाब सरकार के पास है। इसे भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) को हस्तांतरित किया जाना है। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) के अनुसार, उक्त हेड वर्क्स के हस्तांतरण के बावजूद भी सभी संपर्क बिन्दु भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) को नहीं सौंपा जाएगा। तथा सभी सहभागी राज्यों को जल की उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के वास्ते उत्तम प्रबंध यह होगा कि भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की तकनीकी समिति द्वारा किए गए आबंटन का सभी सहभागी राज्य सम्मान करें, जिसमें राजस्थान का भी प्रतिनिधित्व है, तथा विभिन्न नियोजन/संपर्क स्थानों पर सही आपूर्ति करें। भारत सरकार का यह प्रयास है कि कथित हस्तांतरण सहित अंतर्राज्यीय जल से संबंधित मुद्दों का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के वास्ते तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई जाए।

[हिन्दी]

जयपुर हवाई अड्डे का उन्नयन

4021. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में अंतर्राष्ट्रीय वितमानपत्तन कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) जयपुर हवाई अड्डे पर उन निर्माण कार्यों का मद-वार ब्यौरा क्या है जिन पर अब तक व्यय किया गया है और भविष्य में किए जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए कितना बजट आबंटन किया गया है;

(ग) जयपुर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन में परिवर्तित किए जाने के लिए और कितना शेष निर्माण कार्य किया जाना है;

(घ) क्या दिल्ली में भारी कोहरे के दौरान सभी विमानों को मजबूरन जयपुर हवाई अड्डे पर उतारना पड़ता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका कब तक उन्नयन किए जाने की सम्भावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, त्रिवेन्द्रम, अमृतसर, अहमदाबाद, बेंगलौर, कोचीन (नेदुम्बसेरी), गोवा, गुवाहाटी और हैदराबाद में स्थित हैं।

(ख) और (ग) जयपुर हवाई अड्डे जिसे 14.24 करोड़ रुपए की लागत पर एक आदर्श हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है, इसका और आगे कोटि-उन्नयन किया जा रहा है। 24.03 करोड़ रुपए की लागत से धावनपथ का 9000 फुट तक विस्तार किया जा रहा है जिससे इसे एबी-300 प्रकार के विमानों के प्रचालनों के लिए उपयुक्त बनाया जा सके। कार्य पहले ही सौंप दिया गया है और इसके मार्च, 2003 तक पूरा हो जाने की संभावना है। 4.92 करोड़ रुपए की लागत से नये तकनीकी ब्लांक व नियंत्रण टावर का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इसके दिसम्बर, 2001 तक पूरा हो जाने की संभावना है। दीर्घावधि विकास योजना में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की यातायात बढ़ाने के आधार पर जयपुर हवाई अड्डे पर अन्य आधारित संरचना के अतिरिक्त, एक नये टर्मिनल भवन, ऐप्रन, कार पार्क और अग्नि-शमन स्टेशन के निर्माण का प्रस्ताव है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जयपुर से विकास कार्यों के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किया गया है। किसी भी हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जाना यातायात की मात्रा और एयरलाइनों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के प्रचालनों की मांग पर निर्भर करेगा। इस समय किसी भी हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) जी, नहीं। जयपुर हवाई अड्डे का नामित वैकल्पिक हवाई अड्डे के रूप में किया गया है जिससे एबी-320/एबी-310 श्रेणी के विमानों की परिवर्तित उड़ानों को हैंडल करने के लिए किया गया है न कि विशालकाय विमानों के प्रचालन के लिए।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बंगलौर-मैसूर आधारभूत गलियारा परियोजना

4022. श्री आर.एस. पाटिल: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर-मैसूर आधारभूत गलियारा परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी देने पर विचार करने हेतु हाल ही में विशेषज्ञ समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) बंगलौर-मैसूर अवसंरचना कारीडोर परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी देने के प्रस्ताव पर 2 अगस्त, 2000 को पुनर्गठित की गई आधारभूत विकास पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और विविध परियोजनाओं की विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया था।

(ग) जी हां।

(घ) प्रस्तोव को 8 अगस्त, 2001 को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान कर दी गई।

निविदाओं को अंतिम रूप देने में अनियमितताएं

4023. श्री अरुण कुमार: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय में सामग्री प्रबंधन ने हाल ही में कोई निविधाएं आमंत्रित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को निविदाओं को अंतिम रूप देने में बरती गई अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायत मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) इस मंत्रालय में कोई मैटिरियल मैनेजमेंट अनुभाग नहीं है। तथापि, इस मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम निविदाएं आमंत्रित करते हैं। हाल ही में आमंत्रित निविदाओं के संलग्न विवरण ब्यौरे में दिए गए हैं।

(ग) निविदाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है और निविदाओं को अंतिम रूप देने में हुई अनियमितता संबंधी कोई शिकायत नहीं मिली है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

हाल ही में आमंत्रित निविदाएं

क्र.सं.	मद	एन.आई.टी. तारीख
1.	डिजीटल एक्सेस क्रॉस कनेक्ट सिस्टम	03.04.01
2.	भारत में दूरसंचार सेवा का मूल्यांकन	12.04.01
3.	डिजीटल ट्रांसमिशन एनालाइजर (डीटीए)	16.04.01
4.	इंटरनेशनल गेटे फंक्शनैलिटी उपस्कर	24.04.01
5.	डी.डब्ल्यू.डी.एम. उपस्कर	24.5.01
6.	डी.डब्ल्यू.डी.एम. एनालाइजर	12.06.01
7.	डब्ल्यू.एल.एल.सी.डी.एम.ए. उपस्कर	21.06.01
8.	12 एफ/24 एफ वाला ओएफ केबल	24.07.01
9.	डीटीए एक्स मेन + एक्सटेंशन	30.04.01
10.	डीएलसी	21.06.01

[अनुवाद]

भूतपूर्व संसद सदस्यों को नि:शुल्क टेलीफोन सेवा

4024. श्री वाई.जी. महाजन: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भूतपूर्व संसद सदस्यों को नि:शुल्क टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) जी, हां। डा. गुणवंत सरोद पूर्व सदस्य (लोक सभा) से प्राप्त एक अभ्यावेदन को संसदीय कार्य मंत्रालय के पास विचारार्थ भेज दिया गया है जो इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने में सक्षम प्राधिकरण है।

[अनुवाद]

वी.एस.एन.एल. द्वारा इंटरनेट सेवा

4025. **श्री ए. वेंकटेश नायक:**
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश संचार निगम लिमिटेड ने हाल ही में निगमित ग्राहकों के लिए तीन इंटरनेट आधारित सेवाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे कितनी आय अर्जित की गई; और

(घ) इससे वी.एस.एन.एल. की परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन करने में किस सीमा तक लाभ होगा।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) इन तीन सेवाओं के नाम हैं:

(1) वी-मेल (कार्पोरेट मेल सोल्यूशन)

वी-मेल छोटे और मध्यम आकार के कार्पोरेटों के प्रति लक्षित है और उससे कार्पोरेट उपभोक्ताओं की डाक आवश्यकताओं की पूर्ति होने की प्रत्याशा है।

(2) वी पी एन (वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क)

वी पी एन प्रयोक्ता को पहले से मौजूद दूरसंचार आधार ढांचे का प्रयोग करके नेटवर्क संसाधनों तक पहुंचने के लिए एक सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराता है। यह प्रयोक्ता को एक सुरक्षित और अत्यधिक लागत प्रभावी रूप में संचार सुविधाएं प्रदान करता है।

(3) एलिस (एन इन्टीग्रेटेड कम्यूनिकेशन सुइट फार कार्पोरेशन)

एलिस कार्पोरेटों के लिए एक प्रभावी और निम्न लागत इन्टरप्राइज ई-मेल साफ्टवेयर सोल्यूशन है।

(ग) सेवाएं हाल ही में 3 जुलाई, 2001 को शुरू की गई हैं। इन सेवाओं के बारे में बहुत सी वाणिज्यिक पूछताछ की जा रही है। तथापि, बहुत कम समय पहले इसे शुरू किए जाने के कारण इससे होने वाली आय को निर्धारित करना कठिन है।

(घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान वी.एस.एन.एल. को इंटरनेट सेवाओं से प्राप्त राजस्व इसकी कुल राजस्व प्राप्ति का लगभग 5 प्रतिशत रहा है। संदर्भ सेवाओं से वी.एस.एन.एल. की इंटरनेट सेवाओं के लिए राजस्व में वृद्धि होने की अच्छी संभावना है।

[हिन्दी]

विभिन्न संगठनों के विरुद्ध शिकायतें

4026. **श्री रामजी लाल सुमन:**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में नई सड़कों के निर्माण के संबंध में विभिन्न संगठनों को निर्माण कार्य सौंपने और इस संबंध में प्रक्रिया अपनाने में अनियमितताओं की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों में लगाए गए आरोपों का पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन सरकारी संगठनों और निजी संगठनों के विरुद्ध अनियमितताएं बरतने के आरोप लगाए गए हैं; और

(घ) उक्त शिकायतों के अनुसार अनुमानित कितनी धनराशि का बजट प्रावधान किया जाना था?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और मे. आर. एस. बी. प्रोजेक्ट्स लि., मे. एस एम जे-आर के-एस डी (संयुक्त उद्यम), मे. यू वन महैया (संयुक्त उद्यम), मे. हो हुप सिम्पलैक्स (संयुक्त उद्यम), मे. टारमेट बैकबोन (संयुक्त उद्यम), मे. दिनेश चन्द्र अग्रवाल, मे. लैंको रानी (संयुक्त उद्यम), मे. प्रकाश अटलांटा (संयुक्त उद्यम), मे. एल. जी-एन सी सी (संयुक्त उद्यम), मे. सुम्बर मित्र जया, मे. एस एम जे-एन सी सी (संयुक्त उद्यम), और मे. टेक्नोलॉजी सप्लायर्स जी आई स्टील स्ट्रिप्स के विरुद्ध 15 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(घ) ऐसे मामलों के लिए कोई बजट अनुमान नहीं होता है।

[अनुवाद]

स्पीड पोस्ट का कार्यकरण

4027. श्री अधीर चौधरी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग द्वारा दी जा रही स्पीड पोस्ट सेवा गलत व्यापार कार्य में संलग्न है और निर्धारित अवधि के भीतर सामानों का वितरण नहीं करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा स्पीड पोस्ट सेवा के कार्यकरण पर कोई जांच करवाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा स्पीड पोस्ट सेवा के कार्यकरण को चुस्त-दुरुस्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) स्पीड पोस्ट मदों सामान्यतया विभाग द्वारा इस संबंध में निर्धारित वितरण मानकों के अनुसार वितरित की जाती हैं। फिर भी ऐसे अवसर होते हैं जब ऐसी मदों परिवहन की विफलता अथवा मानवीय चूक के कारण मानकों के अनुसार वितरित नहीं हो पाती हैं। ऐसे मामलों, विभाग द्वारा प्रेषक को पूरा स्पीड पोस्ट शुल्क लौटाया जाता है।

(ख) स्पीड पोस्ट मदों के विलंब से वितरण की एक आंतरिक जांच में मोनोप्लीज एण्ड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज कमीशन ने निर्णय दिया कि डाक विभाग दो स्पीड पोस्ट मदों को निर्धारित समय के भीतर वितरित करने के अपने दायित्व को पूरा नहीं कर सका और इसलिए सेवाएं संतोषजनक नहीं थीं।

(ग) मामले के तथ्य यह हैं कि 18.10.1994 को हौज खास डाकघर के सिलीगुड़ी और गांतोक के लिए बुक की गई दो स्पीड मदें सं. 3882 और 3883 वितरण मानकों के भीतर वितरित नहीं की जा सकीं। विलंब से वितरण के कारण इन दोनों मदों का स्पीड पोस्ट शुल्क 31/- रु. तथा 56/- रु. प्रेषक को वापस कर दिया गया। प्रेपक ने भी मोनोप्लीज एण्ड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज कमीशन को सूचित किया कि स्पीड पोस्ट शुल्क वापस मिलने से वे इस मामले में कार्रवाई नहीं चाहती हैं। तथापि, कमीशन ने इस मामले की जांच की ओर निदेश दिया कि डाक विभाग को पत्र/डाक मदों को स्वीकार करने की शर्तों से ग्राहक को अवगत कराए बगैर तथा उन्हें निर्धारित समय के भीतर वितरित न करके अनुचित व्यापार कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए।

(घ) डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट सेवाओं की कार्यप्रणाली को उन्नत बनाने के लिए पहले से ही निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) समर्पित कर्मचारियों के जरिए वितरण।

(2) वितरण का मशीनीकरण।

(3) ग्राहकों के परिसरों में नि:शुल्क पिक-अप सेवा।

(4) बुकिंग और वितरण का कम्प्यूटरीकरण।

(5) ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली की शुरूआत।

(6) गुणवत्ता की मानीटरिंग।

आई.जी.आई. एयरपोर्ट पर क्लोज सर्किट कैमरे लगाना

4028. श्री नरेश पुगलिया: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिचालन वाले क्षेत्रों में क्लोज सर्किट कैमरों की स्थापना के लिए पहले ही सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिचालन वाले क्षेत्रों में क्लोज सर्किट कैमरे स्थापित कर दिये गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं और क्लोज सर्किट कैमरे कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ङ) दुर्व्यवहार/कदाचार पर काबू पाने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त (सी.वी.सी.) ने हवाई अड्डों पर निगरानी से संबद्ध सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) प्रणाली के संस्थापन की सलाह दी थी। यद्यपि, दिल्ली हवाई अड्डे के प्रचालनात्मक क्षेत्र में निगरानी कैमरा संस्थापित करने के बारे में केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त से कोई विशिष्ट अनुदेश नहीं मिला है इस समय आई.जी.आई. के दिल्ली टर्मिनल 1ए, 1बी तथा टर्मिनल-2 पर निगरानी सी.सी.टी.वी. का प्रयोग किया जा रहा है दिल्ली हवाई अड्डे के प्रचालनात्मक क्षेत्र में निगरानी कैमरे के संस्थापन की इस समय कोई योजना नहीं है। यद्यपि, नियंत्रण कक्ष के प्रावधान के रूप से सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए निगरानी रखने के लिए सी.सी.टी.वी. संस्थापित किया गया है।

सितम्बर, 2001 के अंत तक इस हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन पर आप्रवासन एवं सुरक्षा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संस्थापित किए जाने की संभावना है। कैमरे के जरिए बैकेज ब्रेक अप तथा मेक-अप क्षेत्रों तथा शहरी दिशा के मोड को भी कवर किया जा रहा है।

जन उपयोगी सेवाओं के अंतर्गत उद्योग

4029. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा जुलाई, 2001 में कुछ निश्चित उद्योग की सेवाओं को जन उपयोगी सेवाएं घोषित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी घोषणा के क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) निम्नलिखित 4 उद्योगों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत जून, 2001 के दौरान सार्वजनिक उपभोगिता की सेवाएं घोषित किया गया है:-

(1) यूरानियम उद्योग;

(2) खनिज तैल, (कच्चा तैल) मोटर और उड्डयन, स्पिरिट, डीजल ऑयल, किरोसिन तैल, ईंधन तैल, डाइवर्स हाइड्रोजन तैल और उनके ब्लैन्ड, जिसमें सिन्थैटिक फ्यूल, लुब्रीकेटिंग तैल आदि शामिल हैं, के विनिर्माण या उत्पादन में लगे उद्योग;

(3) कॉपर खनन उद्योग; और

(4) लौह अयस्क खनन उद्योग

उपर्युक्त उद्योग को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाओं के रूप में सार्वजनिक हित में घोषित किया गया है।

गैर-अधिसूचित आपरेटरों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र

4030. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में घरेलू विमान सेवा शुरू करने हेतु कई गैर-अधिसूचित आपरेटरों को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और उनको परिचालन हेतु कौन-सी विमान सेवाएं दी गई हैं; और

(ग) उनके द्वारा भाड़े और शुल्क लगाने के लिए क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जी, हां। वैध प्रचालन परमिट धारी गैर-अनुसूचित आपरेटरों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गयी है। गैर-अनुसूचित (चार्टर) आपरेटर अपने बेहतर विवेक के आधार पर देश में किसी भी मार्गों/स्थानों पर प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) गैर-अनुसूचित आपरेटर अपने किरायों का सामंजस्य समय-समय पर मार्केट के रूख के आधार पर करते हैं।

विवरण

गैर-अनुसूचित आपरेटरों की सूची

1. एसीई एयरवेज प्रा.लि.
2. एरियल सर्विस प्रा.लि.
3. अग्नि-एरोस्पोर्टस एडवेंचर एकेडमी प्रा.लि.
4. अहमदाबाद एविएशन एकेडमी लि.
5. एयरवर्क्स इंदिरा इंजि. प्रा.लि.
6. एशिया एविएशन लि.
7. अजल इंडिया प्रा.लि.
8. ब्ल्यू डार्ट एविएशन लि. (कार्गो)
9. सेन्चुरी टेक्सटाइल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लि.
10. डेक्कन एविएशन प्रा.लि.
11. द्वारका एयर टैक्सी
12. एस्कोर्टस लि.
13. ईस्ट इंडिया होटल्स. दि ओबराय
14. राजस्थान सरकार
15. ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी
16. हिन्दुस्तान इन्सटिट्यूट आफ इंजि. टेक्नोलाजी
17. इंडिया इंटरनेशनल एयरवेज

18. इण्डो-पेसिफिक एविएशन

19. जगसन एयरलाइंस

20. जे.के. काप. लि.

21. कुदरेमुख आइरन ओरे को. लि.

22. मल्होतरा हेलिकॉप्टर्स

23. मेगापोड़े एयरलाइंस

24. मैस्को एयरलाइंस लि.

25. ओरियन्ट फ्लाइंग स्कूल

26. पवन हंस हेलिकॉप्टर्स लि.

27. राजपूताना एविएशन एकेडमी प्रा.लि.

28. रेमन्डस लि.

29. रिलायंस ट्रांसपोर्ट ट्रैवल्स. लि.

30. सहारा इंडिया एयरलाइंस

31. सराया एविएशन प्रा.लि.

32. स्पन एयर प्रा.लि.

33. तनेजा एरोस्पेस एण्ड एविएशन लि.

34. टाटा टी लि.

35. ट्रान्स भारत एविएशन

36. यू.बी. एयर

37. उत्तर प्रदेश एयरवेज

38. विद्युत ट्रैवल सर्विसेज

खानों में दुर्घटनाएं

4031. **श्री विजय गोयल:**
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.सी.सी.एल. और कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों की कोयला खानों में हाल ही में हुई दुर्घटनाओं के मद्देनजर खान सुरक्षा महानिदेशालय (डी.जी.एम.एस.) द्वारा कोयला और गैर-कोयला खानों में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेष सुरक्षा प्रबन्ध किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष 2001 के दौरान विभिन्न कोयला और गैर-कोयला खानों में खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा कराई गई प्रतिबंधित और अन्य प्रकार की जांच का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(घ) जांच रिपोर्ट के परिणाम का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) खान अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों में, खानों में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा के उपबंध विहित हैं। सुरक्षा संबंधी कानूनों की सतत् समीक्षा की जाती है और समय-समय पर उनमें संशोधन किया जाता है। खान सुरक्षा महानिदेशालय सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने के लिए प्रबंधन हेतु परिपत्रों के रूप में दिशानिर्देश भी जारी करता है। खान प्रबंधनों द्वारा इन उपबंधों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारी, सुरक्षा संबंधी उपबंधों के अनुपालन की स्थिति की निगरानी करने तथा चूक के मामले में खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत यथा प्रस्तावित कार्रवाई करने के लिए खानों का आवधिक रूप से निरीक्षण करते हैं।

पानी भर जाने का कारण भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की बागडिगी कोयला खदान में हुई दुर्घटना के पश्चात् खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा सभी खनन कंपनियों के लिए विशेष रूप से खान सीमाओं के पास कार्य करते समय तथा पुराने जल जमाव के आस-पास कार्य करते समय भूमिगत खानों के संबंध में सर्वेक्षण तथा यथेष्ट योजनाएं तैयार करने में यथार्थता के बारें में एक परिपत्र जारी कर दिया गया है।

विधायी उपायों के अलावा, खान सुरक्षा महानिदेशालय, कोयला खानों में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपायों को बढ़ावा दे रहा है:

(1) खान सुरक्षा सम्मेलन।

(2) प्रबंधन द्वारा स्व-विनियमन।

(3) सुरक्षा प्रबंधन में कर्मकार सहभागिता।

(4) विभिन्न स्तरों पर त्रिपक्षीय और द्विपक्षीय समीक्षा।

(5) कर्मकारों का प्रशिक्षण।

(6) सुरक्षा सप्ताह मनाया जाना तथा सुरक्षा अभियान चलाया जाना।

(7) राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार।

(ग) से (ङ) 1998-2001 के दौरान (जुलाई तक) खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा कोयला/गैर कोयला खानों में किए गए निरीक्षणों तथा जांच-पड़तालों की संख्या निम्नवत है:-

वर्ष	निरीक्षण	जांच-पड़ताल
1998	7457	9011
1999	9365	11193
2000	6592	7698
2001* (जुलाई तक)	2441 (कोयला)	489 (कोयला)

*अनंतिम

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कोयला तथा गैर कोयला खानों में हुई प्रत्येक घातक दुर्घटना की खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल की गयी है। दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी ठहराए गए व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की गयी है। कोयला खानों तथा गैर-कोयला खानों में घातक दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराए गए व्यक्तियों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई निम्नवत् है:

(क)	खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा की गयी कार्रवाई का प्रकार	1998	1999	2000	2001 जुलाई तक*
1.	प्रमाणपत्रों का निलम्बन/निरसन	0	1	0	0
2.	जारी की गयी चेतावनी	25	99	1	0
3.	चलाए गए अभियोजन	155	133	104	2
4.	दुस्साहस-कोई कार्रवाई नहीं	7	13	8	0
5.	की गयी अन्य कार्रवाई	12	9	0	0
(ख)	प्रबंधन द्वारा की गयी कार्रवाई				
1.	निलम्बित किए गए	73	66	36	0
2.	पदोन्नति से वंचित किए गए	3	8	2	0
3.	पदावनत किए गए	3	2	4	0
4.	स्थानांतरित किए गए	2	1	1	0
5.	वेतनवृद्धि रोकी गयी	17	21	13	0
6.	सेवाएं समाप्त की गयी	14	15	11	0
7.	प्रबंधन द्वारा चेतावनी दी गई	47	42	10	0
8.	अनुशासनिक कार्रवाई	6	4	2	0
9.	मृत कोई कार्रवाई नहीं	51	44	50	0

*आंकड़े अनंतिम हैं और कोयला खानों से संबंधित हैं।

[हिन्दी]

पर्यावरण विकास में लगे संगठन

4032. **डा. मदन प्रसाद जायसवाल:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्यावरण विकास में लगे उन संगठनों के क्या नाम हैं जो विदेशी सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इन संगठनों की गतिविधियों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मुम्बई के सेल्यूलर आपरेटर्स

4033. **श्री जी.एस. बसवराज:**
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई के सेल्यूलर आपरेटरों ने अति आकर्षक शुल्क योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली के आपरेटर उक्त योजना का अनुपालन नहीं कर रहे हैं;

(घ) दिल्ली में सेल्यूलर टेलीफोनों की शुल्क दर मुम्बई से किस हद तक भिन्न है;

(ङ) क्या सरकार ने दिल्ली के सेल्यूलर आपरेटरों से उक्त योजना का अनुपालन करने का निवेदन किया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर दिल्ली के सेल्यूलर आपरेटरों की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (च) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के टैरिफ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआईएआई) द्वारा उसके दूरसंचार टैरिफ आर्डर (टीटीओ), 1999 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं। ये टैरिफ मानक टैरिफ पैकेज के लिए हैं जिनकी पेशकश सदैव सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं को अवश्य की जाएगी। सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत मानक टैरिफ पैकेज मुम्बई और दिल्ली सहित सभी महानगरों में एक समान है।

मानक टैरिफ पैकेज के अलावा, सेवा प्रदाता, टीआरएआई के अनुमोदन के अध्यधीन वैकल्पिक टैरिफ पैकेज की पेशकश करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रत्येक आपरेटर कई वैकल्पिक पैकेज, जिनमें किराये की विभिन्न दरें और एयरटाइम प्रभार होते हैं, की पेशकश करते हैं। उपभोक्ता, मानक टैरिफ पैकेज सहित सभी टैरिफ पैकेजों में से कोई भी पैकेज चुनने के लिए स्वतंत्र हैं।

हाल ही की पिछली अवधि में मुम्बई और दिल्ली सहित विभिन्न सेवा क्षेत्रों में लिये जा रहे सेल्यूलर टैरिफ में समग्र रूप से कमी की गयी है। उदाहरण के तौर पर मुम्बई और दिल्ली के सेल्यूलर आपरेटरों द्वारा पेश की गयी एयरटाइम की कम दरों के साथ कुछ वैकल्पिक टैरिफ योजनाओं की मुख्य-मुख्य विशेषताएं नीचे दी गयी हैं:-

	बीपीएल मोबाइल मुम्बई	एचमैक्स, मुम्बई	भारती सेल्यूलर दिल्ली	स्टर्लिंग सेल्यूलर दिल्ली
मासिक किराया	395 रु.	395 रु.	400 रु.	395 रु.
एयर टाइम जावक (प्रति मिनट)	1/-रु.	1/-रु.	1.48 रु.	1.48 रु.
एयर टाइम आवक (प्रति मिनट)	शून्य	शून्य	1.48 रु.	1.48 रु.
मासिक प्रतिबद्धता	1999 रु.	1995 रु.	800 रु.	795 रु.

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकेगा कि मुम्बई में मासिक न्यूनतम प्रतिबद्ध प्रभार दिल्ली में उपलब्ध वैकल्पिक टैरिफ योजना की तुलना में अधिक है। इस प्रकार टैरिफ योजना में, जिसमें प्रभार के कई तत्व नामतः किराया, एयरटाइम और अन्य विशेषता जैसे मासिक न्यूनतम प्रतिबद्ध प्रभार शामिल होते हैं, विभिन्न टैरिफ योजना से उसकी तुलना करना कठिन है और यह भ्रामक हो सकता है।

इसके अतिरिक्त किसी विशेष सेवा क्षेत्र में किसी भी सेवा प्रदाता के लिए वैकल्पिक योजनाओं, जो देश के अन्य क्षेत्रों में भी उपलब्ध हों, को स्वीकार कर पाना अनिवार्य नहीं है। ऊपर यथा उल्लिखित सभी सेवा प्रदाता मानक पैकेज के अतिरिक्त किसी भी संख्या में वैकल्पिक टैरिफ योजनाओं, जो विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए उपयुक्त हों, की पेशकश करने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते कि वे योजनाएं ट्राई द्वारा अनुमोदित हों।

इंटरनेट सुविधा

4034. **श्री अजय सिंह चौटाला:**
श्री राजो सिंह:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उन शहरों के राज्यवार नाम क्या है, जहां वर्ष 2001-2002 के दौरान इंटरनेट सुविधा प्रदान की गई है/प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): इंटरनेट सुविधा-युक्त स्थानों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है। तथापि, अन्य सभी शहर स्थानीय कॉल आधार पर इंटरनेट से जुड़े हुए हैं।

विवरण

चालू वर्ष में आज तक प्रदान की गई इंटरनेट सुविधा

राज्य	शहर
1	2
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी।
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	आगरा, अलीगढ़, अमरोहा, बागपत, बरेली, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, एटा, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, हाथरस, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मोदीनगर, नोएडा, पीलीभीत, रामपुर, रूड़की, सहारनपुर।
तमिलनाडु	कोयम्बटूर, चेन्नै, कुडालोर, धर्मपुरी, इरोड, कांचीपुरम, कराईकुडी, कुम्भकोणम्, मुदरै, नागरकोइल, ऊटी, पाल्लीपलायम, सलेम, तंजावूर, तिरूनेलवेली, त्रिची, तिरूप्पुर, टूटीकोरिन, वेल्लोर, विरुदनगर।
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद, आदिलाबाद, अनंतपुर, कुड्डापाह, इलूरू, गुंटूर, कुरनूल, काकीनाड़ा, करीमनगर, खम्माम, महबूबनगर, नालगोंडा, नेल्लोर, निजामाबाद, अंगोल, राजमुंदरी, संगरेड्डी, श्रीकाकुलम्, तिरूपति, टंकू, विजनगरम्, विशाखापट्नम, वारंगल।
महाराष्ट्र	आर्वी, न्यू बाम्बे, मुम्बई, पुणे, नागपुर, अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, भंडारा, चन्द्रपुर, धुले, गढ़चिरोली, गोंदिया, हिंगोली, जलगांव, जालना, कल्याण, कोल्हापुर, खामगांव, लातूर, मडगांव, नांदेड़, नासिक, उस्मानाबाद, परभनी, रायगढ़, रत्नागिरि, सांगली, सतारा, सोलापुर, वर्धा, यवतमाल।
उड़ीसा	भुवनेश्वर, बालासोर, बारीपद, बेहरामपुर, भवानीपट्टन, बोलनगीर, कटक, धेनकानल, क्योंझर, कोरापुट, फुलबनी, राउरकेला, संबलपुर।
गुजरात	गांधीनगर, अहमदाबाद, अंकलेश्वर, अमरेली, आनन्द, भड़ूच, भावनगर, भुज, गांधीधाम, हिम्मतनगर, जामनगर, जूनागढ़, मेहसाना, पालनपुर, राजकोट, सेननगर, सूरत, सुंदेमापुर, वी.वी. नगर, वलसाड़, वापी, वडोदरा।
कर्नाटक	बंगलूर, बागलकोट, बेलगाम, बेल्लरी, बीदर, बीजापुर, कामराज नगर, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, गडग, गुलबर्गा, हासन, कावेरी, हुबली, कोडागु, कोलार, कोपाल, मांड्या, मंगलोर, मैसूर, रायचूर, शिमोगा, तुमकुर, उडीपी, उत्तरी कन्नड।

1	2
पश्चिम बंगाल	कोलकाता, दुर्गापुर, गीजिंग, हल्दिया, मालदा, मंगन, नामची, रायगंज, सिलीगुड़ी, सूरी, खड्गपुर, बांकुरा, पुरूलिया, कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, बैलूरघाट, कृष्णानगर।
मध्य प्रदेश	भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर।
राजस्थान	जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, कांकरौली, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, श्री गंगानगर, टोंक।
केरल	अल्लेपी, कालीकट, कोचीन, एर्नाकुलम्, इडूकी, कुन्नूर, कावारती, कोल्लम्, कोट्टायम्, पालघाट, पट्नमथिट्टा, तिरूवनंतपुरम्, तिरूवेल्ला, त्रिचूर।
पंजाब	अमृतसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, पटियाला,
चंडीगढ़	चंडीगढ़
बिहार	पटना, आरा, बेगूसराय, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, कटिहार, खगड़िया, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पुर्णिया, सहरसा, सासाराम।
जम्मू-कश्मीर	जम्मू, श्रीनगर, ऊधमपुर, राजौरी, लेह।
उत्तर-पूर्वी राज्य	मेघालय, शिलांग, त्रिपुरा (अगरतला), अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड।
झारखंड	जमशेदपुर, रांची, धनबाद, दुमका, डाल्टनगंज, हजारीबाग।
उत्तरांचल	अल्मोड़ा, हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून।
हरियाणा	अंबाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, करनाल, पानीपत।
असम	बेरपाटा, बोंगईगांव, धुबरी, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, गुवाहाटी, जोरहाट, करीमगंज, नौगांव, उत्तर लखीमपुर, शिवसागर, सिल्चर तेजपुर, तिनसुकिया।
अंडमान	पोर्ट ब्लेयर
सिक्किम	गंगटोक
हिमाचल प्रदेश	शिमला
पांडिचेरी	पांडिचेरी
गोवा	गोवा
दिल्ली	दिल्ली

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सिंचाई सुविधाएं

4035. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने हेतु केन्द्र सरकार के पास कितने प्रस्ताव लम्बित हैं;

(ख) चालू वर्ष के दौरान द्रुत सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत कितने प्रस्तावों को स्वीकृत किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकार को कितनी राशि दिये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) मध्य प्रदेश में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए आठ प्रस्ताव मूल्यांकन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(ख) और (ग) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के मापदण्डों को पूरा करने वाली तथा राज्य द्वारा प्रस्तावित उन चल रही सिंचाई परियोजनाओं के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत ये आबंटन किए जाते हैं बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों तथा इन परियोजनाओं के लिए राज्य द्वारा अपने संबंधित वार्षिक योजनाओं में बजट परिव्यय का प्रावधान किया गया हो और योजना आयोग द्वारा संबंधित वर्ष के लिए निर्धारित केन्द्रीय ऋण सहायता की राज्य सीमा, जो वर्ष 2001-2002 के लिए 205.00 करोड़ रुपये है, को ध्यान में रखा गया हो।

[अनुवाद]

पुलों और काष्ठ पुलों का पुनर्निर्माण/रख-रखाव

4036. श्रीमती रानी नरह: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नैनीताल राजमार्ग संख्या-52 पर पुलों और काष्ठ पुलों के पुनर्निर्माण और रख-रखाव का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(घ) क्या नैनीताल राजमार्ग सं.-52 को दो लेन में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू किए जाने और पूरा कर दिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) से (ग) जी, हां। वार्षिक योजना 2001-2002 में 18.13 करोड़ रु. की लागत से काष्ठ के 7 पुलों का पुनर्निर्माण और 1.08 करोड़ रु. की लागत से 4 पुलों का पुनरुद्धार शामिल है। धनराशि की उपलब्धता के अंतर्गत काष्ठ के पुलों सहित विद्यमान पुलों का रख-रखाव किया जा रहा है। धनराशि का आबंटन राज्य-वार किया जाता है न कि कार्य-वार।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-52 की कुल 873 कि.मी. लंबाई में से 345 कि.मी. में पहले से ही 2 लेन है। शेष लंबाई को धनराशि की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर चौड़ा किया जाएगा। इस कार्य के शुरू होने और पूरा होने के बारे में अभी बता पाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

झारखंड में खनिज भंडार

4037. प्रो. दुखा भगत: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) ने नए खनिज संसाधनों की तलाश हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां खनिज पाए गए हैं और इन खनिजों का ब्यौरा क्या है और इसकी अनुमानित मात्रा कितनी है;

(घ) सरकार द्वारा इन खनिजों का कब तक दोहन करने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस कार्य में निजी भागीदारी आमंत्रित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील): (क) जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने, पिछले तीन वर्षों के दौरान, झारखंड के विभिन्न भागों में आधार धातुओं, स्वर्ण, निकिल, दुर्लभ खनिजों, कोयला हेतु अनेक खनिज अन्वेषण तथा आयामी पत्थर हेतु संसाधन सर्वेक्षण किए हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 1998-2001 के दौरान, निम्नलिखित खनिजों के लिए, निम्नवत ब्यौरे के अनुसार, गवेषण कार्य किया गया:-

- भाटिन-राजदाह क्षेत्र, छोटा जामजोरा क्षेत्र एवं मौडा के समीप आधार धातु,
- मोरचागोरा-जैकन एवं कुन्दादौक्काम क्षेत्र, सिंहभूम समूह मेटासेडिमेंट्स एवं डाल्मा वोल्कानिक्स में स्वर्ण,
- सासडिह एवं रेहाकोचाटला पूर्व सिंहभूम पट्टी में निकिल,
- उत्तर पुरूलिया शीयर जोन, रांची जिले के हिस्सों में आर.ई.ई. एवं आर.एम. खनिजीकरण की खोज हेतु एक कार्यक्रम-दुर्लभ धातु,
- दुमका, देवधर, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, लोहरदगा, गुमला, रांची, पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिमी सिंहभूम जिलों में आयामी पत्थर; एवं
- झारखंड के बोकारो, हजारीबाग एवं दुमका जिलों में कोयला।

(घ) से (च) चूंकि अन्वेषण प्राथमिक चरण में हैं अत: खनिजों/संसाधनों का निष्कर्षण उनकी आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा (3) की उपधारा (1) में परिभाषित कोई कंपनी या कोई भारतीय नागरिक

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, खनन पट्टा प्राप्त करने के बाद खनिज निक्षेपों का विदोहन करने के लिए स्वतंत्र है।

सड़कों की निर्माण लागत

4038. श्री नवल किशोर राय:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सड़क निर्माण कार्य निजी क्षेत्र को देने के पूर्व सड़कों के निर्माण लागत का अनुमान लगाया था;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के विशाल आधार के अतिरिक्त स्थानों की विविधता और परिस्थितियों के मद्देनजर सड़क निर्माण की लागत स्थान-स्थान पर बदलने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो सड़क निर्माण के विस्तृत अनुमान की तैयारी हेतु कई समूह गठित किये गये है; और

(घ) प्रत्येक समूह के लिये सड़क निर्माण की कितनी लागत निर्धारित की गयी है और उन संस्थानों के नाम क्या हैं जिन्होंने अनुमान तैयार किये हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सरकार निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर तथा वार्षिकी भुगतान आधार पर निजी क्षेत्र को कुछ सड़क परियोजनाएं सौंप रही है। इन परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्र के पक्षकारों द्वारा जो निर्माण पर व्यय करते हैं, लागत प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। तथापि, भा.रा.रा.प्रा. द्वारा भी निजी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा दी गई निविदाओं के सत्यापन के लिए परामर्शदाताओं के माध्यम से प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। ये प्राक्कलन परियोजना विशिष्ट होते हैं तथा स्थान, प्रदान की जा रही सुविधाओं आदि के आधार पर परियोजना दर परियोजना भिन्न-भिन्न हो सकते हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31, 34 और 35 के लिये कार्य योजना

4039. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल राज्य में कभी-कभी बाढ़ आने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31, 34 और 35 को भारी क्षति पहुंचती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बाढ़ के दौरान जल स्तर से इन राष्ट्रीय राजमार्गों के स्तर को ऊपर उठाने हेतु सरकार द्वारा विचार की जा रही विशेष योजना का ब्यौरा क्या है और शेष देश से पूर्वोत्तर की ओर यातायात को समाहित करने हेतु इस विस्तार का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े पश्चिम बंगाल के माल्दा और उत्तर दिनाजपुर जिले इस संबंध में गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि बाढ़ के कारण पश्चिम बंगाल में रा.रा. सं. 31, 34 और 35 को कभी-कभी नुकसान पहुंचता है। इस वर्ष अब तक किसी गंभीर नुकसान की सूचना नहीं है।

(ग) इन राष्ट्रीय राजमार्गों के निचले खंडों को ऊंचा उठाने के लिए अभी किसी विशेष योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है। यातायात के कुशल आवागमन हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के लिए 1999-2000 से अब तक 78 करोड़ रु. के कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बाई पासों का निर्माण

4040. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों विशेषकर केरल से बाई पासों के निर्माण के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्माणाधीन बाई पास परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) जी हां। विभिन्न राज्यों में बाइपासों के निर्माण के लिए चालू वार्षिक योजना (2001-2002) में शामिल 9 प्रस्तावों में से 2 प्रस्ताव आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। अन्य कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) कार्यस्थल की समस्या, उपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण, संविदा संबंधी समस्या आदि निर्माणाधीन बाइपासों को पूरा करने में देरी के प्रमुख कारण हैं।

[हिन्दी]

इलाहाबाद में बाई पासों का निर्माण

4041. राजकुमारी रत्ना सिंह: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलाहाबाद में एक बाई-पास का निर्माण प्रस्तावित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त बाई-पास का निर्माण किस स्थान पर किये जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी हां।

(ख) से (घ) रा.रा. 2 के 158 कि.मी. (कोखराज) से 245 कि.मी. (हंडिया) तक प्रस्तावित इलाहाबाद बाइपास राष्ट्रीय विकास परियोजना के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा है और यह कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद तीन जिलों से गुजरता है। भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण संबंधी स्वीकृति आदि के लिए आवश्यक समय को ध्यान में रखते हुए इसे पूरा करने की कोई निश्चित तारीख नहीं दी जा सकती।

घरेलू नौकर

4042. श्री मनसुखभाई डी. वसावा: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू नौकर के रूप में काम कर रहे बच्चे बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत आते हैं;

(ख) यदि हां, तो 1981 और 1991 की जनगणना के अनुसार कितने बाल श्रमिक घरेलू कार्यों में लगे हुए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बाल श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार और उनके यौन शोषण के कितने मामले सरकार के ध्यान में लाए गये हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की अनुसूची में सूचीबद्ध 13 व्यवसायों और 57 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध है। उक्त अनुसूची में घरेलू नौकर शामिल नहीं हैं। सरकार ने 14.10.99 को केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 में इस आशय का प्रावधान/नियम जोड़कर एक अधिसूचना जारी कर दी है कि "कोई भी सरकारी कर्मचारी 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कार्य करने के लिए नियोजित नहीं करेगा।"

(ख) और (ग) दसवर्षीय जनगणना के दौरान कामकाजी बच्चों की संख्या के संबंध में प्रामाणिक सूचना एकत्र की जाती है। 1991 की जनगणना के अनुसार, देश में कामकाजी बच्चों की संख्या 1.12 करोड़ है। घरेलू कार्य में लगे बाल श्रमिकों की संख्या के संबंध में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

दूरसंचार सुविधा

4043. डा. बलिराम: क्या **संचार मंत्री** दूरभाष केन्द्र और डाकघर खोला जाना के बारे में 12 मार्च, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2085 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ठेकमा टेलीफोन एक्सचेंज की विभागीय इमारत की वर्तमान में क्या दशा है;

(ख) क्या अभी तक 1000 लाइनों वाला सी-डॉट एक्सचेंज तैयार हो चुका है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(घ) उक्त एक्सचेंज में वर्तमान में टेलीफोन कनेक्शन पाने हेतु कितने व्यक्ति प्रतीक्षा-सूची में हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त एक्सचेंज के अंतर्गत प्रतीक्षा-सूची समाप्त करने और प्रत्येक गांव में केबल लाइन बिछाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) विभागीय इमारत तैयार है। पर्यावरणीय कार्य प्रगति पर है।

(ख) और (ग) 1000 लाइनों वाले सी-डॉट एक्सचेंज को संस्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। एक्सचेंज के नवम्बर, 2001 तक चालू हो जाने की संभावना है।

(घ) और (ङ) ठेकमा एक्सचेंज के तहत टेलीफोन कनेक्शनों के लिए इस समय 324 आवेदकों की प्रतीक्षा सूची है। एक्सचेंज संस्थापना के साथ ही केबल बिछाने का कार्य चल रहा है ताकि एक्सचेंज क्षेत्र को तकनीकी रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके। प्रतीक्षा सूची को एक्सचेंज चालू होने से एक माह के भीतर निपटा दिए जाने की आशा है।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर सुरक्षा कवर

4044. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू विमानपत्तनों पर तैनात सुरक्षा कवर को और मजबूत किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने विमानपत्तनों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती में वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सुरक्षा को किस सीमा तक मजबूत किया गया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) भारत में सभी अन्तर्राष्ट्रीय/अंतर्देशीय हवाई अड्डों पर सुरक्षा प्रबंध अन्तर्राष्ट्रीय मानकों और अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार किए जाते हैं।

(ख) और (ग) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो विभिन्न हवाई अड्डा पर संरक्षा कार्मिको की आवश्यकताओं का आंकलन करता है जो उनकी संवेदनशीलता पर निर्भर करती है। गृह मंत्रालय ने कुछ अधिक संवेदनशील हवाई अड्डों पर त्वरित कार्रवाई बल की व्यवस्था करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं। राज्य सरकारों से भी विशेष रूप से पैरामीटर के साथ-साथ ऐप्रन क्षेत्रों में गश्त करते हुए हवाई अड्डों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

(घ) इकाओ द्वारा अनुबंध-17 में निर्धारित सभी सुरक्षा उपायों को कड़ाई से लागू किया जाता है। उठाए जाने वाले कदमों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं-

1. विमान में सवार होने से पहले यात्रियों और हाथ के सामान की जांच।
2. यात्रियों के हवाई जहाज में चढ़ते समय सीढ़ियों पर सुरक्षा जांच।
3. यदा-कदा आधार पर चुने हुए मार्गों पर स्काई मार्शलों की तैनाती।
4. चरणबद्ध तरीके से सुरक्षा ड्यूटियो के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती।
5. चुने हुए हवाई अड्डों पर त्वरित कार्रवाई बल की तैनाती।

गुवाहाटी विमानपत्तन का उन्नयन

4045. श्री विनय कुमार सोराके:
श्री के.ए. सांगतम:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुवाहाटी विमानपत्तन का उन्नयन कर उसे अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन होने के बावजूद यहां से एक भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नहीं भरी जाती है;

(घ) क्या किसी भी विदेशी विमान कंपनी ने गुवाहाटी को व गुवाहाटी से उड़ान शुरू करने में रूचि नहीं दिखाई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इंडियन एयरलाइंस देश के कई विमानपत्तनों से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करती है और यदि हां, तो क्या ये उड़ानें व्यवसायिक रूप से व्यवहार्य हैं;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने गुवाहाटी के लिये पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रीय यातायात की संभाव्यता हेतु कोई बाजार सर्वेक्षण कराया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या इंडियन एयरलाइंस का विचार गुवाहाटी से काठमांडू, बैंकाक आदि जैसे स्थानों के लिये उड़ानों का संचालन आरम्भ करने का है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) गुवाहाटी हवाई अड्डे को पहले ही अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जा चुका है।

(ग) और (घ) अभी तक किसी भी एयरलाइन ने गुवाहाटी हवाई अड्डे से प्रचालन करने में रूचि नहीं दिखाई है।

(ङ) जी, हां।

(च) और (छ) समय-समय पर एयरलाइनों द्वारा मार्केट सर्वेक्षण/यातायात अध्ययन करवाए जाते हैं। आर्थिक साध्यता और यातायात संभाव्यता के आधार पर किसी भी हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को आरंभ करने का निर्णय उनके स्वयं के द्वारा लिया जाता है।

(ज) और (झ) इंडियन एयरलाइंस का इस समय गुवाहाटी हवाई अड्डे से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों को आरंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

समुद्री तट रेखा की सफाई

4046. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में उत्तरी गोवा की समुद्री तटरेखा के प्रमुख तट काले पड़ गये थे;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) समुद्री तट रेखा की सफाई करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) मई, 2001 के माह में एरोमबोल, केन्डोलिम और सिक्योरियम के उत्तरी समुद्री तटों से लेकर वरक्का और मोबोर के दक्षिणी समुद्रीतटों तक गोवा के समुद्रीतटों पर तैलीय अवसाद, टारबाल्स और अन्य तेलीय पदार्थों को बहाये जाने की घटनाएं हुई थी। ये तैलीय पदार्थ समुद्र में टैंकर धोने, दुर्घटनाओं और गल्फ देशों से तेल टैंकरों के आने जाने के रास्ते पर अरेबिन समुद्र में हुए रिसाव से आए हैं। मारमागोवा के प्रमुख पत्तन और अन्य छोटे पत्तनों में या उनके आस-पास मछली पकड़ने की नौकाओं और अन्य पोतों से तेल की थोड़ी मात्रा गिरने से भी समस्या बढ़ी है।

(ग) गोवा राज्य सरकार ने कुछ अवसरों पर इन समुद्र तटों की सफाई करवाई है। गोवा सरकार ने बताया है कि कुछ समय में ये तैलीय अवसाद और अन्य तैलीय पदार्थ जैव अवक्रमण वाष्पीकरण के कारण लुप्त हो जाएंगे तथा समुद्र भी इन्हें वापिस बहा ले जाएगा।

मुम्बई-बडोदरा के बीच उड़ानें

4047. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बहुत जल्द मुम्बई-बडोदरा के बीच की दैनिक उड़ान को बंद करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार राजकोट-बडोदरा-मुम्बई और मुम्बई-बडोदरा-राजकोट क्षेत्र में दैनिक उड़ान शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) 1 जुलाई, 2001 से पूर्व, एलायंस एयर मुम्बई-बडोदरा-राजकोट-मुम्बई सेक्टर पर एक दैनिक बी-737 सेवा का प्रचालन कर रही थी। कमजोर सीजन और कम यात्री मांग के कारण, एलायंस एयर द्वारा 1 जुलाई से 31 अगस्त, 2001 तक इस सेवा को बन्द कर दिया गया है। एलायंस एयर की 1 सितम्बर, 2001 से इस सेवा की मुम्बई-बडोदरा-मुम्बई मार्ग पर पुन: आरंभ करने की योजनाएं है।

(ख) और (ग) राजकोट-बडोदरा-मुम्बई सेक्टर और वापसी पर एक दैनिक उड़ान के प्रचालन के लिए इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, एयरलाइन आपरेटर मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन तथा वाणिज्यिक साध्यता के आधार पर किसी भी सेक्टर में प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र है।

[हिन्दी]

मानव श्रम शक्ति के उपयोग में कमी

4048. श्री रतन लाल कटारिया:
डा. चरणदास महंत:
श्री रामेश्वर डूडी:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में सुधारों के दूसरे चरण, उदारीकरण और आर्थिक सुधारों के पश्चात् बहुतायत में उपलब्ध श्रम शक्ति के उपयोग में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्पादन प्रक्रिया में मशीनीकरण का प्रयोग बढ़ गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उदारीकरण और विभिन्न सुधारों की प्रक्रिया में कामगारों के कल्याण और उनके हित में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ङ) इस बात के कोई प्रमाण नहीं हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि दूसरी पीढ़ी के सुधारों, उदारीकरण तथा आर्थिक सुधारों के कारण विशाल श्रम बल का उपयोग घटा है। उद्योगों में आधुनिकीकरण और मशीनों के उन्नयन की प्रक्रिया चलती रहती है ताकि वे विश्व बाजार में प्रतिस्पर्द्धा योग्य बने रह सकें। सरकार श्रमिकों के हितों के संरक्षण की जरूरत के प्रति सजग है और इसने द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया है ताकि बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में श्रमिकों के हितों की सुरक्षा की जा सके।

[अनुवाद]

दूरसंचार फैक्टरियां

4049. डा. वी. सरोजा: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के लिए खड़गपुर, जबलपुर और मुम्बई स्थित दूरसंचार फैक्टरियों के लिए क्या उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किये गये थे;

(ख) इन लक्ष्यों को किस सीमा तक हासिल किया गया; और

(ग) इन फैक्टरियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के लिए दूरसंचार फैक्टरियों के लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे दर्शायी गयी हैं:-

(करोड़ रु. में)

फैक्टरी	1999-2000			2000-2001		
	लक्ष्य	उपलब्धि	% उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	% उपलब्धि
खड़गपुर	5.00	4.09	81.8%	7.50	6.71	89.5%
जबलपुर	70.00	70.99	101.4%	64.00	56.19	87.8%
मुम्बई	80.00	72.00	90.0%	89.00	79.63	89.5%

(ग) 1 अक्तूबर, 2000 से दूरसंचार विभाग के निगमीकरण के परिणामस्वरूप, नए निगमित निकाय भारत संचार निगम लिमिटेड को दूरसंचार फैक्टरियां संचालित करने का कार्य सौंपा गया है। भारत संचार निगम लिमिटेड ने इन फैक्टरियों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं। इन कदमों में निम्नांकित शामिल हैं:- (1) केबल टर्मिनेशन बाक्स, डिस्ट्रीब्यूशन प्वायंट बाक्स, लाइन जैक यूनिटों जैसे मदों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 4.5 करोड़ रुपये मूल्य के नये संयंत्र और मशीनरी की खरीद (2) विशेष रूप से सामग्री प्रबंधन, उत्पादों के विकास और विपणन के लिए वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की तैनाती और (3) संयंत्र के बेहतर उपयोग के लिए दूरसंचार फैक्टरी खड़गपुर में हाई वैल्यू कास्टिंग्स का विनिर्माण।

आंध्र प्रदेश में एन.एच.डी.पी. के अंतर्गत कार्य

4050. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत कोई काम शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज की तिथि तक कितनी धनराशि निर्धारित और जारी की गई व अभी तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी हां।

(ख) चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में रा.रा.वि. परि. पर कुल लगभग 1152 कि.मी. के लिए परियोजनाएं चल रही हैं।

(ग) आंध्र प्रदेश में चालू परियोजनाओं की अनुमानित लागत लगभग 4700 करोड़ रु. है। 31 जुलाई, 2001 तक किया गया व्यय लगभग 513 करोड़ रु. है।

[हिन्दी]

झारखण्ड की जल संसाधन परियोजनाएं

4051. श्री ब्रजमोहन राम: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को झारखंड सरकार से जल संसाधन परियोजनाओं से संबंधित कोई प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें से कितनी परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं और उन्हें स्वीकृति प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) झारखंड का गठन होने के पश्चात् झारखंड सरकार ने कोई भी नया वृहद या मध्यम परियोजना प्रस्ताव तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए नहीं भेजा है। तथापि, विभाजन से पूर्व बिहार की तत्कालीन सरकार ने 11 नई सिंचाई/बहुउद्देश्यीय परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। इनमें से निम्न 7 परियोजनाएं झारखंड में आती हैं:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मूल्यांकन की स्थिति
1	2	3
1.	पुनासी जलाशय	बी
2.	सुवर्णरेखा बहुउद्देश्यीय परियोजना	बी
3.	सिकतिया बैराज (अजोय बैराज)	बी
4.	अपर सकरी जलाशय	बी
5.	कंहार जलाशय परियोजना	ए
6.	उत्तरी किउल जलाशय परियोजना	बी
7.	कोनार सिंचाई परियोजना	बी

ए- राज्य सरकार के साथ पत्राचार चल रहा है।

बी- कुछ टिप्पणियों के साथ जल संसाधन मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति ने स्वीकार किया है।

इन परियोजनाओं की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों का तत्काल अनुपालन करने पर निर्भर करती है।

आल इंडिया वूमन फुटबाल फेडरेशन की मान्यता समाप्त करना

4052. श्री कीर्ति झा आजाद: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फुटबाल फेडरेशन जिसे पूर्व में आल इंडिया वूमन फुटबाल फेडरेशन के नाम से जाना जाता था की मान्यता वर्ष 1991 में समाप्त कर दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योग राधाकृष्णन): (क) और (ख) भारतीय महिला फुटबाल परिसंघ (डब्ल्यू.एफ.एफ.आई.) की मान्यता 11 सितम्बर, 1991 को समाप्त कर दी गयी थी क्योंकि यह डब्ल्यू.एफ.एफ.आई. के अखिल भारतीय फुटबाल परिसंघ (ए.आई.एफ.एफ.) के साथ विलय के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय फुटबाल परिसंघ (एफ.आई.आई.ए.) के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं कर पाया था। तथापि, डब्ल्यू.एफ.एफ.आई. ने तत्पश्चात्, दिनांक 14 दिसम्बर, 1996 को अखिल भारतीय फुटबाल परिसंघ (ए.आई.एफ.एफ.) के साथ विलय करने का निर्णय लिया था।

[अनुवाद]

कोल्हापुर विमानपत्तन का आधुनिकीकरण और उन्नयन

4053. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कोल्हापुर विमानपत्तन के आधुनिकीकरण/उन्नयन हेतु संसद सदस्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) कोल्हापुर हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण/स्तरोन्नयन के लिए हाल ही में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। इस हवाई अड्डे को विकास व प्रचालन के लिए दिनांक 1.2.1997 से 15 वर्ष की अवधि के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार को दे दिया गया है।

उच्च प्रशिक्षण संस्थान, गिंडी

4054. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास गिंडी, चैन्नई में उच्च प्रशिक्षण संस्थान के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कर्मचारियों की वर्तमान संख्या कितनी है और उक्त संस्थान में श्रेणी-वार कितनी संभावित नियुक्तियां की जाएंगी?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उच्च प्रशिक्षण संस्थान, गिंडी की स्वीकृति श्रेणीवार स्टाफ संख्या निम्न प्रकार है:-

समूह क	-	30
समूह ख	-	12
समूह ग	-	44
समूह घ	-	24

संस्थान की श्रेणी-वार वर्तमान स्टाफ संख्या निम्न प्रकार है:

समूह क	-	23
समूह ख	-	6
समूह ग	-	40
समूह घ	-	21

रिक्तियों का भरा जाना संगत भर्ती नियमों के माध्यम से चयनित उपयुक्त उम्मीदवारों की उपलब्धता तथा सरकार द्वारा बचत उपायों के रूप में प्रतिबंध आदेश लगे पदों को पुनरूज्जीवित किए जाने पर निर्भर करता है।

भूमंडलीय तापमान में वृद्धि का प्रभाव

4055. श्री जगन्नाथ मलिक: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के मौजूद होने के कारण भूमंडल के बढ़ते तापमान से पड़ने वाले प्रभावों से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस कारण जलवायु में परिवर्तन के किन्हीं प्रभावों को पाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और सावधानियां बरती गई है;

(घ) क्या अत्याधिक औद्योगिकीकरण और वनों की अधिक कटाई भी भारत में भूमंडलीय तापमान में वृद्धि का कारक बनी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या भारतीय उद्योग अपशिष्ट पदार्थों के शोधन और जलनिकास हेतु केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों का अनुपालन कर रहे हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इन चूककर्त्ताओं के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) सरकार द्वारा उठाए गए उपायों में वैद्युत क्षेत्र में सुधार, बड़े पैमाने पर वनीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी में पर्याप्त क्षमता बढ़ाने, ईंधन अपना कर उद्योगों में ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा संरक्षण और वाहन उत्सर्जन मानकों का उन्नयन तथा जलवायु परिवर्तन और अनुकूलन के प्रभावों की जानकारी में वृद्धि करने के अध्ययनों के माध्यम से ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जनों की वृद्धि को रोकने के उपाय शामिल हैं।

(ख) से (ङ) उन्नत क्षेत्रीय जलवायु माडलिंग जो राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अध्ययन के लिए तथा विश्व उष्णता पर औद्योगिकीकरण और वनोन्मूलन के प्रभाव की जानकारी के लिए अपेक्षित हैं फिलहाल भारत में उपलब्ध नहीं हैं।

(च) और (छ) भारतीय उद्योगों से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदण्डों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है और मानदण्डों के उल्लंघन की घटनाएं जब भी सरकार के ध्यान में लाई जाती हैं, उन पर कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों को रद्द किया जाना

4056. श्री के.ए. सांगतम: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेषकर दीमापुर, नागालैंड में इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानें अक्सर रद्द कर दी जाती है और यात्रियों को पंचतारा होटलों में ठहराया जाता है जिसके परिणामस्वरूप राजकोष/इंडियन एयरलाइंस/अनुषंगी कम्पनियों को भारी घाटा उठाना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले छह माह के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौन-कौन सी उड़ानें रद्द की गई हैं और इस पर राज्य-वार कितना व्यय हुआ;

(ग) क्या इस संबंध में अब तक कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) इसमें संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) औसत रूप से इंडियन एयरलाइंस प्रति माह पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 152 उड़ानों का प्रचालन करती है जिसमें से औसत रूप से 7 उड़ानों को रद्द किया गया।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि पिछले छ: महीनों के दौरान रद्द की गयी 41 उड़ानों में से 28 उड़ानों को गंतव्य स्थानों/मार्ग में खराब मौसम, दीमापुर में दिक्चालनात्मक सुविधाओं इत्यादि की अनुपलब्धता, ऐजवाल और इम्फाल इत्यादि पर ईंधन की अनुपलब्धता जैसे कारणों से रद्द करना पड़ा जो इंडियन एयरलाइंस के नियंत्रण से बाहर थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोई भी पांच सितारा होटल नहीं है। तथापि इंडियन इयरलाइंस की उड़ानों पर यात्रियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रत्येक शहर में उपलब्ध बेहतर होटलों में ठहराया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

डब्ल्यू.एल.एल. उपकरण की आपूर्ति

4057. श्री चाई.वी. राव: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में लगभग ऐसे सात हजार गांव हैं जिन्हें अभी टेलीफोन लाइनों से नहीं जोड़ा गया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार आंध्र प्रदेश दूरसंचार केन्द्र को वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) उपकरणों की आपूर्ति करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) आंध्र प्रदेश के 6059 गांवों में अभी भी टेलीफोन सुविधा प्रदान की जानी है। इन सभी गांवों में निजी बुनियादी सेवा प्रचालक द्वारा दूरसंचार सुविधा प्रदान की जायेगी।

(ख) और (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए और दोषपूर्ण मल्टी-एक्सेस रेडियो रिले (एम.ए.आर.आर.) आधारित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) को बदलने के लिए आंध्र प्रदेश को डब्ल्यू.एल.एल. प्रणाली की 13,000 लाइनें आवंटित की गयी हैं। उपस्कर की आपूर्ति दिसम्बर, 2001 के अंत तक किये जाने की संभावना है।

कृष्णा नदी जल संबंधी विवाद

4058. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने योजना "बी" के तहत कृष्णा नदी के जल में कर्नाटक के हिस्से के उपयोग के बारे में अन्तिम निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह निर्णय विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) स्कीम "बी" कृष्णा जल विवाद

अधिकरण के अंतिम आदेश का एक भाग नहीं है इसलिए इस विषय पर केन्द्र सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने या इस विषय पर अंतिम निर्णय लेने का प्रश्न नहीं उठता।

अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों को उड़ानों के प्रचालन हेतु अनुमति

4059. डा. मन्दा जगन्नाथ:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय कैरिअर अर्थात् पीस एअर, श्रीलंका एयरलाइंस, स्विटजरलैंड और ब्रिटिश एयरवेज जिनेवा और लंदन से हैदराबाद तक उड़ानें शुरू करने में अपने रुचि कम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से अपनी अनुमति देने हेतु अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (घ) स्विटजरलैंड, श्रीलंका और यूनाइटिड किंगडम की नामित विमान कंपनियों ने हैदराबाद के लिए/से सेवाओं के प्रचालन में रुचि दिखाई है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने भी हैदराबाद और लन्दन और जेनेवा के बीच एक सीधी उड़ानों के आरंभ करने का अनुरोध किया है। स्विटजरलैंड, श्रीलंका और यूनाइटिड किंगडम की नामित विमान कंपनियों को इस समय हैदराबाद एक अवतरण स्थल के रूप में उपलब्ध नहीं करवाया गया है और इस प्रकार के मामलों पर सरकारी स्तर की विमान सेवा पर परामर्शों के दौरान विचार-विमर्श किया जाता है। पीस एयर को स्विटजरलैंड की सरकार ने भारत और उस राष्ट्र के बीच सेवाओं के प्रचालन के लिए अभी तक नामित नहीं किया है।

[हिन्दी]

एअर इंडिया द्वारा उड़ानें रद्द करना

4060. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार एअर इंडिया की कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें विभिन्न कारणों से रद्द की गई थी अथवा विलंबित हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप कितने राजस्व का घाटा हुआ है;

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति के लिए जिम्मेवार एअर इंडिया के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नाल्को को दिशानिर्देश

4061. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय अल्युमिनियम कम्पनी (नाल्को) उड़ीसा में "डाउनस्ट्रीम" अल्युमिनियम उत्पादों के उत्पादन में लगे लघु उद्योगों की अवहेलना करती रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा नाल्को को "डाउनस्ट्रीम" उद्योगों पर ध्यान देने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील): (क) से (ङ) एल्यूमिनियम क्षेत्र विनियंत्रित है और एल्यूमिनियम आयात/निर्यात के लिए खुले सामान्य लाइसेंस वर्ग में है। सरकार ने एल्यूमिनियम के विपणन के बारे में नाल्को को कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग-212 का सुधार

4062. श्री के. मुरलीधरन: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवनिर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग-212 में एक राष्ट्रीय राजमार्ग के अपेक्षित मानदंड मौजूद हैं;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-212 के सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग-212 के घाट खंड में भारी यातायात की जाकारी है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा वाहनों के सुचारू यातायात के लिए घाट खंड को सुदृढ़ और चौड़ा करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-212 के बन जाने के बाद मरम्मत और बिटुमन कंकरीट बिछाने का कार्य पूरा करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग-212 को जुलाई, 1999 में ही राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है और अभी राष्ट्रीय राजमार्ग स्तर के अनुरूप उसे विकसित किया जाना है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है तथा पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर चरणों में यह कार्य किया जाता है।

(ग) और (घ) जी हां। घाट खंड के भीड़ वाले भाग के सुधार के लिए वार्षिक योजना 2001-2002 में 7.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा के बाद नेमी अनुरक्षण के अलावा मरम्मत तथा सड़क गुणता में सुधार के लिए 10.43 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं।

[हिन्दी]

पनवेल में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का निर्माण

4063. श्री उत्तमराव ढिकले: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से पनवेल (महाराष्ट्र) में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव के संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) महाराष्ट्र राज्य सरकार की दीर्घावधिक विमान यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवी मुम्बई में एक दूसरे हवाई अड्डा बनाए जाने की योजनाएं हैं। राज्य सरकार को, प्रस्तावित तकनीकी/ यातायात अध्ययन करने और तब एक औपचारिक प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ भेजने के लिए कहा गया है।

[अनुवाद]

सीएनजी/एलपीजी वाहन

4064. श्री सवशीभाई मकवाना: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सीएनजी/एलपीजी वाहनों की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने इस संबंध में अनुमति ली है; और

(ग) देश में राज्य-वार सीएनजी और एलपीजी किट के आपूर्तिकर्त्ताओं के नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) मोटर वाहनों के सीएनजी और एलपीजी का प्रयोग संसद द्वारा विधिसम्मत बना दिया गया है। सुरक्षा और उत्सर्जन अपेक्षाएं भी अधिसूचित की गई हैं। सीएनजी और एलपीजी किट के किसी निर्माता अथवा आपूर्तिकर्त्ता को केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के तहत किसी परीक्षण एजेंसी से उसे प्रमाणित कराना होगा। राज्यवार कोई अनुमति नहीं दी जाती है।

(ग) देश में ऐसे सीएनजी किट आपूर्तिकर्त्ताओं के नाम और संख्या जिन्होंने परीक्षण एजेंसी से प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, संकलित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी। एलपीजी मामले में किट का परीक्षण चल रहा है किंतु अभी तक किसी किट को प्रमाणित नहीं किया गया है।

सेल्यूलर टेलीफोन कम्पनियों के विरुद्ध स्पेक्ट्रम देयताएं

4065. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेल्यूलर कम्पनियों के विरुद्ध बाड़ी मात्रा में स्पेक्ट्रम देयताएं बकाया हैं;

(ख) यदि हां, तो कम्पनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त देयताएं प्राप्त करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) कम्पनी-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सरकार ने, सेल्यूलर कंपनियों द्वारा अदायगी में कोताही पर सख्त ऐतराज कर उन्हें अपना बकाया तत्काल चुकाने को कहा है।

विवरण

31 दिसंबर 2001 तक का कंपनीवार स्पैक्ट्रम-बकाया

**(देय राशियां कैलेण्डर-वर्ष में अग्रिम चुकानी होती हैं)*

(रुपये में)

कंपनी		सर्किल/मैट्रो	31.12.2001 तक की अवधि की देय राशि (रुपयों में)	जमा कराई गई राशि (रुपयों में)	बकाया राशि (रुपयों में)
1		2	3	4	5
1.	मै. हूचीसन मैक्स टेलीकॉम	मुंबई (मैट्रो)	18,94,31,900	14,74,01,900	4,20,30,000
2.	मै. बीपीएल मोबाइल	मुंबई (मैट्रो)	15,91,93,600	11,26,26,700	4,65,66,900
3.	मै. ऊषा मार्टिन	कोलकाता (मैट्रो)	8,19,01,000	7,96,46,700	22,54,300
4.	मै. स्पाइस लि.	कोलकाता (मैट्रो)	7,65,55,575	4,99,37,200	2,66,18,375
5.	मै. आर.पी.जी. सैल्यूलर	चेन्नै (मैट्रो)	6,53,24,600	6,19,14,600	34,10,000
6.	मै. स्काई सैल	चैन्नै (मैट्रो)	7,50,48,800	7,50,48,800	शून्य
7.	मै. स्टर्लिंग	दिल्ली (मैट्रो)	24,42,36,600	20,71,52,200	3,70,84,400
8.	मै. एयरटैल	दिल्ली (मैट्रो)	17,00,92,400	15,49,22,500	1,51,69,900
9.	मै. एस्कोटैल मोबाइल कम्यूनिकेशंस लि.	केरल	20,47,82,400	3,77,64,448	16,70,17,952

1		2	3	4	5
10.	मै. एस्कोटैल मोबाइल कम्यूनिकेशंस लि.	हरियाणा	14,60,89,000	2,80,45,136	11,80,43,864
11.	मै. एस्कोटैल मोबाइल कम्यूनिकेशंस लि.	उ.प्र. (प.)	26,64,07,300	4,51,24,172	22,12,83,128
12.	मै. बीपीएल यूएस वेस्ट	केरल	12,83,96,500	3,46,45,483	9,37,51,017
13.	मै. बीपीएल यूएस वेस्ट	महाराष्ट्र	13,46,52,400	7,41,35,943	6,05,16,457
14.	मै. बीपीएल यूएस वेस्ट	तमिलनाडु	12,32,95,000	4,11,26,000	8,21,69,000
15.	मै. बिरला एटी एंड टी कम्यूनिकेशन्स लि.	महाराष्ट्र	24,92,82,100	7,88,51,400	17,04,30,700
16.	मै. बिरला एटी एंड टी	गुजरात	15,94,85,400	6,41,25,200	9,53,60,200
17.	मै. फासेल	गुजरात	15,84,67,300	9,23,93,200	6,60,74,100
18.	मै. एयरसेल डिजिलिंक	हरियाणा	5,47,94,100	शून्य	5,47,94,100
19.	मै. एयरसेल डिजिलिंक	उ.प्र. (पूर्व)	9,43,50,800	शून्य	9,43,50,800
20.	मै. एयरसेल डिजिलिंक	राजस्थान	9,60,92,800	26,00,000	9,34,92,800
21.	मै. हेक्साकाम इंडिया लि.	राजस्थान	5,97,54,100	1,11,75,132	4,85,78,968
22.	मै. जेटी मोबाइल्स लि.**	पंजाब	5,40,95,900	शून्य	5,40,95,900
23.	मै. भारती मोबाइल्स लि.	आंध्र प्रदेश	7,55,43,100	1,94,37,482	5,61,05,618
24.	मै. भारती मोबाइल्स लि.	कर्नाटक	8,61,65,900	2,91,91,280	5,69,74,620
25.	मै. स्पाईस कम्यूनिकेशंस	कनाईटक	5,30,15,400	2,38,61,456	2,91,53,944
26.	मै. स्पाईस कम्यूनिकेशंस	पंजाब	14,21,85,400	34,13,259	13,87,72,141

1		2	3	4	5
27.	मै. टाटा सेल्यूलर लि.	आंध्र प्रदेश	15,27,86,600	8,40,11,700	6,87,74,900
28.	मै. कोशिका** टेलीकाम	उ.प्र. (प.)	13,67,53,700	27,58,400	13,39,95,300
29.	मै. कोशिका टेलीकाम	उ.प्र. (पूर्व)	21,21,10,200	90,62,800	20,30,47,400
30.	मै. कोशिका** टेलीकाम (बिहार)	बिहार	10,45,08,100	शून्य	10,45,08,100
31.	मै. कोशिका** टेलीकाम (उड़ीसा)	उड़ीसा	2,65,38,400	शून्य	2,65,38,400
32.	मै. आरपीजी	मध्य प्रदेश	8,72,41,600	2,10,29,600	6,62,12,000
33.	मै. रिलायंस टेलीकाम लि.	मध्य प्रदेश	10,03,22,700	4,82,52,200	5,20,70,500
34.	मै. रिलायंस टेलीकाम लि.	हिमाचल प्रदेश	1,12,95,500	34,89,000	78,06,500
35.	मै. रिलायंस टेलीकाम लि.	पश्चिम बंगाल	2,66,32,700	1,76,65,900	89,76,800
36.	मै. रिलायंस टेलीकाम लि.	असम	1,54,51,300	98,11,300	56,40,000
37.	मै. रिलायंस टेलीकाम लि.	उत्तर पूर्व क्षेत्र	57,88,600	38,46,500	19,42,100
38.	मै. रिलायंस टेलीकाम लि.	बिहार	5,54,39,400	3,41,57,600	2,12,81,800
39.	मै. रिलायंस टेलीकाम लि.	उड़ीसा	3,18,28,300	1,66,97,800	1,51,30,500
40.	मै. भारती टेलीनेट	हिमाचल प्रदेश	3,07,76,700	45,62,500	2,62,14,200
41.	मै. एयरसेल	तमिलनाडु	16,26,15,800	1,67,800	14,58,52,000

**ये लाइसेंस रद्द करार हैं।

टिप्पणी: 1.8.99 के बाद की राशि अनंतिम है।

[हिन्दी]

टेलीफोन निदेशिका

4066. **श्री हरिभाई चौधरी:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नवीनतम टेलीफोन निदेशिकाओं का मुद्रण और वितरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सर्किल/जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन्हें किस तारीख तक अद्यतन किया गया है; और

(घ) टेलीफोन निदेशिकाओं का अगला सर्किल/जिला-वार संस्करण कब तक प्रकाशित किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उड़ीसा में खेलकूद संबंधी गतिविधियां

4067. **श्री भर्तृहरि महताब:**
श्री अनन्त नायक:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में खेलकूद संबंधी गतिविधियों की केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए उक्त योजना के तहत गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष और वर्ष 2001-2002 के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) खेलकूद गतिविधियों से संबंधित निम्नलिखित केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, उड़ीसा राज्य समेत पूरे भारत में कार्यान्वित की जा रही हैं:

(1) खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदान

(2) विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलों के संवर्धन के लिए अनुदान

(3) सिंथेटिक खेल सतह बिछाने के लिए अनुदान

(4) स्कूलों में खेलकूद का संवर्धन

(5) महिलाओं के लिए राष्ट्रीय चैम्पियनशिप

(6) ग्रामीण खेल कार्यक्रम

(7) खेल छात्रवृत्ति।

(ग) किसी भी राज्य को धनराशि आबंटित नहीं की जाती है। विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तथापि, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत, पिछले तीन वर्षों के दौरान, उड़ीसा राज्य को, निम्नलिखित सहायता दी गयी थी।

वर्ष	स्वीकृत रकम
1998-99	4,32,493/- रु.
1999-2000	5,02,483/- रु.
2000-2001	11,25,000/- रु.

डाक नेटवर्क का विस्तार

4068. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग ने सेबी और राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ बैठक कर उनकी वित्तीय सेवाओं के लिए अपने व्यापक नेटवर्क के उपयोग का प्रस्तावित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य सरकारी विभागों और सरकारी उपक्रमों के साथ भी संपर्क किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या राजस्व बढ़ाने के लिए अन्य देशों में भी डाकघरों को इसमें शामिल करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) हालांकि, डाक विभाग ने सेबी तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने नेटवर्क के उपयोग के बारे में कोई बातचीत नहीं की है, तथापि, वित्तीय संस्थाओं के लिए इसके नेटवर्क का इस तरह से उपयोग खुला है बशर्ते कि वह प्रचालन, तकनीकी तथा वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य हो।

(ग) और (घ) कुछ वित्तीय कम्पनियों और बैंकों जैसे स्टाकहोल्डिंग कारपोरेशन आफ इंडिया, यू.टी.आई. बैंक, आई.डी.बी.आई. बैंक, बैंक आफ पंजाब तथा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ने आटोमैटिड टैलर मशीनों की स्थापना, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, राष्ट्रीयकृत बचत स्कीमों पर ऋण सुविधा और डीमैट एकाउंट खोलने की सुविधा समेत अपनी कुछ वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए डाक विभाग के नेटवर्क का उपयोग करने के लिए इससे संपर्क किया है।

(ङ) और (च) राजस्व जुटाने के लिए वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए अन्य देशों के डाकघरों को शामिल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।

विमानपत्तनों पर विकलांगों के लिए एम्बू-लिफ्ट्स

4069. श्रीमती कृष्णा बोस: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली, शिवाजी विमानपत्तन, मुंबई, नेताजी सुभाष विमानपत्तन, कोलकाता, चेन्नई विमानपत्तन और हैदराबाद विमानपत्तन जैसे प्रमुख विमानपत्तनों पर विकलांग यात्रियों के लिए कितनी संख्या में एम्बू-लिफ्ट्स उपलब्ध हैं;

(ख) क्या उपरोक्त प्रत्येक विमानपत्तन पर उनके उपयोग के लिए व्हील चेयर्स भी उपलब्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने छत्रपति शिवाजी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुम्बई तथा चेन्नई अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रत्येक पर एक एम्बूलिफ्ट संस्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त, इंडियन एयरलाइन्स द्वारा दो एम्बूलिफ्ट इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, दिल्ली पर तथा एक एम्बूलिफ्ट नेताजी सुभाषचन्द्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता पर लगाई गई है। चूंकि हैदराबाद अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एरोब्रिज उपलब्ध है इसलिए वहां कोई एम्बूलिफ्ट संस्थापित नहीं की गई है।

(ख) और (ग) सामान्यत: एयरलाइन आपरेटर अपने यात्रियों की सुविधा के लिए पहिएवाली कुर्सी उपलब्ध कराते हैं। तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास भी पहिएवाली कुर्सी है। तथा एयरलाइनें जब भी चाहे इसका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जानवरों का प्रदर्शन और प्रशिक्षण

4070. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भालुओं, बंदरों, बाघों, पेंथरों और शेरों के प्रदर्शन और प्रशिक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रतिबंध के बावजूद इन जानवरों का प्रदर्शन और प्रशिक्षण अब भी जारी है; और

(घ) यदि हां, इस प्रकार के प्रदर्शन और प्रशिक्षण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 22 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भालुओं, बंदरों, बाघों, चीतों व शेरों की प्रदर्शनी और ट्रेनिंग पर रोक लगा दी है। सरकार के इस निर्णय को उच्चतम न्यायालय द्वारा भी सही ठहराया गया है, परन्तु न्यायालय ने सर्कस आदि के मालिकों द्वारा रखे गए जानवरों के स्थानांतरण के बारे में सरकार को कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए हैं।

(ग) और (घ) सर्कस के लोग अपने जानवरों को साथ लिए जगह-जगह घूमते हैं और ऐसे में उनके द्वारा दूर-दराज के क्षेत्रों में जानवरों को प्रदर्शित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। जिस उद्देश्य के लिए जानवरों को हासिल किया गया, उस पर केन्द्र सरकार के आदेशों के परिणामस्वरूप प्रतिबंध लगने

और इन जानवरों की प्रदर्शनी व ट्रेनिंग पर प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए राज्यों के मुख्य वन्यजीव वार्डन को निर्देश जारी किए गए हैं कि वह इन जानवरों से संबंधित कानूनी खरीद प्रमाण-पत्र रद्द कर दें, तथापि, कतिपय सर्कस वाले विभिन्न उच्च न्यायालयों से स्टे आर्डर प्राप्त करने के बाद इन जानवरों को अपने साथ रखे हुए हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनधिकृत होर्डिंग

4071. श्री बलराम सिंह यादव: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में दिल्ली-देहरादून-बद्रीनाथ, दिल्ली-नैनीताल/लखनऊ और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर बड़े पैमाने पर छोटे-बड़े अनधिकृत होर्डिंग्स लगे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के अनधिकृत होर्डिंग राज्य-वार किन-किन स्थानों पर लगे हुए हैं;

(ग) क्या इन अनधिकृत होर्डिंग के कारण कई स्थानों पर बहुत-सी दुर्घटनाएं हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1998 से आज तक राज्य-वार कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ङ) इनमें जान-माल का कितना नुकसान हुआ और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) कितने मामलों में मुआवजा दिया गया है और कितना मुआवजा दिया गया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) दिल्ली-देहरादून-बद्रीनाथ, दिल्ली-नैनीताल/लखनऊ तथा उत्तर प्रदेश के अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों सहित देश में कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनधिकृत होर्डिंग देखे गए हैं। ऐसे अनधिकृत होर्डिंगों की संख्या के आकलन के लिए कोई सर्वे नहीं किया गया है।

(ग) अनधिकृत होर्डिंगों का दुर्घटनाओं का एकमात्र कारण होने की सूचना नहीं है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सीएनजी इंजनों के मानक

4072. श्री शिवाजी माने:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सीएनजी इंजनों के मानक निर्धारित कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो कौन सा प्राधिकारी इनकी जांच करता है;

(ग) क्या बाजार में बड़ी संख्या में नकली और फर्जी इंजन उपलब्ध हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) मोटर वाहनों में प्रयोग में लाए जा रहे सीएनजी इंजनों के संबंध में उत्सर्जन मानक निर्धारित कर दिए गए हैं। निर्माताओं को केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के तहत अधिकृत किसी परीक्षण एजेंसी से अनुमोदन प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होता है।

(ग) नकली/जाली इंजनों के बारे में इस मंत्रालय को कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कश्मीर में सिंचाई परियोजनाएं

4073. डा. रमेश चंद तोमर: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कश्मीर घाटी के कमान क्षेत्रों में केन्द्रीय वित्तपोषण द्वारा आठ हजार हैक्टेयर से अधिक असिंचित भूमि की सिंचाई के लिए तीन परियोजनाएं शुरू किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए अब तक कितनी निधियां जारी की गई हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) जी, हां। केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत वित्तपोषण के वास्ते 7907 हैक्टेयर कृषि कमान क्षेत्र को शामिल करते हुए (1) मारतंड (2) रफियाबाद एवं (3) मार्बल चरण-4/नामक परियोजनाओं को हाल ही में अनुमोदित किया गया है। अभी तक, इन परियोजनाओं के वास्ते केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। इन परियोजनाओं को दिनांक 31.3.2002 तक पूरा किया जाना है।

शिकायतों का निपटान

4074. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग ने बचत खाता, धनादेश और रजिस्ट्री सेवाओं के संबंध में लोगों की शिकायतों के निपटान हेतु सभी सर्किलों में विशेष अभियान शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान प्रतिवर्ष कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और कितनों का निपटान किया गया; और

(ग) विशेष अभियान के दौरान दर्ज की गई सभी शिकायतों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान चलाए गए अभियानों तथा प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों की संख्या का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) अभियान अवधि के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। जब तक उनका निपटान नहीं हो जाता, तब तक उनकी निरंतर मानीटरिंग की जाती है।

विवरण

वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान बचत बैंक, मनीआर्डर और रजिस्ट्रेशन सेवाओं के बारे में चलाए गए विशेष अभियानों का ब्यौरा

वर्ष	चलाए गए अभियान का प्रकार	अभियान की अवधि	शिकायतों की संख्या			
			अभियान के प्रारंभ में लंबित	अभियान अवधि के दौरान प्राप्त नई शिकायतें	अभियान अवधि के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या
1998-99	1. रजिस्टर्ड मदों के बारे में शिकायतों का निपटान	1.9.98 से 30.9.98	14280	13240	16710	10810
	2. मनीआर्डरों के बारे में शिकायतों का निपटान	1.11.98 से 30.11.98	14380	20962	23190	12152
	3. एस.बी./सी.सी. शिकायतों का निपटान	15.2.99 से 15.3.99	10478	11927	16155	6250
1999-2000	1. मनीआर्डर शिकायतों का निपटान	15.7.99 से 14.8.99	24097	27809	32081	19285
	2. एसबी/सीसी शिकायतों का निपटान	1.11.99 से 30.11.99	14438	21970	27194	9214
	3. रजिस्टर्ड मदों के बारे में शिकायतों का निपटान	15.2.2000 से 14.3.2000	24918	24318	22818	26418
2000-2001	1. एस.बी./सी.सी. शिकायतों का निपटान	1.8.2000 से 31.8.2000	8760	15185	20389	4186
	2. मनीआर्डरों के बारे में शिकायतों का निपटान	20.3.2001 से 19.4.2001	47829	22480	32119	37190

केन्द्रीय सड़क निधि परियोजनाएं

4075. **श्री त्रिलोचन कानूनगो:** क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान राज्य-वार विभिन्न सड़कों और पुलों के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से प्रतिवर्ष कितना आबंटन किया गया;

(ख) प्रत्येक परियोजना की लागत और मौजूदा स्थिति क्या है और इनमें राज्य सरकारों की जिम्मेवारी कितनी है;

(ग) परियोजना चयन का मापदंड क्या है; और

(घ) नौवीं योजना अवधि के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और दसवीं योजना अवधि के लिए कौन-कौन सी परियोजनाएं बच गई हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के तहत राज्यीय सड़कों के लिए धनराशि के आबंटन के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) इस समय 1687.89 करोड़ रु. के 978 कार्य प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। संबंधित राज्य सरकारों को ये परियोजनाएं स्वीकृति के 24 माह के अंदर पूरी करनी होती हैं।

(ग) राज्यीय राजमार्गों, प्रमुख जिला सड़कों और अन्य महत्वपूर्ण सड़कों के सुधार/विकास के प्रस्तावों पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा परिचालित विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार विचार किया जा सकता है।

(घ) 9वीं योजना के दौरान 1604.43 करोड़ रु. की 929 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। नौवीं योजना से 10वीं योजना अवधि में चलने वाली सभी परियोजनाओं के ब्यौरे दे पाना अभी संभव नहीं है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के तहत राज्यीय सड़कों के लिए धनराशि आबंटन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99 (लाख रुपए)	1999-2000 (लाख रुपए)	2000-2001 (लाख रुपए)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	261.31	223.90	2720.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	78.89	371.00
3.	असम	34.43	26.52	503.00
4.	बिहार	2.31	-	856.00
5.	चंडीगढ़	59.77	-	100.00
6.	छत्तीसगढ़	-	-	768.00
7.	दिल्ली	26.25	-	1068.34
8.	गोवा	2.09	-	131.00
9.	गुजरात	613.91	304.99	2336.00
10.	हरियाणा	33.12	-	1047.00
11.	हिमाचल प्रदेश	6.49	-	848.00
12.	जम्मू और कश्मीर	1.52	-	1028.00

1	2	3	4	5
13.	झारखंड	–	–	607.00
14.	कर्नाटक	245.67	16.01	1917.00
15.	केरल	187.04	12.19	923.00
16.	मध्य प्रदेश	25.27	287.02	2084.00
17.	महाराष्ट्र	15.80	961.14	3627.00
18.	मणिपुर	3.11	26.24	111.00
19.	मेघालय	55.26	8.11	149.00
20.	मिजोरम	5.32	3.94	202.00
21.	नागालैंड	32.17	4.92	85.00
22.	उड़ीसा	155.75	16.14	970.00
23.	पांडिचेरी	–	105.00	73.00
24.	पंजाब	192.81	12.56	1433.00
25.	राजस्थान	127.46	138.02	2527.00
26.	सिक्किम	–	14.55	37.00
27.	तमिलनाडु	401.39	130.54	2234.00
28.	त्रिपुरा	19.39	3.94	64.00
29.	उत्तर प्रदेश	285.21	264.27	2932.00
30.	उत्तरांचल	–	–	367.00
31.	पश्चिम बंगाल	132.17	95.10	1191.00
32.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	0.22	–	58.33
33.	दादर नगर हवेली	–	13.15	40.67
34.	दमन और दीव	–	7.77	30.00
35.	लक्षद्वीप	–	–	2.33

[हिन्दी]

माइक्रोवेव टावर

4076. श्री विष्णुदेव साय: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ में स्थापित किए गए/स्थापित किए जा रहे माइक्रोवेव टावरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त टावर लगाने के लिए कौन-कौन सी कंपनियों के साथ संविदा किया गया है;

(ग) क्या उक्त टावर लगाने के लिए जसपुर जिला मुख्यालय पर आवश्यक उपस्करों की आपूर्ति कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त टावरों के कब तक स्थापित हो जाने और काम शुरू कर देने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) छत्तीसगढ़ सर्किल में वर्ष 2001-2002 के दौरान डब्ल्यू.एल.एल., मोबाइल व माइक्रोवेव प्रणाली हेतु बनाए गए माइक्रोवेव टावरों की योजना के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) योजनाबद्ध टावर लगाने का ठेका दो फर्मों को दिया गया है, जो निम्नानुसार है:-

1. मै. राज एंड कंपनी, लखनऊ।
2. मै. प्रगति ट्रेडर्स, नई दिल्ली।

(ग) और (घ) जशपुर जिले में बागीचा जोकभेला, कर्सई व कुंकरी के चार स्टेशनों में टावर लगाने की योजना है। इन चार केन्द्रों में से तीन में आवश्यक टावर-सामग्री उपलब्ध है।

(ङ) बगीचा व कर्सई टावर दिसम्बर, 2001 तक लगा दिए जाने की आशा है, जनवरी, 2002 तक कुंकरी व मार्च, 2002 तक जोकभेला में टावर लग जाने की संभावना है बशर्ते सामग्री उपलब्ध हो।

विवरण

छत्तीसगढ़-सर्किल में टावर योजना

क्र.सं.	एसएसए	स्टेशन का नाम	टॉवर-योजना
1	2	3	4
1.	बस्तर	अंतागढ़	80एम
2.	बस्तर	बकवांड	40एम
3.	बस्तर	बीजापुर	80एम
4.	बस्तर	भानपुरी	40एम
5.	बस्तर	भानुप्रतापपुर	40एम
6.	बस्तर	भोपालपटनम्	40एम
7.	बस्तर	विश्रामपुरी	80एम
8.	बस्तर	चरमा	40एम
9.	बस्तर	दांतेवाड़	80एम
10.	बस्तर	जीडम	40एम
11.	बस्तर	जगदलपुर नया एक्सचेंज	40एम
12.	बस्तर	किलोपाल	40एम
13.	बस्तर	कुराड़	40एम
14.	बस्तर	नारायणपुर	80एम
15.	बस्तर	नरहरपुर	80एम
16.	बस्तर	पाखानजोड़े	40एम
17.	बस्तर	सुकमा	40एम
18.	बिलासपुर	बांगों	40एम टीटीएच
19.	बिलासपुर	बारपैकलां	40एम
20.	बिलासपुर	बेलगहना	40एम
21.	बिलासपुर	दामापुर	40एम
22.	बिलासपुर	धुरकोट	40एम
23.	बिलासपुर	करताल	40एम
24.	बिलासपुर	केरा	40एम
25.	बिलासपुर	लोरमी	40एम
26.	बिलासपुर	मलखरोड	40एम
27.	बिलासपुर	मरवाही	80एम
28.	बिलासपुर	नागोई	40एम
29.	बिलासपुर	पामगढ़	40एम
30.	बिलासपुर	पासन	40एम
31.	बिलासपुर	पटैटा	40एम
32.	बिलासपुर	पेंदारोड	40एम
33.	बिलासपुर	रामपुर	40एम

1	2	3	4
34.	बिलासपुर	सिवनी	40एम
35.	बिलासपुर	तिवर्ता	40एम
36.	दुर्ग	अंडा	40पी
37.	दुर्ग	बोडला (सरोदा दादर)	40एम/80एम
38.	दुर्ग	बोरै	40एम
39.	दुर्ग	चिचोला	40एम
40.	दुर्ग	चुड़िया	80एम
41.	दुर्ग	चुईखाडन	40एम/80एम
42.	दुर्ग	देवरी	40एम
43.	दुर्ग	धाम्डा	80एम
44.	दुर्ग	डोंडी	40एम
45.	दुर्ग	डोनडिलोहरा	40एम
46.	दुर्ग	गेंदै	40पी
47.	दुर्ग	गुंडेरदेही	40एम
48.	दुर्ग	गुरूड़	80एम
49.	दुर्ग	जामगांव-एम	40एम
50.	दुर्ग	मानपुर	40एम/80एम
51.	दुर्ग	मोहला	40एम/80एम
52.	दुर्ग	नागपुरा	40एम
53.	दुर्ग	राजनंद गांव	100एम
54.	दुर्ग	साहसपुर लोहरा	40एम
55.	दुर्ग	साजा	80एम
56.	दुर्ग	संभलपुर	40एम
57.	रायगढ़	बगीचा	40एम
58.	रायगढ़	धर्मजय गढ़	40पी
59.	रायगढ़	घरघोड़ा	40एम
60.	रायगढ़	जोअकभेला	40एम
61.	रायगढ़	करसै	40एम
62.	रायगढ़	कूकड़ी	40पी
63.	रायगढ़	लैलुंगा	40एम
64.	रायपुर	धरसीवा	40एम
65.	रायपुर	मैनपुर	40एम
66.	रायपुर	मानदीरहासुड	40पी
67.	रायपुर	राजेंद्रनगर	60एम
68.	सरगुजा	बैकंठपुर	80एम
69.	सरगुजा	बलरामपुर	40एम
70.	सरगुजा	भैयाथान	40एम
71.	सरगुजा	चिरमिरी	40एम

बिहार में डाकघर

4077. श्री राजो सिंह: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में वर्तमान में कितने डाकघर हैं और स्पीड पोस्ट सेवा वाले डाकघर कितने हैं; और

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान कितने डाकघरों में उक्त सेवा प्रदान किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) बिहार में इस समय विभागीय डाकघरों की संख्या एक हजार एक सौ सत्ताइस (1127) है। इनमें से, सड़सठ (67) डाकघरों में स्पीड पोस्ट सेवा सुलभ है।

(ख) स्पीड पोस्ट एक प्रीमियम उत्पाद है और इसे व्यावसायिक आधार पर चलाया जाता है। इस नेटवर्क का विस्तार एक अनवरत प्रक्रिया है जो बाजार की स्थिति, आवश्यकता के आकलन, प्रत्याशित राजस्व तथा परिवहन नेटवर्क पर निर्भर करता है।

पर्यटक स्थलों के लिए हैलीकॉप्टर सेवा शुरू करना

4078. श्री जय प्रकाश: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के पर्यटक स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों राज्यों में ऐसे स्थानों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए वर्तमान में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जा रही है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड केदारनाथ-बद्रीनाथ-रूद्रप्रयाग-देहरादून सेक्टर पर हेलीकॉप्टर सेवाओं के प्रचालन के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम (उत्तरांचल सरकार का एक उपक्रम) के साथ एक संयुक्त भागीदारी प्रबंध की साध्यता की छानबीन कर रही है। उत्तर प्रदेश के लिए, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड ने वेट-लीज आधार पर एक हेलीकॉप्टर की पेशकश की है और राज्य सरकार के प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

केरल में बाढ़ नियंत्रण

4079. श्री टी. गोविन्दन: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल में बाढ़ नियंत्रण के लिए वहां की राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) केरल सरकार की ओर से बीस गंभीर-नदी-कटाव रोधी स्कीमें (अनुमानित लागत 32.79 करोड़ रुपये) केन्द्रीय जल आयोग को प्राप्त हुई हैं। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इन स्कीमों की जांच की गई है तथा उसने अपनी टिप्पणियां स्कीमों को अद्यतन करने और उनका अनुपालन करने के लिए राज्य सरकार को भेजी हैं। केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों का उत्तर अभी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई हैं।

औद्योगिक प्रतिष्ठानों में दुर्घटनाएं

4080. श्री ए. नरेन्द्र: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेष तौर पर उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक औद्योगिक प्रतिष्ठानों में राज्य-वार कितनी दुर्घटनाएं हुईं; और

(ख) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने और इन औद्योगिक प्रतिष्ठानों में समुचित रक्षोपाय उपलब्ध कराने के लिए क्या दिशानिर्देश/निर्देश जारी किये गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कारखानों में काम करने वाले कामगारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित उपबंधों का प्रवर्तन राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा उनके कारखाना निरीक्षणालयों के माध्यम से किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए समुचित सरकार के रूप में राज्य सरकारों के अपने कारखानों से संबंधित नियम भी हैं। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में होने वाली दुर्घटनाओं से संबंधित सूचना राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा एकत्र की जाती है और रखी जाती है, तथापि पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में हुई दुर्घटनाओं के बारे में मंत्रालय को उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) कारखाना अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे सुरक्षा उपाय निम्नवत हैं:-

1. मशीनरी का बाड़ा लगाना
2. हाइस्टों और लिफ्टों के प्रयोग में सुरक्षा
3. प्रेशर प्लांटों के प्रयोग में सुरक्षा
4. कारखानों में नियोजित व्यक्तियों द्वारा भार उठाने पर प्रतिबंध
5. चोट से आंखों का बचाव
6. खतरनाक लपटों, गैसों इत्यादि के प्रति सावधानियां
7. ज्वलनशील गैसों, धूल इत्यादि के विस्फोट से बचाव
8. आग लगने पर सावधानियां।

उपर्युक्त के अलावा, अधिनियम के अध्याय IV-क में जोखिमकारी प्रक्रियाओं के संबंध में भी सुरक्षा उपबंध विद्यमान हैं।

विवरण

वर्ष 1998-2000 के दौरान कारखानों में राज्यवार औद्योगिक दुर्घटनाओं की संख्या

क्रमांक	राज्य/संघ शासित प्रशासन	1998		1999		2000	
		गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	3649	104	3022	127	2969	121
2.	असम	100	5	126	7	152	5
3.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार	1018	46	861	48	650	40
5.	छत्तीसगढ़	15	17	14	30	25	25
6.	गोवा	197	7	185	5	156	8
7.	गुजरात	11611	214	10440	196	8107	179
8.	हरियाणा	400	32	380	49	397	42
9.	हिमाचल प्रदेश	28	12	28	12	@	@
10.	जम्मू और कश्मीर*	–	–	–	–	–	–
11.	झारखण्ड**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	488	29
12.	कर्नाटक	3644	71	3799	52	2086	54
13.	केरल	1356	37	1067	24	1019	15
14.	मध्य प्रदेश	7071	53	4804	66	3051	47
15.	महाराष्ट्र	16739	163	14073	151	11606	165
16.	मणिपुर	1	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	मेघालय*	–	–	–	–	–	–
18.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–
20.	उड़ीसा	1888	20	1027	22	996	35
21.	पंजाब	308	28	322	34	350	38
22.	राजस्थान	2891	61	2788	59	2700	44
23.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24.	तमिलनाडु	3720	46	2647	41	2039	38

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	त्रिपुरा	3	0	4	2	6	3
26.	उत्तरांचल**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	उत्तर प्रदेश	923	74	1248	55	@	@
28.	पश्चिम बंगाल	40905	58	34652	46	@	@
29.	अण्डमान और निकोबार	105	3	98	7	83	6
30.	चंडीगढ़	13	1	1	2	12	1
31.	दादर और नागर हवेली	11	3	13	1	9	1
32.	दमन और दीव	11	3	13	1	9	1
33.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
34.	दिल्ली	183	91	214	101	157	116
35.	पांडिचेरी	917	2	860	4	854	2

* सूचना उपलब्ध नहीं

** राज्य वर्ष 2000 में अस्तित्व में आए हैं।

@ वर्ष 2000 के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

टेलीफोन सलाहकार समिति

4081. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:**
श्रीमती सुशीला सरोज:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी टेलीफोन जिलों में टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इन समितियों का गठन कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार को टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों के मनोनयन के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसका निपटान कब तक किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खर्च की गई राशि

4082. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बहुत बड़ी राशि राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा अन्य क्षेत्रों में खर्च की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वित्त वर्ष के दौरान विशेष कर महाराष्ट्र में, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितनी बजट राशि नियत की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

खानों के विकास के लिए विश्व बैंक सहायता

4083. **श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी खानों का विकास विश्व बैंक से प्राप्त आर्थिक सहायता से किया गया है;

(ख) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान प्रत्येक मामले में विश्व बैंक से आर्थिक सहायता के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई;

(ग) क्या इस आर्थिक सहायता से अब तक कोई उपलब्धि हासिल हुई है;

(घ) यदि हां, तो खानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील): (क) अलौह खनिजों की खानों के विकास के लिए विश्व बैंक से कोई वित्तीय सहायता नहीं ली गई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

योजना व्यय का अल्प उपयोग

4084. **श्री रामजी मांझी:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान उनका मंत्रालय कुछ योजनाओं के संबंध में अपने योजना व्यय का पूरी तरह उपयोग करने में विफल हो गया है;

(ख) यदि हां, तो योजनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना व्यय की राशि का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) श्रम मंत्रालय की प्लान योजनाओं के लिए 1999-2000 के लिए तथा 2000-2001 के दौरान कुल बजट आकलन क्रमश: 111.40 करोड़ रु. तथा 98.00 करोड़ रु. था। इसके विपरीत, वास्तविक व्यय क्रमश: 83.11 करोड़ रु. तथा 84.00 करोड़ रु. था। वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के लिए शीर्षवार बजट आकलन और व्यय को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

कम व्यय मुख्य रूप से रोजगार और प्रशिक्षण तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण से संबंधित योजनाओं में है। इन योजनाओं में प्लान व्यय में कमी नए केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रस्तावों एवं मौजूदा केन्द्रों/परियोजनाओं के अंतर्गत रिक्त पड़े पदों की पुनर्बहाली/पुनर्सृजन की अनुमति न मिलने के कारण हुई है।

(ग) मंत्रालय में व्यय की गति और प्रगति की समीक्षा करने के लिए पहले से ही एक तीन-स्तरीय अनुवीक्षण तंत्र है। इस तंत्र के अंतर्गत सचिव समय-समय पर प्रभागीय प्रमुखों और वित्तीय सलाहकार के साथ बैठक करके व्यय की गति की समीक्षा करते हैं तथा मुख्य बाधाओं और उन्हें दूर करने के लिए किए जाने वाले उपायों की पहचान करते हैं। इसके बाद, सचिव स्तर पर लिए गए निर्णयों के वास्तविक क्रियान्वयन की जांच करने के लिए अपर सचिव बैठकें लेती हैं। प्रभागीय प्रमुख और वित्तीय सलाहकार भी प्रत्येक मामले की अलग-अलग समीक्षा करते हैं। विभिन्न स्तरों पर जल्दी-जल्दी और नियमित अंतरालों पर प्लान व्यय की गति और प्रगति की समीक्षा की इस पद्धति से अच्छे परिणाम निकले हैं और यह प्रक्रिया जारी है।

विवरण

शीर्ष-वार बजट आकलन और व्यय

मुख्य शीर्ष	1999-2000		2000-2001	
	बजट आकलन	व्यय	बजट आकलन	व्यय
1	2	3	4	5
1. अनुसंधान और सांख्यिकी	10.43	7.00	8.00	6.69
2. औद्योगिक संबंध	4.44	2.99	3.60	2.58

1		2	3	4	5
3.	कार्यदशाएं और सुरक्षा	5.80	3.08	3.95	2.72
4.	श्रमिक शिक्षा	5.50	5.68	6.59	6.62
5.	बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास	4.00	3.83	4.25	9.21
6.	बाल और महिला श्रम की कार्यदशाओं में सुधार	40.20	36.90	36.20	37.73
7.	रोजगार	3.82	0.65	3.79	0.70
8.	प्रशिक्षण	34.10	21.48	19.56	16.67
9.	अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्गों का कल्याण	1.18	0.60	1.21	0.39
10.	अन्य मदें	1.93	0.90	1.05	0.68
11.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रावधान	-	-	9.80 (सरकार की नीति के अनुसार कुल का 10 प्रतिशत)	-
	कुल	111.40	83.11	98.00	84.00

तमिलनाडु में टेलीफोन एक्सचेंज

4085. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2001-2002 के दौरान तमिलनाडु में स्थित टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार और आधुनिकीकरण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो जिलावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार द्वारा राज्य में, विशेष तौर पर शिवगंगा और रामानंद जिलों में नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन एक्सचेंजों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) तमिलनाडु में वर्ष 2001-2002 के दौरान एक्सचेंजों की निवल स्विचन क्षमता में वृद्धि करने की योजना है। तमिलनाडु में टेलीफोन एक्सचेंजों की निवल स्विचन क्षमता में वृद्धि से संबंधित जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 1.4.2001 से 31.7.2001 के दौरान पहले ही 97788 लाइनें बढ़ाई जा चुकी हैं। चेन्नै को छोड़कर जहां अभी भी 25000 लाइनों वाला एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक कार्य कर रहा है, तमिलनाडु में कार्य कर रहे सभी एक्सचेंज आधुनिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज हैं। 2001-2002 के दौरान मौजूदा 25000 लाइनों वाले एनालॉग एक्सचेंज को आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल एक्सचेंज से बदलने की योजना है।

(घ) जी हां

(ङ) वर्ष 2001-2002 के दौरान राज्य में, विशेषकर शिवगंगा और रामानन्द जिले में स्थापित किए जाने वाले नए टेलीफोन एक्सचेंजों का जिला-वार ब्यौरा विवरण-II पर दिया गया है।

(च) इन नए एक्सचेंजों को मार्च, 2002 तक संस्थापित कर दिए जाने की योजना बनाई गई है।

विवरण-I

वर्ष 2001-2002 के दौरान तमिलनाडु में टेलीफोन एक्सचेंजों की निवल स्विचन क्षमता में वृद्धि से संबंधित जिलावार ब्यौरा

क्र.सं.	जिलों का नाम	वायर्ड टेलीफोन के लिए निवल क्षमता वृद्धि, लाइनों
1	2	3
1.	अरियालुर	1600
	कोयम्बटूर	34400
3.	कुड्डालोर	15000
4.	धर्मपुरी	10100
5.	दिन्दीगुल	7000
6.	एरोड	14300
7.	कांचीपुरम	7800
8.	कन्याकुमारी	16700
9.	करूर	7000
10.	मदुरै	7000
11.	नागापट्टनम	10400
12.	नामाक्कल	6000
13.	नीलगिरि	4500
14.	पेरम्बलूर	3700
15.	पुदुकोटाय	3700
16.	रामानन्द	6250
17.	सलेम	14000
18.	शिवगंगा	6250
19.	तनजावुर	12500
20.	तेनी	2000
21.	तिरूवरूर	3600
22.	तिरूनेलवेली	3000
23.	तिरूवन्नामलाई	6000
24.	तिरूनेल्लोर	3900
25.	त्रिच्ची	8000
26.	टुटीकोरीन	5000
27.	वेल्लूर	16000
28.	विल्लूपुरम	8000
29.	विरुद्धनगर	5300
30.	चेन्नै	185200
	तमिलनाडु कुल	437200

विवरण-II

वर्ष 2001-2002 के दौरान तमिलनाडु में स्थापित किए जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों का जिलावार ब्यौरा

क्र.सं.	जिलों का नाम	नियोजित नए एक्सचेंज
1	2	3
1.	अरियालुर	1
2.	कोयम्बटूर	0
3.	कुड्डालोर	2
4.	धर्मपुरी	2
5.	दिन्दीगुल	0
6.	एरोड	2
7.	कांचीपुरम	0
8.	कन्याकुमारी	0

1	2	3
9.	करूर	0
10.	मदुरै	0
11.	नागापट्टनम	3
12.	नामाक्कल	0
13.	नीलगिरि	0
14.	पेरम्बलूर	1
15.	पुदुकोटाय	0
16.	रामानन्द	6
17.	सलेम	0
18.	शिवगंगा	2
19.	तनजावुर	2
20.	तेनी	0
21.	तिरूवरूर	0
22.	तिरूनेलवेली	0
23.	तिरूवन्नामलाई	2
24.	तिरूनेल्लोर	0
25.	त्रिच्ची	2
26.	टुटीकोरीन	2
27.	वेल्लूर	1
28.	विल्लूपुरम	4
29.	विरुद्धनगर	3
30.	चेन्नै	40
	तमिलनाडु कुल	75

छत्तीसगढ़ में वन विकास एजेंसियों की स्थापना

4086. डा. चरणदास महंत: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वनों और वनवासियों के विकास के लिए वन विकास एजेंसियों की स्थापना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो छत्तीसगढ़ में अब तक कितनी वन विकास एजेंसियों का गठन और पंजीकरण किया गया है;

(ग) क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने धनराशि दिए जाने हेतु वन विकास एजेंसियों के संबंध में कोई परियोजना रिपोर्ट भेजी है;

(घ) यदि हां, तो अभी तक मंजूर की गई और जारी की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त परियोजना को मंजूरी दिए जाने हेतु संभावित समय-सीमा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) छत्तीसगढ़ में अब तक कुल तीन वन विकास अभिकरण (एफ.डी.ए.) गठित किए गए हैं जिनमें से दो पंजीकृत किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के वन विभाग ने तीन वन विकास अभिकरणों के बारे में परियोजना प्रस्ताव मंत्रालय के विचारार्थ भेजे हैं। योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों को उनकी तकनीकी संभाव्यता तथा विभिन्न राज्यों में उपयुक्त क्षेत्रीय वितरण को बनाए रखते हुए और निधियों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृति दी जाती है।

दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण

4087. श्री रघुनाथ झा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 अगस्त, 2001 के टाइम्स आफ इंडिया में "मफल नाइज विफोर इट किल्स, हाई कोर्ट टैल्स सिटी गवर्नमेंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो बढ़ते ध्वनि प्रदूषण के खतरे के लिए जिम्मेदार कारकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने प्रदूषण रोधी नियमों को वास्तविक अर्थ में लागू करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का ब्यौरा क्या है और ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए संबंधित सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेटों द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी, हां। उच्च ध्वनि स्तर प्रमुखतया जनसंख्या वृद्धि औद्योगिक-वाणिज्यिक कार्यकलापों, वाहन यातायात, लाऊडस्पीकरों के उपयोग और पटाखे फोड़ने के कारण होते हैं।

(ग) से (ङ) ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा विभिन्न नीतिगत उपाए किए गए हैं और संबंधित प्राधिकारियों को ये नियम कार्यान्वित करने के निर्देश दिए गए हैं। ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

1. औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय क्षेत्रों और शांत क्षेत्रों के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अंतर्गत ध्वनि के बारे में वर्ष 1989 में परिवेशी वायु गुणता मानक अधिसूचित किए गए हैं।

2. फरवरी, 2000 में ध्वनि प्रदूषण (नियमन और नियंत्रण), नियम, 2000 अधिसूचित किए गए हैं।

3. स्थायी डीजल सेटों (15-500 किलोवाट) के लिए जनवरी, 1999 के दौरान ध्वनि मानक अधिसूचित किए गए हैं।

4. अक्तूबर, 1999 में पटाखों के लिए ध्वनि मानक अधिसूचित किए गए थे।

5. पेट्रोल और मिट्टी के तेल से चलने वाले पोर्टेबल जेनरेटर सेटों के लिए सितम्बर, 2000 में ध्वनि सीमाएं अधिसूचित की गई हैं।

6. वाहनों की ध्वनि सीमाओं में संशोधन किया गया है जो 1 जनवरी, 2003 से प्रभावी होंगी। हालांकि इन्हें सितम्बर, 2000 में अधिसूचित किया गया था।

7. सितम्बर, 2000 के दौरान कोयला खानों के लिए ध्वनि स्तर के मानक विकसित और अधिसूचित किए गए हैं।

8. दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित विशेषकर जेनरेटर सैटों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु दिशा-निर्देशों को स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया गया है।

9. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा "सोनिक स्पेक्ट्रम आफ देहली" नामक एक अध्ययन किया गया और इस अध्ययन के अंतर्गत ध्वनि स्तरों के लिए 46 आवासीय कालोनियों को मानीटर किया गया।

(च) विनिर्दिष्ट मानदण्डों से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाली औद्योगिक इकाइयों/स्थापनाओं के विरुद्ध दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। इस कार्रवाई में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बन्द करना/स्थानांतरित करना भी शामिल है। दिल्ली में सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेटों द्वारा ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाली कुछ इकाइयों को बंद कर दिया गया है।

नेहरू युवा केन्द्र

4088. श्री एन.टी. षणमुगम:
श्री पी.डी. एलानगोवन:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में स्थित विभिन्न युवा केन्द्रों के लिए आर्थिक सहायता को बढ़ाए जाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में देश में विभिन्न नेहरू युवा केन्द्रों को कुल कितनी राशि आबंटित और जारी की गई और उनके द्वारा कितनी राशि का उपयोग किया गया;

(घ) क्या सरकार द्वारा देश में नेहरू युवा केन्द्रों की संख्या और समन्वयकों के पदों की संख्या को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) पिछले वित्तीय वर्ष में प्रत्येक नेहरू युवा केन्द्र के लिए कार्यक्रम निधि 1.05 लाख रु. से बढ़ाकर 1.35 लाख रुपये कर दी गयी थी और उसे चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आगे और बढ़ाकर 1.50 लाख रु. कर दिया गया है। आगामी वृद्धि उच्च बजटीय परिव्ययों पर निर्भर करेगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूचना राज्य-वार/संघ शासित प्रदेश-वार रखी जाती है न कि केन्द्र-वार। यह सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(घ) और (ङ) फिलहाल इन केन्द्रों की संख्या को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	रकम आबंटित, जारी और उपयोग की गई		
		1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	आंध्र प्रदेश	11179276	10949755	8711153
2.	असम	11328412	13979593	9637383
3.	बिहार	22117790	19821043	21338155
4.	गुजरात	8084645	8739100	7388556
5.	हरियाणा	8362348	8614958	7610633
6.	हिमाचल प्रदेश	5911867	7179770	5957961
7.	जम्मू व कश्मीर	5867515	6492309	5944336
8.	कर्नाटक	9669128	9553719	6849791
9.	नागालैंड	2235540	2868379	2176306
10.	केरल	7837403	11805284	5320687
11.	मध्य प्रदेश	22377380	22357200	21304705
12.	महाराष्ट्र	13213326	14232882	14583950
13.	मणिपुर	4887696	5464148	4007109
14.	मेघालय	1559013	2264231	1984623
15.	उड़ीसा	8311700	10100067	7656852
16.	पंजाब	6282386	7160464	6568087
17.	राजस्थान	12479776	12605554	12634187
18.	सिक्किम	2465059	1552242	1291193
19.	तमिलनाडु	13489016	14400293	10288815
20.	त्रिपुरा	1720640	2297825	1363344
21.	उत्तर प्रदेश	28898424	27041049	25386434
22.	पश्चिम बंगाल	12599059	13177998	12089218
23.	अरूणाचल प्रदेश	1199579	1384500	919480
24.	अ. व नि. द्वीपसमूह	2177288	2569941	2511960
25.	चण्डीगढ़	3553325	356652	449705
26.	दिल्ली	1765038	2075464	2297870
27.	गोवा	1376200	630886	631940
28.	मिजोरम	1155952	1592477	995143
29.	दा. व न. हवेली	303969	269093	312991

उड़ीसा के क्योंझर जिले को सेन्ट्रल रायल्टी

4089. श्री अनन्त नायक: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खनन गतिविधियों के जरिए राष्ट्रीय राजकोष में उड़ीसा के क्योंझर जिले द्वारा किये गये अंशदान के अनुरूप इसे पर्याप्त सेन्ट्रल रायल्टी उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस पिछड़े जिले के सर्वांगीण विकास के लिए किस प्रकार प्रतिपूर्ति किए जाने का प्रस्ताव है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील): (क) खनिजों पर रायल्टी, खनन पट्टा धारकों द्वारा राज्य सरकारों को देय होती है और संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक खनन पट्टा धारक से सीधे एकत्र की जाती है।

(ख) और (ग) उपरोक्त "क" के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आंसरिंग मशीन सेवा

4090. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंसरिंग मशीन सेवा शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सेवा को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(घ) इस सेवा से उपभोक्ताओं को क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है;

(ङ) क्या उक्त मशीनों का निर्माण देश में ही किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) महानगर टेलीफोन निगम लि. (एम.टी.एन.एल.) द्वारा यह सेवा दिल्ली में शुरू की जा चुकी है। भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) वर्ष 2002-2003 के दौरान इस सेवा को शुरू करने की योजना बना रहा है।

(घ) उपभोक्ता का टेलीफोन व्यस्त होने अथवा कोई फोन सुनने वाला वहां मौजूद नहीं होने पर भी वह संदेश प्राप्त कर सकता है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। दिल्ली में एमटीएनएल द्वारा संस्थापित आंसरिंग मशीन के उपस्कर यू.एस.ए. में विनिर्मित हैं।

[अनुवाद]

अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को विशेष सुविधाएं

4091. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में "अर्जुन पुरस्कार" विजेताओं को क्या विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है;

(ख) क्या विजेताओं को दी जाने वाली विशेष सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या "अर्जुन पुरस्कार" विजेताओं को दी जाने वाली विशेष सुविधाओं को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) अर्जुन पुरस्कार योजना के अंतर्गत, अर्जुन पुरस्कारों के विजेताओं को कोई सुविधा देने का प्रावधान नहीं है।

तथापि, निम्नलिखित कुछ मंत्रालयों जैसे कि रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं को कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवायी हैं।

रेल मंत्रालय:

रेल मंत्रालय अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को स्वयं के लिए प्रथम श्रेणी/वातानुकूलित-2 टीयर का रेलवे मानार्थ कार्ड/पास दे रहा है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय:

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं सहित उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पेट्रोलियम उत्पादों की 2% डीलरशिप/वितरण अधिकार (डिस्ट्रीब्यूटरशिप) का आरक्षण देता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) धनराशि की अपर्याप्तता।

[हिन्दी]

खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता

4092. श्री पी.आर. खुंटे: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय और राज्य स्तर के खिलाड़ियों को मासिक आधार पर कोई वित्तीय सहायता दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) "खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष" की योजना के अन्तर्गत, दरिद्र अवस्था में जीवनयापन कर रहे उत्कृष्ट खिलाड़ी को निम्नानुसार मासिक पेंशन दी जाती है:-

(1) ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ी को 2500/- रु. से अधिक रकम नहीं जो सेवा के लिए अथवा अन्यथा स्थायी रूप से या अनिश्चितकाल तक असमर्थ हैं; तथा

(2) अन्य मामलों में 2,000/- रु. से अधिक रकम नहीं बशर्ते कि किसी भी एक मामले में वह अवधि जिसके लिए पेंशन उपलब्ध होगी (जीवनपर्यंत पेंशन सहित) समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी।

एमटीएनएल कर्मचारियों को नि:शुल्क टेलीफोन कनेक्शन

4093. श्री उत्तमराव पाटील: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के सभी कर्मचारियों को नि:शुल्क टेलीफोन कनेक्शन दिया है/देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितना खर्च आया है/आने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं। केवल रियायती दरों पर टेलीफोन प्रदान किए जा रहे हैं।

(ख) सेवारत एमटीएनएल कर्मचारियों को रियायती टेलीफोन सुविधा प्रदान करने संबंधी नियम व शर्तें दिनांक 8.02.2001 के आदेश सं. एमटीएनएल/आईआरडब्ल्यू/27(107)99/जेएनसी/157 में दी गई हैं (प्रतिलिपि विवरण के रूप में संलग्न है)।

(ग) व्यय प्रति पात्र कर्मचारी प्रति माह 250/- रु. तक सीमित है जो सतत् प्रक्रिया है।

विवरण

सेवारत एमटीएनएल कर्मचारियों को रियायती टेलीफोन सुविधा प्रदान करने संबंधी महानगर टेलीफोन निगम लि. का दिनांक 8.2.2001 का आदेश सं. एमटीएनएल/आईआरडब्ल्यू/27 (107) 99/जेएनसी/157

विषय:- महानगर टेलीफोन निगम लि. के सेवारत कर्मचारियों को रियायती टेलीफोन सुविधा प्रदान करना।

महानगर टेलीफोन निगम लि. के उन सभी नियमित सेवारत कर्मचारियों, जिन्होंने 16 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, को आवासीय सेवा टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए इस कार्यालय के दिनांक 7.3.2000 के पत्र सं. एमटीएनएल/आईआरडब्ल्यू/21 (82)/जेएनसी/2453 के तहत आदेश जारी किए गए थे। डीओटी, डीटीएस और डीटीओ के सभी नियमित सेवारत कर्मचारियों को रियायती टेलीफोन सेवा प्रदान करने के संबंध में दूरसंचार विभाग के दिनांक 28 सितंबर, 2000 के पत्र सं. 2-09/98/पीएचए (भाग-1) के तहत आदेशों को जारी करने के परिणामस्वरूप एमटीएनएल के कर्मचारियों ने भी उन्हें यह सुविधा देने की मांग की थी।

एनटीएनएल के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एमटीएनएल के शेष सभी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से यह सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। 16 वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारियों के लिए जो शर्तें दी गई हैं वे निम्नानुसार हैं:-

(1) 16 वर्ष से कम सेवा वाले महानगर टेलीफोन निगम लि. के सभी नियमित सेवारत कर्मचारी जो आवासीय टेलीफोन कनेक्शन के लिए पात्र हैं, बिना पंजीकरण प्रभार के संलग्न प्रारूप में टेलीफोन कनेक्शन के लिए अपना अनुरोध पंजीकृत करा सकते हैं।

(2) फोन संस्थापना के लिए कर्मचारियों को कोई संस्थापना प्रभार नहीं देना होगा।

(3) सेवारत कर्मचारी से कोई किराया नहीं लिया जाएगा (इस प्रयोजनार्थ निर्धारित की गई किराए की मात्रा आज की तारीख तक जारी निर्देशों के अनुसार है)। भविष्य में इसमें यदि कोई वृद्धि की जाती है तो यह कर्मचारियों द्वारा स्वयं ही वहन करनी होगी।

(4) कर्मचारियों को प्रतिभूति धरोहर के रूप में एक वर्ष का अग्रिम किराए का भुगतान करना अपेक्षित नहीं है।

(5) अनुमत्य नि:शुल्क कालों की संख्या सामान्य टेलीफोन उपभोक्ताओं के बराबर होगी। अनुमत्य कालों से अधिक कालों को प्रभारित किया जाएगा और इनका कर्मचारी द्वारा भुगतान करना होगा।

(6) वे सेवारत कर्मचारी जिनके निवास पर पहले ही अपने नाम से निजी टेलीफोन कनेक्शन हैं, वे उस टेलीफोन पर किराए में छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं, ऐसी टेलीफोनों की अनुमत्य प्रतिभूति जमा राशि को वापस किया जाएगा।

(7) सामान्यत: इन टेलीफोनों पर कोई एसटीडी सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

2. यह रियायत एमटीएनएल में नियमित आधार पर नियुक्त/आमेलित गैर-कार्यकारी कर्मचारियों को देय होगी, जिनमें एमटीएनएल में उनके काम करने की अवधि तक सिविल, इलैक्ट्रिकल वास्तुकार स्कंध और लेखा और वित्त कर्मिक शामिल हैं।

3. यह सुविधा एमटीएनएल के उन कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के दौरान भी देय होगी जो दूसरे मंत्रालयों/विभागों में प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं बशर्ते कि प्रतिनियोक्ता संस्थान द्वारा इस प्रकार की सुविधा न दी गई हो।

4. एमटीएनएल में प्रतिनियुक्ति/मानित प्रतिनियुक्ति पर आने वाले इन मंत्रालयों/विभागों के कर्मचारी भी एमटीएनएल में अपनी प्रतिनियुक्ति के दौरान इस सुविधा के हकदार होंगे बशर्ते उनके मूल संगठन द्वारा उनको आवासीय टेलीफोन सुविधा न दी गई हो।

5. सेवारत कर्मचारियों को अपना एमटीएनएल का नियमित कर्मचारी होने का दस्तावेजी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, संलग्न नमूने के अनुसार, नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि संबंधित कर्मचारी को कोई आवासीय टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत नहीं किया गया है।

6. यदि डीओटी/डीटीएस और डीटीओ (अब बीएसएनएल) के सेवारत कर्मचारियों को रियायती टेलीफोन प्रदान करने के संबंध में दूरसंचार विभाग द्वारा उनके 28 सितम्बर, 2000 के पत्र सं. 2-09/98-पीएचए (भाग-1) के अंतर्गत जारी किए गए आदेश, कामन काज द्वारा दायर की गई रिट याचिका (सिविल) 2000 के सं. 375 पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर वापस ले लिए जाते हैं तो एमटीएनएल कर्मचारियों के लिए जारी किए ये आदेश भी वापस लिए गए माने जाएंगे। कर्मचारियों को इस संबंध में संलग्न प्रपत्र में एक वचनबद्धता भी प्रस्तुत करनी होगी।

7. सभी कार्यकारी अधिकारियों, ग्रेड "क" और "ख" अधिकारियों, कनिष्ठ लेखा अधिकारियों (जेएओ), सिविल, इलैक्ट्रीकल के कनिष्ठ अभियंताओं और 16 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके या 16 वर्ष की सेवा पूरी करने पर गैर-कार्यकारी कर्मचारियों को दो माह में 1150 काल की सामान्य सीमा सहित आवासीय टेलीफोन सेवा कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित श्रम योजनाएं

4094. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:**
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री नरेश पुगलिया:
श्री के.एच. मुनियप्पा:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में चल रही उनके मंत्रालय से संबद्ध अनेक केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या कम करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें रद्द किए जाने की संभावना है;

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इसका उनके मंत्रालय की योजनाओं पर कितना प्रभाव पड़ने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (घ) वर्तमान में श्रम मंत्रालय केन्द्र द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित 13 योजनाएं चला रहा है:

1. उपकरण आधुनिकीकरण स्कीम
2. उपकरण अनुरक्षण स्कीम
3. औ.प्र. संस्थानों में नये व्यवसायों को शुरू किया जाना
4. बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना
5. संबंधित अनुदेश केन्द्रों की स्थापना
6. उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली का विस्तार
7. नए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना
8. विद्यमान महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नए व्यवसायों को शुरू किया जाना
9. उच्च प्रौद्योगिकी (हाइटैक) प्रशिक्षण स्कीम
10. प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.सी.) की स्थापना
11. पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना
12. जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण/आधुनिकीकरण
13. बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास।

इनमें से क्रमांक 1 से 10 तक उल्लिखित योजनाएं पूर्ववर्ती विश्व बैंक सहायता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना के अंतर्गत चल रही हैं और इन्हें नवीं योजना के अन्त तक पूरा कर लिया जाएगा। क्रमांक 11 और 12 पर उल्लिखित योजनाएं केन्द्र द्वारा प्रायोजित नई योजनाएं हैं और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इन्हें 2001-2002 के दौरान शुरू करने का प्रस्ताव है। क्रमांक 13 पर उल्लिखित योजना 1978 से चल रही है और इसे जारी रखा जाएगा।

दूर-संचार डिवीजनों के प्रमुखों की बैठक

4095. श्री रामदास आठवले: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 22 सितम्बर, 2000 को दिल्ली में दूरसंचार डिवीजनों के प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि नहीं, तो उसमें किन-किन मामलों पर चर्चा हुई थी; और

(ग) इस बैठक में की गई सिफारिशों/दिए गए सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं। किन्तु, दूरसंचार सर्किलों के प्रमुखों का एक सम्मेलन 22.9.2000 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था।

(ख) 2000-2001 के लिए नई लाइनों (डीईएल) को चालू करने, ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान करने, केबलों, डब्ल्यू.एल.एल. उपस्कर, स्विचन और पारेषण उपस्करों की सप्लाई करने बीपीटी (ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों) का रख-रखाव करने और मोबाइल सेवाओं की शुरूआत करने से संबंधित विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था।

(ग) बैठक में की गई सिफारिशों/दिए गए सुझावों को समय पर कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी मानीटरिंग की जा रही है।

[हिन्दी]

बेरोजगार व्यक्ति

4096. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में कितने पुरुषों और महिलाओं को रोजगार दिया गया; और

(ख) इनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं और पुरुषों की संख्या कितनी है और आज की तारीख तक कितने लोग बेरोजगार हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) रोजगार कार्यालयों सहित विभिन्न स्रोतों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। रोजगार कार्यालयों द्वारा किए गए पंजीकरण एवं नियोजन संबंधी आंकड़े रखे जाते हैं। वर्ष 1998, 1999 एवं 2000

के दौरान राजस्थान में महिला एवं पुरुष-वार किए गए नियोजनों की कुल संख्या निम्न प्रकार है:-

वर्ष	नियोजन (हजार में)		
	कुल	महिलाएं	पुरुष
1998	5.3	1.8	3.5
1999	4.9	1.2	3.7
2000	1.6	0.6	1.0

(ख) 31 दिसम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार राजस्थान स्थित रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों पर रोजगार चाहने वालों, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, की कुल संख्या तथा उनमें से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या क्रमश: 7.9 लाख, 1.25 लाख तथा 0.6 लाख थी। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों का महिला एवं पुरुष-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

[अनुवाद]

वर्षा जल संचयन

4097. श्री जे.एस. बराड़: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्षा जल संचयन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और चालू वित्त वर्ष के अंत तक किन-किन अतिरिक्त क्षेत्रों को इसके अन्तर्गत लाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है और होने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) जल, राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधनों में वृद्धि करने संबंधी स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण और कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का होता है। केन्द्र सरकार जल विभाजक प्रबंधन कार्यक्रम, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और छत के वर्षा जल के संचयन के माध्यम से वर्षा जल संचयन को भी बढ़ावा दे रही है। जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सी.जी.डब्ल्यू.बी.) विभिन्न राज्यों में संबंधित राज्य सरकार के अधिकरणों के साथ मिलकर "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी अध्ययन" नामक एक प्रायोगिक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के लिए 25.00 करोड़ रुपये की निधियां निर्धारित की हैं। यह स्कीम 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वयनाधीन है और 136 क्षेत्रों में कार्य प्रगति पर है।

दुर्घटना टालने हेतु विमान में प्रणाली

4098. श्रीमती श्यामा सिंह: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने विमान दुर्घटना टालने हेतु नई प्रणाली खरीदी है/खरीदने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किन-किन देशों से इस प्रणाली को खरीदा है और इसकी शर्तें क्या हैं; और

(घ) यह प्रणाली विमान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कितनी उपयोगी होगी?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (घ) विमानों के मध्य आकाश में टक्कर का जोखिम कम करने के लिए एयरलाइनों द्वारा विमानों में वैमानिक टक्कर परिहार प्रणाली (एसीएएस) संस्थापित की गई है। 30 से अधिक सीट क्षमता वाले तथा 5700 किग्रा. से अधिक भार वाले सभी विमानों में वैमानिक टक्कर परिहार प्रणाली जनवरी, 1999 से अनिवार्य कर दी गई है। इस समय, इस श्रेणी में आने वाले सभी विमानों में यह प्रणाली संस्थापित की गई है। वैमानिक टक्कर परिहार प्रणाली (एसीएएस) की खरीद से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का कोई संबंध नहीं है।

एमटीएनएल की कम्प्यूटरीकृत शिकायत सेवा

4099. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) की कम्प्यूटरीकृत शिकायत सेवा संख्या 198 अपने उपभोक्ताओं को गलत सूचना प्रदान कर रही है और उनके दोषपूर्ण टेलीफोनों को सही बताया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अपने उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मुहैया कराने के लिए एमटीएनएल द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अपने उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल) द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

* रिमोट स्विचिंग यूनिट (आरएसयू) और डिजिटल लाइन कंसेट्रेटर्स (डीएलसी) जैसे स्विचिंग नोड्स अधिक संख्या में खोलना।
* वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) की स्थापना।
* समयबद्ध ढंग से पेपर कोर केबल का प्रतिस्थापन।
* बाह्य संयंत्र नेटवर्क का पुनरुद्धार।
* कोरडेक्ट प्रौद्योगिकी की शुरूआत।
* काल केन्द्र खोलना।

हांगकांग के लिए एअर इंडिया की विमान सेवा

4100. **श्री ए. वेंकटेश नायक:**
श्री विजय गोयल:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया ने हाल ही में हांगकांग और अन्य स्थानों के लिए कुछ सीधी विमान सेवाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान में भारत और हांगकांग के बीच चलाई जा रही उड़ानों का एअर लाइनवार ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, हां।

(ख) एअर इंडिया ने हाल ही में निम्नलिखित सीधी उड़ानें आरंभ की हैं:-

(1) मुम्बई-हांगकांग-मुम्बई (सप्ताह में दो उड़ानें) (2) चेन्नई-हांगकांग-चेन्नई (सप्ताह में दो उड़ानें) (3) मुम्बई-सिंगापुर-मुम्बई (सप्ताह में तीन उड़ानें) (4) कोजिकोड-जेद्दाह-कोजिकोड (सप्ताह में एक उड़ान) (5) हैदराबाद-जैद्दाह-हैदराबाद (सप्ताह में एक उड़ान) (6) दुबई-हैदराबाद-दुबई (18 मई, 2001 से प्रभावी) और हैदराबाद-दुबई-हैदराबाद (जुलाई, 2001 से प्रभावी (7) तिरूवनन्तपुरम-दमन-तिरूवनन्तपुरम (21 मई, 2001 से प्रभावी)।

(ग) हांगकांग के लिए एअर इंडिया के वर्तमान प्रचालन हैं:-

बम्बई/दिल्ली/हांगकांग/ओसाका और वापिसी (सप्ताह में दो बार), बम्बई/दिल्ली/हांगकांग और वापिसी (सताह में तीन बार), बम्बई-मद्रास-हांगकांग और वापिसी (सप्ताह में दो बार) बम्बई-हांगकांग और वापिसी (सप्ताह में दो बार)।

हांगकांग के लिए इस समय प्रचालन कर रही अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(1) कैथे पैसिफिक-हांगकांग/बैंकाक/बम्बई/दुबई और इसके वापिसी और हांगकांग/दिल्ली और वापिसी (सप्ताह में चार सेवाएं प्रत्येक की)।

(2) यूनाइटेड एयरलाइंस-लॉसएंजिल्स/हांगकांग/दिल्ली/लन्दन/वाशिंगटन/लॉस एंजिल्स और वापिसी (दैनिक)।

[हिन्दी]

एनएचडीपी और एनएचएआई का कार्यकरण

4101. **श्री रामजीलाल सुमन:**
श्री नवल किशोर राय:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उनके मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों को कौन-कौन से उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं और इन संगठनों की स्थापना कब की गई थी;

(ग) इन संगठनों पर औसतन कितना वार्षिक खर्च किया जा रहा है;

(घ) मार्च 2001 तक प्रत्येक संगठन में कितने कर्मचारी थे; और

(ङ) इन कर्मचारियों की ग्रेडवार अलग-अलग संख्या कितनी है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना कोई संगठन नहीं है अपितु 13,252 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को 4/6 लेन का बनाने के लिए अक्तूबर, 1998 में शुरू की गई एक विस्तृत परियोजना है। यह परियोजना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 जो 15.6.1989 से लागू हुआ था, के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फरवरी, 1995 से कार्य करना प्रारंभ किया।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान किया गया वार्षिक औसत व्यय लगभग 850 करोड़ रु. है।

(घ) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के रोल पर कर्मचारियों की संख्या 4408 थी। इसके अतिरिक्त, इस समय प्राधिकरण का एक अध्यक्ष है और तीन सदस्य हैं।

(ङ) इन कर्मचारियों की श्रेणी-वार अलग-अलग संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान	संख्या
1	2	3	4
1.	मुख्य महाप्रबंधक	18400-22400 रु.	4
2.	महाप्रबंधक (मु.स.अ. सहित)	14300-400-18300 रु.	38
3.	उप महाप्रबंधक	12000-375-16500 रु.	37
4.	प्रबंधक	10000-325-15200 रु.	129
5.	सहायक प्रबंधक	6500-200-10500 रु.	7
6.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	8000-275-13500 रु.	1
7.	लेखा अधिकारी	7450-225-11500 रु.	13
8.	सहायक प्रोग्रामर	7450-225-11500 रु.	2
9.	हिन्दी अधिकारी	6500-200-10500 रु.	–
10.	पुस्तकालयाध्यक्ष	6500-200-10500 रु.	1
11.	निजी सचिव	6500-200-10500 रु.	3
12.	अनुरक्षण अधिकारी	5500-175-9000 रु.	1
13.	निजी सहायक	5500-175-9000 रु.	30
14.	रोकड़िया	5500-175-9000 रु.	1
15.	कार्य पर्यवेक्षक	5000-150-8000 रु.	1

1	2	3	4
16.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	4500-125-7000 रु.	1
17.	आशुलिपिक श्रेणी-घ	4000-100-6000 रु.	74
18.	लेखाकार	4000-100-6000 रु.	43
19.	स्वागत अधिकारी	4000-100-6000 रु.	1
20.	ड्राफ्ट्समैन	4000-100-6000 रु.	6
21.	स्टाफ कार चालक	3050-75-4590 रु.	5
22.	जमादार	2650-65-4000 रु.	1
23.	चपरासी/वाचमैन	2550-55-3200 रु.	9
		जोड़	408

[अनुवाद]

भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996

4102. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भवन और अन्य निर्माण श्रमिक-कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 और भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के कार्यान्वयन हेतु सभी राज्यों के श्रम मंत्रियों की बैठक बुलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन केन्द्रीय अधिनियमों को कार्यान्वित करना और नियम बनाना राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 (मुख्य अधिनियम) और भवन व अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 पूरे भारत में लागू होता है। मुख्य अधिनियम की धारा 63 में यह व्यवस्था है कि इस अधिनियम में कही गई कोई बात किसी राज्य में चलाई जा रही उन कल्याण योजनाओं के अंतर्गत किसी तत्संबंधित कानून के प्रचालन को प्रभावित नहीं करेगी जो अधिनियम के अंतर्गत की गई व्यवस्था से भवन और अन्य निर्माण कर्मकारों के लिए अधिक हितकारी हैं। मुख्य अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति समुचित सरकार को दी गई है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे इन अधिनियमों का कार्यान्वयन करें और मामले को नियमित रूप से अनुवर्तन किया जा रहा है।

हवाई अड्डों पर आकस्मिक निरीक्षण

4103. श्री अधीर चौधरी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत कुछ माह के दौरान ग्राहक सेवाओं की प्रभावोत्पादकता की जांच हेतु प्रमुख विमानपत्तनों पर आकस्मिक निरीक्षण करने और विमानपत्तनों पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वहां पाई गई विसंगतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्राहकों की शिकायतों की जांच हेतु सभी प्रमुख विमानपत्तनों पर ग्राहक शिकायत प्रकोष्ठ बनाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इंडियन एयरलाइंस, एअर इंडिया तथा मंत्रालय के प्रतिनिधियों सहित नागर विमानन मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं शिकायत अधिकारी की अध्यक्षता में विभिन्न हवाई अड्डों का निरीक्षण करने के लिए मई, 2001 में एक समिति गठित की गई है। समिति ने माह जुलाई, 2001 में दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। औचक सर्वेक्षण से कुछ मामले यथा- समन्वय, स्वच्छता वातानुकूल, उड़ान सूचना प्रदर्शन बोर्ड, शिकायत प्रकोष्ठ, व्हील चेयर्स एवं ट्राली, साइनेज, बैगेज, क्लेम, जन सुविधाएं इत्यादि की कुछ कमियां पाई गई।

(ग) और (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मुख्यालय में एक शिकायत प्रकोष्ठ बनाया गया है। सभी महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर, ड्यूटी मैनेजर (कार्य प्रबंधक) यात्रियों की तात्कालिक कठिनाईयों का निवारण करते हैं। इसके अतिरिक्त, सभी हवाई अड्डों पर जन-शिकायत अधिकारियों को नामित किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हवाई अड्डों के सुचारू कार्यकरण के लिए सर्वोत्तम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत रहता है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अतिक्रमित भूमि का व्यावसायिक प्रयोग

4104. श्री नरेश पुगलिया: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली में अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराने के सरकार के पूर्व प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकला;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त विमानपत्तनों की अतिक्रमित भूमि को व्यावसायिक प्रयोग में लाने हेतु अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए सरकार ने नए सिरे से कोई प्रयास किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में नए सिरे से किए गए प्रयासों का क्या परिणाम निकला है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों द्वारा विरोध प्रकट करने, राज्य सरकार द्वारा अनधिकृत कब्जाधारियों के पुनर्वास/पुनर्स्थापना के लिए जोर देने सहित विभिन्न कारणों की वजह से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा मुम्बई, चेन्नई, दिल्ली और हैदराबाद हवाई अड्डों से अतिक्रमण वाली भूमि को मुक्त कराने के पहले ही प्रयास का कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाया।

(ग) से (ङ) अतिक्रमणाधीन भूमि को मुक्त कराने और इसका वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने के लिए प्रयास किए गए हैं। मुम्बई हवाई अड्डे पर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हवाई अड्डे की भूमि से लगभग 2500 झोंपड़-पट्टियों को हटाने के लिए फरवरी, 2001 में शिव शाही पुनर्वासन प्रकल्प लिमिटेड (एसएसपीएल) और पुनर्वास प्राधिकरण के साथ एक त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 30 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और पहली किश्त के रूप में 7 करोड़ रुपये की राशि अदा कर दी है। झोंपड़-पट्टी निवासियों को स्थानांतरित करने के लिए एसपीपीएल ने बहु-मंजिली भवनों का निर्माण किया है। तथापि, अतिक्रमणितो द्वारा इसे खाली कर दिए जाने के बाद ही भूमि का वाणिज्यिक उपयोग किया जा सकता है।

हिन्दी भाषा में सरकारी कार्य

4105. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के केवल 10 अनुभागों को सम्पूर्ण सरकारी कार्य हिन्दी भाषा में करने के निर्देश जारी किये गये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य अनुभाग भी इसका अनुपालन करेंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (घ) श्रम मंत्रालय के 16 अनुभागों को अपना सम्पूर्ण सरकारी कामकाज हिन्दी में करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 8 अन्य अनुभागों के 24 विषयों को भी हिन्दी में काम करने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है।

वनों पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों की शिकायतें

4106. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वनों पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों से वन नीति के संबंध में राय मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या वनों पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार वनों पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ङ) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुसार वनों पर निर्भर करने वाले लोगों और वनों में रहने वाले व्यक्तियों के विचारों को समय-समय पर आमंत्रित किया जाता है। इसके अलावा लोगों को वनों के प्रबंधन और संरक्षण में शामिल करने तथा उनकी वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 26 राज्यों में 62064 ग्राम स्तरीय समितियों तथा लगभग 14.24 मि. हैक्ट. क्षेत्र के माध्यम से संयुक्त वन प्रबन्धन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। संयुक्त वन प्रबन्धन की प्रक्रिया के दौरान लोग वन प्रबंधन में सक्रिय रूप से देख-भाल और भागीदारी आधार पर भाग लेते हैं। वनों पर निर्भर करने वाले लोगों के अधिकारों और रियायतों को पूर्ण रूप से मान्यता और सुरक्षा प्रदान की जाती है तथा कार्य योजना निर्धारणों के अनुरूप व वनों की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित विभिन्न राज्य अधिनियमों और नियमों के अनुसार उन्हें लाभ दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

भोपाल से जबलपुर के लिए विमान सेवाएं

4107. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से विमान सेवाओं का विस्तार भोपाल से जबलपुर तक करने और मध्य प्रदेश को दक्षिण भारत विशेषकर हैदराबाद और चेन्नई से विमान सेवाओं द्वारा जोड़ने का निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार ने दिल्ली-रायपुर-जबलपुर-भोपाल सेवा के प्रचालन के लिए मामलों को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ उठाया है। इंडियन एयरलाइंस ने जुलाई, 1999 से दिल्ली-जबलपुर-भोपाल और वापिसी मार्ग पर सप्ताह में दो बार की डीओ-228 सेवा द्वारा जबलपुर-भोपाल के लिए हवाई सम्पर्क पहले से ही बनाए हुए हैं। नवम्बर, 1999 से मार्ग पुन:संचरना के एक भाग के रूप में, दिल्ली-ग्वालियर-जबलपुर और वापिसी मार्ग पर डीओ-228 सेवा को आरंभ करने के कारण, जबलपुर-भोपाल सम्पर्क को बन्द कर दिया गयान था। एलाइंस एयर ने मार्च, 2000 से चेन्नई-नागपुर-भोपाल और वापिसी मार्ग पर सप्ताह में दो बार की बी-737 सेवा का प्रचालन आरंभ करके भोपाल-दक्षिण भारत के लिए एक सम्पर्क आरंभ किया है। कम यातायात होने के कारण, इस सेवा को अगस्त, 2000 से बन्द कर दिया गया था।

[अनुवाद]

नागौन में उपमार्ग

4108. श्रीमती रानी नरह: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को असम से उपमार्गों के निर्माण का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या असम सरकार ने नागौन में उपमार्ग (बाइपास) के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि का सीमांकन कर दिया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) वार्षिक योजना 2001-2002 के अंतर्गत मांगलदोई व तिनसुकिया बाइपासों के लिए और नॉगांव बाइपास (चरण-1) के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण शामिल है। असम सरकार से प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है। सिल्चर बाइपास के लिए भूमि अधिग्रहण बी आर ओ द्वारा किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) नॉगांव बाइपास के निर्माण के लिए भूमि का सीमांकन किया जा चुका है और इसका अधिग्रहण राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। बाईपास के निर्माण के लिए राज्य लो.नि.वि. द्वारा तकनीकी प्रस्ताव और लागत अनुमान तैयार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़कों का निर्माण

4109. श्री नवल किशोर राय:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को देश में सड़कों के निर्माण का कार्य सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी संस्थाओं को सड़क निर्माण का कार्य सौंपा गया है;

(ग) इन सड़कों के निर्माण पर अलग-अलग कितनी लागत आने की संभावना है; और

(घ) अलग-अलग संस्थाओं द्वारा सड़क निर्माण की लागत में अन्तर के क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन.एच.डी.पी.) के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है जिसके अंतर्गत मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों की 13,252 कि.मी. लंबाई में 4/6 लेन बनाया जाना है। निर्माण कार्य सौ से अधिक संविदाकारी फर्मों को दिया गया है।

(ग) 4 लेन बनाने की अनुमानित लागत लगभग 4 करोड़ रु. प्रति. कि.मी. है।

(घ) निर्माण लागत में अंतर के कारण निर्माण-स्थल की स्थिति, इंजीनियरी डिजाइन, निर्माण लागत विशिष्टि आदि हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-76 की लम्बाई

4110. श्री श्रीचन्द कृपलानी: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिंडवाला-उदयपुर-चित्तौड़गढ़-बाड़ा-शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-76 की लम्बाई कितनी है;

(ख) क्या उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग को विश्व बैंक परियोजना में सम्मिलित कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) पिंडवाड़ा-उदयपुर-चित्तौड़गढ़-बाड़ा-शिवपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-76 की लंबाई 620 कि.मी. है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वन्य जीवों पर सूखे के दुष्प्रभाव

4111. डा. चरणदास महंत: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वन्यजीवों और वनों पर मौजूदा सूखे के कारण पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम करने और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राहत देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 84.55 लाख रुपए की वित्तीय सहायता गुजरात के 8 वन्यजीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने के लिए दी गई है।

बांस के वृक्षों का लुप्तप्राय होना

4112. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बांस के वृक्षों को लुप्त होने से बचाने के लिए कोई आकस्मिकता योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने इन वृक्षों को बचाने के लिए राज्य सरकारों से योजना तैयार करने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या राज्य सरकारों ने बांस के वृक्षों को बचाने के लिए के लिए उनके द्वारा आरंभ किये जा रहे विशेष अभियान के लिए धनराशि की मांग की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस कार्य में राज्य सरकारों को क्या सहायता प्रदान की जा रही है;

(छ) क्या इस वृक्ष को बचाने के लिए चीन जैसे अन्य देशों से कोई विशेषज्ञता प्राप्त की जा रही है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (च) बांस एक सुस्थापित चक्रीय आधार पर पुष्पित होते हैं और वजह से बांस पौधे के समाप्त होने के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है तथापि, बहुत बड़ी मात्रा में निकले हुए बांस के फूलों से भयंकर दावानल और कृंतक (रोडेन्ट) के खतरे की संभावना रहती है। वे क्षेत्र, जहां पर ऐसी घटना होती है वहां राज्य सरकार को सभी संबंधित कारणों पर विचार करने के उपरांत उपयुक्त रूप से प्रबंधन करना होता है। यद्यपि बांस की पौध को लुप्तप्राय होने से बचाने के लिए कोई अलग से आकस्मिक योजना नहीं बनाई गई है। पूरे देश में कार्यान्बित की जा रही "औषधीय पादपों सहित गैर-इमारती वनोत्पाद" नामक वर्तमान केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत बांस रोपण एक मद है। इसके अलावा बांस संसाधन विकास को एक महत्वूपर्ण क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था और राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वर्ष 1999-2000 से बांस रोपण परियोजनाओं के लिए स्वीकृति दी गई है। नवीं पंचवर्षीय योजना में अब तक 30163 हेक्टेयर क्षेत्र पर बांस रोपण के लिए 20.86 करोड़ रुपये के परिव्यय से 21 राज्यों में 21 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। राज्य सरकारों को अब तक 11.00 करोड़ रुपये की धनराशि दी जा चुकी है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सड़क निर्माण में विदेशी निवेश

4113. श्री मनसुखभाई डी. वसावा: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में सड़क निर्माण के लिए विदेशी निवेशकों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तीथि तक प्राप्त प्रस्तावों का देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गयी?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) से (ग) मलेशिया सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) आधार पर परियोजनाएं शुरू करने हेतु अपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डिवलपमेंट बोर्ड इन्वेंचर्स (सी.आई.डी.बी.आई.) के जरिए दो प्रस्ताव दिए हैं। ये हैं- (1) आंध्र प्रदेश में रा.रा.-5 के टाडा-नैल्लौर खंड और रा.रा.-9 के विजयवाड़ा-नंदीग्राम खंड पर चार लेन बनाना (2) दिल्ली और हरियाणा में रा.रा.-8 के दिल्ली-गुड़गांव खंड पर आठ लेन बनाना। सरकार ने प्रस्ताव (1) को अनुमोदित कर दिया है, परन्तु प्रस्ताव (2) को अनुमोदन प्रदान नहीं किया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-2 से जोड़ना

4114. श्री सुनील खां: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में खड़गपुर से रानीगंज बरास्ता मजिया (राष्ट्रीय राजमार्ग-60) को राष्ट्रीय राजमार्ग-2 से जोड़ा गया है अर्थात् पंजाबी मोड़ (रानीगंज) से मोरेग्राम तक बरास्ता पंडावेश्वर;

(ख) यदि हां, तो दक्षिण बंगाल से उत्तरी बंगाल के बीच कितनी दूरी कम हुई है;

(ग) क्या खड़गपुर को राष्ट्रीय राज्यमार्ग द्वारा बालासोर (उड़ीसा) से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है ताकि दक्षिणी राज्यों और उत्तरी राज्यों में दूरी कम की जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) पश्चिम बंगाल में खड़गपुर से रानीगंज बरास्ता मजिया (रा.रा.-60) रा.रा.-2 से जुड़ा हुआ है, परन्तु रा.रा.-2 पर पंजाबी मोड़ (रानीगंज) से रा.रा.-34 पर मोरेग्राम तक बरास्ता पंडावेश्वर नहीं जुड़ा है। रा.रा.-2 पर पंजाबी मोड़ (रानीगंज) से रा.रा.-34 पर मोरेग्राम बरास्ता पानागढ़-दुब्बाराजपुर-सिउरी-रामपुरहाट जुड़ा हुआ है।

(ख) खड़गपुर से मोरेग्राम बरास्ता मजिया-पंडावेश्वर की दूरी 294 कि.मी. है और खड़गपुर से मोरेग्राम बरास्ता पानागढ़-दुब्बाराजपुर-सिउरी-रामपुरहाट की दूरी 346 कि.मी. है। इस तरह, खड़गपुर (दक्षिण बंगाल) से मोरेग्राम (उत्तर बंगाल) बरास्ता मजिया-पंडावेश्वर की दूरी 52 कि.मी. कम है।

(ग) और (घ) खड़गपुर से बालासोर (उड़ीसा) खंड रा.रा.-60 का हिस्सा है और स्वर्णिम चतुर्भुज के भाग के रूप में इसे चार लेन का बनाया जा रहा है जिसे दिसम्बर, 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है। स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना चारों महानगरों—नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नै और मुंबई को न्यूनतम दूरी से जोड़ने की है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-89 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65

4115. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के बीकानेर, नागौर, जोधपुर और पाली जिलों को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-89 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 से जोड़ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जोधपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 घटिया सामग्री के उपयोग के कारण अपने निर्माण के छः महीने के भीतर ही क्षतिग्रस्त हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कितने व्यक्तियों को उत्तरदायी पाया गया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग-89 बीकानेर से शुरू होता है, नागौर जिला से गुजरता है और अजमेर शहर में समाप्त होता है जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग-65 नागौर, जोधपुर जिला से गुजरता है और पाली में समाप्त होता है।

(ग) और (घ) जी नहीं। तथापि जोधपुर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 65 की 26 कि.मी. की कुल लंबाई में से कुछ लघु खंड में जिन पर गुणता में सुधार किया गया था, अभी हाल की वर्षा और पानी की लाइन में रिसाव के कारण कुछ गड्ढे हो गए हैं। इनकी मरम्मत दोष दायित्व अवधि के अंतर्गत उसी ठेकेदार से कराई जा रही है।

डाकघरों का आधुनिकीकरण

4116. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में डाकघरों के आधुनिकीकरण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि तक कितने डाकघरों का आधुनिकीकरण किया गया; और

(घ) चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के दौरान कितने डाकघरों का आधुनिकीकरण किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) देश में आज की तारीख तक एक हजार छह सौ छह (1,606) डाकघरों को आधुनिक बनाया गया है।

(घ) वर्तमान वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में एक सौ पच्चीस (125) डाकघरों को आधुनिक बनाए जाने की आशा है।

विवरण

आधुनिक बनाये जाने वाले डाकघर

क्रम. सं.	राज्य	2001-2002 के दौरान आधुनिक बनाए जाने वाले डाकघरों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	7
2.	अरूणाचल प्रदेश	1
3.	असम	5
4.	बिहार	8
5.	छत्तीसगढ़	6
6.	दिल्ली	2
7.	गोवा	1
8.	गुजरात	7
9.	हरियाणा	6

1	2	3
10.	हिमाचल प्रदेश	8
11.	जम्मू व कश्मीर	2
12.	झारखंड	2
13.	कर्नाटक	5
14.	केरल	4
15.	मध्य प्रदेश	5
16.	महाराष्ट्र	5
17.	मणिपुर	2
18.	मेघालय	1
19.	मिजोरम	2
20.	नागालैंड	1
21.	उड़ीसा	5
22.	पंजाब	5
23.	राजस्थान	7
24.	सिक्किम	2
25.	तमिलनाडु	5
26.	त्रिपुरा	2
27.	उत्तर प्रदेश	5
28.	उत्तरांचल	9
29.	पश्चिम बंगाल	5
	कुल	125

वर्षा जल का प्रबंधन

4117. श्रीमती जस कौर मीणा: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में वर्षा जल के प्रबंधन पर राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ख) क्या सरकार के पास राजस्थान की चम्बल, वानस और मोराले नदियों के जल को नियंत्रित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) वर्षा जल प्रबंधन विभिन्न जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग है। इस कार्यक्रम में, भूजल विकास एवं बाढ़ नियंत्रण कार्यों सहित वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं। जल राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधन परियोजनाओं की योजना, निष्पादन और वित्तपोषण राज्य सरकार द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार अपने संसाधनों द्वारा किया जाता है। गत तीन वर्षों अर्थात् 1996-97 से 1998-1999 के दौरान सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण क्षेत्रों पर किए गए खर्च का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण (क) से (ग) में दिया गया है।

(ख) और (ग) मोरले नदी, चम्बल नदी की सहायक नदी वानस (बानस) नदी की एक सहायक नदी है। राजस्थान सरकार ने तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के वास्ते एक वृहद एवं तीन मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्रीय जल आयोग को भेजा है।

मूल्यांकन स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	लाभ (हजार हेक्टे.)	मूल्यांकन स्थिति
1	2	3	4	5
1.	पिपाल्दा लिफ्ट वृहद सिंचाई परियोजना	11.39	14.87	राज्य से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
2.	छकन मध्यम सिंचाई परियोजना	9.55	3.38	कुछ शर्तों के अधीन तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत।

1	2	3	4	5
3.	पिपाल्दा मध्यम सिंचाई परियोजना	21.88	4.70	राज्य सरकार से संशोधित रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
4.	गराडा मध्यम सिंचाई परियोजना	39.51	9.22	कुछ शर्तों के अधीन तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत।

विवरण (क)

वास्तविक व्यय : 1996-97 (केन्द्रीय + राज्य योजना)

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र

(व्यय करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	वृहद एवं मध्यम	लघु सिंचाई	कमान क्षेत्र विकास	बाढ़ नियंत्रण	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	560.05	102.76	10.98	15.71	689.50
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.94	14.58	0.89	3.36	19.77
3.	असम	21.56	59.98	3.66	18.11	103.31
4.	बिहार	195.97	43.13	14.46	41.63	295.19
5.	गोवा	25.53	5.25	1.33	0.83	32.94
6.	गुजरात	860.10	112.74	13.77	3.75	990.36
7.	हरियाणा	162.27	37.00	13.06	15.74	228.07
8.	हिमाचल प्रदेश	4.55	33.68	1.09	3.68	43.00
9.	जम्मू व कश्मीर	18.11	26.02	2.68	15.67	62.48
10.	कर्नाटक	1070.38	73.82	31.88	12.00	1188.08
11.	केरल	139.12	46.76	12.00	35.80	233.68
12.	मध्य प्रदेश	301.53	121.47	3.53	0.99	427.52
13.	महाराष्ट्र	719.49	398.60	98.49	2.88	1219.46
14.	मणिपुर	43.23	2.02	7.37	1.03	53.65
15.	मेघालय	1.46	5.20	0.21	1.43	8.30
16.	मिजोरम	0.00	2.74	0.05	0.00	2.79
17.	नागालैंड	0.60	2.66	0.20	0.20	3.66

1	2	3	4	5	6	7
18.	उड़ीसा	330.46	105.34	3.48	17.15	456.43
19.	पंजाब	59.49	31.02	35.66	54.28	180.45
20.	राजस्थान	286.55	42.83	95.26	42.20	466.84
21.	सिक्किम	0.00	2.56	0.06	2.34	4.96
22.	तमिलनाडु	22.53	30.01	13.44	0.55	66.53
23.	त्रिपुरा	7.25	8.05	0.02	2.12	17.44
24.	उत्तर प्रदेश	403.92	177.07	20.09	22.50	623.58
25.	पश्चिम बंगाल	119.53	63.21	2.05	59.99	244.78
	कुल राज्य	5354.62	1548.50	385.71	373.94	7662.77
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	1.46	6.03	0.01	20.89	28.39
	कुल—राज्य+संघ राज्य क्षेत्र	5356.08	1554.53	385.72	394.83	7691.16
	केन्द्रीय क्षेत्र	535.22	45.15	138.32	67.60	786.29
	कुल योग	5891.30	1599.68	524.04	462.43	8477.45

विवरण (ख)

वास्तविक व्यय : 1997-98 के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण

(व्यय करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	एम. एण्ड एम.	एम.ई.	सी.ए.डी.	एफ.सी.	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	659.70	111.04	7.16	17.85	795.75
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.36	16.73	0.98	3.76	21.83
3.	असम	30.34	89.70	3.19	16.24	139.47
4.	बिहार	240.67	41.15	11.30	42.34	335.46
5.	गोवा	22.94	3.30	0.92	0.94	28.10
6.	गुजरात	1212.95	148.16	11.32	4.00	1376.43
7.	हरियाणा	214.75	30.00	12.14	20.71	277.60

1	2	3	4	5	6	7
8.	हिमाचल प्रदेश	10.12	41.35	1.09	3.65	56.21
9.	जम्मू व कश्मीर	21.41	26.07	3.53	17.61	68.62
10.	कर्नाटक	1308.29	70.05	24.11	10.31	1412.76
11.	केरल	153.58	41.67	11.54	22.13	228.92
12.	मध्य प्रदेश	375.47	139.62	3.48	0.72	519.65
13.	महाराष्ट्र	1606.24	348.69	53.14	0.98	2009.05
14.	मणिपुर	40.33	5.71	1.83	6.75	54.62
15.	मेघालय	1.50	5.50	0.25	1.50	8.75
16.	मिजोरम	0.04	1.96	0.04	0.00	2.04
17.	नागालैंड	0.80	2.73	0.20	0.20	3.93
18.	उड़ीसा	519.98	81.39	4.00	18.31	623.68
19.	पंजाब	51.15	26.82	43.77	51.05	172.79
20.	राजस्थान	386.95	34.58	58.99	12.34	492.86
21.	सिक्किम	2.16	0.00	0.00	1.09	3.25
22.	तमिलनाडु	87.96	42.66	16.73	0.00	147.35
23.	त्रिपुरा	5.00	7.84	0.02	4.64	17.50
24.	उत्तर प्रदेश	473.87	99.34	30.58	14.40	618.19
25.	पश्चिम बंगाल	102.04	30.39	2.60	62.32	197.35
	कुल राज्य	7528.60	1446.45	303.27	333.84	9612.16
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	0.51	8.86	0.21	18.25	27.83
	कुल—राज्य+संघ राज्य क्षेत्र	7529.11	1455.31	303.48	352.09	9639.99
	केन्द्रीय क्षेत्र	36.72	42.84	129.26	67.17	275.99
	कुल योग	7565.83	1498.15	432.74	419.26	9915.98

एम. एण्ड एम. - वृहद एवं मध्यम
एम.आई. - लघु सिंचाई
सी.ए.डी. - कमान क्षेत्र विकास
एफ.सी. - बाढ़ नियंत्रण

विवरण (ग)

अनुमानित व्यय : वर्ष 1998-99 के लिए सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण

(व्यय करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	एम.एण्ड एम.	एम.आई.	सी.ए.डी.	एफ.सी.	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	790.70	148.11	13.00	49.00	1000.81
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.31	12.87	0.78	4.16	18.12
3.	असम	45.91	68.61	2.64	20.27	137.73
4.	बिहार	121.00	27.00	12.00	43.00	203.00
5.	गोवा	20.54	6.25	1.82	1.16	29.77
6.	गुजरात	1347.32	251.82	13.19	5.00	1617.33
7.	हरियाणा	342.79	58.75	12.50	20.00	434.04
8.	हिमाचल प्रदेश	12.25	47.67	0.30	5.88	66.10
9.	जम्मू व कश्मीर	73.52	39.31	4.11	26.12	143.06
10.	कर्नाटक	1354.27	86.28	11.46	7.00	1459.01
11.	केरल	140.00	39.60	12.00	24.00	215.60
12.	मध्य प्रदेश	425.85	209.24	4.49	1.00	640.58
13.	महाराष्ट्र	2627.99	366.26	72.40	1.16	3067.81
14.	मणिपुर	36.65	9.50	11.05	5.10	62.30
15.	मेघालय	4.00	6.45	0.30	2.00	12.75
16.	मिजोरम	0.03	4.89	0.30	0.00	5.22
17.	नागालैंड	0.04	4.27	0.10	0.09	4.50
18.	उड़ीसा	602.81	92.96	5.00	15.00	715.77
19.	पंजाब	58.62	38.04	17.20	184.84	298.70
20.	राजस्थान	436.74	49.40	69.18	4.53	559.85
21.	सिक्किम	0.00	0.85	2.84	0.02	3.71

1	2	3	4	5	6	7
22.	तमिलनाडु	294.96	72.89	21.88	0.80	390.53
23.	त्रिपुरा	7.58	8.93	0.02	3.24	19.77
24.	उत्तर प्रदेश	470.00	68.15	14.08	45.90	598.13
25.	पश्चिम बंगाल	58.12	18.65	0.61	82.22	159.60
	कुल राज्य	9272.00	1736.75	303.55	551.49	11863.79
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	1.12	10.06	0.07	21.72	32.97
	कुल—राज्य+संघ राज्य क्षेत्र	9273.12	1746.81	303.62	573.21	11896.76
	केन्द्रीय क्षेत्र*	49.11	48.29	174.90	74.49	346.79
	कुल योग	9322.23	1795.10	478.52	647.70	12243.55

एम. एण्ड एम. - वृहद एवं मध्यम

एम.आई. - लघु सिंचाई

सी.ए.डी. - कमान क्षेत्र विकास

एफ.सी. - बाढ़ नियंत्रण

[अनुवाद]

पुराने टेलीफोन उपकरणों को बदला जाना

4118. डा. वी. सरोजा: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देशभर में पुराने और प्रचलन से बाहर हो चुके टेलीफोन उपकरणों को बदले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने 31.3.96 की स्थिति के अनुसार कार्यरत मियाद समाप्त कर चुके 90 प्रतिशत टेलीफोन उपकरणों को अगले दो वर्षों के भीतर बदलने की योजना बनाई है।

महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल) ने 5 वर्ष से अधिक पुराने सभी टेलीफोन उपकरणों को चरणबद्ध रूप से बदलने की योजना बनाई है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) भाग के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

वन्यजीवों के प्रति अपराध

4119. श्री एन. जनार्दन रेड्डी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वन्य जीवों के प्रति अपराध कई गुना बढ़ गये हैं और गैर-सरकारी संगठन इस संबंध में प्रभावी कदम उठाने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1994 में सुब्रह्मणियम समिति ने भी, वन्य जीवों के प्रति अपराधों को रोकने के लिए एक निदेशालय की स्थापना की सिफारिश की थी;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने देश में वन्य जीवों के प्रति होने वाले अपराधों पर रोक लगाने के उद्देश्य से एक 'वन्य जीव अपराध निवारण निदेशालय' स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) जी, हां।

(घ) वन्यजीव अपराध प्रकोष्ठ के लिए आवश्यक पदों के सृजन करने का कार्य शुरू किया जा चुका है।

जनजाति-बहुल और पिछड़े क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाएं/योजनाएं

4120. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के सभी जनजाति-बहुत और पिछड़े क्षेत्रों में शुरू की गई सिंचाई परियोजनाओं/योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनमें से कुछ परियोजनाएं/योजनाएं निर्धारित अवधि से काफी पीछे चल रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) नौवीं योजना के दौरान देश के जनजाति एवं पिछड़े क्षेत्रों में शुरू किए गए, जनजाति उप योजना के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं/स्कीमों का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण तथा निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों तथा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वृहत				मध्यम			
		संख्या	नवीनतम आकलित लागत	होने वाला संचयी व्यय	चरम क्षमता (हजार हैक्टे.)	संख्या	नवीनतम आकलित लागत	होने वाला संचयी व्यय	चरम क्षमता (हजार है.)
1.	गुजरात	2	300	1.79	32.56	19	443.42	7.30	93.53
2.	मध्य प्रदेश	3	536.37	0.19	32.37	1	89.51	0.52	13.37
3.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	2	19.21	0.79	6.39
4.	महाराष्ट्र	1	267.64	146.93	11.83	2	50.17	34.48	10.62
5.	नागालैंड	–	–	–	–	1	133.76	1.91	11.5
6.	राजस्थान	1	450	–	–	1	18.70	0.18	8.90
7.	पश्चिम बंगाल	2	163.80	0.126	1.04	3	167.82	0.568	7.80

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-57 पर निर्माण कार्य

4121. श्री कीर्ति झा आजाद: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं.57 (दरभंगा-फारबिसगंज) पर चल रहा निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्य को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय, इस खंड में सड़क गुणता में सुधार और पुलों के पुनर्निर्माण/मरम्मत के लिए 16.40 करोड़ रुपये के 9 कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। 4 कार्य पहले से चल रहे हैं और शेष 5 कार्यों के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा, रा.रा.-57 का दरभंगा-फारबिसगंज खंड, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन एच डी पी) के अंतर्गत पूर्व-पश्चिम महामार्ग का हिस्सा है और इस खंड पर 4 लेन बनाने का कार्य वर्ष 2007 तक चरणों में पूरा करने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन संरक्षण तथा परिरक्षण के लिए मार्गनिदेश

4122. श्री सी. श्रीनिवासन: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान, केन्द्र सरकार ने पर्यावरण और वन संरक्षण के संबंध में राज्यों को क्या-क्या निदेश/मार्ग-निदेश जारी किए;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारें इन निदेशों/मार्ग-निदेशों पर अमल करने में बुरी तरह विफल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्यों द्वारा निदेशों/मार्ग-निदेशों को कड़ाई से पालन कराने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कौन से ठोस उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) सरकार समय-समय पर विभिन्न अधिनियमों/सांविधिक विनियमों के विशिष्ट उपबंधों के अंतर्गत राज्य सरकारों को निर्देश/दिशा निर्देश जारी करती है। पिछले 2 वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को जारी किए गए कुछ निर्देशों/दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) मुम्बई उच्च न्यायालय, पणजी बैंच के आदेशों के अनुसरण में विद्युत और लोक निर्माण विभाग, गोवा सरकार को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत बिजली व पानी का कनैक्शन बंद करने हेतु निर्देश और गोवा के उन बीच रिसोर्टों और होटलों को निर्देश जहां पर्यावरणीय दिशा निर्देशों, नियमों और विनियमों का उल्लंघन करके निर्माण कार्य किया गया।

(2) मई 2000 के दौरान समन्वित ग्राम वनीकरण समृद्धि योजना तथा वन विकास एजेंसी का गठन करने हेतु दिशा निर्देश।

(3) हिन्दुस्तान जिंक लि., उदयपुर से उत्सर्जित जेरोसाइट सलज के निपटान के प्रयोजनार्थ जेरोसाइट जलाशय के निर्माण को रोकने तथा ऐसे कदम उठाने के लिए जिससे कि संदूषित स्थल बाधित न हो, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत दिनांक 9.11.2000 को पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार को निर्देश।

(4) वन संबंधी स्वीकृति के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रतिपूरक वनीकरण करने के लिए दिशानिर्देश।

सामान्यतया राज्य सरकारें ही इन दिशा निर्देशों को क्रियान्वित करती हैं। जहां कहीं इन दिशानिर्देशों के अनुपालन न किए जाने संबंधी विशिष्ट मामले सरकार के ध्यान में आते हैं, वहां पर्यावरणी हितों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं।

डाकघरों का खोला जाना

4123. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान राज्यवार, विशेषकर आंध्र प्रदेश में कितने डाकघरों को खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इस प्रयोजन हेतु राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या यह राशि पूर्ववर्ती वर्ष की अपेक्षा अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) आन्ध्र प्रदेश तथा देश में शेष सर्किलों के लिए वर्तमान वर्ष 2001-2002 के लिए आवंटित लक्ष्य संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 2001-2002 के लिए सर्किलवार आवंटित निधि संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) डाक नेटवर्क के विस्तार से संबंधित कार्यकलाप के लिए आवंटित कुल निधि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2001-2002 में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

योजना वर्ष 2001-2002 में डाकघर खोलने के लिए वास्तविक लक्ष्य

क्र.सं.	सर्किल	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	विभागीय उप-डाकघर
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	15	1
2.	असम	35	2
3.	बिहार	60	5
4.	छत्तीसगढ़	25	1
5.	दिल्ली	2	2
6.	गुजरात	20	3
7.	हरियाणा	2	1
8.	हिमाचल प्रदेश	5	1
9.	जम्मू व कश्मीर	13	1
10.	झारखंड	30	2
11.	कर्नाटक	20	2
12.	केरल	2	1
13.	मध्य प्रदेश	21	3
14.	महाराष्ट्र	70	7
15.	उत्तर पूर्व	35	2
16.	उड़ीसा	14	2
17.	पंजाब	6	2
18.	राजस्थान	20	2
19.	तमिलनाडु	5	2
20.	उत्तर प्रदेश	45	2
21.	उत्तरांचल	25	1
22.	पश्चिम बंगाल	30	5
	कुल	500	50

विवरण-II

निधि का सर्किलवार आवंटन 2001-2002

निधि का आवंटन (राशि लाख रु. में)

क्र.सं.	सर्किल	शहरी क्षेत्र 3201-02.101.01	ग्रामीण क्षेत्र 3201-02.101.05	जनजातीय क्षेत्र 3201-02.101.06	पीएसएसके 3201-02 101.07.02 (i)	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	25.82	8.46	3.19	12.65	50.12
2.	असम	46.67	32.92	7.87	8.69	96.15

1	2	3	4	5	6	7
3.	बिहार	23.73	52.72	17.28	70.31	164.04
4.	छत्तीसगढ़	3.77	6.37	4.38	13.34	27.86
5.	दिल्ली	22.21	5.8	–	–	28.01
6.	गुजरात	30.87	21.18	5.62	15.9	73.57
7.	हरियाणा	18.44	12.04	–	10.60	41.08
8.	हिमाचल प्रदेश	8.66	4.67	0.34	7.90	21.57
9.	जम्मू व कश्मीर	11.1	13.14	3.37	1.67	29.28
10.	झारखंड	5.09	2.55	2.55	13.81	24.00
11.	कर्नाटक	34.43	19.19	6.83	5.72	66.17
12.	केरल	20.88	8.14	–	–	29.02
13.	मध्य प्रदेश	38.2	28.89	13.16	40.31	120.56
14.	महाराष्ट्र	50.83	52.18	13.28	29.95	146.24
15.	उत्तर पूर्व	31.99	17.78	19.12	9.49	78.38
16.	उड़ीसा	24.65	12.62	4.58	14.27	56.12
17.	पंजाब	19.76	13.76	1.04	9.44	44.00
18.	राजस्थान	14.87	24.66	5.26	13.90	58.69
19.	तमिलनाडु	24.65	14.29	4.24	15.07	58.25
20.	उत्तर प्रदेश	29.55	52.04	3.19	43.34	128.12
21.	उत्तरांचल	3.76	3.59	5.60	6.10	19.05
22.	पश्चिम बंगाल	72.64	29.4	4.30	3.12	109.46
	कुल	562.57	436.39	125.20	345.58	1469.74

दूरसंचार क्षेत्र में निवेश

4124. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उदारीकरण की नीति के तहत निजी क्षेत्र द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक दूरसंचार क्षेत्र में जो निवेश किया गया इसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निजी क्षेत्र और विदेशी दूरसंचार कम्पनियों ने देश के पिछड़े जिलों में दूरसंचार सुविधाओं का विकास करने के लिए निवेश करने में रुचि दिखाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) प्राइवेट प्रचालकों से प्राप्त सूचना के अनुसार 31.3.2000 तक प्राइवेट प्रचालकों द्वारा प्रमुख दूरसंचार सेवा क्षेत्र में किया गया कुल निवेश लगभग 16564.38 करोड़ रुपये है। ब्यौरा इस प्रकार है:-

बुनियादी सेवाएं	-	3,605,48 करोड़ रुपये
सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवाएं	-	11,860.91 करोड़ रुपये
वी-सेट	-	184.52 करोड़ रुपये
मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा	-	250.00 करोड़ रुपये
पेजिंग सेवा	-	663.47 करोड़ रुपये

प्राइवेट निवेश का वर्ष-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ) देश में बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए आमंत्रित निविदा में विदेशी भागीदारों वाली भारतीय कंपनियों ने भाग लिया था। बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रदान करने वाली कंपनी 49 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कर सकती है। मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, (मुम्बई सहित) राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश और गुजरात सर्किलों में बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए ऐसी छ: कंपनियों को लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, एनटीपी-99 के अनुसार बुनियादी टेलीफोन सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दिया गया है। बुनियादी टेलीफोन सेवा के मौजूदा लाइसेंसधारकों के रोल-आऊट दायित्व में ग्रामीण और अलाभकारी क्षेत्रों को कवर करना शामिल है।

[हिन्दी]

महानगर टेलीफोन निगम लि. के अधिकारियों/कार्मिकों का विदेश दौरा

4125. डा. बलिराम: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के अधिकारियों/कार्मिकों का पदनाम बदलकर उन्हें विदेश भेजा जाता रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी कार्मिकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

शिरडी में हवाई अड्डे का निर्माण

4126. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को शिरडी में हवाई अड्डे के निर्माण करने के संबंध में महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक अनुरोध मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शिरडी में हवाई अड्डा बनाने के लिए तकनीकी साध्यता के लिए अनुरोध किया है। राज्य सरकार द्वारा चयनित कार्य स्थल 50 सीटर विमानों के प्रचालन के लिए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए उपर्युक्त है। राज्य सरकार को भू-अर्जन करने तथा रक्षा मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की भी सलाह दी गई थी। राज्य सरकार ने इस बारे में हुई आगे की प्रगति की सूचना नहीं दी है।

विमानपत्तनों का निर्माण

4127. श्री के.ए. सांगतम: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक विमानपत्तन बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए अब तक किन-किन राज्यों की पहचान की गई है;

(ग) क्या सरकार नागालैण्ड की राजधानी कोहिमा तथा मोकोकचुंग में भी विमानपत्तन के निर्माण पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ क्या योजना बनाई गई है तथा इस प्रयोजन हेतु कितनी राशि रखी गई है; और

(ङ) इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) आमतौर पर सभी राज्यों की राजधानियों में हवाई अड्डे विद्यमान हैं। इसलिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की किसी नए हवाई अड्डे के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (ङ) दीमापुर में पहले से ही एक हवाई अड्डा है जिससे नागालैण्ड की राजधानी कोहिमा की भी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इस समय होहिमा और मोकोकचुंग में हवाई अड्डे के निर्माण की कोई योजनाएं नहीं हैं।

अतिक्रमण की गई भूमि पर परिवारों का पुनर्वास

4128. श्री राजैया मल्याला: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिकंदराबाद में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) के स्वामित्व वाली भूमि पर अतिक्रमण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस भूमि का कब्जा लेने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण क्या उपाय कर रहा है;

(ग) अतिक्रमण हटाने से प्रभावित होने वाले परिवारों का पुनर्वास करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने क्या योजना बनाई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (घ) सिकन्दराबाद में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की 97 एकड़ भूमि पर लगभग 5300 परिवारों ने अतिक्रमण किया हुआ है। अप्रैल, 1994 में, राज्य सरकार द्वारा 9.61 करोड़ रुपये के एक पुनर्वास पैकेज का अनुमोदन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कर दिया था। मई, 1994 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अपने 4.58 करोड़ रुपए के अंशदान में से पहली किश्त के रूप में राज्य सरकार के पास 125 लाख रुपए की राशि जमा करवाई थी। फरवरी, 1998 में राज्य सरकार ने 42.74 करोड़ रुपए की बढ़ी हुई अनुमानित लागत पर संशोधित प्रस्ताव भेजा। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से कुल संशोधित अंशदान 17.74 करोड़ रुपए था। राज्य सरकार से पुनर्वास की लागत पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है। निजी सेक्टर की भागीदारी से शमशाबाद में एक नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा पहले ही अनुमोदन दे दिए जाने के कारण, इस भूमि की कोई तात्कालिक प्रचालनात्मक आवश्यकता नहीं है।

विदेश संचार निगम लिमिटेड

4129. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेश संचार निगम लिमिटेड (वीएसएनएल) ने आई.एस.डी. टेलीफोन कालों की दरें किस तिथि से कम की हैं;

(ख) क्या इससे विदेश संचार निगम लिमिटेड के राजस्व-अर्जन पर कोई प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में विदेश संचार निगम लिमिटेड ने कौन सा नया प्रस्ताव पेश किया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार 1.10.2000 से आई.एस.डी काल दरें कम कर दी गई हैं।

(ख) इससे वीएसएनएल के प्रति मिनट राजस्व पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। तथापि, दरों में संशोधन के बाद आउटगोइंग परियात की मात्रा में वृद्धि होने के कारण वीएसएनएल के राजस्व में वृद्धि हुई है।

(ग) आउटगोइंग परियात की मात्रा 5% की सामान्य वृद्धि से बढ़कर 17% तक हो गई है। इस प्रकार हम टैरिफ कटौती के कारण 12% तक वृद्धि का अंतर देख सकते हैं। जो वर्ष 2000-2001 के दौरान 29 करोड़ रुपये का बनता है।

(घ) चूंकि टैरिफ का मामला वीएसएनएल से संबंधित नहीं है इसलिए इस विषय पर वीएसएनएल द्वारा कोई नया प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है।

उप-दलों का गठन

4130. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दूरसंचार क्षेत्र संबंधी कार्यदल ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक दृष्टिकोण तैयार करने तथा निजी क्षेत्र के निवेश का प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से चार उप-दलों को गठित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इन उप-दलों के कार्यकलापों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये उप-दल अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देंगे; और

(घ) दूरसंचार नीति के क्रियान्वयन में ये उप-दल कितने सहायक सिद्ध होंगे?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) इन उप-दलों के कार्य निम्नानुसार हैं:-

- नई दूरसंचार नीति (1999) के उद्देश्यों को पूरा करते हुए सेवाओं तथा बाजारों की समाभिरूपता डब्ल्यूटीओ/आईपीआर व्यवस्थाओं तथा अन्य संगत कारणों के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य के मद्देनजर सूचना प्रौद्योगिकी तथा अन्य आर्थिक क्षेत्रों के त्वरित विकास में सहायता देने के लिए विश्व-स्तरीय दूरसंचार अवसंरचना के विकास के मूल लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 10वीं योजना के लिए दूरसंचार क्षेत्र के संबंध में दृष्टिकोण तैयार करना।
- समाभिरूपता के बाद के परिदृश्य में दूरसंचार क्षेत्र और पुनर्गठन/सुधार के संबंध में सिफारिशें करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क की उपयुक्त प्रणाली के विकास पर सिफारिशें करना जो वहनीय होने के साथ-साथ स्व-वित्त पोषित हो और जो संचार की बहु-मीडिया प्रणाली को सहायता देने में सक्षम हो।
- अभी तक प्राप्त अनुभव और भावी विकास हेतु धनराशि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपनाए जाने वाले उपाय सुझाना।
- दूरसंचार उपस्कर निर्माण क्षेत्र के अभी तक के निष्पादन की समीक्षा करना, बाधाओं का पता लगाना और साफ्टवेयर क्षेत्र की तर्ज पर विकास सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त नीति तैयार करने हेतु सिफारिश करना।
- अनुसंधान तथा विकास दृष्टिकोण के लिए उपाय सुझाना।

(ग) इन उप-दलों को अपनी रिपोर्ट 31.7.2001 तक प्रस्तुत करनी थी।

(घ) इन उप-दलों की सिफारिशों से विभिन्न दूरसंचार नीतियों के कार्यान्वयन में सहायता मिलेगी, जैसे:-

(1) ग्रामीण टेलीफोन का विकास।

(2) नई दूरसंचार नीति 1999 में यथा परिकल्पित टेलीफोन घनत्व के उद्देश्यों को प्राप्त करना।

(3) सभी आधुनिक दूरसंचार सेवाओं को सार्वजनिक सुविधा के रूप में उपलब्ध कराया जाना।

नेपाल में टी.सी.आई.एल. का संयुक्त उद्यम

4131. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेलीकम्यूनिकेशन कंसल्टेन्ट्स आफ इंडिया लिमिटेड ने सीमित मोबाइल सेवायें उपलब्ध कराने के लिए नेपाल में संयुक्त उद्यम की एक दूरसंचार कंपनी में 26.66% हिस्सेदारी करने का फैसला किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लि. (टीसीआईएल) ने वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) प्रौद्योगिकी पर आधारित बुनियादी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए नेपाल में संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी की इक्विटी में 26.66% निवेश करने का निर्णय लिया है।

(ख) टीसीआईएल, एमटीएनएल, वीएसएनएल और नेपाली कंपनी नेपाल वेंचर्स प्राइवेट लि. (एनवीपीएल) द्वारा संयुक्त रूप

से प्रस्तुत बोली के आधार पर उनको डब्ल्यूएलएल पर आधारित बुनियादी सेवाओं के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु आशय-पत्र प्राप्त हुआ था। हालांकि, नेपाली सरकार की न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार एनवीपीएल का इक्विटी स्टेक 20 प्रतिशत था परन्तु एमटीएनएल, टीसीआईएल और बीएसएनएल ने शेष इक्विटी में समान रूप से हिस्सेदारी रखने का निर्णय लिया संयुक्त उद्यम कंपनी का "यूनाइटेड टेलीकाम लिमिटेड" के नाम से रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है।

नए टेलीफोन एक्सचेंज

4132. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी राष्ट्रों और एजेन्सियों से प्राप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता के माध्यम से नई दूरसंचार परियोजनाओं को लागू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) विदेशी राष्ट्रों तथा एजेन्सियों की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता से कार्यान्वित की जा रही दूरसंचार परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	विदेशी एजेन्सी
1.	जिला राजकोट, गुजरात में बहु-उद्देश्यीय सामुदायिक दूरसंचार केन्द्र (एम.सी.टी.)	अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) तथा संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को)
2.	दूरवर्ती शिक्षा में परस्पर संपर्कात्मक टेलीविजन द्वारा प्राइमरी अध्यापकों को सेवा-कालीन प्रशिक्षण	अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) तथा संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को)
3.	दूरवर्ती शिक्षण एवं दूरस्थ पुस्तकालय अभिगम्यता	एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिटी (एपीटी)
4.	दूरसंचार संरचना (फ्रेमवर्क) परियोजना	कैनेडियन इन्टरनेशनल डेवलपमेन्ट एजेन्सी (सीआईडीए)
5.	दूरसंचार प्रचालन परियोजना	कैनेडियन इन्टरनेशनल डेवलपमेन्ट एजेन्सी (सीआईडीए)
6.	बिहार राज्य में ग्रामीण सैटेलाइट आधारित टेलीफोन	फ्रांस सरकार

अनुसूचित और गैर-अनुसूचित विमान कंपनियों द्वारा लिया गया ऋण

4133. श्री अशोक अर्गल: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ अनुसूचित विमान कंपनियों, गैर-अनुसूचित विमान कंपनियों और फ्लाइंग क्लबों/संस्थानों ने बैंकों और अन्य व्यक्तियों आदि से ऋण लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कंपनियों ने निर्धारित समय के अनुसार ऋणों के पुनर्भुगतान में कोई अनियमितता बरती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन कंपनियों को "सिक्युरिटी" संबंधी स्वीकृति दे दी गई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी हां।

(ख) से (घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) और भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम (आई सी आई सी आई) जैसे वित्त विकास संस्थाओं ने निम्नलिखित चार अनुसूचित एवं गैर-अनुसूचित विमान कपंनियों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

	(31.3.2001 को) (करोड़ रुपयों में)
आई डी बी आई	
क. मेस्को एयरलाइन्स लि.	26.43
ख. स्काईलाइन-एनईपीसी इंडिया लि.	7.58
आई एफ सी आई	
क. सहारा एयरलाइन्स लि.	16.96
आईसीआईसीआई	
क. जेट एयरवेज प्राइवेट लि.	93.00
ख. मेस्को एयरलाइन्स लि.	0.79
कुल	144.76

मेस्को एयरलाइन्स और स्काईलाइन-एनईपीसी द्वारा ब्याज और मूल राशि के भुगतान नहीं किए जाने के कारण, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई की गई है। मेस्को एयरलाइन्स के खिलाफ कर्जदार के रूप में तथा मिडईस्ट इंडिया लि. ग्रुप कंपनी के खिलाफ गारंटीकर्त्ता के रूप में एक मामला कर्ज वसूली न्यायाधिकरण (डी.आर.टी.), नई दिल्ली में लंबित है। साथ ही, स्काईलाइन-एनईपीसी एवं इसके गारंटीकर्त्ताओं के खिलाफ ऐसा ही मामला कर्ज न्यायाधिकरण, मुम्बई में लंबित है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने कर्ज वसूली न्यायाधिकरण, चेन्नई में भी एनईपीसी इंडिया लि. तथा इसके गारंटीकर्त्ता के खिलाफ वसूली याचिका दायर की है।

भारतीय रिजर्व बैंक के डाटाबेस में विमानन कंपनियों द्वारा बैंकों से लिए गए कर्ज तथा उनके भुगतान से संबंधित जानकारी नहीं दी जाती है।

(ङ) और (च) स्काईलाइन-एनईपीसी द्वारा प्रचालन कार्य नहीं किया जा रहा है जबकि मेस्को एयरलाइन्स को सेक्यूरिटी क्लीयरेंस हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा वापस ले लिया गया है। मैसर्स जेट एयरवेज से जुड़े हुए निदेशकों का पुनर्सत्यापन अभी गृह मंत्रालय द्वारा किया जाना बाकी है।

भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के अपहरण की धमकी

4134. श्री किरीट सोमैया: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ पाकिस्तानी उग्रवादी दलों ने भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के अपहरण की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो क्रिकेट खिलाड़ियों के लिये किये गये सुरक्षा प्रबंध का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त धमकी के मद्देनजर पाकिस्तान के साथ खेलने का फैसला किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) गृह मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, सरकार को इस बात की जानकारी है कि आतंकवादी संगठन लश्करे-तोइबा ने कुछ भारतीय खिलाड़ियों को धमकी दी है। उन सभी खिलाड़ियों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध करायी गई है।

(ग) और (घ) मौजूदा परिस्थितियों के अंतर्गत, सरकार पाकिस्तान के विरुद्ध दो देशों के मैचों में खेलने को उपयुक्त नहीं समझती है। तथापि, सामान्यत: नियमित स्थानों पर, बहुपक्षीय मैचों/टूर्नामेंटों में पाकिस्तान के विरुद्ध खेलने में कोई आपत्ति नहीं है।

रोजगार कार्यालयों पर व्यय

4135. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में रोजगार कार्यालयों की स्थापना करने में कितना वार्षिक व्यय होता है;

(ख) क्या देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से बेरोजगारी में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने आई.टी.आई. और पालीटेक्निक कालेजों के पाठ्यक्रमों/विषय सामग्रियों में परिवर्तन करके नयी शाखायें शुरू की हैं और नये उपस्करों की खरीद की है ताकि कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल युवकों को उनका प्रशिक्षण दिया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इस संबंध में राज्य-वार क्या दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) रोजगार कार्यालय राज्य सरकारों के प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रणाधीन हैं। केन्द्र सरकार द्वारा रोजगार कार्यालयों पर किए जाने वाले व्यय का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ख) और (ग) बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन का देश में बेरोजगारी की स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) उद्योग में हो रहे प्रौद्योगिकी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सी.टी.एस.) के विभिन्न व्यवसायों के पाठ्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा एवं संशोधन किया जाता है।

उद्योग की कुशल जनशक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.वी.टी.) की सिफारिश पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नए व्यवसाय आरंभ किए गए हैं। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सी.टी.एस.) के तहत हाल ही में 7 व्यवसाय आरंभ किए गए हैं।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नए व्यवसायों का आरंभ किया जाना तथा प्रत्येक व्यवसाय के पाठ्यक्रम उपकरणों एवं उपस्करों की अद्यतन सूची के अनुरूप आवश्यक उपस्करों की खरीद का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है।

पालीटेक्निकों/कालेजों के पाठ्यक्रम/विषय सामग्रियां संबंधित राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाती हैं।

कर्नाटक की लंबित विद्युत परियोजनायें

4136. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक की कुछ विद्युत परियोजनाएं वन विभाग से मंजूरी न मिलने के कारण लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य से प्राप्त विद्युत परियोजनाओं के सभी प्रस्तावों में से केवल दो प्रस्ताव वन स्वीकृति के लिए लम्बित हैं जिनका विवरण और मौजूदा स्थिति नीचे दिए अनुसार है:

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	प्राप्ति की तिथि	मौजूदा स्थिति
1.	जोग, शिमोग में एम एच जी ई स्टेशन तेल रेस पर लघु पनबिजली परियोजना का निर्माण	6.12.00	राज्य सरकार से संशोधित प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।
2.	जोगीमाटी राज्य वन, चित्रदुर्गा में विन्ड फार्म की स्थापना	24.7.01	राज्य सरकार से अपेक्षित ब्यौरे मांगे जा रहे हैं।

मंत्रालय ऐसे सभी प्रस्तावों को 90 दिनों के भीतर निपटा देता है जो सभी दृष्टियों से पूर्ण होते हैं। अधूरे प्रस्तावों के मामले में, राज्य सरकार/परियोजना प्राधिकारी से अपेक्षित ब्यौरे प्राप्त होने जाने के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। इस प्रकार प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे होर्डिंग्स लगाने के नियम

4137. श्री बलराम सिंह यादव: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे हिर्डिंग लगाने के लिए कोई नियम, कानून, नीति आदि है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस उद्देश्य के लिये नियम, कानून और नीति आदि न बनाए जाने के क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) जी, हां। मंत्रालय की नीति के अनुसार, लोकहित में सूचनात्मक संकेतों के सिवाए राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि पर किसी होर्डिंग विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाती है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क संकेत और हरियाली की निजी प्रायोजकता नीति के अंतर्गत निजी उद्यमियों को अपनी कंपनियों के नाम/लोगों के विशिष्ट आकार के संकेत प्रदर्शित करने की अनुमति दी जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निजी विमान कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ

4138. श्री टी. गोविन्दन: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी विमान कंपनियां भारी लाभ कमा रही हैं जबकि इंडियन एयरलाइंस/एअर इंडिया को घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी विमानकंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) वित्त वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान, एअर इंडिया को क्रमश: 174.48 करोड़ रुपए और 37.63 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। वर्ष 2000-2001 के दौरान एअर इंडिया को 52 करोड़ रुपए का अनुमानित निबल घाटा हुआ है। इस घाटे का मुख्य कारण ईंधन की कीमत में वृद्धि है। यदि ईंधन मूल्य में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होती, वर्ष 2001-2002 में एअर इंडिया को लगभग 200 करोड़ रुपये का मुनाफा हो सकता था। वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान इंडियन एयरलाइंस को क्रमश: 13.12 करोड़ रुपए और 45.27 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान इंडियन एयरलाइंस को 177.25 करोड़ रुपए का अनंतिम घाटा हुआ। इस घाटे की मुख्य वजह वर्ष 2000-2001 के दौरान विमानन टरबाइन ईंधन की कीमत में अत्यधिक वृद्धि थी जिसके फलस्वरूप इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड की निधि से 231 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ। घाटे को कम करने के लिए इंडियन एयरलाइंस ने कुछ सार्थक कदम उठाए हैं यथा:-

(1) व्यय के सभी प्रमुख मदों पर सख्त बजटीय नियंत्रण परन्तु लागत मूल्य-लाभ विश्लेषण, प्रचालनात्मक तथा वाणिज्यिक साध्यता का ध्यान रखा जाएगा, (2) बेहतर विमान बेड़ा उपयोगिता, अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों में वृद्धि, (3) विमानों तथा मार्ग-आयोजना की बेहतर अनुसूची मार्किट की आवश्यकतानुसार कैपेसीटी डिप्लायमेंट एलाइनमेंट, (4) विदेशी एयरलाइनों के साथ कोड-शेयरिंग, कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली में उच्च स्तरीय भागीदारी, (5) जब तक प्रचालन हेतु पूर्णत: आवश्यक नहीं हो, भर्ती पर रोक, ईंधन प्रबोधन और टिंकरिंग, प्रचार-प्रसार तथा टिकटों की बिक्री बढ़ाने के लिए किए जाने वाले व्यय में कटौती, गैर-किफायती उड़ानों की समीक्षा, यथासंभव बाहरी कार्मिकों की सेवाएं लेना।

जहां तक जेट एयरवेज की बात है, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत इस कंपनी का संबंध इस अधिनियम की धारा 220 और 610 से है। इसके अनुसार सदस्यों के अतिरिक्त किसी भी दूसरे व्यक्ति को मुनाफा/घाटे का ब्यौरा उपलब्ध कराना निषिद्ध है। जहां तक सहारा एयरलाइंस पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात है, 30 जून, 1998 और 30 जून, 1999 को समाप्त हुए वर्ष में इस कंपनी का लाभ क्रमश: 23.37 करोड़ रुपए तथा 4.06 करोड़ रुपए था। यद्यपि 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष में कंपनी को 17.6 करोड़ रुपए का घाटा सहना पड़ा।

स्टेडियम में खेल से भिन्न गतिविधियों का आयोजन

4139. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खेल प्राधिकरण के अधीन स्टेडियम परिसरों में खेलों से भिन्न गतिविधियों के आयोजन की अनुमति देने संबंधी वर्तमान नियम क्या हैं;

(ख) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान भारतीय खेल प्राधिकरण के अधीन स्टेडियमों में आयोजित की गई खेलों से भिन्न गतिविधियों के नाम क्या हैं;

(ग) प्रत्येक गतिविधि से वर्ष-वार कितनी आय हुई है; और

(घ) स्टेडियम-वार किन क्षेत्रों में ऐसी आय का उपयोग किया जायेगा?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (घ) सूचना भारतीय खेल प्राधिकरण से एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

बाल्को के मुख्यालय को अन्यत्र ले जाना

4140. डा. चरणदास महंत: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत एल्यूमिनियम कंपनी के वर्तमान प्रबन्धन ने कंपनी के मुख्यालय को छत्तीसगढ़ से कोरबा ले जाने के लिये सरकार से गोपनीय अनुमति ली है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में ऑप्टिकल फाइबर केबल का बिछाया जाना

4141. **श्री रामदास आठवले:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान 600 कि.मी. आप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाने की योजना है और 1.4.2001 से अब तक 84.298 कि.मी. आप्टिकल फाइबर केबल बिछायी जा चुकी है।

[अनुवाद]

दिल्ली में वातावरणीय प्रदूषण

4142. **श्री जे.एस. बराड़:**
श्री सईदुज्जमा:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में आर.एस.पी.एम. नाईट्रोजन डाईआक्साइड और सल्फर के सुरक्षित स्तर से अधिक होने के कारण वहां वातावरण प्रदूषित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो नागरिकों के स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) वातवरणीय प्रदूषण को सुरक्षित स्तर तक लाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) दिल्ली में सात स्थानों पर की जा रही परिवेशी वायु गुणता मानीटरी से यह पता चलता है कि अंत:श्वसनीय निलम्बित विविक्त पदार्थ (आर.एस.पी.एम.), नाइट्रोजन आक्साइड्स और सल्फर डाइआक्साइड के औसत स्तर सुरक्षित सीमा के अन्दर थे। तथापि, कुछ स्थानों पर कुछ दिनों के लिए अंत:श्वसनीय निलम्बित विविक्त पदार्थ और नाइट्रोजन आक्साइड्स निर्धारित सीमा से अधिक थे जो मुख्य रूप से वाहनजनित उत्सर्जनों के कारण थे।

(ख) वायु प्रदूषण से सांस की बीमारियां हो सकती हैं। तथापि, वायु प्रदूषण के बढ़ते हुए रुख और सांस की बीमारियों की घटनाओं के बीच सह-सम्बन्ध स्थापित करने हेतु कोई निर्णायक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रदूषण नियंत्रण हेतु उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:-

(1) दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं और कार्यान्वित की जा रही हैं।

(2) दिल्ली सहित राज्य सरकारों के परिवहन विभागों द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत सड़कों पर चल रहे वाहनों के लिए उत्सर्जन मानक और नए वाहनों के लिए व्यापक उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(3) प्रदूषण उपशमन के लिए एक व्यापक नीति तैयार की गई है जिसके अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण दोनों पहलुओं पर बल दिया जाता है।

(4) पूरे देश में 1.2.2000 से सीसा रहित पेट्रोल की आपूर्ति की जा रही है और पूरे देश में 1.1.2000 से 0.25 प्रतिशत अधिकतम अंश वाले सल्फरयुक्त डीजल की आपूर्ति की जा रही है। प्रमुख नगरों में बहुत कम सल्फर (0.05 प्रतिशत) वाले ईंधन (पेट्रोल और डीजल) की शुरूआत भी की गई है।

(5) संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) युक्त वाहनों की पूर्ति के लिए दिल्ली और मुम्बई में कुछ खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से सीएनजी की आपूर्ति की जाती है।

(6) पेट्रोल में बेन्जीन सान्द्रण को कम किया गया है।

(7) प्रदूषण नियंत्रण के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(8) उद्योगों द्वारा अपने संयंत्रों को प्रारम्भ करने से पहले आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाना आवश्यक है।

(9) उद्योगों द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत अपने-अपने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।

गंगा कार्य योजना प्रकोष्ठ की स्थापना

4143. श्रीमती श्यामा सिंह: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गंगा नदी को दूषित होने से बचाने के लिये गंगा कार्य योजना प्रकोष्ठ की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो गंगा कार्य योजना प्रकोष्ठ की संरचना क्या होगी;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ अन्य नदियों को गंगा से जोड़ने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी, नहीं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (जिसे पहले गंगा परियोजना निदेशालय के नाम से जाना जाना था) कार्य कर रहा है। यह निदेशालय राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (जिसमें गंगा कार्य योजना शामिल है) के कार्यान्वयन की देखरेख करता है।

(ग) और (घ) जल संसाधन मंत्रालय और केन्द्रीय जल आयोग ने वर्ष 1980 में जल संसाधन विकास की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की एक योजना तैयार की थी जिसमें विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालय से बह कर आने वाली नदियों को परस्पर जोड़ने की परिकल्पना की गई थी जिससे अतिरिक्त जल वाले बेसिनों से कम जल वाले बेसिन में जल स्थानांतरण से जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। योजना में प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक के अंतर्गत 17 जल स्थानांतरण संयोजन और हिमालय से बह कर आने वाली नदी विकास घटक के अंतर्गत 14 जल स्थानांतरण संयोजनों की परिकल्पना थी। इस योजना पर आगे कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना जुलाई, 1982 में एक स्वायत्त सोसायटी के रूप में की है जो इसके साथ-साथ राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के जल संतुलन और व्यवहार्यता अध्ययन करेगी। मौजूदा मूल्यांकित अतिरिक्त जल वाले बेसिनों से कम जल वाले बेसिनों के प्रस्तावित सभी 31 परस्पर बेसिन स्थानांतरण संयोजकों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

प्रस्तावित जल स्थानांतरण संयोजकों की सूची जिसके लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार की गई हैं

प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक

1. महानदी (मनीभद्र)- गोदावरी (दोबलाई स्वरम) लिंक
2. गोदावरी (पोलावरम)- कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक
3. गोदावरी (इंचमपल्ली)- कृष्णा (पुलीचिंताला) लिंक
4. पार-तापी लिंक
5. केन-बेतवा लिंक
6. कालीसिंध-चम्बल लिंक
7. पाम्बा अचनकोलिव-वेगई लिंक
8. गोदावरी (इंचमपल्ली)- कृष्णा (नागार्जुन सागर) लिंक
9. गोदावरी (इंचमपल्ली लो डेम) - मूसी और कृष्णा (नागार्जुन सागर टेल पाण्ड) लिंक
10. दमनगंगा-तान्सा लिंक
11. बोदती-वारदा लिंक
12. नेतस्वती-हेमावती लिंग
13. कृष्णा (नागार्जुन सागर) - पिन्नार (सोमासिला) लिंक
14. कृष्णा (श्रीसेलम) - पिन्नार (पोदात्तुर) लिंक
15. कृष्णा (अलमाती) - पिन्नार लिंक
16. पिन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रेण्ड एनीकट) लिंक
17. कावेरी (कट्टलाई) - वेगई गुन्डार लिंक

हिमालय नदी विकास घटक

1. कोसी-मेची लिंक
2. कोसी-घाघरा लिंक
3. गंडक-गंगा लिंक
4. घाघरा-यमुना लिंक
5. शारदा-यमुना लिंक
6. यमुना-राजस्थान लिंक

7. राजस्थान-साबरमती लिंक

8. चुनार-सोन बैरेज लिंक

9. सोन डैम-गंगा की दक्षिण सहायक नदियां लिंक

10. ब्रह्मपुत्र-गंगा लिंक (मानस-संकोश तिस्ता गंगा)

11. फारक्का-सुन्दरवन लिंक

12. गंगा-दामोदरन सुनेरनलिंकरेखा

13. सुबरनरेखा-महानदी लिंक

14. जोगीघोपा-तिस्ता फारक्का लिंक।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाओं संबंधी व्यय का मूल्यांकन

4144. श्री रामजीलाल सुमन:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं संबंधी व्यय का कोई मूल्यांकन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं योजना की शेष अवधि के दौरान कुल कितना व्यय किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अनुमानित अतिरिक्त कितनी धनराशि की आवश्यकता है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) मार्च, 2000 तक वृहद/मध्यम निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं पर नौवीं योजना के दौरान होने वाला संभावित व्यय 40951.30 करोड़ रुपये के नौवीं योजना परिव्यय की तुलना में 15817.80 करोड़ रुपया है। सिंचाई राज्य का विशेष होने के कारण, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण, वित्तपोषण तथा कार्यान्वयन करना मूलत: राज्य सरकारों का दायित्व है।

(घ) चालू अनुमानित लागत के अनुसार इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए शेष लागत 62567.20 करोड़ रुपये है।

[अनुवाद]

गैर-कानूनी एक्सचेंज

4145. श्री नरेश पुगलिया: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 मई, 2001 के "दि इंडियन एक्सप्रेस" में "एन्टरप्रेनयार्स इन इल्लीगल एक्सचेंज राब एमटीएनएल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कुछ कर्मचारी भी इस धोखाधड़ी में संलिप्त पाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस धोखाधड़ी में संलिप्त पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) गैर-कानूनी एक्सचेंजों (ईपीएबीएक्स) से संबंधित 3 मामले जानकारी में आए हैं। इनके अर्थात् मै. श्री जी कम्यूनिकेशन्स, चावड़ी बाजार, मै. केशो राम एण्ड संस प्रा. लि.; चांदनी चौक और मै. सवेरा कम्यूनिकेशन, फैज रोड़, करोल बाग के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ङ) दिल्ली पुलिस ने दो गैर-सरकारी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था।

बांस की मांग और आपूर्ति

4146. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में बांस का कुल उत्पादन, मांग और आपूर्ति कितनी है;

(ख) क्या बांस का मौजूदा उत्पादन इसकी मांग की अपेक्षा कम है;

(ग) यदि हां, तो बांस की मांग को जिस प्रकार पूरा किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या बांस पैदावार हेतु क्षेत्रों को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) दसवीं योजनावधि के दौरान बांस की मांग को कितना पूरा किये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (च) भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा समय-समय पर प्रकाशित मूल्य सूची की रिपोर्टों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि देश में बांस के अंतर्गत 89.600 वर्ग कि.मी. (अथवा 8.96 मिलियन हेक्टेयर) क्षेत्र है और बांस का बढ़ता भण्डार 80.428 मिलियन टन है। मांग की तुलना में बांस की आपूर्ति के अभाव के संबंध में केन्द्रीय सरकार के पास कोई सूचना नहीं।

पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही "औषधीय पादपों सहित गैर-इमारती वनोत्पाद" नामक वर्तमान केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत बांस रोपण एक मद है। इसके अतिरिक्त बांस संसाधन विकास को अब एक महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित किया गया है और राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर धनराशि उपलब्ध होने की शर्त के अध्यधीन वर्ष 1999-2000 से केवल बांस रोपण हेतु परियोजनाएं स्वीकृति की जा रही हैं। अब तक, नौवीं योजना के दौरान 30,163 हेक्टेयर क्षेत्र पर बांस रोपण के लिए 20.86 करोड़ रुपये के परिव्यय से 21 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

[हिन्दी]

आईएसडी और एसटीडी कालों की दरों में कमी

4147. श्री धावरचन्द गेहलोत: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आईएसडी और एसटीडी की काल दरों में कमी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दूरसंचार सेवा का विस्तार

4148. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विकसित मध्य प्रदेश में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां। देश में दूरसंचार का विस्तार करने के लिए कार्यक्रम तैयार किए गए हैं और विशेष रूप से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है।

(ख) और (ग) विवरण-II में दर्शाए गए अनुसार देश में टेलीफोन लाइनों का विस्तार करने के लिए निम्नानुसार कार्यक्रम बनाए गए हैं:-

(1) आधुनिक प्रौद्योगिकीय स्विचों की शुरूआत।

(2) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यूएलएल, सीडएमए आधारित मोबाइल तथा जीएसएम प्रौद्योगिकी आधारित सेल्यूलगर मोबाइल टेलीफोन सेवा का प्रयोग।

(3) स्थानीय नेटवर्क में आप्टिकल फाइबर पर डीएलसी/सीएनई जैसे नए प्रौद्योगिकी अभिगम्यता नेटवर्क का उपयोग।

(4) टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए कार्डेक्ट प्रौद्योगिकी का उपयोग।

विवरण-I

मध्य प्रदेश में दूरसंचार के विस्तार के लिए कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्यकलाप/सेवा	लक्ष्य
1.	डब्ल्यूएलएल और सीएमटीएस सहित निवल स्विचन क्षमता	144700
2.	सीधी एक्सचेंज लाइनें (डीईएल)	155000
3.	आप्टिकल फाइबर केबल (रूट कि.मी.)	8700
4.	माइक्रोवेव (रूट कि.मी.)	400
5.	टीएएक्स लाइनें	54500
6.	इंटरनेट ढाबे	313

विवरण-II

देश में दूरसंचार के विस्तार हेतु राज्य-वार कार्यक्रम तथा अनन्तिम निधियों का आबंटन

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	डीईएल का लक्ष्य	2001-2002 के दौरान अनन्तिम निधियों का आबंटन करोड़ रुपये में
1	2	3	4
1.	अंडमान-निकोबार	10000	20.07
2.	आंध्र प्रदेश	530000	1127.61
3.	असम	100000	207.22
4.	बिहार	200000	477.72
5.	छत्तीसगढ़	40000	176.37
6.	गुजरात	650000	1222.74
7.	हरियाणा	245500	426.37
8.	हिमाचल प्रदेश	90000	219.10
9.	जम्मू-कश्मीर	80000	158.90
10.	झारखण्ड	82000	225.38
11.	कर्नाटक	500000	974.01
12.	केरल	663000	1093.39
13.	मध्य प्रदेश	155000	479.51
14.	महाराष्ट्र	950000	2329.08
15.	मेघालय	10100	–
16.	त्रिपुरा	12900	–
17.	मिजोरम	9000	–
पूर्वोत्तर-1		32000	126.03
18.	नागालैंड	5700	–
19.	मणिपुर	8600	–
20.	अरूणाचल प्रदेश	7200	–
पूर्वोत्तर-2		21500	96.59
21.	उड़ीसा	135000	388.41
22.	पंजाब	460000	851.71
23.	राजस्थान	300000	684.94
24.	तमिलनाडु	596000	1127.69
25.	उत्तरांचल	100000	187.35
26.	उत्तर प्रदेश	625000	1283.04
27.	पश्चिम बंगाल	465000	981.10
28.	दिल्ली	200000	800.00

भूमि कटाव को रोकने संबंधी कार्यों हेतु सहायता

4149. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से गोदावरी नदी के किनारों पर आने वाली बाढ़ से और नल्लमोड अपवाहिकाओं पर हुए भूमि कटाव को रोकने संबंधी कार्यों के अधीन केन्द्रीय सहायता की मंजूरी हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को धनराशि जारी की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसे कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) जल संसाधन मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय जल आयोग में आंध्र प्रदेश सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें 2.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से गोदावरी नदी के बाढ़ तटबंधों पर 15 कटाव रोधी कार्यों तथा 1.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नल्लामदा नाले, कृष्णा डेल्टा के ओगेरूवागू तथा नक्कावागू नाला संबंधी 13 कटावरोधी कार्य शामिल हैं। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा दोनों स्कीमों की जांच कर ली गई है तथा उसने अपनी टिप्पणियों के अनुपालना के वास्ते राज्य सरकार को भेज दी हैं। केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों का उत्तर अभी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-215 को पूरा करने हेतु लक्ष्य

4150. श्री अनन्त नायक: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-215 को पूरा करने हेतु कोई लक्षित तारीख निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसे पूरा करने हेतु क्या सक्रिय कार्रवाई की गई है; और

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित जारी की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है। सुधार कार्य धनराशि की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकता के आधार पर शुरू किए जाते हैं।

(ख) और (ग) इस राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए अब तक 9.7 करोड़ रु. के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। अन्य सुधार कार्य चरणों में शुरू किए जाएंगे।

फरक्का परियोजना हेतु कृतक बल

4151. श्री सुनील खां: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत-बंग्लादेश नदी आयोग के साथ वार्ता करने हेतु फरक्का परियोजन के लिए कोई कृतक बल गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) आज की तिथि में भारत-बंगलादेश नदी आयोग के साथ बातचीत करने के लिए फरक्का बैराज परियोजना के वास्ते कार्य बल गठित करने संबधी भारत सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कम्प्यूटरीकृत ग्राहक सेवार्थ केन्द्र

4152. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार डाक विभाग के सभी जिला मुख्यालयों/डिवीजनल मुख्यालयों में कम्प्यूटरीकृत ग्राहक सेवार्थ केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और वर्षवार ऐसे कितने केन्द्रों को स्थापित किया गया है; और

(ग) शेष जिला मुख्यालयों में कम्प्यूटरीकृत ग्राहक सेवार्थ केन्द्रों को कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां। सभी जिला मुख्यालयों में कम्प्यूटरीकृत ग्राहक सुविधा केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) कम्प्यूटरीकृत ग्राहक सुविधा केन्द्रों की स्थापना करने की परियोजना शुरू में वर्ष 1997-98 में प्रारंभ हुई थी तथा वर्ष 2000-2001 के अंत तक निम्नलिखित संख्या में ग्राहक सुविधा केन्द्र स्थापित किए गए। ऐसी स्थापना का सर्किलवार तथा वर्षवार विवरण ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

वर्ष	स्थापित कम्प्यूटरीकृत ग्राहक सुविधा केन्द्रों की संख्या
1997-98	67
1998-99	60
1999-2000	55
2000-2001	22
	204

(ग) इस परियोजना के अगली पंचवर्षीय योजना अवधि (2002-2007) के भीतर पूरा हो जाने की आशा है बशर्ते कि निधि उपलब्ध रहे।

विवरण

वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान स्थापित किए गए कम्प्यूटरीकृत ग्राहक सुविधा केन्द्रों की राज्यवार सूची

1. असम सर्किल

1997-98

1. गुवाहाटी

1998-99

2. डिब्रगूढ़

3. सिल्चर

4. तेजपुर

1999-2000

5. जोरहाट

6. नौगांव

7. तिनसुकिया

2000-2001

8. नलबाड़ी

2. आंध्र प्रदेश सर्किल

1997-98

9. हैदराबाद

10. विजयवाड़ा

11. विशाखापट्टनम

1998-99

12. गुंटूर

13. काकीनाडा

14. निजामाबाद

1999-2000

15. अनंतपुर

16. महबूबनगर

2000-2001

17. नेल्लूर

3. बिहार सर्किल

1998-99

18. मुजफ्फरपुर क्षेत्र

19. पटना डिवीजन

1999-2000

20. पटना जीपीओ

21. मुजफ्फरपुर डिवीजन

22. पटना सर्किल कार्यालय

2000-2001

23. वैशाली

4. छत्तीसगढ़ सर्किल

1997-98

24. जबलपुर

1998-99

25. बालाघाट

26. रायपुर

1999-2000

27. बिलासपुर प्रधान डाकघर

5. दिल्ली सर्किल

1997-98

28. दिल्ली सर्किल कार्यालय

1999-2000

29. दिल्ली जीपीओ

30. इन्द्रप्रस्थ प्रधान डाकघर

2000-2001

31. दिल्ली नार्थ डिवीजन

6. गुजरात सर्किल

1997-98

32. अहमदाबाद

33. राजकोट

34. सूरत

35. बडोदरा

1998-99

36. बारदोली

37. गोधरा

38. नाडियाड

39. गांधीनगर-30

1999-2000

40. फतहगड़ प्रधान डाकघर

41. पलसाड प्रधान डाकघर

42. आणंद प्रधान डाकघर

2000-2001

43. जामनगर

7. हरियाणा सर्किल

1998-99

44. अम्बाला

45. करनाल

1999-2000

46. फरीदाबाद

47. रोहतक

2000-2001

48. गुडगांव

8. हिमाचल प्रदेश सर्किल

1998-99

49. शिमला

50. मंडी

51. हमीरपुर

1999-2000

52. सोलन

53. धर्मशाला

2000-2001

ऊना

9. जम्मू व कश्मीर सर्किल

1999-2000

55. श्रीनगर सर्किल कार्यालय

56. जम्मू सर्किल कार्यालय

2000-2001

57. उधमपुर

10. केरल सर्किल

1997-98

58. तिरूवनंतपुरम

59. कोचीन

1998-99

60. कालीकट

1999-2000

61. पटनमथिट्टा प्रधान डाकघर

62. तलश्शेरी प्रधान डाकघर

2000-2001

63. अलाप्पुझा प्रधान डाकघर

11. झारखंड सर्किल

1998-99

64. रांची डिवीजन

2000-2001

65. रांची क्षेत्र

12. कर्नाटक सर्किल

1997-98

66. बेंगलूर

67. धारवाड़

68. मैसूर प्रधान डाकघर

1998-99

69. मेंगलूर

70. शिमोगा

71. कोलार

72. पुतूर

73. बेलगांव प्रधान डाकघर

74. बेल्लारी प्रधान डाकघर

75. बीदर प्रधान डाकघर

76. बीजापुर प्रधान डाकघर

77. गुलबर्गा प्रधान डाकघर

78. कारवाड़ प्रधान डाकघर

79. रायचूर

1999-2000

80. बागलकोट प्रधान डाकघर

81. सिरसी प्रधान डाकघर

2000-2001

82. हसन

13. मध्य प्रदेश सर्किल

1997-98

83. इन्दौर

84. भोपाल

1998-99

85. होशंगाबाद

86. विदिशा

87. उज्जैन

88. खंडवा

89. रतलाम

90. मंदसौर

91. सिहोर

1999-2000

92. छतरपुर

2000-2001

93. सागर प्रधान डाकघर

14. महाराष्ट्र सर्किल

1997-98

94. मुम्बई

95. पुणे

96. शोलापुर

1998-99

97. औरंगाबाद

98. नासिक

99. गोवा

100. कोल्हापुर

101. सांगली

102. नागपुर

103. नागपुर कांग्रेस नगर

1999-2000

104. धुले डिवीजन

105. जलगांव डिवीजन

2000-2001

106. थाणे

15. उत्तर-पूर्व सर्किल

1998-99

107. अगलतला

108. शिलांग

1999-2000

109. इम्फाल

110 एजल

111. ईटानगर

2000-2001

112. कोहिमा

113. धर्मनगर

16. उड़ीसा सर्किल

1997-98

114. भुवनेश्वर

115. कटक

1998-99

116. पुरी

1999-2000

117. बरहामपुर

118. सम्बलपुर

2000-2001

119. राउरकेला

17. पंजाब सर्किल

1997-98

120. चंडीगढ़

121. जालंधर

122. अमृतसर

123. लुधियाना

1998-99

124. पटियाला

125. संगरूर

126. होशियारपुर

127. गुरदासपुर

1999-2000

128. फिरोजपुर एच ओ

129. भटिंडा एच ओ

2000-2001

130 फरीदकोट

18. राजस्थान सर्किल

131. जयपुर

132. अजमेर

133. जोधपुर

2000-2001

134. अलवर

135. कोटा

136. पाली

19. तमिलनाडु सर्किल

1997-98

137. मद्रास

138. अराककोन्नम

139. कांचीपुरम

140. चेंगलपट्टी

141. बेल्लूर

142. कराईकुडी

143. करूर

144. कुम्बकोणम

145. मईलाधुततुराई
146. पुत्तुकोट्टई
147. पडुकोट्टई
148. श्रीरंगम
149. तंजावुर
150. विरूदाचलम
151. त्रिचूर आरएमएस
152. डिंडोगुल
153. कन्याकुमारी
154. कोविलपुट
155. पेरियाकुलम
156. रामनाथपुरम
157. तिरूनेलवेली
158. कोयम्बतूर
159. धर्मापुरी
160. इरोड
161. मदुरै
162. एसएसआरएम मदुरै
163. नागपट्टनम
164. नीलगिरि
165. नमक्कल
166. सीओसी मदुरै
167. कोलाची
168. सलेम
169. शिवगंगा
170. तूतीकोरिन
171. त्रिपुर
172. तिरूचिरापल्ली
172. विरूदनगर

1999-2000

174. मदुरै प्रधान डाकघर
175. नागरकोइल प्रधान डाकघर

20. उत्तर प्रदेश सर्किल

1999-2000

176. लखनऊ जीपीओ
177. सर्किल कार्यालय लखनऊ
178. सुल्तानपुर
179. कानपुर
180. अलीगढ़
181. गोरखपुर
182. प्रतापगढ़
183. आगरा
184. बरेली
185. इलाहाबाद
186. आजमगढ़
187. मेरठ
188. गाजियाबाद
189. मुजफ्फरनगर

2000-2001

190. गोंडा

21. उत्तरांचल सर्किल

1999-2000

191. देहरादून

22. पश्चिम बंगाल सर्किल

1997-98

192. सीसीसी कोलकाता

1998-99

193. सिक्किम

194. हावड़ा

195. बांकुरा

196. बरुईपुर

197. अंडमान निकोबार

198. कोलकाता जीपीओ

199. बेहरामपुर (बी)

1999-2000

200. दार्जीलिंग

201. वर्दवान

202. आसनसोल

2000-2001

203. जलपाईगुड़ी

204. मिदनापुर।

[हिन्दी]

टेलीफोन अदालतें

4153. श्री राजो सिंह: क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक देश में राज्यवार कितनी टेलीफोन अदालतें आयोजित की गई हैं; और

(ख) इन अदालतों में कितने मामले प्राप्त हुए हैं/दायर किये गए तथा कितने मामलों का निपटान किया गया?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

एलायंस-एयर और पवन हंस में घाटा

4154. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान चालू वर्ष तथा अब तक एलयांस-एयर और पवन हंस में वर्ष-वार अलग-अलग कितना घाटा हुआ है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उन्हें लाभकारी बनाने हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) गत तीन वर्ष में एलायंस एयर और पवन हंस को हुआ लाभ/हानि निम्नवत है:-

वर्ष	एलायंस एयर (करोड़ रुपयों में)	पवन हंस (करोपरांत)
1998-99	4.10	72.05
1999-2000	0.94	67.47
2000-2001	(72.87)	55.59

जबकि पवन हंस को कोई घाटा नहीं हुआ है, एलायंस एयर को चालू वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही में 17.04 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है।

(ख) एलयांस एयर को हुए घाटे का मुख्य कारण निम्नवत है:-

(1) कुछ राज्यों में विमानन टरबाईन ईंधन की विक्रय कर में वृद्धि।

(2) घरेलू विमानन टरबाईन ईंधन के मूल्य में मार्च, 2000 में लगभग 18% और सितम्बर, 2000 में लगभग 25% की वृद्धि हुई।

(3) माह नवम्बर, 1999 में सभी घरेलू हवाई अड्डों के अवतरण एवं मार्ग दिक्चालनात्मक प्रभारों में 4-7.5% की वृद्धि और सात और घरेलू हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की श्रेणी में रखने से उक्त प्रभारों में और अधिक वृद्धि हुई।

(4) काठमांडू उड़ान के अपहरण के पश्चात् शुरू किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों पर अतिरिक्त व्यय।

(5) बीमा प्रीमियम दरों तथा विदेशी मुद्रा-विनिमय दरों में वृद्धि।

(ग) घाटे को कम कर कंपनी को लाभप्रद बनाने के लिए एलायंस एयर ने निम्नांकित कदम उठाए हैं:-

- सख्त बजटीय नियंत्रण।
- बेहतर विमान बेड़ा उपयोगिता।
- प्रयोक्ताओं को उपलब्ध सेवाओं में सामान्य सुधार और कोटि-उन्नयन।
- राजस्व में वृद्धि करने के लिए विशिष्ट मार्गों पर फ्लेक्सी किराए की शुरूआत की गई। 25 मई, 2001 से वित्त वर्ष 2001-2002 के दौरान राजस्व में वृद्धि करने के लिए इंडियन एयरलाइंस द्वारा शुरू की गई फ्लेक्सी फेयर स्कीम के तहत एलायंस एयर के कुछ चुने हुए मार्गों पर लागू किराए की समीक्षा की गई।
- दिल्ली/इंदौर, दिल्ली/चण्डीगढ़, दिल्ली/आगरा और दिल्ली-अमृतसर मार्गों पर विशेष बढ़े हुए किराए को लागू किया गया तथा एलायंस एयर के मार्गों पर यात्री यातायात में वृद्धि करने के लिए विशेष पैकेज टूर 'राजस्थान फ्लाइवेज' शुरू किए गए।

दिनांक 1 अप्रैल, 2001 से सरकार ने घरेलू विमानन टरबाईन ईंधन के मूल्य पर से विनियमन हटा लिया था। विमानन टरबाईन ईंधन को गैर-विनियमित किए जाने की प्रत्याशा में बजट में विमानन टरबाईन ईंधन की लागत मूल्य में बचत का अनुमान है। अप्रैल, 2001 में विमानन टरबाईन ईंधन के मूल्य में कटौती हुई थी और बजट में की गई प्रत्याशा से अधिक बचत होने का अनुमान था। यद्यपि, विमानन टरबाईन ईंधन के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के बढ़ने से जून, 2001 से घरेलू मूल्य भी बढ़ गया है। इसके फलस्वरूप, विमानन टरबाईन ईंधन के लागत मूल्य के विनियमन के कारण बजट में अनुमोदित बचत से अधिक राशि की बचत हुई, समीचीन नहीं लगता है।

नदियों पर पुलों का निर्माण

4155. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री सी. श्रीनिवासन:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुछ नदियों के ऊपर पुलों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे पुलों का ब्यौरा क्या है जिसे निर्माण के लिए शुरू किया गया था और वे अभी तक अधूरे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके राज्य-वार कारण क्या हैं; और

(ङ) प्राथमिकता के आधार पर इन पुलों के निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों पर 317 पुलों का निर्माण, वार्षिक योजना 2001-2002 के अंतर्गत शामिल किया गया है। राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ग) निर्माणाधीन पुलों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(घ) और (ङ) पुलों का निर्माण कार्य शुरू करना और उन्हें पूरा करना एक सतत् प्रक्रिया है। इन्हें समय से पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है।

विवरण-I

वार्षिक योजना 2001-2002 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों के निर्माण का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	पुलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	24
2.	असम	16
3.	बिहार	7
4.	चंडीगढ़	1
5.	छत्तीसगढ़	18
6.	दिल्ली	0
7.	गोवा	3
8.	गुजरात	0
9.	हरियाणा	1
10.	हिमाचल प्रदेश	11
11.	जम्मू व कश्मीर	0
12.	झारखंड	10

1	2	3
13.	कर्नाटक	5
14.	केरल	12
15.	मध्य प्रदेश	15
16.	महाराष्ट्र	98
17.	मणिपुर	9
18.	मेघालय	9
19.	मिजोरम	5
20.	नागलैंड	1
21.	उड़ीसा	14
22.	पांडिचेरी	2
23.	पंजाब	8
24.	राजस्थान	7
25.	तमिलनाडु	14
26.	उत्तर प्रदेश	15
27.	उत्तरांचल	8
28.	पश्चिम बंगाल	4
	जोड़	317

विवरण-II

निर्माणाधीन पुलों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	पुलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	7
2.	असम	9
3.	बिहार	15
4.	छत्तीसगढ़	6
5.	दिल्ली	1
6.	गोवा	1
7.	गुजरात	1
8.	हरियाणा	3
9.	हिमाचल प्रदेश	10
10.	झारखंड	12
11.	कर्नाटक	22
12.	केरल	2
13.	मध्य प्रदेश	21
14.	महाराष्ट्र	36
15.	मणिपुर	5
16.	मेघालय	12
17.	नागालैंड	2
18.	उड़ीसा	10
19.	पंजाब	2
20.	राजस्थान	7
21.	तमिलनाडु	5
22.	उत्तर प्रदेश	10
23.	पश्चिम बंगाल	14
	जोड़	213

[हिन्दी]

मिथिलांचल में बाढ़ नियंत्रण हेतु योजना

4156. श्री कीर्ति झा आजाद: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में मिथिलांचल बाढ़ से प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कितना प्रतिशत क्षेत्र बढ़ से प्रभावित हुआ है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण संबंधी खामियों को स्थायी रूप से सुलझाने हेतु कोई योजना तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां। उत्तरी बिहार का मिथिलांचल क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुआ है।

(ख) उत्तरी बिहार का 76 प्रतिशत क्षेत्र बाढ़-प्रवण है। राज्य सरकार ने 11.8.2001 को सूचना दी है कि उत्तरी बिहार में बाढ़ से गोपालगंज, समस्तीपुर, बेगुसराय, पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, सारन, सिवान, मधुबनी, कटिहार तथा वैशाली जिलों का 8.155 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

(ग) और (घ) बाढ़ प्रबन्धन राज्य का विषय होने के कारण, बाढ़ नियंत्रण स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण तथा निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपने संसाधनों और अपने प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। केन्द्र सरकार, तकनीकी, उत्प्रेरणात्मक एवं प्रोत्साहनात्मक सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार ने गंगा बेसिन में बाढ़ समस्या से निपटने के लिए "गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग" (जी एफ सी सी) का गठन किया है। इस आयोग ने गंगा बेसिन के सभी 23 नदी प्रणालियों के लिए बाढ़ प्रबन्धन हेतु वृहद योजना बनाई है। इस वृहद योजनाओं में दीर्घकालीन एवं अल्प कालीन दोनों प्रकार के उपाय करने का सुझाव दिया है, इसे बिहार सरकार सहित संबंधित राज्य सरकारों को भेजा गया है।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर सुरक्षा उपायों का आकलन

4157. श्री सी. श्रीनिवासन: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी विमानपत्तनों के इर्द-गिर्द सुरक्षा उपायों का हाल ही में आकलन किया गया है और उन्हें भरोसेमंद पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विमानपत्तन की सुरक्षा में शामिल सभी एजेंसियों द्वारा खुफिया आंकड़े/रिपोर्टें बांटें जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) देश के हवाई अड्डों पर की गई सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है। समीक्षा के पश्चात् संबंधित विभाग/एजेंसियों द्वारा कमियों को दूर किया जाता है ताकि इस बात का पूर्वानुमान लगाया जा सके कि नागर विमानन के क्षेत्र में वैमानिक प्रचालन के मामले में कोई विधिविरुद्ध हस्तक्षेप किए जाने की आंशंका है अथवा नहीं।

(ख) जून, 2001 के दौरान तक देश के 59 हवाई अड्डों के निरीक्षण किए जा चुके हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मोबाइल शुल्क

4158. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न मोबाइल/सेल्यूलर टेलीफोन कम्पनियों द्वारा रखे गए मोबाइल शुल्क का कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) के टैरिफ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) द्वारा उसके दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ), 1999 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं। ये टैरिफ मानक टैरिफ पैकेज के लिए हैं, जिनकी पेशकश सेवा प्रदाता द्वारा उपभोक्ताओं को सदैव की जाएगी, इसके अलावा सी एम टी एस प्रदाता वैकल्पिक टैरिफ पैकेज की पेशकश भी कर सकते हैं, उपभोक्ता मानक टैरिफ पैकेज सहित सभी टैरिफ पैकेजों में से चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं, प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप कई स्थानों में वैकल्पिक टैरिफ में कमी की जा रही है। तथापि, सरकार, देश के विभिन्न भागों में सेल्यूलर सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जा रही टैरिफ योजनाओं का लेखा-जोखा नहीं रखती है।

फिलहाल, सेवा प्रदाताओं द्वारा महानगरीय सेवा क्षेत्रों में अनिवार्यत: दिए जाने वाले मानक टैरिफ पैकेज में 475/- रुपए का मासिक किराया और 4/- रुपए प्रति मिनट एयर टाइम प्रभार शामिल हैं। दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्रों के तदनुरूप पैकेज में 500 रुपये मासिक किराया और 4.50 रुपए प्रति मिनट एयर टाइम हैं। कई सेवा क्षेत्रों में सेल्यूलर सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक टैरिफ अपेक्षाकृत कम हैं। इसके अतिरिक्त टी आर ए आई टैरिफ ढांचे की पुनरीक्षा कर रही है, ताकि आवश्यक होने पर इसमें परिवर्तन किया जा सके।

स्पीड पोस्ट सेवाओं का विस्तार

4159. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का स्पीड पोस्ट सेवाओं को उन कस्बों और शहरों तक पहुंचाने का प्रस्ताव है जो सीधे विमान सेवा से नहीं जुड़े हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) अनेक ऐसे शहरों/कस्बों में स्पीड पोस्ट केन्द्र स्थापित किए गए हैं जो सीधी हवाई सेवाओं से नहीं जुड़े हैं। ऐसे केन्द्रों के लिए प्राप्त तथा ऐसे केन्द्रों से भेजे जाने वाली स्पीड पोस्ट मदें रेल और सड़क नेटवर्क द्वारा भेजी जाती हैं। स्पीड पोस्ट एक प्रीमियम उत्पाद है और इसे व्यावसायिक आधार पर चलाया जाता है। इस नेटवर्क का विस्तार एक अनवरत प्रक्रिया है जो बाजार की स्थिति, आवश्यकता के आकलन, प्रत्याशित राजस्व तथा परिवहन नेटवर्क पर निर्भर करता है।

वनस्थलीपुरम दूरभाष केन्द्र

4160. श्री राजैया मल्याला: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश के हैदराबाद दूरसंचार जिले के अंतर्गत वनस्थलीपुरम दूरभाष केन्द्र की वर्तमान क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार को गत छः माह से उपभोक्ताओं की शिकायतें न सुनकर उनको प्रताड़ित किए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) इस दूरभाष केन्द्र के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड का और क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) आंध्र प्रदेश के हैदराबाद दूरसंचार जिले के अन्तर्गत वनस्थलीपुरम दूरभाष केन्द्र की वर्तमान क्षमता 29,000 लाइनों की है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा विमानों की खरीद

4161. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने अपनी महत्वाकांक्षी 2-3 बिलियन डालर विमान खरीद कार्यक्रम की समीक्षा करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस को एयरबस और बोइंग एयरक्राफ्ट की खरीद हेतु तकनीकी और वित्तीय बोलियां पहले ही प्राप्त हो चुकी हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइंस के इक्विटी बेस और निधियां प्रदान करने के विरुद्ध निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) 15 प्रकार के विमानों के मूल्यांकन के आधार पर, तत्कालीन उप-प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में इंडियन एयरलाइंस के एक कृतक बल ने इसके विमान बेड़ा के प्रतिस्थापन और विस्तार के लिए 95-175 सीटों की सीट क्षमता में बोइंग कंपनी और एयरबस इंडस्ट्रीज द्वारा तैयार किए गए नौ प्रकार के विमानों पर विचार किया और इनकी सूची तैयार की। बोइंग कंपनी के ये विमान बी-717, बी-737-600, बी-737-700, बी-737-800 और बी-737-900 तथा एयरबस इंडस्ट्रीज के ए-318, ए-319, ए-320 और ए-321 हैं। इंडियन एयरलाइंस के चल रहे विनिवेश प्रक्रिया को ध्यान में रखकर और इंडियन एयरलाइंस के वाणिज्यिक हित में अंतिम सिफारिशों को गोपनीय रखा गया है।

(घ) और (ङ) इंडियन एयरलाइंस में चल रहे विनिवेश को दृष्टि में रखकर, सरकार इस समय इंडियन एयरलाइंस के इक्विटी बेस में और अधिक निधियां जुटाने पर विचार नहीं कर रही है।

राष्ट्रीय नदी कार्य योजना

4162. डा. बलिराम:
श्री टी. गोविन्दन:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय नदी कार्य योजना में शामिल की गई उत्तर प्रदेश तथा केरल की नदियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन राज्यों ने और नदियों को राष्ट्रीय नदी कार्य योजना में शामिल करने का केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल उत्तर प्रदेश की नदियां गंगा, यमुना और गोमती हैं। मौजूदा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत केरल की किसी नदी को शामिल नहीं किया गया है। तथापि, इस स्कीम के अंतर्गत नई नदियों को शामिल करने हेतु इन राज्यों से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार के प्रस्तावों का इनकी मौजूदा स्थिति सहित राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)	वर्तमान स्थिति
1.	यमुना कार्य योजना-विस्तारित चरण	उत्तर प्रदेश हरियाणा तथा दिल्ली	220.60	मई, 2001 में अनुमोदित
2.	काली नदी	उत्तर प्रदेश	26.19	केवल रूपरेखा प्रस्ताव प्राप्त हुआ। राज्य सरकार से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है।
3.	पाम्बा नदी	केरल	155.00	राज्य सरकार को पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए 3 लाख रुपए की राशि रिलीज करने का निर्णय लिया गया है।
4.	चेलियार नदी	केरल	271.00	प्राप्त रिपोर्ट मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है। राज्य सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे सुविधाएं

4163. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रा को सुगम बनाने हेतु सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे सुविधाओं में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार सौंपे गए कार्यों तथा शुरू किये गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चलाई गई परियोजनाओं की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित परियोजनाओं के लगभग कितनी समय-सीमा में पूरा होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) से (घ) जी हां। सरकार की बजटगत सहायता और निजी वित्तपोषण दोनों के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्री-प्रधान मार्गस्थ सुविधाओं का प्रावधान करने की नीति है। सन् 1986-87 से शुरू की गई इस

नीति के अंतर्गत संलग्न विवरण के अनुसार 21 सुविधाएं चालू की गई हैं। अप्रैल, 1998 में इस नीति में संशोधन किया गया था और अब सरकार, मार्गस्थ सुविधाओं की स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है और उसके बाद मार्गस्थ सुविधाओं के विकास के लिए एक खुली निविदा प्रणाली के माध्यम से इसे निजी उद्यमियों को पट्टे पर दे सकती है। कर्नाटक में 272.63 लाख रु. की लागत से 15 स्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु प्राक्कलन स्वीकृत किए गए हैं। भूमि अधिग्रहण चल रहा है और इन सुविधाओं के पूरा होने के बारे में बता पाना अभी संभव नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	बजट सहायता के तहत सुविधाओं की संख्या	निजी वित्तपोषण के तहत सुविधाओं की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1	1
2.	असम	–	1
3.	गोवा	1	–
4.	हरियाणा	–	1
5.	जम्मू और कश्मीर	–	1
6.	केरल	–	1
7.	मध्य प्रदेश	–	1
8.	महाराष्ट्र	1	1
9.	उड़ीसा	1	–
10.	पंजाब	–	1
11.	राजस्थान	–	3
12.	तमिलनाडु	1	–
13.	उत्तर प्रदेश	–	3
14.	पश्चिम बंगाल	–	2
	जोड़	5	16

कर्मचारी भविष्य निधि/कर्मचारी राज्य बीमा कार्यालय

4164. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालयों के नाम और पते क्या-क्या हैं और 30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक कार्यालय के अधिकार-क्षेत्र में कौन-कौन से क्षेत्र आते हैं;

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य कर्मचारियों को पेंशन देने के वर्तमान मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना अपनाने वाले कर्मचारियों को कोई कोड नंबर आवंटित किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों के अनुरोध पर उन्हें ये कोड नंबर दिया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों को आपातकालीन मामलों में उनकी जमाओं पर ऋण दिया जाता है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

कर्मचारी भविष्य निधि में राशि

4165. श्रीमती जस कौर मीणा: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय सरकार के पास कर्मचारी भविष्य निधि की कुल कितनी राशि जमा है;

(ख) सरकार का सवाई माधोपुर, जयपुर के बंद उद्योगों के श्रमिकों को परिवार पेंशन योजना के अंतर्गत किस प्रकार और कब तक लाभ पहुंचाने का प्रस्ताव है;

(ग) सरकार का श्रमिकों को यथा घोषित भविष्य निधि लाभ हेतु कब तक कार्ड प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(घ) सवाई माधोपुर के सीमेंट प्लांट के श्रमिकों को किस प्रकार और कब तक परिवार पेंशन प्रदान किए जाने की संभावना है और उससे कितने श्रमिकों को लाभ होगा?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (घ) 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार, सरकार के पास कर्मचारी भविष्य निधि की कुल जमा राशि 49,015.97 करोड़ रुपये है।

सवाई माधोपुर स्थित सीमेंट संयंत्र दिनांक 10.07.87 को बंद हुआ, 01.09.95 को पुन: शुरू हुआ लेकिन यह 21.08.1998 को फिर बंद हो गया और आदिनांक शुरू नहीं हुआ है। 1995-96 में जिन कर्मचारियों ने कार्य ग्रहण नहीं किया था उनकी सदस्यता 1987 में समाप्त मान ली गई है। ऐसे कर्मचारी, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के दायरे में नहीं आते हैं। जिन कर्मचारियों ने 1995-96 में कार्य ग्रहण कर लिया था, वे कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के उपबंधों के अनुसार अपनी अधिवार्षिता/मृत्यु पर पेंशन और परिवार पेंशन लाभ के हकदार हैं।

कर्मचारी पेंशन योजना 1995/क.भ.नि. 1971 के अंतर्गत सवाई माधोपुर स्थित सीमेंट संयंत्र के 33 कर्मचारियों के पेंशन का भुगतान किया गया है। बाकी 2222 कर्मचारियों को हर तरह से पूर्ण उनके आवेदन-पत्रों के प्राप्त होने पर उनकी हकदारियां निर्धारित करने के पश्चात् आहरण लाभों/पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

सदस्यों के पंजीकरण की प्रक्रिया और राष्ट्रीय यूनीक संख्याओं का सृजन इन-हाऊस कम्प्यूटर प्रणालियों के माध्यम से किया जाएगा। स्मार्टकार्ड के आबंटन का कार्य एक बार राष्ट्रीय यूनीक पहचान संख्या के आबंटन के तुरंत पश्चात् शुरू किया जाएगा।

आधुनिकीकरण कार्यक्रम के प्रथम चरण में 24 माह की समय-सीमा में सभी चार जोनों को परिधि में लेते हुए छ: स्थानों में प्रायोगिक केन्द्रों की स्थापना करना व इन्हें शुरू करना शामिल है।

छ: प्रायोगिक केन्द्रों की स्थापना के पश्चात् पुन: तैयार की गयी प्रणाली को पूरे देश में चरणबद्ध रूप में अपनाए जाने का प्रस्ताव है।

राजस्थान में जानवरों के शिकार क मामले

4166. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में जानवरों के शिकार के संबंध में कितने मामले दर्ज किये गये;

(ख) कितने मामलों में चालान दर्ज किये गये;

(ग) क्या सरकार का विचार जानवरों के शिकार की घटनाओं को रोकने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान किये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) वन्यजीव का संरक्षण संबंधी उत्तरादायित्व राज्य सरकार का है। राजस्थान राज्य में शिकार के मामलों संबंधी सूचना का संकलन केन्द्र सरकार के स्तर पर नहीं किया जाता। मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार राजस्थान सरकार में अवैध शिकार की 145 घटनाएं हुई हैं तथा सभी घटनाओं के संबंध में मामले दर्ज किए गए हैं।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों को उनके अनुरोध तथा केन्द्र सरकार के पास धनराशि की उपलब्धता के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

सड़कों/पुलों का विकास/निर्माण

4167. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा सड़क संगठन ने देश में सड़कों/पुलों के विकास/निर्माण के लिए कुछ प्रमुख परियोजनाओं पर कार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो पहले से कितनी परियोजनाओं में कार्य चल रहा है और वहां कितनी नई परियोजनाओं पर कार्य किया जाना है;

(ग) क्या पहले से चल रही परियोजनाओं में अत्यधिक विलम्ब हुआ है और उन्हें पूरा करने में लागत में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो समय तथा लागत में वृद्धि होने के क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी हां।

(ख) सीमा सड़क संगठन को सौंपी गई जी.एस. सड़कों पर 458 सड़क परियोजनाएं और 53 पुल परियोजनाएं तथा एजेंसी

सड़कों पर 133 सड़क और 40 पुल परियोजनाएं सीमा सड़क संगठन द्वारा निष्पादित की जा रही हैं। सीमा सड़क संगठन ने नई परियोजनाओं के तौर पर जी.एस. सड़कों पर 8 सड़क परियोजनाओं और 39 पुल परियोजनाओं तथा एजेंसी सड़कों पर 18 सड़क पुल परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है।

(ग) और (घ) कुछ परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब हुआ है जिसके फलस्वरूप लागत बढ़ी है। भूमि अधिग्रहण और वन संबंधी स्वीकृति में लगे समय, अल्प कार्य अवधि, सीमा क्षेत्रों में अप्रत्याशित भारी वर्षा और हिमपात, कार्य की जटिल परिस्थितियां, मजदूरी में आवधिक संशोधन, सामग्री लागत में वृद्धि आदि के कारण समय और लागत में वृद्धि हुई है।

भारत में कार्यरत विदेशी एअरलाइन्स

4168. **श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में अनुसूचित विमान सेवाएं चलाने वाली विदेशी एयरलाइनों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): इस समय 46 देशों की 51 विदेशी एयरलाइनें प्रत्येक दिशा में प्रति सप्ताह कुल 1,25,565 सीट क्षमता लगाकर भारत से दोनों तरफ से प्रचालन कर रही हैं।

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि. को खनन लीज का नवीकरण किया जाना

4169. **श्री एस.डी.एम.आर. वाडियार:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि. (के.आई.ओ.सी.एल.) के खनन लीज का नवीकरण किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का लौह अयस्क का उत्खनन किये जाने का भी प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या कुछ निजी क्षेत्र की कम्पनियां कुद्रेमुख के समीप लौह अयस्क खानों को लीज पर लेने के लिए उत्सुक हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) खनन लीज के नवीकरण करने से पूर्व किन कारकों पर विचार किया गया?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील): (क) और (ख) जी, नहीं। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 8 के उपबंधों के अनुसार खनिज लौह अयस्क के खनन पट्टों का नवीकरण प्रदान करने का अधिकार संबंधित राज्य सरकार का है।

(ग) और (घ) कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पश्चिमी घाट क्षेत्र में, जो कुद्रेमुख के निकट का क्षेत्र कवर करता है, कोई भी नया खनन पट्टा प्रदान करने पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ङ) नवीकरण संबंधी आवेदन-पत्र पट्टा धारकों द्वारा खनिज रियायत नियमावली, 1960 (एम सी आर) में निर्धारित प्रपत्र 'जे' में संबंधित राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं। एम.सी.आर. के उपबंधों के अनुसार खनन पट्टों का नवीकरण किया जाता है।

दीमापुर में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम

4170. **श्री के.ए. सांगतम:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दीमापुर विमानपत्तन पर वायुयानों के उतरने और उड़ान भरने के लिए आवश्यक मौलिक सुविधाओं की कमी है;

(ख) क्या सरकार का विचार दीमापुर विमानपत्तन को कार्यात्मक बनाए जाने हेतु वहां इन्सट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस हेतु कितना धन आवंटित किया गया है; और

(घ) उक्त को स्थापित किए जाने के लिए क्या समय-सीमा रखी गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, नहीं। दीमापुर हवाई अड्डे पर विमानों के सुरक्षित प्रचालन के लिए आवश्यक न्यूनतम सुविधाएं जैसे अति उच्च आवृत्ति सर्व परास (वी ओ आर), अदिशिक बीकन (एनडीबी) और दूरी मापक उपस्कर (डी एम ई) उपलब्ध हैं।

(ख) से (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की दीमापुर हवाई अड्डे पर उपकरण अवतरण प्रणाली (आई एल एस) संस्थापित किये जाने की योजनाएं हैं और इस कार्य के लिए 1.75 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उपकरण अवतरण प्रणाली के लिए आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं और राज्य सरकार द्वारा

बाधाओं की क्लीयरेंस के आधार पर इसके दिसंबर, 2002 तक संस्थापित किये जाने की आशा है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे लगे होर्डिंग से राजस्व प्राप्ति

4171. **श्री बलराम सिंह यादव:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे लगाए गए छोटे और बड़े होर्डिंगों के माध्यम से राजस्व अर्जित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दिल्ली-देहरादून/बद्रीनाथ, दिल्ली-नैनीताल/लखनऊ राजमार्गों के किनारे लगे होर्डिंगों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के अन्य राजमार्गों के किनारे लगे होर्डिंगों से सरकार द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया गया है;

(ग) क्या इन राजमार्गों के किनारे अवैध तरीके से लगाए गए छोटे और बड़े आकार के होर्डिंगों से भी राजस्व अर्जित किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो उक्त होर्डिंगों से अलग-अलग वर्षवार कितने राजस्व की प्राप्ति हुई; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मंत्रालय की नीति के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि पर किसी विज्ञापन होर्डिंग की अनुमति नहीं दी जाती है। इसलिए, इससे किसी राजस्व का अर्जन नहीं होता है।

[अनुवाद]

मुम्बई में अवैध खुदाई

4172. **श्री किरीट सोमैया:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मुम्बई में अवैध रूप से की जा रही खुदाई के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मुम्बई में पोवई के आवासीय क्षेत्र में अवैध रूप से की जा रही खुदाई को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और शोर प्रदूषण और पोवई में काम्पलैक्स के निकटवर्ती क्षेत्रों में पत्थर उत्खनन के कारण पैदा हुए कंपनों के बारे में हीनानन्द आवासीय काम्पलैक्स, पोवई, मुम्बई के निवासियों से शिकायत प्राप्त हुई है। जांच के पश्चात् राज्य सरकार ने दो पत्थर खदानों नामत: बाम्बे स्टोन क्रशिंग कंपनी और सुप्रीम आस्फेल्ट कंपनी को जुलाई, 2001 में बंद कर दिया था जो कि आवासीय काम्पलैक्स के 500 मीटर के अंदर स्थित थे और उनके पास वैध अनुमति नहीं थी।

मुम्बई में नया अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन

4173. **श्री चंद्रकांत खैरे:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान मुम्बई में नया अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन स्थापित करने के कार्य को आरंभ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसमें अभी तक कितनी प्रगति की गई है;

(ग) क्या परियोजना संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ङ) जी, नहीं। तथापि, महाराष्ट्र राज्य सरकार की दीर्घावधिक विमान यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवी मुम्बई में एक दूसरे और हवाई अड्डे के बनाए जाने की योजनाएं हैं। राज्य सरकार को प्रस्तावित तकनीकी/यातायात अध्ययन करने और एक औपचारिक प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ भेजने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

दिल्ली में भूमिगत जल स्तर में कमी

4174. श्री रामदास आठवले: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान दिल्ली में भूमिगत जल का स्तर काफी तेजी से गिरा है;

(ख) यदि हां, तो डब्ल्यू ए पी सी ओ अथवा अन्य किसी अभिकरण के सहयोग से दिल्ली में भूमिगत जल की प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान और अब तक भूमिगत जल स्तर में वृद्धि किए जाने हेतु दिल्ली सरकार को कोई धन आबंटित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में सरकार कहां तक सफल रही है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा किए गए दीर्घकालीन प्रेक्षणों से पता चला है कि पिछले दस वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मेहरौली ब्लाक में भूजल स्तरों में 4 से 10 मीटर तक, सिटी ब्लाक में 4 से 8 मीटर तक, नजफगढ़ ब्लाक में 4 से 7 मीटर तक तथा कंझावाला और अलीपुर ब्लाकों में 4 से 5 मीटर तक गिरावट आई है।

(ख) दिल्ली में वाष्कोस के सहयोग से भूजल की निकासी का कोई प्रस्ताव नहीं है। केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड अपने भूजल अन्वेषण कार्यक्रम के तहत अन्वेषणात्मक कुओं की खुदाई करता है। पेय जल आपूर्ति के लिए उपयोग के वास्ते सफल अन्वेषणात्मक कुओं को दिल्ली जल बोर्ड को सौंप दिया गया है।

(ग) और (घ) जल राज्य का विषय होने के कारण जल आपूर्ति बढ़ाने संबंधी कार्य और भूजल के पुनर्भरण का कार्य संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तथापि, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी अध्ययन" नामक अपनी केन्द्रीय क्षेत्र की प्रायोगिक स्कीम के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वर्षा जल संचयन तथा भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी 15 प्रस्तावों का कार्यान्वयन कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। अभी तक किए गए अध्ययनों से अत्यधिक उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कार्यान्वयनाधीन प्रस्ताव

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	आबंटित राशि (लाख रुपये में)	स्थिति
1	2	3	4
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के.जे.एन.यू., आई.आई.टी. और संजय वन क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण स्कीम	46.05	पूर्ण
2.	प्रेसीडेन्ट इस्टेट, नई दिल्ली के लिए कृत्रिम पुनर्भरण स्कीम	12.73	पूर्ण
3.	कुशक नाला, नई दिल्ली में भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण	3.32	पूर्ण
4.	लोदी गार्डेन, नई दिल्ली में भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण	5.37	पूर्ण

1	2	3	4
5.	श्रमशक्ति भवन, नई दिल्ली में छत के वर्षा जल का संचयन	4.10	पूर्ण
6.	प्रधानमंत्री का कार्यालय, साउथ ब्लाक, नई दिल्ली में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम	5.38	कार्य चल रहा है।
7.	वायुसेनाबाद, एयरफोर्स स्टेशन, तुगलकाबाद, नई दिल्ली में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम	5.41	कार्य चल रहा है।
8.	तुगलक लेन और आसपास के क्षेत्र, नई दिल्ली में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम	9.36	कार्य चल रहा है।
9.	मीराबाई पालीटेक्निक परिसर, महारानी बाग, नई दिल्ली में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम	1.76	कार्य चल रहा है।
10.	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम	8.23	कार्य चल रहा है।
11.	5, जनपथ रोड, नई दिल्ली में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम	0.60	कार्य चल रहा है।
12.	ग्रुप हाउसिंग फार अभियान, सी जी एच एस लिमिटेड, प्लाट - 15, सेक्टर - 12, द्वारका, नई दिल्ली में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम	0.85	कार्य चल रहा है।
13.	दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, नई दिल्ली में भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण स्कीम	4.55	अभी शुरू की जानी है।
14.	डी ब्लाक पार्क, वसन्त विहार नई दिल्ली में कृत्रिम पुनर्भरण स्कीम	5.60	कार्य चल रहा है।
15.	सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण सोसाइटी, ब्लाक ए से डी वसंत विहार, नई दिल्ली में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम	10.00	अभी शुरू की जानी है।
	कुल	123.31	

[अनुवाद]

विभिन्न शहरों में प्रदूषण

4175. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री रामजीवन सिंह:
श्री बृज भूषण शरण सिंह:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रदूषण के प्रसार की रोकथाम के लिए विभिन्न शहरों में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण गठित करने का है;

(ख) क्या महानगरों के अलावा ज्यादातर शहरों में प्रदूषण में वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने अन्य शहरों में भी प्रदूषण के प्रसार के रोकथाम हेतु योजनाओं तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रदूषण की समस्या की रोकथाम हेतु देश के विभिन्न राज्यों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों की संख्या कितनी है और सरकार द्वारा इन पर कितनी धनराशि खर्च की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) प्रदूषण की रोकथाम हेतु विभिन्न शहरों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण गठित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मंत्रालय ने प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण से संबंधित विभिन्न मामलों से निपटने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण बोर्डों के अलावा विभिन्न प्राधिकरण गठित किए हैं, इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण,

(2) दहानु तालुका पर्यावरण (सुरक्षा) प्राधिकरण,

(3) केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण,

(4) जल-कृषि प्राधिकरण,

(5) जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण,

(6) पारिस्थितिकीय हानि (निवारण एवं क्षतिपूर्ति) प्राधिकरण,

(7) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु पर्यावरण (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण।

(ख) से (घ) बढ़ती आबादी, औद्योगिक गतिविधियों तथा सड़क यातायात की वजह से देश के कुछ शहरों में प्रदूषण स्तरों में बढ़ोत्तरी हो रही है तथा प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु कई स्कीमें तैयार की गई हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) वाहन जनित प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण पर विस्तृत योजना,

(2) अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में पर्यावरणीय गुणवत्ता की बहाली,

(3) अत्यधिक प्रदूषक उद्योगों तथा नदियों और झीलों में अपशिष्ट जल बहाने वाले उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण,

(4) उद्योगों के स्थल निर्धारण हेतु पर्यावरणीय पहलुओं पर आधारित जोनिंग एटलस तैयार करना,

(5) दोषी इकाइयों के विरुद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के माध्यम से कार्यवाही।

(ङ) पर्यावरणीय जागरूकता अभियान में 4 हजार से अधिक गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया गया है तथा इन्हें पिछले वर्ष के दौरान लगभग 2.5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नए बांड जारी करना

4176. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दिनांक 20 जुलाई, 2001 को नए बांड जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इन बांडों को जारी कर कितनी धनराशि संग्रहीत की गई है; और

(घ) इस धनराशि का किस तरीके से उपयोग किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी हां।

(ख) यह बांड इश्यू, आयकर अधिनियम की धारा 54 ई सी के तहत पूंजीगत अधिलाभ छूट की सुविधा के साथ दिया जा रहा है। यह इश्यू निजी स्थापन और तैयार आधार पर निवेशकों के लिए उपलब्ध होगा।

(ग) 14 अगस्त, 2001 तक लगभग 40 करोड़ रु. प्राप्त किए गए हैं।

(घ) यह राशि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना पर खर्च की जाएगी जिसमें 13252 कि.मी. लम्बे राष्ट्रीय राजमार्गों को 4/6 लेन का बनाया जाएगा।

वर्षा जल संचयन संबंधी नीति

4177. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्षा जल संचयन के संबंध में एक व्यापक नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त नीति को कब तक तैयार किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या उन राज्यों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है जो इस दिशा में पहले ही अग्रणी रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ङ) जल, राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधनों को बढ़ाने के वास्ते योजना बनाने, उनका वित्तपोषण एवं निष्पादन करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। केन्द्रीय सरकार जल विभाजक प्रबंधक कार्यक्रम, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और छत के वर्षा जल के संचयन द्वारा वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दे रही है। जल संसाधन मंत्रालय के तहत केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सी.जी.डब्ल्यू.बी.), संबंधित राज्य सरकार के अभिकरणों के सहयोग से विभिन्न राज्यों में "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी अध्ययनों" पर केन्द्रीय क्षेत्र की एक प्रायोगिक स्कीम क्रियान्वित कर रही है। सरकार ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के वास्ते 25.00 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। स्कीम के तहत अनुमोदित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन अनुमोदित प्रस्तावों के 1-2 वर्षों के भीतर क्रियान्वित की जाने की संभावना है।

विवरण

भूमि जल पुनर्भरण स्कीम संबंधी अनुमोदित प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	स्कीमें (संख्या)	अनुमोदित लागत (लाख रुपये में)	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	10	54.55	क्रियान्वयनाधीन
2.	असम	1	56.69	क्रियान्वयनाधीन
3.	बिहार	4	18.69	क्रियान्वयनाधीन
4.	दिल्ली	14	86.43	चार स्कीमें पूरी कर ली गई और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
5.	गुजरात	3	18.95	क्रियान्वयनाधीन
6.	हरियाणा	8	139.12	तीन स्कीमें पूरी कर ली गई हैं और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
7.	हिमाचल प्रदेश	6	81.65	तीन स्कीमें पूरी हो गई और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।

1	2	3	4	5
8.	जम्मू और कश्मीर	11	190.19	एक स्कीमें पूरी हो गई है और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
9.	झारखण्ड	6	28.04	क्रियान्वयनाधीन
10.	कर्नाटक	1	13.75	क्रियान्वयनाधीन
11.	केरल	9	67.62	पांच स्कीमें पूरी होने के अंतिम चरण पर हैं और क्रियान्वयनाधीन हैं।
12.	मध्य प्रदेश	5	53.85	चार स्कीमें पूरी कर ली गई और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
13.	महाराष्ट्र	3	76.63	क्रियान्वयनाधीन
14.	मेघालय	1	28.00	क्रियान्वयनाधीन
15.	मिजोरम	1	28.00	विचाराधीन
16.	नागालैंड	1	70.00	क्रियान्वयनाधीन
17.	उड़ीसा	2	437.40	क्रियान्वयनाधीन
18.	पंजाब	15	251.49	छः स्कीमें पूरी कर ली गई हैं और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
19.	राजस्थान	13	84.27	एक स्कीम पूरी हो गई है और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
20.	तमिलनाडु	8	198.98	एक स्कीम पूरी हो गई है और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
21.	उत्तर प्रदेश	5	37.21	क्रियान्वयनाधीन
22.	उत्तरांचल	1	2.00	क्रियान्वयनाधीन
23.	पश्चिम बंगाल	8	167.82	क्रियान्वयनाधीन
	कुल	136	2191.33	

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों में विमानयात्रियों को हुई परेशानी

4178. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 19 नवम्बर, 2000 को पूना से आये इंडियन एयराइंस के विमान में सीढ़ी को गलत ढंग से लगाए जाने के कारण यात्रियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और उनकी जान खतरे में पड़ गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा 19 नवम्बर, 2000 को पुणे से दिल्ली

और बंगलौर के लिए उड़ानें प्रचालित हुई थीं। उड़ान की तारीख पर न तो मूल स्टेशन से अथवा न ही गंतव्य स्टेशन पर इस प्रकार की कोई घटना की रिपोर्ट मिली और आज तक इन उड़ानों के बारे में रिकार्ड में कोई शिकायत नहीं मिली है।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर पुलिस गार्ड की तैनाती

4179. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विमान अपहरण और तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों को रोकने हेतु हैदराबाद, तिरूपति, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम स्थित विमानपत्तनों पर पुलिस गार्डों की सेवाओं का उपयोग करती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नागर विमानन विभाग ने वर्ष 1981 से आंध्र प्रदेश की सरकार को उक्त सेवाओं के प्रसार का भुगतान नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के विरुद्ध लगभग 8 करोड़ रुपया बकाया है;

(च) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश की सरकार ने बकायों का शीघ्र भुगतान किए जाने का अनुरोध किया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यह भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जी, हां। तथापि, हैदराबाद और विशाखापत्तनम हवाई अड्डों पर क्रमश: 3.4.2000 और 21.6.2000 से सुरक्षा ड्यूटियों के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात किया गया है।

(ग) से (छ) आंध्र प्रदेश सरकार से उनके द्वारा हवाई अड्डा सुरक्षा ड्यूटियों के लिए आंध्र प्रदेश पुलिस कार्मिकों की तैनाती पर किये गये खर्च की प्रतिपूर्ति के अनुरोध प्राप्त हुआ है। कुछ राशि वर्ष 1981 के लिए तिरूपति हवाई अड्डे के संबंध में है।

(ज) राज्य सरकारों के कुछ दावों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा बिलों की पुष्टि के बाद निपटा दिया गया है। बिलों की अदायगी किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण दावों को तेजी से निपटाने के लिए कदम उठाती है।

जिला दूरसंचार प्रबंधक कार्यालय की स्थापना

4180. श्री अनन्त नायक: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में क्योंझर में स्थापित जिला दूरसंचार प्रबंधक कार्यालय ने अपना कार्य करना आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह अपना काम कब तक शुरू कर देगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां। दूरसंचार जिला प्रबंधक का कार्यालय कार्य कर रहा है।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

केरल से यूरोपीय देशों के लिए उड़ानें

4181. श्री टी. गोविन्दन:
श्री के. फ्रांसिस जार्ज:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशों में कार्यरत लोगों की वायु यात्रा सुविधा हेतु केरल से यूरोपीय देशों और अन्य देशों के लिए अधिक अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने हेतु केरल सरकार का कोई अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों को और अधिक संख्या में कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) केरल राज्य सरकार ने केरल से यूरोप और खाड़ी देश के गंतव्य स्थलों के लिए और अधिक सेवाएं शुरू करने का अनुरोध किया है। एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स जो केरल में तिरूवनंतपुरम, कोचीन और कालीकट से अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं प्रचालित कर रहे हैं,

इनके अतिरिक्त गल्फ एयर, कुवैत एयरवेज, ओमान एयर, कतर एयरवेज, सिल्क एयर और एयर लंका वर्तमान समय में तिरूवनन्तपुरम तक जाने-आने के लिए उड़ानें प्रचालित कर रहीं हैं। ओमान की नामित विमानकंपनी (ओमान एयर) ने हाल ही में घोषित कोचीन स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक वैमानिक सेवाएं उपलब्ध कराई है। सऊदी अरबिया की नामित विमानकंपनी के अवतरण स्थल के रूप में चेन्नई पर कोची को भी अवतरण स्थल बनाया गया है और सितम्बर, 2002 तक कोचीन अथवा तिरूवनन्तपुरम को उनके नामित वाहक अमीरात को देने के लिए युनाइटेड अरब अमीरात (दुबई) को एक प्रतिबद्धता भी दी गई है। इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया ने केरल स्थित हवाई अड्डे खासकर कोचीन से अपने प्रचालनों को बढ़ाया भी है।

इंडियन एयरलाइंस को घाटा

4182. **श्री सुरेश रामराव जाधव:**
डा. जसवंतसिंह यादव:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान इंडियन एयरलाइंस को घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इंडियन एयरलाइंस को लाभप्रद बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) वर्ष 2001-2002 के लिए कंपनी के बजट प्राक्कलन के अनुसार 251 करोड़ रु. का घाटा हुआ। बजटित घाटे से विमानन टरबाईन ईंधन (ए.टी.एफ.) के मूल्यों में भारी वृद्धि और विभिन्न निवेश लागतों जैसे अवतरण एवं दिक्चालन प्रभारों, हैंडलिंग प्रभारों, सुरक्षा व्यय में वृद्धि विमान बीमा प्रीमियम में वृद्धि, विदेशी मुद्रा दरों में वृद्धि आदि परिलक्षित होती हैं। इसके अतिरिक्त, एटीएफ के घरेलू मूल्य जो एक प्रमुख निवेश है में वर्ष 2000-2001 के दौरान लगभग 50 प्रतिशत तक वृद्धि हो गई। जबकि प्रचालन सेवा की लागत में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है जिसकी राशि 300 करोड़ रु. से अधिक हो गई है, वर्ष 2001-2002 के लिए बजट प्राक्कलनों को तौयार करने में किसी किराया वृद्धि का परिकलन नहीं किया गया है।

यदि उक्त लागत वृद्धि नहीं हुई होती तो कंपनी को वर्ष 2001-2002 के लिए शुद्ध लाभ अर्जित हुआ होता।

(ख) अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है-

1. चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् अप्रैल और मई, 2001 के पहले दो महीनों में, कंपनी ने 35.09 करोड़ रु. के बजटित शुद्ध हानि की तुलना में 32.60 करोड़ रु. की शुद्ध हानि हुई है। शुद्ध हानि में यह कमी बजटित हानि की तुलना में 2.49 करोड़ रु. की बैठती है।

2. 25 मई, 2001 से कंपनी ने अपने घरेलू नेटवर्क पर फ्लेक्सिबुल फेयर की नीति अपना ली है। फ्लेक्सी-फेयर नीति से कंपनी को अपेक्षाकृत उच्च क्षमता तथा बेहतर उपलब्धि की वजह से राजस्व अर्जन में सुधार की आशा है। ऐसा होने से कंपनी द्वारा किए गए अन्य विभिन्न उपायों से कंपनी के वित्तीय निष्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

3. सरकार ने दिनांक 1.4.2001 से घरेलू एटीएफ मूल्य को डिरेगुलेट किया है। एटीएफ मूल्य के जिरेगुलेशन की प्रत्याशा में बजट में एटीएफ मूल्य में बचत मान ली गई है। अप्रैल, 2001 में एटीएफ मूल्य में कमी दर्ज की गई और बजट में की गई प्रत्याशित बचत से कहीं अधिक बचत की प्रत्याशा है। तथापि, एटीएफ के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य की उच्च कीमत होने से घरेलू कीमत में भी जून, 2001 से और उसके बाद वृद्धि हो गई है जिसके परिणामस्वरूप डिरेगुलेशन की वजह से एटीएफ लागत में अतिरिक्त बचत जो बजट में समझी गई वह कार्यान्वित नहीं हो सकी।

(ग) कंपनी ने अपनी वित्तीय और प्रचालन निष्पादन में सुधार लाने की दृष्टि से अगस्त, 2000 से विभिन्न कदम उठाए हैं जिनकी वजह से परिलब्धि हुई है और अपेक्षित परिणाम मिले हैं जिनकी वजह से प्रचालन राजस्व में पर्याप्त वृद्धि हुई जिसे नीचे की तालिका से देखा जा सकता है।

	2000-2001		1999-2000
	बजटित	प्राप्तियां (अनंतिम)	वास्तविक
	(करोड़ रुपयों में)		
प्रचालन राजस्व	3681.00	3758.50	3549.17

कार्य निष्पादन में सुधार लाने की दृष्टि से किए गए कुछेक उपाय निम्नानुसार हैं-

1. *कठोर बजटीय नियंत्रण:* व्यय की सभी मुख्य-मुख्य मदें लागत लाभ विश्लेषण, प्रचालन एवं वाणिज्यिक शीर्ष निपटान, वित्तीय प्रतिबंध आदि के अध्यधीन हैं।

2. *बेहतर विमान-बेड़ा उपयोग:* पायलटों, विमान इंजीनियरों की उत्पादकता में सुधार, ग्राउंड टर्न राउंड टाइम को न्यूनतम करना, कतिपय घरेलू सेक्टरों पर रात्रि उड़ान व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन सेवा में वृद्धि करना, विमानों की बेहतर शेड्युलिंग और रूट आयोजना, बाजार अपेक्षाओं के अनुरूप क्षमता तैनाती आदि।

3. *उत्पाद कोटि में सुधार:* समयबद्ध निष्पादन में सुधार, प्रयोक्ताओं के लिए उपलब्ध सेवाओं में सामान्य सुधार और उनमें वृद्धि।

4. *विपणन पहल:* विदेशी एयरलाइनों के साथ कोड-शेयरिंग, कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली में उच्च स्तरीय भागीदारी, निगमित प्रोत्साहनों सहित विभिन्न संवर्धनात्मक योजनाएं आदि।

5. *लचीले किराये:* सीजन, प्रतियोगिता, उड़ान समयावधि और अन्य मांग और पूर्ति कारकों के आधार पर किरायों का नियतन।

6. *लागत नियंत्रण संबंधी उपाय:* समयोपरि भत्ते, नैमित्तिक श्रमिक, होटल/ट्रेवल संबंधी व्यय, कर्मी ले-ओवर व्यय जब तक प्रचालन संबंधी कारणों की वजह से नितांत आवश्यक न हो, ईंधन मानिटरिंग और टैंकरिंग, विमान अनुरक्षण पर नियंत्रण, प्रचार-प्रसार व्यय में कमी गैर-किफायती उड़ानों इन्वेंटरी प्रबंधन, साध्य सीमा तक सेवाओं के बाह्य स्त्रोत की समीक्षा।

दूरसंचार विभाग द्वारा एल ओ आई जारी किया जाना

4183. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने राज्यों में मूलभूत दूरभाष सेवाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए मैसर्स भारती टेलीनेट को लेटर आफ इन्टेंट्स (आशय-पत्र) जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके परिचालन हेतु राज्यवार किन क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(ग) वे अन्य कंपनियां कौन-कौन सी हैं जिन्हें इस उद्देश्य हेतु लेटर आफ इंटेंट्स जारी करने पर विचार किया जा रहा है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी, हां। दूरसंचार विभाग ने दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, केरल, हरियाणा, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु दूरसंचार सर्किलों के सेवा क्षेत्रों में बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए मैसर्स भारती टेलीनेट लिमिटेड को आशय-पत्र (एल ओ आई) जारी किए हैं।

(ग) उपरोक्त के अलावा जिन अन्य कम्पनियों को आशय पत्र (एल ओ आई) जारी किए गए हैं वे हैं: मैसर्स एयरसेल डिजिलिंक लिमिटेड, मैसर्स रिलायंस कम्यूनिकेशंस प्रा.लि., मैसर्स बिड़ला ए टी एण्ड टी लि., मैसर्स टाटा टेली सर्विसेज लि. और मैसर्स एच एफ सी एल इन्फोटेल लि.। जिन कम्पनियों के आवेदन उनके द्वारा कमियां ठीक करने में विलम्ब के कारण अन्तिम निपटान हेतु लम्बित हैं, वे हैं: मैसर्स एयरसेल लि., मैसर्स स्टर्लिंग सेल्यूलर लि., मैसर्स बी पी एल सेल्यूलर लि., मैसर्स बी पी एल मोबाइल कम्यूनिकेशंस लि., मैसर्स श्याम टेलीलिंग लि., मैसर्स फैस्सेल लि., मैसर्स सिटि केबल नेटवर्क लि. और मैसर्स मोदी कौर्प लिमिटेड।

पी.सी.ओ. के आबंटन में अनियमितताएं

4184. श्री ए. चरेन्द्र: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान और 31 जुलाई, 2001 की तिथि के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पी.सी.ओ. के आबंटन में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

जी.टी. रोड का निर्माण

4185. डा. चलिराम: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जी.टी. रोड के पुनर्निर्माण हेतु विशेष आकस्मिक योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) जी.टी. रोड के पुनर्निर्माण के लिए कोई विशेष आकस्मिकता योजना नहीं है। तथापि, जी.टी रोड का जालंधर से कोलकाता तक का भाग जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 पर पड़ता है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन.एच.डी.पी.) में शामिल है जिसके अंतर्गत इन राजमार्गों पर चार लेन बनाया जाना है। जालंधर-आगरा खंड पर पहले से चार लेन है और शेष खंडों पर दिसम्बर, 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

देश में खनन परियोजनाएं

4186. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में कार्यान्वित करने के लिए नई खनन परियोजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तमिलनाडु में सौंपे गये कार्यों और शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक आवंटित और वितरित की गई निधियों का परियोजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) किस अनुमानित समय-सीमा के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं को पूरा किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार के पास अन्य देशों और विदेशी एजेन्सियों से वित्तीय और प्रौद्योगिकीय सहायता के माध्यम से उन्हें कार्यान्वित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील): (क) राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 तथा इसके परिणामस्वरूप खनन विधान में हुए संशोधनों के अनुसरण में खनन क्षेत्र में उदारीकरण के पश्चात् खनिज क्षेत्र को निजी क्षेत्र के निवेश हेतु खोल दिया गया है। नई खनन नीति खनन में निजी क्षेत्र के निवेश पर बल देती है और खान मंत्रालय के पास कार्यान्वित करने के लिए अपनी कोई नई खनन परियोजनाएं नहीं हैं।

(ख) से (च) उपरोक्त 'क' के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेशों का दौरा

4187. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा किन-किन देशों का दौरा किया गया है और इन दौरों के दौरान किन-किन समझौतों पर हस्ताक्षर हुये हैं;

(ख) किये गये समझौतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेशी दौरों पर कितनी धनराशि खर्च हुई और देश को इससे प्राप्त लाभों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) श्रम मंत्री, डॉ. सत्यनारायण जटिया ने श्रम मानकों के निर्धारण सहित श्रम से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाली भारतीय श्रम सम्मेलन की बैठकों में भाग लेने के लिए तीन अवसरों पर (मई-जून 1999, 2000 और 2001) (1) जिनेवा (स्विटरलैंड) का दौरा किया है। जिनेवा दौरे के अपने क्रम में उन्होंने भारत लौटते समय जून, 2000 में अं.श्रम.सं. के ट्यूरिन (इटली) स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र और जून, 2001 में लंदन (यू.के.) का दौरा किया। इन बैठकों में किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने अपेक्षित नहीं थे (2) उन्होंने श्रम से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने तथा श्रम एवं सामाजिक सुरक्षा विधान, रोजगार संवर्धन उपायों और नीतियों, श्रम संबंधों, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी नीतियों से संबंधित क्षेत्रों में आपसी सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए 26 से 30 सितम्बर, 2000 तक चीन जनवादी गणराज्य का दौरा किया। पिछले तीन वर्षों के दौरान श्रम मंत्रालय द्वारा सभी चार दौरों के लिए कुल संस्वीकृत व्यय 37.94 लाख रुपये है।

[अनुवाद]

सम्भावित खानों की खोज

4188. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भरपूर खनिज सम्पदा की संभावना वाले राज्यों में सम्भावित खानों की खोज, उत्खनन और उनके वितरण को प्रोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नई खनिज सम्पदा की खोज करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार खनिज की खोज के संबंध में भारत-फ्रांस कार्यदल के गठन का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील): (क) जी, हां। सरकार के अभिक्रमों (इनिशिटिव्ज) का लक्ष्य संभावित रूप से खनिज समृद्ध राज्यों में खनिज संसाधनों के गवेषण और विकास को प्रोत्साहित करना है। खनिजों के गवेषण, इसकी अपनी एजेंसियों यथा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) और खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (एम.ई.सी.एल.) के मार्फत तथा राज्य भूविज्ञान और खनन निदेशालयों (डी.जी.एम.) और निजी क्षेत्र द्वारा किए जा रहे हैं।

(ख) जी.एस.आई. द्वारा सभी खनिज समृद्धि राज्यों में खनिज गवेषण जारी रखा जाएगा। एम.ई.सी.एल. द्वारा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में गवेषण जारी है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में हवाई पूर्वेक्षण के लिए कई कंपनियों को 115 पूर्वेक्षण लाइसेंस/टोही परमिट प्रदान किए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। भूविज्ञान और खनन के क्षेत्र में भारतीय संगठनों की क्षमताओं को बढ़ावा देने तथा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और उपकरण प्राप्त करने के लिए आर्थिक और तकनीकी सहयोग हेतु भारत-फ्रांस संयुक्त समिति के तत्वावधान में 1986 में खनिज गवेषण और विकास संबंधी भारत-फ्रांस कार्यकारी दल की स्थापना की गई थी। भारत-फ्रांस वित्तीय प्रोटोकोल के तहत् 21 परियोजनाओं के मार्फत लगभग 204.23 मिलियन एफ.एफ. फ्रांसीसी द्विपक्षीय सहायता प्रदान की गई है।

स्वर्ण भण्डार

4189. **श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में स्वर्ण भण्डार की अनुमानित मात्रा कितनी है;

(ख) देश में वार्षिक रूप में कितनी मात्रा में सोना निकाला जाता है;

(ग) किन-किन स्थानों में स्वर्ण भण्डार की खोज की जा रही है और वार्षिक रूप में कितनी मात्रा में सोना निकाला जा रहा है;

(घ) क्या सरकार ने स्वर्ण अन्वेषण नीति को तैयार करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील): (क) खान मंत्रालय के एक अधीनस्थ संगठन भारतीय खान ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में स्वर्ण अयस्क के प्राप्य निक्षेप 17.79 मिलियन टन हैं जिनमें लगभग 67.9 टन स्वर्ण धातु है।

(ख) और (ग) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण खनिज गवेषण निगम लिमिटेड तथा कर्नाटक सरकार द्वारा किये गये स्वर्ण गवेषण का ब्यौरा तथा उनकी स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) स्वर्ण गवेषण के लिए अलग से कोई नीति तैयार नहीं की गई है। तथापि, मार्च, 1993 में घोषित राष्ट्रीय खनिज नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, भूमि तथा अपतटीय क्षेत्रों में खनिज संपदा की पहचान के लिए गवेषण का प्रावधान है। सरकार ने इस नीति के तहत, अद्यतन प्रौद्योगिकी के प्रयोग तथा बहुमूल्य एवं दुर्लभ खनिजों के गवेषण एवं खनन में निजी भागीदारी पर बल दिया है। इस उद्देश्य के लिए, स्वर्ण सहित विभिन्न खनिजों के लिए वृहद क्षेत्र पूर्वेक्षण लाइसेंस/टोही परमिट दिये गए हैं। अभी तक दिये गए 115 वृहद क्षेत्र पूर्वेक्षण लाइसेंसों/टोही परमिटों, जोकि 31 जुलाई, 2001 तक दिये गए हैं, में से 98 को राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों में, अन्य के साथ-साथ, स्वर्ण के लिए भी दिया गया है।

विवरण

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खनिज गवेषण निगम लिमिटेड तथा कर्नाटक सरकार द्वारा 1997-98 से किये गए स्वर्ण के गवेषण का ब्यौरा

आंध्र प्रदेश: भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किये गये गवेषण के परिणामस्वरूप, कुरनूल जिले के दोना पूर्व क्षेत्र में 1.15 ग्राम/टन स्वर्ण वाले 5.91 मिलियन टन संसाधन का अनुमान लगाया गया था। इसी प्रकार, अनन्तपुर जिले के बोकसामापल्ले उत्तर खंड क्षेत्र में अन्वेषणों से 1.4 ग्राम/टन तक स्वर्ण मूल्य तथा चित्तुर जिले के पेडापारी कुन्टा खंड में 1 से 5.5 ग्राम/टन स्वर्ण मूल्य वाली खनिजीकरण पट्टी का पता चला है।

बिहार: गवेषण के परिणामस्वरूप, सोनापेट घाटी के सुरसी खार्सवान क्षेत्र की स्वर्ण मिश्रित चट्टानों की खोज हुई तथा नमूनों से कुल्लाचालिनाला की स्ट्रीम पछोड़नों में अधिकतम 1.10 ग्राम/टन धातु का पता चला तथा क्वार्टज पट्टी के नमूनों के विश्लेषण से 1.6 ग्राम/टन तक स्वर्ण का पता चला। इसके अलावा, मोरचागोरा भिलारदारी क्षेत्र में ज्वालामुखी चट्टान समूह में क्वार्टज पट्टी है तथा चट्टान समूह के नमूनों से 0.06 ग्राम/टन से 3.75 ग्राम/टन तक धातु का पता चला है।

कर्नाटक: जी.एस.आई. बी.आर.जी.एम. (फ्रांस) के सहयोगात्मक कार्यक्रम के तहत, भूरासायनिक पूर्वेक्षण से धारवाड़ जिले के कक्कोल के दक्षिण एवं रानेबेन्नुर क्षेत्रों में अधिकतम 1.4 ग्राम/टन स्वर्ण मूल्य का पता चला है।

केरल: पालाकड जिले के कोटटाथारा खंड में गवेषण के परिणामस्वरूप, 13.36 ग्राम/टन औसत ग्रेड स्वर्ण वाले 24,000 टन स्वर्ण अयस्क के अतिरिक्त निक्षेपों का अनुमान किया गया है। इस प्रकार, इस क्षेत्र में, कुल 0.6 मिलियन टन अयस्क का अनुमान है।

राजस्थान: बांसवाड़ा जिले के मध्य खंड, भूकिया (पूर्व) में 2 ग्राम/टन से 2.96 ग्राम/टन ग्रेड वाले 90,000 टन स्वर्ण अयस्क का पता चला है।

उत्तर प्रदेश: सिधि जिले के गुरहर पहाड़ खंड में 1.04 ग्राम/टन ग्रेड वाले 5.37 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क निक्षेप का अनुमान लगाया गया है जिसमें से 2.1 मिलियन टन अयस्क 1.28 ग्राम/टन ग्रेड वाला है।

उपरोक्त के अलावा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उड़ीसा आदि में गवेषण कार्य किया।

खनिज गवेषण निगम द्वारा आंध्र प्रदेश के चित्तूर एवं अनन्तपुर, बिहार के सिंहभूम, कर्नाटक के रायचूर, धारवाड, हासन, कोलार एवं हावेरी तथा केरल के मालापुरम जिलों में कुल 17.12 मिलियन टन छोटे से मध्यम आकार के स्वर्ण अयस्क निक्षेपों का पता चला है।

कर्नाटक सरकार ने निम्नलिखित स्थानों पर गवेषण कार्य जारी सूचित किया है:-

हट्टी - मास्की शिष्ट पट्टी

(क) ऊटी (ख) हीरा बुदनी, एवं (ग) हट्टी

शिमोगा - चित्रदुर्गा-गदाग शिष्ट पट्टी

(क) चिनमुलगुंड (ख) कुदेरेकोंडा (ग) पल्लावानाहल्ली (घ) चालागेरी (ङ) हंसीकट्टे (च) अज्जनहल्ली, एवं (छ) जी आर हल्ली।

कावेरी जल विवाद

4190. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कावेरी नदी जलाधिकरण ने कर्नाटक पर कावेरी बेसिन में नए जल संसाधन विकास संबंधी कार्यकलापों को करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक की सरकार ने सह-बेसिन राज्यों की सहमति या अधिकरण से स्पष्ट आदेश प्राप्त नहीं किए और कावेरी बेसिन में पुराने टैंकों में गाद सफाई का कार्य आरम्भ कर दिया; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) कावेरी जल विवाद अधिकरण ने 25 जून, 1991 के अपने अंतरिम आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया है कि वे कावेरी नदी के जल से सिंचित 11.2 लाख एकड़ क्षेत्र से अधिक क्षेत्र की सिंचाई नहीं करेंगे।

(ग) और (घ) कावेरी जल विवाद अधिकरण द्वारा लगाए गए उपरोक्त प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक सरकार को सलाह दी गई कि राज्य में विश्व बैंक की सहायता से कावेरी बेसिन के पुराने टैंकों से गाद हटाने संबंधी प्रस्तावों के लिए संबंधित राज्यों से सहमति या अधिकरण से विशेष आदेश प्राप्त करें, जो राज्य सरकार को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। सिंचाई राज्य का विषय है एवं पुराने टैंकों से गाद हटाने सहित लघु सिंचाई स्कीमों की योजना, अन्वेषण, निष्पादन और उनका वित्त पोषण का मूल दायित्व राज्य सरकार का है।

खिलाड़ियों के लिए अध्ययन दल का गठन

4191. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:**
श्री वाई.वी. राव:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में सम्पन्न हुए विश्व ओलम्पिक, 2000 में खिलाड़ियों द्वारा खराब प्रदर्शन के कारणों का अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए अध्ययन दल का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उपयुक्त खेल अवसंरचना के साथ आकर्षक धनलाभ का प्रस्ताव किया गया है ताकि देशभर के खिलाड़ी प्रतिभा को आकर्षित किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रतिभा को किस सीमा तक प्रोत्साहित किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में प्रयास बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योग राधाकृष्णन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

ए.टी.एफ. पर बिक्री कर और शुल्क

4192. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा हवाई सेवाओं संबंधी समझौते के अनुसरण में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के विमानों को दिए जाने वाले एविएशन टरबाइन फ्यूअल (ए.टी.एफ.) को सीमाशुल्क, बिक्री कर और स्थानीय शुल्कों के भुगतान से पूरी तरह मुक्त किए जाने के लिए कोई कानून बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस प्रकार की कर मुक्ति से एअर इंडिया को अपनी प्रतियोगी कंपनियों की तुलना में नुकसान होगा; और

(ग) यदि हां, तो एअर इंडिया को विदेशी एयरलाइनों के बराबर स्तर पर लाने के लिए उपर्युक्त प्रभारों में एयर इंडिया को राहत प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) भारत तक, से और भारत से होकर अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं प्रचालित होने वाले विमान जो दूसरे राज्य में पंजीकृत हैं, द्वारा लिए गए ईंधन व स्नेहकों पर से सभी शुल्क व करों को समाप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत विधायन करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) विधि मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि एअर इंडिया के मामले में विमानन टरबाईन ईंधन (ए.टी.एफ.) की बिक्री व आपूर्ति पर से स्थानीय बिक्री कर हटाने के लिए केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में संशोधन करना होगा।

सतत विकास के लिए एन.ई.ए.सी. अभियान

4193. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री सी. श्रीनिवासन:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सतत विकास के लिए एन.ई.ए.सी. 2000-2002 अभियान में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी संगठनों, अन्य संस्थाओं और विद्यालयों से परियोजना प्रस्तावों को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनमें से प्रत्येक को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) "एन.ई.ए.सी. 2000-2002" अभियान में भाग लेने का प्रमुख उद्देश्य क्या है; और

(ङ) यह किस सीमा तक सफल रहा है।

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां। सरकार राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष गैर-सरकारी संगठनों और स्कूलों सहित रुचि रखने वाले संगठनों से परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित करती है। इस वर्ष राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान की विषय वस्तु (थीम) सतत विकास है।

(ख) और (ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान पूरे देश में कैंप, पदयात्रा, रैली, सार्वजनिक बैठकें, प्रदर्शनियां, निबंध/वादविवाद/चित्रकला/पोस्टर प्रतियोगिताएं, लोक नृत्य एवं गीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो आदि जैसी जागरूक गतिविधियां आयोजित करने के लिए 4581 संगठनों को 2,57,76,500 रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी। चालू वर्ष के लिए क्षेत्रीय संसाधन एजेंसियों को प्रस्ताव भिजवाने की अंतिम तिथि 20 अगस्त, 2001 है। इसके बाद प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा और उपयुक्त प्रस्तावों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

(घ) और (ङ) अभियान में भाग लेने का प्रयोजन आम जनता को पर्यावरणीय मामलों में संवेदनशील बनाना है और उन्हें पर्यावरणीय सुधार के कार्यक्रमों को करने के लिए प्रेरित करना है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति में यह अभियान काफी सफल रहा है।

रुग्ण निजी एयरलाइंस

4194. **श्री ए. नरेन्द्र:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसी कौन-कौन सी रुग्ण जिनी एयरलाइंस हैं जिनके लिये सरकार धनराशि जुटाने का प्रयास कर रही है;

(ख) क्या ये विमान सेवाएं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के तेल के बिलों का भुगतान करने में असफल रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी विमान सेवा-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन निजी विमान सेवाओं ने सरकार से कोई अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) ईस्ट, वेस्ट एयरलाइन्स, दमानिया, एन.ई.पी.सी.-स्काईलाइन, अर्चना एयरवेज और मोदीलुफ्त जो पहले से अनुसूचित एयरलाइनों के रूप में प्रचालित की जा रही थी, अभी इस समय प्रचालन में नहीं हं। स्काईलाइन-एन.ई.पी.सी., आई.डी.बी.आई. को मूलधन तथा ब्याज की चुकौती में चूककर्त्ता रह जाने और बकाए राशि की वसूली के लिए आई.डी.बी.आई. ने न्यायिक कार्रवाई की है। तेल कंपनियों के यहां बाकी शुल्क के भुगतान हेतु मोदीलुफ्त न्यायालयी निपटान कर रहे हैं।

(घ) से (च) सरकार गैर-सरकारी एयरलाइन के वित्तीय मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है।

[हिन्दी]

संचार प्रणाली का उन्नयन

4195. **श्री रामदास आठवले:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा दूरसंचार प्रणाली का उन्नयन/विकास करने और इसे और अधिक प्रभावी बनाने और इसका लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार प्रतीक्षा सूची में श्रेणी-वार और राज्य-वार कितने आवेदक हैं; और

(ग) टेलीफोन उपभोक्ताओं की लगातार बढ़ती हुई शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) टेलीफोन उपभोक्ताओं की बढ़ती हुई शिकायतों को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:-

(1) दोषों की मरम्मत की निगरानी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा करना।

(2) दोषों की बेहतर निगरानी के लिए दोष-मरम्मत सेवा का कम्प्यूटरीकरण।

(3) दोषों की सूचना शीघ्रता से देने के लिए कुछ शहरों के लाइन कर्मियों को पेजर उपलब्ध कराना।

(4) मियाद समाप्त टेलीफोन उपकरणों को चरणबद्ध तरीके से बदलना।

(5) बाहरी संयम का पुनरुद्धार/उन्नयन।

(6) दोष-दर के मुख्य कारक, केबल नेटवर्क को उपभोक्ता के परिसर तक कम करने के उद्देश्य से अधिक से अधिक रिमोट लाइन इकाईयां शुरू करना।

(7) भूमिगत केबल की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए वायरलेस इन लोकल लूप, डिजिटल लाइन कंसन्ट्रेटर इत्यादि नई प्रौद्योगिकियों की शुरूआत।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान संचार प्रणाली के उन्नयन के लिए निधियों/अन्तिम अनुदान के आबंटन का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	सर्किल का नाम	1998-99	1999-2000	2000-2001 अनंतिम
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार	16.48	27.25	23.79
2.	आंध्र प्रदेश	681.85	1121.70	1469.68
3.	असम	112.69	143.51	137.38
4.	बिहार	293.16	385.04	665.28
5.	छत्तीसगढ़ (*)	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	583.11	819.74	1014.48
7.	हरियाणा	213.23	305.27	335.53
8.	हिमाचल प्रदेश	119.98	368.09	207.19
9.	जम्मू और कश्मीर	52.20	111.19	87.39
10.	झारखण्ड (*)	0.00	0.00	0.00
11.	कर्नाटक	683.99	962.46	1140.99
12.	केरल	730.27	926.36	851.64
13.	मध्य प्रदेश	416.17	516.72	520.47
14.	महाराष्ट्र	893.65	1236.92	1535.25
15.	पूर्वोत्तर-1	131.98	210.64	181.74
16.	पूर्वोत्तर-2 (*)	0.00	0.00	0.00
17.	उड़ीसा	167.70	224.12	287.55
18.	पंजाब	524.67	579.94	758.71
19.	राजस्थान	374.75	568.14	645.25
20.	तमिलनाडु	1007.06	1398.12	1460.36
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	617.55	660.38	829.31

1	2	3	4	5
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	438.15	529.87	500.44
23.	उत्तरांचल (*)	0.00	0.00	0.00
24.	पश्चिम बंगाल	669.87	798.38	795.65
25.	दिल्ली	918.76	956.44	979.23
26.	मुम्बई	523.21	506.38	508.88
27.	अन्य	700.93	606.17	982.97
	जोड़	10871.41	13962.82	15919.16

टिप्पणी: महाराष्ट्र में गोवा, पश्चिम बंगाल में कोलकाता फोन्स और तमिलनाडु में चेन्नई फोन्स शामिल हैं।
*नवनिर्मित राज्य/दूर संचार सर्किल

विवरण-II

30.6.2001 की स्थिति के अनुसार राज्यवार और श्रेणी वार प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	राज्यों के नाम	ओ.वाई.टी.	सामान्य	जोड़
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार	0	970	970
2.	आंध्र प्रदेश	2	161438	161440
3.	असम	16	28013	28029
4.	बिहार	2	93907	93909
5.	छत्तीसगढ़	0	9898	9898
6.	गुजरात	1	238973	238974
7.	हरियाणा	4	126548	126552
8.	हिमाचल प्रदेश	8	48707	48715
9.	जम्मू और कश्मीर	113	46145	46258
10.	झारखण्ड	0	23531	23531
11.	कर्नाटक	12	205983	205995
12.	केरल	3857	834781	838638
13.	मध्य प्रदेश	0	21306	21306

1	2	3	4	5
14.	महाराष्ट्र	24	329291	329315
15.	पूर्वोत्तर-1	0	13239	13239
16.	पूर्वोत्तर-2	8	9228	9236
17.	उड़ीसा	0	79954	77954
18.	पंजाब	32	226276	226308
19.	राजस्थान	23	152278	152301
20.	तमिलनाडु	31	174855	174886
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	12	102751	102763
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1	103698	103699
23.	उत्तरांचल	2	13861	13863
24.	पश्चिम बंगाल	12	217154	217166
25.	दिल्ली	0	0	0
26.	मुम्बई	0	50169	50169
	जोड़	4160	3312954	3317114

टिप्पणी: महाराष्ट्र में गोवा, पश्चिम बंगाल में कोलकाता फोन्स और तमिलनाडु में चेन्नई फोन्स शामिल हैं।

[अनुवाद]

भोपाल से भुवनेश्वर और रायपुर के लिए विमान सेवा

4196. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भोपाल से भुवनेश्वर और रायपुर के लिए विमान सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान अन्य किन-किन राज्यों की राजधानियों को विमान सेवा से जोड़े जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स की इस समय उन राज्यों की राजधानियों को विमानसेवा से जोड़ने की कोई योजनाएं नहीं है जो अभी तक इंडियन एयरलाइन्स/एलाइंस एयर के नेटवर्क पर विमानन सेवा से जुड़े हुए नहीं हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत कर्मचारी

4197. श्री शीश राम सिंह रवि: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़े संगठनों में सभी कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत लाया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे कर्मचारियों की प्रतिष्ठान-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है जिनको अभी तक अधिनियम के अंतर्गत नहीं लाया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा उन कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत लाने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं और इन चूक के लिये नियोजकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (घ) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, अधिनियम की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट 180 उद्योगों पर लागू होता है, जिनमें बीस या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं।

नियमों का अनुपालन न किए जाने का कोई मामला जानकारी में आने पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधिक और दाण्डिक कार्रवाई की जाती है।

बाल-बाल बचने वाली विमान दुर्घटनाएं

4198. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विमानपत्तनों पर विमानचालन सुरक्षा और सुरक्षोपायों को सुधारने के लिए कतिपय कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विमानचालन और विमानों के उतरने के लिए उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली स्थापित करने हेतु भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आई.एस.आर.ओ.) के साथ किसी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) दिक्चालन उपकरण का विकास और स्तरोन्नयन एक निरंतर प्रक्रिया है। जहां कहीं भी अपेक्षित हो, पुराने दिक्चालनात्मक उपकरण को बदलकर नये दिक्कचालनात्मक उपकरणों को लगाना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उपग्रह दिक्चालन प्रणाली संस्थापित करने की योजना बनाई है।

सुरक्षा अधिसमय के अनुबंध-17 में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा निर्धारित सभी सुरक्षा मापदंडों का सख्ती से अनुपालन किया जाता है। किए गए उपायों में निम्न शामिल हैं:-

1. विमान में चढ़ने से पूर्व यात्रियों की जांच-पड़ताल तथा हस्तगत सामान की जांच।
2. हवाई जहाज में चढ़ते समय सीढ़ी पर यात्रियों की सुरक्षा जांच।
3. अकस्मात आधार पर चुने हुए मार्गों पर स्काई मार्शलों को लगाया जाना।
4. सुरक्षा कार्य के लिए चरणबद्ध तरीके से हवाई अड्डों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को लगाया जाना।
5. अपहरण निवारण अधिनियम में संशोधन कर इसे और सख्त बनाया जाना।
6. कुछ चुने हुए हवाई अड्डों पर त्वरित प्रतिक्रिया दलों को लगाया जाना।

आगे, हवाई अड्डों पर निम्नांकित सुरक्षा उपाय किए गए हैं-

1. पक्षी टकराने की घटनाओं के अध्ययन के लिए विमानक्षेत्र पर्यावरण प्रबंधन का गठन।
2. विमान क्षेत्रों का सावधिक निरीक्षण तथा कार्यान्वयन उपाय।
3. विमानों में न्यूनतम सुरक्षित तुंगता चेतावनी प्रणाली का निस्थापन।
4. मोनोप्लस सेकेण्डरी सर्वेलेंस रडार्स (एम.एस.एस.आर.) का संस्थापन।
5. विमान यातायात नियंत्रण टेपों व उपकरणों का नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा प्रबोधन।
6. विमान यातायात नियंत्रण अधिकारियों की प्रवीणता जांच।
7. खराब मौसम में प्रचालन में विशेष-सतर्कता।
8. उष्ण अग्निशमन अभ्यास (हॉट फायर ड्रिल) करवाना।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्रम-अदालतों में लंबित मामले

4199. डा. मदन प्रसाद जायसवाल: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार, देश की विभिन्न श्रम-अदालतों और उच्च न्यायालयों में, अलग-अलग श्रम-विवाद संबंधी राज्य-वार कितने मामले लंबित हैं;

(ख) क्या पिछले दशक के दौरान लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है;

(ग) क्या न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों के पद भरे नहीं जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन लंबित मामलों को यथाशीघ्र निपटाने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ङ) राज्य श्रम न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों तथा न्यायाधीशों के रिक्त पदों की स्थिति के संबंध में सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि, देश में विभिन्न केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरणों-सह-श्रम न्यायालयों के संबंध में लंबित मामलों के बारे में स्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है।

लंबित मामलों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है।

वर्तमान में, पीठासीन अधिकारियों के कुल 17 पदों में से 15 भरे हुए हैं।

श्रम मंत्रालय, समय-समय पर लंबित मामलों की संख्या को कम करने की आवश्यकता को केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के ध्यान में लाता रहा है। श्रम मंत्रालय में मई, 2001 में आयोजित हाल की एक समीक्षा बैठक में, लंबित मामलों की संख्या को कम करने की आवश्यकता के बारे में पीठासीन अधिकारियों से एक बार पुनः अनुरोध किया गया है।

विवरण

क्रम संख्या	के.स.औ.अ.-सह-श्र.न्या. का नाम	लंबित मामलों की संख्या	अभ्युक्ति
1.	मुम्बई सं. 1	215	
2.	मुम्बई सं. 2	300	
3.	धनबाद सं. 1	1559	
4.	धनबाद सं. 2	1393	2/2001 तक
5.	आसनसोल	417	
6.	कोलकाता	200	10/2000 तक
7.	चंडीगढ़	1786	1/2001 तक
8.	नई दिल्ली	1087	
9.	कानपुर	606	2/2001 तक
10.	जबलपुर	1357	
11.	बंगलौर	533	
12.	जयपुर	113	
13.	नागपुर	294	1/2001 तक
14.	लखनऊ	230	
15.	चेन्नई	579	
16.	भुवनेश्वर	405	1/2001 तक
17.	हैदराबाद	6	
	योग	11080	

[अनुवाद]

"स्मार्ट कार्ड्स"

4200. **श्री पी.एस. गढ़वी:**
श्री गुथा सेकुन्दर रेड्डी:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जून, 2001 के "दि इकनामिक टाइम्स" समाचार-पत्र में "ई.पी.एफ. बाडी टू इश्यू स्मार्ट कार्ड्स सून" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ई.पी.एफ.ओ. की अपने संगठन की नेटवर्किंग करने की क्या योजना है; और

(घ) ई.पी.एफ.ओ. द्वारा अपने संगठन/योजनाओं को आधुनिक रूप देने के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (घ) सरकार ने उक्त समाचार देखा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रस्तावित आधुनिकीकरण कार्यक्रम में विद्यमान कार्य प्रक्रियाओं की रीइन्जीनियरिंग, लेखा प्रणाली की री टूलिंग तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी कार्यालयों की नैटवर्किंग के द्वारा एक सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर समर्थ पद्धति की स्थापना किया जाना शामिल है। इसमें प्रत्येक सदस्य को कर्मचारी भविष्य निधि के किसी भी स्थान पर स्थित कार्यालय से वास्तविक समय-आधार पर सभी सेवाएं उपलब्ध करवाने की परिकल्पना की गयी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंशदाताओं को अपने खाते और शेष राशि तक पहुंच, वर्तमान प्रणाली, जो उसे केवल उसी कार्यालय तक ही सीमित रखती है जहां वह पंजीकृत हो, के स्थान पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के किसी भी कार्यालय से अपना दावा दायर करने तथा दावे की प्राप्ति और चैक जारी करने के लिए वर्तमान में 30 दिन की निर्धारित अवधि को कम करके 2-3 दिन करने में समर्थ बनाना है।

आधुनिकीकरण कार्यक्रम के प्रथम चरण में समस्त चार क्षेत्रों को शामिल करके छ: स्थानों में प्रायोगिक केन्द्रों की स्थापना करके 24 माह में उन्हें चलाया जाना शामिल है।

आधुनिकीकरण परियोजना की वार्षिक लागत को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अपने वार्षिक बजट अनुमान प्रावधान से "कम्प्यूटरीकरण" शीर्ष के अन्तर्गत वहन किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश में डार्क मंडल

4201. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूजल दोहन के कारण आंध्र प्रदेश में डार्क मंडल हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण (सी.जी.डब्ल्यू.ए.) द्वारा डार्क हो रहे क्षेत्रों को रोकने हेतु क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में भूजल की निकासी के संबंध में 15 डार्क मण्डल हैं। डार्क मण्डलों की एक सूची विवरण में दी गई है।

(ग) भूजल के स्तरों में गिरावट को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने मई, 2000 से नीरू-मीरू कार्यक्रम के तहत पुनर्भरण के उपाय शुरू किए हैं। इस कार्यक्रम का पहला चरण पूरा हो चुका है। राज्य सरकार विभिन्न जल विभाजक विकास कार्यक्रमों का भी कार्यान्वयन कर रही है।

केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड ने भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी अपनी केन्द्रीय क्षेत्र की प्रायोगिक स्कीम के तहत राज्य सरकार की 5 कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमों को स्वीकृति दी है। केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने भूजल की सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता के विषय में नालगोंडा और महबूबनगर जिलों में जन जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया है।

विवरण

आंध्र प्रदेश में डार्क मण्डलों की सूची

क्र.सं.	जिला	डार्क मण्डल
1	2	3
1.	कुडप्पा	प्रोदत्तूर
		वेम्पाली
2.	अनन्तपुर	रोल्ला
		पारिगी
		यादिकी

1	2	3
3.	चित्तूर	चन्द्रगिरि
		काम्मापाली
		सोमाला
		तिरूपति
4.	गुंटूर	थुल्लुरू
5.	करीमनगर	मेटपाल्ली
6.	महबूबनगर	मिडगिल
7.	मेडक	दौलताबाद
8.	रंगारेड्डी	मोइनाबाद
9.	पश्चिम गोदावरी	अन्द्राजावरम
	कुल	15

तटीय नियमन जोन संबंधी बालकृष्णन नायर समिति

4202. प्रो. ए.के. प्रेमाजम: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तटीय नियमन जोन (सीआरजैड) संबंधी बालकृष्णन नायर समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और लागू कर दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने बालकृष्णन नायर समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और तटीय नियमन क्षेत्र अधिसूचना 1991 में संशोधन कर दिए हैं। स्वीकार की गई सिफारिशों में, पेयजल और इसके घरेलू उपयोग के लिए हाई टाइड लाइन से 50-200 मीटर के बीच भूमिगत जल को हस्तचालित विधि द्वारा निकालना, मौजूदा मछली प्रसंस्करण इकाइयों का विस्तार और पेट्रोलियम उत्पादों का भण्डारण शामिल है।

क्योंकि अन्य सिफारिशों पर आगे विचार किया जाना अपेक्षित था, इसलिए इन्हें तटीय विनियमन क्षेत्र के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मामलों की जांच करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा गठित दो विशेषज्ञ समितियों को भेजा गया था।

[हिन्दी]

बहुउद्देश्यीय काऊंटर मशीनें

4203. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के डाकघरों में स्थापित बहुउद्देश्यीय काउंटर मशीनों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में ऐसी और मशीनों की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) वर्तमान वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सर्किल में आठ डाकघरों में बहुउद्देश्यीय काउंटर मशीनें स्थापित की जाएंगी।

विवरण

उत्तर प्रदेश के डाकघर जिनमें बहुउद्देश्यीय काउंटर मशीनें स्थापित की गई हैं

क्रम. सं.	डाकघर का नाम
1	2
1.	आगरा प्रधान डाकघर
2.	आगरा फोर्ट उप डाकघर
3.	अकबरपुर प्रधान डाकघर
4.	अलीगंज उप डाकघर, लखनऊ
5.	अलीगंज प्रधान डाकघर
6.	इलहाबाद प्रधान डाकघर
7.	इलाहाबाद हाईकोर्ट
8.	इलाहाबाद कचहरी प्रधान डाकघर
9.	आवास विकास कालोनी उप डाकघर, लखनऊ
10.	आजमगढ़ प्रधान डाकघर
11.	बहराइच प्रधान डाकघर
12.	बलिया प्रधान डाकघर

1	2
13.	बलरामपुर प्रधान डाकघर
14.	बांदा प्रधान डाकघर
15.	बंसी प्रधान डाकघर
16.	बाराबंकी प्रधान डाकघर
17.	बड़ौत प्रधान डाकघर
18.	बरेली सिटी उप डाकघर
19.	बरेली प्रधान डाकघर
20.	बस्ती प्रधान डाकघर
21.	बंगाली टोला उप डाकघर, वाराणसी
22.	भदोही उप डाकघर
23.	बिजनौर प्रधान डाकघर
24.	बिचपुरी उप डाकघर, आगरा
25.	सी.बी. गंज उप डाकघर, बरेली
26.	सीडीए (पेंशन) उप डाकघर, इलाहाबाद
27.	सिविल लाइन उप डाकघर, इलाहाबाद
28.	देवरिया प्रधान डाकघर
29.	इटावा प्रधान डाकघर
30.	फैजाबाद प्रधान डाकघर
31.	फरूखाबाद उप डाकघर
32.	फतेहपुर प्रधान डाकघर
33.	गाजियाबाद प्रधान डाकघर
34.	गाजीपुर प्रधान डाकघर
35.	गोंडा प्रधान डाकघर
36.	गोरखपुर प्रधान डाकघर
37.	गोरखपुर यूनीवर्सिटी उप डाकघर
38.	हमीरपुर प्रधान डाकघर
39.	हापुड़ उप डाकघर
40.	जलालपुर उप डाकघर
41.	जौनपुर प्रधान डाकघर
42.	झांसी प्रधान डाकघर
43.	कानपुर कैंट प्रधान डाकघर
44.	कानपुर प्रधान डाकघर
45.	खतौली उप डाकघर
46.	कुंडा उप डाकघर, प्रतापगढ़
47.	कुनराघाट उप डाकघर, गोरखपुर
48.	लाल बाग उप डाकघर, लखनऊ
49.	लालगंज उप डाकघर, आजमगढ़
50.	लखनऊ चौक प्रधान डाकघर
51.	लखनऊ जीपीओ
52.	आई.आई.टी. कानपुर उप डाकघर
53.	महानगर उप डाकघर, लखनऊ
54.	महाराजगंज उप डाकघर
55.	मथुरा प्रधान डाकघर
56.	मेरठ कैंट प्रधान डाकघर
57.	मेरठ सिटी उप डाकघर
58.	मेरठ कचहरी उप डाकघर
59.	मिर्जापुर प्रधान डाकघर
60.	मुरादाबाद प्रधान डाकघर + बीS
61.	मुगल सराय प्रधान डाकघर
62.	मुजफ्फरनगर सिटी
63.	मुजफ्फरनगर प्रधान डाकघर
64.	नैनी उप डाकघर, इलाहाबाद
65.	न्यू हैदराबाद उप डाकघर, लखनऊ
66.	निराला नगर उप डाकघर, लखनऊ
67.	नोएडा काम्प्लेक्स उप डाकघर
68.	उरई प्रधान डाकघर

1	2
69.	पडरौना प्रधान डाकघर
70.	फूलपुर उप डाकघर, आजमगढ़
71.	प्रतापगढ़ प्रधान डाकघर
72.	रायबरेली प्रधान डाकघर
73.	रेलवे कालोनी उप डाकघर, गोरखपुर
74.	राजेन्द्र नगर उप डाकघर, लखनऊ
75.	रामपुर प्रधान डाकघर
76.	रसरा प्रधान डाकघर
77.	सहारनपुर प्रधान डाकघर
78.	संदिला प्रधान डाकघर
79.	संजय प्लेस उप डाकघर, आगरा
80.	सर्वोदय नगर उप डाकघर, कानपुर
81.	सैदपुर उप डाकघर, गाजीपुर
82.	सीतापुर प्रधान डाकघर
83.	सुल्तानपुर प्रधान डाकघर
84.	उद्योग नगर उप डाकघर, कानपुर
85.	उन्नाव प्रधान डाकघर
86.	वाराणसी कैंट प्रधान डाकघर
87.	वाराणसी प्रधान डाकघर
88.	जमानिया प्रधान डाकघर

[अनुवाद]

एअर इंडिया का मूल्यांकन

4204. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एअर इंडिया का उचित मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी आरक्षित मूल्य क्या है;

(ग) इसके अंश और उन अन्य कंपनियों के शेयरों के संबंध में क्या विभिन्न अनुमान लगाये गए हैं जो कि इस राष्ट्रीय विमान कंपनी का प्रबंधन करने में इच्छुक हैं; और

(घ) वर्तमान में एअर इंडिया पर ऋण भार का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) एअर इंडिया का कारोबारी मूल्यांकन अभी तक नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ)

(करोड़ रुपयों में)

विमान ऋण	1972.61
कार्यशील पूंजी ऋण	1035.35
कुल ऋण	3007.96

मैच फिक्सिंग घोटाले के बारे में दिनांक 12.3.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2115 और दिनांक 30.7.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1284 के उत्तर में शुद्धि करने वाले विवरण

(एक) मैच फिक्सिंग कांड के बारे में श्री विजय गोयल, सांसद द्वारा पूछे गये लोक सभा के दिनांक 12.3.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2115 के भाग (ख) के उत्तर में एक छोटी सी तथ्यात्मक त्रुटि अनजाने में हो गई है। भाग (ख) का सही उत्तर निम्नानुसार पढ़ा जाए।

(ख) बी.सी.सी.आई. ने अजहरूद्दीन और अजय शर्मा पर जीवनपर्यन्त प्रतिबंध तथा अजय जडेजा, मनोज प्रभाकर और डा. अली ईरानी पर 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया। बी.सी.सी.आई. ने नयन मोंगिया को निर्दोष ठहराया है।

इस त्रुटि का बाद में पता चला है। तथापि, उत्तर को सही करने में हुए विलंब के लिए खेद है।

(पोन राधाकृष्णन)
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री

नई दिल्ली।
दिनांक: 7.8.2001

(दो) मैन फिक्सिंग घोटाला के बारे में श्री जी.एस. बसवराज, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए लोक सभा के दिनांक 30.7.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1284 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में एक छोटी सी तथ्यात्मक त्रुटि अनजाने में हो गयी है। (क) से (घ) का सही उत्तर निम्नानुसार पढ़ा जाए।

(क) से (घ) उत्तर की 5वीं और छठी पंक्ति में "अंत में, बी.सी.सी.आई. ने मो. अजहरूद्दीन पर जीवन पर्यन्त प्रतिबंध तथा अजय जडेजा, मनोज प्रभाकर और अजय शर्मा पर 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया था।" इस वाक्य को इस प्रकार से पढ़ा जाए "बी.सी.सी.आई. ने मो. अजहरूद्दीन और अजय शर्मा पर जीवन पर्यन्त प्रतिबंध तथा अजय जडेजा और मनोज प्रभाकर पर 5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है।"

(पोन राधाकृष्णन)
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री

नई दिल्ली
दिनांक: 7.8.2001

सभा पटल पर रखे गए पत्र

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): महोदय, मैं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2001 जो 31 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 407 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4003/2001]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:-

(1) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 687 (अ) जो 19 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के भुवनेश्वर-कटक-जगतपुर खंड के बीच स्थित भाग के उपयोगकर्ताओं से शुल्क की वसूली करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4004/2001]

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 8क के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 382 (अ) जो 3 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में कोराटालालैयार नदी पर पुलों का उपयोग करने के लिए यांत्रिक वाहनों पर शुल्क का उद्ग्रहण अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 383 (अ) जो 3 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 अगस्त, 1998 की अधिसूचना संख्या 716 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ. 384 (अ) जो 3 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 अगस्त, 1998 की अधिसूचना संख्या 717 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 4005/2001]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड नई दिल्ली का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4006/2001]

[हिन्दी]

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड़ पाटील): अध्यक्ष महोदय, मिनिरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड और खान मत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हू।

[ग्रथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4007/2001]

कार्य मंत्रणा समिति के पच्चीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 17 अगस्त, 2001 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 25वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 17 अगस्त, 2001 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति ने 25वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा 'शून्य काल' की चर्चा प्रारंभ करेगी। श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अपना मुद्दा उठाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि मैं कार्य सूची के अनुसार चलूं या नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: 'शून्य काल' में भी अनुशासन बनाए रखना चाहिए। मेरे पास सूची है। मैं सूची के अनुसार चलूंगा। अब, श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): अध्यक्ष महोदय, मैं देश के मजदूरों के सवाल पर आज बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण मंत्री जी से अपने पत्र का जवाब चाहा लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। जब कांग्रेस के श्री कल्पनाथ राय केन्द्र में मंत्री थे, शायद आजादी के बाद वह पहले ऐसे मंत्री थे, जिन्होंने एक कानून के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम ठेकेदारी प्रथा को खत्म करके मजदूरों को सीधे वेतन भुगतान की सुविधा प्रदान की। इससे मजदूर सीधे लाभान्वित हों, ऐसा प्रावधान कल्पनाथ जी ने किया था। मैंने कई बार हरियाणा के ढाण्ड डिपो के बारे में मंत्री महोदय से आग्रह किया। जटिया साहब यहां मौजदू हैं। उन्होंने कई पत्र लिखे। मंत्री महोदय ने एम.डी. साहब को बार-बार लिखा कि ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने के लिए कोई कदम उठाए जाएं और मजदूरों को डायरैक्ट वेतन भुगतान करने की व्यवस्था की जाए लेकिन एम.डी. साहब का बार-बार एक ही जवाब आया कि डीपीएस करने की कोई योजना नहीं है जबकि ठेका उन्मूलन अधिनियम 1970 के तहत ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की योजना थी। आजादी के इतने वर्षों बाद भी सभी मजदूरों पर ठेकेदार और बड़े-बड़े पूंजीपति ज्यादती और अत्याचार करते हैं। क्या ऐसे मजदूरों के बारे में सोचने वाली कोई सरकार इस देश में है या नहीं? क्या इसी तरह मजदूर जेलों में बंद होते रहेंगे? ढाण्ड डिपो में परसों 46 मजदूरों को बंद कर दिया गया। ठेकेदार उनका दमन कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। ठेकेदारों ने अपनी पूंजी के लाभ के लिए ठेकेदारी प्रथा का लागू किया था। मेरा आपसे आग्रह है कि यह देश का एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या मजदूर समाप्त हो जायेंगे? इसलिये मैं जटिया साहब से जानना चाहता हूं कि सरकार मजदूरों के अधिकारों तथा डी.पी.एस. के लिये क्या योजना बना रही है? अध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण देश के जितने इस तरह के मजदूर हैं...

अध्यक्ष महोदय: यह डिबेट नहीं है। दूसरों ने भी नाम दिये हैं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस मामले में आपका निर्णय हो। श्री जटिया साहब बैठे हुये हैं। डी.पी.एस. एक ऐसी चीज है जो मजदूरों का शोषण रोकती है। इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि इस पर नियमन दे दिया जाये। यह मजदूरों का सवाल है।

अध्यक्ष महोदय: अब आप बैठ जायें। आपने मामला उठा दिया है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: अध्यक्ष महोदय, परसों ढाण्ड डिपो के मजदूर गिरफ्तार कर लिये गये हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रोज-रोज यही प्राब्लम है। सब लोग जीरो ऑवर में नोटिस देते हैं और आपने तीन मिनट ले लिये हैं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: अध्यक्ष जी, मेरा लास्ट आग्रह है कि जो मजदूर 20 वर्षों से वहां काम कर रहे हैं, उन्हें स्थाई किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यहां दूसरे सदस्य भी हैं जो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: मेरा आग्रह है कि पलायन मजदूर जो 20 वर्षों से वहां काम कर रहे हैं, उन्हें न हटाया जाये, उन्हें स्थाई रूप से रखने की व्यवस्था की जाये।

[अनुवाद]

श्री वैको (शिवकाशी): माननीय अध्यक्ष महोदय, 'शून्य काल' की इस चर्चा के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या की ओर दिलाना चाहूंगा जिससे तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों के लगभग आठ लाख लोग प्रभावित हैं। महोदय, यह समस्या माचिस निर्माण उद्योग से संबंधित है। जब यहां संयुक्त मोर्चे की सरकार थी तो लाइसेंस दिए गए थे और उन्होंने मशीनों के आयात की अनुमति दी थी। यदि एक बार इस क्षेत्र में मशीनें आ गई तो उसके बाद हाथ से माचिसें बनाने वाले इस लघु उद्योग पर आधारित ये आठ लाख परिवार बेरोजगार हो जाएंगें क्योंकि यह एक शुष्क क्षेत्र है और इन लोगों के पास रोजगार का कोई दूसरा साधन भी नहीं है। इसलिए, हमने सभी राजनैतिक दलों के मजदूर संघों के प्रतिनिधियों के शिष्टमण्डल के साथ, माननीय प्रधान मंत्री को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री जी ने हमारे अभ्यावेदन पर गौर करने की अनुकम्पा की। उन्होंने देखा कि 1998 से विदेशों से मशीनों के आयात के लिए इस क्षेत्र को कोई भी लाइसेंस या अनुमति नहीं मिली है और न ही इस उद्योग को कोई पहचान मिली है। किंतु महोदय, उदारीकरण की नीति की खामियों का लाभ उठाकर चीनी खिलौनों जसी मशीनों का यहां पाटा जा रहा है और आजकल जनता में इन मशीनों की बिक्री के लिए विज्ञापन भी दिया जा रहे हैं। इसलिए पूरा क्षेत्र बहुत क्षुब्ध है। अत: मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि किसी भी रूप में मशीनों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए और उन माचिस निर्माण इकाईयों पर भी प्रतिबंध लगाया जाए जो इन मशीनों का उपयोग कर रही है। अत: यह एक गंभीर समस्या है जिसका भविष्य में काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इन लोगों विशेषकर इन आठ लाख परिवारों का जीवन-यापन भी कठिनाई में आ जाएगा। इन इकाईयों में मुख्य तौर पर महिलाएं काम कर रही हैं।

श्री सी. श्रीनिवासन (डिंडीगुल): ए.आई.ए.डी.एम.के. की ओर से मैं भी श्री वैको द्वारा उठाए गए मुद्दे का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रियरंजन दासमुंशी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में...

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रियरंजन दासमुंशी, आप समाचार पत्रों में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के बारे में छपे वक्तव्य के बारे में बोल रहे हैं। आप इस मुद्दे को तब क्यों नहीं उठाते जब माननीय प्रधानमंत्री इस सभा में उपस्थित हो? मेरे विचार से यही ठीक होगा क्योंकि आपको इसका उत्तर भी मिल जाएगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप एक स्थाई विनिर्णय दें कि इस ओर से या उस ओर से कोई भी सदस्य, समाचार-पत्रों में छपे मामलों को नहीं उठाएगा, तो मैं बैठ जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय: जब यहां प्रधान मंत्री उपस्थित हों तो आप इस मुद्दे को उठा सकते हैं और आपको इसका उत्तर भी तुरंत मिल जाएगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, आप मुझे यह मुद्दा उठाने दीजिए और प्रधानमंत्री अथवा सरकार जब भी उचित समझें इसका जवाब दे दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 18 अगस्त को प्रधानमंत्री ने अपने सरकारी निवास 7-रेस कोर्स रोड में कई समारोहों का आयोजन किया था। उनमें से एक था- राष्ट्रीय स्वयं सेवक प्रमुख श्री सुदर्शन और विश्व हिन्दू परिषद् के कुछ मुख्य कार्यकर्त्ताओं के बीच एक पुस्तक का विमोचन करना। महोदय, मैं उनके घर पर कार्यक्रम के आयोजन पर आपत्ति नहीं उठा रहा हूं।

वे प्रधानमंत्री हैं और उन्हें पूरा अधिकार है उन मित्रों और लोगों को अपने घर आमंत्रित करने का, जिन्हें वे महत्वपूर्ण समझते हैं। तथापि महत्वपूर्ण बात यह है कि एन.डी.ए. सरकार के प्रमुख के रूप में और एन.डी.ए. के एजेंडा से भली भांति परिचित होते हुए भी, प्रधानमंत्री ने इस सभा में कहा कि एन.डी.ए. का एजेंडा भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक से भिन्न है- उन्होंने भाजपा के

मंच से यह टिप्पणी न करके, अपने सरकारी निवास से यह टिप्पणी कि, कि हालांकि कुछ इसाई मिशनरी अच्छा कार्य कर रहे हैं किंतु उनमें से कुछ 'धर्मपरिवर्तन' में भी संलग्न है। उन्होंने यह भी कहा कि आर.एस.एस. ने कई प्रशंसनीय कार्य किए हैं। मेरे विचार से यह बहुत ही आपत्तिजनक है।

माननय अध्यक्ष महोदय, मैं उद्धृत करता हूं:

"श्री वाजपेयी की कथित टिप्पणी ने, इसाईयों की समाज सेवा के लम्बे इतिहास को कलंकित किया है और इससे अल्पसंख्यकों में, विशेषकर इसाई मिशनिरयों में एक असुरक्षा की भावना जगी है।"

प्रधानमंत्री आर.एस.एस. की प्रशंसा कर सकते हैं, यह उनका मामला है। उन्हें आर.एस.एस. में कई अच्छी बातें दिखाई देती हैं। उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया कि, "जब आर.एस.एस. के कार्यकर्त्ता मारे जाते हैं तो उसका देश में कहीं जिक्र नहीं होता जबकि केवल इसाईयों को मामले उजागर होते हैं।" प्रधान मंत्री ऐसी टिप्पणियों कैसे कर सकते हैं...*(व्यवधान)* आज के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में इसाई मिशनरी परिषद् के प्रमुख ने यह टिप्पणी की है कि "प्रधानमंत्री की टिप्पणी से हम आहत हुए हैं और इससे उन लोगों को बल मिलेगा जो चर्चों और मिशनरियों को बर्बाद करने में लगे हुए हैं।"

अध्यक्ष महोदय: क्या आप समाचार-पत्रों में प्रकाशित टिप्पणी को प्रमाणित कर रहे हैं क्योंकि आप देश के उच्चतम संस्थानों में से एक को उद्धृत कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा और समाचार-पत्रों में क्या छपा?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उद्धृत...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): आप यह कहां से उद्धृत कर रहे हैं?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं यह हिन्दुस्तान टाइम्स, द हिन्दू, द इंडियन एक्सप्रैस और देश के सभी राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्रों से उद्धृत कर रहा हूं। मैं और कहां से उद्धृत कर सकता हूं? वे सभी दैनिक पत्रों को राष्ट्र विरोधी घोषित कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मंत्री के कथन और समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार की प्रमाणिकता, की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। यह समाचार केवल एक समाचार-पत्र में नहीं छपा है बल्कि इसे सभी राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्रों ने...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): सर, प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था कि मिशनरियों के लिए बाहर से पैसा आ रहा है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह प्रकाशित हुआ था, मैं उद्धृत करता हूं:

"उन्होंने कहा कि मीडिया ने पूर्वोत्तर में इसाई मिशनरियों के कार्य की बहुत सराहना की किंतु हाल ही में, त्रिपुरा में संघ परिवार के चार कार्यकर्त्ताओं के मारे जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया।"

उन्होंने यह भी कहा, मैं उद्धृत करता हूं:

"देश के पिछड़े हुए क्षेत्रों में कुछ इसाई मिशनरियों द्वारा चलाई जा रही कल्याण गतिविधियों के पीछे धर्मपरिवर्तन उद्देश्य था और यह 'उचित नहीं' था।"

अध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: माननय अध्यक्ष महोदय, अब मैं, उत्तरी क्षेत्र कैथलिक परिषद् के अध्यक्ष श्री विन्सेंट एम. कानसेसाओं के कथन को उद्धृत करता हूं। उन्होंने कहा:

"प्रधानमंत्री की टिप्पणी से केवल साम्प्रदायिक और उग्रवादी तत्वों को बढ़ावा मिलेगा।"

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें। मैंने आपको बोलने की अनुमति दी है। अब कृपया अपनी बात समाप्त करें। यह 'शून्य काल' है और आप किसी मामले का उल्लेख केवल दो मिनट कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह मामला भारत में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया समझें कि यह बहस का मामला नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह अल्पसंख्यकों से संबंधित मामला है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त करें। कृपया समझें कि यह बहस का मामला नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, नादर्न रिजन कैथोलिक काउन्सिल के चेयरमैन ने कहा है, मैं उनकी बात उद्धृत करता हूं:

"प्रधानमंत्री की टिप्पणी से संघ परिवार जैसे साम्प्रदायिक और उग्रपंथी तत्वों को बढ़ावा मिलेगा। हम ज्यादा चिन्तित इसलिये हैं क्योंकि यह वक्तव्य राष्ट्रीय स्वयं सेवक की प्रशास्ति में आयोजित कार्यक्रम में दिया गया है।"

इसलिये, प्रधानमंत्री को आज या कल, जब भी उनके लिये सुविधाजनक हो, सभा में निरपेक्ष स्पष्टीकरण देना होगा।

अब प्रधानमंत्री सीधे तौर पर गुप्त एजेन्डे को लागू कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, आपने अपने विवेक से माननीय सदस्य को अपनी बात करने को बुलाया है। यदि विपक्ष को कोई भी मामला उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो सभा का कार्य कैसे चलेगा? दूसरे, यह श्री अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तिगत मामला है। उन्होंने सभा में यह प्रतिबद्धता जतायी थी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भाजपा या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एजेन्डा नहीं लागू करेगा। उन्होंने कहा था कि राजग का एजेन्डा भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एजेन्डा से अलग है। उन्होंने सभा के माध्यम से पूरे देश को आश्वासन दिया का राजग का एजेन्डा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एजेन्डा एक दूसरे से अलग हैं। अब उस आश्वासन को तोड़ा जा रहा है। जैसा कि उनका कथन बताया जा रहा है उससे ऐसा लगता है कि प्रधान मंत्री का वास्तविक एजेन्डा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एजेन्डा का ही है। प्रधान मंत्री इस सभा में आयें और अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री ने जो कहा है, हम पूरी तरह से उससे सहमत हैं। प्रधान मंत्री जी के इन वाक्यों के लिए हम उनको बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने देश में इस तरह की बात कही। प्रधान मंत्री जी ने खाली यह नहीं कहा कि कनवर्शन नहीं हो सकता, प्रधान मंत्री जी ने खाली यह नहीं कहा कि यहां पर धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। उन्होंने इसकी तारीफ की कि ये लोग बैकवर्ड एरियाज में सेवा भाव से काम कर रहे हैं, परंतु जो लोग कुछ लालच देकर जबर्दस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, वह ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और अरूणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारों के समय ही एन्टी कनवर्शन बिल बने, कांग्रेस के मुख्य मंत्रियों ने ही वह बनाए।...*(व्यवधान)* प्रधान मंत्री जी ने जो कहा, हम उसका समर्थन करते हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जानबूझकर इस प्रकार का वक्तव्य देकर अल्पसंख्यकों के मन में तनाव पैदा कर रहे हैं...*(व्यवधान)* प्रधानमंत्री को यहां आना चाहिये और स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये।...*(व्यवधान)* महोदय, प्रधान मंत्री कब स्थिति स्पष्ट करेंगे?...*(व्यवधान)* वह इस मुद्दे पर कब अपनी बात रखेंगे?

अध्यक्ष महोदय: ठीक शुरू में ही मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री जब सभा में उपस्थित हों मामला तभी उठाया जाना चाहिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि आप यह मामला उनके सभा में उपस्थित रहने के समय उठाते तो आपको उचित जवाब मिला होता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपने माननीय प्रधान मंत्री की टिप्पणी के विरुद्ध वक्तव्य दिया है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि आप यह मामला प्रधानमंत्री की सभा में उपस्थिति के समय ही उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मुझे कैसे पता चलता कि प्रधानमंत्री कब सभा में उपस्थित होंगे?...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री यहां बैठे हुये हैं। वह यह बात प्रधान मंत्री तक पहुंचा सकते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सरकार की तरफ से कुछ कहा जाना है?

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिन्धिया: महोदय, वे संसदीय कार्य मंत्री है और वे इस प्रकार चुप नहीं बैठ सकते। हम उनसे आश्वासन चाहते हैं कि वे माननीय सदस्यों की भावनाओं को प्रधानमंत्री तक पहुंचायेंगे।...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) महोदय, यदि सभा में कोई मामला उठाया जाता है तो स्वाभाविक है कि वह प्रधान मंत्री को बताया जायेगा। इसमें सभा को आश्वासन देने की क्या बात है?...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, यदि ऐसा ही होता तो हम सहयोग नहीं दे सकते...*(व्यवधान)* आपको सदस्यों के अधिकार की रक्षा करनी है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी ने कहा है कि यह बात प्रधान मंत्री को बता दी जायेगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया): अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में धाड डिपो की 80 हजार टन की क्षमता है।...*(व्यवधान)* वहां मजदूरों को सताया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है।...*(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से जानना चाहती हूं कि खाद्य निगम मजदूरों के लिए क्या कर रहा है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं यहां राज्य के किसी मामले को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): अध्यक्ष महोदय, रोजाना इस सदन में स्टेट सब्जैक्ट पर डिसकशन होता है और आप हमें कह रहे हैं कि स्टेट सब्जैक्ट को यहां अलाऊ नहीं करूंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वहां राज्य विधान मंडल हैं। वे वहां इस विषय पर बहस कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, बिहार में नौ दलितों की हत्या हुई है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका मामला भी राज्य से संबंधित है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, बिहार के जहानाबाद जिले में...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी, आपसे पहले श्री रामजीलाल सुमन का नाम है। आपको भी बोलने का समय मिलेगा, लेकिन आपसे पहले श्री सुमन का नाम है। कृपया आप बैठ जाइए। यह आप क्या कर रहे हैं। बीच में गड़बड़ क्यों कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, कारगिल युद्ध के दौरान चेतक और चीता हैलीकाप्टरों की उड़ानें संचार प्रणाली का अभाव होने के कारण बन्द कर दी गई थीं। ये हैलीकाप्टर नियंत्रण रेखा के निकट जो संवेदनशील इलाके हैं वहां सूचना एकत्रित करने और वहां जो उग्रवादी हरकतें हो रही हैं, उनको देखने और उन पर नियंत्रण करने का काम करते थे। संचार प्रणाली का अभाव होने के कारण इनको आसानी से पकड़ा जा सकता था या जाम किया जा सकता था इसलिए इनको बन्द किया गया।

अध्यक्ष महोदय, भारत के महानियंत्रक एवं लेखापरीक्षक ने वायुसेना अधिकरण को हैलीकाप्टरों के लिए आधुनिक संचार प्रणाली शुरू न करने के कारण काफी लताड़ा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वायुसेना मुख्यालय द्वारा 7 करोड़ 15 लाख रुपए की आधुनिक संचार प्रणाली खरीद भी की गई, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। इस सदन में उग्रवाद को लेकर निरंतर चर्चा होती रहती है। ग्रामीण अंचलों में कोई गांव ऐसा नहीं है जहां प्रति दिन शहीदों की लाश न जाती हो। यह मामला हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। उग्रवादियों से निपटने के लिए सरकार को जितनी मजबूती से काम करना चाहिए और जितने आधुनिक संचार तंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए, वह न होकर उसमें कोताही बरतने का काम किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार से चाहूंगा कि जब आधुनिक संचार की तकनीक 7 करोड़ 15 लाख रुपए में खरीद ली गई, उसके बावजूद उसका प्रयोग नहीं हुआ, इसके लिए वायु सेना के जो भी अधिकारी जिम्मेदार हैं, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करना सुनिश्चित करे।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, बिहार में दलितों की हत्या बराबर हो रही है और फिर इसी 17 तारीख को लगभग 10 बजे रात्रि में जहानाबाद...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी, आपकी सीट कहां है?

श्री प्रभुनाथ सिंह: सर, खम्भे के पीछे है।

अध्यक्ष महोदय: फिर वहां से क्यों नहीं बोलते हैं, यहां फ्रंट सीट पर आकर क्यों बोल रहे हैं?

श्री प्रभुनाथ सिंह: सर, वहां से न आप हमें देख सकते हैं और न हम आपको। इसलिए यहां से बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है। आपको अपनी सीट पर जाना चाहिए और वहां से बोलना चाहिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, आज आपको यह बात कैसे याद आ गई कि मैं अपनी सीट से नहीं बोल रहा हूं?

अध्यक्ष महोदय: आज ही नहीं, आप रोज ऐसा करते हैं। यह ठीक नहीं है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: सर, आप हमारी सीट यहीं कर दीजिए। यह रैगुलर सदस्य हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है। आपको अपनी सीट से बोलना चाहिए। यह बात मैं सिर्फ आपसे नहीं बल्कि सभी माननीय सदस्यों से कह रहा हूं। आपको सभा में कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, बिहार में दलितों की हत्या बराबर हो रही हैं और विगत 16 तारीख को जहानाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के मतौरी गांव में छः हरिजनों की हत्या की गई और छः घायल हो गए, जो अस्पताल में भर्ती हैं।

वहां जो हत्या हुई है, उसमें यह बात कही जाती है कि राज्य सरकार के एक मंत्री का हाथ है जिसके कारण वहां अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह स्टेट सब्जैक्ट है। आप इनको कैसे ऐलाऊ कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: हम यह बताना चाहते हैं कि राज्य सरकार के संरक्षण में जिस ढंग से बिहार में आए दिन दलितों की हत्याएं की जा रही हैं, यह बहुत शर्मनाक है।...*(व्यवधान)* हम सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां से रिपोर्ट मंगवा कर आवश्यक कार्यवाही करवाए।...*(व्यवधान)* मैं यह भी कहना चाहूंगा, श्रीमती सोनिया गांधी यहां नहीं, श्री माधवराव सिंधिया यहां मौजूद हैं। हम श्री सिंधिया से कहना चाहते हैं कि राजनीति के नाम पर उन्होंने बिहार में चाहे जो भी सांठ-गांठ की हो, वह खेल जो वे खेल रहे हैं लेकिन बिहार की दलित जनता मानवता के नाम पर चिल्ला रही है।...*(व्यवधान)* हम कांग्रेस के लोगों से निवेदन करेंगे कि श्री सिंधिया वहां की दलित जनता की पीड़ा को महसूस करें।...*(व्यवधान)* आप राज्य सरकार में समर्थक पार्टी के रूप में हैं, सरकार के सहयोगी हैं और आपके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वहां आए दिन दलितों की हत्याएं हो रही हैं और आप मौन बैठे हुए हैं।...*(व्यवधान)* हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस मामले को गंभीरता से लीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदय, इस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है।...*(व्यवधान)* बिहार की जो हालत है, वह पूरी दुनिया जानती है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, आपको अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करना है, किसी माननीय सदस्य को नहीं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: बिहार में दलितों की हत्याएं हो रही हैं और केन्द्र सरकार इस बारे में कब तक मौन बैठेगी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप चेयर को ऐड्रैस कीजिए और किसी को नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: यहां केन्द्र सरकार के मंत्री मौजूद हैं। हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप केन्द्र सरकार से कहें कि वह आवश्यक कार्यवाही करे। हमारा आपसे यही आग्रह, निवेदन है। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 12.28 बजे

(इस समय श्री अरुण कुमार तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

अपराह्न 12.28 बजे

(इस समय डा. रघुवंश प्रसाद सिंह और श्रीमती कान्ति सिंह आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं? आइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने यह मामला उठाया है। आप अपनी सीट पर जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया, अपने-अपने स्थानों पर वापस जाइये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: ये गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं।*...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस जाइये।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री रघुनाथ झा, कृपया यह समझें कि अन्य माननीय सदस्य भी अन्य मुद्दे उठाने के इच्छुक हैं। कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा की कार्यवाही में व्यवधान न डालिये। कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: टी.वी. का स्विच आफ करो।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह कैसा सिस्टम है कि आपने मामला उठाया और फिल वैल में आकर डिस्टर्ब कर रहे हैं। इस तरह कैसे होगा? क्या यही आपका तरीका है? आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

अपराह्न 12.31 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

अपराह्न 2.02 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.02 बजे पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) देश में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. एन. वेंकटस्वामी (तिरूपति): महोदय, कृषि भारत का मुख्य पेशा है जो कि मानसून पर निर्भर है। यह असंगठित क्षेत्र है जो कि अपनी कटिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार को प्रभावशाली ढंग से लड़ने में असमर्थ है। ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को सरकारी क्षेत्र या अन्य क्षेत्र में रोजगार देना सम्भव नहीं है। दिन प्रतिदिन बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है और ग्रामीण युवा आसानी से नक्सलवाद की तरफ मुड़ रहे हैं। इसलिये सरकार को ईमानदारी और गंभीरता से सोचकर कोई रास्ता निकालना चाहिये। सरकार ने घोषणा भी की है कि एक करोड़ युवाओं विशेषकर बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किये जायेंगे। मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है कि सम्पूर्ण बजट का 60 प्रतिशत कृषि के लिये आवंटित कर इसे उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इस सबके बावजूद ग्रामीण बेरोजगार युवाओं की संख्या वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है और भारत में बेरोजगारी की समस्या को बढ़ाने में बहुत अधिक योगदान कर रही है। इसलिये यह सुझाव दिया जाता रहा है कि प्रत्येक युवा को एक साईकिल, एक पावर स्प्रेयर और एक 'डस्टर' दिया जाये जो कि खेतों में कीटनाशी छिड़कने का कार्य करेंगे और प्रतिदिन 100 रुपये से 200 रुपये तक कमायेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को पावर स्प्रेयर, खरीदने के लिए 500 रुपये का ऋण दिया जाना चाहिये। इससे हम प्रथम चरण में 20 लाख ग्रामीणों को रोजगार देंगे।

इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि पुनरीक्षित बजट में इस कार्यक्रम को "प्रत्येक बेरोजगार ग्रामीण युवा को एक साईकिल और एक पावर स्प्रेयर" के नारे के साथ, 500 करोड़ रुपये दिये जायें।

(दो) पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले को बार-बार आने वाली बाढ़ से बचाने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला दो नदियों के बीच अवस्थित है। ये हैं अजय-मयूराक्षी तथा गंगा पद्मा। इस प्रकार यह जिला प्रत्येक वर्ष इन दोनों नदियों के प्रकोप का सामना करने को मजबूर है जिसके परिणामस्वरूप जिले का अधिकांश भाग बाढ़ से जलमग्न हो जाता है। यह एक चिरस्थायी समस्या बनी हुई है। जहां तक मुर्शिदाबाद जिले का प्रश्न है, गंगा और पद्मा के कटाव से इसका बहुत बड़ा भू-भाग इन नदियों में समा गया है। पिछले वर्ष इस जिले के सभी 26 प्रखण्ड अप्रत्याशित बाढ़ में डूब गए थे। वहां कई योजनाएं हैं जिनके कार्यान्वयन से बाढ़ के प्रकोप को कम किया जा सकता है। स्वतंत्रता मिलने के समय से ही "कांडी मास्टर प्लान" को ऐसी ही एक योजना के रूप में माना गया है जो बहुत हद तक बाढ़ के प्रकोप को कम कर सकती है। इस योजना पर 50 करोड़ रुपया खर्च आने का अनुमान लगाया गया था। किसी महत्वाकांक्षी परियोजना जो प्राय: वंछित परिणाम नहीं दे पाती है, पर रकम खर्च करने के बजाय बकाया परियोजनाओं को कार्यान्वित करना विवेकपूर्ण होगा जो देखने में तो छोटी लगती हैं पर बेहतरीन परिणाम देती है। मानसिंह समिति द्वारा प्रस्तावित "कांडी मास्टर प्लान" को कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

(तीन) उड़ीसा में लघु क्षेत्र के उद्योगों को कच्चे माल की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नाल्को को निदेश दिए जाने की आवश्यकता

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): वर्तमान में उड़ीसा में लघु व छोटे क्षेत्र की बर्तन निर्माण इकाईयां गम्भीर संकट का सामना कर रही हैं। उनके संकट का कारण स्पष्ट है। वस्तुत: ये लघु उद्योग की ईकाइयां विभिन्न प्रकार के बर्त्तनों के निर्माण हेतु अल्यूमीनियम की सिल्लियों नाल्को से प्राप्त करती है। परन्तु 'नाल्को' से यह कच्चा माल उन्हें समय पर नहीं मिल पाता। खरीद के लिए पैसा जमा करने के एक महीने के बाद भी वे कच्चा माल प्राप्त नहीं कर पाते। इस विलम्ब के चलते इन औद्योगिक ईकाइयों को

[श्री के.पी. सिंह देव]

काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 'नाल्को' द्वारा कच्चे माल के अपर्याप्त आपूर्ति के चलते ये ईकाइयां नियमित रूप से माल का उत्पादन नहीं कर पाती और परिणामस्वरूप बाजार की मांग को पूरा नहीं कर पाती।

यदि स्थिति ऐसे ही बनी रही तो लघु उद्योगों को अपनी ईकाइयां बंद करनी पड़ेगी। सैकड़ों कुशल व अकुशल कामगार जिनमें से अधिकांश समाज के कमजोर वर्ग से आते हैं, बेरोजगार हो जाएंगे।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे बर्त्तन बनाने वाली इन ईकाइयों को कच्चे माल की समय पर पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 'नाल्को' को निदेश दे।

(चार) पश्चिम बंगाल के हल्दिया रेलवे स्टेशन पर और अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): वर्ष 1999 में शालीमार और हल्दिया के बीच एक अंत: नगरीय ट्रेन सेवा, आजाद एक्सप्रेस शुरू की गई। इसमें एक वातानुकूलित कोच था तथा इन दोनों स्टेशनों के बीच दूरी तय करने में इस ट्रेन को दो घंटे के लगभग लगने थे। पांसकुरा और हल्दिया के बीच की वर्तमान रेलवे लाइन यात्री ट्रेनो एवं मालगाड़ियों के आवाजाही के लिए अपर्याप्त है। वित्तीय वर्ष 1998-99 के बजट तथा चालू वित्त वर्ष के बजट में भी कुछ घोषणाएं की गयी जिनपर कार्यान्वयन नहीं हुआ है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह निम्नलिखित कदम उठाए:-

1. आजाद एक्सप्रेस शालीमार की जगह हावड़ा स्टेशन से चलायी जाए।
2. आजाद एक्सप्रेस जो एक अन्त:नगरीय सेवा है में एक वातानुकूलित कोच दोबारा लगायी जाए।
3. दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेन द्वारा दूरी तय करने का समय अधिक से अधिक दो घंटा ही रखा जाए।
4. पान-पत्तियों और फूलों की ढुलाई हेतु पार्सल वैन का निर्माण पुन: प्रारम्भ किया जाए।
5. पांसकुरा, हल्दिया रेलवे लाइन पर मेचदा से राजागोडा तक, तथा नंदकुमार से हल्दिया स्टेशन तक नई लाइन बिछायी जाए।
6. कोलाघाट, मेचदा, तमलुक और हल्दिया स्टेशनों को माडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जाए।
7. कोरोमंडल एक्सप्रेस, गीतांजली एक्सप्रेस, बाम्बे मेल, मद्रास मेल, भुवनेश्वर राजधानी, विवेकानंद एक्सप्रेस, अहमदाबाद एक्सप्रेस और फलांकनामा एक्सप्रेस को मेचदा स्टेशन पर रूकने हेतु स्वीकृति दी जाए।
8. बजट स्वीकृति के अनुसार हावड़ा से होकर जानेवाली हल्दिया आसनसोल एक्सप्रेस को तत्काल चालू किया जाए।

(पांच) सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश को 1998-99 में आवंटित धनराशि के समतुल्य धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

डा. मन्दा जगन्नाथ (नगर कुरनूल): केन्द्र सरकार ने वर्ष 1993 में सुनिश्चित रोजगार योजना शुरू की थी; जिसका उद्देश्य अत्यंत गरीब तबके के रोजगार चाहने वाले अकुशल मजदूरों को रोजगार मुहैया कराना था।

यह योजना भूमिहीन श्रमिकों को, विशेषकर काम मिलने की दृष्टि से खाली मौसमों में रोजगार मुहैया कराने में काफी प्रभावी साबित हुई है।

किन्तु सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के लिए आबंटित राशि वर्ष 1998-99 के 167.42 करोड़ रुपये की जगह घटकर वर्ष 2000-2001 में 60.8 करोड़ रुपये हो गयी है। गरीबों की आवश्यकताओं के मद्देनजर योजना के लिए आबंटन की राशि पिछले आबंटन के बराबर रखे जाने की अत्यंत आवश्यता है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मुद्दे पर ध्यान दे तथा आंध्र प्रदेश को इस योजना के लिए वर्ष 1998-99 में आबंटित धनराशि के बराबर ही इस वर्ष के लिए धनराशि आवंटित करे।

(छह) उत्तर प्रदेश के औरिया जिले में नवोदय विद्यालय के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अखिलेश यादव (कन्नौज): अध्यक्ष महोदय, देश के सभी नवोदय विद्यालयों का संचालन एवं नियंत्रण केन्द्र सरकार कर रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र कन्नौज, उत्तर प्रदेश के जिला औरिया में

एक नवोदय विद्यालय का विगत कुछ वर्षों से निर्माण हो रहा है। स्कूल निर्माण की गति इतनी धीमी है कि क्षेत्र की जनता एवं मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आगामी एक-दो वर्षों में उक्त विद्यालय का निर्माण एवं अन्य आवश्यक कार्य पूरा हो जाएगा। पढ़ाई शुरू होने की बात तो अलग है। उस क्षेत्र के हजारों छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों में घोर निराशा व्याप्त है।

अतः, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार एवं संबंधित मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से यह मांग करता हूं कि जिला औरैया में आधे-अधूरे निर्मित नवोदय विद्यालय का निमाण कार्य शीघ्र से शीघ्र पूरा करने के सात अन्य आवश्यक साधन उपलब्ध करायें, जिससे शीघ्र ही विद्यालय में पढ़ाई शुरू की जा सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप इसे सभा में पहली बार उठा रहे हैं?

श्री अखिलेश यादव: जी, हां।

[अनुवाद]

(सात) त्रिपुरा राज्य में उग्रवादी गुटों के खतरे को रोकने के लिए त्रिपुरा बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाये जाने की आवश्यकता

डा. रंजीत कुमार पांजा (बारासाट): त्रिपुरा में चाय उद्योग एकमात्र संगठित क्षेत्र है जो काफी मात्रा में रोजगार तथा राज्य के राजकोष को पर्याप्त राजस्व उपलब्ध कराता है। राज्य खासकर, उत्तरी त्रिपुरा के चाय बगान क्षेत्र आजकल उग्रवाद और आतंकवाद की चपेट में है। प्रबंधकों और कर्मचारियों के अपहरण की वारदातें आम हैं। हत्या, आगजनी, डकैती, विद्रोह और अपहरण की असंख्य घटनाएं हुई हैं जिनका भय गोलोकपुर, कालीहसन, मनु घाटी, रंगुंग, मेखलीबुंद और ताछाई के चाय बागानों पर अभी भी विद्यमान है। चाय बागानों के मालिक पर्याप्त सुरक्षा बलों के अभाव में इस उग्रवाद से लड़ने और अपनी सम्पत्ति तथा अपने कर्मचारियों की सुरक्षा करने में अपने को बिल्कुल असमर्थ पा रहे हैं। चाय बागानों में रह रहे लोगों का मनोबल पूर्ण रूप से टूटा हुआ है और वे भयाक्रांत हैं। परिणामतः लोग बागानों को छोड़कर, यहां तक कि बंगलादेश में भाग रहे हैं।

मेरा सुझाव है कि त्रिपुरा बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाने हेतु शीघ्र कदम उठाए जाएं तथा सीमा पर गहन निगरानी हेतु यथाशीघ्र और अधिक संख्या में सीमा सुरक्षा बल तैनात किये जाएं। सेना और चेक पोस्ट खोले जाएं ताकि सुरक्षा कवच को मजबूत बनाया जा सके।

(आठ) देश में सभी प्रमुख नदियों, विशेषरूप से उड़ीसा की नदियों से गाद निकालने के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, उड़ीसा लगातार बाढ़ों का सामना कर रहा है जिससे राज्य में तबाही आ गयी है। यद्यपि लोगों को बचाने हेतु बांध बनाए गए हैं फिर भी भयंकर बाढ़ों के चलते ये बांध टूट जाते हैं। परिणामतः जान-माल की काफी हानि होती है। मिट्टी का कटाव रोकने के लिए खासकर जलग्रहण वाले क्षेत्रों में प्रयास किए गए हैं परन्तु सफलता नाममात्र रही है। उड़ीसा में प्रतिवर्ष नदियों के तल बहकर आयी गाद और बालू से भरते जा रहे हैं। परिणामतः नदियों में पानी बहने की अपेक्षित क्षमता कम हो जाने के कारण बाढ़ का संकट और गम्भीर हो जाता है।

बाढ़ के दौरान यह स्थिति और भी भयावह हो जाती है क्योंकि नदी के मुहाने बंद हो जाने के कारण वे पर्याप्त मात्रा में जल समुद्र में नहीं छोड़ पाते।

अतएव, महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, सुवर्णरेखा और रूसिकुल्या नदियों के तलों की मिट्टी नियमित रूप से निकाले जाने की परमावश्यकता है। चूंकि उड़ीसा सरकार नदियों की तलों की मिट्टी निकलवाने की स्थिति में नहीं है, अतः मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह देश के समुद्रतटीय राज्यों में बाढ़ का संकट पैदा करने वाली सभी नदियों के तलों की मिट्टी निकालने के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार करे।

(नौ) बिहार राज्य की कतिपय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज): महोदय, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले राजकीय पथों-आरा से सासाराम, बक्सर से सासाराम, बक्सर से विक्रमगंज, डेहरी ओन सोन एवं रोहतास को राष्ट्रीय पथ के रूप में दर्जा देने हेतु मैंने भूतल परिवहन मंत्रालय तथा बिहार सरकार को लिखा था। मुझे यह भी जानकारी मिली है कि बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने उक्त पथों को राष्ट्रीय उच्च पथ का दर्जा देने हेतु निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर कराने का भूतल परिवहन विभाग, भारत सरकार को अनुरोध किया है। अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा उक्त पथों की राष्ट्रीय पथ के रूप में अधिग्रहण करने की कोई कार्रवाई

[श्रीमती कान्ति सिंह]

नहीं की जा सकी है। इन पथों के बन जाने के फलस्वरूप चार राज्यों के आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक, यातायात एवं रोजगार आदि के आशातीत विकास वृद्धि की पूरी संभावना है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उक्त पथों को राष्ट्रीय उच्च पथ का दर्जा शीघ्र प्रदान करें।

(दस) आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल के झारग्राम तथा पुरूलिया के बीच नई रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री बीर सिंह महतो (पुरूलिया): पश्चिम बंगाल के पुरूलिया बांकुरा और मिदनापुर जिलों के लोगों की झारग्राम तथा पुरूलिया के बीच नई रेल लाइन बिछाने की मांग लम्बे समय से चली आ रही है। यह रेल लाइन बहत घनी आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रों से गुजरेंगी। इस रेल परियोजना से संबंधित सर्वेक्षण का कार्य 1998 में ही पूरा हो चुका है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आगामी वित्तीय वर्ष में इस तेल परियोजना को शुरू करे।

अपराह्न 2.18 बजे

भारतीय विश्व मामले परिषद (दूसरा) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और भारतीय विश्व मामले परिषद विधेयक

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा भारतीय विश्व मामले परिषद (दूसरा) अध्यादेश, 2001 का निरनुमोदन तथा भारतीय विश्व मामले विधेयक संबंधी सांविधिक संकल्प नामक मद संख्या 7 और 8 पर चर्चा करेगी।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 8 मई, 2001 को प्रस्थापित भारतीय विश्व मामले परिषद (दूसरा) अध्यादेश, 2001 (2001 का संख्यांक 3) का निरनुमोदन करती है।"

शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्री (श्री जगमोहन): श्री जसवंत सिंह की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारतीय विश्व मामले परिषद को राष्ट्रीय महत्व की संख्या घोषित करने तथा उसके निगमन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 8 मई, 2001 को स्थापित भारतीय विश्व मामले परिषद (दूसरा) अध्यादेश, 2001 (2001 का संख्यांक 3) का निरनुमोदन करती है।"

"कि भारतीय विश्व मामले परिषद् को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने तथा उसके निगमन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं अपने व्यवस्था के प्रश्न से संबंधित तीन मुद्दे आपके समक्ष रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप किस नियम के तहत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: यह प्रश्न संविधान के तहत, नियमों के तहत और परंपराओं के तहत उठाया गया है। मैं यह व्यवस्था का प्रश्न लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियम में प्रदत्त नियम के अनुसार उठा रहा हूं। मेरा यह कहना है कि ये अध्यादेश गलत ढंग से प्रख्यापित किए गये थे। दूसरा, वह विधेयक पुर:स्थापित किया गया, वापस लिया गया और पुन: प्रस्तुत किया गया।

मेरा व्यवस्था का तीसरा प्रश्न यह है कि जब तक नियमों के अनुसार स्थायी समिति इस विधेयक पर विचार न कर ले, तब तक इस सभा में इस विधेयक पर विचार नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय: आप व्यवस्था का यह प्रश्न किस नियम के तहत उठा रहे हैं?

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न तीन भागों में है। पहला यह कि यह अध्यादेश गलत ढंग से प्रख्यापित किया गया है। दूसरा यह कि यह विधेयक पहले पुर:स्थापित किया गया था, फिर इसे वापस लिया गया और अब इसे पुन: पुर:स्थापित किया गया है। ऐसे विधेयक का हश्र क्या होगा जिसे पहले वापस लिया गया था और अब उसे पुन: पुर: स्थापित किया गया है। मेरे व्यवस्था के प्रश्न का तीसरा भाग यह है कि इस प्रकार के विधेयक स्थायी समिति को भेजने होते हैं। प्रक्रिया यह है कि विधेयक इस सभा में पुर:स्थापित किया जाता है। तत्पश्चात् इसका प्रथम वाचन होता है और उसके बाद इसे स्थायी समिति को सौंपा जाता है। फिर यह स्थायी समिति के प्रतिवेदन के साथ वापस आता है।

यदि आप नियम जानना चाहते हैं तो मैं वह बता सकता हूं। वह नियम है 331ङ। इसमें यह प्रावधान है कि सभा में जो विधेयक पुर:स्थापित किया जाता है, उसे स्थायी समिति को सौंपा जाएगा। और जब स्थायी समिति से प्रतिवेदन वापस आता है तब इस पर विचार किया जाता है। जब व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है तो नियम का उल्लेख करना हमेशा अनिवार्य नहीं होता। व्यवस्था के प्रश्न संविधान के तहत, नियमों के तहत और परंपराओं के तहत उठाये जाते हैं। ये परंपरायें नियम पुस्तिका में नहीं बताई गई हैं। संविधान में नियमों का उल्लेख नहीं होता।

मैं एक के बाद एक प्रश्न उठा रहा हूं। मैं तो केवल कौल और शकधर के चौथे अंग्रेजी संस्करण के पृष्ठ 548 का उल्लेख कर रहा हूं। इसमें कहा गया है:

> "अध्यादेशों के प्रख्यापन की प्रक्रिया ही मूलत: अलोकतांत्रिक है। कोई अध्यादेश युक्तिसंगत है अथवा नहीं लेकिन अधिक संख्या में अध्यादेशों के जारी होने से मनोवैज्ञानिक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लोगां की यह धारणा बनती है कि सरकार का कामकाज अध्यादेशों के माध्यम से चलता है। सभा अपने को उपेक्षित महसूस करती है और केन्द्रीय सचिवालय में शिथिलता की आदत सी बन जाती है जिसके कारण अध्यादेशों को जारी किए जाने की आवश्यकता पड़ती है और इससे यह धारणा बन जाती है कि किसी विधान विशेष पर सभा को मंजूरी सर्वथा अपेक्षित है और सभा के पास अध्यादेश द्वारा लाये गये विधान के बारे में अपनी मंजूरी की मुहर लगाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाता है। यह स्थिति सर्वोत्तम संसदीय परम्पराओं के विकास के अनुकूल नहीं है।"

इस मामले में सरकार ने एक नहीं अपितु तीन अध्यादेश जारी किए हैं। पहले अध्यादेश जारी किया गया है। वह कानून नहीं बन सका। इसके बाद, दूसरा अध्यादेश जारी किया गया। वह भी कानून नहीं बन सका। इसके बाद, तीसरा अध्यादेश जारी किया गया। उसके बाद उन्होंने विधेयक पुर:स्थापित किया। वह विधेयक राज्य सभा में पारित किया गया था।

उन्होंने वह विधेयक वापस ले लिया। अब फिर वे इस सभा में एक नया विधेयक लेकर आये हैं...(व्यवधान) इसे लोक सभा में पारित किया गया था। इस तथ्य के कारण यह विधेयक पुन: अधिक आपत्तिजनक है कि यह विधेयक पहले लोक सभा में पारित किया गया था, फिर इसे राज्य सभा में वापस ले लिया गया। अब फिर वे इस सभा में एक और विधेयक लेकर आये हैं। उनका कहना है कि पहला विधेयक, जिसे लोक सभा द्वारा पारित किया गया था, सभा में अब विचारार्थ प्रस्तुत किए जा रहे इस

विधेयक से भिन्न था। लोक सभा में यह विधेयक पहले ही पारित किया जा चुका था। इस बात को छोड़कर कि इस अध्यादेश में अंतर्विष्ट प्रावधान कानून बन सकते हैं, सरकार फिर से कह रही है कि इस सभा को इस नये विधेयक पर विचार करना चाहिए। क्या यह उचित प्रक्रिया है जिसका हमारे जैसे लोकतंत्र, संसदीय प्रणाली को अनुसरण करना चाहिए? तीन बार अध्यादेश जारी किए गए थे। इस सभा द्वारा विधेयक भी पारित किया गया था लेकिन बाद में राज्य सभा में उन्होंने वह विधेयक वापस ले लिया। *...(व्यवधान)*

मैं व्यवस्था का प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं इस प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने पर आपत्ति करता हूं। मेरा व्यवस्था का पहला प्रश्न यह है। यदि यह विधेयक इस सभा द्वारा पारित कर दिया गया था तो अध्यादेश में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, क्या इस प्रकार के दूसरे विधेयक को पुर:स्थापित किया जा सकता है और उस पर विचार किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अध्यादेश कानून बन सके? मैं इस प्रश्न के संबंध में अध्यक्षपीठ का विनिर्णय चाहता हूं।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है। मैं नियम 331ङ (ख) का वाचन करूंगा। इस नियम में यह प्रावधान है कि विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां किस प्रकार के कार्य करेंगी। उनका पहला कार्य है सरकार द्वारा दिए गए बजट प्रस्तावों पर विचार करना और सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। मैं अब यहां उपस्थित हम सभी लोगों के फायदे के लिए संगत अंश का पाठ करूंगा। मैं उद्धृत करता हूं:

> "(ख) संबंधित मंत्रालयों/विभागों से संबंधित ऐसे विधेयकों की जांच करना जो सभापति, राज्य सभा अथवा अध्यक्ष द्वारा यथास्थिति समिति को सौंपे गए हैं और उनके संबंध में सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;"

मैं देख रहा हूं कि विधि मंत्री जी यहां सभा में उपस्थित हैं। सम्भवत: वह खड़े होकर सरकार की वकालत करने जा रहे हैं। उनकी वकालत करने पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन इस सभा में विधि मंत्री महोदय को और हममें से कई सदस्यों को यह नहीं मालूम कि जब इस नियम पर विचार किया जा रहा था तो इस प्रश्न पर चर्चा की गई कि ऐसे विधेयक को सभा में भेजने का निर्णय लेने का विवेकाधिकार पीठासीन अधिकारी को दिया जाये अथवा नहीं। उस समिति में नियम बनाते समय इस पर चर्चा की गई और यह भी निर्णय लिया गया कि सभा में पुर: स्थापित किए गए लगभग सभी विधेयक पहले वाचन के बाद स्थायी समिति को भेजे जाने चाहिए और केवल वे विधेयक स्थायी समितियों को नहीं भेजे जाने चाहिए जो तकनीकी स्वरूप के हों।

[श्री शिवराज वी. पाटील]

मान लीजिए कि तिथियों को बदलना हो, तो उस विधेयक को स्थायी समिति को भेजना आवश्यक नहीं होगा। मान लीजिए कि उसमें व्याकरण की दृष्टि से गलतियां हों तो उस विधेयक को स्थायी समिति को भेजना अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार का प्रावधान यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया गया था कि इस तरह के विधेयक पर पूर्णत: विचार किया जाये। नि:सन्देह ऐसे अध्यादेशों और बातों पर विचार किया जाता है। नि:संदेह, जब वित्त विधेयक पुर:स्थापित किया जाता है। तो इसे स्थायी समिति को नहीं सौंपा जायेगा। इसलिए, इस बात का निर्णय लेने का अधिकार इस सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय को और राज्य सभा के माननीय सभापति महोदय को दिया गया था। अत: यह निर्णय लेने की जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी की है कि यह विधेयक स्थायी समिति को सौंपा जाये अथवा नहीं। इसलिए, तकनीकी स्वरूप वाला विधेयक स्थायी समिति को नहीं सौंपा जायेगा। लेकिन महत्वपूर्ण विधेयक समिति को सौंपे जाने चाहिए। ऐसे कई अन्य प्रावधान हैं जिन पर विचार किया जायेगा। ऐसे मामले में विधेयक स्थायी समिति को सौंपना होता है।

जहां तक मेरी जानकारी का सवाल है, यदि इस सभा के रिकार्डों की जांच की जाये तो कम से कम 1996 तक के इस प्रकार के लगभग सभी विधेयक स्थायी समिति को सौंपे गये हैं। इस सभा में उपस्थित सदस्यों को संभवत: उस चर्चा के बारे में मालूम न हो जो नियम समिति में की गई थी। उसमें विशेष रूप से यह निर्णय लिया गया था कि तकनीकी स्वरूप वाले विधेयक स्थायी समिति को नहीं भेजे जायेंगे लेकिन अन्य स्वरूप वाले विधेयक स्थायी समिति को भेजे जायेंगे।

अब मैं यह बता रहा हूं कि सरकार को इस बात के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में काफी कठिनाई हो रही है कि इस परिषद् के संबंध में किस प्रकार का कानून पारित किया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने तीन अध्यादेश जारी किये। उन्हें न केवल तीन अध्यादेश बल्कि एक विधेयक भी पुर:स्थापित करना पड़ा। वह विधेयक पारित किया गया और उन्हें वह विधेयक वापस लेना पड़ा। इन स्थायी समितियों का गठन केवल इसलिए किया गया है ताकि सभी दलों के सदस्यों को एक साथ इस बात पर विचार करने का अवसर दिया जा सके कि किस प्रकार का कानून बनाया जाना चाहिए। इस सभा में उपस्थित सदस्यों को इस अवसर से वंचित क्यों किया जाये? हम यह नहीं कर रहे हैं कि इस विधेयक को पारित न करें। आप सभा में उपस्थित सभी सदस्यों को इस पर विचार करने का अवसर दीजिए। सवाल तो यह है कि समय नहीं है। समय क्यों नहीं है? हमारे पास समय है। यह आवश्यक नहीं है कि स्थायी समिति इस विधेयक पर विचार करने के लिए एक सप्ताह अथवा एक माह का समय ले। यह विधेयक स्थायी समिति को सौंपा जा सकता है और स्थायी समिति एक-दो दिन में यह कहकर विधेयक वापस कर सकती है कि ये प्रावधान स्वीकार्य हैं, इन प्रावधानों में संशोधन किया जाये और कानून में ये प्रावधान नहीं होने चाहिए। यह अवसर क्यों न दिया जाये? कार्यपालिका विधान मण्डल के सदस्यों को अहमियत क्यों नहीं देती? इस सभा द्वारा तीन अध्यादेश पारित किये जा रहे थे और एक विधेयक इस सभा द्वारा पारित किया गया। अब वे फिर इस सभा में आ रहे हैं और इस प्रकार सदस्यों को अपने विचार एक साथ रखने का अवसर नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे सविनय निवेदन है। अब आपको इस बात का निर्णय लेना है कि यह विधेयक तकनीकी स्वरूप का है या नहीं। यदि आप समझते हैं कि यह विधेयक तकनीकी स्वरूप का है, तो कृपया इसे स्थायी समिति को न सौंपे। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इस सभा में किया जा रहा मेरा यह अनुरोध समिति में की गई चर्चाओं के अनुरूप नहीं है, तो आप समिति की कार्यवाहियों का उल्लेख कर सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): समिति की बैठक में की गई चर्चाओं का सभा में उल्लेख नहीं किया जा सकता।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: डा. विजय कुमार मल्होत्रा, मैं इस तरफ भी आऊंगा। आप इतने उतावले क्यों हैं?

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील: महाजन जी, यह विधि निर्माण संबंधी प्रावधान है। जब अधीनस्थ विधान संबंधी समिति कानून बनाती है, तो उन्हें जो शक्तियां प्राप्त हैं, उनका लाभ इस सभा में भी उठाया जाता है, क्योंकि नियम नियम समिति द्वारा बनाये जाते हैं।

श्री प्रमोद महाजन: मैं आपकी किसी बात का उत्तर नहीं दे रहा हूं। मैं तो बस इतना ही कह रहा हूं कि क्या 1996 में नियम समिति की बैठक में की गई चर्चा का यहां उल्लेख किया जा सकता है।...*(व्यवधान)* इसके बारे में कोई नहीं जानता।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: महाजन जी, वे आपके लिए जरूरी है। जब आप कानून बनाते हैं और चुनौती देते हैं...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: मेरे लिए नियमों के बारे में बताना आवश्यक है लेकिन चर्चा के बारे में नहीं।

श्री शिवराज वि. पाटील: चर्चा के बारे में भी बताना आवश्यक है। मैं यही बात कह रहा हूं। आपके विधि मंत्री यहां मौजूद हैं। जब आप संविधान बनाते हैं और संविधान के प्रावधानों को चुनौती

देते हैं, तो आप संविधान सभा में की गई चर्चा का उल्लेख करते हैं।

जब आप कोई कानून बनाते हैं और जब उस कानून को आप उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में चुनौती देते हैं, तो आप सदन में चर्चा के दौरान उसका उल्लेख करते है ताकि कानून-निर्माताओं का सही अभिप्राय जाना जा सके।...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): नियम समिति के रिकार्ड कहां है?...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं इसे प्रस्तुत करूंगा।...*(व्यवधान)*

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): कानून की व्याख्या में वह नियम केवल वहीं सहायक हो सकता है जहां कानून में अस्पष्टता हो।

श्री शिवराज वि. पाटील: वह सही है। यथार्थत: मुख्य बात यही है। आपके कहने का अर्थ यह है कि नियम कानून नहीं है। मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा, कृपया आप मुझे यह बात समझाएं। यह अस्पष्टता नहीं है। जब 'हो सकता है' वाली स्थिति है तो आप इसे 'होगा' पढ़ते है। कई मामलों में जब 'हो सकता है' वाली स्थिति है, तो आपने इसे 'होगा' पढ़ा। यह नियम क्या कहता है? कृपया आप इसे सावधानीपूर्वक पढ़े। यह कहता है:

> "संबंध मंत्रालयों/विभागों से संबंधित ऐसे विधेयकों की जांच करना जो सभापति, राज्य सभा द्वारा समिति को सौंपे जाते हैं..."

आप इससे अलग नहीं जा सकते है। आपको यह कहने का अधिकार नहीं है कि इसे स्थायी समिति को भेजा जाए अथवा नहीं भेजा जाए। केवल पीठासीन अधिकारी को ही अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस विवेक का उपयोग चर्चा में अवरोध उत्पन्न करने के बजाए चर्चा को सहज बनाने के लिए किया जाना है। विपक्ष में बैठे सदस्यों द्वारा दिया गया प्रस्ताव क्या है? आप सदस्यों को आने, चर्चा करने और वापस जाने का अवसर प्रदान करते हैं। आप क्रल वापस आ सकते हैं, आप परसों वापस आ सकते हैं: आप चार दिन में वापस आ सकते हैं। हम यह अनुरोध कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि इस मामले में उचित चर्चा के लिए सदस्यों को अवसर दिया जाना चाहिए क्योंकि इस मामले में तीन अध्यादेश जारी किए गए हैं जिसमें एक कानून पारित किया गया और वापस लिया गया। इस मामले में दो विधेयक प्रस्तुत किए गए तथा इस पर चर्चा की जानी चाहिए।

श्री जगमोहन: सर्वप्रथम, माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत संकल्प में 'अध्यादेश का निरनुमोदन' का उल्लेख है। वे स्वयं इसे अध्यादेश कह रहे है विधेयक नहीं।

द्वितीयत: तीन अध्यादेश जारी करने पड़े क्योंकि इस सभा ने आईसीडब्ल्यूए विधेयक को पारित कर दिया था परंतु राज्य सभा को बार-बार स्थगित किया जा रहा था। कानून यह है कि यदि संसद शुरू होने के छह सप्ताह के भीतर अध्यादेश पारित नहीं होता है तो यह व्यपगत हो जाता है। इसलिए इसे दुबारा जारी करना पड़ा। दरअसल यह एक तकनीकी शर्त है। हमने इसे उद्देश्यों और कारणों के कथन में स्पष्ट किया है।

तीसरी बात यह है कि हम राज्य सभा में गए और उसकी अनुमति मांगी। राज्य सभा ने अपनी सिफारिश लोक सभा को दी। लोक सभा ने उस सिफारिश को स्वीकार किया। तत्पश्चात् उस आधार पर, मुझे विधेयक प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई तथा विधेयक का प्रस्ताव करते हुए हमने कहा कि यह अध्यादेश है तथा इसकी संरचना का व्यापक आधार है तथा संख्या बढ़ायी गयी है क्योंकि वे स्वयं चाहते हैं कि संख्या बढ़ायी जाए। हमने इसे ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि यह थोड़ा सा फेरबदल किया गया है। अब यह अध्यादेश प्रस्तुत है। यदि आप इसे जल्दी पारित नहीं करते है तो यह व्यपगत हो जाएगा। इसकी विशेषताओं के आधार पर जो कुछ भी टिप्पणी उन्हें करनी है वे कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है। हम आज इस पर चर्चा करेंगे और इसे अंतिम रूप देंगे।

श्री शिवराज वि. पाटील: यदि आप विधेयक पारित नहीं करते हैं, तो आप एक के बाद एक अध्यादेश जारी करेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री अरूण जेटली: श्री शिवराज पाटील जी ने तीन बातें कहीं है। प्रथम अध्यादेश अपनी प्रकृति से अलोकतांत्रिक है। संविधान का अनुच्छेद 123 बिल्कुल स्पष्ट रूप से अध्यादेश की अनुमति देता है। यह कहता है कि जब सदन का सत्र नहीं चल रहा हो तथा ऐसी अत्यावश्यकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसके लिए अधिनियमन की आवश्यकता है तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तत्पश्चात् एक और प्रक्रिया है कि एक निश्चित समयसीमा अथवा संसद में अध्यादेश रखने की तिथि से छह सप्ताह की समाप्ति के भीतर अध्यादेश का अनुमोदन आवश्यक है। जब यह सदन में रखा जाता है तो इसका प्रचालन वहीं समाप्त हो जाता है। ऐसे कई पूर्व दृष्टांत है। उदाहरण के लिए पशुधन संबंधी अध्यादेश तथा भारतीय खाद्य निगम संबंधी अध्यादेश। ये सभी अध्यादेश तकनीकी प्रकृति के नहीं थे परंतु जिसमें ठोस मुद्दे अन्तर्निहित थे जिन्हें सम्मानीय सभा ने चर्चा के बाद अनुमोदित कर दिया। ये ऐसे अध्यादेश नहीं थे जिन्हें अनिवार्य रूप से स्थायी समिति को भेजा गया था। इसी सत्र में उन्हें स्थायी समिति को भेजा गया है। यही विधेयक, जब पहले पारित किया गया था, स्थायी समिति को नहीं भेजा गया था। नियम 331ङ उस नियमावली का उपबंध नहीं है जो यह अनिवार्य करे कि हर अवसर पर

[श्री अरुण जेटली]

प्रत्येक विधेयक अथवा अध्यादेश को विशेषकर अध्यादेश को अध्यादेश के संदर्भ में स्थायी समिति को भेजा जाए। अत्यावश्यकता का भी एक पहलू है क्योंकि अध्यादेश का छह सप्ताह के भीतर अनुमोदन होना और तत्पश्चात् विधेयक बनाना अनिवार्य होता है। इसलिए इस अत्यावश्यकता के कारण कि सामान्यत: कोई अध्यादेश स्थायी समिति को नहीं भेजा जाता। यह पुरानी परम्परा है जिसका पालन यह सभा करती रही है।

वस्तुत: बहस के दौरान पिछले सप्ताह ही जब लोक पाल विधेयक सदन में पुर:स्थापित किया गया था विपक्ष के माननीय उपनेता खड़े हुए और यह कहा: यह अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है, स्थायी समिति को बिना भेजे कृपया इसे इसी सत्र में पारित करें। इसलिए तर्क यह नहीं होना चाहिए जो एक मामले में लागू होता है तथा किन्हीं अन्य दूसरे मामलों में लागू नहीं होता है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): एक वाक्य जो आपने कहा वह गलत था। उन्होंने यह कहा कि कृपया इसे इस सदन में पारित करें परंतु उन्होंने यह नहीं कहा- स्थायी समिति को बिना भेजे।...*(व्यवधान)* सदन को गुमराह मत करें।...*(व्यवधान)* स्थायी समिति की बैठक संसद सत्र के दौरान भी होती हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें बोलने दें।

...(व्यवधान)

श्री अरूण जेटली: संसद के दोनों सदनों को दो सप्ताह के भीतर इसका अनुमोदन करना होता है। इसलिए समय की बाध्यता भी एक कारक है शायद इसीलिए इसे स्थायी समिति को नहीं भेजा गया हो।

श्री शिवराज वि. पाटील: अध्यक्ष महोदय जी, आप सदस्यों को वैसे मुद्दे उठाने की अनुमति देते रहे है जो शायद हमारे सम्मुख विषयों से संबद्ध न भी हो। अब सरकार का तर्क क्या है? सरकार का तर्क कार्य नहीं करना है। वे अध्यादेश जारी करते है और इसका सभा से अनुमोदन कराते है। वे सभा के समक्ष विधेयक प्रस्तुत करते हैं इसे पारित कराते हैं तथा वापस ले लेते है तथा फिर वे आशा करते हैं कि सभी सदस्य सहयोग करें। जब हम यहां उपयुक्त तरीके से सहयोग के लिए तैयार है, तो वे ऐसा नहीं कर रहे है। वे इसे कुचल डालना चाहते हैं। यदि इस तरह से नियम का पालन नहीं किया जाता है तथा एक अथवा दो दिन का समय भी नहीं दिया जाता है तो ठीक है। जहां वे मुसीबत में हो वहां हमसे वे सहयोग की उम्मीद न करें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, जी मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। आप मेरी बात सुनकर तत्पश्चात् अपना विनिर्णय दे सकते हैं।

श्री प्रमोद महाजन: किस नियम के अंतर्गत?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, संसदीय कार्य मंत्री विपक्ष के सदस्यों पर हुक्म नहीं चला सकते है।

श्री प्रमोद महाजन: मैं हुक्म नहीं चला रहा हूं। आप हुक्म चला रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, आप सदन के अभिरक्षक है, संसदीय कार्यमंत्री नहीं। वह अध्यक्ष का पद संभालने तक हमें निर्देश नहीं दे सकते है। वह अपनी सीट से हमें निर्देश नहीं दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: इसे गंभीरता से मत लें।

श्री शिवराज वि. पाटील द्वारा उठाए गए व्यवस्था के पहले प्रश्न पर मैं समझता हूं कि पीठासीन अधिकारी को विवेकाधिकार दिया गया है। इसलिए मैं विचार करूंगा और सभा में आऊंगा उस समय तक इस मुद्दे पर मैं अपना विनिर्णय आरक्षित करता हूं तथा मैं इस मामले पर बाद में निर्णय करूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब हम मद सं. 9 पर विचार करेंगे। श्री नीतीश कुमार।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उनकी ओर से दूसरा कोई व्यक्ति विधेयक प्रस्तुत कर सकता है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय जी, क्या प्रतिदिन सरकार द्वारा सदन में बर्ताव का यही तरीका है?...*(व्यवधान)* संबंधित मंत्री सदन में उपस्थित नहीं है।...*(व्यवधान)* इस तरह सभा ये कैसे चल सकता है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रियरंजन दासमुंशी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, सदन के साथ इस तरह का रवैया अपनाया जा सकता है?...*(व्यवधान)* यह संसद है। सरकार सदन के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती है।

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज): इन्होंने सदन को मजाक बनाकर रखा है। यहां सदन के साथ मजाक किया जा रहा है। मंत्री का नाम लिया जाता है और मंत्री यहां नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, आपको सदन की गरिमा की रक्षा करनी है। सत्तापक्ष पिछले कई सत्रों से सदन के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। इसकी एक हद होती है।...*(व्यवधान)* क्या संसद के साथ बर्ताव करने का यही तरीका है?...*(व्यवधान)* महोदय, यह पार्टी के प्रवक्ता का कार्य नहीं है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आप इतने खुशामदी मत बनिये, यह सदन की मर्यादा की बात है। यहां कोई मिनिस्टर नहीं है।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): इसमें दो घंटे लगने थे, इसलिए मिनिस्टर को दो घंटे के बाद ही आना था। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): आज मंत्री एक के बाद एक हाउस में नहीं हैं। हाउस को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री ओ. राजगोपाल अब आ गए हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मेरे द्वारा प्रस्तावित सांविधिक संकल्प पर मुझे बोलने की अनुमति प्रदान की जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री ओ. राजगोपाल।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैंने सांविधिक संकल्प प्रस्तुत किया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, मैं आपसे हमेशा ईयरफोन प्रयोग करने के लिए कहता हूं। समस्या यह है कि आप ईयरफोन का उपयोग नहीं करते। इसीलिए यहां समस्या है।

...(व्यवधान)

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, इनका निरनुमोदन संकल्प, स्थाई समिति के पास नहीं जा रहा। यह क्या है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री ओ. राजगोपाल।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, क्या इन्होंने आपकी अनुमति प्राप्त करने के लिए नोटिस दिया था?

अध्यक्ष महोदय: जी हां। मैंने अनुमति दी है। इन्होंने पत्र भी दिया है।

अपराह्न 2.46 बजे

सरकारी विधेयक - पारित

(एक) भारतीय रेल कम्पनी (निरसन) विधेयक

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारतीय रेल कंपनी अधिनियम, 1895 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि भारतीय रेल कंपनी अधिनियम, 1895 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जो यह निरसन करने वाला विधेयक लाए हैं, उसमें मुझे कुछ विशेष नहीं कहना है। पहले का जो कानून बना हुआ था, उसका निरसन करने के लिए यह विधेयक यहां आया है इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस निरसन करने वाले विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, रेल कम्पनी से सम्बन्धित निरसन करने वाला विधेयक मंत्री जी ने यहां पेश किया है। जो पुराना कानून बना हुआ था, उसका अब कोई मतलब नहीं रह गया था इसलिए उसको खत्म करने के लिए यह विधेयक यहां पेश किया गया है। इसमें कोई नया कानून बनाने की बात नहीं है, केवल पहले के कानून को खत्म करने के बारे में यह विधेयक है। सरकार गम्भीर नहीं थी इसलिए केबिनेट मंत्री जी यहां नहीं हैं। उनकी जगह रेल राज्य मंत्री ने यह विधेयक पेश किया है।

इस बार रेल बजट पर बहस नहीं हुई। हम चाहते हैं कि इसी बहाने रेल पर कुछ बहस कर लें, जबकि सरकार चाहती है कि बिना बहस के ही यह कानून पास हो जाए।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, सरकार मानती है कि कोई भी कानून पास हो जाए, फिर गजट में छप जाए तो लोग उसे जान जाते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। यह इग्नोरेंस आफ ला है। जो भी कानून बनता है उसकी लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है। उसका एकमात्र जरिया संसद है। जब संसद में किसी विधेयक पर चर्चा होती है और मीडिया के मार्फत वह देश-विदेश में जाता है तो लोगों को उसके बारे में मालूम पड़ता है, न कि गजट में छाप देने से। इसलिए सरकार का यह व्यवहार कि बिना बहस के बिल पास हो जाए, गैर जनतांत्रिक और संसदीय प्रणाली के खिलाफ है। यहां केबिनेट मंत्री जी नहीं हैं, उनकी जगह राज्य मंत्री जी ने इसे मूव किया है। राज्य मंत्री इसीलिए रखे जाते हैं कि अगर केबिनेट मंत्री मौजूद न हो तो वे स्थिति को सम्भाल लें।

मैं रेल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आज भी बराबर रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, चाहे बिहार में हो या जम्मू में हो।

इसीलिए इस बिल के माध्यम से रेलों के परिचालन पर बहस कराने की आवश्यकता है क्योंकि रेल का महकमा देश भर में सबसे बड़ा महकमा है और इसमें पुराने जमाने में जिस समय कंपनी कानून के माध्यम से रेल चलती थी, वह कानून अभी तक रखा हुआ था लेकिन वह ज्यादती था और उसे खत्म करने के लिए यह विधेयक लाये हैं। इसमें हम सरकार से कहना चाहते हैं कि रेल में सबसे ज्यादा उपेक्षित कुली समुदाय है जिसमें गरीब घरों के आदमी जाते हैं और सामान ढ़ोने का काम करते हैं। दो तरह के लोग उसमें जाते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): क्या आप कुली का यूनियन चलाते हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी, यह ठीक नहीं है। आप बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप बैठ जाइए। रघुवंश जी, अब आप समाप्त करिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: जो यात्रीगण अपनी शान के हिसाब से अपना सामान उठाना शान के खिलाफ समझते हैं या जो असहाय होते हैं और अपना सामान नहीं उठा पाते हैं, कुली वहां दौड़कर जाते हैं और उनका सामान उठाते हैं। उनकी मर्यादा बचाने के लिए कुली वहां जाकर उनका सामान उठाते हैं। कुलियों की काफी समय से मांगें लम्बित हैं। रेलों में चतुर्थ वर्ग श्रेणी का दर्जा उनकी मांग है और उनके स्वास्थ्य और रख-रखाव का ध्यान रखा जाए। पार्सल के काम में ठेकेदारी हो गई है, पार्सल का सामान ढ़ोने का काम कुलियों को नहीं दिया जाता, ठेकेदार के मार्फत कराया जाता है। गरीब आदमी सामान उठाकर जीवन-यापन करता है। सरकार की तरफ से कुलियों की उपेक्षा हो रही है, इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इस काम में लगे समाज के डाउन-ट्रौडन आदमी को ऊपर उठाने के लिए सरकार प्रयत्न करे। हम बार-बार सवाल उठाते हैं लेकिन लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए. ब्रह्मनैया (मछलीपट्टनम): महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक का समर्थन करने के साथ-साथ मैं, दुर्घटनाओं व रेल प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले सुरक्षोपायों के संबंध में कई समितियों जैसे- कुंजरन, वांचू, सीकरी और न्यायमूर्ति खन्ना समिति, द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों के बारे में बताना चाहूंगा।

न्यायमूर्ति खन्ना समिति ने कई सिफारिशे की हैं। इन समिति ने रेलवे पुलों और पटरियों की मरम्मत के लिए 3,000 करोड़ रुपये के आबंटन की सिफारिश की है और यह मरम्मत युद्ध स्तर पर की जानी चाहिए।

समिति ने यह भी कहा कि देश के विभिन्न भागों में 34000 रेलवे वैगन और 1,322 यात्रीगाड़ी के डिब्बों और 1,560 सिग्नलों की तत्काल मरम्मत और आधुनिकीकरण की जरूरत है।

इसी समिति ने यह सिफारिश भी की कि वर्ष 1999 में रेल पुलों के अनुमानों के अनुसार पिछले सौ सालों में करीब 51,340 रेल पुलों का निर्माण किया गया था। इनमें से 334 पुल पूरी तरह नष्ट हो गए थे। इसके अलावा रेल पटरी के सुधार के लिए 1997-2002 में आबंटित निधि पूरी जारी नहीं की गई, हालांकि हर वर्ष बड़ी लाईन के विस्तार की मांगें बढ़ रही हैं।

न्यायमूर्ति खन्ना समिति ने यह भी कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले रेल पट्टों की गुणवत्ता मानक स्तर की नहीं थी जिसके कारण 1998 में पंजाब में रेल दुर्घटना हुई।

1997-2000 के बीच कुल 2000 रेल दुर्घटनाओं में से करीब 1,200 दुर्घटनाएं केवल रेल कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से हुई।

इनके अतिरिक्त न्यायमूर्ति खन्ना ने कई और भी महत्वपूर्ण सिफारिशें की कि रेल चालकों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाए जाने चाहिए और उनके मानसिक तनाव को कम करने के लिए योग आरंभ किया जाना चाहिए।

इस संबंध में, मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, मछलीपट्टनम की कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं को रखना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री ब्रह्मनैया, यह वाद-विवाद रेल पर नहीं है। यह केवल निरसन विधेयक है। जब हम रेलवे पर वाद-विवाद करेंगे तब आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याएं उठाइएगा।

श्री ए. ब्रह्मनैया: महोदय, गुड़ीवाड़ा और मछलीपट्टनम के बीच रेल मार्ग की मरम्मत का काम बहुत धीमी गति से हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अभी नहीं। यह आपके निर्वाचन क्षेत्र की समस्याएं उठाने का समय नहीं है।

श्री ए. ब्रह्मनैया: धन्यवाद, महोदय।

श्री सी. श्रीनिवासन (डिंडीगुल): महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। मैं इन दो निरसन विधेयकों पर कुछ कहना चाहता हूं। जो अधिनियम असंगत हो जाते हैं उनका निरसन करना चाहिए क्योंकि इनका कोई उपयोग नहीं रहता और उनसे भ्रम की स्थिति बनी रहती है। किंतु विधेयक को निरसन करते समय पूरी सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए जिसमें अधिनियम की उपधारा के भी निरसन की आवश्यकता महसूस हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिविल प्रक्रिया अधिनियम में रेलवे कंपनी सबस्टिट्यूशन आफ पार्टी का निरसन इसलिए किया गया क्योंकि यह महसूस किया गया था कि अब तक जिस स्थिति पर निरसन किए जाने वाला अधिनियम लागू होता था अब उस स्थिति पर अनुच्छेद 300 लागू हो जाएगा।

दरअसल अनुच्छेद 300 के संशोधन की ही आवश्यकता है। यह अनुच्छेद 300 हमें ब्रिटिश राज की याद दिलाता है और कुछ विशेष परिस्थितियों में संप्रभुता 'शक्ति' के अभियोग से बचाता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय के निर्णयों ने सर्वोच्च शक्ति में काफी हद तक कमी कर दी हैं किंतु सच यही है कि अनुच्छेद 300 में संशोधन की आवश्यकता है। यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के साथ लागू होता है। मुझे हैरानी है, कि ऐसे अधिनियम का निरसन संविधान के ऐसे अनुच्छेद के आधार पर क्यों किया जाए जिसे पहले ही संक्षिप्त कर दिया गया है और जिसमें संशोधन की आवश्यकता है। मैं नहीं जानता कि, माननीय मंत्री ब्रिटिश काल की भांति रेल कंपनियों को सर्वोच्च संरक्षण देना चाहते हैं या नहीं। मै आशा करता हूं कि वे स्थिति स्पष्ट करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री ओ. राजगोपाल: महोदय, यह भारतीय रेल कंपनी अधिनियम, 1895 से संबंधित है। यह विधेयक के पैकेज का भाग है जो अक्रियात्मक विधि बन गया है और 1998 में नियुक्त आयोग ने 166 केन्द्रीय अधिनियमों की पहचान की है जो अब अनावश्यक हो चुके हैं।

इसके भाग के रूप में, इस विधेयक की पहचान भी एक अनावश्यक विधि के रूप में की गई है। भारतीय रेल कंपनी अधिनियम, 1895 में निर्माण के दौरान की पूंजी में से इसके प्रदत्त शेयर पूंजी पर ब्याज का प्रावधान था। अब चूंकि, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 208 में भी ऐसा ही प्रावधान है, जिसमें पूंजी में से इस ब्याज का भुगतान होता है। इसलिए, इस अधिनियम के निरसन से किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए, भारतीय रेल कंपनी अधिनियम, 1895 का निरसन आवश्यक हो गया है। इसी कारण से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। अत: मैं यह प्रस्तावित करता हूं कि यह विधेयक पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय रेल कंपनी अधिनियम, 1895 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.00 बजे

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री ओ. राजगोपाल: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.01 बजे

(दो) रेल कम्पनी (सिविल कार्यवाहियों में पक्षकारों का प्रतिस्थापन) निरसन विधेयक

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, हम मद संख्या 10 रेल कंपनी (सिविल कार्यवाहियों में पक्षकारों का प्रतिस्थापन) निरसन विधेयक पर विचार करेंगे।

श्री ओ. राजगोपाल

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि रेल कंपनी (सिविल कार्यवाहियों में पक्षकारों का प्रतिस्थापन) अधिनियम, 1946 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि रेल कंपनी (सिविल कार्यवाहियों में पक्षकारों का प्रतिस्थापन) अधिनियम, 1946 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

श्री ए. ब्रह्मनैया (मछलीपट्टनम): महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और मैं कुछ और मुद्दे उठाना चाहता हूं जो कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको विधेयक पर बोलना है।

श्री ए. ब्रह्मनैया: कृपया मुझे बोलने की अनुमति दे अन्यथा मै बैठ जाता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, मैं रेल कंपनी (सिविल कार्यवाहियों में पक्षकारों का प्रतिस्थापन) निरसन विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारत शासन के अधिनियम में 35वें गवर्नर जनरल का प्रावधान पक्षकार में था, उसके स्थान पर डामिनियन को रखा गया। अब जो संविधान बना उसके आर्टिकल 300 में डामिनियन के स्थान पर केन्द्र सरकार का प्रतिस्थापन हुआ। संविधान की धारा 300 के हिसाब से पुराने कानून का कोई मतलब नहीं है। हमारा संविधान 1950 में बना, लागू हुआ, लेकिन 51 वर्ष के बाद इस कानून को लाया गया। इन्हें अब अहसास हुआ कि इस कानून का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाए। केन्द्र ने कानूनों की संख्या 2500 बना कर रखी है।...*(व्यवधान)* सैंटर में ऐसे 2500 कानून हैं। हम लोगों की सरकार के समय जैन कमीशन बना और उसने कहा कि 1324 कानून रद्द किये जाएं। अब जो कानून आप ला रहे हैं, क्या वह एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है। 1998 में बताया गया कि इस कानून का कोई मतलब नहीं है। सैंटर के 2500 कानून हैं। सैंटर के कानूनों को घटाया जाए और 1324 कानूनों को खत्म किया जाना चाहिए। फिर भी आप दो कानून लेकर आए हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा कि हम वैशाली को रेल के माध्यम से बुद्धिस्ट सर्किट में जोड़ेंगे। वैशाली भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और गणतंत्र की जन्मभूमि है। केसरिया में दुनिया में सबसे बड़ा बुद्ध का स्तूप इनके क्षेत्र में निकला है, अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे। मंत्री जी ने बार-बार आश्वासन दिया है।...*(व्यवधान)* मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि बुद्धिस्ट सर्किट को रेल लाईन से हम जोड़ेंगे, हाजीपुर, सुगौली, वैशाली, केसरिया होते हुए, हाजीपुर से सुगौली रेल लाईन है।...*(व्यवधान)* इसका सर्वेक्षण भी हुआ था। पासवान जी ने उसका शिलान्यास किया। उसमें शिथिलता क्यों हो रही है, सरकार उसे न करने के लिए क्यों अड़ी हुई है? यह इतना ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, जिसे टूरिस्ट डेवलपमेंट के लिए रेल लाईन से जोड़ना अनिवार्य है। दुनिया भर में सबसे पहले, आज से 2500 वर्ष पहले लिच्छवी वंश में लोकतंत्र ने जन्म लिया था, उस स्थान को रेल लाइन से जोड़ा जाना चाहिये। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों माननीय रेल मंत्री जी उसमें ढिलाई बरत रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बिल का निरसन किया जाये, खारिज किया जाये और इसको खत्म किया जाये लेकिन नई रेल लाइन बिछाने का यहां प्रबंध जरूर किया जाये।

अध्यक्ष महोदय: रघुवंश बाबू आप बिल को सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री ओ. राजगोपाल: महोदय, यह विधेयक सिविल कार्यवाहियों में संपरिषद् गवर्नर जनरल के प्रतिस्थापन से संबंधित है। सरकार द्वारा कतिपय रेलों के अधिग्रहण और संविदा संबंधी उत्तरदायित्वों के धारण के फलस्वरूप प्राप्त सभी अनुवर्ती अधिकारों के पश्चात् भारत शासन अधिनियम, 1935 में सभी संविदाओं विधिक कार्यवाहियों में जिनके अन्तर्गत वाद, अपीलें आदि हैं, संपरिषद् गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत डामिनियन को प्रतिस्थापित करने के लिए उपबन्ध किया गया। भारत का संविधान (देखें अनुच्छेद 300 (2) (क)) में आगे विशेष प्रावधान किया गया है कि कोई ऐसी विधिक कार्यवाहियां लंबित हैं जिनमें भारत डोमिनियन एक पक्षकार है तो उन कार्यवाहियों में उस डोमिनियन के स्थान पर भारत संघ, प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा। इस प्रतिस्थापन के बाद रेल कंपनी (सिविल कार्यवाहियों में पक्षकारों का प्रतिस्थापन) अधिनियम, 1946 स्वत: अनावश्यक हो जाता है इसलिए यह निरसन विधेयक लाया गया है। मैं इस विधेयक पर सभा का अनुमोदन चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि रेल कंपनी (सिविल कार्यवाहियों में पक्षकारों का प्रतिस्थापन) अधिनियम, 1946 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा इस विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री ओ. राजगोपाल: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.08 बजे

(तीन) गन्ना उपकर (विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा में, मद संख्या 11 पर विचार किया जायेगा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): महोदय, अब साथ ही मद संख्या 19 पर भी विचार किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, कार्य सूची के अनुसार मद संख्या 11 पर विचार किया जाना है।

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि गन्ना उपकर (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1961 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाये।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस विधेयक पर बोलने वाला कोई सदस्य नहीं हैं। मैं ही सभा में सीधे प्रस्ताव रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि गन्ना उपकर (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1961, का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.10 बजे

(चार) भाण्डागारण निगम (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा में मद संख्या 12-भाण्डागारण निगम (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाएगा। इस विधेयक के लिये 2 घंटा समय आवंटित है।

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि-

"कि भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

वैद्य विष्णु दत्त शर्मा (जम्मू): अध्यक्ष महोदय, एफ.सी.आई. का निर्माण 1962 के एक एक्ट के तहत हुआ और उसके 34 भंडारण गृहों का निर्माण देश के विभिन्न भागों में हुआ। इनकी आवश्यकता इसलिए थी कि जो खेतिहर है, उसके हितों की सुरक्षा की जाए और लेबर और अन्य पैदा करने में जो धन खर्च होता है, उसके अनुसार पैदावार के मूल्य का निर्धारण करके, समर्थन मूल्य उसको दिया जाए।

अपराह्न 3.12 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

खेतिहर को मंडी के दलालों से और मार्केट फोर्सेज जो पैसा खोजती हैं, उनको सुरक्षित किया जाए। इस तौर पर एफ.सी.आई. एक गार्जियन के तौर पर काम करती रही। दूसरा उद्देश्य उसका यह था कि जब किसान आवश्यकता से अधिक अन्य उपजाता है तो राष्ट्रहित में उसका उपयुक्त भंडारण किया जाए, उसे सुरक्षित रखा जाए, उसकी क्वालिटी का निर्धारण किया जाए और उचित मूल्य पर प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करवाया जाए। इसी तरह से भंडारण इतनी मात्रा में हो और इतना बफर स्टाक रखा जाए ताकि आपातकाल में कभी भी समाज और देश के हित के लिए उसका उपयोग किया जा सके। इस प्रकार चतुर्दिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एफ.सी.आई. का निर्माण हुआ। किन्तु समय बीतने के साथ-साथ जो इसका लक्ष्य था, उससे गिरते हुए हम इसको देखते रहे और हर क्षेत्र में खरीदा गया- पैसा नहीं था इसलिए नहीं खरीदा, भंडारण के लिए स्थान नहीं था इसलिए नहीं खरीदा और किसानों को अनाज दलालों को बेचना पड़ा और उनको कम मूल्य पर वह अनाज देना पड़ा। किसानों को इससे हानि हुई। इस तरह से सरकार की गलती से, किसानों को जो लाभ होना चाहिए था उसके बजाय हानि हुई। दूसरी जो हानि हुई, वह क्वालिटी में हुई। क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो व्यवस्था हमने की थी सरकारी खरीद में, हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारे मुलाजिम अन्य की क्वालिटी को नजरअंदाज करके भी अन्य की खरीद-फरोख्त करते रहे।

दूसरा सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि अन्न खरीद लिया गया और जितना खरीदा गया, उस सारे को वितरण ठीक से नहीं हो पाया क्योंकि हमने जो वितरण प्रणाली तय की थी, वह डिफैक्टिव थी। उसका 90 प्रतिशत उपयोग होता रहा लेकिन 10 प्रतिशत जो सुरक्षित भंडार में रहा, वह भी समय बीतने के साथ-साथ सड़ता रहा जिससे देश और राष्ट्र को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ा। इसी तरह इससे और भी हानियां हुई क्योंकि जो बफर स्टाक हमने निर्माण करना था, जो बफर स्टाक हमारे पास देश के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए था, वह भी हमारे करप्शन का अड्डा बन गया। उसमें से अनाज बिकता रहा, खरीदार को बढ़िया अनाज की बजाए घटिया अनाज मिलता रहा और मंडियों में अच्छा गेहूं जाता रहा। इसके खिलाफ चर्चा होती रही। इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि लगभग पन्द्रह हजार करोड़ रुपये का खर्च अन्न भंडारण पर आता रहा। हम जो अन्य खरीदते रहे, उसके ट्रांसपोर्टेशन पर हमें 500 करोड़ रुपये का लास होता रहा। इसी तरह हमारी वितरण प्रणाली या भंडारण के लिए दो लाख के लगभग सुरक्षित मुलामिज थे। उनको 850 करोड़ रुपये से ऊपर तनख्वाह देनी पड़ती रही। इस कारण जो अन्न हम इकट्ठा करते रहे और उससे देश को जो लाभ होना चाहिए था, उसके बजाए हानि का सामना करना पड़ता रहा।

आज यह हालत है कि एफ.सी.आई. पिछले कुछ सालों से किसी तरह से, किसी क्षेत्र में भी, देश और समाज को हानि पहुंचाने का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। सौभाग्य से आज जिनके जिम्मे अन्न का महकमा है, हमारे खाद्य मंत्री के हाथ में इसका एडमिनिस्ट्रेशन आया है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हैं उनसे निवेदन करता हूं कि जो सारी त्रुटियां हैं, उनसे कैसे अन्न को बचाया जा सके जिससे देश को लाभ हो सके, उस दृष्टि से अन्न को सुरक्षित किया जाए। हमारे पास इतना भंडारण नहीं है कि देश में जितनी उपज होती है, उसे सुरक्षित रख सकें। उसका नतीजा यह होता है कि हम मंडियों से जो अन्न खरीदते हैं, वह बाहर पड़ा रहता है। उसे सर्दी, गर्मी और बरसात से बचाया नहीं जा सकता जिससे बहुत बर्बादी होती है। इससे बचने के लिए भंडारण के नए-नए साधन खड़े करने चाहिए। बजाए इसके कि बड़े-बड़े भंडागारण बनाए जाएं, क्यों न सारी जगहों पर पैदावार करने वाले किसानों की शिरकत इस काम में हो और 10, 20, 50 गांवों के लोगों को मिला कर उनकी उपज को इकट्ठा करने के लिए अलग-अलग भंडारण बनाए जाएं ताकि अन्न सड़े नहीं, उसे चूहे न खाएं या वह बरसात में न पड़ा रहे। इस तरह उनकी सुरक्षा के लिए गांव की कमेटी बना कर भण्डागारण की देख-रेख की जिम्मेदारी उनके ऊपर दी जानी चाहिए। यह भी हो सकता है कि सरकार उनको इनसैनटिव दे, पैसा दे और वे लोग भी अपने पास से कुछ पैसा मिलाएं और भाण्डागारण निर्माण करें।

इस स्थिति में सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ भी कुछ कम पड़ेगा और जब लोगों पर देख-रेख की जिम्मेदारी होगी तो वे बेहतर तरीके से अनाज को सुरक्षित रख पाएंगे, इसलिए मेरा सुझाव है कि छोटे-छोटे भंडार बनाये जायें। दूसरी मेरी प्रार्थना यह है कि यों तो मंत्री जी ने बहुत से कदम उठाये हैं, जैसे हर प्रान्त में जहां-जहां भी फूड कारपोरेशन है, उसमें वहां के स्थानीय मैम्बर पार्लियामेंट और कुछ प्रतिष्ठित लोगों को मिलाकर उन भंडारों की व्यवस्था करने के लिए और अनाज के वितरण के लिए सुविधा हो और ठीक प्रकार से वितरण हो सके, इस दृष्टि से उन्होंने कमेटियां बनाई हैं। मैं समझता हूं कि यह एक रिवोल्यूशनरी काम है, इससे बहुत सा अन्न सड़ने से बचेगा, अन्न सुरक्षित रहेगा और वितरण में भी सुविधा होगी। इस दृष्टि से उन्होंने यह एक कदम उठाया है।

हम यह समझते हैं कि वितरण प्रणाली को भी चुस्त-दुरूस्त करने की जरूरत है। इसके लिए इतनी ज्यादा भर्ती हो गई है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही हमें बहुत बड़ा खर्च सहन करना पड़ता है। पिछले सालों में शायद इन्होंने 24 हजार सात सौ कुछ करोड़ रुपये की सब्सिडी इसके लिए दी है। इतना पैसा ये एफ.सी.आई. के भंडारण और वितरण पर खर्च करते हैं, इसमें बचत की जानी चाहिए। इतनी बड़ी रकम सब्सिडी की केन्द्र को खर्च करनी पड़ती है। इस रकम को बचाया जाये और वितरण प्रणाली कुछ ठीक की जाये। मंत्री जी ने हमारी वितरण प्रणाली को ठीक करने के लिए एक और आज्ञा की है कि जहां-जहां हमारे सेल्स डिपो हैं, वहां अन्न बहुतायत में है। एफ.सी.आई. ने केन्द्र की आज्ञा से अब जो बफर स्टाक हमारे पास है, जो एक्स्ट्रा सरप्लस स्टाक है, उसको बिलो पावर्टी लाइन के लोगों को देने के लिए उन्होंने एक व्यवस्था बनाई है और कहा है कि इनको अन्न दिया जाये और कुछ अन्न अन्त्योदय स्कीम के अन्दर बिना कीमत के भी गरीब लोगों को देने की व्यवस्था की है। लेकिन मेरा सुझाव है कि जो अन्न आप भेजें, वह उनको मिले, वह गोदाम में न चला जाता रहे, उससे बचने के लिए उन्होंने व्यवस्था की है कि डिपो पर लिस्ट लगाई जाये कि इस क्षेत्र में रहने वाले बिलो पावर्टी लाइन के कितने लोग हैं और अन्त्योदय योजना के तहत लेने वाले लोगों की संख्या कितनी है और कितनी तारीख से कितनी तारीख तक हमने सप्लाई किया है, कितना अन्य अन्त्योदय योजना के तहत सप्लाई करने के लिए दिया है, इसका रिकार्ड रख लिया जाये तो मैं समझता हूं कि गरीब आदमी को भी सुविधा से और ठीक मात्रा में अन्न मिलेगा। अन्न के बिना या भोजन के अभाव में कई स्थानों से शिकायत आती है कि लोग मर रहे हैं, इसके बाद वह भी देखने-सुनने में नहीं आयेगा। इस दृष्टि से यह व्यवस्था की जाये और जो बोझ है उसको कम किया जाये। आज परफोर्मेंस में बहुत कमी आ गई है, इतनी लेबर और लोग भर्ती

[वैद्य विष्णु दत्त शर्मा]

कर लिये गये हैं कि एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, उसका हिसाब लगायें, हमारे यहां से कितनी गाड़ियां अन्न लाने, ले जाने में जाती है, कितनी बोरियां भंडार के अन्दर आती हैं और कितनी भंडार से बाहर ले जाई जाती हैं, इस सब का हिसाब करने से पता चलता है कि एक आदमी एक दिन में सिर्फ दस बैग उठाता है। इसका मतलब परफोरमेंस कम है, काम करने की नीयत में कमी है, इससे भी देश को हानि होती है और इसका बोझ बिलावजह पड़ता है। तनख्वाह उनको दी जाती है, उनको बिना वजह दी जाती है, यह सारा बोझ कम किया जाये तो मैं समझता हूं कि सरकार पर आर्थिक बोझ कम होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हमारा जो एफ.सी.आई. और वेयरहाउसेज कारपोरेशन है, इसके काम में सुधार होगा।

इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सारी व्यवस्थाएं करें, जिससे इनएफिशेंसी दूर हो, करप्शन दूर हो और आर्थिक हानि भी दूर हो। जो अनाज पड़ा-पड़ा सड़ता रहता है, लोगों को खाने को नहीं मिलता, इससे भी बचा जा सकेगा। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को समय पर और ठीक मात्रा में अन्न मिल सके, इन सब बातों की ओर यह विधेयक एक कदम है। मैं इसका समर्थन करता हूं और मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आने वाले समय के लिए उन्होंने अभी से व्यवस्था करने का प्रावधान किया है।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर पश्चिम बंगाल): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री श्री शान्ता कुमार ने भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 में संशोधन करने के उद्देश्य से भाण्डागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2001 पेश किया है।

सभ्यता के प्रारंभ से ही भण्डारण हमारी वाणिज्यिक और कृषि संबंधी क्रियाकलापों का अभिन्न अंग रहा है। लोग स्टोर में कृषि उत्पादों को रखते थे ताकि वे किसी प्रतिकूल स्थिति, प्रतिकूल जलवायु तथा भौगोलिक विप्लव से निपट सके। जहां तक भण्डारण की बात है, औद्योगिक क्रान्ति के आगमन से सम्पूर्ण परिदृश्य में बहुत अधिक बदलाव आ गया है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुये सर्वप्रथम 1928 में रायल कमिशन आफ एग्रीकल्चर ने भारत में भाण्डारण की स्थिति को समझा। 1949 में रूरल बैंकिंग इन्क्वायरी कमेटी ग्रामीण बैंकिंग के प्रसार के लिये सहमत हुई। 1954 में 'रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी' ने भाण्डागारण का प्रस्ताव किया।

भारत में केन्द्रीय भाण्डागारण निगम की स्थापना 1957 में, कृषि उत्पाद विकास तथा भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1956 के तहत की गयी। इस विधेयक में, पुन: संशोधन किया जा रहा है। केन्द्रीय भाण्डागारण निगम खाद, उर्वरक, बीज, कृषि उपकरणों और अधिसूचित वस्तुओं की बिक्री, भण्डारण खरीद और वितरण के लिए सरकार का एक अभिकरण है। भारत सरकार ने भाण्डागारण और भण्डारण को बनाये रखने के लिये तीन एजेन्सियां एफ.सी.आई., सी.डब्ल्यू.सी. और एस.डब्ल्यू.सी. बनाई हैं। अब यह सर्वज्ञात तथ्य है कि उदारीकरण और वैश्वीकरण के प्रभाव से पूरे देश में व्यापार की गतिविधियों में वृद्धि हुई है। अत: सी.डब्ल्यू.सी. अपने पुराने, जीर्ण-शीर्ण ढ़ांचे से बढ़ रहे व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता। इसलिये इसकी गतिविधियों में वृद्धि करने के लिये इसकी क्षमता में और कुछ किये जाने की आवश्यकता है।

महोदय, सी.डब्ल्यू.सी. को सेवा उद्योग की श्रेणी में रखा गया है। यह सर्वविदित है कि वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा उद्योग न केवल महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है बल्कि यह सकल घरेलू उत्पाद में भी बहुत बड़ा योगदान, अंशदान है। बाजार श्रृंखला में सी.डब्ल्यू.सी. की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इससे न केवल समय और स्थान की उपयोगिता बढ़ती है बल्कि वस्तुओं के स्थानगत मूल्य में भी इजाफा होता है। इसलिये यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि भण्डारण और परिवहन सुविधाओं जैसी भावी आवश्यकता को इस समय अधिकांशत: निजी क्षेत्र के उत्पाद संघों के पास उपलब्ध है, पूरा करने के लिये केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के स्वरूप को बदले जाने की आवश्यकता है।

महोदय, अब सी.डब्ल्यू.सी. के पास 456 गोदाम है जिनकी क्षमता 75.69 लाख मैट्रिक टन है। सीमाशुल्क विभाग के 108 गोदाम हैं जिनकी क्षमता 7.40 लाख मैट्रिक टन है। सी.एफ.एस. और आई.सी.डी.एस. के पास कुल मिलाकर 26 गोदाम हैं जिनकी क्षमता 6.34 लाख मैट्रिक टन है और तापमान नियंत्रित गोदामों की संख्या मात्र चार है। लेकिन वास्तविकता यह है कि सभी गोदाम मिलकर अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। भण्डारण क्षमता का उपयोग केवल 62 लाख मैट्रिक टन तक ही हो पा रहा है। यह नोट करने लायक है कि अधिकांश महत्वपूर्ण शहरों अहमदाबाद, गुवाहाटी और जयपुर में उनकी क्षमता का कम उपयोग हो रहा है।

महोदय, सी.डब्ल्यू.सी. के आय अनुपात में बहुत तेजी से गिरावट आई है जो कि 1996-97 के 84.95 करोड़ रुपये की तुलना में 2001 में 56.28 करोड़ रुपये रह गया है। मुझे गोदामों के आय में गिरावट के कारण समझ में नहीं आ रहे हैं। भारत में भण्डारण की सुविधा की स्थिति चिन्ताजनक रूप से कम और अपर्याप्त है। माननीय मंत्री जी अच्छी तरह अवगत हैं कि एफ.सी.आई. के गोदामों में करोड़ों रुपये का अनाज सड़ रहा है। यह जानकर अत्यन्त पश्चाताप होता है कि आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड के कुल अनाज के बराबर अनाज भारत में बर्बाद हो रहा है।

महोदय, इसलिये मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि नौवीं योजना में क्या लक्ष्य तय किये गये थे। और वे कितने प्रतिशत प्राप्त कर लिये गये हैं। आगे मैं यह भी जानना चाहता हूं कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में कितना लक्ष्य तय किया गया है।

महोदय, भारतीय खाद्य निगम के अपने गोदामों की भण्डारण क्षमता 54.45 लाख मैट्रिक टन है। इसके द्वारा किराये पर लिए गए (भाण्डागारों) की भण्डारण क्षमता 14.76 लाख टन तथा भारतीय खाद्य निगम के 416 कुल भण्डारण क्षमता 291.11 लाख टन है।

केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के अपने गोदामों की क्षमता 55.53 लाख टन, उसके द्वारा किराये पर लिए गए भाण्डागारों की क्षमता 24.12 लाख मीट्रिक टन और कुल क्षमता 79.65 लाख मीट्रिक टन है। राज्य भाण्डागारण निगम (एस.डब्ल्यू.एस.) की अपनी क्षमता 111.3 लाख मीट्रिक टन, उसके द्वारा किराये पर लिए गए भाण्डागारों की क्षमता 27.34 लाख मीट्रिक टन, और कुल क्षमता 138.73 लाख मीट्रिक टन है।

इस संशोधन से सरकार केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के नाम निर्देशित व्यक्ति को राज्य भाण्डागारण निगम बोर्ड में रखने में समर्थ होगी क्योंकि केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के पास राज्य भाण्डागारण निगम की शेयरधारिता का 50 प्रतिशत हिस्सा है। किन्तु मंत्री महोदय को यह ज्ञात होना चाहिए कि आजकल सम्पूर्ण भण्डारण प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत और स्वचालित कर दिया गया है।

कस्टम बोन्डिड वेयर हाउसिंग केन्द्रीय भाण्डागारण निगम का सर्वाधिक मुनाफे वाला क्षेत्र था। अधिकांश कस्टम बोन्डिड वेयर हाउसिंग निजी क्षेत्र द्वारा हड़प लिए गए हैं। केन्द्रीय भाण्डागारण निगम, जिसका कभी इस क्षेत्र में बहुत ही प्रमुख स्थान था, का एकाधिपत्य अब नहीं रहा। एकाधिकार के दिन अब लद गए। वर्तमान परिदृश्य में केन्द्रीय भाण्डागारण निगम को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना है। मेरा सरकार को सुझाव है कि जब कभी भी राज्य भाण्डागारण निगम बोर्ड में सदस्य को मनोनीत किया जाता है तो एक सदस्य बैंक, कस्टम जमाकर्त्ताओं में से होना चाहिए ताकि बोर्ड के कार्यकलापों का व्यावसायीकरण किया जा सके।

मेरा राज्य पश्चिम बंगाल भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान है। यह बंगलादेश, भूटान और नेपाल से घिरा हुआ है। मेरे राज्य में बंदरगाह और विमानपत्तन दोनों उपलब्ध हैं। इसे आसानी से भाण्डागारण गतिविधियों का केन्द्र बनाया जा सकता है क्योंकि नेपाल और भूटान स्थलरूद्ध देश है और उनका अधिकांश कार्गो पश्चिम बंगाल के रास्ते से ही भेजा जाता है। मेरा सरकार से आग्रह है कि इस राज्य के व्यावहारिक महत्व के मद्देनजर पश्चिम बंगाल पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

केन्द्रीय भाण्डागारण निगम अक्सर विभिन्न प्रकार के वित्तीय हेरफेर का शिकार हुआ है।

महोदय, यह अक्सर वहां व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते प्रसिद्ध रहा है। केन्द्रीय भाण्डागारण निगम से उच्च अधिकारियों की मिलीभगत के माध्यम से ठेकेदार और बोली लगाने वाले इस संस्था को लूट रहे हैं। यही कारण है कि 'छोटे रत्न' की संज्ञा पाने वाला केन्द्रीय भाण्डागारण निगम अपने पुराने गौरव को खो चुका है।

महोदय, मैं इस विधेयक के संशोधनों पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि यह निगम विकास करे। माननीय मंत्री इससे संबंधित संयुक्त उद्यम विदेशों में भी लगा सकते हैं। परन्तु ऐसा करने से पहले उन्हें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि इस देश में क्या हो रहा है।

महोदय, भाण्डागार ग्रामीण भारत के किसानों के लिए अत्यन्त सहायक हो सकते हैं। किसान अपना स्टाक इसमें जमा कर सकते है। किसानों, खासकर अकेले किसान की पहुंच बाजारों तक नहीं होती। वह मोल-तोल करने की स्थिति में नहीं होता। अतएव केन्द्रीय भाण्डागारण निगम माल के मालिकों के एजेन्ट के रूप में उनके उत्पाद को बाजार में बेच सकता है। और इसके माध्यम से ज्यादा मुनाफा देते हुए किसानों की मदद की जा सकती है। गरीब किसान अपने उत्पाद को धरोहर रखकर बैंकों से ऋण ले सकते हैं।

इस प्रकार, केन्द्रीय भाण्डागारण निगम अपने 16 संबद्ध भाण्डागारण निगमों की सहायता से हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

महोदय, केन्द्रीय भाण्डागारण निगम विपणन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मैं मंत्री महोदय से पुनः अनुरोध करता हूं कि वे इसे लाभकारी बनाने के लिए काफी संख्या में श्रृंखलाबद्ध रूप से शीतागारों का निर्माण करवाएं ताकि गरीब किसान फलों, सब्जियों और फूलों सहित अपने नष्ट होने वाले उत्पादों को इन शीतागारों में रख सकें तथा और अधिक मुनाफा कमा सकें।

महोदय, मैं वस्तुतः ऐसा कोई कारण नहीं पाता जिसके चलते इस विधेयक का पुरजोर विरोध किया जाए। केन्द्रीय भाण्डागारण निगम महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। इसे सही रूप से कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। इसे भारत के गरीब किसानों के लिए लाभकारी बनाने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत भाण्डागारण निगम (संशोधन) अधिनियम, 1962 में संशोधन करने वाले विधेयक का समर्थन करता हूं।

[प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु]

भाण्डागारण निगम (संशोधन) विधेयक 2001 का उद्देश्य केन्द्रीय भाण्डागारण निगम की गतिविधियों का विस्तार और सर्विस क्षेत्र खासकर कृषि क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ करना है जहां विगत कई दशाब्दियों से विपणन, भण्डारण तथा प्रबंध कार्य इसकी कमजोरी बन गए हैं। केन्द्रीय भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 में राज्य भाण्डागारण निगम को सहायता देने और उसकी गतिविधियों को बढ़ाने और संयुक्त रूप से कृषि क्षेत्र को अपनी सेवा उपलब्ध कराने हेतु समुचित साधनों का प्रावधान किया गया है।

मुख्यत: यह कृषि उत्पाद विकास और भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1956 था और बाद में इसे केन्द्रीय भण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 बना दिया गया। इस अधिनियम के दो मुख्य उद्देश्य थे अर्थात् कृषि उत्पाद के लिए वैज्ञानिक भंडारण प्रदान करना और विपणन संबंधी वित्त प्रदान करना। अधिकांशत: कृषि क्षेत्र में हम जिस वित्तीय मदद की बात करते हैं वह परंपरागत रूप से वित्तीय संस्थाओं द्वारा उत्पादन कार्यों हेतु ऋण देने से संबंधित है। विपणन हेतु वित्तीय सहायता। लगभग नहीं के बराबर रही है, इसे नजरअंदाज किया गया। उस समय, ऐसी व्यवस्था की गयी थी ताकि एक किसान अपने उत्पाद को बेच देने के लिए विवश न होकर उसका वैज्ञानिक संभरण कर सके तथा भाण्डागारण रसीदों को धरोहर रखकर वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर सके। ये भाण्डागारण तीन स्तरों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय पर बनाए गए हैं। इसका उद्देश्य बंदरगाहों से निर्यात को सुगम बनाना और विभिन्न देशों से आयातित मामलों का भंडारण था। सामान्य तौर पर, प्राथमिक भाण्डागारण क्षेत्र जो अधिकांशत: प्राथमिक विपणन केन्द्रों से जुड़ा है, उत्पादकों को अधिक लाभ देना है। यदि आप आंकड़ों को देखें तो पायेंगे- मैं नहीं जानता कि मंत्रालय के पास तत्संबंधी अद्यतन जानकारी है अथवा नहीं - कि यहां तक कि प्राथमिक स्तर के भाण्डागारों में भी व्यापारियों से लाभ उठाया गया है...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं अपने दल का एकमात्र वक्ता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आपके पास सिर्फ छह मिनट का समय है। आप अब तक चार मिनट बोल चुके हैं और सिर्फ दो मिनट शेष हैं। यह आपको ध्यान दिलाने के लिए है।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: यदि मेरे दल को सिर्फ छह मिनट मिले है तो मुझे सिर्फ यह कहकर बैठ जाना पड़ेगा कि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता। इसका निर्णय कार्य मंत्रणा समिति द्वारा किया जाता है और मैं कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय को ही लागू कर रहा हूं।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: खैर, मैं चंद मिनटों में अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, बोलें।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: इस खास मुद्दे पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित है कि आखिर प्राथमिक उत्पादन इसका उपयोग कर रहे है अथवा नहीं।

दूसरे अधिकांश वित्तीय संस्थाएं वित्त प्रदान करने में अत्यन्त असाधारण विलम्ब करती है। केन्द्रीय भाण्डागारण निगम तथा वित्तीय निगम में अत्यधिक समन्वय स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से समन्वय को और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। भाण्डागारण क्षेत्र में भी अधिकांशत: निजी एजेंसियां विद्यमान है। यदि हम दिए गए विवरण को देखें तो पायेंगे कि दो तरह के भाण्डागारण हैं एक तो स्वाधिकृत हैं और दूसरे किराये पर लिए गए है। स्वाधिकृत गोदामों की क्षमता उपयोगिता 87 प्रतिशत है और किराये के गोदामों की क्षमता उपयोगिता सिर्फ 77.28 या 78 प्रतिशत है। दोनों में बीच का काफी अन्तर है। किराये के गोदामों में भी क्षमता उपयोगिता बढ़ाये जाने की आवश्यकता है ताकि प्रबंध लागत कम हो।

महोदय, इस संबंध में बहुत सी शिकायतें हैं। समय कम देने के कारण मैं अब अपना वक्तव्य तुरंत समाप्त करूंगा। समाचार पत्रों में काफी शिकायतें देखने में आई हैं कि केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के उत्पादों की ढुलाई और परिवहन के लिए एजेण्टों की नियुक्ति हेतु की जानेवाली निविदा प्रक्रियाओं में बोली कर्त्ताओं ने अनियमितताओं की शिकायत की है। इस प्रमुख क्षेत्र में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र में लगे व्यक्तियों को और अधिक सुविधाएं मुहैया कराये जाने की आवश्यकता है। जब तक सर्विस क्षेत्र में सुधार नहीं आता इस भाण्डागारण निगम का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। मैं अपने दल की ओर से इस विधेयक में प्रस्तावित सभी संशोधनों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, भण्डागारण निगम (संशोधन) विधेयक 2001 के संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आज भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में जो अन्न रखा गया है, वह सड़ रहा है। आए दिन रोज अखबारों में निकलता है कि कहीं रेलवे स्टेशनों पर, कहीं भारतीय खाद्य निगम के गोदामों पर, कहीं खुले आसमान के नीचे हजारों टन गेहूं और चावल लगातार सड़ रहा है। बहुत सा अन्न जो खरीदा गया, वह भी सुरक्षित नहीं है। इस बारे में माननीय मंत्री जी का बयान भी आया है। भारत सरकार और भारतीय खाद्य

निगम के अनेकों वैज्ञानिक हैं। अन्न को कैसे सुरक्षित रखा जाए, उसकी तकनीक उन्हें मालूम है। जब ये लोग अन्न को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि आप विदेशों में भंडार बनाने को जो बात सोच रहे हैं, ऐसे में वहां अनाज को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे? राज्य सरकारों के जो खाद्य भंडार निगम हैं, कोल्डस्टोरेज हैं, वे भी आज चल नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक भी कोल्ड स्टोरेज सफल नहीं हुआ है। वे सब घाटे में चल रहे हैं। वहां पूरा का पूरा आलू सड़ रहा है। देवेन्द्र प्रसाद यादव जी जो इसकी स्थाई समिति के चेयरमैन हैं, उनका भी बयान आया है कि लाखों टन गेहूं बाहर सड़ रहा है। मैंने इलाहाबाद के बारे में भी अखबारों में पढ़ा है कि वहां गेहूं सड़ रहा है। आप अन्न को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो राज्यों में इनका क्या हाल होगा?

गांव का किसान हजारों सालों से अपना गेहूं और चावल छोटे-छोटे भंडारण बनाकर भूसे में डालकर रख रहा है जिससे वह सुरक्षित रहता है। मैं माननीय मंत्री जी को बता दूं कि जब उनका गेहूं और चावल ही सुरक्षित नहीं है तब किसानों का भंडारण कैसे सुरक्षित रख पायेंगे? आज भारत को आजाद हुये 54 साल हो गये हैं। तब से लेकर आज तक किसानों को कौन सी सुविधा उपलब्ध कराई गई है? हमने जो गेहूं बोया है, एम.पी. बनने के बाद भी मैं उसे भूसे में रख रहा हूं। आप गांव-गांव सर्वे कराकर किसानों से पूछिये कि वे अपना अन्न कैसे सुरक्षित रख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार किसानों का 25 प्रतिशत गेहूं खरीद पा रही है जबकि 70-75 प्रतिशत किसान अपना अन्न भूसे में रखकर सुरक्षित कर रहे है। अभी बताया गया कि सरकार विदेशों में गेहूं के भंडारण बनाने जा रही है लेकिन सरकार को ग्रामसभाओं में अधिकारियों को भेजकर वहां अन्न को सुरक्षित ढंग से रखने की व्यवस्था करनी चाहिये। इस संबंध में किसानों को शिक्षित या जागरूक करने के लिये कोशिश की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, आज एफ.सी.आई. के गोदामों में अनाज सड़ रहा है। अनाज के सड़ने की जिम्मेदारी जिन पर है, उनको सजा दिये जाने का प्रावधान होना चाहिए। हमें जानकारी मिली है कि एफ.सी.आई. के जितने गोदाम हैं, उनके स्टाक में कमी पाई गई है। वहां से चोरी से गेहूं बेचा गया, इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं, यह सदन को बताया जाये। चूंकि इन सब पर केन्द्र सरकार का कंट्रोल है, इसलिये कार्यवाही होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत भाण्डागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2001 का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष जी, यह बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस विभाग को एक योग्य व्यक्ति को सौंपा है। पिछले 50 साल के शासन के दौरान की गई त्रुटियों में सुधार लाने का प्रयास इस सरकार द्वारा किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष जी, कृषि क्षेत्र के सेवा क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिये माननीय मंत्री जी यह संशोधन लेकर उपस्थित हुये हैं। आज उदारीकरण और वैश्वीकरण के युग में सन् 1962 के अधिनियम में इस प्रकार का संशोधन आवश्यक था। मैंने विस्तार से इस संशोधन को देखा तथा पढ़ा है और समझने का प्रयास किया है।

उपाध्यक्ष जी, अभी तक किसानों और व्यापारियों का जो माल विदेशों में भेजा जाता है, वह विदेशों में विदेशी गोदामों में रखा जाता है जिसका किराया मनमाने ढंग से लिया जाता है। यह माल चाहे सरकार का हो, किसानों का हो या व्यापारियों का हो, उसे हम दूसरे देश के भंडागारणों में रखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करेगी कि सरकार विदेशों में अपने भंडारण बनायेगी जिसमें किसानों, व्यापारियों और इस देश की सरकार द्वारा भेजी गई सामग्री रखने की सुविधा होगी।

अपराह्न 4.00 बजे

उसकी दर कम होने के कारण यहां का व्यवसाय और यहां का निर्यात बढ़ेगा। मैं इसी के साथ भी कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने यह भी विचार किया कि देश के अंदर और विदेशों में इस प्रकार के भंडारों के निर्माण के लिए धनराशि की समस्या आड़े न आए, इस नाते जॉइंट वेन्चर के आधार पर काम करने का भी विचार किया है जो इस अधिनियम के अंतर्गत है। इस जाइंट वेन्चर के माध्यम से देश और विदेशों में इस तरह का काम होने के कारण किसानों का बहुत बड़ा हित होगा।

हमारे पूर्व के माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छी बात कही है कि आज हमारे देश में भंडारण की जो क्षमता है, वह इतनी कम है कि खुले आकाश में भी अनाज रखना पड़ रहा है। उस क्षमता को बढ़ाने का काम शासन को करना चाहिए। देश में बेकारी की समस्या को हल करने के लिए भी 15 अगस्त को हमारे प्रधान मंत्री जी ने लाल किले से जो घोषणा की कि काम के बदले अनाज दिया जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि एक पत्रकार आज हमसे पूछने के लिए चले आए और उन्होंने कहा कि पांच किलो अनाज की बात प्रधान मंत्री ने कही है। पांच किलो अनाज का

[श्री शंकर प्रसाद जायसवाल]

मूल्य 20 रुपया कहा है - काम के बदले बांच किलो अनाज अथवा 20 रुपया उनको दिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। पांच किलो अनाज का मूल्य 20 रुपया हुआ तो सभी प्रदेशों की न्यूनतम मजदूरी में से वह 20 रुपये काटकर शेष पैसा मजदूरों को अलग से दिया जाएगा, केवल पांच किलो अनाज पर काम देने की बात नहीं है। इस नाते से यह जो संदेश देश में गलत रूप से दिया जा रहा है, उसका निराकरण भी शासन द्वारा आवश्यक है।

एफ.सी.आई. की व्यवस्था के लिए मंत्री महोदय ने इस विभाग में जिस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की, प्रत्येक प्रदेश में सलाहकार समितियां बनाई, उसका चेयरमैन संसद सदस्यों को बनाया जिससे एफ.सी.आई. की व्यवस्था ठीक हो सके, उसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। अभी-अभी उन्होंने गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं, उनके अनाज को दुगना किया है। लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं में से अभी उन्होंने जो प्रदेशों में सलाहकार समितियां बनाई हैं और संसद सदस्यों को चेयरमैन नियुक्त किया है, उस समिति को वे और अधिकार देने जा रहे हैं और कुछ दिये भी हैं। उसके द्वारा जो वितरण की व्यवस्था है या जो भंडारण की व्यवस्था है, इसकी चैकिंग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री महोदय और इनके विभाग ने जो काम किया है, इसके लिए भी वे धन्यवाद के पात्र हैं। इन सब बातों के अलावा भी मैं कहना चाहता हूं कि आज समस्याएं हैं। देश में भंडारण की कमी है। अनाज का उत्पादन किसानों ने इतना किया है कि किसानों को जितना धन्यवाद और साधुवाद दिया जाए उतना कम है। यह देश जब विभाजित हुआ था तब 33 करोड़ की आबादी वाले देश को खिलाने के लिए इस देश में अनाज नहीं था। विदेशों से अनाज आता था और राशन की दुकानों पर हमारे जैसे व्यक्ति जो आज इस पार्लियामेंट के मेम्बर हैं, छोटी उम्र के होते हुए भी लाइन में गेहूं लेने के लिए खड़े होते थे। आज इस देश के किसानों ने एक अरब लोगों को खिलाने से अधिक अनाज पैदा कर दिया। इतना अनाज पैदा कर दिया कि भंडार भर गए, खुले आकाश में रखना पड़ रहा है। मैं किसानों को साधुवाद देता हूं और मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि इस अनाज का ठीक से भंडारण करने के लिए और भंडार निर्माण करने की आवश्यकता है। प्रादेशिक सरकारों के भंडारण में प्रबंधन की दृष्टि से और अधिकार इस विभाग और केन्द्र सरकार को मिलने चाहिए। इस सदन के द्वारा बार-बार यह बात उठाई जाती है कि आप अनाज देते हैं, आप भंडार की सुविधा देते हैं लेकिन वहां पर आपका नियंत्रण क्या है। अगर कोई प्रदेश सरकार उस अनाज को नहीं उठाती, उसका वितरण नहीं करती, तो आपका क्या नियंत्रण है, आपकी चैकिंग क्या है? इस विधेयक के अन्तर्गत, इस तरह के नियंत्रण के लिए, निगमों में अध्यक्ष पद और अधिकारियों की नियुक्ति, मैम्बरों की नियुक्ति का अधिकार सैंट्रल गवर्नमैंट द्वारा लेना और उसका प्रबंधन ठीक करने का जो काम इस शासन ने किया है, मैं उसके लिए मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। अंत में इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं।

[अनुवाद]

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन (शिवगंगा): उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक मुख्यत: राज्य भाण्डागारण निगम की विदेशों में शाखाएं खोलने, उसे और अधिक शक्तियां प्रदान करने तथा केन्द्रीय प्राधिकरण की कतिपय शक्तियां समाप्त होने से संबंधित है। लेकिन निगमों के कुप्रबंधन को देखकर हमें बहुत चिंता हो रही है। जब इनका प्रबंधन ही इतना खराब है तो राज्य निगमों को और अधिक शक्तियां कैसे दी जा सकती हैं जिसे प्रबंधन की स्थिति और भी बदतर हो जायेगी?

मुझे बताया गया है कि केन्द्रीय भाण्डागारण निगम में चेयरमैन की नियुक्ति तक नहीं की गई है। भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन इसके कार्यवाहक चेयरमैन हैं। इसी तरह, प्रबंध निदेशक का पद रिक्त है, निदेशक (कार्मिक) का पद रिक्त है और निदेशक (तकनीकी) का पद भी रिक्त है। सभी महत्वपूर्ण पद रिक्त पड़े हैं। तीसरे और चौथे स्तर के अधिकारी उन पदों पर कार्यवाहक अधिकारियों के रूप में नियुक्त किये जाते हैं। ऐसी स्थिति में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान कांगड़ा जिले के आयुक्त (मंदिर)-सह-उपायुक्त के कार्मिक प्रबंधक श्री जे.वी. बिन्द्रे के पत्र की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह पत्र 10 जुलाई, 2001 को लिखा गया था। मुझे बताया गया है कि यह माननीय मंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है। इस पत्र में बताया गया है कि चामुण्डा देवी मंदिर में 'सुलभ सुविधा केन्द्र' के निर्माण से संबंधित परियोजना के लिए केन्द्रीय भाण्डागारण निगम की निधि में से चेक द्वारा 15 लाख रुपये दिए गये हैं। 34.55 लाख रुपये देने का वायदा किया गया है। यदि यह सच है तो वे मेरे निर्वाचन क्षेत्र को कुछ पैसा क्यों नहीं देते जो कि एक गरीब और पिछड़ा क्षेत्र है? वहां पर कई लोग नेत्रहीन हैं। वहां शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से विक्षप्त लोग भी हैं। हम 34.55 लाख रुपये का उपयोग गरीब लोगों के कल्याण के लिए कर सकते हैं। केन्द्रीय भाण्डागारण निगम ने कैसे और किस अधिकार से यह राशि दी है? केवल यही एक मामला नहीं है। मुझे और भी कई शिकायतें मिली है। राज्य भाण्डागरण निगमों और केन्द्रीय भाण्डागारण निगम द्वारा 14 करोड़ रुपये व्यर्थ खर्च करने की शिकायत भी प्राप्त हुई है। कई शिकायतें की गई है लेकिन किसी की भी जांच नहीं की गई और क्षेत्रीय प्रबंधकों के खिलाफ कोई दांडिक कार्यवाही नहीं की गई। उस

क्षेत्रीय प्रबंधक जिसके खिलाफ 14 करोड़ रुपये का दुरूपयोग करने की शिकायत की गई है, को पदोन्नत किया गया है ताकि वह और पैसा कमा सके। ऐसी स्थिति में विधेयक राज्य भाण्डागारण निगमों को और अधिक शक्तियां कैसे दे सकता है? इसमें कहा गया है कि निदेशक मंडल में पांच सदस्य केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के और पांच सदस्य राज्य भाण्डागारण निगमों के होंगे। उन्हें केन्द्रीय भाण्डागारण निगम की अनुमति के बिना अथवा पूर्वानुमति के बिना भी पद से हटाया जा सकता है। यदि यही हालत रही तो वहां उचित प्रबंधन कैसे होगा। यहां नया शब्द दिया गया है "सूचित करते हुए"। आप उन्हें पद से हटा सकते हैं और केन्द्रीय भाण्डारण निगम के निदेशक मंडल को इसकी सूचना दे सकते हैं।

अपराह्न 4.10 बजे

[**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** *पीठासीन हुये*]

यदि निदेशक मंडल भी इसी तरह कार्य करेगा तो जब केन्द्रीय स्तर पर इतनी अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं तो राज्य भाण्डागारण निगम किस प्रकार कार्य करेगा? निदेशकों को पद से हटाने के लिए भी इसी प्रकार के संशोधन लागू होंगे। इससे पहले गोदाम खरीदने और बनाने के लिए पूर्वानुमति आवश्यक होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उन्हें मात्र सूचना देनी होती है। 'पूर्वानुमति से' शब्दों के स्थान पर 'सूचित करते हुए' शब्द का प्रयोग किया गया है। शक्तियां या तो बहुत ज्यादा सौंपी जा रही हैं या फिर बहुत कम की जा रही हैं। विशेष रूप से तब जबकि निगम का प्रबंधन प्रभावी नहीं है। मेरे विचार से राज्य निगमों को जो पहले ही पैसा खा रहे हैं, और अधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए तदर्थ आधार पर इस तरह संशोधन करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। यदि आप उन्हें और अधिक शक्तियां प्रदान करेंगे तो वहां कोई भाण्डागारण नहीं रहेंगे, बस केवल इमारतें ही रह जायेंगी। मुझे निगमों के खिलाफ काफी शिकायतें और आरोप पत्र मिले हैं। मैं उनका केवल एक अंश पढ़कर सुनाऊंगा। एक आरोप में यह कहा गया है:

> "उन्होंने यह पता लगाया कि लगभग 17 गोदामों में इन पाकेटों/कार्टन/क्रेटो में 14 करोड़ रुपये मूल्य के मूल आयातित स्टाक के स्थान पर पुरानी सामग्री भरी गई थी।"

जब वे सारी सामग्री के स्थान पर पुरानी सामग्री भर देंगे तो वे निगम अच्छी तरह कैसे चल सकतें हैं? अधिकारियों की नियुक्ति करने हेतु शक्तियां प्रदान की जाती है। अधिकारियों की नियुक्ति करने का क्या फायदा, जब उनमें अनुशासन ही न हो, जब विनियमों द्वारा उन पर उचित रूप से नियंत्रण न किया जाये। क्या इससे उन गरीब लोगों को नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। जो इन भाण्डागारणों पर निर्भर हैं और जो यह सोचते हैं कि उनकी सामग्री सुरक्षित रखी जायेगी और वे उचित समय पर उनका उपयोग कर सकेंगे? मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर पुनर्विचार करें। मैं मंत्री महोदय से यह भी अनुरोध करूंगा कि इन निगमों का कड़ाई से पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए।

मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी यह वायदा भी करेंगे कि जिस तरह मंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र के लिए 34.55 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं, उसी तरह हमारे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भी धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, सैण्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, 1962 में चार तरह के संशोधन लाने का सरकार ने प्रस्ताव किया है। चारों संशोधनों में से ये दो संशोधनों में वेयरहाउसिंग को सशक्त बना रहे हैं। तीसरे संशोधन से राज्य सरकार को सशक्त बना रहे हैं और चौथे संशोधन से स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन को सशक्त बना रहे हैं। संशोधन नम्बर एक में इनका कहना है कि भारत के अलावा विदेश में भी अब हम भण्डारीकरण करेंगे और गोदाम बनाएंगे। श्री शंकर प्रसाद जायसवाल जी चले गये, अन्य दिन वे भगवा गमछा लेकर आते थे, लेकिन आज ऐसे ही आये थे। वे बता रहे थे कि बड़ा भारी काम हो रहा है और बहुत धन्यवाद दे रहे थे।

हिन्दुस्तान के किसानों की क्या समस्याएं हैं, अनाज का भंडार या कृषि से उत्पादित जो सामान है, उसको रखने में किसानों का क्या संकट है, वह किसान ही जानता है, उसको व्यापारी लोग क्या जानेंगे। 'जाके पैर ना फटी बिवाई, सो क्या जाने पीड़ पराई।' लगता है कि इससे देश में स्टोरेज की समस्या का समाधान हो गया। अब विदेशों में स्टोरेज करने के लिए ये कानून बना रहे हैं और कह रहे हैं कि विदेश में जब यहां का किसान सामान भेजता है तो उसका रख-रखाव करना है। अब किसान के लिए क्या-क्या धोखाधड़ी हो रही है, देखिये-

जैसे किसान अनाज पैदा करता है और उसे एफ.सी.आई. प्रोक्योर करती है। एफ.सी.आई. की हालत क्या है, यह सभी को मालूम है। वहां अनाज रखने की जगह नहीं है। बाहर अनाज रख दिया जाए तो ज्यादा बर्बादी होती है और भीतर भी उसके रख-रखाव की व्यवस्था नहीं है। रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि 185 करोड़ रुपये का अनाज जानवरों के खाने लायक भी नहीं रहा। अब वह समुद्र में फेंका जाए या कहां फेंका जाए, यह सरकार के लिए एक समस्या बनी हुई है। सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन बना था कि एफ.सी.आई. जहां सक्षम न हो, वहां यह

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

पहुंचे। कृषि से उत्पादित सामान का रख-रखाव उसमें हो और फिर यह प्रावधान किया गया कि अन्य सामान भी उसमें रखा जा सके। सरकार कहती है कि उसमें कोल्ड स्टोरेज खोलने की क्षमता नहीं है इसलिए उसका निजीकरण करेंगे। इसके लिए किसानों को ऋण भी दिए जाएंगे। लेकिन समस्या जटिल हो रही है, उसका समाधान नहीं हो रहा है।

हिन्दुस्तान में किसी-किसी साल दो करोड़ चालीस लाख टन आलू पैदा हो जाता है। ये कहते हैं कि कम से कम पचास फीसदी का कोल्ड स्टोरेज होने चाहिए, नहीं तो किसान तबाह हो सकता है और आलू बर्बाद हो सकता है। देश में आलू, प्याज और अन्य फल-सब्जियां रख-रखाव के बिना तकरीबन 20 प्रतिशत बर्बाद हो जाती हैं। यह सरकार किसानोन्मुखी नहीं, बल्कि व्यापारोन्मुखी है। सी.डब्ल्यू.सी. में उचित रख-रखाव की व्यवस्था नहीं की गई है। कैसे निगम में आमद हो, इनको लगता है कि विदेश में गोदाम खोलने से ज्यादा आमद होगी, इस बात की इन्हें चिंता है। लेकिन हिन्दुस्तान के किसानों की समस्या जो भंडारण की है, उसका कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके लिए कोल्ट स्टोरेज नहीं बनाए जाते। आज किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है। जब काफी हंगामा इसको लेकर हुआ तो सरकार ने एक कमेटी बना दी कि कैसे कोल्ड स्टोरेज में किसान के उत्पादित माल को रखने के लिए उपबंध किया जाए। कमेटी ने रिपोर्ट दी कि 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाए और किसान खुद कोल्ड स्टोरेज खोलने का प्रबंध करें। अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर थोपी जा रही है। कोल्ड स्टोरेज के बिना देश में हर साल किसानों को बहुत नुकसान होता है। जहां-जहां भी आलू, प्याज, फल और सब्जियों का उत्पादन होता है, उसके रख-रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है।

ये विदेशों की बात करते हैं कि वहां खोलेंगे। उसके बाद कहते हैं कि स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन हैं, उनमें सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के अधिकारी नियुक्त करेंगे। यह भी अधिकार चाहते हैं कि राज्य सरकार को कुछ और अधिकार दिये जाएं, जैसे पहले सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन से एप्रूवल लेनी होती थी, अब केवल सूचना देना ही पर्याप्त होगा।

उसी तरह से स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन को भी पहले से सैन्ट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन से एप्रूवल लेकर करना था और उसमें कुछ छूट दे रहे हैं। स्टेट वेयरहाउसिंग को भी उनसे एप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल सूचना देने की आवश्यकता होगी।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप समाप्त करिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: इसीलिए हमें लगता है कि कुएं में भांग घोली गई। जब सरकार और सब लोग भी उसी का समर्थन करते हैं और बधाई देते हैं और किसान का संकट और देश की समस्या का समाधान करने वाला कोई नहीं है कि क्या संकट है और उसके लिए क्या समाधान होना चाहिए तो हमें बहुत दुख लगता है। यह प्रस्ताव हुआ था कि आलू के रखने के लिए सैन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन कोल्ड स्टोरेज खोलेगा लेकिन अभी तक नहीं खोले गये। अब क्यों नहीं खोले गये? कोल्ड स्टोरेज के अभाव में आलू सड़ रहा है या पुराने कोल्ड स्टोरेज बंद हो जाते हैं तो सरकार को इस बारे में भी प्रबन्ध करना चाहिए और सी डब्ल्यू सी सरकारी संस्थान है, उसके बारे में भी प्रबंध करना चाहिए। जहां-जहां अनाज रखने का प्रबन्ध नहीं है, वहां कोल्ड स्टोरेज सरकार को खोलने चाहिए। अपने देश की समस्या का समाधान पहले करना चाहिए तब विदेश में जाइए। अपने देश की भंडारण की समस्या का समाधान किये बिना विदेश में खोलने के लिए कानून बना रहे हैं, वाहवाही लूट रहे हैं। जब आप विदेश में खोलेंगे तो इस देश में उत्पादित सामान का क्या होगा और विदेश में किसान उत्पादित सामान कैसे जाएगा?...*(व्यवधान)* इतनी मेहनत करने के बाद किसान सामान उगाता है और अपनी पूंजी लगाता है और उस अनाज के भंडारण का कोई उपाय नहीं है और सरकार व्यापारिक दृष्टिकोण से विदेश में खोलेगी तो उसको लाभ होगा और यहां खोलने से घाटा होगा, यह बेतुकी बात लगती है। किसानों की समस्या के प्रति सरकार सचेत क्यों नहीं है?

मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जब सरकार गिरने लगे या अल्पमत में होने लगे तब आप बचाने की कोशिश करिए क्योंकि आप उस पार्टी के लोग हैं लेकिन किसानों की असली समस्या तो उठाने दीजिए। वोट डालने के वक्त उधर वोट डाल दीजिए।...*(व्यवधान)* लेकिन किसान दुर्दशा में हैं और तबाही में है और उन्होंने कहा कि एक करोड़ दस लाख टन अनाज का उत्पादन पिछले साल से घट गया। हम जानना चाहते हैं कि क्यों घट गया? यहां अनाज रखने की जगह नहीं है, इसलिए प्रोक्योरमेंट ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। किसानों को उनके उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है, इस कारण किसान निरूत्साहित हो रहा है। यदि किसानों को उनकी उपज का उचित समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा और रख-रखाव ठीक से नहीं होगा तो उसकी बर्बादी होगी, उसे घाटा होगा। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि: 'अब लौं नसानी, अब ना नसैहों।' अभी तक तो जो प्रबन्ध हुआ, सो हो गया, लेकिन आगे किसानों की समस्या का समाधान हो और उनके द्वारा उत्पादित सामान के रख-रखाव का प्रबन्ध सरकार करे और जब अपने देश की समस्या का हल हो जाये तो विदेश जाये और वहां जाकर अपना कारोबार बढ़ाये तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन यहां की समस्या का समाधान किये बिना विदेश में सब्जबाग दिखा रहे हैं कि हम विदेश में भी कानून बना रहे हैं कि भंडारण के उपाय करने जा रहे हैं तो मुझे यह बेतुकी

बात लगती है। यह किसानोन्मुखी बात नहीं लगती, यह व्यापारोन्मुखी बात लगती है। इसीलिए सरकार को पहले किसान द्वारा उत्पादित अनाज के भंडारण की समस्या का हल करना चाहिए और सरकार बताए कि वह क्या करने जा रही है तब सहयोग करेंगे नहीं तो हम हर स्तर पर विरोध करेंगे।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): सभापति महोदय, जिस इरादे से यह संशोधन विधेयक पुर:स्थापित किया जा रहा है, उससे मैं सहमत हूं। लेकिन जब हम विधेयक का अध्ययन करेंगे तो हमें विधेयक के कतिपय महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। हमारा उद्देश्य इस विधेयक को और अधिक लचीला और किसानों के लिए और अधिक लाभकारी बनाना है अथवा, दूसरे शब्दों में हम उदारीकरण के लाभ छोटे किसानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उदारीकरण और वैश्वीकरण के लाभ भारत की गरीब जनता तक नहीं पहुंच रहे हैं। हमें भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं के कार्यकरण का अनुभव है। वह चौंकाने वाला उदाहरण है। भारतीय खाद्य निगम के डिपु समस्त भारत में है, वहां प्रचुर मात्रा में खाद्यान्नों को सुरक्षित रखा जाता है लेकिन आज देश में वास्तविक स्थिति क्या है?

अपराह्न 4.26 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

महोदय, लोग उच्चतम न्यायालय में गये और उन्होंने यह बताते हुये जनहित मुकदमा दायर किया कि भारत में कुछ राज्यों में लोग भूख से मर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने विस्तार से मामले की सुनवाई की और केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया कि उन राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाये जहां लोग भूख से मर रहे हैं।

इस प्रकार एक समृद्ध देश होने के बावजूद हम भारतवासियों को निर्धनता और भुखमरी का कड़वा घूंट पीना पड़ रहा है। हर रोज अपने टेलीविजन सेट खोलने पर हम देखते हैं कि कई राज्यों में लोग भूख से मर रहे हैं। जबकि हमारे गोदामों में खाद्यान्नों की भरमार है लेकिन वे बर्बाद हो रहे हैं। यहां तक कि दूसरे देश भी हमारे खाद्यान्न खरीदने के इच्छुक नहीं हैं। जब हमारे खाद्यान्न ईराक को निर्यात किये गये तो उन्होंने उन्हें लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वे घटिया स्तर के थे। वह हमारा एक कड़वा अनुभव था। इसलिए जब हम इस विधेयक में संशोधन करेंगे, तो हमें इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा। अब भाण्डागारण निगम की क्षेत्रीय अधिकारिता का इस विधेयक के माध्यम से विस्तार किया जा रहा है। इससे पहले इसका क्षेत्राधिकार केवल भारत तक ही सीमित था। अब इसकी अंतर्राष्ट्रीय अधिकारिता होगी। यह विदेशी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन तक कर सकता है और वे भी ऐसी अनुषंगी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन कर सकते हैं जो राज्य संविधि अथवा केन्द्रीय संविधि के तहत पंजीकृत हैं। इस प्रकार भाण्डागारण निगम को किसी भी कंपनी के साथ कारोबार करने के लिए पर्याप्त शक्तियां दी जा रही हैं। शर्त केवल यही है कि इसकी सूचना केंद्र सरकार को होनी चाहिए। इससे पहले केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति अनिवार्य थी। अब पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है लेकिन निगम अनुषंगी कंपनियों के साथ भी कारोबार अथवा समझौता ज्ञापन कर सकता है बशर्ते कि उसकी सूचना केंद्र सरकार को दी गई हो।

इस तरह गरीब किसान की अब क्या स्थिति होगी? भारत में हमारे किसानों के समक्ष जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या आ रही है वह है शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों का सड़ना-गलना। आम के मौसम में भंडारण संबंधी उचित सुविधाओं के अभाव में 50 प्रतिशत से अधिक आम सड़-गल जाते हैं और यही स्थिति संतरे और सेवों के साथ है। इस प्रकार, यदि हम इस संकट को दूर कर सकें तो निश्चित रूप से इससे उन गरीब किसानों को अत्यधिक लाभ होगा जो इस प्रकार के शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों का उत्पादन करते हैं।

महोदय, जब हम भाण्डागारण निगम के क्षेत्राधिकार का विस्तार करने की बात सोचते हैं तो हमें यह बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत में ऐसे लाखों किसान हैं जो भाण्डागारण निगम से सीधी सहायता चाहते हैं। मेरे विचार से माननीय मंत्री जी भारतीय खाद्य निगम और भाण्डागारण निगम, दोनों का काम-काज देख रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम के बारे में हमारा पहला अनुभव काफी खराब रहा है। मैं मंत्री महोदय से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि भाण्डागारण निगम के कार्यकरण के संबंध में वही गलती दोहरायी न जाये। इसलिए मेरे विचार से एक बड़ी चेतावनी के रूप में सरकार द्वारा उत्पादित किये जा रहे शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों का भण्डारण करने में सहायता करने के लिए अपेक्षित सभी निवारणात्मक कदम उठायेगी।

वह उनके लिए वरदान होगा। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जब कभी आप भारतीय भाण्डागारण निगम के क्षेत्राधिकार का विस्तार करने की सोचें, तो देश भर के लाखों गरीब किसानों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को सदैव ध्यान में रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, यह बिल बहुत छोटा है, लेकिन इस पर जो बहस हो रही है उसमें पूरी दुनिया की चीजें चली आई हैं। माफ करेंगे यह बिल पटरी के बाहर चला गया है। अद्भुत बहस इस पर हो गई है। हमने ऐसी बहस पहले नहीं देखी। इसमें यह है कि वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन अमेंडमेंट बिल सन् 2001 के अधिनियम में बदल जाने के बाद सी.डब्ल्यू.सी. अपने वेयरहाउसिंग को विदेशों में भी बना सके, चूंकि अभी वेयर हाउसेस खोलने की विदेशों में परमीशन नहीं है। सरकार चाहती है कि हमें परमीशन मिल जाए ताकि विदेशों में भी हम सी.डब्ल्यू.सी. के वेयरहाउसेस खोल सकें। इसमें पूरी दुनिया भर की एफ.सी.आई. पर बहस हो गई है। रघुवंश बाबू शुरू में पटरी पर थे, लेकिन बाद में इनका भाषण पोलिटिकल हो गया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, इसमें यह है कि विदेशों में भी वेयर हाउसेस खोले जाएं, इसके लिए सरकार परमीशन चाहती है। इस संबंध में मेरा कहना है कि जो आर्थिक उदारीकरण की नीति है, अभी इसमें सी.डब्ल्यू.सी. का वेयर हाउसेस बिजनेस पर एकाधिकार समाप्त हो गया है। यह 1996-97 में करीब 84 करोड़ रुपए प्रोफिट दे रही थी, जो 1998-99 में घट कर 41.50 करोड़ रुपए हो गया और सन् 2000-2001 में थोड़ा सा बढ़ा है। मतलब जो घट गया था, साढ़े 41 करोड़ रुपए हो गया था वह 2001 में थोड़ा सा बढ़ कर 58 करोड़ रुपए हो गए। इस बिजनेस में सी.डब्ल्यू.सी. को, अन्य अंडरटैकिंग्स और जितने प्राइवेट आर्गनाइजेशंस हैं उनसे काफी कम्पीटिशन करना पड़ रहा है। जब सी.डब्ल्यू.सी. देश में बड़ी मुश्किल से कंपीट कर पा रही है तो मेरी राय में क्या विदेशों में कम्पीट कर पाएगी, यह अंडर क्वैश्चन है, अंडर ब्रेकिट है। इसलिए इसे हम यहीं छोड़ देते हैं।

महोदय, जब यह बिल आया है तो हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि किन-किन जगहों को विदेशों में आइडेंटिफाई किया गया है, जहां सी.डब्ल्यू.सी. वेयर हाउसेस खोलना लाभकारी हो सकता है, क्या इसका कोई आइडेंटीफिकेशन हुआ है। सरकार ने कोई ऐसा एनेलैसिस या असेस्मेंट किया है। क्या सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा विदेशों में वेयर हाउसेस खोलने का सही समय, उपयुक्त समय है, क्योंकि सी.डब्ल्यू.सी. में हायर लेवल पर पिछले दिनों काफी इर्रेगुलेरिटी हुई है। 1996-97 से पहले भी हुई थीं। उन इर्रेगुरेरिटीज के कारण वहां जो एमडी थे, प्रबंध निदेशक और प्रबंधक थे, उनके खिलाफ सीबीआई का इनवेस्टीगेशन चल रहा है। जो फाइनेंशियल इर्रेगुलेरिटीज हुई हैं, वे अभी चल रही है। कई तरह की ऐसी घटनाएं हैं। इसलिए हम इसे यहीं छोड़ रहे हैं। हम इस बिल में केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि परमिशन दी जाए, लेकिन एक आशंका है कि जब यह बिल अधिनियमित, पारित हो जाएगा तो उसके पश्चात् सी.डब्ल्यू.सी. जो लाभकारी निगम है, यह घाटे वाला न बन जाए। इसी आशंका के समाधान के लिए हमने इस बिल के संबंध में जिक्र किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): अध्यक्ष जी, माननीय शांता कुमार भाण्डागारण निगम (संशोधन) विधेयक जो लाए हैं, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी शिवसेना की ओर से उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह संशोधन विधेयक छोटा है और इसके द्वारा सरकार विदेशों में गोदाम बनाकर अपना व्यापार बढ़ाना चाहती है। भारत सरकार विदेशों में भंडारण की व्यवस्था करे, व्यापार करे, यह हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन यह व्यापार घाटे का न हो, इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप विदेशों में भंडारण कीजिए, व्यापार कीजिए लेकिन पहले अपने यहां भी तो भंडारण का सोचिये। यह विषय से हटकर बात है लेकिन मैं एक छोटे से क्षेत्र से आता हूं और इसीलिए मंत्री महोदय से विनती करना चाहती हूं कि जिला स्तर पर कम से कम एक वेयर-हाउस कार्पोरेशन का गोदाम होना चाहिए, उसकी यह नीति होनी चाहिए कि हर जिले में एक उसका गोदाम हो - यह मेरा सुझाव है।

किसान की सब्जियों, फलों, गेहूं, चावल और उसके अनाज को वर्षा और प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए जिला स्तर पर कम से कम एक वेयर-हाउस का गोदाम बनाने की अपील के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम): महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री को कुछ सुझाव, टिप्पणियां तथा चेतावनी देना चाहता हूं।

मुझे अभी भी याद है कि खाद्य संबंधी स्थायी समिति के सभापति श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया जिसमें उन्होंने कहा कि देश में उत्पादन का विशाल भंडार है। लेकिन बुनियादी ढांचे के अभाव में हमने सिफारिश की थी कि इन खाद्य उत्पादों को समुद्र में फेंक दिया जाए। भारत जैसे देश में जहां गरीब लोग जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और भुखमरी से मौतें हो रही हैं वहां हमें ऐसा

करना पड़ता है। लेकिन जब संसद के पटल पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि बुनियादी ढांचे अपेक्षित शीतागार तथा भाण्डागार के अभाव में हमें ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हमें चिंता हुई।

ईराक सरकार ने एक प्रस्ताव किया था कि वे खाद्यान्नों के बदले हमें तेल बेचने को तैयार है। इस मौके पर हम भारत सरकार अथवा माननीय मंत्री से संभवत: पूछ सकते हैं कि क्या दो देशों के बीच इस तरह के प्रस्तावों, जिस पर वार्ता हो रही है, पर विचार किया जा रहा है अथवा नहीं।

महोदय, मुझे याद है कि कुछ वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में बड़ी मात्रा में आलू का उत्पादन हुआ और किसानों को आलू सस्ते में बेचने पड़े और उन्होंने एक रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से आलू बेचें क्योंकि वहां बुनियादी ढांचा और पर्याप्त शीतागार उपलब्ध नहीं थे। भारत सरकार को सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए और शीतागार को एक निश्चित उद्योग घोषित करना चाहिए। अन्यथा किसानों द्वारा उत्पादित उत्पाद बुनियादी ढांचे तथा उचित भाण्डागारों के अभाव में पूर्णत: खराब हो जाएंगे। विधेयक के खण्ड 2 (क) में कहा गया है कि खण्ड (क) में 'भारत में' शब्दों के पश्चात् 'अथवा विदेश में' अंत:स्थापित किया जाए। हमारा विचार है कि ऐसा करके हम विदेशियों के लिए अपना पूरा बाजार खोल रहे हैं। जैसाकि श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि जिस देश में बुनियादी ढांचे तथा उचित शीतागार का अभाव है, जहां भारतीय खाद्य निगम का कार्यकरण संदेहास्पद है - मैं उनकी भावनाओं और चिंताओं को समझता हूं और चाहता हूं कि इन सब बातों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया जाए।

हम हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि कृषकों अथवा गरीब किसानों को अपने उत्पादों की विवशपूर्ण बिक्री न करनी पड़े और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके उत्पादों को किस तरह बचाया जा सकता है। हमने समाचारपत्रों में भी पढ़ा है कि इन सुविधाओं के अभाव में उन्होंने आत्महत्या भी की हैं।

यद्यपि पुर:स्थापित यह विधेयक बहुत छोटा है लेकिन इस पर व्यापक चर्चा हो सकती है। इसलिए महोदय, मेरा विश्वास है कि सरकार को पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए और इस बात पर प्रकाश डालना चाहिए कि किसानों तथा आम कृषकों के हितों की किस तरह रक्षा की जा सकती है और खण्ड 2 (क) में शब्द 'भारत में' के पश्चात् 'अथवा विदेश में' शब्दों का अंत:स्थापन कही देश के हितों में और बाधा न डाले। अन्यथा, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा में भाग लेने वाले तमाम सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। इस अमैंडमैंट में मुख्य रूप से चार बातें हैं - पहली बात यह कि वेयर हाउसिंग कारपोरेशन आज की स्थिति में, विदेश में कहीं पर अपना काम नहीं कर सकता। दुनिया बदल गई, दुनिया बदल रही है, दुनिया गांव बन गई। अब सब प्रकार के रेस्ट्रिक्शन्स हट गए। दुनिया भर की कम्पनियां प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर भारत में आ रहे हैं। हम जहां जा सकते हैं क्यों न जाएं और जहां कर सकते हैं, क्यों न करें? सिद्धान्त: रूप में हमारे देश के लोगों को भी चाहे वह निजी क्षेत्र हो या पब्लिक सैक्टर हो, उसे विदेशों में जाना होगा, कम्पीट करना होगा। आने वाला युग कूपमंडूप बन कर रहने का नहीं, आने वाला युग खुली प्रतियोगिता में शामिल होने का है। कामर्स मिनिस्ट्री ने वेयर हाउसिंग कारपोरेशन से कहा कि वह पनामा और ब्राजील में अपने वेयर हाउस बनाए। नेपाल ने ग्लोबल बीड की थी। हमने पार्टिसिपेट किया। उसमें हम शार्ट लिस्ट हुए हैं। सम्भावना बढ़ रही है कि विदेशों में हम अपना काम बढ़ाएं। उस दृष्टि से हम यह संशोधन चाहते हैं कि इस कारपोरेशन को विदेशों में भी अपना काम करने का अधिकार मिले।

अध्यक्ष महोदय, दूसरे, आज कारपोरेशन जाइंट वैंचर में नहीं जा सकता है। अब सब कुछ बदल रहा है। माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि भारत सरकार ने एक नेशनल स्टोरेज पालिसी बनाई है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सैक्टर आयेगा। जैसा कि सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की है, हम स्टोरेज की 30 लाख टन की नई कैपेसिटी बनाना चाहते हैं। इसलिये कारपोरेशन को यह अधिकार दिया जा रहा है कि जाइंट वैंचर में जाकर इस प्रकार की नई कैपेसिटी क्रिएट करने की कोशिश करे।

तीसरा प्रदेशों के अंदर जितने वेयरहाउसिंग कारपोरेशन्स बने हुये हैं, उनमें 50 प्रतिशत धन केन्द्र सरकार का है और 50 प्रतिशत सदस्य केन्द्र द्वारा नामिनेट किये जाते हैं लेकिन सैंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन्स को सदस्य नामिनेट करने की मनाही है लेकिन इस विधेयक में संशोधन के द्वारा उसे दूर कर रहे हैं। जब 50 प्रतिशत इंटरैस्ट वहां का है तो उनके अधिकारियों को नामिनेशन का अधिकार होना चाहिये।

चौथा, राज्य के जितने निगम हैं, उन पर यह बाध्यता है कि यदि सैक्शन 22, 24 के अंतर्गत अपने चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को नियुक्त करेंगे तो केन्द्र से उसकी पूर्व परमिशन लेनी होगी, उसे हम इस संशोधन के द्वारा समाप्त कर रहे हैं। डी.-सैंट्रलाइजेशन आटोनोमी देने के लिये उन्हें केवल सूचना दें।

[श्री शांता कुमार]

अध्यक्ष महोदय, श्री राधाकृष्णन जी, ने एक मामला यह उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है जिसमें उसने केन्द्र सरकार को यह निर्देश दिया है कि वे बहुत जल्दी ही राज्यों में राशन की दुकानें खोलें। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि इस प्रकार का कोई निर्देश भारत सरकार को नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, यहां इस बात का उल्लेख किया गया कि अनाज को समुद्र में फेंका जा रहा है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि इस समय हमारे पास 512 लाख टन अनाज रखने की कैपेसिटी है जबकि हम 616 लाख टन अनाज रख रहे हैं। यह कहा जाना कि सारा अनाज सड़ रहा है, यह बात बिल्कुल गलत है। जो गेहूं 2-3 साल पुराना सड़ा हुआ होता है, उसे निकाल दिया जाता है। जहां तक फीड केटेगरी अनाज की बात कही गई है, वह हमने सूखाग्रस्त प्रदेश में बिलकुल मुफ्त देने की बात की है। बहुत सा उठ गया है और बाकी उठाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, यहां इस बात को कहा गया कि इसमें लाभ कम हुआ। पहले इसका लाभ 84 करोड़ रुपये था, वह धीरे-धीरे कम हुआ लेकिन इसका मुख्य कारण यह था कि जब उदारीकरण और वैश्वीकरण की बात आई तो इसकी मोनोपोली खत्म करने के लिए उसमें प्राइवेट और पब्लिक सैक्टर आये। इस बीच में एक स्थिति ऐसी आई कि हमारा लाभ कम हुआ और अब यह कारपोरेशन लाभ में आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष इसका लाभ 73 करोड़ रुपया होना वाला है। मेरा इतना ही कहना है कि यह मिनी रत्न कारपोरेशन है और बढ़िया काम कर रहा है। इसका यूटिलाइजेशन 90 प्रतिशत के लगभग है।

अध्यक्ष महोदय, हम इन्हीं चार बातों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और सदन से निवदेन करूंगा कि इन संशोधनों को पास करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 से 6 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.51 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

भारतीय विश्व मामले परिषद विधेयक को स्थायी समिति को भेजे जाने के प्रश्न के बारे में

अध्यक्ष महोदय: जब इस सभा द्वारा भारतीय विश्व मामले परिषद विधेयक, 2001 को विचारार्थ लिया गया तो माननीय सदस्य श्री शिवराज वि. पाटील ने व्यवस्था के प्रश्न पर बोलते हुए तीन मुद्दे उठाए:

(एक) उन्होंने कहा कि अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति अलोकतांत्रिक है। यद्यपि मैं सहमत हूं कि सरकार की, जहां तक संभव हो, अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति का यदा-कदा ही इस्तेमाल करना चाहिए। फिर भी ऐसी परिस्थितियों से इंकार नहीं किया जा सकता है जिसमें सरकार को अध्यादेश प्रख्यापित करने की आवश्यकता पड़ सकती है।

(दो) श्री पाटील ने कहा, क्या ऐसे विधेयक जिसे वापस ले लिया गया हो, को पुन: पेश किया जा सकता है? वर्तमान मामले में वापस लेना जरूरी हो गया था। इस विषय पर तीन अध्यादेश जारी किए गए हैं। जैसाकि हम सभी को ज्ञात है, पहला अध्यादेश- जिसने विधेयक का स्थान लिया, लोक सभा में पारित किया गया था, परंतु यह राज्य सभा में पारित नहीं हो सका। इसके

परिणामस्वरूप, पहला अध्यादेश व्यपगत हो गया। प्रथम अध्यादेश के उपबंधों को नियमित रूप से प्रभावी करने के लिए दूसरे और तीसरे अध्यादेश प्रख्यापित किए गए। जब तीसरे अध्यादेश के स्थान पर विधेयक पेश किया गया, तो असमंजस की स्थिति से बचने के लिए उसी शीर्षक के पिछले विधेयक को वापस लिए जाने के कारण नया विधेयक पुर:स्थापित करना जरूरी हो गया।

(तीन) उन्होंने कहा कि नियम 331ङ (1) (ख) के अंतर्गत लगभग सभी विधेयकों को पीठासीन अधिकारी द्वारा स्थाई समितियों को सौंपा जाता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि लगभग सभी विधेयकों को पुर:स्थापित किए जाने के बाद इन्हें स्थाई समितियों को सौंपे जाने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें दो अपवाद हैं। पहला, तकनीकी स्वरूप के विधेयकों, जिसका उल्लेख श्री पाटील ने स्वयं किया, को स्थाई समितियों को सौंपे जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, अध्यादेशों का स्थान लेने वाले विधेयकों को सामान्यतया, विभागों से संबंधित स्थाई समितियों को नहीं सौंपा जाता है, चूंकि इन विधेयकों को संविधान के अनुच्छेद 123 की शर्तों के अनुरूप संसद के पुन: समवेत होने से छ: सप्ताह की अवधि समाप्त होने से पूर्व अधिनियमित किया जाना होता है।

चूंकि सभा के समक्ष प्रस्तुत विधेयक, इस सभा द्वारा पहले ही पारित विधेयक के लगभग समरूप हैं और चूंकि इस विधेयक को 3 सितम्बर, 2001 तक अधिनियमित किए जाने की आवश्यकता है, मैं इसे स्थाई समिति को सौंपने का इच्छुक नहीं हूं।"

अपराह्न 4.53 बजे

सरकारी विधेयक-पारित *(जारी)*

(पांच) निरसन और संशोधन विधेयक

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मद सं. 13 - 'निरसन और संशोधन विधेयक, 2001' पर विचार करेगी।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने और कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन करने वाले विधेयक, राज्यसभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए।

इस विधेयक में विधिसंग्रह में दर्ज 357 विभिन्न विधानों के निरसन की मांग की गई है। ऐसा पता लगाने के लिए बार-बार किया जाता है कि कौन से कानून पुराने और अनावश्यक हो गए हैं और अनेक परिस्थितियों में आवश्यक न होने पर भी यह अभी भी विधिसंग्रह में दर्ज हैं। 357 विधेयकों के इस संकलन में दो प्रकार के विधान है। एक में बड़ी संख्या संशोधन कानून है। मूल विधान का संशोधन करने हेतु जब एक बार संशोधन कानून पारित हो जाता है तो संशोधन उस विधेयक में शामिल हो जाता है और मूल विधेयक का अंग बन जाता है। जब एक बार वह मूल विधेयक का अंग बन जाता है तो संशोधन कानून की विधिसंग्रह में आवश्यकता नहीं रहती है। सामान्य खण्ड अधिनियम की धारा 6क में अपेक्षा की गई है "यदि निरसन मूल विधान को किसी तरह से प्रभावित नहीं करता है....।" सरकार यह पता लगाने कि इन विधानों की अब विधिसंग्रह में आवश्यकता नहीं है, के लिए नियिमत रूप से यह कार्य करती है।

दूसरी श्रेणी में ऐसे अनेक विधान है जिनकी समयावधि विधान के कारण ही सीमित है। यह विधेयक सीमित अवधि का था। यह अवधि समाप्त हो चुकी है। विधेयक व्यपगत हो गया है। अब यह प्रभावी नहीं है। लेकिन जब तक इसका स्पष्ट रूप से निरसन नहीं किया जाता है। तब तक इसे विधिसंग्रह से निकाला नहीं जा सकता है। इससे संबंधित 357 कानून है।

हम मुद्रण संबंधी या अन्य कारणों से अधिनियमों के भाग के रूप में आई गलतियों के संबंध में समय-समय पर कार्यवाही करते रहते हैं। दूसरी अनुसूची में दो अलग कानून हैं- एक का संबंध भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से है और दूसरे का सम्बन्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता से है। इन अनुसूचियों में कुछ गलतियां रह गई जो इन विधानों के कार्यान्वयन के दौरान ये इस प्रकार से सामने आई कि इन्हें नोटिस किया गया और दूसरी अनुसूची में संशोधन करके उन्हें ठीक करने की मांग की जा रही है।

महोदय, विभागीय स्थायी समिति प्रत्येक निरसन अथवा संशोधन किए जाने वाले विधान पर विचार कर चुकी हैं और उसने इनके निरसन अथवा संशोधन संबंधी प्रस्ताव का समर्थन किया है। मैं इस सम्माननीय सभा से यह प्रस्ताव करता हूं कि वह सभा में यथा-प्रस्तुत विधेयक को पारित करे।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने और कतिपय अन्य अधिनियमितियों का संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): अध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे थोड़ा वक्त दें। इस विधेयक का उद्देश्य एक ही बार में लगभग 367 विभिन्न अधिनियमितियों का संपूर्ण अथवा आंशिक रूप से निरसन करना है। माननीय मंत्री ने हमें जानकारी दी है और इनके निरसन की वजह यह बताई है कि ये अधिनियमितियां बहुत पुरानी हो चुकी हैं। अब सभा को स्मरण होगा कि प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा करने के लिए जैन आयोग के नाम से एक आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने 315 संशोधन अधिनियमितियों के निरसन की सिफारिश की थी। वर्तमान विधेयक में प्रशासनिक विधि आयोग की समीक्षा अथवा जैन आयोग द्वारा अनुसंशित कोई भी अधिनियमितियां शामिल नहीं की गयी हैं।

एक ओर हमारे पास जैन आयोग की रिपोर्ट है जिसमें यह नहीं दिया गया है कि इन 367 अधिनियमितियां को निरसन की आवश्यकता है और दूसरी ओर, सरकार इन 367 अधिनियमितियां में संशोधन करने वाला विधेयक लेकर आई है। जैन आयोग ने इनमें से एक भी अधिनियम के निरसन की अनुशंसा नहीं की है। अत: यह अजीब स्थिति हमारे सामने उत्पन्न हो गई है। मेरे विचार में इस सभा को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जैन आयोग ने इनमें से किसी भी अधिनियम को अपनी रिपोर्ट में निरसन हेतु शामिल क्यों नहीं किया।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि ऐसे कानून भी है, जिन्हें न्यायालय ने रद्द कर दिया है परन्तु उन्हें इस विधेयक में शामिल नहीं किया गया है। न्यायालय ने ऐसे अनेक कानून रद्द किए हैं। अब वे बेमानी हो गए हैं। उन्हें लागू नहीं किया जा सकता। इस विधेयक संबंधी स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस विशेष तथ्य का खुलासा किया है। कोई भी यह जानना चाहेगा कि न्यायालयों द्वारा रद्द किए गए कानूनों को इस विशेष विधेयक में शामिल क्यों नहीं किया गया। सदस्य यह भी जानना चाहेंगे कि ऐसे कितने विधेयक है जिन्हें न्यायालय ने रद्द कर दिया है और अभी तक उनका निरसन नहीं दिया गया है और उन्हें वर्तमान विधेयक में शामिल क्यों नहीं किया गया।

अपराह्न 5.00 बजे

महोदय, मेरा एक सुझाव है। माननीय मंत्री ने बताया है कि यह नियमित दिनचर्या का भाग है और इसी दिनचर्या के अनुसरण में संविधि पुस्तक से पुराने कानूनों को हटाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। उदाहरण के लिए, कुछ संशोधनकारी अधिनियम हैं, जिन्हें मूल अधिनियमों में शामिल किया जा चुका है। उन्हें पूर्णरूप से निरसन किए जाने की आवश्यकता है। दूसरे, कुछ अधिनियम ऐसे हैं, जो अस्थायी प्रकृति के हैं। उन्हें नवीनीकृत किया जा सकता है परंतु अंतत: वे व्यपगत हो जाते हैं। तीसरे, कुछ ऐसे अधिनियम होते हैं जिनका विशेष उद्देश्य होता है और उस विशेष उद्देश्य के पूरा होने पर वह अधिनियम निरर्थक हो जाता है। अब उन्हें हटाना पड़ेगा।

मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वह एक ऐसा अधिनियम लायें जिसमें यह व्यवस्था हो कि संशोधन करने वाला कोई भी अधिनियम मूल अधिनियम में शामिल हो जाने के उपरांत स्वत: ही समाप्त माना जाये। इस सभा को मूल अधिनियमों में समाहित कर लिए गए ऐसे संशोधन करने वाले अधिनियमों के निरसन संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया को दोहराने की आवश्यकता नहीं है जो पहले ही अपनी अलग पहचान खो चुके हैं और आगे उनकी आवश्यकता नहीं है। एक स्थायी उपाय के रूप में स्थायी विधेयक पारित किया जा सकता है और हमारे पास यह कहने के लिए एक स्थायी अधिनियम होगा कि कम से कम इन तीन श्रेणियों के अंतर्गत जिनका मैंने उल्लेख किया है, स्थायी उपाय के अनुसार कानून रद्द करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अत:, महोदय, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसी विधायी कानूनों के लिए इस सभा में आये बिना और इस व्यापक प्रक्रिया के बिना ही उन्हें रद्द करने के लिए कोई स्थायी अधिनियम होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इसमें विभिन्न प्रश्न शामिल हैं। आपने माननीय सदस्य श्री शिवराज पाटील द्वारा उठाये गए व्यवस्था संबंधी प्रश्नों पर पूर्व विधेयक के सम्बन्ध में अभी-अभी विनिर्णय दिया है परंतु इस मामले में भी बहुत से प्रश्न उठाए गए हैं यद्यपि हो सकता है कि उन्हें व्यवस्था के प्रश्न के रूप में न उठाया गया हो। तथापि संसदीय लोकतंत्र के प्रत्येक विद्यार्थी को इस विशेष स्थिति पर विचार करना चाहिए। स्थायी समिति ने इस विधेयक पर अपनी रिपोर्ट में इस स्थिति पर प्रकाश डाला है। प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार के निरसन हेतु लाये गए विधेयक यह मंत्रीमंडल की अनुमति को आवश्यकता नहीं हैं। संभवत: विधि-मामले विभाग के अनुसार इस पर मंत्रीमंडल की अनुमति अपेक्षित है। स्थायी समिति ने इस विशेष प्रश्न पर प्रकाश डाला है क्योंकि विधि-विभाग, जिसके पास विधायी विभाग ने यह विधेयक टिप्पणी हेतु भेजा है ने यह परामर्श दिया था कि वे केबिनेट के लिए तैयार मसौदा टिप्पण से सहमत है। महोदय, विधायी विभाग का कथन है कि मंत्रीमंडल की सहमति की आवश्यकता नहीं है, विधि मामले विभाग का कथन है कि इस विशेष विधेयक पर मंत्रीमंडल की स्वीकृति चाहिए।

स्थायी समिति का कथन है कि इस विषय पर उसका मत स्पष्ट नहीं है। फिर हमारी क्या स्थिति है? हम आगे किस प्रकार कार्य करेंगे? ऐसा लगता है कि मंत्रीमंडल के अनुमोदन के मामले में काफी मतभेद है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, मैंने तो मुश्किल से अभी शुरूआत की है कि और इस विधेयक संबंधी कई अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।

अध्यक्ष महोदय: इस विधेयक के लिए केवल 30 मिनट आवंटित किए गए हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला: मुझे इस बात का खेद है कि माननीय मंत्री ने यह विधेयक तैयार करते समय स्थायी समिति द्वारा उठाये गए किसी भी प्रश्न का उत्तर न देने की भूल की है। स्थायी समिति ने अनेक महत्वपूर्ण बातों पर बल देते हुए कहा था कि मंत्री महोदय द्वारा इस विधेयक के बनाने के समय यह मामला स्पष्ट किया जाना चाहिए और ऐसा प्रतीत होता है लेकिन फिर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इस पर सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है और सदस्य यह चाहते हैं कि इस स्थिति का समाधान हो।

महोदय, स्थायी समिति ने इस विधेयक संबंधी अपने छिहत्तरहवें प्रतिवेदन में कुछेक प्रश्न उठाये थे कि ऐसे विधेयक भी है, जिन्हें कभी लागू नहीं किया गया। अब उनका निरसन किया जा रहा है। उनको कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया, यह प्रश्न पूछा गया था। विधायी विभाग ने केवल यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि यह स्पष्ट करना उनका नहीं संबद्ध मंत्रालय का काम है। तत्पश्चात् स्थायी समिति ने बताया कि ऐसा काम उचित नहीं है। स्थायी समिति संतुष्ट नहीं थी। स्थायी समिति चाहती थी कि विधेयक के बनने के समय मंत्री महोदय इस बात का ध्यान रखें और इन प्रश्नों का चाहें वे जो भी हों, कोई उल्लेख नहीं किया गया है। आश्चर्य की बात यह है कि क्या सरकार इन स्थायी समितियों की भावनाओं और टिप्पणियों पर कभी ध्यान देती है। स्थायी समिति ने कहा था कि क्रियान्वित न किए गए उन प्रावधानों को जिन्हें अब रद्द किए जाने की मांग की जा रही है, के संबंध में मंत्री महोदय को यह कहकर हाथ झाड़ने के बजाय कि यह मामला संबंध मंत्रालय का है, विधेयक तैयार करते समय स्पष्टीकरण देना चाहिए।

मैं प्रथम अनुसूची की मद सं. 42 का उल्लेख करना चाहता हूं जो पूजा स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 के सम्बन्ध में है। यह संपूर्ण अधिनियम नहीं, बल्कि धारा 8 का निरसन करता है। हम सभी जानते हैं कि इसी अधिनियम के कारण 15 अगस्त, 1947 से मौजूद पूजा स्थलों के धार्मिक स्वरूप को अक्षुण्ण रखा जाता है और भविष्य में भी ऐसा होगा। पुनश्च, धारा 6 (1) और (2) में यह व्यवस्था है कि "जो कोई यह अपवाद करता है अथवा करने का प्रयास करता है अथवा इस दिशा में कार्य करता है, तो यह अपराध दण्डनीय है।" धारा 8, जिसे आज निरस्त किया जा रहा है क्योंकि इसे मूल अधिनियम में शामिल किया है, यह कहा गया है, "इस अपराध के दोषी व्यक्ति को विधान सभा अथवा संसद के लिए होने वाले चुनावों के लिए भी निरर्ह माना जाता है।" यह अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है। परंतु इतने वर्षों में हमने यह पाया है कि इस विधेयक के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। एक धार्मिक स्थान को दूसरे संप्रदाय के धार्मिक स्थान में परिवर्तित करने के लिए कई बार प्रयास किए गए हैं। इस अवसर पर मैं उनका ब्यौरा नहीं दूंगा।

महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि इन उपबंधों को लागू करने और यह अपराध करने का प्रयास करने वाले या इस दिशा में कार्य करने वालों को दंडित करने के लिए क्या किया जा रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धारा 8 को अधिनियम में शामिल कर लिए जाने के कारण अब इसे निरसित किया जा रहा है, लागू ही नहीं हुआ और इस कारण लोग हर समय इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाना और उन्हें कोई सजा नहीं दी जाती। अतः, इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर जैसा कि स्थायी समिति को बताया गया है, सरकार को यह नहीं कहना चाहिए कि निरसन का दायित्व स्पष्टीकरण देने का दायित्व गृह मंत्रालय का है।

[अनुवाद]

महोदय, आपकी व्यग्रता का सम्मान करते हुए, मैं अपनी आखिरी बात कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला, आप 16 मिनट ले चुके हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, मैं न केवल वास्तविक मुद्दे उठा रहा हूं बल्कि ठोस सुझाव भी दे रहा हूं।

महोदय, अन्य संशोधनकारी अधिनियम जिन्हें आज निरस्त किया जा रहा है वह बदनाम टाडा से संबंधित है। टाडा के अनेक संशोधनकारी अधिनियमों को निरस्त किया जा रहा है। सरकार शायद इसे भी निरस्त कर दें। मैं इस पर कोई आपत्ति नहीं उठा रहा हूं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि इस तथ्य के बावजूद कि मूल टाडा कानून मई, 1995 को व्यपगत हो गया परंतु इस अधिनियम के अंतर्गत बड़ी संख्या में कानूनी मुकदमें अभी भी चल रहे है। अब, इस मूल अधिनियम को व्यपगत क्यों होने दिया गया। इसे इसलिए व्यपगत होने दिया गया क्योंकि इस अधिनियम का बड़े पैमाने पर दुरूपयोग किया जा रहा था। जिसके परिणामस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में लोगों को असीमित यातना झेलनी पड़ रही थी। इस अधिनियम के दुरूपयोग के कारण ही इसे इसके निरसन

[श्री जी.एम. बनातवाला]

की मांग उठी। इसलिए, इस अधिनियम के निरसन के साथ ही, उन कानूनी कार्यवाहियों को भी समाप्त हो जाना चाहिए। मैं धारा 1 की उपधारा 4 के क्रियान्वयन को समझ सकता हूं। इसी के कारण, कानूनी कार्यवाहियां जारी है। परंतु सरकार की इसलिए एक विधेयक लाने की आवश्यकता है कि इस अधिनियम के निरस्त होते ही, इस अधिनियम के अंतर्गत चलने वाले मुकदमें भी समाप्त हो जाएंगे क्योंकि इस अधिनियम के दुरूपयोग किए जाने के कारण लगाए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति को दोषी समझा जाता है तो इस पर इस देश के सामान्य कानून के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है। सरकार उन व्यक्तियों पर देश के सामान्य कानून के अंतर्गत कार्यवाही कर सकती है बजाय इसके इन लोगों पर अलोकतांत्रिक, अलोकप्रिय और दमनकारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाए।

महोदय, मुझे आशा है कि इन मामलों पर सरकार ध्यान देगी। 'टाडा' के अंतर्गत कानूनी कार्यवाहियां अभी तक कई वर्षों से चल रही हैं और इसका अंत होता नहीं दिख रहा है। इसलिए, मैं यह निवेदन करता हूं कि 'टाडा' के अंतर्गत चल रही कानूनी कार्यवाहियों को भी समाप्त होने दीजिए। यदि कोई दोषी है तो उस पर देश के सामान्य कानून के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, माननीय कानून मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है और प्रस्तुतीकरण में जो इन्होंने सदन को अन्धकार में, धोखाधड़ी में रखने का काम किया है, मैं साफ कर देना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा): यह क्या शब्द है? शुरूआत ही धोखाधड़ी शब्द से कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* सभापति जी भी हैं, उसके बावजूद भी ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: माननीय विद्वान सदस्य बनातवाला जी ने जो जिक्र किया है,...*(व्यवधान)*

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): यह तो पीठासीन पदाधिकारियों की भी क्लास ले लें।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: इसका मतलब है, क्या क, ख, ग से शुरू करेंगे...*(व्यवधान)*

अभी जैसा माननीय सदस्य, बनातवाला जी, ने जिक्र किया कि 1998 में जैन आयोग बैठा था और उसने कहा है कि देश भर में 25,000 कानून हैं, जिसमें से प्रति राज्य 700-800 कानून हैं और केन्द्र के 2500 कानून हैं। इन कानूनों में से 1324 कानूनों को निरस्त करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अभी रेलवे के दो कानूनों को निरस्त किया गया और एक कानून गन्ना उपकर निरसन विधेयक अलग से निरस्त किया गया है। एक विभाग के दो कानून और एक विभाग के एक कानून को अभी निरस्त किया गया है। कानून मंत्री बतायें कि 397 कानून किस-किस विभाग के हैं? एक साथ कह रहे हैं कि कानूनों का निरसन करना है, इसलिए इनको पास करिए। एक तरफ कह रहे हैं कि निरसन भी करिए, और दूसरी तरफ तीन-चार कानूनों में संशोधन ले आए हैं। अभी तो कानून में दो शब्दों का भी संशोधन करना होता है, तो विभाग के लोग संशोधन करने के लिए यहां उपस्थित होते हैं। कानून मंत्री स्पष्ट करें, इस अंधकार को दूर करें और बतायें, क्या कारण है कि एक ही विधेयक में संशोधन भी लाए हैं और निरसन का भी एक ही विधेयक में लाए हैं। एक कानून नहीं, तीन कानून निरस्त किए हैं। एक कानून फूड से संबंधित और दो रेलवे के कानून अलग-अलग लाए हैं। मंत्री जी बतायें कि क्यों खारिज होना चाहिए? अन्य 397 कानूनों के बारे में कहते हैं कि एक ही कलम से इनको खारिज करिए। धोखाधड़ी, जो मैंने कहा, उसके बारे में बता रहा हूं।...*(व्यवधान)* पृष्ठ-6 पर एक कानून का जिक्र है, आवश्यक वस्तु विशेष उपबन्ध अधिनियम, 87, यह कानून ब्लैक मार्केटिंग से संबंधित है। इस कानून को क्यों खत्म करने जा रहे हैं?...*(व्यवधान)* मैं सभी कानूनों के बारे में पढ़ कर बताता हूं। अनेक विभागों के 397 कानून हैं। सदन में अलग-अलग विभागों के कानून निरस्त करने के लिए आए और सदन में उन पर बहस हुई। इसी प्रकार पृष्ठ-2 पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1985 में संशोधन और दंड प्रक्रिया में भी संशोधन इसी में लाए हैं। धारा 377 में भी संशोधन इसी में लाए हैं। उद्देश्य बताकर कानून में संशोधन लाए हैं। लेकिन एक ही में संशोधन और एक ही में निरसन, अनेक विभागों के कानून और आयोग ने भी इसका जिक्र नहीं किया है। क्या आयोग ने आपको सभी कानूनों के बारे में सुझाव दिया है, लिखा-पढ़ी की है कि सभी को खत्म करिए। इस तरह से जब अक्षर-अक्षर पर विचार होता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम उपबन्ध, 87, जो ब्लैक मार्केटियरिंग, प्राफिटियरिंग से संबंधित है, इस एसेंशियल कमोडिटीज कानून को भी खत्म कर दिया है, लेकिन इसके प्रास एंड कान्स क्या होंगे, उनका कोई वर्णन नहीं किया है। सभी के लिए एक ही कलम से कह रहे हैं कि इनके खत्म करिए। सदन में बात को स्पष्ट करिए, नहीं तो यह बहुत ही खतरनाक बात होगी। 1324 कानूनों में ऐसे कितने कानून हैं, इस बारे में स्थिति स्पष्ट करिए। ब्रीफ लेकर सदन में उपस्थित हो जाते हैं और उस दिन वित्त मंत्री जी तरफ से उपस्थित हुए, उनका केस खराब हो गया। आज अपने केस को लेकर उपस्थित हुए हैं। सदन में बिल से संबंधित ब्रीफ लेकर उपस्थिति हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि कानून मंत्री स्थिति को स्पष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री अरूण जेटली: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने चर्चा के दौरान दो तीन प्रश्न उठाए हैं। एक मामला यह है कि सरकार ने श्री पी.सी. जैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी जिसने 1,324 के लगभग कानूनों को निरस्त करने की सिफारिश की थी। स्पष्टत: यह कार्य उन मूल कानूनों से संबंधित है जो अनावश्यक या अप्रचलित हो गये हैं सरकार द्वारा इस तरह प्रक्रिया अपनाई जा रही है। बड़ी संख्या में उन विधानों के संबंध में प्रशासनिक विभागों की टिप्पणियां और कतिपय मामलों में राज्य सरकारों की टिप्पणियां भी ली जाती है। तत्पश्चात् सरकार द्वारा एक राय कायम की जाती है कि ये कानून वास्तव में निरर्थक हो गए हैं और उसके बाद इन्हें एक-एक करके प्रत्येक कानून को इस माननीय सभा के समक्ष लाया जाता है।

यह प्रक्रिया पूर्णत: स्वतंत्र रूप से होती है। माननीय सदस्यों ने ठीक ही कहा कि पी.सी. जैन समिति की सिफारिश के बाद से ही विधायी विभाग समय-समय पर यह प्रक्रिया अपनाता है। विगत में यह प्रक्रिया 11 बार अपनाई जा चुकी है। पिछली बार इसे 1988 में अपनाया गया जिसमें विधायी विभाग ने सभी कानूनों की पुनरीक्षा की है और इस प्रकार सांविधिक उपबंधों के कारण जो भी कानून अप्रासंगिक समझा जाता है उनके निरसन की मांग की जाती है। इस दौरान यदि ऐसे कुछ कानूनों में, जिन्हें प्रक्रियागत कारणों के आधार पर जारी रखना होता है तो इन छोटी-मोटी त्रुटियों को सुधार लिया जाएगा। सच तो यह है कि पहला निरसन और संशोधनकारी अधिनियम, जो एक निरन्तर प्रक्रिया है, 1949 को तत्कालीन डोमिनियम विधानमंडल के समक्ष लाया गया था और उसके बाद 1950, 1952, 1953, 1957, 1960, 1964, 1974, 1978 और 1988 के दौरान ऐसे अधिनियम लाया गया। प्रत्येक मामले में अपनाई गयी परम्परा और प्रक्रिया इस मामले में भी अपनाई गई है। इसे विधायी विभाग द्वारा लाया गया है और निरसनकारी और संशोधन अधिनियम के ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें एक अपमार्जन की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के दौरान आने वाली किसी भी मामूली खामी में सुधार करने की भी प्रक्रिया होती है।

इसलिए यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूर्णत: स्वतंत्र है। इस प्रकार की अन्तिम प्रक्रिया 1988 में अपनाई गयी थी और पिछले 13 सालों से यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गयी है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने पूछा: "आप यह कार्य एक शीर्ष के अधीन क्यों ला रहे हैं?" यह सभी मौकों पर एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और उसी के अनुरूप यह निरसन की प्रक्रिया सामान्य खण्ड अधिनियम की धारा 6अ के प्रावधानों के प्रचालनों के आधार पर अपनाई जाती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम को निरस्त नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

उस एक्ट को समाप्त नहीं किया जा रहा है, वह एक्ट ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ रहेगा। इस एक्ट के तहत जो संशोधन किया गया था वह संशोधन पुराने कानून का एक अंग बन गया है और जो संशोधन का कानून था। वह डुप्लीकेशन है, वह कानून की किताब पर चला आ रहा है। उसकी आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

मूल अधिनियम को इसमें समाविष्ट किया गया है। यह मूल अधिनियम का एक भाग है। यह वही रहेगा। यह केवल संशोधनकारी अधिनियम है जो अब धारा 6क के कारण अनावश्यक हो गया है। इन्हीं विधानों को निरस्त किये जाने की मांग की गई है।

जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है कि हम उन अधिनियमों का क्या करते हैं जिन्हें न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। यह वह स्वतंत्र प्रक्रिया है जो निरसनकारी और संशोधन अधिनियम से अलग है। यह चलती रहती है। तत्पश्चात् यह मामला विधान मंडल के पास आता है। वह न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को मान लेता है, निरस्त विधान को कानून की पुस्तक से हटा दिया जाता है और यदि इसके बदले किसी विकल्प का प्रस्ताव किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस वैकल्पिक विधान को स्वीकार कर लिया जाता है।

जहां तक इन 357 कानूनों के कार्यान्वयन के ब्यौरे का प्रश्न है, मेरे पास कारणों सहित परिपूर्ण सूची है। यदि कोई माननीय सदस्य यह सूची देखना चाहता है- इसे स्थायी समिति को भी दिया गया था - तो यह आज भी मेरे पास है।

अब, कतिपय विशिष्ट प्रावधानों के संबंध में यहां दो व्याख्याएं दी गई हैं। उपासना स्थल अधिनियम 1991 की धारा 8 को लें। यह सिर्फ संशोधनकारी अधिनियम है जिसे निरस्त करने की मांग की गई है। मूल धारा 8 यथावत रहेगी। जब तक धारा 8 मूल अधिनियम भाग बनी रहेगी, यह कानून कार्यान्वयन एजेन्सी का कार्य है कि वह इस अधिनियम को लागू करें।

महोदय, ' टाडा' के संबंध में भी एक बात कही गई थी कि 'टाडा' एक समयबद्ध विधान था जो उसके समय के समाप्ति के आधार पर व्यपगत हो गया परंतु यह कानून की पुस्तक में अभी भी है। इस विशेष मामले में हम इसे कानून की पुस्तक से हटा रहे हैं। इस प्रश्न पर कि 'टाडा' के अंतर्गत दायर मामलों का क्या

[श्री अरूण जेटली]

होगा, इनमें 'टाडा' के उपबन्धों के अंतर्गत और साथ ही सामान्य खण्ड अधिनियम के उपबन्धों के अंतर्गत कार्यवाही चलेगी।

इसमें यह व्यवस्था है कि सभी अधिनियम या मामले जो विशेष विधान के अंतर्गत अधिनियम के व्यपगत होने की तारीख से पहले लाए जाते है, जारी रहेंगे। वह अधिनियम के निरस्त होने के कारण व्यपगत नहीं होंगे। यह अलग विधान है। जिसका इस विशेष विधान से कुछ लेना देना नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, हाल ही में माननीय गृह मंत्री को उनके दल के सदस्यों ने बताया कि कर्फ्यू के समय, यदि उनके पास 'टाडा' जैसा कोई अधिनियम होता तो वे स्थिति को अच्छी तरह संभाल सकते थे। अब आप यह कह रहे हैं कि इस अधिनियम की कोई प्रासांगिकता नहीं है और आप स्थिति को अच्छी तरह संभाल सकते हैं।

श्री अरूण जेटली: जी नहीं महोदय। मैं ऐसा प्रश्न नहीं कर रहा हूं मैं एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं मान रहा हूं और उन्हें ऐसा समझने का कोई कारण नहीं है। मैं यही कह रहा हूं कि 'टाडा' ऐसा अधिनियम था जिसे एक विशेष समय के लिए लाया गया था और चूंकि वह समय बीत गया है इसलिए तकनीकी कारणों से उसे कानून के पुस्तक के बाहर जाना ही था। इस कानून की या अन्य कानून की आवश्यकता है या नहीं इस पर पूर्णत: स्वतंत्र चर्चा जैसी कि आज हुई है की जा सकती है।

श्री जी.एम. बनातवाला: यह इतनी सामान्य सी बात नहीं है क्योंकि इस अधिनियम के बड़े पैमाने पर दुरूपयोग संबंधी अनेक शिकायतों के कारण इसे व्यपगत होने दिया गया। मंत्री जी को इस मुद्दे का उत्तर देना चाहिए और उन्हें इस संबंध में यथार्थवादी होना चाहिए।

श्री अरूण जेटली: जब इस प्रकार के कानून पर कोई चर्चा होगी तो हम अवश्य इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज की चर्चा केवल इसी प्रश्न पर सीमित है कि चूंकि यह अधिनियम व्यपगत हो गया है इसे कानून की पुस्तक में रखा जाए या वहां से हटा दिया जाए। यह कार्य जैसा कि मैंने ठीक ही कहा कि यह एक अपमार्जन प्रक्रिया है और यही यहां अपनाई गई हैं। मैं इस सम्माननीय सभा के समक्ष प्रस्ताव करता हूं कि इस प्रस्तुत विधेयक को सभा अपनी सहमति प्रदान की जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने और कतिपय अन्य अधिनियमितियों का संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: यह सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गये।

पहली अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री अरूण जेटली: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): धन्यवाद महोदय, मैं केवल दो मुद्दे उठाना चाहता हूं। एक मुद्दा यह है कि बहुत सारे विधेयकों को निरस्त करने का या कानून की पुस्तक से हटाने का प्रयास किया गया है। यदि हम 357 विधेयक पर कानून की पुस्तक से हटाने पर विचार करते हैं तो यह संख्या बहुत अधिक है। माननीय मंत्री ने ठीक कहा है कि ये तकनीकी स्वरूप के हैं और इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम सब इस बात से सहमत है। लेकिन यदि सरकार इस सभा के समक्ष इन विधेयकों को कानून की पुस्तक से हटाने के लिए आई है तो उसे सभा में इस प्रकार नहीं आना चाहिए। इस प्रकार के सर्व संरक्षी विधान से कोई लाभ नहीं होगा। यह पहला मुद्दा है जो मैं उठाना चाहता था।

संभवत: सरकार को इस बात की जल्दी थी कि यह विधेयक 30-35 मिनट में ही पारित हो जाए। यदि हम पूरे विधेयक पर नहीं, तो कम से कम 357 संशोधनों पर तो विचार कर ही रहे हैं। अब 35 मिनट की इस अवधि में, सभा को 357 विधेयकों पर विचार करना है। जब हम किसी विधि का निर्माण करते हैं तो हम, दायित्वों अधिकारों और कर्त्तव्यों का सृजन भी करते हैं। कभी-कभी, जन साधारण की कतिपय अधिकार दिए जाते हैं किंतु यदि ऐसे विधेयक विधि संग्रह से ही निकाल दिए जाएं तो वे अधिकार शून्य हो जाएंगें। कभी-कभी सरकार पर कुछ कर्त्तव्यों के

वहन का भार भी डाल दिया जाता है किंतु यदि ऐसा विधेयक विधि संग्रह से निकाल दिया जाए तो सरकार अपने कर्त्तव्य से मुक्त हो जाती है। इसलिए, इस प्रकार के विधान पर 30-35 मिनट के समय में विचार नहीं किया जाना चाहिए।

मैं केवल ये दो बातें ही कहना चाहता था।

श्री अरूण जेटली: मैं, श्री शिवराज पाटील जी के इन सुझावों की प्रशंसा करता हूं। क्या मैं, एक बात स्पष्ट कर सकता हूं? प्रत्येक विधान सभा में पृथक रूप से पुर:स्थापित किया जाता है, प्रत्येक विधान किसी विशेष विषय से संबंधित होता है।

किसी विशेष विषय से संबंधित प्रत्येक विधान के निरसन को भी सभा में पृथक रूप से रखा जाता है। इस माननीय सभा के समक्ष ऐसे उदाहरण हैं जब विधि की तकनीकी आवश्यकताओं के कारण निरसन किया गया। हम विधि द्वारा स्थापित अधिकारों को कम नहीं कर रहे हैं। हम पृथक निरसन विधेयक पारित कर रहे हैं। ये वे विधि हैं जो संशोधन की वजह से मूल विधान का अंग बन गए हैं। संशोधित करने वाला विधान बिना वजह विधिसंग्रह में स्थान लिए हुए हैं। इसलिए, विधि की तकनीकी आवश्यकता की जरूरत यही है कि यह मूल अधिनियम का भाग बनने पर संशोधित करने वाला अधिनियम स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। यही कारण था कि मैंने कहा कि, इस सभा के समक्ष ऐसे ग्यारह उदाहरण हैं जब इसे सभा के समक्ष इस प्रकार से एक साथ लाया गया। जहां तक भविष्य का संबंध है मैं आपके सुझावों को ध्यान में रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.31 बजे

आधे घंटे की चर्चा

लघु उद्योग क्षेत्र में अनारक्षण

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर): अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे आधे घंटे की चर्चा करने के लिए मान्यता दी। देश के सभी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की तरफ से और उसमें काम करने वाले कामगारों की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करता हूं। देश में जो भी प्रोडक्शन होता है, उसमें 40 परसैंट प्रोडक्शन स्माल स्केल इंडस्ट्रीज करती हैं। वहां उच्च क्वालिटी का प्रोडक्शन होता है। एस.एस.आई. यूनिट्स ने एक्सपोर्ट 34 से 35 परसैंट एचीव किया है। खास करके देश में 1.75 से दो करोड़ लोगों को रोजगार स्माल स्केल इंडस्ट्रीज देती हैं।

अपराह्न 5.32 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

स्माल स्केल इंडस्ट्रीज एक महत्वपूर्ण महकमा है। लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम पर और खास तौर पर डब्ल्यू.टी.ओ. के प्रेशर में स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की कुछ इंडस्ट्रीज रिजर्व की गई थी लेकिन उसे अब यह डि-रिजर्व करने जा रहे हैं। देश में पिछले कुछ सालों से हर स्टेट में हजारों-हजार इंडस्ट्रीज जिन्हें इंडस्ट्रियल डेवलपमैंट कारपोरेशन के माध्यम से चलाया जाता है इसके कारण वहां की यूनिट्स बंद होती जा रही हैं, कामगार बेकार हो रहे हैं। आज के हालात में मंत्री महोदय ने 8 अगस्त को मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। उसमें उन्होंने बताया कि खास करके 15 यूनिट्स में से 14 यूनिट्स को डि-रिजर्व किया गया। इस मामले में उन्होंने अपनी सफाई दी। उस दिन हाउस में कम समय होने के कारण मंत्री महोदय इस प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दे पाई लेकिन हमने उस दिन मंत्री महोदय का शुक्रिया अदा किया था। आज भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। कैबिनेट ने आडवाणी जी की अध्यक्षता में जो ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनाई थी उसमें माननीय वित्त मंत्री, इंडस्ट्री एंड कामर्स मिनिस्टर, टैक्सटाइल मिनिस्टर और स्माल स्केल इंडस्ट्री की मिनिस्टर मैडम जी भी थी। डिस्कसशन के समय मैडम ने 14 इंडस्ट्रीज को डि-रिजर्व करने की बात को अपोज किया था। देश में पहले ही लाखों-लाख मजदूर बेकार हो चुके हैं और हजारों इंडस्ट्रीज हर स्टेट में बंद हो चुकी हैं। यह निर्णय देश और जनता के हित में नहीं होगा लेकिन चार कैबिनेट मिनिस्टर्स वर्सिज एक इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर उनको फेस नहीं कर पाई और 14 इंडस्ट्रीज डि-रिजर्व कर दी गई जिसमें खास तौर पर गारमैंट्स, टैक्सटाइल और लैदर से बनी चीजें आती हैं। इन चीजों को मल्टीनैशनल ग्रैप करना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। इतनी बड़ी साजिश इस देश में वे लोग कर रहे हैं।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर हमने उचित समय रहते देश की स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को नहीं बचाया और उन पर कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले समय में देश में ये स्माल स्केल इंडस्ट्रीज खत्म हो जायेंगी। मैं महाराष्ट्र राज्य से आता हूं जहां लाखों मजदूर इन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। ये इंडस्ट्रीज बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट औरिएंटेड मैटीरियल पैदा करती हैं। ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार को कठोर निर्णय लेना चाहिये।

[श्री नरेश पुगलिया]

सभापति जी, जब 1991 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी, नेता विरोधी दल थे और इधर वाली इन बैंचों पर बैठा करते थे, वह तत्कालीन वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह के पास एक डेलीगेशन लेकर गये थे। उनके साथ श्री आडवाणी के अलावा एस.एस. आईज एसोसिएशन के पदाधिकारी भी थे। उस समय श्री वाजपेयी ने साफ तौर पर डा. मनमोहन सिंह से कहा था कि सरकार की इकौनोमिक पालिसी की वजह से देश के लाखों-लाख यूनिट्स बंद हो रहे हैं और कम्पटीशन की हालत में नहीं हैं। लेकिन जब देश के एक वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री बने, उस समय उन्होंने अपनी बात पलट दी। आज कैबिनेट की सब-कमेटी के माध्यम से ग्रुप आफ मिनिस्टर्स के माध्यम से देश की सभी ऐसी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, जो रिजर्व केटेगरी की हैं, को डि-रिजर्व किया जा रहा है।

सभापति महोदय, देश के अंदर के.वी.आई.सी. के अंतर्गत काम करने वाली जितनी खादी इंडस्ट्रीज हैं, उनका राष्ट्रीय महत्व है क्योंकि आजादी की लड़ाई के समय खादी एक राष्ट्रीय मुद्दा रहा है, उस इंडस्ट्री को सरवाइव करने के लिये विदेशी कम्पनी को कंसलटेंट अपाइंट किया गया था। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, यदि हां, तो केन्द्र सरकार खादी इंडस्ट्रीज के लिये कितना फंड देना चाहती है और देश में कितने लोगों को इसके माध्यम से रोजगार उपलब्ध होंगे?

सभापति महोदय, सरकार ने ओपन जनरल लाइसेंस के अंदर 642 आइटम्स डि-रिजर्व किये जाने का बीड़ा उठाया है। आज कोई भी आदमी फ्रीली इम्पोर्ट कर सकता है। ओ.जी.एल. के अंतर्गत चाइना, ताइवान, फिलीपाइन्स जैसे देशों से मंगाकर बड़े पैमाने पर मैनुफैक्चरिंग गुड्स यहां सस्ते दामों पर बेची जा रही हैं। इस कारण हमारे देश के स्माल स्केल यूनिट्स बंद होने जा रहे है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि नेपाल के बार्डर से चीन, ताइवान या दूसरे देशों से जो अवैध रूप से इंडस्ट्रियल गुड्स आ रहे हैं या ओ.जी.एल. के नाम पर इम्पोर्ट कर रहे हैं, उन पर रोक लगाने के लिये या ड्यूटी बढ़ाकर एस.एस.आईज. को बचाने के लिये सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? अगर देश में इन उद्योगों को जिन्दा रखना है तो आपको देखना पड़ेगा कि जिस इंडस्ट्री को हम एम.एन.सीज के कम्पीटीशन में उतार रहे हैं और जो बैंकों या फानेंशियल इंस्टीट्यूशन्स से 5-6 परसेंट इंटरैस्ट पर कर्ज लेकर अपनी मैनुफैक्चरिंग करते हैं, उनसे 16 या 18 परसंट इंटरैस्ट पर बैंक लोन लेकर यहां के एस.एस.आईज. के एंटरप्योनोर्स कैसे कम्पीट कर पायेंगे? उन लोगों को क्या सहूलियतें देना चाहते हैं? आपने अपग्रेडेशन या माडर्नाइजेशन करने के लिये 25 लाख की लिमिट रखी है, क्या उसे बढ़ाना चाहते हैं?

सभापति महोदय, सरकार ने श्री एस.पी. गुप्ता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, क्या उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है, यदि हां, तो उसने स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को प्राफिट में लाने के लिये क्या-क्या सुझाव दिये हैं। उसी तरह से एस.एस.आईज. एसोसिएशन ने अपने विचार सरकार के सामने रखे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहा था कि अगर सरकार ने एस.एस.आईज. को एम.एन. सीज के कम्पीटीशन में उतारना है तो पहले मार्किट के लिये उचित माहौल बनाये, सुविधायें दें और बाद में इन इंडस्ट्रीज को डि-रिजर्व करें। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक कितनी इंडस्ट्रीज रिजर्व रखी गई हैं?

फाइनेन्स मिनिस्टर अपनी स्पीच में कह चुके हैं कि आने वाले समय में हम सौ प्रतिशत डी-रिजर्व करने जा रहे हैं। अगर सौ प्रतिशत डि-रिजर्व होता है तो हमारे देश के स्माल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत तकलीफ में आयेंगे। अगर हमें उन्हें बचाना है तो आपको उनकी मदद करनी होगी।

सभापति महोदय, अब मैं एन्सीलियराइजेशन के बारे में कहना चाहता हूं। मंत्री महोदया हमारे देश में जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं, उनके माध्यम से जो हमारी एन्सीलियरी यूनिट्स हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए क्या केन्द्र सरकार ने कोई योजना बनाई है और इसमें राज्यों में एन्सीलियरी यूनिट्स को जो बड़ी चीजें लगती हैं, वे एन्सीलियरी यूनिट्स से उसी एरिया से खरीदी जाएं, क्या आप इसके लिए कोई कानून बनाने जा रही हैं। मुझे उम्मीद है कि इस विषय पर सदन के सभी माननीय सदस्य चाहे वे किसी भी पार्टी या ग्रुप के हों, सबका एक मत होगा कि भारत में पिछले पचास सालों में हमारे स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को जो मजबूती मिली है, उसे खत्म होने से बचाया जाए। मैं मंत्री महोदया से उम्मीद करता हूं कि आप इसमें कोई ठोस निर्णय लेकर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देंगी।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): सभापति महोदय, विषय अत्यंत गम्भीर है। लघु उद्योगों के संरक्षण के बारे में जो प्रश्न उठाया गया है, उस बारे में मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने कोई ऐसी नीति या योजना तैयार की है जिसके अनुसार वे वस्तुएं जो लघु उद्योगों में बनती हैं, वे बड़े उद्योगों में न बनें और बड़े उद्योगों से उन्हें विभाजित करके रखें। क्या इस प्रकार का कोई प्रस्ताव या योजना सरकार ने बनाई है या नहीं। आज लघु उद्योगों को संरक्षण की जरूरत है।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि लघु उद्योगों को मिलने वाले ऋण में अत्यधिक देरी होती है, जिसके कारण लघु उद्योगों को समय पर पैसा नहीं मिल पाता है और वे कम्पिटीशन में खड़े

नहीं हो पाते हैं। इस प्रतिस्पर्धा को बचाने की दृष्टि से समय पर उन्हें ऋण की सुविधा या अन्यान्य सुविधाएं मिलनी चाहिए और उनका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए। जिस प्रकार से कई राज्यों ने इसके लिए एक खिड़की योजना तैयार की है, क्या आप भी उन राज्यों की तरह से कोई ऐसी योजना तैयार करने का विचार रखती हैं। अन्यथा जैसे बड़ी-बड़ी कम्पनियां आज कम्पिटीशन में खड़ी हो गई हैं और छोटी-छोटी वस्तुएं जैसे सुई, साबुन और खाद्य सामग्री बनाने का काम मल्टीनैशनल कम्पनियां करने लग गई हैं, उसके कारण हमारे छोटे उद्योग अपने आप बंद होते चले जा रहे हैं या बंद होने के कगार पर हैं क्योंकि प्रतिस्पर्धा में वे टिक नहीं सकते। ऐसी स्थिति में इनके संरक्षण की दृष्टि से क्या आप कोई समेकित योजना तैयार करने का विचार रखती हैं, ताकि इन्हें बचाया जा सके और जो लघु उद्योग हमारे देश की आर्थिक उन्नति में सहायक हैं, वे भविष्य में भी इसी प्रकार से हमारी आर्थिक उन्नति में सहयोग देते रहें।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): छोटे उद्योगों की चिन्ता के संदर्भ में आज यह आधे घंटे की चर्चा का प्रस्ताव सदन में लाया गया है। महोदय, एक तरफ एक दृश्य पैदा होता है जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस देश में जितने छोटे उद्योग हैं वे रूग्ण अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन अगर सही रूप से आंकड़ों को देखें तो कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें अपने आपमें एक विरोधाभास है। क्योंकि जब आंकड़ों की तरफ ध्यान जाता है तो उसमें स्पष्ट हो जाता है कि अगर हम लोग कुछ आंकड़ों को देखें तो जो सरकारी आंकड़ें हैं वे सर्वे के आधार पर आये हैं। छोटे उद्योगों में पिछले 1990 से 1999 तक जो बढ़ोत्तरी हुई है और जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ष उसमें उन्नति हो रही है, यह अपने आपमें सराहनीय है। भारत की मूल उत्पादकता में छोटे उद्योगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हम मूलतः इस बात को समझने का प्रयास करें कि जो भी कमियां है उनकी तरफ सरकार का ध्यान केन्द्रित करते हुए हम लोग इस सैक्टर को रूग्ण अवस्था का सैक्टर न मानें तो उचित होगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदया का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि आज की तारीख में प्राइस में टोटल आउटपुट 527 हजार करोड़ रुपये है, यानी 527 हजार करोड़ रुपये की उत्पादकता छोटे उद्योगों के द्वारा की जाती है। हमारे देश में 49 हजार करोड़ रुपए उनके एक्सपोर्ट पर व्यय होता है। यह आंकड़ा खुद दर्शाता है कि आज भारत जैसे बड़े देश में इन छोटे उद्योगों के कितने मायने हैं। मैं कम्पैरेटिव ग्रोथ रेट के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन यह एक और विश्लेषण का विषय बन सकता है कि पूरे भारत में जितना एन.पी.ए. है और जो इंडस्ट्रियल सैक्टर है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप प्रश्न पूछिये।

श्री राजीव प्रताप रूडी: मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूँ।

सभापति महोदय: आप नियम देखिए, पृष्ठभूमि मत बताइए।

श्री राजीव प्रताप रूडी: मैं प्रश्न तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं पृष्ठभूमि बताकर। मेरे दो-तीन प्रश्न हैं। एक भाग का भी उत्तर हो जाए तो पर्याप्त रहेगा।

क्या माननीय मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी उद्योग संबंधित कई मंत्रालयों का संसर्ग इन उद्योगों से हैं? क्या अकेले एस.एस.आई. की जिम्मेदारी है उसकी शक्ति बढ़ाने, उसकी क्रैडिट फैसिलिटीज बढ़ाने की? क्या अकेली जिम्मेदारी यह आपके विभाग की है या अनेक विभाग जो भारतवर्ष में हैं, छोटे उद्योग उन विभागों पर भी निर्भर हैं या उनकी इस संदर्भ में कोई भूमिका है? क्या हमारे पास वैसे बैंकों या फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स को प्रोत्साहन देने का कोई प्रावधान है जो सचमुच में इस क्षेत्र में आगे बढ़कर ऐसे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि हम उनकी क्रैडिट रेटिंग को बेहतर मानें और उनके कार्यकलापों को बेहतर समझें? मैं इस बात पर भी स्पष्टीकरण चाहूंगा कि क्या आवश्यकता है और अगर आवश्यकता है कि डब्ल्यू.टी.ओ. के पश्चात् जहां प्रतिस्पर्द्धा हर स्तर पर उत्पन्न हो रही है, अपनी सरकार की तरफ से इस प्रतिस्पर्द्धा को कायम रखने के लिए, इसे मजबूत बनाने के लिए ताकि छोटे निर्माताओं को, छोटे उद्योग वालों को सफलता प्राप्त हो सके, प्रोत्साहन मिल सके, इसके प्रति सरकार का क्या रुख है?

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक विशेष प्रश्न पूछना चाहूंगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: विशेष अनुमति के तौर पर एक ही प्रश्न पूछिये। वैसे रूल परमिट नहीं करता है।

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: लघु उद्योग के रूप में कतिपय वस्तुओं के उत्पादन के आरक्षण को समाप्त करने से स्थिति और बिगड़ जाएगी क्योंकि गलीचों और खिलौनों का उत्पादन कुटीर उद्योग के रूप में होता है और आंध्र प्रदेश के इलुरू और इटीकोप्पाटा जैसे स्थानों का तो यह घरेलू उद्योग है। देश में हर जगह ऐसी ही स्थिति है। इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। हम बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं। लघु उद्योग के रूप में कतिपय वस्तुओं के उत्पादन के आरक्षण को समाप्त करने से माननीय मंत्री रोजगार सुनिश्चित कैसे करेंगे?

[हिन्दी]

श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे (चिमूर): छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालीन ऋण और कम ब्याज पर ऋण क्या शासन उनको देगा?

[अनुवाद]

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): महोदय, मेरे विचार से माननीय सदस्य, श्री पुगलिया ने सभी प्रश्नों को ध्यान में रखा है क्योंकि अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में उन्होंने लघु उद्योगों से संबंधित प्रत्येक पहलू को शामिल किया है।

मुझे बहुत खुशी है कि इस प्रकार की चर्चा हो रही है क्योंकि इसका संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र से है। इस पर सभी चिंतित हैं। कतिपय वस्तुओं का उत्पादन लघु उद्योगों के लिए आरक्षित न रहने से यह मुद्दा भड़क उठा है। किंतु इस मुद्दे को उठाने से पहले, मैं एक बात कहना चाहूंगी। एक गलत सूचना फैलायी जा रही है कि लघु औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति बहुत खराब है, यह अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, और यह अधिक देर तक नहीं टिक पाएगा। मेरे विचार से वस्तुस्थिति का जायजा लेने का यह काफी उत्साहहीन तरीका है क्योंकि यदि माननीय सदस्य, श्री रूड़ी द्वारा दिए गए आंकड़ों पर नजर डालें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह क्षेत्र अत्यन्त गतिमान है और प्रतिकूल स्थिति में भी अर्थक्षम बना रहता है। जब भी यह क्षेत्र किसी विशेष प्रकार की स्थिति में घिर जाता है तो यह अपने आकार के अनुकूल नवीन व्यवसाय को अपना लेता है। और आज की आवश्यकता के अनुरूप उसी को जारी रखने में कामयाब हो जाता है।

मैं यहां यह कहना चाहूंगी कि जब यह वस्तुओं के उत्पादन को अनारक्षित करने का मुद्दा उठा तो हमने पिछले वर्ष के और 1997 के आंकड़ों को देखा। 15 में से 14 मदों का उत्पादन अनारक्षित किया गया था। इस लम्बे समय के दौरान, अभी भी 799 ऐसे मद हैं जो आज भी आरक्षित हैं।

1997 में इन 15 मदों को अनारक्षित करने के प्रभाव की जांच करने के लिए हमने एक स्वतंत्र अध्ययन शुरू किया है। हमने पाया कि इन मदों को अनारक्षित करने से कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। मैं इस पहलू के उज्जवल पक्ष को देखना चाहूंगी। इस क्षेत्र में हित धारकों के विचार जाने बिना ऐसा कोई कदम नहीं उठाती हूं। हित धारकों से परामर्श करने के बाद ही हमने उन मदों को अनारक्षित किया।

माननीय सदस्य, श्री पुगलिया ने न केवल इन 14 मदों को अनारक्षित करने के बारे में पूछा बल्कि उन्होंने चीन से आयात और इसके कारण इस क्षेत्र विशेष पर पड़ने वाले प्रभाव का भी उल्लेख किया। मैं यह कहना चाहूंगी कि विश्व व्यापार संगठन के तत्वावधान में कई करारों के कारण हमने अपनी अर्थव्यवस्था खोल दी है। इसलिए, कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही। हम इससे बच नहीं सकते। हमें इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि हमारे समक्ष एक कठिन लक्ष्य है और हमें प्रतिस्पर्धा का कुछ मूल्य तो चुकाना ही होगा। किंतु इसमें पूंजी और प्रौद्योगिकी का आगमन होगा। इससे विस्तार के अवसर भी प्राप्त होंगे। इसलिए, हम प्रतिस्पर्धा की अर्थव्यवस्था के लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। इसके साथ-साथ उदारीकरण के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के बचाव भी किए गए हैं। जितना भी हो पाएगा हम प्रभावी दरों में बढ़ोत्तरी कर पाएंगे। एक शब्द है- पाटन रोधी शुल्क। आयात के अचानक और भारी प्रवाह से यदि कोई हानि होती है तो उसके लिए सुरक्षात्मक उपाय भी है। मानव, पशु और पौधों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के भी उपाय हैं। देश की सुरक्षा का भी प्रश्न है। यदि हमें लगे कि हमें कुछ समस्या है तो हम घरेलू उद्योग पर वही मानक लागू कर सकते हैं और मात्रात्मक प्रतिबंध भी दोबारा लगाएं जा सकते हैं।

जहां तक आरक्षण नीति को समाप्त करने का प्रश्न है, आरक्षण नीति, विश्व व्यापार संगठन के ही अनुरूप है और इससे लघु उद्योगों को सहायता ही मिलेगी। यह जारी रहेगी, किंतु हम सूचीबद्ध मदों की समीक्षा करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि पहली बार इन मदों को अनारक्षित किया गया है। हमने हित धारकों से पूर्ण परामर्श करके ही यह सब किया। जहां तक चीन का संबंध है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारत से चीन को होने वाले निर्यात में 46 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है जबकि वहां से आयात में केवल 20 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है। ये आंकड़े आसानी से उपलब्ध है। 1992 से 95 मामलों में से 44 मामलों में चीन के विरुद्ध पाटन रोधी जांच चल रही है। हाल ही में, चीन से आने वाले, खेलों में प्रयोग होने वाले जूतों और शुष्क सैल बैटरियों पर शुल्क लगाया गया है। सुबूत के अभाव में खिलौनों को छोड़ दिया गया है। इस तरह स्थिति उतनी खराब नहीं है जितना कि सभी कहते हैं। लघु उद्योगों का एक खास स्थान है और हम उनकी सहायता करेंगे क्योंकि हमारा मंत्रालय वास्तव में सुविधा प्रदान करने वाला मंत्रालय है। हमारा काम है, व्यापार के लिए व्यापार से दूर रहना। हम सहायता प्रदान करने के सभी उपाय करते हैं और इन उपायों की घोषणा माननीय प्रधान मंत्री ने 30 जुलाई को की थी।

सभापति महोदय: श्री नीतिश सेनगुप्ता, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती वसुंधरा राजे: लघु उद्योगों का एक विशेष स्थान है। उनके लिए एक विशेष बाजार है जिसे कोई नहीं भर सकता। लघु उद्योग इस तथ्य के कारण हमेशा प्रासंगिक बने रहेंगे कि वे यथासंभव आगे बढ़ने के लिए काफी छोटा है। यहां एक विशेष बाजार है जिसे वे भरेंगे। कोई भी इसे उनसे छीन नहीं सकता। जैसा कि मैंने कहा वे भी प्रतिस्पर्द्धात्मक अर्थव्यवस्था का ध्यान रखेंगे।

मैं आपको जल्द बताना चाहूंगी कि हम किस प्रकार की सहायता देने वाले हैं। गुप्ता समिति ने अच्छी सिफारिशें की है। गुप्ता समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति माननीय सदस्यों को देकर मुझे खुशी होगी ताकि वे इसे देख सकें। इसमें अच्छी सिफारिशें की गई हैं। इसमें दो महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दिया गया है। एक उस धनराशि के बारे में हैं जो हम प्रौद्योगिकी उन्नयन पर लगा रहे हैं और दूसरी महत्वूपर्ण बात ऋण गारंटी योजना के बारे में है जिसे हम कार्यान्वित करने वाले हैं क्योंकि हम यह महसूस करते हैं कि लघु उद्योगों के संबंध में आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें ऋण सहायता दी जाए। अब मेरे विचार से ऋण गारंटी न्यास के आने से प्रौद्योगिकी उन्नयन का ध्यान रखा जाएगा जिसके लिए हमने एक बड़ी रकम अलग कर दी है।

कई मुख्य निर्माणाधीन योजनाएं चल रही हैं। जैसा कि मैंने कहा, लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी योजना है। इसमें 25 लाख रुपये तक जमानतमुक्त सम्मिलित ऋण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए ऋण से जुड़ी हुई पूंजीगत राजसहायता योजना क्रैडिट लिकंड केपिटल सब्सिडी स्कीम भी है जिसमें प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए, लिए गए ऋण पर 12 प्रतिशत पूंजी राजसहायता प्रदान की जाती है। यह भी लघु उद्योगों के लिए ही है। तत्पश्चात् हमारी एक आई.एस.ओ.-9000 प्रमाणीकरण प्रतिपूर्ति योजना है। यह एक प्रतिपूर्ति योजना है। लघु उद्योगों को आई.एस.ओ.-9000 प्रमाणपत्र प्राप्त करने की लागत का अधिकतम 75 प्रतिशत या 75,000 रुपये जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जाती है।

इसके बाद एक 'अपटैक स्कीम' योजना है। यह एक बहुत उपयोगी योजना है। इससे प्रौद्योगिकी उन्नयन को प्रोत्साहन मिलता है और एक उद्योग अपनी इकाईयों के लिए समान सुविधा केन्द्रों की स्थापना करके भी इसका लाभ उठा सकता है। यह योजना मुख्यत: एक सी लघु उद्योग इकाईयों को समूह के लिए है।

हमारी एक योजना है- खरीद व मूल्य अभियान नीति। एन.एस.आई.सी. के एकल बिन्दु पंजीकरण योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 358 मदें लघु उद्योगों से खरीदे जाने के लिए आरक्षित की गई है।

इसके पश्चात् एक योजना प्रधानमंत्री रोजगार योजना है। इसके अंतर्गत 2 लाख रुपये तक ऋण व 7.5 प्रतिशत राजसहायता मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा, जांच केन्द्रों के लिए हम 50 प्रतिशत या 50 लाख रुपये, जो भी कम हो, की सहायता देते हैं। संस्थाओं के लिए यह सुविधा उपलब्ध है। तत्पश्चात् समेकित अवसंरचना आधारिक विकास योजना आती है। इसके अन्तर्गत लघु उद्योगों के लिए औद्योगिक संपदा का गठन करने के लिए 40 प्रतिशत या 2 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, की सहायता प्रदान की जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह सहायता 80 प्रतिशत या 4 करोड़ रुपये है। इसके बाद मिनी टूल रूमज आते है।

लघु औजार कक्ष की स्थापना के लिए 90 प्रतिशत अथवा 9 करोड़ रुपए जो भी कम हो की सहायता दी जाती है। विद्यमान औजार कक्षों के उन्नयन के लिए 75 प्रतिशत अथवा 7.5 करोड़ रुपए की सहायता दी जाती है। मैं समझता हूं कि उपलब्ध करायी जा रही सहायता पर्याप्त है।

खुद मंत्रालय का गठन दो साल पहले हुआ है। पैकेज की घोषणा पिछले साल की गई थी। मैं समझता हूं कि हमें वास्तव में पर्याप्त समय देने की आवश्यकता है ताकि हम यह जान सके कि हमारी सहायता प्रणाली किस प्रकार काम करने जा रही है।

डा. एस.पी. गुप्ता रिपोर्ट के बारे में मैं निवेदन करता हूं कि मैं बाद में इसे किसी समय आप लोगों को सौंप दूंगी ताकि आप लोग इसे देख सकें।

मुख्यत: आपने खादी की भी चर्चा की है। वस्तुत: आपने सबकुछ ही कह दिया है। यह एक बहुत बड़ा और व्यापक विषय है। मैं आपके साथ इस पर विस्तृत चर्चा करूंगी। परंतु मैं सोचती हूं कि समय का ख्याल रखते हुए संभवत: मैं इसे छोटा करने का प्रयास कर रही हूं। खादी के बारे में मेरा कहना है कि विशेषकर आपने मुझसे पूछा कि मैंने विदेशी परामर्शदाता से विचार-विमर्श क्यों किया। मैं विदेशी परामर्शदाता से विचार-विमर्श करने का कारण समझती हूं। इस संबंद्ध में क्षमायाचक होने के बजाय मैं चाहती हूं आप यह जाने कि यह आर्थर एंडरसन की सहायक भारतीय कम्पनी है। इस समय इसके सभी कर्मचारी भारतीय हैं। परंतु इसके अलावा इसने आरबीआई, पेट्रोलियम कंपनियों, जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों, राज्य विद्युत बोर्डों और विभिन्न बैंकों के लिए भी परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान की है। मैं समझती हूं कि इसने उनके लिए अच्छा काम किया है।

[श्रीमती वसुंधरा राजे]

हमारे लिए आवश्यक यह नहीं था कि लोग खादी क्षेत्र के बारे में जो जानते हैं वह हमें बताया जाए। परंतु वास्तव में हम उन कार्यक्रमों को देख रहे हैं जब हम नई सहस्त्राब्दी में प्रवेश करें जो वास्तविक निकाय में पूंजीनिवेश और उसके सुधार से संबंधित हो।

हमें केवल खादी क्षेत्र में किसी प्रकार के सुधार के लिए नहीं गए क्योंकि देश में कई संस्थाएं हैं जो इस क्षेत्र को जानती है तथा जो हमें अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारियां दे रही हैं। यह अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमें इसका बहुत ख्याल है। सरकार यथासंभव प्रयास कर रही है ताकि वह इस क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास करने में सक्षम हो सकें। खादी और ग्रामोद्योग के साथ ये उद्योग लगभग 5000 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। मैं समझती हूं कि यह चकित कराने वाली राशि है। सरकार से थोड़ा और समर्थन पाकर हम और ज्यादा उत्पादन कर सकेंगे।

डा. पाण्डेय ने एक प्रश्न पूछा था जो श्री पुगलिया के प्रश्न से बहुत कुछ मिलता-जुलता था। आज दिन की समाप्ति पर मैं समझती हूं, मैं इस बात को दुहराऊंगी कि उन्हें प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। उन्हें गुणवत्ता में सुधार करना होगा क्योंकि विश्व व्यापार संगठन और उदारीकरण के बारे में केवल भारत ही चिन्तित नहीं है परंतु पूरा विश्व इससे चिन्तित है। इसलिए मैं समझती हूं कि यह ऐसी चीज है जिसका सामना हर किसी को करना होगा। हमें अपने को तैयार रखना होगा ताकि प्रौद्योगिकी अपनायी जा सके तथा हम जो कुछ कर सकते है वह करना होगा ताकि इस क्षेत्र को सुदृढ़ किया जा सके जिससे कि यह आगे बढ़े और नई समस्त्राब्दी का सामना कर सके।

सायं. 6.00 बजे

श्री राजीव प्रताप रूडी ने कुछ अच्छे विचार प्रस्तुत किए। ऐसा नहीं है कि केवल मेरा मंत्रालय नोडल एजेंसी है। हम इन सबको सुविधाजनक बनाने तथा लघु क्षेत्र के उद्योग के लिए आसान बनाने का प्रयास करने है। कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, अपरंपरागत ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय तथा कई दूसरे मंत्रालयों का विस्तार इस क्षेत्र पर है। यह महत्वपूर्ण है कि माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव पर हम विचार करें। जहां तक कन्वेंजंस बैंकों और प्रोत्साहनों का प्रश्न है यह एक बहुत बढ़िया विचार है। निश्चित रूप से हम इस पर विचार करेंगे। *...(व्यवधान)*

जहां तक विश्व व्यापार संगठन और पैकेज का प्रश्न है, मैंने आपको अभी बताया है कि जी, हां। संरक्षण उपलब्ध है, परंतु हमें निश्चित मानदंडों के अंतर्गत कार्य करना है। हम ऐसा कर रहे है। हमें वाणिज्य मंत्रालय में वार रूम जैसे साधनों का विकास करना होगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्रीमती वसुंधरा राजे: वस्तुत: हम मात्रात्मक प्रतिबंध के प्रभाव पर निगरानी रख रहे हैं। 300 वस्तुएं जिन पर हम निगरानी रख रहे हैं, 67 वस्तुएं लघु क्षेत्र के उद्योग के काम की है।

जहां तक एण्टी डम्पिंग का प्रश्न है भारत एक ऐसा देश है जो एण्टी डम्पिंग गतिविधियों, मामलों और जांचों को शुरू करने में कम-से-कम समय लेता है। यह दक्षिण अफ्रिका के बाद एण्टी डम्पिंग जांच का दूसरा सबसे बड़ा प्रयोक्ता है।

मैंने आपको कई मामले बताये हैं जो दर्ज किए गए है। हम पूरे देश में लघुक्षेत्र को संवेदनशील बनाने का सर्वोत्तम प्रयास कर रहे हैं। जहां तक विश्व व्यापार संगठन का प्रश्न है हमने पूरे देश में 28 सेमिनार आयोजित किए हैं, संघों से बात की है तथा लोगों को यह समझने के लिए शामिल करने का प्रयास किया है कि यह सब क्या है। बौद्धिक सम्पदा अधिकार से संबंधित मामला इसी प्रकार का है। आखिरकार यह व्यक्तिगत उद्यमी, उद्योगों, संघों राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के बीच एक सघन तालमेल का संबंध है। यहां मैं समझती हूं कि वास्तव में कोई पक्षकार शामिल नहीं है। यह कुछ ऐसा है जिसका सामना हम सभी को करना पड़ता है। हमने इन सभी लोगों के साथ सक्रिय संबंध बना रखा है ताकि देश में इस क्षेत्र के सुधार के लिए प्रयास किए जायें तथा पर्याप्त आधार का निर्माण किया जा सके।

मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। मैं नहीं समझती कि सरकार के पास जादुई छड़ी है तथा कोई यह कहने में सक्षम नहीं है कि परिस्थितियों में रातोंरात आमूल परिवर्तन होने जा रहा है। यह एक अजीब सा क्षेत्र है। कुछ लोगों ने अपनी इकाइयां बंद कर दी है। कुछ लोगों ने नई शुरूआत की है। मैं केवल छोटा आंकड़ा देना चाहती हूं।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्रीमती वसुंधरा राजे: भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष संभवत: तीन लाख से अधिक उद्योग रुग्ण थे परंतु साथ ही साथ हमारे पास आंकड़े है जो हमें बताते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम योजना के अंतर्गत पूरे देश में लगभग 2 लाख उद्योग प्रतिवर्ष शुरू हो रहे है। इस प्रकार वास्तव में ऐसे इसके बारे में केन्द्र ने ऐसे कोई आंकड़ें नहीं रखे हैं। राज्य सरकार और संघों से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, इस समय उन्हें जनगणना नमूना

सर्वेक्षण के रूप में एक साथ रखा जाता है जो हमें इस बात का हल्का-फुल्का अंदाज दे देते हैं कि कहां रुग्णता है तथा किन क्षेत्रों को सहायता की आवश्यकता है। हम आने वाले समय में उनकी अधिक सहायता करेंगे।

स्पष्ट रूप से मैं समझती हूं कि यह एक महान प्रयास है तथा यह एक ऐसा प्रयास है जो केवल सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता है। मैं सभी सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा करती हूं। मैं सुझावों का स्वागत करती हूं। मुझे सदस्यों से मिलने और बात करने में प्रसन्नता होगी यदि कोई ऐसी बात हो जिसकी जांच करने तथा उसका ख्याल रखने की आवश्यकता है।

मैं आप सभी—श्री नरेश पुगलिया, डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय, श्री राजीव प्रताप रूडी और श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति को लघु क्षेत्र के उद्योग के कार्यों में गहरी रुचि लेने के लिए धन्यवाद देती हूं। मैं श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी को भी धन्यवाद देती हूं जिन्होंने अपना योगदान दिया है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि यदि कोई व्यक्ति जो इस क्षेत्र के बारे में जानना चाहता है अथवा इसमें योगदान करना चाहता है अथवा इसके बारे में बात करना और चर्चा करना चाहता है तो मैं सहर्ष ऐसा करूंगी।

सायं 6.05 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

शिक्षा का भगवाकरण

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा मद सं. 21 पर विचार करेगी। श्री पी.एच. पांडियन उपस्थित नहीं हैं।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम

***श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम** (तंजावूर): माननीय सभापति महोदय जी, मेरे दल द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की ओर से मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अब मैं वाम मोर्चा और कांग्रेस बेंच के मेरे सहयोगियों के पहल पर शुरू की गई नियम 193 के अधीन चर्चा में भाग ले रहा हूं जिसमें हमारी शिक्षा प्रणाली को भगवा रंग देने की सरकार की कथित कोशिश के बारे में उन्होंने आशंका व्यक्त की है।

जहां तक शिक्षा का प्रश्न है विश्व के 165 देशों में हमारे देश का स्थान 115वां है। हमारे देश भारत की जनसंख्या का लगभग 38% भाग निरक्षर है। हम शिक्षा के मद में सकल घरेलू उत्पाद का केवल 3.8% खर्च करते हैं। विकसित देश शिक्षा की प्रगति के प्रयोजन से शिक्षा के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद का 9 से 10% से अधिक आबंटित करते हैं। हमारे देश में शिक्षा की स्थिति दयनीय है जहां लगभग 40 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय बिना छत वाले भवनों में कार्य कर रहे हैं। कई उच्च विद्यालयों और उच्चतर विद्यालयों में मूल सुविधाओं का अभाव है। लड़कियों के कुछ वैसे विद्यालयों में भी जहां एक हजार से भी अधिक लड़कियां पढ़ रही हैं एक भी शौचालय नहीं है। यह लज्जाजनक स्थिति आज भी देखी जाती है। पूरे देश में हमारे कई राज्यों में हम विशेषकर कई सरकारी विद्यालयों में कर्मचारियों की सदैव कमी पाते हैं। कई प्राथमिक विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड भी नहीं है। प्राय: सभी शैक्षणिक संस्थानों में पीने के पानी की समस्या है। इन सभी वर्षों में वहां कार्यरत सभी सरकारें इन समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रही हैं। हमारी सरकार को भी मूलभूत आधारभूत संरचना सुनिश्चित करते समय मूल सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास भी जारी रखने चाहिए। प्रत्येक अनुवर्ती सरकार इन मौलिक आवश्यकताओं को समझने के स्थान पर शिक्षा नीतियों की घोषणा करके पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर चर्चा करके प्रशंसा का प्रयास करती है।

आज हमारी शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है? ये संस्थाएं छात्रों को किस ढांचे में ढाल रही हैं? व्यवस्था और ढांचे, विशेषकर शिक्षा प्रदान करने और मूल्यांकन करने के तरीकों में अभी काफी कुछ किये जाने की जरूरत है। नकल करने वाले छात्र के लिए तो दण्ड का प्रावधान है किंतु तोते की तरह रट कर परीक्षा देने वाले छात्र को पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कार देकर ऐसे छात्रों की प्रशंसा की जाती है।

परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों द्वारा आत्महत्या के मामले हमें भारत में कहीं अधिक दिखाई देते हैं। हमारी शिक्षा को, हमारी युवा पीढ़ी को चुनौतियों का बहादुरी से सामना करने के लिए तैयार करना चाहिए। उन्हें जीवन और कई दूसरी स्थितियों से निपटने के लिए सक्षम बनाना चाहिए। शिक्षा को उन्हें परिष्कृत विचारों से जीवन यापन के योग्य बनाना चाहिए। किंतु हम इसमें असफल रहे हैं और इन आत्महत्याओं से यह परिलक्षित होता है।

समय-समय पर राष्ट्रीय शिक्षा नितियां निर्धारित की जाती हैं। एक सा पाठ्यक्रम तैयार करने के प्रयास भी किए जाते हैं। मेरे विचार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति विभिन्न राष्ट्रीय जातियों की गौरवशाली समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को दबाने का एक प्रयास है। राष्ट्रीय संस्कृति नामक काल्पनिक विचारधारा से टकराव के लिए विभिन्न

---

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम]

सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित विभिन्न भाषाओं का निर्माण किया गया है। हमारे राष्ट्र और राष्ट्रीयता की शक्ति, सभी राष्ट्रीय जातियों के स्वतंत्र विकास में निहित है।

1964 में गठित कोठारी आयोग ने करीब 2 साल तक पूरे देश में महान शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और प्रख्यात प्रोफेसरों की राय ली। तत्पश्चात् इसने शैक्षिक श्रेष्ठता और देश में कार्यान्वित की जाने वाली व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली के संबंध में ब्लू प्रिंट के रूप में एक विस्तृत दस्तावेज प्रस्तुत किया।

कोठारी आयोग की रिपोर्ट के तीन निर्देशक सिद्धांत थे- धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद व प्रजातंत्र। इसमें देश में शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए व्यवहारिक उपायों का सुझाव दिया गया। किंतु दुर्भाग्यवश रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मैं यह फिर कहना चाहूंगा कि आज भी प्रासंगिक है।

स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी में समाजवाद के प्रति एक उत्साह था किंतु उन्होंने भी इस रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया। आज भी यह एक प्रश्न है कि उन्होंने उस रिपोर्ट की अनदेखी क्यों की जबकि वे स्वयं धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और प्रजातंत्र के सिद्धांतों की वकालत करती थीं।

इस रिपोर्ट में निम्नलिखित योजनाओं की परिकल्पना की गई थी-

(1) सभी को शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षा का सार्वभौमिकरण।

(2) सांस्कृतिक परंपराओं तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित शिक्षा।

(3) नई सामाजिक व्यवस्था के लिए एकता की भावना के साथ विभिन्न सामाजिक समूहों और समुदायों को एकत्र करना।

(4) मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना।

(5) अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के साथ बिना किसी समझौता के यूरोपीय पुनर्जागरण, कार्ल मार्क्स और फ्रांस की क्रांति के आदर्शों पर आधारित उच्च मानवोचित और मानवतावादी विचारधारा को प्रोत्साहन देना।

उस रिपोर्ट के ये लक्ष्य और उद्देश्य थे। वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए हम इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को शामिल कर सकते हैं। इस रिपोर्ट पर जो आज भी प्रासंगिक है, कोई कार्यवाही नहीं की गई है? 1986 में एक नई शिक्षा नीति बनाई गई थी। नवोदय योजना प्रारंभ की गई थी। देश के अनेक भागों में, उदार और भारी आबंटन के साथ शिक्षा के नए केन्द्र प्रारंभ किए गए थे। बेहतर सुविधाओं और आधारभूत संरचनाओं के साथ उन संस्थाओं ने समाज के एक विशेष वर्ग को ही लाभान्वित किया। अपने एकपक्षीय दृष्टिकोण के कारण इसकी आलोचना भी हुई। इस योजना को तमिलनाडु सहित कुछ राज्य लागू नहीं कर पाए। परिणामस्वरूप, 1992 में एक नई शिक्षा नीति बनाई गई। वह भी मैकाले की शिक्षा व्यवस्था से बहुत अधित अलग नहीं थी।

आज, इस सरकार की नई शिक्षा नीति को देखते हुए, इस सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को एक परिपत्र जारी किया है। इस परिपत्र में सभी विश्वविद्यालयों को अनेक नए क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है। आज की आधुनिक आवश्यकताओं से प्रासंगिक नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें ज्योतिषशास्त्र में नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने और किसी धर्म विशेष के रीति-रिवाजों के अध्ययन प्रारंभ करने के लिए विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन दिया गया है।

हमारे समाज के अंधविश्वासों और भ्रांतियों को उखाड़ फेंकने के लिए, थांतई ई.वी.आर. पेरियार, महान विद्वान पेरिगनार अन्ना जैसे हमारे महान नेताओं और सुधारकों ने जो हमें कलईगनार के समक्ष लाएं, सुधारवाद और बुद्धिवाद की भावना का प्रसार किया। केरल के श्री नारयणा गुरू और पश्चिम बंगाल के राजा राम मोहन राय ऐसे महान लोग थे जिन्होंने समाज से अंधविश्वास और भेदभाव मिटाने के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। आज हमें यह देखकर दुख होता है और वह समझ आता है, कि उन लोगों द्वारा प्रदान की गई सुधार की यह भावना समाप्त हो जाएगी। मैं यह कहना चाहूंगा कि विश्व के वैज्ञानिकों ने ऐसे कई तर्क प्रस्तुत किए हैं कि ज्योतिष शास्त्र, वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित नहीं है। अभी यह प्रमाणित किया जाना है कि क्या ज्योतिषशास्त्र को विज्ञान माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में अभी यह कुछ परिकल्पनाओं और अंधविश्वासों पर आधारित है। यह किस पर आधारित है? इसके बारे में मत अलग-अलग हैं। मेरी कुण्डली कैसे बनी? यह जन्म पर आधारित है। आज प्रजनन में क्या हो रहा है? क्षमा करें किंतु अधिकतर माताएं प्राकृतिक रूप से बच्चों को जन्म देती हैं। वे ज्योतिषियों से परामर्श कर शुभ समय निकालकर ही अस्पतालों और नर्सिंग होम में भर्ती होती हैं। वे आपरेशन के तरीके से निर्धारित समय पर ही बच्चों को जन्म देना चाहती हैं। ज्योतिषियों के परामर्श से ही शल्य-प्रजनन हो रहे हैं। जो वे चाहते हैं, क्या वे पूरा कर सकते हैं यह अभी भी एक प्रश्न है। मूल प्रश्न यह है कि किस जन्मपत्री को स्वीकार किया जा सकता है और कौन सा ज्योतिष-विद्यालय पूर्ण रूप से सही है यह प्रमाणित किया जाना बाकी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अंधविश्वासों को एक साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए।

एक ऐसा अध्ययन जिसे वैज्ञानिक समुदाय ने विज्ञान नहीं माना है उसे ऐसे देश में प्रारंभ किया जा रहा है जहां की 38% जनसंख्या निरक्षर है। शिक्षा के अभाव के कारण बहुत सारे लोग विश्वास और अंधविश्वास के अंतर को समझने में असफल रहे हैं। इससे उनके दैनिक जीवन में टकराव होता है। इसके कारण, भोले-भाले लोगों से धोखाधड़ी की जाती है और उनका शोषण होता है। शास्त्रों और धर्म के नाम पर जनता को गुमराह किया जाता है, उसे धोखा दिया जाता है उसका शोषण किया जाता है।

सभापति महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए। कृपया मूल बात पर आइए।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: महोदय, मैं वाद-विवाद में बहुत ही कम भाग लेता हूं। मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

यह सभी को पता है कि अंधविश्वासों की आड़ लेकर जनता से किस प्रकार धोखाधड़ी की जाती है और उनका शोषण किया जाता है। लगभग, प्रतिदिन, समाचारपत्रों में समाचार आते हैं कि जनता से छल-कपट धोखाधड़ी और उनका शोषण किया जा रहा है किंतु फिर भी ऐसे मामलों में वृद्धि हो रही है। सरकार को मूल समस्याओं और आवश्यकताओं को समझना चाहिए। किंतु प्राथमिकताओं को भुलाकर यह सरकार व्यर्थ प्रयास कर रही है। ज्योतिष और धार्मिक रीति-रिवाजों के अध्ययन के कई निजी संस्थान व केन्द्र हैं। अब तक उन्हें सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में सम्मिलित नहीं किया गया है, वे हमारे पाठ्यक्रम का भाग नहीं हैं और न ही उन्हें हमारे विश्वविद्यालयों में शैक्षिक पाठ्यक्रमों के रूप में पढ़ाया जा रहा है। क्या वे मात्र इसलिए समाप्त हो गए हैं क्योंकि वे हमारी जन शिक्षा प्रणाली के भाग नहीं थे?

मैं दर्शन का छात्र हूं। जब मैं अपना स्नातकोत्तर अध्ययन कर रहा था तब मैं दर्शन के तत्वों को समझने में परिपक्व हो पाया था। यदि इस संवेदनशील आयु में युवाओं पर धार्मिक विचार लादे गए, यदि छात्रों और अध्यापकों में बेमेल बना रहा तो इसके अपेक्षित परिणामों की अपेक्षा नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि छात्र या अध्यापक किसी में भी कोई कमी होती है, तो धार्मिक अध्ययन विरोधी-स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इससे उस युवा को आगे लाने में सहायता नहीं मिलेगी जो राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकता है। हमारी सरकार को सामाजिक विकास के लिए योजनाएं व स्कीमें बनाने पर ही ध्यान देना चाहिए।

हमें अतीत में लौटकर भावी-पीढ़ी को मध्यम युग में नहीं ले जाना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए और प्रगति व विकास पर ध्यान देना चाहिए। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे शताब्दियों से इस देश के महान विचारकों द्वारा पैदा की गई बौद्धिक विचारधारा की भावना समाप्त हो जाए। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे व्यक्तियों के स्वाभिमान और आत्मविश्लेषण की क्षमताओं का ह्रास हो। हमें विवादास्पद मुद्दों और आपत्तिजनक लक्ष्यों का राग नहीं अलापना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि इन देश के बुद्धिमान विचारकों द्वारा अंधविश्वासों और ज्योतिष को चुनौती दी गई थी। महान विचारकों के सभी प्रयास बेकार नहीं जाने चाहिए और अतीत में जाकर हमें मध्यम युग में नहीं जाना चाहिए।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि देश के सभी विश्वविद्यालयों को जारी विवादास्पद परिपत्र रद्द करने के प्रयास किए जाएं। द्रविण मुनेत्र कड़गम दल की ओर से मैं सरकार से अपील करता हूं कि सरकार परिपत्र वापिस ले ले। इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): महोदय, उधर के माननीय सदस्य खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, आप इन्हें रोकिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: जायसवाल जी, आप बैठे-बैठे मत बोलिए। सदन का संचालन हम कर रहे हैं, हम संचालन न करिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, देश के मशहूर पार्लियामेंटेरियन, श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा प्रस्तुत नियम 193 के अधीन शिक्षा के भगवाकरण पर यहां माननीय सदस्य बहस कर रहे हैं। इस पर विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और मणिशंकर जी जैसे विद्वान सांसदों का भी बयान आ चुका है, उसी संदर्भ में मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं। शिक्षा का भगवाकरण, मतलब शिक्षा में साम्प्रदायिकता को लाने का काम 1998 से हो रहा है। सन् 1998 में देश भर के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। उसमें आर.एस.एस. के किसी संगठन विद्या भारती द्वारा एक नोट प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया था कि संविधान में जो अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक लोगों को आर्टीकल 29 और 30 के अंदर जो संरक्षण और प्रोत्साहन दिया गया है, उसमें संशोधन करके अल्पसंख्यक के बदले नागरिक लिख दिया जाए। यह साजिश हो रही है कि संविधान में संशोधन कर दिया जाए और किसी तरह से अल्पसंख्यक लोगों की मदद, सहयोग, प्रोटेक्शन,

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

उनकी भाषा, शिक्षा जो अल्पसंख्यक भाषाई लोग हैं, उन्हें जो संविधान निर्माताओं ने प्रोटेक्शन दिया है, उसे तोड़ने-मरोड़ने की साजिश है। इससे बढ़कर भगवाकरण क्या हो सकता है। इस पर यहां हंगामा हुआ, लेकिन उस हंगामे पर देश के बहुसंख्यक राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने उसका विरोध एवं प्रतिवाद किया। हाल ही में नौ राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने दिल्ली में आकर रेजोल्यूशन दिया है कि जो नया पाठ्यक्रम जोड़ने की बात है, उसमें जो साम्प्रदायिक तत्व नैतिक शिक्षा के नाम पर लाए जा रहे हैं, उसे वापस लिया जाए, नहीं तो वे विरोध करें।

महोदय, केन्द्र और राज्य, दोनों को मालूम है कि समवर्ती सूची में शिक्षा है। मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि क्यों नहीं राज्य सरकारों से परामर्श किया गया। आर.एस.एस. चलाने वालो या अन्य किसी के कहने पर एन.सी.ई.आर.टी. के पाठ्यक्रम में जो संशोधन करने की बात हो रही है, उसके लिए राज्य सरकारों से राय क्यों नहीं ली गई - उसके क्या कारण हैं?

जब समवर्ती सूची में शिक्षा है तो राज्य सरकारों से परामर्श क्यों नहीं लिया गया। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि भगवाकरण से उनको गौरव है। माननीय मल्होत्रा साहब और श्री गोयल साहब बोल रहे थे। लेकिन मैं नहीं समझता कि सरकार का यह बयान होगा क्योंकि भाजपा के अध्यक्ष का बयान हमने कल ही देखा है कि सैफरनाइजेशन के हम खिलाफ हैं, वह नहीं होना चाहिए। आपमें ताकत नहीं है कि आप प्रकट रूप में इस बात को कह सकें। अभी डीएमके के श्री पलानीमनिक्कम साहब और टीडीपी के और सब सहयोगी दल इसी बात को कह रहे थे। इस बात से साफ हो जाता है कि शिक्षा के भगवाकरण पर जो बहस हो रही है उसमें प्रकट रूप से आपमें यह हिम्मत नहीं है कि आप कहें कि शिक्षा का हम भगवाकरण करेंगे।

पंचतंत्र, हितोपदेश, संस्कृत भाषा, गीता, वेद और पुराण सबका जिक्र हाउस में हो रहा है। पंचतंत्र में एक बड़ी मजेदार कहानी है कि एक विशाल वृक्ष पर एक जरदगव नाम का बूढ़ा गिद्धराज रहता था और उस पेड़ पर विभिन्न प्रकार के पक्षी निवास करते थे। उस पेड़ पर एक दीर्घकरण नाम का बिलाव आया और बोला कि हम एकादशी का व्रत किये हुए हैं और हम निरामिष हो गये हैं, हमने मांस खाना छोड़ दिया है और अब हम शाकाहारी हो गये हैं। पक्षियों ने उसे वहां रहने दिया। लेकिन जब पक्षी बाहर चले जाते तो वह उनके अंडे-बच्चे खा जाता। पक्षियों ने सोचा कि यह बूढ़ा गिद्ध ही हमारे अंडे-बच्चे खा जाता है इसलिए उन्होंने उस बूढ़े गिद्ध पर हमला किया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब सच्चाई पता चली तो वह दीर्घकरण बिलाव पकड़ा गया। उसी तरह से जो शासन है उसमें वृद्ध आदमी प्रधान मंत्री और जितने ये साम्प्रदायिक लोग हैं बिलाव की तरह हैं। ये अभी राजकाज चलाने के लिए, सत्ता में शामिल होने के लिए हर दिन कह रहे हैं कि अपना जो कम्यूनल एजेंडा है उसको हमने स्थगित कर दिया है, हम निरामिष हो गये हैं, अभी हम एकादशी किये हुए हैं। इनके सहयोगी दल महसूस किए कि इन्होंने कहा है कि अब हम निरामिष हो गये हैं साम्प्रदायिकता हम नहीं लाएंगे क्योंकि हमको राज करना है, सहयोगियों से समर्थन लेना है। उसी पंचतंत्र का मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि सरकार का वही बड़े वृक्ष वाला हाल है और जरदगद जिस गिद्ध का नाम था उसका भी यही हाल है और बिलाव दीर्घकरण साम्प्रदायिक तत्व है और जैसे यह कहते हैं कि फार द टाइम बीइंग साम्प्रदायिकता हम नहीं लाएंगे और सहयोगी दलों का समर्थन लेंगे। इससे देश के सामने भारी खतरा है। धर्म-निरपेक्षता पर खतरा देश पर खतरा होगा। जब सभी शिक्षा मंत्री विरोध कर रहे हैं तो ये उसको क्यों लाना चाहते हैं।

सभापति महोदय, अभी करीब 128 वैज्ञानिकों, गणितज्ञों और विद्वानों ने बयान दिया है।

[अनुवाद]

'हमारे बच्चों से यह धोखा करना बंद करो।' 100 से अधिक प्रमुख वैज्ञानिकों, गणितिज्ञों, चिकित्सकों, अध्यापकों और शिक्षाविदों ने वर्तमान सरकार के वैदिक गणित और वैदिक ज्योतिष को भारतीय शिक्षा पद्धति में सम्मिलित करने के विरोध में दिए गए वक्तव्य में यह मांग की है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: प्रो. यशपाल, डा. नार्लिकर और एस.जी. दानी जैसे विद्वानों के लेख मैं लाया हूं। लेकिन समय नहीं है। "वैदिक एस्ट्रोलाजी" तथा "मिथ एंड रियेलिटी आन वैदिक मैथमैटिक्स" पर बहुत से वैज्ञानिकों के बयान आये हैं।

जगत गुरू शंकराचार्य ने 1965 में एक किताब लिखी थी। वह उनके स्वर्गवास के बाद प्रकाशित हुई। उसमें वैदिक गणित की बात कही गई है। अग्रवाल जी जो एक विद्वान आदमी थे उन्होंने "सुलभ सूत्र" नाम की एक किताब लिखी। उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि न वैदिक है, न गणित है। ज्योतिष के मायने तो आप सब जानते हैं। हिन्दुस्तान का इतिहास बता रहा है कि पृथ्वीराज चौहान जब लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने सब कुछ देख कर कहा कि गोरी आ गया है, लेकिन अभी चक्र नहीं बना है। 10 दिन बाद लड़ाई के मैदान में कांटे बिछा दिए। ऐसे में हाथी पीछे हट गए क्योंकि उनके पैर में कांटे चुभ गए और पृथ्वीराज चौहान लड़ाई हार गए। यह इतिहास बता रहा है। मंत्री महोदय विद्वान आदमी हैं।...*(व्यवधान)* तुलसीदास जी कहते हैं कि-

गुरु वशिष्ट अति युग आगव, रुचि-रुचि लगन धरे,
सीता हरण-मरण दशरथ के विपति पे विपति परे,
दयानिधि तेरी गति लखि न पढ़े।

ज्योतिष पर किसी का विश्वास हो सकता है लेकिन वैदिक गणित और ज्योतिष एक अंधविश्वास है। आज लोगों का विश्वास संस्कृत में है। देव भाषा सभी की मदर भाषा है। पढ़ने वाले इसे पढ़ें लेकिन इसे जबरन लादा नहीं जा सकता है। सभी लोगों को पढ़ने का अधिकार है लेकिन किसी को विशेष धार्मिक शिक्षा जबर्दस्ती पढ़ाने के लिए कहा नहीं जा सकता।...*(व्यवधान)* आपने गणेश जी को देश और दुनिया भर में दूध पिलवाया। सम्पूर्ण गीता में कहा गया है कि भगवान कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तो अर्जुन जैसा भक्त उसे समझ नहीं पाया। उस समय कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया। इससे भी जब अर्जुन संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने कहा कि-

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुछः।

जब कृष्ण ने ऐसा कहा तो अर्जुन ने समर्पण किया। गीता में कहा गया है कि-

यदायदा हि धर्मस्यः, ग्लानिर्भवति भारतः
अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं।

जब-जब धर्म का नाश होता है, उस समय मैं मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूं। क्या भगवान अखबार नहीं पढ़ते? आज कितने अधर्म के काम हो रहे हैं? आपके भगवान कब अवतार के रूप में आने वाले हैं?...*(व्यवधान)* मैं आपको गीता का श्लोक सुना रहा हूं। भगवान ने कहा था कि जब-जब धर्म की अवनति होगी तब मैं अवतार के रूप में आऊंगा। क्या वह देख नहीं रहे हैं कि कितना दुर्गति हो रही है? भगवान अवतार के रूप में सामने क्यों नहीं आते?

उत्तर प्रदेश में सरस्वती वंदना की बात हुई। उस पर किसी का विश्वास हो सकता है। चाहे कोई सरस्वती वंदना करे, कोई दुर्गा की पूजा करे, कोई साईं बाबा जी की पूजा करे, कोई भूत की, कोई पेड़ की, कोई पत्थर की पूजा करे, जिसका जहां विश्वास होगा, वह उसकी पूजा करेगा लेकिन आप शिक्षा में इसे लेकर घुस नहीं सकते हैं। इसे सरकारी स्तर पर लाया नहीं जा सकता है। सरस्वती विद्या की देवी है, लक्ष्मी धन की देवी है, दुर्गा ताकत की देवी है। आज सरस्वती की पूजी सभी लोग करते हैं और स्कूलों में भी सरस्वती की पूजा होती है लेकिन सबसे निरक्षर भारत में हैं।

सरस्वती, विद्या की देवी की पूजा करने वाले, लक्ष्मी की पूजा करने वाले हिन्दुस्तान के दरिद्र लोग आज दुर्गा, बजरंग बली की पूजा करते हैं जो ताकत के देवता हैं लेकिन लड़ाई के समय हिन्दुस्तान कमजोर पड़ जाता है और वह ताकत नहीं मिलती है। इसलिये मेरा सरकार से सवाल है...*(व्यवधान)* मैं चार दर्शन को नहीं मानता। इस देश में कर्म-काण्ड, अंध-विश्वास से क्या होगा...*(व्यवधान)**

सभापति महोदयः रघुवंश बाबू, आप बैठ जायें। आपकी बात प्रोसीडिंग में नहीं जा रही है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः डा. बिट्रिक्स डिसूजा। रघुवंश बाबू आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है। आप बैठ जायें।

[अनुवाद]

डा. (श्रीमती) बिट्रिक्स डिसूजा (नामनिर्दिष्ट): सभापति महोदय, मैं आज की चर्चा के शीर्षक 'शिक्षा का भगवाकरण' को अस्वीकृत करती हूं।

हम विश्व के ज्ञान, पुरातन ग्रीक, चीन, रोम और यूरोप के ज्ञान के वारिस हैं। हम निश्चित रूप से वेदों के ज्ञान के उत्तराधिकारी हैं। यह किसी वर्ण विशेष की, किसी राजनैतिक विचारधारा की बपौती नहीं है। शिक्षा एक गम्भीर विषय है और इसे निष्पक्ष रूप से देखा जाना चाहिए।

मैं 32 वर्षों तक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रही हूं, और मेरा पाठ्यक्रम तैयार करने का अनुभव रहा है। मैं इस विषय पर एक विश्वविद्यालय प्रोफेसर और शिक्षाविद के रूप में बोलना चाहूंगी। यह कहा गया है कि शिक्षा, जो कुछ भी लिखाई-पढ़ाई हमने की है उसे भूल जाने पर भी बनी रहती है। शिक्षा केवल तथ्यों का संग्रहण करना ही नहीं है, सिक्षा एक प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दिमाग को सराबोर कर देती है। वास्तव में हमारे पूर्वजों ने इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रश्न को अत्यन्त महत्वपूर्ण माना और इसे संविधान में शामिल किया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द संविधान में शामिल किया गया है।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसी भी व्यक्ति को प्रश्न पूछने और सत्य को खोजने के लिये प्रेरित करता है। इसी भावना से मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहूंगी। एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यक्रम के अध्याय-एक में कहा गया है कि पाठ्यक्रम तीन स्तम्भों पर खड़ा होना चाहिये। पहला है प्रासंगिकता, दूसरा है निष्पक्षता और तीसरा है उत्कृष्टता।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा]

हमें स्वयं से पूछना होगा क्या पाठ्यक्रम के विषय प्रसांगिक हैं। मैं नहीं जानती निष्पक्षता का क्या अर्थ है, क्या इसका अर्थ है कि सभी विषय समान माने जाने चाहिये और क्या इसका अर्थ है कि बहुलतावादी समाज में सभी धर्मों को समान समझा जाये। तीसरा क्या विषयों में यह श्रेष्ठता अन्तर्निहित है।

अत: उदाहरण के लिये क्या वैदिक अंकगणित अथवा इस प्रकार से ज्योतिष जैसे विषय प्रसांगिक हैं और क्या उनमें श्रेष्ठता अन्तर्निहित है? पाठ्यक्रम अध्ययन के अध्याय-एक में एक महत्वपूर्ण चिन्ता का विषय राष्ट्रीय पहचान को सुदृढ़ करना, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना, स्वदेशी ज्ञान को समन्वित करना है और अध्याय-दो में भारतीय परम्परा में निहित नैतिक शिक्षा पर जोर देना है। एक अन्य उद्देश्य देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना को पैदा करना है।

सतही तौर पर ये श्रेष्ठ उद्देश्य हैं। लेकिन पूछा गया प्रश्न यह है कि क्या हम शिक्षा के लिये पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं अथवा संस्कृति के लिये? क्या हम शैक्षिक सुधार कर रहे हैं अथवा हम सांस्कृतिक क्रान्ति ला रहे हैं? विद्यालय स्तर पर नैतिक शिक्षा में आध्यात्मिक लब्ध मूल्य प्रारम्भ किया गया है। धर्म के साथ इन मूल्यों को जोड़ना खतरनाक है। मैंने माननीय मंत्री श्री अरुण शौरी जी द्वारा धर्मनिरपेक्षता पर लिखी पुस्तक पढ़ी है, जहां वे कहते हैं कि क्योंकि हमें एक दूसरे के धर्मों की जानकारी नहीं है, अज्ञानता से गलतफहमी पैदा होती है और गलतफहमी से मतभेद को बढ़ावा मिलता है। निश्चित रूप से यहां विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करना अत्यावश्यक है और यह अत्यन्त महत्वपूर्ण भी है। यहां मैं कहना चाहूंगी कि पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा, किसी एक धर्म विशेष से नहीं जुड़ी है। यह सभी धर्मों से जुड़ी है। किन्तु एक शिक्षिका की हैसियत से जो मैं पूछना चाहती हूं, वह यह है। क्या इन धर्मों अथवा मूल्यों को पढ़ाने के लिये कोई शिक्षा शास्त्र अथवा अध्यापन कला विकसित की गई है? कोई भी शिक्षक बिना किसी भेदभाव अथवा पूर्वाग्रह के सभी धर्मों को कैसे पढ़ा सकता है? मैं एक शिक्षिका की हैसियत से आपसे यह पूछ रही हूं। विगत में, मूल्यों को नैतिक शास्त्र के रूप में पढ़ाया जाता रहा है। नैतिकता सभी धर्मों से आती है।

ईसाई विद्यालयों में, ईसाई विद्यार्थी ईसाई धर्म की प्रश्नोत्तरी और क्षमायाचना सीखते हैं और अन्य विद्यार्थी नीति शास्त्र सीखते हैं। मैं नहीं सोचती कि इस तरीके में कुछ गलत है। मैं सभी धर्मों को पढ़ाने के पक्ष में हूं। किन्तु मैं वास्तव में नहीं जानती कि आप सभी धर्मों को कैसे सिखाने जा रहे हैं।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय अपने पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति और परम्परा को शामिल करना चाहता है। पाठ्यक्रम संस्कृति विशेष शिक्षा शास्त्र नामक किसी चीज का उल्लेख भी करता है। लेकिन प्रश्न तो यह पूछा जायेगा। कौन-सी संस्कृति अथवा कौन-सा शिक्षा शास्त्र? अग्रणी वैज्ञानिकों ने देशज ज्ञान को बढ़ावा देने की अवधारणा की आलोचना की है। क्या वैदिक अंकगणित का प्रारम्भ हमारे विद्यार्थियों की आधुनिक अंकगणित का अध्ययन करने में सहायता करेगा? आधुनिक अंकगणित उच्च परिष्कृत भाषा अथवा प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया गया यथा तथ्य विज्ञान है। वैदिक अंकगणित अंकगणितीय रहस्यवाद के सदृश अधिक है, तो पाइथागोरस के साथ आरम्भ हुआ, जिसका कहना है कि "सभी चीजें संख्याएं हैं।" गणित और धर्मशास्त्र मिलकर ग्रीकवासियों के प्राचीन दर्शनशास्त्र और सेंट आगस्टीन और थॉमस एक्विनस जैसे ईसाई धर्मशास्त्रियों की भी विशेषतायें बताना है। अत: मेरा विचार है कि वैदिक अंकगणित अनुसंधान के स्वतन्त्र अध्ययन के लिये अधिक उपयुक्त है न कि विद्यालय स्तर के लिए।

एक अन्य प्रश्न वैदिक ज्योतिष का है - क्या इसे विज्ञान अथवा कला विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिये अथवा क्या इसे शामिल भी किया जाना चाहिये। मेरे विचार से यह कला पाठ्यक्रम में है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। क्या वैदिक ज्योतिष का अध्ययन एक विद्यार्थी को वैज्ञानिक बुद्धि वाला बना देगा। दूसरे बहुत कम ज्योतिषी गणित के ग्रहों संबंधी अनुसंधान की वर्तमान जानकारी और अन्य तरीकों से स्वयं को अद्यतन करना चाहेंगे। वे प्राचीन समय से तिथियों पर आधारित भविष्यवाणी करने के वैदिक तरीकों पर विश्वास करते हैं।

इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि एक शिक्षिका की हैसियत से मैं पाठ्यक्रम की आयोजना के बारे में जानना चाहूंगी। स्नातक स्तर पर तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम में 1800 घण्टे का कक्षा पाठ्यक्रम अध्ययन है। क्या ज्योतिष में इतना संस्थापित और एकीकृत ज्ञान है? स्नातकोत्तर स्तर पर आपका एक अन्य पाठ्यक्रम होना चाहिये। क्या आप स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर ज्योतिष सिखा पायेंगे? प्रारम्भिक चरणों पर ये विषय कौन पढ़ायेगा? यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

विश्वविद्यालय में एक व्याख्याता को कला स्नातकोत्तर अथवा विज्ञान स्नातकोत्तर और साथ ही साथ इसमें कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना ही चाहिए। क्या आप इन ज्योतिष के शिक्षकों को नियुक्त करने के लिये सभी नियमों में छूट देने जा रहे हैं?

सायं 6.40 बजे

[**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** *पीठासीन हुए*]

यदि आप नियमों में छूट देते हैं, तो आप कई पीएच.डी. व्याख्याताओं, जो नौकरी नहीं ढूंढ सकते, के साथ अन्याय करने जा रहे हैं। मुझे ज्योतिष से कोई आपत्ति नहीं है, यदि यह पूर्णत:

अनुसंधान तक ही सीमित हो। मुझे इसे पाठ्यक्रम में शामिल करने से भी कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति तो ऐसे दुर्बोध अध्ययनों के निधियन से है। उदाहरण के लिये, पर्यावरणीय अध्ययनों तक के लिये तो यू जी सी से निधियां नहीं मिल पा रही हैं।

यह कहना कि यह सब वेदों में मौजूद है वैसे ही है जैसे कि पेन्टेकोस्टल ईसाईयों का यह कहना कि सब कुछ बाइबल में ही है। धर्म और विज्ञान के बीच का झगड़ा नया नहीं है। यह हमेशा वहां रहा है। 19वीं सदी में तार्किक युग में, डार्विन के विकास सिद्धांत की सृजनात्मक विज्ञान के रूप में चर्च द्वारा निन्दा की गई थी। कुछ मुस्लिम देशों में मुल्ला अपनी प्रौद्योगिकी का आधार अपने पारम्परिक ज्ञान कि जिन्न ऊर्जा के बहुत बड़े स्त्रोत होते हैं, को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं बोलूंगी। यह विडम्बना ही है कि भारत का सर्वाधिक गौरवपूर्ण काल हिन्दु काल नहीं थी, अपितु बौद्ध काल था, जो 600 ई. पू. से 800 ईस्वी तक का था। इस समय बहुत से महान राजा, जैसे अशोक, हर्ष, कनिष्क और कौटिल्य, आर्यभट्ट, कालिदास, इत्यादि जैसे महान लेखक, दर्शनशास्त्री और वैज्ञानिक हुए।

हमारी सभ्यता का ह्रास तब हुआ, जब मानवीय विचारों के प्रवाह का धर्म के नाम पर दमन किया गया। पोप की धार्मिक तानाशाही ने यूरोप में शिक्षा का पतन देखा। भारत में भी वही दोहराया नहीं जाना चाहिये।

अन्त में, मैं शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में दिये गये माननीय प्रधानमंत्री के अपने उद्घाटन भाषण का संदर्भ देना चाहूंगी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि:

> "हमारे विद्यालयों के मूल्य आधारित (नैतिक) शिक्षा भी देनी चाहिये। प्रत्येक विद्यार्थी को भारत में सभी धर्मों की समझ और उनके प्रति सम्मान होना चाहिये तथा हमारी राष्ट्रीय संस्कृति पर गर्व होना चाहिये। धर्मान्धता और असहिष्णुता का कोई स्थान नहीं होना चाहिये। हमें अपनी धार्मिक, भाषा और जातीयता संबंधी विविधता को ध्यान में रखना चाहिये।"

जहां तक प्रधानमंत्री जी का प्रश्न है, मेरे विचार से वे हम सबसे सहमत हैं।

महोदय, शिक्षा समाज में अनेकसंख्यक समाज व्यवस्था को बनाये रखने और उसकी प्रभावी रूप से व्यवस्था करने का साधन है। अनेक संख्यक समाज व्यवस्था को केवल स्वीकार किया ही जाना चाहिये। बल्कि सहन भी किया जाना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री जोवाकिम बरला (अलीपुरद्वारस): माननीय सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है और आपने मुझे ऐसे विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, शिक्षा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, और हम चाहते हैं कि शिक्षा का प्रसार सिर्फ शहरों तक ही सीमित न रहे बल्कि गांवों तक, जहां शोषित, पीड़ित और गरीब जनता रहती है, वहां शिक्षा का प्रसार हो। शिक्षा की आज जो स्थिति है, उस स्थिति में सुधार लाने की आवश्यकता है लेकिन देखा जा रहा है कि आज की मौजूदा सरकार, केन्द्र की एन.डी.ए. सरकार की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें साधारण जनता के प्रति नाइंसाफी की जा रही है। शिक्षा नीति के तहत जो पाठ्यक्रम है, उन पाठ्यक्रमों में परिवर्तन लाकर भगवाकरण करने की कोशिश की जा रही है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के हर कोने में शिक्षा का प्रसार हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि केन्द्र सरकार के कंधों पर सवार संघ परिवार यह निश्चित करे कि किस तरह की शिक्षा नीति भारतवर्ष में लागू होनी चाहिए। हमारे देश में जिस तरह से शिक्षा का प्रचार होना चाहिए था, स्कूल-कालेजों की जो संख्या होनी चाहिए थी, उनकी संख्या में बढ़ोत्तरी करने की सोच इस सरकार की नहीं है, बल्कि सांप्रदायिक तत्वों को उत्साह देने की कोशिश यह सरकार कर रही है। धर्मनिरपेक्षता का जो स्वरूप हमारे देश का है, धर्मनिरपेक्षता पर हमारा जो विश्वास है, उस पर आघात और चोट पहुंचाने की कोशिश यह शिक्षा नीति करने जा रही है और इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

सभापति महोदय, मैं श्री सोमनाथ चटर्जी साहब को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस प्रस्ताव को सदन में लाने और चर्चा करने का अवसर दिया। आज जिस प्रकार से ज्योतिष विद्या को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सम्मिलित करने का प्रयास हो रहा है, मैं उसका विरोध करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है वह वैज्ञानिक तरीके से विकसित हो। यह नहीं होना चाहिए कि धर्मनिर्पेक्ष देश को साम्प्रदायिक भावनाओं और एक गलत रास्ते पर अपनी नीति के तहत यह सरकार ले जाए।

सभापति महोदय, मैं उन सहयोगी दलों का भी धन्यवाद करता हूं जो एन.डी.ए. सरकार में शामिल हैं और जिन्होंने सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध किया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में है, तो क्या केन्द्र सरकार ने प्रदेश के शिक्षा मंत्रियों से सलाह-मशविरा किया या एन.सी.ई.आर.टी. के कहने पर ही इस देश की शिक्षा नीति का

[श्री जोवाकिम बखला]

भगवाकरण करने का निर्णय ले लिया? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या एडवाइजरी कमेटी के साथ बैठक हुई, क्या राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को विश्वास में लिया गया?

सभापति महोदय, इस देश में विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से जो शिक्षा अभी तक दी जाती रही है, वह वैज्ञानिक आधार पर दी जा रही है। उसमें यदि कोई कमी है, तो उसको दूर करने के लिए और उसका आधुनिकीकरण करने के लिए जो हमारा वर्तमान पाठ्यक्रम उपलब्ध है, उसमें जो हमारी आज की आवश्यकता है, उसके अनुसार उसे अपडेट करना चाहिए। मैं इस देश में साइंटीफिक तरीके से शिक्षा देने के पक्ष में हूं। वर्तमान सरकार द्वारा इन तथ्यों पर विचार न करते हुए, जो संघ परिवार है, उसके दबाव में आकर, जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को चलाने की कोशिश कर रही है, वह ठीक नहीं है, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। मैं इसका विरोध करता हूं।

सभापति महोदय, जो एन.डी.ए. की सरकार में शामिल दल हैं, वे इस सरकार की नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करके शिक्षा नीति को वापस लेना चाहिए। इसकी बजाय मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वह देश में स्कूलों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाती है, जो स्टाइपंड प्राप्त करने वाले छात्र हैं, उनका स्टाइपंड क्यों नहीं बढ़ाती है? इस देश में जिस शिक्षा को यह सरकार देना चाहती है उसका कोई लाभ नहीं होगा बल्कि उसमें रुपया पानी की तरह बह जाएगा। इसलिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे देश के सामने लाई जा रही है, जिसके द्वारा शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है, जिसके द्वारा सरकार हिडन एजेंडा को थोपने का प्रयास कर रही है, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): सभापति महोदय, इस सदन में 16 अगस्त से नियम 193 के तहत, सदन के वरिष्ठतम सदस्य और नेता द्वारा शिक्षा के भगवाकरण विषय पर दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। मोटे तौर पर देखा जाए तो सभी दलों के माननीय नेताओं ने चर्चा को कुछ बिन्दुओं पर केन्द्रित कर, सीमित रखने का प्रयास किया है। जैसे शिक्षा का भगवाकरण, शिक्षा का राजनीतिकरण करना और शिक्षाक्रम एवं पाठ्यक्रम में ज्योतिषविद्या और वैदिक गणित को जोड़ना। देश का जो धर्मनिर्पेक्ष स्वरूप है, उस पर भी चर्चा केन्द्रित रही है, लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने इस बहस को संपूर्ण रूप से धर्म के ऊपर ले जाने और धर्मरूपी बादलों से ढकने का प्रयास किया है। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि हमारे मित्र और शिव सेना के नेता, श्री अनन्त गंगाराम गीते जी ने तो भावनाओं में बहकर यहां तक कह दिया कि हमारे संविधान का ढांचा क्या धर्मनिर्पेक्ष है? क्या हमारे संविधान की धर्मनिर्पेक्ष छवि है? इस पर प्रश्नचिह्न लगा दिया।

मुझे बहुत तकलीफ हुई जब मैंने इस सवाल को देखा कि भारतीय संविधान के प्रीऐम्बल में धर्मनिरपेक्ष है या नहीं, जिसका लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता पर ही प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया। हमारे दल या हम लोग धर्मनिरपेक्ष सिद्धान्त के प्रति प्रतिबद्धित हैं, कटिबद्ध हैं, संकल्पित और समर्पित हैं। दुनिया की कोई ताकत हमको इस सिद्धान्त से अलग नहीं कर सकती। एन.डी.ए. में एक खास एजैंडे के तहत हमारा समर्थन है। उस एजैंडे में कोई विवादित मामला आएगा तो सरकार को एन.डी.ए. को विश्वास में लेना जरूरी है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि एन.डी.ए. के घटक दल को नया पाठ्यक्रम जोड़ने के सवाल पर ठीक है, मंत्री जी विद्वान हैं, कह सकते हैं कि यह मिनिस्ट्री का काम था, कनकरैंट लिस्ट में है। ठीक है, कनकरैंट लिस्ट में है लेकिन कल तक ऐजूकेशन स्टेट लिस्ट में भी रहा है। आज प्रश्न काल में बहुत चर्चा चल रही थी कि खेल को कनकरैंट लिस्ट में लाया जाए तब हम ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रैस करेंगे। यह तो कनकरैंट लिस्ट में है, इसमें स्टेट गवर्नमैंट को पूछना जरूरी था। सभी राज्य सरकारों और एन.डी.ए. के घटक दलों को विश्वास में लिए बिना जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कोई फेरबदल या कोई दिशा इस सलेबस में जोड़ने की बात होती है तो विश्वास में लेने की जरूरत है, मैं ऐसा महसूस करता हूं। बिना विश्वास में लिए शिक्षा नीति या कोई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दिशा बनाने का काम हो, मैं समझता हूं कि यह अच्छी परम्परा नहीं है। ठीक है, कोलिशन सरकार है, हम सब घटक दल के लोग हैं लेकिन हम अपने सिद्धान्त को गिरवी रख कर घटक दल के रूप में नहीं रहना चाहते। मुझे बहुत तकलीफ होगी क्योंकि डा. जोशी बहुत विद्वान हैं, वे जिस विषय से पढ़े हैं, उसी विषय से हम भी पढ़े हैं। हम ग्रैजुएशन तक फिजिक्स, कैमिस्ट्री पढ़ कर सदन में आए हैं और बाटनी आनर्स या बाद में बायलौजी ली। जोशी जी विषय को गहराई से जानते हैं। डा. साहब फिजिक्स में पढ़ाते हैं, प्रोफैसर हैं। फिजिक्स में दो बाते हैं - गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर लोहे की छड़ है, एक छोर को गर्म करें दूसरा छोर अपने आप गर्म हो जाएगा। गुड कंडक्टर जाति और धर्म है। इसे जब भी छुएंगे, एक जगह कहीं दंगा हो जाए तो देशभर में लहर हो जाएगी। इसलिए गुड कंडक्टर का मैथड विश्वविद्यालय के सलेबस में नहीं लाना चाहिए। यह बैड कंडक्टर का मामला है। सूखी लकड़ी बैड कंडक्टर है। जैसे बेरोजगारी, रोजगार, गरीबी, भुखमरी का मामला, एक छोर से प्रदर्शन निकालेंगे तो देश के दूसरे कोने में पता भी नहीं चलेगा क्योंकि यह मामला धीरे-धीरे जलता है, सूखी लकड़ी में एक जगह से आग लगाई जाए दो दूसरा छोर जलते-जलते जलेगा और लोहे की छड़ को एक जगह गर्म किया जाए और जाति या धर्म का सवाल शिक्षा नीति में जोड़ेंगे तो पूरा देश आंदोलित हो जाएगा। यह बहुत संवेदनशील मामला है। मैंने इसलिए निवेदन किया क्योंकि डा. साहब गुड कंडक्टर और बैड

कंडक्टर जानते हैं। शिक्षा नीति में दूसरा नम्बर बैड कंडक्टर, सूखी लकड़ी वाला है। ऐजूकेशन रोजगार ओरिएंटेड होनी चाहिए। मेरा सवाल यह है कि सबसे ज्यादा जोर और शक्ति को संजोकर डा. जोशी यदि शिक्षा को रोजगारोन्मुख बना दें तो यह एन.डी.ए. सरकार की सफलता होगी। उनको जाब ओरिएन्टेड ऐजूकेशन बनाने पर अपनी बुद्धि, एक्सरसाइज में लगानी चाहिए न कि दिशा मोड़नी चाहिए। मैं इस बात को इसलिए साफ-साफ बताना चाहता हूं।

बहुत लोगों ने चर्चा की है कि शिक्षा का राजनीतिकरण कर दिया। राजनीति क्या है? राजनीति अल्पकालीन धर्म है और धर्म दीर्घकालीन राजनीति है। राजनीति बुराई की निन्दा करना और बुराई से लड़ाई लड़ना और और धर्म अच्छाई करना, अच्छाई की स्तुति करना है। धर्म और राजनीति की बहस लम्बी चल रही है। आज हमारे राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी खराबी यह है कि नेता लोग वोट के लालच में खासतौर से सच बात कहने से घबराते हैं, कन्नी काटते हैं, बचते हैं। इसका नतीजा यह है कि आज हिन्दू और मुसलमान दोनों का मन खराब रह जाता है, मन साफ नहीं हो पाता, बदल नहीं पाता। मुकम्मल रूप से कौमी एकता नहीं बन पाती।

इसका कारण है कि हम लोग ही सही बात नहीं बोलते हैं, समाज में जो प्रतिनिधित्व करते हैं, 100 करोड़ के देश के सर्वोच्च सदन में सदस्य भी खुले दिमाग से, मजबूत मन लेकर इस बात को नहीं कह पाते हैं। हिन्दू चाहे जितना उदार हो जाये, मैं एक और कह देना चाहता हूं कि फिर भी अपने राम और कृष्ण को मौहम्मद साहब से कुछ अच्छा ही समझेगा और मुसलमान कितना भी उदार हो जाये, लेकिन अपने मौहम्मद साहब को राम और कृष्ण से थोड़ा अच्छा ही समझेगा। मेरा इसमें इतना ही निवेदन है कि धर्म के मामले में इतना ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, 19-20 ही फर्क रहे तो दोनों का मन ठीक हो सकता है, सामंजस्य स्थापित हो सकता है, लेकिन आज यह नहीं हो रहा है। हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे महात्मा गांधी ने कहा है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सब को सम्मति दे भगवान। सन्त कबीर के समय से जो हजारों वर्षों की सन्त परम्परा है, अभी विजय कुमार मल्होत्रा नहीं हैं, वेद और शास्त्र जो अंधविश्वास के द्योतक हैं, जिधर जाने से अब कुछ मिलने वाला नहीं है, हम 2001 में हैं, 2000 वर्ष पीछे चले जायें तो कहां चले जाएंगे, फिर वह शून्यकाल हो जायेगा। इतिहास के कई काल हैं, 2000 साल पहले का तो इतिहास ही नहीं मिलेगा कि क्या है।

श्री सुरेश रामराव जाधव: अगर 2005 में भी आयें तो भी मां को मां ही बोलना चाहिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: आपका टाइटल जाधव है, इसलिए बोल रहे हो, दूसरा यह नहीं बोल सकता। अभी इन्हें इतिहास को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। जाधव में भी कई कैटेगरी हैं, हम अपने विचार को रखते हैं, जहां हैं, तुम अपनी पहचान अपने ढंग से करो। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हजारों वर्ष की जो सन्त परम्परा है, उसमें सन्त कबीर ने कहा था, वही मौहम्मद, वही महादेव। हमारे देश में कहां झगड़ा हुआ, मजहब कहीं आपस में बैर नहीं सिखाता है, लेकिन हम जो शिक्षा के माध्यम से कोई दिशा मोड़ने का काम करेंगे, वह बहुत ही ऐतिहासिक भूल होगी। मैंने इसीलिए निवेदन किया, क्योंकि इस देश पर शिक्षा, संस्कृति और इतिहास को किसने खराब किया है, हजारों वर्षों से इस देश की शिक्षा पर इतिहास पर, राजनीति पर, सम्पत्ति पर, संस्कृति पर किसका कब्जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं, जाधव साहब, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि हजारों वर्षों से इस देश की शिक्षा पर, राजनीति पर, संस्कृति पर, इतिहास पर, सम्पत्ति पर कब्जा कुछ ही लोगों का रहा है। मुट्ठी भर लोगों का कब्जा रहा है। इस देश की शिक्षा पर, राजनीति पर, सम्पत्ति पर, संस्कृति पर तो यह बिगड़ रहा है तो कौन जिम्मेदार हैं, इसको ढूंढकर निकालना चाहिए। आज सवाल यह है कि ऐसे तत्वों को ढूंढना चाहिए। इतिहास बदला नहीं जाता है। इतिहास में नयी साइंस और टैक्नोलोजी की बात हो रही है, हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि दुनिया में साइंस और टैक्नोलोजी में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो वैदिक गणित जोड़ने से हम साइंस में आगे बढ़ जाएंगे? अवैज्ञानिक और अनसाइंटिफिक चीजों पर जोर देने से हम विज्ञान में आगे बढ़ पाएंगे? साइंस और टैक्नोलोजी की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, हिन्दू धर्म में उदारवाद और कट्टरवाद की लड़ाई पिछले पांच हजार वर्षों से चली आ रही है और उसका अन्त अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस देश की सामाजिक बनावट सीढ़ीनुमा है, उस सीढ़ी को तोड़ने के लिए छोटी बुद्धि वाला आदमी हूं, लेकिन मैं विद्वान प्रोफेसर माननीय मंत्री जोशी जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम आप उदारवाद और कट्टरवाद की लड़ाई में अपने को समाहित मत कीजिए, क्योंकि आप उदारवादी रहे हैं, क्योंकि आप सरकार में हैं। आप पर करोड़ों लोगों की नजर लगी हुई है, आपका कोई एक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे कोई ऐसी चीजें पाठ्यक्रम में आयें।...*(व्यवधान)*

मैं खत्म ही कर रहा हूं। क्योंकि रामायण की और महाभारत की यहां बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी तो हम छोटी बुद्धि वाले रायामण को इतना ही समझते हैं कि राम की यात्रा उत्तर से लेकर श्रीलंका तक हुई। राम ने हिन्दुस्तान को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने का काम किया है, राम ने हिन्दुस्तान को तोड़ने का काम नहीं किया है। कृष्ण ने हिन्दुस्तान में पूरब से लेकर और जरासंध तथा कंस से लड़ते-लड़ते पश्चिम में द्वारिका तल चल गये। कृष्ण ने हिन्दुस्तान को पूरब से पश्चिम तक जोड़ने का काम किया है, लेकिन कुछ लोग इनके नाम पर देश को तोड़ने का काम कर रहे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

हैं, यह अच्छा नहीं कर रहे हैं। इतिहास को तोड़-मरोड़कर नहीं देखना चाहिए। पुरुषोत्तम राम ने कभी हिन्दुस्तान को तोड़ने का काम नहीं किया, बल्कि जोड़ने का काम किया। हजरत मौहम्मद साहब को भी बहुत कष्ट हुआ। यहां हमारे माइनोरिटी के साथी राशिद अल्वी साहब बैठे हैं, मौहम्मद साहब को मक्का से मदीना की यात्रा इंसाफ के लिए, सामाजिक विषमता के लिए, गरीबों की हमदर्दी के लिए करनी पड़ी।

सायं 7.00 बजे

हर महान पैगम्बर को, श्रीकृष्ण को भी अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ी। अभी बड़ा हल्ला हो रहा है मथुरा को बचाने का, जबकि वे तो मथुरा से द्वारिका चले गए थे। उनका अपने ही वंश के लोगों ने विरोध किया। कंस कौन था, जरासंध कौन था, ऐसे दकिनायूसी विचारों के एक नहीं हजारों लोग इतिहास में पड़े हुए हैं।

मैं कोई फरिश्ते वाली बात नहीं कहूंगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज इस देश में जरूरत है इस बात की कि 700 बरस के इतिहास का जो नतीजा है, उसको देखा जाए। एक बार डा. राम मनोहर लोहिया, जो इस देश के महान विचारक थे उन्होंने कहा था, वे 1962 में सासंद भी रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मेरा बस चले तो मैं हर स्कूल में, हर बच्चे-बच्ची को सिखाऊंगा कि क्या हिन्दू क्या मुसलमान, रजिया, शेरशाह, जायसी हम सबके पुरखे और साथ ही क्या हिन्दू, क्या मुसलमान, सबको सिखाया जाए कि गजनी और बाबर हमलावर थे। अगर यह भावना होगी तो देश मजबूत होगा।

मैकाले की शिक्षा पद्धति हमारे देश में बहुत समय से चली आ रही है। इसके कारण देश में शिक्षित लोगों के बदले कुशिक्षित लोग पैदा हो रहे हैं। यदि आपको शिक्षा में परिवर्तन करना है तो इस शिक्षा पद्धति में पूरा बदलाव कर दें, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। मैकाले की शिक्षा से, अधिकांश सदस्य सहमत नहीं होंगे, लेकिन मेरा कहना है कि ऐसे ही शिक्षित पैदा हो रहे हैं, जो ब्रिटिश काल से पहले की चली आ रही है। इससे आदमी का व्यक्तिगत स्वार्थ इतना प्रबल हो गया है कि समाज और राष्ट्र का स्वार्थ गौण हो गया है। यही कारण है कि आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता, गरीबी, फटेहाली, बेरोजगारी, राजनीतिक मूल्यों में गिरावट, शोध जनतांत्रिक संस्थाओं का अवमूल्यन, अधिनायकवाद पनप रहा है और भ्रष्टाचार शिष्टाचार में बदल रहा है। विकास का पैसा जमीन में नहीं लग रहा है। इसलिए कि इस बीमारी की जड़ हमारी यह शिक्षा पद्धति है। इसलिए सरकार मैकाले की शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन करने में अपनी इच्छाशक्ति, ताकत और बुद्धिमत्ता को लगाने का काम करे तो हम इसकी ताईद करेंगे।

यहां एन.सी.ई.आर.टी. की बहुत चर्चा हुई है। हम लोग जब कचहरी में जाते हैं तो आज भी देखते हैं कि एक सुग्गा यानी तोता वहां होता है। वह सुग्गा ऐसे ही एक पन्ना उठाता है और उसका मालिक कहता है कि देख लीजिए हस्तरेखा ज्योतिष विद्या का काम। अब सुग्गा वाला काम यूनिवर्सिटी में होगा तो वहां सुग्गे की जगह आदमी आ जाएगा। इससे बेरोजागारी दूर होने वाली नहीं है। ज्योतिषशास्त्र को पाठ्यक्रम में पढ़ाने का काम चल रहा है, यह मेरी समझ से बाहर है। मेरा कहना है कि इसे पाठ्यक्रम में न जोड़ा जाए। जो कचहरी में तोता काम करता है। मुझे लगता है कि पाठ्यक्रम को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसमें डा. जोशी जी के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे कुछ-कुछ बात समझ में आ रही है। जोशी जी के बस में होगा तो वे सुधार करेंगे, लेकिन मुझे इसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिश नजर आ रही है, उसकी बू आ रही है। मैं प्रमाणिक बात बोलना चाहता हूं कि किसी भी देश को गुलाम बनाने के लिए पहले उसकी शिक्षा पद्धति पर हमला किया जाता है। इसीलिए मैकाले की शिक्षा पद्धति गुलामी की शिक्षा पद्धति थी। आज आजादी के 54 साल के बाद भी हम गुलामी की मानसिकता से नहीं उबरे हैं। देश को ऐसी शिक्षा पद्धति में न धकेला जाए। उससे इसे बचाया जाए, क्योंकि इस बार की जो गुलामी होगी, यह ब्रिटिश गुलामी से ज्यादा खतरनाक होगी।

रघुवंश बाबू ने वैज्ञानिकों का जिक्र किया था। 128 वैज्ञानिकों में कौन लोग हैं, आप जरा देखें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. यशपाल, पुणे के खगोल शास्त्री जयंत विष्णु, टाटा भौतिक शोध संस्थान, मुम्बई के गणितज्ञ एस.जी. दानी, बंगलौर के सांख्य विशेषज्ञ अलादि सीता राम, आई.आई.टी. के गणित प्राध्यापक जे.के. वर्मा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, दिल्ली के प्रो. राहुल राय, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष एन.एस. रघुनाथन - उन्होंने कहा है।

वैदिक गणित शब्द का प्रचलन पुरी के पूर्व शंकराचार्य स्वर्गीय जगत् गुरु स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी द्वारा 1965 में लिखित इस नाम की पुस्तक के बाद हुआ। इसमें प्राथमिक गणित एलजैबरा के कुछ उदाहरणों को गणना के उपयोग लायक बताया गया था लेकिन इसी पुस्तक की प्रस्तावना में डा. ए.एस. अग्रवाल ने कहा है: 'पुस्तक में लिखित शब्दावलियों का देश से कुछ संबंध नहीं है।' 1983 के भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकादमी ने एक पुस्तक 'सुलभ सूत्र' जारी की थी जिसके मौलिक सूत्रों का विवरण दिया गया था। उन सूत्रों का वेदों में कोई मतलब नहीं है, इसीलिए वैदिक गणित शब्द पूर्णत: भ्रामक है। गणित की पढ़ाई में गणित की मौलिक अवधारणा है और गणना की पद्धति बताई जाती है जबकि कथित वैदिक गणित इस तरह की पढ़ाई के लिए पूर्णत: अनुपयुक्त है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि दुनिया में कहीं भी स्कूलों

में गणित के प्राचीन ज्ञान को आधुनिक गणित शिक्षा के साथ नहीं पढ़ाया जाता। इसीलिए एक सरकारी एजेंसी द्वारा वैदिक गणित को रखना बच्चों के साथ धोखाधड़ी है, बच्चों के साथ जालसाजी है।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): धन्यवाद महोदय, यह चर्चा मेरे वरिष्ठ माननीय और प्रतिष्ठित साथी श्री सोमनाथ चटर्जी ने प्रारम्भ की थी। चर्चा का शीर्षक "शिक्षा का भगवाकरण है" किन्तु मेरे विचार से यह "शिक्षा का सम्प्रदायीकरण" होना चाहिये।

मैं अपने सम्माननीय साथी श्री सोमनाथ चटर्जी के तर्कों से पूर्णत: सहमत हूं। मैं समयाभाव के कारण केवल कुछ पंक्तियां जोड़ूंगा।

हमारे देश जैसी मिश्रित संस्कृति के मिश्रित समाज में शिक्षा नीति के धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और वैज्ञानिक विशेषतायें बनाये रखने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। जब धर्म राजनीति से जुड़ जाता है, तो देश के विघटन का रास्ता खुल जाता है। शिक्षा का सम्प्रदायीकरण हमारे देश को मध्ययुग में धकेल देगा।

कोई भी व्यक्ति जो वेद का अध्ययन करना चाहता है, ऐसा कर सकता है किन्तु शिक्षा का पाठ्यक्रम वास्तविकता पर आधारित होना चाहिये और यह जीवन के लिये उपयोगी होना चाहिये। शिक्षा राष्ट्र के निर्माण में एक वृहद भूमिका निभाता है। बचपन से जहरीली शिक्षा देना, विद्यार्थियों के बर्बाद कर देगी और आगे चलकर यह हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता के लिये गम्भीर खतरा पैदा कर देगा।

मैं मांग करता हूं कि विद्यालयी शिक्षा के लिये 'कार्य से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम' प्रपत्र लिया जाना चाहिये और राष्ट्रीय सहमति होने तक कोई अन्य प्रपत्र जारी नहीं किया जाना चाहिये। "पारम्परिक ज्ञान' के नाम पर उच्च शिक्षा में यू.जी.सी. द्वारा नये पाठ्यक्रम आरम्भ करने का उद्देश्य पुनरुद्धारवाद को बढ़ावा देना और उच्च शिक्षा की सैद्धान्तिक और वैज्ञानिक विशेषता को खत्म करना था।

शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, इतिहसकारों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों का एक समूह इसका विरोध कर रहे हैं और वे वर्तमान सरकार द्वारा अपनाई गई 'शिक्षा का भगवाकरण' की नीति को अस्वीकार कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुये अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, श्री पलानीमनिक्कम जैसे माननीय सदस्यों और ते.दे.पा. के अन्य सदस्यों, रा.ज.ग. सरकार के सहयोगी दलों ने इसका जोरदार विरोध किया है। उन्होंने सरकार की नीति अथवा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की नीति पर अपना असंतोष व्यक्त किया है।

हमारे देश के विभिन्न विश्वविद्यालय-निधियों की कमी के कारण विद्यार्थियों के लिए आधुनिक प्रयोगशालाओं, आधुनिक पुस्तकों से सुसज्जित प्रयोगशालाओं आदि की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। परंतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, मा.सं.वि. मंत्रालय के आदेश पर, यह अनुदेश पहले ही दे दिया है कि जो विश्वविद्यालय 'वैदिक ज्योतिष' का पाठ्यक्रम आरंभ करेंगे, उन्हें एक प्रोफेसर, दो लेक्चरर और अन्य कर्मचारियों के लिए 14 लाख रुपये दिए जाएंगे।

विश्वविद्यालय निधि की कमी के कारण पिछड़ रहे हैं। निधि की कमी के कारण वे आधुनिक प्रयोगशालाओं की व्यवस्था नहीं कर सकते। वि.अ. आयोग उन विश्वविद्यालयों को 14 लाख रुपये प्रदान कर रहा है जो वैदिक ज्योतिष का पाठ्यक्रम आरंभ करने जा रहे हैं। यह वैदिक ज्योतिष न तो विज्ञान है और न ही कला। मैं मा.सं.वि. मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह हमारे देश को मध्यकालीन युग में न ले जाए। इसकी अपेक्षा हमें आगे बढ़ना चाहिए। मुझे यह कहते हुए खेद है कि श्री मल्होत्रा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से एकदम अनभिज्ञ हैं। और, यदि वे इसे जानते हैं, तो उन्होंने संभवत: हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के तथ्यों को छिपाया है। मुझे यह नहीं मालूम कि वे इस सभा में उपस्थित हैं अथवा नहीं। उन्होंने 1942 के आंदोलन के संबंध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर दोषारोपण किया है। मैं उन्हें और उनके समर्थकों को यह स्मरण करा दूं कि श्रीमती अरुणा आसफ अली, जो बम्बई से तामलुक तक 1942 के आंदोलन की नेता थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य थीं। हमें उन पर काफी गर्व है। अत: मैं मंत्रालय और इस सम्माननीय सभा के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे वर्तमान सरकार की गतिविधि पर नजर रखें। वर्तमान सरकार हमारे देश को पीछे की ओर ले जा रही है तथा हमें मध्यकालीन युग में ढकेल रही है। हमें इस षडयंत्र का अंत करना चाहिए और इस सरकार की प्रस्तावित भगवा एवं सांप्रदायिक शिक्षा नीति के विरुद्ध एकजुट होकर लड़ना चाहिए। मैं श्री सोमनाथ चटर्जी के तर्कों से सहमत हूं। जहां तक मेरी पार्टी का संबंध है, हम मा.सं. विकास मंत्रालय की सांप्रदायिक शिक्षा नीति का पूरी तरह विरोध करते हैं।

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): महोदय, मेरा निवेदन है कि इस चर्चा को आज ही पूरा करें, क्योंकि कल दोपहर के बाद मुझे चीन प्रस्थान करना है। आप सदन की कार्यवाही इस तरह से नियमित करें, जिससे यह चर्चा आज ही पूरी हो जाए। अगर माननीय सदस्यों को कोई आपत्ति न हो, तो इसको जल्दी खत्म कर लें, ताकि इसका जवाब हो जाए। कल क्वैश्चन आवर के बाद मैं चीन जा रहा हूं।...(धन्यवाद)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): आप एन.सी.ई.आर.टी. का कैरिकुलम भी वहां ले जाइए और दिखलाइएगा।

डा. मुरली मनोहर जोशी: उसी पर बहस है। मेरा निवेदन है, अगर सब बातें आ गई हों, सबके विचार आ गए हों, चर्चा को आज ही समाप्त करना हो, को अच्छा होगा। अगर चर्चा को कल पर टाला जाएगा, तो मैं कल तो यहां उपस्थित नहीं रहूंगा।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): आज ही बैठ लीजिए।

डा. मुरली मनोहर जोशी: कितने देर बैठेंगे। आठ-नौ माननीय वक्ता और बोलने वाले हैं।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): सभी दलों का समय तय हो चुका है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मुझे अपने दल की ओर से यह कहना है कि दो और वक्ताओं को अपने भाषण देने हैं। मुझे यह अहसास हुआ था कि वे कुछ मिनटों तक बोलेंगे। अन्य दलों के जिन सदस्यों ने अपने नाम दिए हैं, उन्हें भी बोलने की अनुमति दी जाए। मैं समझता हूं कि सूची बहुत जल्द पूरी हो जाएगी और उसके पश्चात् माननीय मंत्री महोदय उत्तर दे सकते हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी: सूची के अनुसार आठ-नौ और ऐसे सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: चूंकि आप कल चीन जा रहे हैं, अत: कोई समस्या नहीं है। हमारे पास आपकी बात सुनने के लिए पर्याप्त समय होगा और आप भी सदस्यों की बातें सुन पाएंगे। *...(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी: पिछले तीन दिनों से मैं माननीय सदस्यों के भाषण सुन रहा हूं।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: विभिन्न दलों को आबंटित समय पहले ही पूरा हो गया है।*...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यदि आप लिए गए कुल समय पर विचार करें तो पाएंगे कि व्यवधानों के कारण अधिक समय नष्ट हुआ।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): महोदय, आप कांग्रेस पार्टी को भी अलग कर सकते हैं, परंतु एन.डी.ए. के प्रत्येक सहयोगी को बोलने दीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, प्रसिद्ध संसदविद श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा चर्चा हेतु जो विषय उठाया गया है, वह है, "शिक्षा का भगवाकरण।" मैं इन दोनों शब्दों 'भगवाकरण' और दूसरा शब्द जिसे इसके साथ जोड़ा गया है, जो है 'शिक्षा' पर बात करूंगा। इस शब्द के बारे में मेरी बड़ी बहन द्वारा बताया गया है जिसने मुझे अभी तुरंत इसके बारे में भाषण दिया है। उसने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में 'भगवाकरण' शब्द पर आपत्ति जताई है। मैं समझता हूं कि इसे विपक्ष ने नहीं सुना है।

शिक्षा के संबंध में बात यह है कि उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। जिस शिक्षा पर हमने 16 तारीख को चर्चा की थी और जिस पर आज पुन: चर्चा कर रहे हैं, वह ऐसी शिक्षा है जो पिछले 150 वर्षों से विश्व के इस भाग में दी जा रही है। यह शिक्षा थॉमस मैकाले और चार्ल्स वुड का आविष्कार है। अधिकतर हम सबने, स्वामीजी अथवा कुछ अन्य व्यक्तियों के अलावा, यह शिक्षा गांवों में प्राप्त की है और यह बात श्री मणिशंकर अय्यर के साथ लागू नहीं है जिन्होंने अत्यन्त उच्च श्रेणी के पब्लिक स्कूल में शिक्षा प्रात की थी। हम सबने गांवों में पढ़ाई की है। बचपन से ही, मैंने यह समझ लिया है कि वे स्कूल अंग्रेजी स्कूल हैं। हाई स्कूल उच्च श्रेणी के अंग्रेजी स्कूल हैं। मिडल स्कूल ही मिडल अंग्रेजी स्कूल हैं। पाठ्यक्रम अंग्रेजी पाठ्यक्रम है। भौतिकी, रसायनशास्त्र, इतिहास आदि जैसे सभी विषय अंग्रेजी पाठ्यक्रम में हैं।

भारत 150 वर्ष पहले क्या था? यह देश 1857 के पहले क्या था? 1857 से पहले अथवा 17वीं शताब्दी में इस देश में कैसी शिक्षा पद्धति थी? क्या हम सब अंधकार युग में थे? क्या इस देश में कोई भी पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं था? हम आज उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम यह जानने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि 2000 वर्षों से भी अधिक समय से इस देश में कैसी शिक्षा पद्धति थी। परंतु हम इस बात की चर्चा करते रहे हैं कि एक ऐसी शिक्षा पद्धति को कैसे बनाए रखा जाए जो पिछले 150 वर्षों से व्याप्त है अथवा क्या हम उसमें कतिपय परिवर्तन करने जा रहे हैं।

मैं अपने मित्रों को स्मरण कराना चाहता हूं कि जहां तक मुझे ज्ञात है, कम-से-कम मेरे राज्य में हमारी परंपरागत प्राच्य शिक्षा पद्धति को कितने सुनियोजित रूप से उखाड़ फेंका गया। हमारे अनेक स्कूल ऐसे हैं। जिन्हें ट्रेडिशनल ओरिएण्टल लर्निंग (परंपरागत प्राच्य शिक्षा) कहा जाता है। मुझे पक्का विश्वास है कि इसी तरह से स्कूल बंगाल में भी हैं। मुझे यह नहीं मालूम कि उत्तर भारत अथवा दक्षिण भारत में क्या स्थिति है। परंतु यह बिहार, बंगाल और उड़ीसा के कुछ भागों में भी व्याप्त हैं। उन्हें ट्रेडिशनल ओरिएण्टल लर्निंग स्कूल कहा जाता है। जब ब्रिटिश साम्राज्य के लोगों ने अपने प्रकार की शिक्षा लागू करने का प्रयास किया और जब उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति को लागू करना चाहा, तो हमारी

परंपरागत प्राच्य शिक्षा को झटका लगा। अंग्रेजी स्कूलों को राज्य से और समाज से भी पूर्ण संरक्षण मिला। अनेक विद्वानों द्वारा विभिन्न पुस्तकों और विभिन्न साहित्यों में इस बारे में पहले लिखा गया है। आजादी के 54 वर्ष बाद आज तक, यही स्थिति बनी हुई है और मेरा दुर्भाग्य है कि हममें से कई लोग यहां भी इसका समर्थन करते हैं।

धीरे-धीरे, हरेक व्यक्ति जिसने इस अंग्रेजी पद्धति में शिक्षा प्राप्त की अथवा हम कह सकते हैं कि इस यूरोपीय पद्धति में शिक्षा प्राप्त की, ने यह सोचना शुरू किया कि हमारी परंपरागत प्राच्य शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसे अस्वीकार किया जाना चाहिए और जिस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह सोचना शुरू किया कि परंपरागत प्राच्य शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हर विद्यार्थी की एक 'चोटी' होनी चाहिए अथवा उसे 'लंगोटी' अवश्य पहननी चाहिए और इससे अधिक सीखने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने यह भी सोचना शुरू किया कि वह विद्यार्थी परंपरागत प्राच्य शिक्षा केवल संस्कृत हितोपदेश सीखने अथवा व्याकरण अथवा ज्योतिष सीखने के लिए प्राप्त करता है ताकि वह सिर्फ भविष्यवाणी कर सके। परंतु मैं आपको एक बात का स्मरण कराना चाहता हूं। यह बात एक रोचक पुस्तक से उद्धृत की गई है।

उस पुस्तक में कई बातें कही गई हैं। मैं डा. एस. गोपाल द्वारा लिखित एक पुस्तक से उद्धृत करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* वे हमारे देश के श्रेष्ठ इतिहासकारों में से एक, हमारे पूर्व राष्ट्रपति और हमारे देश के अत्यंत प्रतिष्ठित दार्शनिक डा. एस. राधाकृष्णन के पुत्र हैं। मैं उनकी पुस्तक, 'राधाकृष्णन- एक जीवन' के पृष्ठ 143 से एक पैराग्राफ उद्धृत करता हूं। यह एक भविष्यवाणी से संबंधित है। यह डा. राधाकृष्णन से संबंधित भविष्यवाणी है। ऐसा 1934 में हुआ था, अर्थात् स्वतंत्र देश बनने से पहले, हमारे देश के आजाद होने से पहले ऐसा हुआ था।

यह नमक सत्याग्रह के तुरंत बाद किया गया था जब पूरा कांग्रेस आन्दोलन और नागरिक अवज्ञा आन्दोलन से छिन्न-भिन्न हो गया था और हमारे अधिकांश नेता जेल में थे।

> "इन वर्षों के दौरान कभी जब राधाकृष्णन अपनी गर्मियां यूरोप में बिता रहे थे तो वे 'कीरो' से मिले जो अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध हस्तरेखा विशेषज्ञ थे। 'कीरो' ने राधाकृष्णन की हस्तरेखाओं का अध्ययन किया और उसने भविष्यवाणी की कि वे सर्वाधिक ऊंचे पद पर पहुंचेंगे, राष्ट्राध्यक्ष बनेंगे परंतु वे अपनी मृत्यु से पहले अपना मानसिक संतुलन खो देंगे। दोनों ही भविष्यवाणियां उस समय इतनी अप्रासंगिक थी कि वे एक आम मजाक का विषय बन गई।"

मैं यह नहीं कह रहा कि हमें भविष्यवाणियों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा कि किसी तोते या किसी और के द्वारा जो भी भविष्यवाणी की जाती है, वह सत्य हो जाती है। पर इससे संबंधित एक विज्ञान अवश्यक है जिसे शायद हम नहीं जानते हैं। हम यह नहीं कह सकते कि यह केवल इसलिए गलत है क्योंकि हम किसी ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, हम किसी रसायन विज्ञान या किसी विज्ञान से अनभिज्ञ है। ऐसा भी नहीं है कि यह गलत है क्योंकि हम इसे नहीं समझते हैं। जो व्यक्ति उस बात को जानते हैं, कम-से-कम हमारे लोग जो इसे जानते हैं, वे इस ज्ञान को विज्ञान में विकसित कर सकते हैं। यदि कोई प्रयास किया जा रहा है तो उसमें क्या गलत है? हम, भारत में विकास के ऐसे चरण से होकर गुजर रहे हैं जहां कतिपय मूल्यों को बढ़ावा दिए जाने और अन्य को पर्याप्त सीमा तक नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है। ये मूल्य पश्चिम के साथ हमारे वैचारिक सम्पर्क के परिणाम हैं। 1947 में अंग्रेजों के जाने के बाद भी, उस प्रभाव को निरंतर महसूस किया जा रहा है। यदि हम इन बढ़ते प्रभावों के प्रति ज्यादा अनुकूल रवैया अपनाएं, तो स्थिति में सुधार होने लगेगा। आज हमारी बड़ी आवश्यकता अन्य लोगों के प्रति बेहतर समझ बढ़ाने और उनकी सभ्यताओं विशेषकर उनकी नैतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों को समझने की है।

जब हम शिक्षा की बात करते हैं, तो मुझे एक बात का स्मरण होता है जिसे हममें से अधिकतर लोगों ने पढ़ा होगा, वह है दो युद्ध। एक युद्ध तब लड़ा गया जब सिकंदर एक अभियान में आया था- जब पुरू के साथ उसका युद्ध हुआ था। उस युद्ध के बारे में एक प्रश्न उठाया गया था। मैं यह नहीं जानता कि उसका दूसरों पर प्रभाव पड़ा था या नहीं। परंतु एक प्रश्न उठाया गया था। जब युद्ध लड़ा जा रहा था, तब आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या वे मूक दर्शक थे?

यदि वे मूक दर्शक थे तो भारतीय समाज ने यूनानियों के खिलाफ लड़ाई क्यों लड़ी? चन्द्रगुप्त मौर्य किस प्रकार साम्राज्य की स्थापना कर पाये? इतिहास की पुस्तकों में इस बात का उल्लेख क्यों नहीं है? मैं उड़ीसा राज्य से हूं। हम सभी जानते हैं कि उन दिनों दो महान सम्राट थे। एक थे अशोक और दूसरे अकबर। ये दोनों महान सम्राट थे। उड़ीसा दो महायुद्धों का गवाह रहा है। जब मैं प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा करता था तो मेरे मन में सदैव एक प्रश्न आया करता था। श्री प्रसन्न आचार्य जी के मन में भी वही प्रश्न आया होगा। श्री खारबेल स्वाइं जी ने भी यही महसूस किया होगा। जवाहर लाल नेहरू जी ने यह बात दावे के साथ कही कि अशोक एक महान राजा थे। अनेक इतिहासकारों का दावा है कि वह एक महान राजा थे। उन्होंने कई काम किए। उनके शासन के दौरान राष्ट्र ने खूब प्रगति की। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने हिंसा त्याग दी। अहिंसा का मार्ग और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद

[श्री भर्तृहरि महताब]

क्या मगध अथवा अशोक ने कलिंग को आजाद कर दिया? यदि नहीं, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? इस प्रश्न का इतिहास की पुस्तकों में जवाब नहीं है। इसी प्रकार अकबर के शासन के दौरान उत्कल के अंतिम गजपति राजा, मुकुंद देव द्वितीय ने बंगाल के अफगानी शासकों के खिलाफ लड़ने के लिए जोश में आकर सहायता मांगी। लेकिन बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद मुगल सेना उड़ीसा के युद्ध के मैदान में नहीं पहुंची। लेकिन तीन वर्षों के अंदर ही मुगल सेना ने बंगाल और उड़ीसा दोनों स्थानों पर लूट-खसोट की। रानी कर्नावती के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये सभी ऐतिहासिक तथ्य हैं लेकिन चूंकि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, इसलिए हमें इतिहास की पुस्तकों में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। क्या इसका यही कारण है? तथ्यों को नजरअंदाज करके किया गया इतिहास का अध्ययन एक निष्फल प्रयास बन जाता है, जैसाकि पिछले कई वर्षों से मूल्यांकन के समकालिक मानदंडों के अनुसार किया जा रहा है जो भू-राजनीतिक, वैज्ञानिक प्रगति और मीडिया के प्रभाव से प्रभावित हुआ तथा जिससे अवमान की भावना पैदा होती है। इतिहास अब एक उबाऊ विषय बन गया है और युवा मस्तिष्क पर नाहक दबाव डाल रहा है।

मेरी बेटी स्कूल में पढ़ती है। उसने मेरे सामने एक प्रश्न रखा जो अलेक्जेंडर और पुरू के बीच हुए युद्ध के बारे में था। उसने मुझसे एक और प्रश्न पूछा। वह प्रश्न यह था कि जब अलाऊद्दीन खिलजी की सेना ने कई हफ्तों तक चित्तौड़गढ़ के किले को घेर कर रखा तो घुसपैठियों के खिलाफ विद्रोह क्यों नहीं किया गया? यदि इतिहास की पुस्तकों में इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है तो क्या इसे भगवाकरण कहा जा सकता है? हमें प्रचीन भारत पर गर्व है, वह भारत जिसने न केवल दक्षिण-पूर्व के अपितु मध्य-एशिया, सुदूर पूर्व और मध्य पूर्व के छात्रों को भी आकर्षित किया। यह क्यों कहा जाता है कि वास्को-डि-गामा ने भारत की खोज की? क्या हमारे अपने नौवहन क्रियाकलापों के बारे में पाठ्यपुस्तकों में कुछ उल्लेख किया गया है? क्या पाठ्यपुस्तकों में राजाराजा चोला के बारे में कुछ कहा गया है जिन्होंने बंगाल की खाड़ी पर विजय पाई? क्या पुस्तकों में अरब देशों जैसे, रोम के साथ हमारे नौवहन क्रियाकलापों के बारे में उल्लेख है? यदि उचित शोध के पश्चात्, इन सभी बातों का स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में अब उल्लेख किया जाता है, तो इसमें गलत क्या है?

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): इतिहास की पुस्तकों में इन सभी बातों का उल्लेख मिलता है। उन्होंने इसे पढ़ा नहीं है। इन विषयों पर अनेक किताबें हैं।...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब: मेरा सविनय अनुरोध है कि हमारे छात्र इसे समझ नहीं पाते।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: भर्तृहरि महताब जी, कृपया अपने स्थान पर बैठिए। अब श्री सी. श्रीनिवासन बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब: मुद्दा यह है कि ईसाई धर्म लगभग 2000 वर्ष पूर्व भारत पहुंच गया था। लेकिन हमारे स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। ईसाई धर्म यूरोप में पहुंचकर ज्ञान का प्रसार करने से पहले ही भारत पहुंच चुका था। फिर भी वे कहते हैं कि हमारे देश की खोज की गई थी, हमारे समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, हमारी खोज की गई थी। यदि हमारी पाठ्य पुस्तकों में इसका उल्लेख किया जाता है तो हमारे छात्रों को इस पर गर्व होगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अब आपका भाषण समाप्त हुआ। कृपया आसन ग्रहण कीजिये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आपकी कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जा रही है। आप आसन ग्रहण कीजिये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आपका भाषण समाप्त हुआ। अब रिकार्ड में नहीं जायेगा। श्री सी. श्रीनिवासन, आप अपना भाषण जारी रखिये।

[अनुवाद]

***श्री सी. श्रीनिवासन** (डिंडीगुल): माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा को साम्प्रदायिक रंग देने का प्रयास करने हेतु सरकार की निंदा करने के लिए इस प्रस्ताव के प्रस्तावक, मेरे सम्मानित सहयोगी और संसद के कम्यु. (मा.) दल के नेता श्री सोमनाथ चटर्जी को धन्यवाद देता हूं। मैं अध्यक्षपीठ को अपने दल अन्नाद्रमुक की ओर से मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए और श्री सोमनाथ चटर्जी, जिन्होंने इस सरकार द्वारा शिक्षा का भगवाकरण करने के अपने निंदनीय प्रयासों की आलोचना करते हुए कई तर्क दिए, द्वारा नियम 193 के अधीन शुरू की गई इस चर्चा में भाग लेने के लिए धन्यवाद देता हूं।

---

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

विपक्ष की माननीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने सभी को शिक्षा प्रदान करने और इसे सार्वभौमिक बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुये सभी को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर देने को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

भारत विभिन्न भाषाओं, संस्कृति और धर्मों का देश है। जब एक सर्वप्रचलित आम भाषा के प्रश्न का अभी तक समाधान नहीं हो पाया है तो हम देश के लिए एक समान शिक्षा नीति कैसे तैयार कर सकते हैं? विभिन्न धर्मों के सांस्कृतिक लोकाचारों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

मैं तो केवल यही महसूस करता हूं कि सिर्फ संबंधित राज्य सरकारें ही अपने-अपने क्षेत्रों की भाषाओं और संस्कृति की रक्षा कर सकती हैं। वे अकेले ही क्षेत्रीय आकांक्षाओं की रक्षा करते हुये अपने-अपने राज्यों की प्रगति और विकास में बेहतर योगदान दे सकती हैं।

जब हमारा संविधान बनाया गया तो संविधान निर्माताओं ने 'शिक्षा' को राज्यों की सूची में रखने की आवश्यकता महसूस की। बाद में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। और अब हम यह देख रहे हैं कि केन्द्र में बैठी सरकार शिक्षा के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रही है जिसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

मुझे ऐसी आशंका है कि इतिहास को विकृत करने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की आड़ में पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का पुन: निर्धारण किया गया है और यह समय को वापस पीछे ले जाने के सिवाय और कुछ नहीं है। यह भावी पीढ़ी को मध्ययुगीन काल के माध्यम से पीछे विगत की ओर ले जाएगा। उससे ऐसी सोच विकसित होगी जो कि इस आधुनिक वैज्ञानिक युग के लिए उपयुक्त नहीं होगी।

सभी धर्मों के अध्ययन की शुरूआत करने की मांग करते हुये एकपक्षीय दृष्टिकोण अपनाने का सोद्देश्य प्रयास किया गया है। आस्था और ज्ञान के प्रसार के नाम पर अंधविश्वासों की शिक्षा दी जाती है। वैज्ञानिक प्रकृति के विपरीत ज्योतिषविद्या के अध्ययन को बढ़ावा देने की बात कही गई है।

मैं इसके पीछे छिपे षडयन्त्र की निंदा करता हूं और मुझे इस संबंध में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों पर दुख है।

केन्द्र का यह परम कर्त्तव्य है कि वह इस देश का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करे। बुनियादी जरूरतें पूरी की जानी चाहिए। इसकी बजाय, सरकार समान शिक्षा के भ्रामक उद्देश्य, गलत लोगों द्वारा धर्म की शिक्षा और अवांक्षित पाठ्यचर्या शुरू करने का साहस कर रही है।

पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम की विषयवस्तु और पाठ्यक्रम तैयार करने का कार्य राज्य सरकारों और निष्पक्ष शिक्षाविदों पर छोड़ा जाना चाहिए।

संस्कृत के बारे में चर्चा के दौरान बहस की गई जो कि मेरे विचार से अवांछित है। ऐसा दिखाया गया कि मानो संस्कृत ही इस देश की एकमात्र शास्त्रीय भाषा है। हमें मालूम होना चाहिए कि तमिल इस देश की प्राचीन और शास्त्रीय भाषा है। विश्व की शास्त्रीय और प्राचीन भाषाओं में एक तमिल भाषा में ज्ञान का भंडार है और इसमें विशिष्ट साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तमिल को भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए। तमिल को उचित महत्व देते हुए देश की सभी प्रतिष्ठित भाषाओं को समान रूप से प्रोत्साहन देने के तरीके खोजने की बजाय, सरकार अनावश्यक रूप से शिक्षा पद्धति के साथ छेड़-छाड़ कर रही है।

शिक्षा और इसके ढांचे के बारे में कई अवधारणाएं हैं। एक आदर्श शिक्षा में शारीरिक शिक्षा अवश्य शामिल होनी चाहिए जो सही भावना और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करे जिससे आजीविका के लिए कुशलता प्राप्त हो सके। शिक्षा को कारगर बनाने और उसके पुनर्निर्धारण हेतु कोई प्रयास करते समय इन बुनियादी पहलुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए।

तमिलनाडु में हाल ही में पेश किए गए बजट में हमारी क्रांतिकारी नेता डा. जयललिता के नेतृत्व वाली सरकार ने पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता की बात कही है। प्रोत्साहन देने संबंधी कई योजनाओं की घोषणा की गई है। ओलंपिक स्तर पर धावकों के बढ़िया प्रदर्शन को उचित रूप से पुरस्कृत किये जाने की मांग की गई है। इसकी देशभर में सराहना हुई है और इसका स्वागत किया गया है।

मेरा सुझाव है कि सरकार हमारे नेता पुराची थलेवई द्वारा स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक के हकदार खिलाड़ियों को सम्यक् रूप से पुरस्कृत करने हेतु अपनाये गए सही दृष्टिकोण का अनुसरण करे। स्वर्ण पदक विजेता के लिए 1 करोड़ रु., रजत पदक विजेता के लिए 50 लाख रु. और कांस्य पदक विजेता के लिए 25 लाख रुपये की घोषणा की गई है। केन्द्र सरकार को शारीरिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ने की अनिवार्य आवश्यकता पर ध्यान देना चाहिए। केवल तभी भारत एक संपन्न राष्ट्र के रूप में आगे आ सकता है।

इस चर्चा में भाग लेने वाले कई सदस्यों, जिसमें रा.ज.ग. सरकार के सहयोगी दल भी शामिल थे, ने इस सरकार की आलोचना की और उस पर आरोप लगाये। विशेष रूप से जब जनता दल (संयुक्त) के श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी बोले, तो

[श्री सी. श्रीनिवासन]

उन्होंने कहा कि राजनीतिज्ञ कभी सच नहीं बोलते और उनकी बात में सच्चाई है।

उदाहरण के लिए द्रमुक पार्टी के एक सदस्य द्वारा साहसिक निर्णय लिए जाने की घटना को लें जिसमें उन्होंने थंथई पेरियार को गौरवान्वित करते हुये साहसपूर्ण बातें कहीं। उन्होंने ज्योतिषविद्या पाठ्यक्रम लागू करने का विरोध किया जो अंधविश्वासों के प्रति बड़े जोश के साथ लड़ने वाले पेरियार के सिद्धांतों के विपरीत था। तमिल में एक मुहावरा है जिसमें यह कहा गया है कि 'पर उपदेश कुशल बहु तेरे'। जो लोग पेरियार के उपदेशों की शिक्षा देते हैं, वे ज्योतिषियों के द्वारा बताये गये विशेष रंग की शालें और अंगूठियां पनहते हैं। वे भाग्य में भी विश्वास करते हैं वे हर जगह अपना रुख बदलते रहते हैं।...*(व्यवधान)*

जैसाकि श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने सही कहा था कि कुछ राजनीतिज्ञ अपने सिद्धांतों और उपदेशों को अपने ऊपर कभी लागू नहीं करते।

डा. मुरली मनोहर जोशी एक शिक्षित व्यक्ति हैं और वह अध्यापन व्यवसाय से जुड़े हुए थे। उनके जैसे विद्वान व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करने में विषयपरकता सुनिश्चित करनी चाहिए। हमारे संविधान निर्माताओं की भावना को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को केवल राज्य सूची में ही स्थान मिलना चाहिए। राज्य सरकारें अपनी-अपनी शिक्षा नीति तैयार करने के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए। राज्यों को अपने क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने का अधिकार होना चाहिए। राज्य सरकारों को अपनी युवा पीढ़ी की शैक्षणिक प्रोन्नति के अनुकूल बेहतरीन पाठ्यक्रम का निर्णय करना चाहिए।

मैं केन्द्र सरकार से शिक्षा प्रणाली में हस्तक्षेप न करने का अनुरोध करता हूं। मैं माननीय मानव संसाधन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि ऐसे जटिल और विवादित मामले में केन्द्र हस्तक्षेप न करे।

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर): सभापति महोदय, आमतौर पर मैं संक्षेप में बोलती हूं। आज मैं थोड़ा अधिक बोलूंगी। मैं समय की कमी से वाकिफ हूं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है परंतु मुझे आशंका है कि भावना में बहकर विषय से दूर चले गये हैं? दोनों ही पक्षों के विचारों में विषय के अंदरूनी महत्व का अभाव है। यह इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है हम इस सरकार की शिक्षा-नीति के एक विशेष पहलू की आलोचना कर रहे हैं अपितु इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चर्चा का और अधिक महत्व है। इसके अन्तर्गत जो विवादास्पद प्रश्न है, उसका सम्बन्ध शैक्षिक स्वतंत्रता से है।

मेरा यह मानना है कि शिक्षा को शिक्षाविदों और विद्वानों के भरोसे छोड़ दिया जाना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या राज्य को कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए। क्या उसमें हस्तक्षेप करना उनका काम है? क्या राज्य को शिक्षा-संबंधी मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है?

मैं वर्ष 1996 तक अपने सारे जीवन काल में शिक्षा के क्षेत्र में ही रही हूं। मैं अपनी शिक्षा के भगवाकरण अथवा अन्य किसी रंग में रंगने के पक्ष में नहीं हूं। मेरा संबंध पश्चिम बंगाल से है। मुझे प्रसन्नता है कि श्री सोमनाथ चटर्जी ने यह विषय रखा है। परन्तु साथ ही मैं कुछ उलझन में हूं कि उन्होंने इसको शुरू किया है क्योंकि मेरे राज्य पश्चिम बंगाल में श्री सोमनाथ चटर्जी ने शिक्षा को सिंदूरी लाल रंग में रंग दिया है। उसके कारण हमें परेशानी हुई है। चूंकि उस सिंदूरी रंग के कारण हमें परेशानी हुई, इसलिए मैं भगवाकरण के बारे में भी आशंकित हूं। यद्यपि माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के मस्तिष्क में जो कुछ है, उससे किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, फिर भी मैं यह मानती हूं और आशंकित हूं क्योंकि इस अति-रंग की वजह से हमें अपने राज्य में बहुत कुछ झेलना पड़ा है। मेरे राज्य में उन्होंने जो कुछ किया है, उसके उपरांत मुझे नहीं लगता कि श्री चटर्जी को भगवाकरण नीति की आलोचना का कोई अधिकार है।

मैं अपने अनुभव से देख चुकी हूं। रामकृष्ण मिशन के स्कूलों में जहां स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर रोक है, मैं देख चुकी हूं। 'ब्रह्म' प्रकृति के शैक्षिक संस्थान से मेरा गहन संबंध रहा है। 'ब्रह्म' महाविद्यालयों को परेशानियां हुई हैं और पश्चिम बंगाल में उनके शासन में ये महाविद्यालय भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं।

जो कुछ भी हो, आज का प्रश्न यह है कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब हम मूल्य आधारित शिक्षा की बात कर रहे हैं। मैं मानव संसाधन विकास समिति की सदस्या थी, जिसने मूल्य आधारित शिक्षा पर रिपोर्ट दी थी। अध्यक्ष श्री चव्हाण थे। हमने उस पर काफी समय लगाया। हम ऐसे संस्थानों की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में गये, जहां मूल्य-आधारित शिक्षा दी जाती हो। जब हमने रिपोर्ट दी और मूल्य-आधारित शिक्षा के बारे में बात की तो हमारा तात्पर्य धर्म से नहीं अपितु भारत की आध्यात्मिक विरासत को जीवित रखने से था। हमारी यही मंशा थी। चूंकि जीवन में मूल्य आवश्यक होते हैं, अत: किसी विशेष धर्म से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हमने देखा है कि किस प्रकार युवा लोगों में मूल्यों का ह्रास हो रहा था। अत:, हमने मूल्य-आधारित शिक्षा पर अधिक बल दिया। परंतु वह भारत की बहुरंग - आध्यात्मिक विरासत थी। साथ ही, हमें विज्ञान में हो रही प्रगति को भी देखना है। मुझे विश्वास है कि श्री जोशी, जो स्वयं वैज्ञानिक रुझान रखते हैं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे।

मैंने ज्योतिष-शास्त्र को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की पर्याप्त आलोचना सुनी है। मैं इस पर नहीं बोलूंगी। प्रत्येक वक्ता ने इस विषय पर बोला है। मैं मात्र इतना ही कहूंगी कि हम युवाओं को इतना ही बताना चाहते हैं कि वे ग्रह-नक्षत्र क्या कहते हैं, उस पर निर्भर रहने के बजाय वे अपनी प्रतिभा और मेहनत का आश्रय लें। यदि हम ऐसा करेंगे, तो यह स्थिति बहुत अच्छी स्थिति होगी।

नि:संदेह, संस्कृत महान भाषा है। मैंने स्वयं संस्कृत पढ़ी है। मैं अभी भी संस्कृत की विद्यार्थी हूं। यह एक महान भाषा है। मैंने अध्यापिका के रूप में यह भी देखा है कि जिन लोगों को संस्कृत का अच्छा ज्ञान है, वे हिन्दी तथा अन्य भाषाएं लिखने में भी प्रवीण है। संस्कृत हमेशा से रही है। उसे रहना भी चाहिए। परन्तु आज जब अचानक यह मामला उठा कि बोलचाल की संस्कृत पढ़ाई जानी चाहिए तो मुझे किंचित आश्चर्य हुआ। वास्तव में मुझे नहीं लगता कि यह आवश्यक है। यह सिर्फ समय की बर्बादी होगी। जो व्यक्ति शास्त्रीय-ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसे संस्कृत सीखनी चाहिए। परन्तु बोलचाल की संस्कृत सीखना कतई आवश्यक नहीं है।

सायं 7.45 बजे

[**श्री के. येरननायडू** *पीठासीन हुए*]

अब, मैं डा. जोशी से अनुरोध करना चाहता हूं कि- जैसाकि मैंने कहा है- इसके बारे में काफी गलत-फहमियां हैं - हो सकता है कि इसके कुछ नुकसान न हों, परंतु ठोस चर्चा के अतिरिक्त वे जो कुछ कर रहे हैं, जो हमारे समक्ष आ रहा है - और जैसाकि मैं स्वयं उन्हें बता रही हूं कि इस एक विशेष रंग की वजह से मुझे पहले ही काफी पेरशानी हुई है, मैं शिक्षा में दूसरे किसी रंग की वजह से परेशानियां नहीं उठाना चाहती।

मैं चाहती हूं कि उन्हें हमारे देश के बहु-भाषायी, बहुसंस्कृतीय और बहु-आध्यात्मिक स्वरूप का स्मरण रहे। यदि उन्हें लगता है तो उन्हें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और अपने अन्य सदस्यों को भी इस विषय पर पुन: विचार करने के लिए कहना चाहिए क्योंकि इसमें अनावश्यक आशंकाओं के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। इस उद्देश्यार्थ, मैं उन्हें कहूंगी कि वह जो पाठ्यक्रम शुरू करने वाले हैं, उसके कुछ पहलुओं पर पुन: विचार करें।

परंतु, मैं इस संसद और सरकार से यह आश्वासन चाहती हूं कि शिक्षा को शिक्षाविदों पर छोड़ दिया जायेगा। सरकारें आयेंगी और चली जायेंगी। केन्द्र में भिन्न मतों वाली सरकारें आयेंगी, विभिन्न राज्यों में हमारे यहां पहले से ही भिन्न मतों वाली सरकारें हैं। इसे ध्यान में रखते हुए मैं इस संसद और सरकार से यह आश्वासन देने का अनुरोध करती हूं कि शिक्षा क्षेत्र अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रख सकता है। यदि हम सच को जानना चाहते हैं, तो ऐसा करना आवश्यक है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, चूंकि उन्होंने मेरा नाम लिया है, मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे राज्य के बारे में कुछ बताया है, मैं इस बात का पुरजोर खण्डन करता हूं कि...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता, दक्षिण): महोदय, श्रीमती कृष्णा बोस ने बिल्कुल ठीक कहा है। हालांकि हम इस प्रणाली का समर्थन नहीं कर रहे हैं फिर भी श्री चटर्जी ने जो कुछ कहा है, उसमें भी सच्चाई नहीं है...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): यदि पश्चिम बंगाल में कुछ हो रहा है, तो उन्हें इस पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूं मैंने तो केवल इतना ही कहा था कि मैं इस आरोप से इंकार करता हूं...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, श्रीमती कृष्णा बोस ने मेरे राज्य के बारे में जो कुछ कहा, वह ठीक है। यदि उनका कथन ठीक नहीं है, तो मैं उनसे कहूंगी कि वह अपने शब्द वापस ले लें। परन्तु यदि कथन सत्य है तो श्री सोमनाथ चटर्जी को इस सभा से त्यागपत्र दे देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): सभापति महोदय, युगों से भगवा रंग को आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता रहा है। परंतु आज हम देखते हैं कि संघ-परिवार के हाथ में भगवा रंग का झंडा लिए हुए और साधु-संत का वेष धरकर सांप्रदायिक राजनीति का खेल खेल रहे हैं और उसी के अनुसरण में शिक्षा को लक्ष्य बनाये हुए हैं।

आज, शिक्षा व्यवस्था में सांप्रदायिक विचारधारा का वायरस फैलाने की सुनियोजित योजना है। प्रभावग्राही युवाओं के मन मस्तिष्क को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अनुरूप ढालने का सुदृढ़ प्रयास किया जा रहा है। देश की सांस्कृतिक विरासत और चिरंतन बहुव्यापी परंपराओं पर घातक प्रहार हो रहा है।

महोदय, मानव संसाधन मंत्री के रूप में डा. मुरली मनोहर जोशी का पहला कार्य राष्ट्रीय कार्य संचालन समिति को भंग करना था जिसमें अग्रणीय इतिहासवेत्ता और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का

[श्री पवन कुमार बंसल]

काम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद् की पाठ्यक्रम पुस्तकों का मूल्यांकन करना और कुछेक राज्यों की पाठ्यपुस्तकों से संप्रदाय आधारित सामग्री की पहचान करके उसे निकालना था। इस समिति को इसलिए भंग किया गया क्योंकि इसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों के लिए घोर अपमान की बात माना गया।

महोदय, आज डा. मुरली मनोहर जोशी या मुझे यह करने दीजिए कि आचार्य मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यह मानता है कि समय का अध्ययन वैदिक ज्योतिष विद्या के माध्यम से बेहतर ढंग से किया जा सकता है।

ब्राह्मांड में पृथ्वी का अस्तित्व कब से है, इसकी बेहतर जानकारी वैदिक ज्योतिषशास्त्र से मिलती है। वैज्ञानिक तरीकों के बजाय वैदिक ज्योतिषशास्त्र के माध्यम से भूकंप और मौसम संबंधी पूर्वानुमान अधिक बेहतर ढंग से लगाये जा सकते हैं। अत: उपग्रह कार्यक्रम पर खर्च किए गए अरबों रुपये पैसे की बर्बादी ही थी। आज वह जो चाहें करें, खगोलशास्त्र को ज्योतिषशास्त्र के सामने झूठा साबित किया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम कि कल हमें यह बताया जाये कि गाय का गोबर जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में फर्श और दीवारें लीपने के काम में लाया जाता है, वह आणविक विकीरण का मार्ग बदल सकता है। मुझे नहीं मालूम कि भौतिकी में डाक्टरेट की उपाधिप्राप्त मंत्री महोदय हमें यह बताएंगे।

महोदय, आई.सी.एच.आर. में चल रहे एक अत्यन्त विद्वतापूर्ण शोध 'टुवार्ड्स फ्रीडम' पर हमला किया गया और गत दिनों मंत्री महोदय का इस बात को अस्वीकार करना भी देश के लोगों को विश्वास नहीं दिला सका है।

भारतीय ऐतिहासिक पत्रिका और कुछ अन्य प्रकाशनों पर भी हमला किया गया है। इन कार्यों से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विचारधारा और एजेन्डे की प्रधानता स्पष्ट होती है और उन लोगों को स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है जो कि उस वक्त आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहे थे जबकि स्वतन्त्रता सेनानी साम्राज्यवादी शासकों के हाथों यातना सह रहे थे।

महोदय, अभी परसों प्रधानमंत्री आवास पर स्वयं प्रधानमंत्री ने श्री लक्ष्मण राव इनामदार की तुलना पंडित जवाहर लाल नेहरू के साथ यह कहते हुए की कि जब पंडित जवाहर लाल नेहरू आजाद हिन्द फौज के वीरों की पैरवी कर रहे थे तो श्री लक्ष्मण राव इनामदार उन व्यक्तियों के वकील के रूप में पेश हुए थे जो कि महात्मा गांधी की हत्या में शामिल थे। महोदय, हमारे माननीय मंत्री इतने उत्साही एवं असहिष्णु हैं कि उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के विचार और कार्य उनकी पसन्द के प्रतिकूल हों तो वह भी उन्हें अग्राह्य हो जाता है। प्रो. एम.एल. सोंधी का मामला भी इसी प्रकार का है। प्रो. एम.एल. सोंधी ने भारत-पाक संबंध पर उस समय शैक्षणिक सेमीनार आयोजित करने का निश्चय किया जबकि जनरल मुशर्रफ के आगमन का बहुत प्रचार किया जा रहा था। लेकिन यह बात सरकार को पसन्द नहीं आई और उनके बारे में यह माना गया कि वे निष्ठावान नहीं हैं इसलिए उन्हें निकाल दिया गया। महोदय, बताया जाता है कि श्री एम.एल. सोंधी ने राजग के संयोजक श्री जर्ज फर्नान्डीज को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों में सरेआम शोषण को रोकने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा है कि इस समय भारत के लोग सच्चे प्रजातन्त्र में रह रहे हैं जिसे भगवाकरण के नाम पर धोखा नहीं दिया जा सकता। ये शब्द प्रो. सोंधी के हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मैंने कितने मिनट लिये हैं?

सभापति महोदय: श्री जयपाल रेड्डी बोलने के इच्छुक हैं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, मैं मुख्य सचेतक नहीं हूं। मैं अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर सकता। इसका निर्णय मेरे दल के मुख्य सचेतक करेंगे...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मैं अत्यन्त संक्षेप में बोलने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आप चाहते हैं तो मैं अभी बैठ जाऊंगा।

महोदय, मैं फिरोजशाह रोड पर रहता हूं। मैं सुबह टहलते समय जब आई.सी.सी.आर. परिसर पहुंचा तो मैंने वहां बोर्ड पर यह एक नई घोषणा देखी 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनफारमेशन गेटवे'। हमें ज्ञात है कि मनाली में दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर एक नया शोध संस्थान शुरू किया जाना है। महोदय, राष्ट्रीय स्वयं संघ के विचारों को व्यक्त करने वाली इस सरकार और माननीय मंत्री के कुछ कार्यों से देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थानों की विश्वसनीयता को गहरा आघात लगा है। मैं आप द्वारा लगायी गई समय सीमा के प्रतिबंध के कारण इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि आज भारतीय संस्कृति को दर्शाने वाले संग्रहालयों में भी परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है, जो यह दर्शा सकें कि हड़प्पा संस्कृति भी मूलत: आर्य सभ्यता थी और जिससे इस मत की पुष्टि हो सके कि आर्य लोग यहीं के थे वे कहीं अन्यत्र से नहीं आये थे।

महोदय, हमारी राजनीतिक व्यवस्था में हिन्दुत्व के बहुमत के आकार को देखते हुए भाजपा जैसा निष्कर्ष निकालना खतरनाक है।

वीर सावरकर के लिए हिन्दू वह व्यक्ति है जो कि इस भूमि को अपनी मातृ भूमि और पवित्र भूमि मानता है। लेकिन इस सिद्धान्त से उदारवादी भारतीय दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं होता है। दुर्भाग्य से, भाजपा के सहयोगी इस कपटपूर्ण नीति को नहीं समझ पाये हैं।

हर आम आदमी आज यह स्वीकार करता है कि किसी भी धर्म और विश्वास को मानने वाला भारतीय अन्य भारतीयों के समान ही है और किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह किसी पर देशभक्ति थोपे और दूसरों के बारे में कोई फैसला दे। महोदय, ससम्मान मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा के हिन्दुत्व में हिन्दुत्व के लिए कोई सम्मान नहीं है। यह लोगों को भ्रमित करने का राजनीतिक आन्दोलन है। मैं राष्ट्रीय हित में माननीय मंत्री और सरकार से अनुरोध करता हूं कि एक नेक ऐतिहासिक भारत का विकास किया जाये। ऐसा न करें कि आपके पहले के कार्य वर्तमान में मानसिक कष्ट दें। अन्यथा इतिहास में आपकी तुलना तालिबान से की जायेगी जिसने बिना किसी पश्चाताप के अफगानिस्तान में बुद्ध की स्मारक प्रतिमाओं पर बमबारी की। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने ललाट पर इतिहास के धब्बे न धारण करें बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता तथा भारत की व्यापक बहुलता इसकी विविधता इसकी भाषायी और बहु-संस्कृतियों की विशेषताओं का तिलक धारण करें। आज भाजपा को एक उपमहाद्वीप जैसे विशाल भारत राज्य के कामकाज की जिम्मेदारी सौंपी गई है लेकिन इसका नेतृत्व एक मत विशेष की पार्टी और पूर्वाग्रहों को त्यागने को तैयार नहीं है। यह धर्मनिरपेक्ष और प्रजातान्त्रिक परम्पराओं और संस्थाओं को नष्ट करने में गौरव महसूस करती है।

विभिन्न राज्यों में जहां भाजपा कुछ समय के लिये सत्ता में आयी पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन करने के प्रयत्न किए गये लेकिन वे प्रयास असफल हो गये। गुजरात में सरकारी कर्मचारियों को आर.एस.एस. में शामिल करने के प्रयासों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। भारत की जनता प्राचीन उदारवादी दृष्टिकोण और विश्वास के साथ खिलवाड़ करने के किसी भी प्रयत्न को निष्फल कर देगी। मुझे ज्ञात नहीं कि भाजपा इस बात को समझेगी या अपना दृष्टिकोण बदलेगी। लेकिन मैं निश्चय ही सरकार में उसके सहयोगियों से, जो कि इस समय भाजपा के साथ हैं, इस बात को समझने का अनुरोध करना चाहता हूं। अनुच्छेद 370 को रद्द करने संबंधी मुद्दों की उपेक्षा की जा रही है। परन्तु वास्तव में भाजपा द्वारा शिक्षा पर थोपी जा रही कपटपूर्ण नीति को नहीं समझा पा रहे हैं। मैं राजग के लोगों से केवल इतना अनुरोध करता हूं कि वे राष्ट्रीय हित में इस बात को समझें।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): सभापति महोदय, कई दिनों से शिक्षा के भगवाकरण पर चर्चा हो रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: पांच मिनट में हम क्या बोलेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपके लिये केवल पांच मिनट का समय दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: एक तरफ साम्यवाद, दूसरी तरफ सैकुलरिज्म, तीसरी तरफ हिन्दुत्व और बीच में समाजवाद है। यह मेरे लिए बड़ा अनोखा प्रश्न है कि इस बीच में हम कहां रहें और हम कौन सी बात बोलें और किस बात का आग्रह करें। हम अपने विद्वान नेता सोमनाथ दादा जो यह चर्चा में यहां लाये हैं, जिन्होंने यहां इस चर्चा को प्रस्तुत किया है, मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। हर उस बात को सदन में लाना चाहिए, जिससे मानव समाज पर कुठाराघात हो या कोई चोट पहुंचे, हर सदस्य को अपनी बात रखने की और चर्चा लाने की जरूरत है और उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन जहां तक भगवाकरण का, साम्यवाद का और सैकुलरिज्म का सवाल है, मेरा मानना है कि इस सदन में वर्षों से बहुत से नीतिगत सवालों पर, कई मुद्दों पर बहस होती रही है।

रात्रि 8.00 बजे

लेकिन लोग यह कहते रहे हैं कि यह राजनीतिकरण है। धर्म और मजहब, धर्म और अफीम, यह बहुत लम्बी बहस है, इसको छोटी सी बहस के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कि शिक्षा के व्यवसायिकरण पर बहस होती तो निश्चित रूप से आमूलचूल परिवर्तन होता। लेकिन जो प्रश्न संस्कृति पर, धर्म पर, अध्यात्म पर खड़े हो रहे हैं, उनका बड़ा अनोखा मतलब है। साम्यवाद की शिक्षा, समाजवाद की शिक्षा की भी बात होती है। हमारे कम्युनिस्ट मित्रों ने जो नारे दिए उसमें साम्यवाद तथा समाजवाद

[श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव]

की भावना से हटकर भौतिकवादी परम्परा का ज्यादा निर्वहन किया। जब किसी ने इतिहास पर चोट लगाई है, परिवर्तन करने की कोशिश की है, तब-तब परिवर्तन की बहुत बड़ी आंधी चली है, जिसको कोई नहीं रोक सका। यदि आज भी इतिहास को तोड़ने की कोशिश किसी व्यक्ति विशेष या ताकत के द्वारा की जाती है तो पुन: आंधी उठेगी और उसको रोका नहीं जा सकेगा। लेकिन इतिहास को तोड़ने का काम तो हमारे वे मित्र जो साम्यवाद और समाजवाद की बात करते हैं, उन्होंने भी देश और विदेशों में किया है। उन्हीं के प्रदेश में चाहे सुभाष चन्द्र बोस हों, चाहे रविन्द्र नाथ टैगोर हों, चाहे राम-कृष्ण का सवाल हो, अभी हमारी दीदी बता रही थीं, कि किस तरह से लालकरण के नाम पर वहां इतिहास को एवं संस्कृति को तोड़ा गया है।

यहां महात्मा गांधी की बात हो रही थी। महात्मा गांधी ने कहां शिक्षा प्राप्त की, वे खुद बैरिस्टर थे, वे शिक्षा को किस स्तर पर ले जाना चाहते थे, उन्होंने कौन सा नारा दिया था, ये बहुत सारी बातें हैं। जहां तक शिक्षा और धर्म का सवाल है, मैं अपने विद्वान मंत्री जोशी जी से कहूंगा कि जो शिक्षा होनी चाहिए वह नव्य मानवतावाद की शिक्षा होनी चाहिए। समानता की शिक्षा होनी चाहिए, सम्पूर्णता की ओर ले जाने वाली शिक्षा होनी चाहिए। सम्पूर्णता का मतलब है, अनंत और अनंत का मतलब है मानव जीवन में कल्याण का प्रवेश। जिस व्यक्ति में सम्पूर्णता हो जाए, वही अनंत है। इसलिए शिक्षा अनंत की ओर ले जाती है। शिक्षा को रोका नहीं जा सकता, उस पर चोट नहीं की जा सकती। यह एक बहुत लम्बी बहस का मामला है।

जहां तक अध्यात्मिक शिक्षा या सामाजिक कल्याण का सवाल है, अध्यात्मिकता का मतलब धर्म या मजहब से नहीं लगाना चाहिए। उसका मतलब बहुत लम्बा है। अध्यात्म का मतलब ही आत्मा को प्रगति की ओर ले जाना है, वहीं सबसे बड़ा कल्याण है। इस पर लम्बी बहस हो सकती है। लेकिन जो शिक्षा का सवाल है, आज टाटा-बिड़ला-गोयनका की भी शिक्षा देश में चल रही है। हम देश में ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिससे इतिहास रचा जाए, जिसको न तो तोड़ा जाए, न मोड़ा जाए और कोई ऐसा नाम न लें कि दूसरा इतिहास रचा जा रहा है। जहां तक शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता का सवाल है, यहां सेक्यूलर चेहरे के भी लोग हैं। चाहे हमारे एन.डी.ए. में बैठे बहस करने वाले मित्र हों, उन्होंने भी विरोध किया। मैं नहीं जानता कि वे किस हद तक विरोध करेंगे और कहां तक जाएंगे। जहां तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, मानवता की भावना पर जब कभी चोट पहुंचेगी, जब कभी किसी भी धर्म या मजहब या किसी भी व्यक्ति पर चोट पहुंचेगी तो हमारे जैसे लोग चुप नहीं बैठेंगे।

हम इसका विरोध करेंगे, हर परिस्थिति में जाकर हम विरोध करने में पीछे नहीं हटेंगे लेकिन शिक्षा में परिवर्तन का जहां तक सवाल है तो उसमें निश्चित रूप से आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिए। आज बुद्ध की यदि बात की जाए, कृष्ण की बात की जाए तो इस पर एक लम्बी बहस हो सकती है। यदि हम वहां जाकर देखें जहां निश्चित रूप से भगवान बुद्ध की सम्पूर्णता व्याप्त है, वहां बुद्ध के भाव से कैसे शिक्षा की पद्धति की शुरूआत की गई है। अगर हम इंग्लैंड, जापान या थाइलैंड में जाकर देखें तो पाएंगे कि कैसे बौद्धिक शिक्षा को किस रूप में लिया गया...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब प्रो. ए.के. प्रेमाजम बोलेंगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: मैं दो-तीन बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।...*(व्यवधान)* आध्यात्मिक शिक्षा और सामाजिक ज्ञान प्रकृति के अनुरूप चलें और जब वे प्रकृति के अनुरूप चलेंगे लेकिन जब आध्यात्म पर चोट हो, मजहब पर चोट हो तो हम उसे मानने को तैयार नहीं हैं। मेरा मानना है कि निश्चित रूप से...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, कृपया अध्यक्षपीठ के निर्देशों का पालन कीजिए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। अगली बार आपको समय दिया जायेगा। मैंने प्रो. ए.के. प्रेमाजम को बोलने के लिये बुलाया है। आपने पहले ही दस मिनट का समय ले लिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: मैं अपनी बात केवल एक मिनट में समाप्त कर दूंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रो. ए.के. प्रेमाजम के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: जहां तक संस्कृत और ज्योतिष का सवाल है क्योंकि ये दो बातें यहां आई हैं। संस्कृत एक ऐसी भाषा है, चाहे कन्नड़, उड़िया, मैथिली, भोजपुरी, नागपुरी या बंगला हो, तेलगू हो किसी में भी ऐसा शब्द नहीं है, कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें संस्कृत का उद्‌बोधन न हो। हम यहां संस्कृत का विरोध करने के लिए नहीं खड़े हुए हैं।...*(व्यवधान)* हम चाहते हैं कि राष्ट्र भाषा संस्कृत हो। मैं मानता हूं कि देश में किसी भी बिन्दु को थोप देना उचित नहीं है। अब जहां तक वन्दे मातरम् का सवाल है, यहां कुछ मित्रों ने कहा कि हम जिन चीजों की पूजा करते हैं...*(व्यवधान)* अब सरस्वती वंदना भीतर की चीज है, सरस्वती को हम लोगों ने मूर्ति के रूप में बना दिया है। ...*(व्यवधान)* सरस्वती पर भी लम्बी बहस हो सकती है। ...*(व्यवधान)* मैं एक बात कहकर अभी समाप्त कर दूंगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रो. ए.के. प्रेमाजम के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं। आपको निर्देशों का पालन करना चाहिये। मैं कार्यवाही-वृत्तांत में एक भी शब्द शामिल करने की अनुमति नहीं दूंगा। कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आपका व्यवहार ठीक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति निदेशों का पालन कर रहा है। प्रो. ए.के. प्रेमाजम के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में और कुछ शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): सभापति महोदय, मैं अत्यन्त दु:ख और चिन्ता के साथ श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा नियम 193 के अन्तर्गत इस माह की 16वीं तारीख को शुरू की गई चर्चा 'शिक्षा का भगवाकरण' में भाग ले रही हूं।

भाजपा के नेतृत्व वाली रा.ज.ग. सरकार द्वारा सभी कार्यकलापों को अनेक प्रकार से सम्प्रदायिक रंग देने के प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन इस समय हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह अत्यन्त ही चिन्ताजनक है। यह अत्यन्त गंभीर विषय है इसलिए हम इसे हल्के-फुल्के ढंग से नहीं ले सकते। समय के अभाव के कारण मैं अपनी बात अत्यन्त संक्षेप में रखूंगी।

भगवाकरण का एजेन्डा बहुत पहले से रहा है। लेकिन वह एक गुप्त एजेन्डा था। स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री डा. मुरली मनोहर जोशी ने 14 नवम्बर, 2000 को जारी की। वास्तव में, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने इस देश का अपमान किया है। यह भारत की भावी पीढ़ी के साथ धोखा है। कोठारी आयोग के प्रतिवेदन में पहला वाक्य यही है कि हमारे देश का भविष्य कक्षाओं में बनाया जाता है। ऐसी स्थिति में पूरे राष्ट्र के लिये यह नया पाठ्यक्रम एक धोखा और अपमानजनक है। हमें तीन वर्ष पीछे जाना होगा। बारहवीं लोक सभा में भाजपा सरकार के गठन के छह माह बाद उसने स्कूल और कालेज स्तर पर इस एजेन्डा को लागू करने के लिये चोरी-छिपे प्रयास किया था। मैं यह इसलिये बता रही हूं क्योंकि यह हमारी जो पृष्ठभूमि है उसके विपरीत है और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के समय में यह हो रहा है। 22-24 अक्तूबर, 1998 में शिक्षा मन्त्रियों के सम्मेलन में इस प्रकार का प्रयास किया गया था। यह कार्य चोरी-छिपे किया गया था। लेकिन यहां आये शिक्षा मंत्रियों ने जिनमें तत्कालीन भाजपा के नेतृत्व वाली रा.ज.ग. सरकार में शामिल दलों के शिक्षा मंत्री भी थे, बड़ी सफलता से इसे निष्फल कर दिया। तेलगु देशम पार्टी और अकाली दल ने जोरदार तरीके से इस प्रयास का विरोध किया था।

जब से मानव संसाधन विकास मंत्रालय एक विख्यात वैज्ञानिक के नेतृत्व में आया है तब से यह मंत्रालय इस कार्यसूची को किसी न किसी रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करता रहा है। अब यह कार्यसूची सामने आ गई है। अब यह गोपनीय कार्यसूची नहीं रही। इस कार्यसूची के कार्यान्वित होने से इस देश के यू.जी.सी., एन.सी.ई.आर.टी., आई.सी.एच.आर., आई.सी.एस.एस.आर. और आई.जी.एन.सी.ए. जैसे लगभग सभी महत्वपूर्ण शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थानों में वे लोग भर गए हैं जो उन्हीं की भाषा में बोल रहे हैं। हमारे देश में नौकरशाह हैं। हरि गौतम, राजपूत और काव क्या कर रहे हैं? विज्ञान के आधार पर सलाह देने की बजाय वे उनके आगे झुक गए हैं और केवल उनकी भाषा बन कर रह गए हैं। वे यही काम कर रहे हैं। वे सरकारी पत्रिकाओं तथा विभिन्न राष्ट्रीय दैनिक पत्रिकाओं में लेख लिख रहे हैं। वास्तव में,

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[प्रो. ए.के. प्रेमाजम]

वे अपने सरकारी कर्त्तव्य का निवर्हन नहीं कर रहे हैं अपितु उन लोगों की मांग के अनुसार कार्य कर रहे हैं जो इस भगवा कार्यसूची का प्रचार-प्रसार करते हैं। शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में वे चाहते थे...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया आपनी बात समाप्त कीजिए।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: केवल दो मिनट।

सभापति महोदय: आप दो मिनट ले चुके हैं।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: समयाभाव के कारण मैं केवल कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान दिलाऊंगी। वे ऐसी पाठ्यचर्या शुरू करना चाहते थे जो...*(व्यवधान)* उन्हें भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्वों को शामिल करना चाहिए और पाठ्यक्रम के 10 से 25 प्रतिशत भाग में यही तत्व समाहित होने चाहिए। यह वास्तव में विद्या भारती अखिल भारतीय संस्थान तथा सिन्धु मंदिर का कार्यक्रम है। यह भारत सरकार का कार्यक्रम नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल के प्रमुख कार्यकर्त्ता चित्तलंगईहा ने यह कार्यक्रम, दस्तावेज कागजात तैयार किए हैं जिसे देश के शिक्षा क्षेत्र पर जबरन थोपने की कोशिश की गई थी। वे क्या करना चाहते हैं? वे संस्कृत को अनिर्वाय विषय बनाना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह एक समझौता है। उन्हें दो मिनट का समय दिया गया था। मैं उन्हें पांच मिनट दे चुका हूं। यदि सब रात्रि 10 बजे तक बैठने के लिए सहमत हैं तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं हैं।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: अब वे मूल्यपरक शिक्षा और ज्योतिष विज्ञान भी शुरू करेंगे। इन सब बातों पर चर्चा हो चुकी है और मैं इस बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करूंगी।

मैं इतिहास के बारे में एक बात कहना चाहती हूं। प्रो. मल्होत्रा ने चर्चा में इतिहास के बारे में कतिपय बातें कहीं। उन्होंने कहा कि यह कम्युनिस्ट अथवा मार्क्सवादी इतिहास है। उन्होंने जिसे मार्क्सवादी इतिहास कहा है वह वास्तव में मार्क्सवादी इतिहास नहीं है, यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित वैज्ञानिक इतिहास है। नि:संदेह हम उस इतिहास के प्रतिपादक बन गए हैं और हमें उस पर गर्व है। वे इतिहास को पीछे धकेल कर तथा यह कहकर कि आर्य सभ्यता तथा हिन्दु घाटी की संस्कृति एक ही बात है, अपने एजेंडे को शामिल करना चाहते हैं। हिन्दु घाटी की संस्कृति पुरातत्व प्रमाण पर आधारित है और उसकी विशेषताओं का पता लगाने के लिए कार्बन-14 परीक्षण का भी प्रयोग किया गया था।

सभापति महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: महोदय, मैं केवल एक वाक्य बोलकर अपनी बात समाप्त कर दूंगी। मैं चाहती हूं कि सरकार इस पाठ्यचर्या की रूपरेखा को वापस ले ले।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): सभापति महोदय, यहां जो चर्चा हो रही है इसमें ये कह रहे हैं कि भगवाकरण हो रहा है। मेरा कहना है कि यह भगवाकरण नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी का राजकरण है। यह भगवान को तो मानते ही नहीं हैं, हमारे तिरंगे को कैसे मान सकते हैं।

महोदय, कई साल पहले जब हम स्कूल में थे तो यहां दिल्ली में मोर्चा लगा। वे बोल रहे थे- "मांग रहा है हिन्दुस्तान, लाल किले पर लाल निशान।" आज लाल निशान नहीं हो रहा है, इसलिए इन्हें दुख है। ये इतिहास बदलना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: आपकी सहायता से हम ऐसा करेंगे...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले: कृपया परेशान मत कीजिए...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): हम आपको परेशान नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: महोदय, जो भारतीय संस्कृति और इतिहास है, उसे अवगत कराना क्या गलत है? हमें जो सिखाया गया है कि राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविन्द सिंह, रंजीत सिंह आदि की शूरता और वीरता की वजह से हमने विजय प्राप्त की। उनका इतिहास है। वह इतिहास अगर हम नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा। इन्हें डर लगता है कि अगर हम राष्ट्रवाद सिखाएंगे तो इनका कम्युनिज्म खत्म हो जाएगा। उनके नाम पर भगवान का नाम है। इनके पिता जी हिन्दू महासभा के दो बार सदस्य रह चुके हैं। स्वामी विवेकानंद जी बंगाल से थे। उन्होंने शिकागो में क्या कहा था जहां सारे धर्म गुरु अपने-अपने धर्म ग्रंथ लेकर अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे।

महोदय, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, वह अपना महाभारत धर्मग्रंथ लेकर गए थे। वहां एक टेबल थी और सारे श्रोता सामने थे। वह जरा देर से गए। वहां धर्मग्रंथ का ढेर था। सारे धर्म गुरु

अपने-अपने धर्मग्रंथ लेकर आए थे। इन्होंने अपना धर्मग्रंथ उसके ऊपर रखा, वह महाभारत धर्मग्रंथ था। जैसे ही वह अपने स्थान पर गए तो उन्हें पता लगा कि जान-बूझ कर वह धर्मग्रंथ सबसे नीचे रखा गया। वह बहुत बुद्धिमान और विद्वान थे और इमीडिएटली रिएक्ट करने वाले थे। वह उठे और श्रोताओं के सामने गए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: वे एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर देंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: उन्होंने महाभारत धर्मग्रंथ खींच लिया तो सारे धर्मग्रंथ नीचे गिर गए। तब उन्होंने लोगों से कहा कि हिन्दू धर्म का महाभारत पवित्र धर्म ग्रंथ है। इस धर्मग्रंथ को खींचने के बाद सारे धर्मग्रंथ नीचे गिर गए, अगर सारे धर्मों से हिन्दू धर्म निकाल दिया जाए तो सब धर्म खत्म हो जाएंगे।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यह बताएं कि किस सम्मेलन में स्वामीजी ने ऐसा किया था। मैंने भी उनके जीवन के बारे में पढ़ा है। वे बतायें कि किस सम्मेलन में स्वामीजी ने ऐसा किया था।

श्री मोहन रावले: यह सच नहीं है? मैं आपको पुस्तक दिखाऊंगा। वह पुस्तक मेरे पास है। मैंने बुक में पढ़ा है।

सभापति महोदय: श्री रावले, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: आप कह सकते हैं, क्योंकि आपकी मैडम है, आपकी अध्यक्षा हैं। हम भी उनका आदर करते हैं। **...*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, हम इस बात पर कड़ी आपत्ति करते हैं। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए*...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री रावले, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें। कृपया सदस्य को उत्तेजित न करें। आपको विषय के संबंध में ही बोलना चाहिए।*...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: ये देश को बर्बाद करने पर तुले हैं*...(व्यवधान)* यह क्या है?

[हिन्दी]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): आपको जानकारी नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले: हमारे लाखों-हजारों मंदिर तोड़े।*...(व्यवधान)* आप हमें बता दीजिए तो हमें भी अवगत हो जाएगा।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया उनके साथ बहस मत कीजिए। कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: क्या उन्हें तथ्यों की जानकारी है? जब मन में आता है तब आग लगवा देते हो।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: हमारी परम्परा ऐसी है*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता है*...(व्यवधान)* अपना नया संविधान बनाए फिरते हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: सच्चाई को सामने आने दीजिए*...(व्यवधान)* मुगल जब यहां आये, उन्होंने हिंदू धर्म के मंदिर तोड़ डाले। *...(व्यवधान)* उनको कहने दीजिए कि उनकी भारतीय सिटीजनशिप है और साथ में सिटीजनशिप इटली की है या नहीं। अगर हम गलत होंगे तो हम सदन में माफी मांगेंगे।*...(व्यवधान)* सच्चाई को सामने आने दीजिए।*...(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, विपक्ष के नेता के बारे में सभी निजी टिप्पणियों का लोप किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ठीक है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: यह निजी नहीं है...*(व्यवधान)* जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़े हैं...*(व्यवधान)* वह इतिहास है और उससे सब छात्रों को अवगत होना चाहिए। वंदे-मातरम् पर हिंदू-मुस्लिम दोनों ने बलिदान दिया था - जिसका अर्थ है कि मां, मैं तुम्हारे सामने नत-मस्तक होता हूं। लेकिन आज मुल्ला-मौलवी वंदे मातरम् के खिलाफ विष फैला रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: देखिये, इन्होंने क्या कहा है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री रावले, मैंने आपके व्यक्तिगत अनुरोध पर आपको बोलने का अवसर दिया है। कृपया उन्हें मत उकसाइए। आप विषय पर आइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: वंदे-मातरम् में त्याग है, शूरता है, पराक्रम है। उसे कहने के लिए अगर कोई धर्म आड़े आता है...*(व्यवधान)* 15 अगस्त और 26 जनवरी प्रजासत्ता के दिन में मौला-मौलवी तिरंगे झंडे का वंदन करना - धर्म के खिलाफ मदरसों में ये बातें सिखाई जा रही हैं और मदरसों को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर मदद कर रही हैं। ये सब मुसलमानों के तुष्टीकरण की बातें करते हैं।...*(व्यवधान)* वोटों की राजनीति करके वे इतिहास को बदलना चाहते हैं। इंडियन मैथोलाजी की वजह से विश्व में जो प्रगति हुई है उस पर मैं अभी कुछ बोलना चाहता था लेकिन समय नहीं है।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): सभापति महोदय, मैं दो मिनट बोलूंगा। मैं अकेला आदमी हूं और सेक्यूलर हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री मोहले, अगली बार आपको बोलने का मौका मिलेगा। आप सभी विषयों पर बोलना।

...(व्यवधान)

रात्रि 8.23 बजे

(इस समय श्री हरीभाऊ शंकर महाले आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

सभापति महोदय: यह उचित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले: मैं सेक्यूलर हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभी धर्मनिरपेक्ष हैं।

रात्रि 8.23 बजे

(इस समय श्री हरीभाऊ शंकर महाले अपने स्थान पर वापस चले गए।)

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले: सभापति महोदय, आपसे और सदन से माफी मांगते हुए मैं छोटे मुंह से बड़ी बात कहना चाहता हूं। वास्तविकता को प्रकट करना लोक प्रतिनिधि का फर्ज है। भारतीय संस्कृति में दान, काम, शारीरिक बल और धैर्य के साथ-साथ व्यक्ति को आत्म-सम्मान की ओर अग्रसर करती है। आज की परिस्थिति में हम आदिमजाति के 80 प्रतिशत लोग निरक्षर हैं और किसी के हाथ या पांव पकड़कर चलना हमारी नियति है।

आदमी का आत्मसम्मान बने रहना चाहिए। आर.एस.एस. वालों ने आदिम जाति के बच्चों के लिए स्कूल खोले। उन्होंने शिक्षा का काम ठीक ढंग से चलाया लेकिन उसे बनवासी कल्याण नाम दिया। मैं एक पुराना आदमी हूं और भारत का निवासी हूं। हमारा भी अपना सम्मान है। राणा प्रताप अकबर की शरण में नहीं गए। उन्होंने अपना आत्मसम्मान बनाए रखा। राम जब बनवास गए तो आदिम जाति ने राम को बचाया। हनुमान ने भी राम को बचाया। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर ने गीता का मराठी में अनुवाद किया और आम जनता को ज्ञान दिया। मेरा संस्कृत को लेकर कोई विरोध नहीं है लेकिन इसे किसी के ऊपर दबर्दस्ती लादा नहीं जाना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी पद से भागने वाली पार्टी है। उनकी पार्टी के सोमनाथ चटर्जी जी ने यह चर्चा सदन के सम्मुख प्रस्तुत की। मैं उसका समर्थन करता हूं। यह सरकार भगवाकरण के नाम पर कालाकरण कर रही है। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

मानव ससांधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): सभापति महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर पिछले तीन दिनों से इस सदन में चर्चा हो रही है। मैं उन सभी सम्मानित सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस विषय पर अपने विचार प्रकट किए। आपने मुझे अवसर दिया है कि मैं इस प्रसंग के बारे में तथ्य सदन और देशवासियों के सामने रख सकूं।

महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चर्चा चीजों की सही जानकारी न होने के कारण है या जानकारी रखते हुए उस जानकारी को छुपाने के कारण है। मैं पहले यह निवेदन करूंगा कि यह सारा प्रश्न शुरू कैसे हुआ? 1986 की शिक्षा नीति और उसके बाद 1992 में उसमें जो संशोधन हुआ, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख था कि हर पांच साल के बाद इस नीति के क्रियान्वयन के बारे में समीक्षा की जाए। 1992 के बाद 1997 तक कोई समीक्षा नहीं की गई, न ही कोई ऐसा प्रयत्न किया गया कि इस बात को देखा जाए कि इन दिनों जो किछ दुनिया में प्रगति हुई है, दुनिया के शिक्षाविदों के विचारों में नए-नए अनुभवों के कारण जो परिवर्तन आए, बदलाव आए, उनका समावेश किया जाए। दरअसल थोड़ा सा काम हमारी सरकार के आने से पहले शुरू किया जा रहा था लेकिन वह काम पूरा नहीं हुआ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 1997 में जब हमारी सरकार नहीं थी, आप लोगों के समर्थन की सरकार थी, यह शुरूआत की गई कि एक प्रकल्प बनाया जाए, एक प्रोजैक्ट लिया जाए जो इन पुस्तकों के बारे में समीक्षा करेगा, रिव्यू करेगा। काम शुरू करने के लिए धन भी दिया गया।

एक समिति भी बनाई गई लेकिन उसने कुछ काम नहीं किया। दो बार पैसा आवंटित किया गया। प्रो. अर्जुन देव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। इसका अर्थ यह है कि आज जो यह कहा जा रहा है कि सरकार ने आते ही शुरू कर दिया, यह तथ्यों के विपरीत है। यह शिक्षा नीति के अंतर्गत है और उस शिक्षा नीति के अंतर्गत है जिसे केन्द्र ने संशोधित किया था। हां, इतना जरूर हुआ कि हमारे आने बाद उस काम में तेजी लाई गई। सितम्बर, 1999 में एक समिति बनाई गई ताकि जो काम चल रहा था, उसे व्यापक ढंग से और जल्दी किया जाये। उस समिति ने काम शुरू कर दिया। उस समिति ने सबसे पहले एक छोटा पेपर बनाया और फिर नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन, दी सैंट्रल इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशनल टैक्नालाजी, दी रीजनल इंस्टीट्यूट्स आफ एजुकेशन एट अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर एंड मैसूर, डिमांसट्रेशन स्कूल्स अटैच्ड टू दैम, एंड दी पं. सुन्दर लाल शर्मा सैंट्रल इंस्टीट्यूट आफ वोकेशनल एजुकेशन, भोपाल - इन सबके अंदर उस परचे पर विचार किया गया और यही विषय था जिस पर उनसे राय मांगी गई। यह कहना कि अचनाक ला दिया है, कहीं पीछे से ला दिया गया है, यह बात स्पष्ट होनी चाहिये। अखबारों में निकलता रहा है, हम सरकुलर भेजते रहे हैं और राज्य सरकारों को बताते रहे हैं। उसके बाद यह कहना कि कहीं पीछे से लाया जा रहा है, कोई सलाह नहीं ली गई है, यह बिलकुल गलत है। उसके बाद सभी डिपार्टमेंट्स से कहा गया कि आप अपनी अंदरूनी मीटिंग करें। इस पेपर पर चर्चा करें, जो भी आपके सुझाव हों, इस पर कंसल्टेशन करें। ये संस्थायें वर्षों से शिक्षा के बारे में काम कर रही हैं जो अपने क्षेत्रों की नोडल एजेंसीज हैं।

सभापति जी, तत्पश्चात्, अक्तूबर 1999 तक यह काम चलता रहा। उसके बाद यह मीटिंग आई तो फिर इनमें प्रो. यशपाल, प्रो. एम. मुखोपाध्याय, प्रो. जे.एन. कपूर, डा. अरविन्द कुमार, डा. अनिरुद्ध राजन, डा. सुगत मित्रा, डा. रविन्द्र कुमार, प्रो. योगेन्द्र सिंह, डा. श्रीमती कपिला वात्स्यायन, आदि लोगों ने इस पर चर्चा की। ये सब लोग आर्ट्स कल्चर, साइंस और ह्युमैनिटी के विद्वान हैं। इनमें से कोई बी.जे.पी. या आर.एस.एस. का आदमी नहीं है। वे किसी एक क्षेत्र के लोग नहीं हैं। कोई कहे कि बी.जे.पी. के आदमी हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल: क्या वे सहमत थे।

डा. मुरली मनोहर जोशी: कृपया सुनिए। इस तरह से हस्तक्षेप मत कीजिए...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: आप सभा को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: क्या आपके कहने को मान लूंगा, जब आपको पता ही नहीं है। ऐसा मत कहिये। उसके बाद कंसल्टेशन किया गया। आप जरा मेरी बात सुनिये। उसमें से जो चीजें छनकर आईं, उसके बाद एक डाकूमेंट बनाया गया। उसके बाद एन.सी.ई.आर.टी. की टैक्सट-बुक्स को देखा गया कि उनमें कहां कमियां हैं। जो सुझाव आये हैं, उनमें से कौन ठीक हैं और कौन से लागू किये जा सकते हैं, उसका भी रिव्यु किया गया और ऐनालिसिस किया गया। यह डाकूमेंट बनने के बाद जनवरी, 2000 में इसकी एक मीटिंग की गई जिसे सारे यूनियन मिनिस्टर्स, राज्यों के एजुकेशन मिनिस्टर्स, सैंटर और स्टेट के जितने शिक्षा संबंधी अधिकारी थे, को भेजा गया। सभी लीडर्स आफ पौलिटीकल पार्टीज को भेजा गया, सभी मैम्बर्स आफ पार्लियामेंट को भेजा गया। ऐजुकेशनिस्ट्स टीचर्स, ऐजुकेटर्स, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स,

[डा. मुरली मनोहर जोशी]

रिसर्च इंस्टीट्युट्स, वौलैंटरी आर्गनाइजेशन्स, एमिनेंट स्कालर्स, सोशल एक्टिविस्ट्स एंड लाइक - इन सबको भेजा गया।

सभापति महोदय, उसके बाद हमने इन सबको एक पत्र लिखा जिसे मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। यूनियन मिनिस्टर्स को 17 जनवरी, 2000 को एक डाकूमेंट भेजा गया। उसके बाद 31 दिसम्बर, 2000 को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पूछा गया कि इस पर उनकी क्या राय है?

फिर उसके बाद हमने 67 पोलिटीकल लीडर्स को यह डाकूमैन्ट भेजा। माननीय सोमनाथ चटर्जी साहब को भेजा गया, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को भेजा गया। मैं आपको नाम पढ़कर सुना सकता हूं। पुराने एजूकेशन मिनिस्टर जो हमसे पहले थे बोम्मई साहब को भेजा गया, श्री अर्जुन सिंह की को भेजा गया, श्री माधवराव सिंधिया को भेजा और इस देश के हर एक पोलिटीकल लीडर्स को यह डाकूमैन्ट भेजा गया। इसका एक हिस्सा मैं आपको पढ़कर सुना सकता हूं जो कि चिट्ठी में लिखा है-

> "मैं, सामान्यत: राज्यों की बेहतरी तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए इस पाठ्यचर्या रूपरेखा को आपके पार्टी मंच तथा विधायकों, जो इसे वांछनीय तरीके से क्रियान्वित करने हेतु अपनी-अपनी राज्य सरकारों की सहायता व मार्गदर्शन करना चाहते हों, से इस दस्तावेज पर विचार करने की आवश्यकता पर बल देना चाहता हूं।"

[हिन्दी]

मुझे नहीं मालूम कि किसी पोलिटीकल लीडर ने इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद अपने यहां किसी पोलिटीकल फ्रेम में डिस्कस किया या नहीं किया। अगर किया तो उसके क्या रिजल्ट्स थे...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल: सभी विख्यात शिक्षाविदों ने अनेक सम्मेलनों तथा अनेक कंवेन्शन में इसे पूर्णत: नामंजूर किया था...*(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी: क्या बात कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: क्या आपने ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई थी...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: पहले उनकी बात सुनिए और यदि कोई संदेह हो तो मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: मेरी बात सुनिये, जो तरीका है...*(व्यवधान)* इस मामले में ऐसा नहीं होता है जब करीकुलम बनता है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: उन्होंने जो कुछ लिखा वे उसे पढ़ रहे हैं। कृपया कुछ समय के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: हर एक चीफ मिनिस्टर, हर एक एजूकेशन मिनिस्टर एन.सी.ई.आर.टी. की जनरल बॉडी का मैम्बर है और उन सबके सामने यह डाकूमैन्ट पढ़ा गया, डिस्कस हुआ। चीफ मिनिस्टर्स आये, कुछ के सैक्रेटरीज आये। वे सारे मिनट्स मेरे पास हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल: इसे पूर्णत: अस्वीकार कर दिया गया था।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: किसी ने रिजैक्ट नहीं किया...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल: विख्यात शिक्षाविदों ने अनेक बार इसे अस्वीकार किया था...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि आप ऐसा करेंगे, तो वे किस तरह उत्तर देंगे?

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: आपर रिजेक्ट करते रहें, कुछ करते रहें, हमने यह दरखास्त की थी...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मंत्री महोदय, कृपया आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें। अन्यथा यह जारी रहेगा।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: हर एक एजूकेशन मिनिस्टर के सामने यह डाकूमैन्ट रखा गया, पढ़ा गया, उनसे कहा गया, उनका फीड-बैक है। मिनिस्टर्स ने अपने सजेशंस दिये हैं, किसी ने कहा कि हम अपने यहां डिस्कस करेंगे। डिस्कशन के बाद क्या हुआ, हमें नहीं मालूम। किसी ने कहा कि हम आपको बाद में बतायेंगे, लेकिन आज तक किसी ने नहीं बताया। हमने मीडिया में नहीं भेजा। हमने आपके पास डिक्शन तथा आपकी राय जानने के लिए भेजा था। हम यह आशा करते थे कि एक डायलाग, एक डिबेट चल रही है, हम आपकी राय जानना चाहते हैं। लेकिन अचानक यह शुरू किया गया कि इस सारे मसले को पोलिटीसाइज किया जाए और इस मामले को इस रूप में पेश किया जाए कि जैसे यह सरकार या इस मिनिस्ट्री का यह डाकूमैन्ट कुछ बदल रहा है। मैंने तब भी कहा था, आज भी कहता हूं और उस मीटिंग में भी कहा था और फिर कहता हूं कि अगर 1986-1992 की पालिसी के और एक्शन प्लान के बरखिलाफ इसमें कोई बात हो तो आप हमें पढ़कर बतायें कि यह सैन्टैन्स, यह बात, यह पैराग्राफ आपकी इस एक्सैप्टिड पालिसी के खिलाफ है। यह पालिसी डाकूमैन्ट नहीं है। पहली बात यह समझ लें कि यह करीकुलम फ्रेमवर्क है। पालिसी 1986 की है, पालिसी 1992 की है। हम उस पालिसी के मुताबिक काम कर रहे हैं। हम बार-बार कह रहे हैं और आज मैं कहता हूं कि अगर इसमें 1986 और 1992 की पालिसी के खिलाफ कोई बात लिखी गई है तो आप हमें बतायें। हम उस पर जरूर गौर करेंगे और जहां आपकी वह राय बरखिलाफ साबित होगी, हम उसे हटा देंगे। लेकिन आप मुझे बताइये। आप चिल्ला रहे हैं कि 'सहमत' ने यह छाप दिया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): इन्हें 'सहमत' से एलर्जी है, मुझे यह पता है और उनके पास कोई उत्तर नहीं है। 'सहमत' ने विभिन्न दस्तावेजों से उद्धृत किया है और उनमें से मैं कुछ पढ़कर सुनाता हूं...*(व्यवधान)* वे क्या कह रहे हैं? मैं जानता हूं कि उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं है क्योंकि 'सहमत' उनका पर्दाफाश कर रहा है...*(व्यवधान)* संदर्भ की सुविधा के लिए 'सहमत' ने अनेक दस्तावेजों से उद्धृत किया है। मैं उनमें से कुछ पढ़कर सुनाता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री बंसल, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए। आप माननीय सदस्यों को सम्बोधित करते हैं तो वे इस तरह से बहस करते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैं कह रहा हूं कि आपको यह डाकूमैन्ट भेजे हुए छः से आठ महीने हो गये और चीफ मिनिस्टर्स और एजूकेशन मिनिस्टर्स को डाकूमैन्ट दिये हुए एक साल से ज्यादा हो गया।

उनके पास काफी समय था। उस पर विचार करके आप हमें बता सकते थे कि इन पाइंट्स पर ऐसा लगता है कि ये 1986 के विरोध में जा रहे हैं। मैं आज भी कहता हूं कि आज भी बताया नहीं जा रहा है। आप एन.सी.ई.आर.टी. के डाक्यूमैन्ट्स में बताएं। मदरसे में क्या हो रहा है, विश्व शिक्षा भारती में या हो रहा है, चर्चेज में क्या हो रहा है, वह अलग विषय है, उस पर अलग से बहस बाद में हो सकती है, लेकिन आज बहस यह है कि एन.सी.ई.आर.टी. के डाक्यूमेंट्स में हमने क्या लिखा है। अगर उसमें कुछ आबजैक्शनेबल है तो बताइए, वह 1986 के डाक्यूमेंट्स के खिलाफ है तो बताइए, 1982 के खिलाफ है तो बताइए। *...(व्यवधान)* मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप मंत्री महोदय के उत्तर के पश्चात् बोल सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: ये प्रस्ताव के सार की उपेक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री दासमुंशी, कृपया पहले उनकी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

श्री समीक लाहिडी (जायमंड हार्बर): वे सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैं आपको सब कुछ बता दूंगा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया पहले उनकी बात सुनिए। यदि आपको कोई संशय हो तो आप उत्तर के बाद स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री रेड्डी, पहले उन्हें उत्तर पूरा करने दीजिए। मैं आपको भी बोलने का अवसर दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री एन. जनार्दन रेड्डी (नरसारावपेट): मंत्री महोदय ने 1992 की शिक्षा नीति की पुनरीक्षा का उल्लेख किया है। इसमें 'भगवाकरण' शामिल नहीं है। मैं सभापति था। मंत्री जी कह रहे हैं कि वे विषय से नहीं भटके हैं...*(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी: मुझे बताइए कि मैं विषय से कहां भटका हूं...*(व्यवधान)*

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: मैं सभापति था और मैं अच्छी तरह जानता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंत्री महोदय को उत्तर पूरा करने दीजिए।

...(व्यवधान)

डा. मुरली मनोहर जोशी: मुझे आपका संरक्षण चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह उचित तरीका नहीं है। मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री समीक लाहिड़ी: प्रस्ताव शिक्षा के भगवाकरण के बारे में है। मंत्री महोदय कह रहे हैं कि वे केवल विषय के बारे में बोलेंगे...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्होंने अभी उत्तर पूरा नहीं किया है।

डा. मुरली मनोहर जोशी: मुद्दे ये हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया पहले उनकी बात सुनिए। यह उचित तरीका नहीं है।

डा. मुरली मनोहर जोशी: मुझे आपसे संरक्षण चाहिए, महोदय मैं अभी बोल रहा हूं...*(व्यवधान)* मैंने विषय बदला नहीं है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया पहले इनकी बात सुन लें, इन्होंने अपना जवाब खत्म नहीं किया है। यह उचित तरीका नहीं है, कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: मंत्री महोदय ने पूछा है कि वे विषय से कहां हटे हैं और वे बता रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं आपको अवसर बाद में दूंगा

...(व्यवधान)

श्री समीक लाहिड़ी: एन.सी.ई.आर.टी. दस्तावेज का पृष्ठ 36 मूल्य आधारित शिक्षा के बारे में है और मैं उसे उद्धृत करना चाहूंगा। वह कहता है-

"मूल्य आधारित शिक्षा तथा धर्मों के बारे में शिक्षा किसी भी स्तर पर अध्ययन अथवा परीक्षा हेतु पृथक विषय नहीं बनेगा। इन्हें शैक्षिक क्षेत्र तथा इससे जुड़ी सभी गतिविधियों और कार्यक्रमों में इस प्रकार न्यायोचित ढंग से अध्ययन के सभी विषयों में समाविष्ट किया जायेगा, कि इनके उद्देश्यों को कक्षाओं में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से स्वत: प्राप्त किया जा सके।"

यह न तो 1986 के दस्तावेज में था और न 1992 के दस्तावेज में था। कक्षाओं में धार्मिक रीतियों की अनुमति दी गयी है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपको पहले मंत्री जी का जवाब सुनना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): यही शब्द चव्हाण साहब की रिपोर्ट में हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. मुरली मनोहर जोशी: आप 1986 का दस्तावेज पढ़ सकते हैं और मुझे बताएं कि मैं कहां भटका हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंत्री महोदय के जवाब को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी: किसी भी सदस्य को बोलते समय मैंने रुकावट नहीं डाली...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह उचित नहीं है। मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी: पूरी विनम्रता के साथ मैं पुन: कहना चाहूंगा कि मुझे बतायें कि मैं विषय से कहां पर हटा...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: मंत्री महोदय ने जानना चाहा है कि वे विषय से अलग कहां हुए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इन्होंने अपना उत्तर पूरा नहीं किया है, कृपया इंतजार कीजिए।

...(व्यवधान)

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप 1986 और 1992 के दस्तावेज देखें और मेरा 2001 का दस्तावेज देखें और तब मुझे विषय अंतर या विरोध दिखाएं। मैं मानता हूं कि बहुत से ऐसे पैरा हो सकते हैं जो इसमें नहीं हैं। लेकिन यह पाठ्यक्रम की रूपरेखा है और यह नीतिगत दस्तावेज है।

यह दस्तावेज राष्ट्रीय रूपरेखा से संबंधित है। यह नीति विषयक दस्तावेज नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विषय है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह एक महत्वपूर्ण विषय है, कृपया मंत्री महोदय को उत्तर देने दें। उसके बाद मैं आपको अवसर दूंगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: मैं आपको बाद में अवसर दूंगा, श्री रेड्डी कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. मुरली मनोहर जोशी: महोदय, मेरी बात अभी समाप्त नहीं हुई है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंत्री के उत्तर को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: मैं आपको बाद में अवसर दूंगा। कृपया पीठासीन अधिकारी के निर्देशों का पालन करें।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: सर, मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं। मैंने किसी मैम्बर को डिस्टर्ब नहीं किया। सबकी बात ध्यान पूर्वक सुनी और उनका नोटिस लिया। जो आपने कहा है, मैं उसका क्रमवार स्पष्टीकरण कर रहा हूं। सम्मानित नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपने बिना किसी की राय लिए यह कर दिया। सम्माननीय मुंशी जी कहते हैं कि मैं सवाल से हट कर बात कर रहा हूं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जो सवाल किए गए हैं, मैं उन्हीं का उत्तर दे रहा हूं। जो नोट मैंने लिए हैं उनके जो उत्तर मेरे पास हैं, मैं उन्हीं को बता रहा हूं। कृपा करके मेरी बात सुन लीजिए। आपने उन सम्मानित सदस्य को नहीं टोका जिन्होंने सवाल किए। जो बातें उठाई गई हैं, मैं उनके बारे में बता रहा हूं, तो आप मुझे टोक रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह पालिसी डाक्यूमेंट नहीं है, यह करीकुलम है। करीकुलम के बाद सिलेबस बनता है और हर राज्य सरकार अपना-अपना सिलेबस बनाने के लिए स्वतंत्र होती है। हर बोर्ड अपना-अपना सिलेबस बनाने के लिए स्वतंत्र होता है। यह एक फ्रेमवर्क है, एक चोखटा है कि इसके अंदर चीजें आएं और इसको आप पढ़ाएं। हमने हरेक को भेजा है। कई बार भेजा गया है। हम इस सब पर फिर बात करने के लिए तैयार हैं। इसका आप गंभीरता से अध्ययन करें और इसमें यदि कोई ऐसी चीज है जो 1986 की शिक्षा नीति से अलग है, तो वह आप हमें बताएं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, इसके ऊपर 13 आर्गेनाइजेशंस ने सेमीनार किए। इनमें भारत स्काउट्स एंड गाइड भोपाल, रीजनल इंस्टीट्यूट आफ एजूकेशन, मैसूर, रीजनल इंस्टीट्यूट आफ भुवनेश्वर, रीजनल इंस्टीट्यूट आफ भोपाल, डी.एम.ई., एन.सी.ई.आर.टी., आर.ई.आई. अजमेर, नैशनल एकैडमी आफ साइंस...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

रात्रि 8.48 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आपने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड से सलाह नहीं ली है।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैं वही बताने लगा हूं। अध्यक्ष महोदय, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड 1994 में था। उसके बाद उसका गठन 1995 में नहीं हुआ, 1996 में नहीं हुआ न 1997 में हुआ। जो सेंट्रल इडवाइजरी बोर्ड के सदस्य हैं, उनमें अधिकांशत: राज्यों के शिक्षा मंत्री हैं जिन्हें यह कैरीकुलम भेजा गया है। एन.सी.ई.आर.टी. की जो जनरल कौंसिल है उसके सामने इसे रखा गया, जो एक्सपर्ट्स हैं उनको यह डाक्यूमेंट भेजा गया और जो शिक्षा से संबंधित ब्यूरोक्रेट हैं उनको यह डाक्यूमेंट भेजा गया है।...*(व्यवधान)* सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड आफ एजूकेशन का आज वजूद नहीं है। 1994 के बाद वह पुनर्गठित नहीं हुआ। यदि उसका पुर्नगठन करने की आवश्यकता होगी, तो करेंगे, लेकिन 1994 के बाद, 1995 में गठित नहीं हुआ, 1996 में गठित नहीं हुआ और उसके बाद 1997 में भी गठित नहीं हुआ।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, क्या यह प्रश्नोत्तर काल है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में आपने सभा में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए कहा है। लेकिन आप सरकार की कोई बात नहीं सुन रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जब मंत्री उत्तर दे रहे हैं, तो आप क्यों नहीं सुनते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: स्पष्टीकरण पूछने का क्या यह उचित तरीका है?...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: लेकिन महोदय, उत्तर देने का भी यह उचित तरीका नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अगर आप स्पष्टीकरण चाहते हैं तो मंत्री महोदय के उत्तर के बाद आप पूछ सकते हैं। लेकिन अभी आप नहीं पूछ सकते। आप बोल चुके हैं, लेकिन सरकार को बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप वाद-विवाद में बोल रहे हैं, लेकिन मंत्री महोदय को उत्तर नहीं देने दे रहे हैं, यह सब क्या है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। आपको क्या हो गया है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब एक नई तरह की प्रवृत्ति विकसित हो रही है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: मेरे संसदीय जीवन का छोटा सा अनुभव यह है कि जो प्रश्न सम्मानित सदस्य उठाते हैं, उनका स्पष्टीकरण, उनका जवाब तो सुनना चाहिए। अगर उसके बाद कोई चीज फिर रह जाती है, उसके बारे में कहें।...*(व्यवधान)* मैंने किसी सम्मानित सदस्य के भाषण को नहीं टोका।...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): आपके सदस्यों ने टोका। *...(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी: जिन सदस्यों ने जो कुछ कहा, इधर वालों ने कुछ किया या उधर वालों ने कुछ किया, उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। हमारे सम्मानित सदस्य मेरे साथ बैठे हैं, जो संसद में मेरे साथ 1977 में भी थे। आज तक कोई प्रकरण बता दें जब मैंने किसी सदस्य को टोका हो या किसी मंत्री को टोका हो। मैंने किसी भाषण को नहीं टोका। कृपा करके सुन लें। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: मंत्री महोदय, क्या आप आधे मिनट के लिए मेरी बात सुनेंगे।

डा. मुरली मनोहर जोशी: जी, हां।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, सदन के सभी वर्गों ने अपने-अपने विचार प्रस्तुत किए और माननीय मंत्री महोदय ने बड़े धैर्य से उन्हें सुना। भारतीय जनता पार्टी के कुछ माननीय सदस्यों और भारतीय जनता दल के एक माननीय सदस्य को छोड़कर सबने इसके विरुद्ध घोर आपत्ति की है। मैं अन्य किसी शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री को बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिए और सदन के सभी वर्गों की इच्छा के विरुद्ध इन पर इसे थोपना नहीं चाहिए। इस विषय पर सही ढंग से बैठक और विचार-विमर्श होना चाहिए। इसमें आप मंत्रियों व अन्य सभी को बुला सकते हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: करिकुलम के फ्रेमवर्क को बनाने के लिए सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को साथ बुला कर मीटिंग की गई।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल: आप विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक क्यों नहीं बुलाते हैं? महोदय, वे राज्य के शिक्षा मंत्रियों को नहीं बुला रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय के उत्तर को छोड़ कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, किसी भी कांग्रेस शासित राज्य के शिक्षा मंत्री ने इस पाठ्यक्रम को मंजूर नहीं किया और न ही इस पर सहमति जतायी है। ये जो कुछ भी कहें...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: किसी मंत्री ने आपकी सरकार के, इस डाक्यूमैंट के विरोध में कोई बात नहीं कही।...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम): हम कह रहे हैं ...*(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी: आप उसके अंदर राजनीति न करें। जो कहा जा रहा है कि पीछे से लाद दिया, सरपटिशियसली कर दिया, हिडन कुछ इम्पोज कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बार, मैं आपको बता रहा हूं, इतने व्यापक स्तर पर इतने कोई करिकुलम या डौक्यूमैंट अगर आज से पहले कभी डिसऐमीनेट हुआ हो, फैलाया गया हो या दोनों को दिया गया तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि मुझे वह जानकारी दें। मैं आपको सारे नाम पढ़ कर सुना सकता हूं, मैंने कितने लोगों को यह डौक्यूमैंट भेजे। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आपने अभी-अभी खुद कहा है कि लैटर में लिखा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

इसको कैसे लागू किया जाए, इस पर मैं आपके विचार जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, यह एक स्वस्थ परम्परा नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: जब हम अधिकृत रूप से किसी राज्य सरकार को लिखते हैं, चीफ मिनिस्टर को लिखते हैं तो यह आशा करते हैं कि उनका अधिकृत जवाब हमारे पास आएगा। ...*(व्यवधान)* यह किसी ने नहीं किया। जिसे दिया भी है, हमारे पास जो चीफ मिनिस्टर थे, उनके हैं।...*(व्यवधान)* आपके त्रिपुरा के मिनिस्टर का भी हमारे पास कमैंट है। मेरे पास कर्नाटक के मिनिस्टर का भी कमैंट है। मेरे पास चव्हाण साहब का भी कमैंट है। इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि किसी ने इसे रिजैक्ट किया। एक ने भी रिजैक्ट नहीं किया। हमने अपने एन.सी.ई.आर.टी. के अधिकारियों को हर राज्य में भेजा। ...*(व्यवधान)* मैं आपको मिसाल देता हूं। नागालैंड की सरकार ने तो इस डौक्यूमेंट को अपनी तरफ से छाप कर बंटवाया। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर और ऐजूकेशन मिनिस्टर ने कहा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: आप विभाजित सभा के साथ चीन जा सकते हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: आप सुन लीजिए। आप चाहे जितनी कोशिश करें, आपने हिन्दुस्तान को तोड़ने की बार-बार

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डा. मुरली मनोहर जोशी]

कोशिश की और आप यहां हाउस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यह सफल नहीं होगा।

अध्यक्ष जी, मैं बहुत विनम्रता से निवदेन कर रहा हूं। आपको याद करना चाहिए, बाबू सोमनाथ जी, आपकी पार्टी हिन्दुस्तान के डिवीजन के प्रस्ताव की समर्थक थी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: आपका डैमोक्रेसी में विश्वास है तो एजूकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाइये न।...*(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी: आप सुन लीजिए। मेरा तो डैमोक्रेसी में पूरा विश्वास है और मैंने इसके अन्दर पूरा डैमोक्रेटिक प्रोसेस लगाया है। मैंने आज भी कहा है कि आप मुझे उस डाकूमेंट में लिखकर बताइये कि इस पेज पर यह वाक्य 1986 की पालिसी के बरखिलाफ है या स्टेंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बरखिलाफ है। मैं आपको बताना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी: कुछ ऐसी बातें होती हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैडम, आप यह क्या कर रही हैं? यह क्या है? मंत्री महोदय आपसे समहत नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैं, श्री जयपाल रेड्डी की बातों का जवाब दूंगा।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुड़ा): मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि उन्होंने शिक्षा मंत्रियों की बैठक बुलाने पर क्यों नहीं विचार किया। वे उन लोगों के साथ पत्राचार के माध्यम से अलग से बातचीत करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, वे उनसे संगठनात्मक स्तर पर तथा सामूहिक रूप से व्यवहार करने का क्यों प्रयास नहीं कर रहे हैं?

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैंने इसका जवाब दे दिया है, फिर भी मैं इसको दुबारा स्पष्ट करता हूं।

सभी शिक्षा मंत्री एन.सी.ई.आर.टी. के सामान्य निकाय के सदस्य हैं। एक बैठक बुलाई गई थी। दस्तावेज उनके सामने रखा गया। उसके बाद उसे वेबसाइट पर रखा गया। सभी मुख्यमंत्रियों, केन्द्रीय मंत्रियों और सभी राजनैतिक पार्टियों के नेताओं को हमने पत्र लिखे और अनुरोध किया कि वे इस पर अपनी पार्टी के मंच में चर्चा करें...*(व्यवधान)* उनसे मुझे इस पर कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। आज तक आधिकारिक रूप से हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई।

[हिन्दी]

उसके बाद आप बाहर कोई मीटिंग बुलायें और यह कह दें कि हमने इसे रिजैक्ट कर दिया तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। हमने तो साफ लिखा है कि आप इस पर डिस्कस कीजिए और हमें बताइये।...*(व्यवधान)* इस तरह आप देश को नहीं चला सकते। आप कुछ बताएंगे तो मीटिंग बुलाऊं, नहीं तो मैं किस पर मीटिंग बुलाऊं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मतलब आप नहीं चाहते कि सदन में इस पर चर्चा हो। आप केवल बैठक बुलाने में रुचि रखते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: डिस्कशन तो मैंने खुद इन्वाइट किया है। मैंने बार-बार कहा है कि आप कोई भी चीज...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं?

डा. मुरली मनोहर जोशी: आप यह बताइये, मेरा डाकूमेंट आपके पास है, कंट्री के सामने है, इन्टरनेशनली लोगों को हमने भेजा है, वैबसाइट पर रखा है, मेरा स्टेटमेंट है कि 1986 की पालिसी के बरखिलाफ अगर कोई चीज है तो मुझे पाइंट आउट कीजिए, मैं उसको सुधार लूंगा, लेकिन कोई नहीं बोलता। प्राइवेटली सब कहते हैं कि बहुत अच्छा डाक्यूमेंट है। एक सम्मानित सदस्य ने हमारे आफिसर से कहा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी सीट पर बैठ जायें, प्रो. प्रेमाजम जी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें। इस तरह आप इस झगड़ें से बच सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: हमारे सम्मानित सदस्य ने कहा कि डाकूमेंट तो बिल्कुल ठीक है, मगर कुछ...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): आपने जो चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई थी, उसके अन्दर क्या हुआ, यह बताइये न। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप चेयर को एड्रैस कीजिए।

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैं वह भी बताता हूं।

श्री राशिद अलवी: जयपाल रेड्डी जी ने जो पूछा है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह स्पष्टीकरण मांगने का उचित तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: लैटर तो भेज दिये, लेकिन चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में क्या हुआ, वह बताइये न।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी के उत्तर के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ नहीं जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

रात्रि 9.00 बजे

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: इसमें एन.सी.ई.आर.टी. की जनरल कौंसिल की मीटिंग के मिनिट्स भी हैं, मैं आपको बता सकता हूं। वह मीटिंग एजुकेशन मिनिस्टर्स की थी, चीफ मिनिस्टर्स की नहीं थी। आप यह कह रहे हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। जो स्थिति बहस की है, वह मैं बता रहा हूं।

[अनुवाद]

मैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की 37वीं वार्षिक आम बैठक के कार्यवाही-सारांश से उद्धृत करता हूं। इसमें कहा गया है:

"बिहार के शिक्षा मंत्री, श्री राम लखन राम रमन ने पहले बोलते हुए सूचित किया कि झारखंड राज्य के गठन किये जाने के बाद पूर्व बिहार के कुछ प्रतिष्ठित संस्थान अब नए गठित राज्य में हैं। अन्य के साथ-साथ इसमें सम्मिलित हैं नेतरहाट में आवासीय विद्यालय, हजारीबाग में बालिकाओं के लिए इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय और तिलैया में सैनिक विद्यालय।"

उन्होंने आगे संकेत दिया कि स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा किए जा रहे कार्य सराहनीय हैं और बिहार सरकार द्वारा उनकी प्रशंसा की गई है।

जहां तक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे में पृष्ठ संख्या 19-20, 35-36, 117-118 पर विभिन्न धर्मों की शिक्षा का समर्थन किए जाने का संबंध है, माननीय राज्य मंत्री ने बताया कि बच्चों को राष्ट्रीयता की भावना अभिमुखी होना चाहिए और और धर्म निरपेक्ष मूल्य सिखाए जाने की आवश्यकता है। राज्य शिक्षा विभागों को साहित्य से धर्म निरपेक्ष शिक्षकों का चयन करते समय सावधान रहना चाहिए।

गुजरात की शिक्षा मंत्री श्रीमती आनंदी पटेल ने अपने सम्बोधन में निम्नलिखित पर प्रकाश डाला—प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों में से एक चरित्र निर्माण होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

कृपया मेरी बात सुनिए। वह आए और इस तरह बोले...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी के उत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: डा. मुरली मनोहर जोशी, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

डा. मुरली मनोहर जोशी: श्री अनिल सरकार, शिक्षा मंत्री, त्रिपुरा ने निम्नलिखित सुझाव दिए टिप्पणियां की:

"राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् एन.सी.ई.आर.टी. की वार्षिक आम बैठक के कार्य-सूची संबंधी पत्र सदस्यों को कम से कम 15 दिन पहले अग्रिम रूप से भेजे जाने चाहिए। राज्य शिक्षा विभाग एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रदान की गई सहायता का आभारी था। पाठ्यक्रम भार को मूल्य शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ाए जाने की आवश्यकता

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डा. मुरली मनोहर जोशी]

नहीं है। विशिष्ट व्यक्तियों जैसे डा. बी.आर. अम्बेडकर और कवि नजरूल इस्लाम, जिन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया, को स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रमों विशेषकर एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्यपुस्तकों में प्रमुखता दी जानी चाहिए।''

एन.सी.ई.आर.टी. किटों का सुरक्षित स्थान और अलमारियां आदि की कमी के कारण उचित और सतत उपयोग नहीं किया जा रहा है, राज्य में एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्यपुस्तकें समय पर आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं।''

यह राज्य का उत्तरदायित्व है। आगे श्री एफ. मालसावमा, शिक्षा मंत्री, मिजोरम ने निम्नवत विचार प्रकट किए:

''एन.सी.एफ. में सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव प्रदर्शन प्रशंसनीय है।''

कृपया मेरी बात सुनिए...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: यह आपकी रिपोर्ट की अस्वीकृति है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रूपचन्द पाल, हद हो गई है। यह क्या है? वरिष्ठ सदस्य भी ऐसा ही कर रहे हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैं आगे उद्धृत करता हूं:

''मिजोरम 96 प्रतिशत साक्षरता के साथ अब पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे अधिक शांत राज्य है।''

माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों के लिए एन.सी.ई.आर.टी की पाठ्यपुस्तकें मिजोरम के छात्रों को समय पर उपलब्ध कराई जाए।

व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए संसाधन सहायता और अन्य बातों में उचित पर्यवेक्षण सुनिश्चित करके ठोस आधार प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।

मिजोरम में बच्चे हिन्दी पढ़ने को इच्छुक हैं। हिन्दी के विकास के लिए शिक्षक के वेतन आदि के जरिये पर्याप्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाए।

स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा किया गया कार्य प्रशंसनीय है। एन.सी.ई.आर.टी. विशेषज्ञों की विचारों तथा अनुभवों का आदान-प्रदान करने और विभिन्न शैक्षिक मामलों पर मार्ग-दर्शन प्रदान करने के लिए राज्य का बार-बार दौरा करना चाहिए।''

[हिन्दी]

जो उन्होंने बोला वही बताऊंगा। जो नहीं बोला वह कैसे बताऊं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैं आगे उद्धृत करता हूं:

''चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री, श्री एच. विश्वनाथ ने एन.सी.ई.आर.टी. के सेवा पूर्व और सेवारत अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम विकास, विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में योगदान की प्रशंसा की और संकेत दिया कि कर्नाटक राज्य द्वारा पाठ्यपुस्तकों के तैयार किये जाने को पूरा महत्व दिया जाता है।

यह सब कुछ कर्नाटक के मंत्री ने कहा है...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी: महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहती हूं। कृपया उन्हें पूछे हुए मुद्दे के बारे में उत्तर देने के लिए कहें।

अध्यक्ष महोदय: वह नहीं सुन रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: उन्होंने सवाल पूछा था कि एन.सी.ई.आर.टी. की मीटिंग में जिसमें मुख्य मंत्री थे, क्या कहा। उस मीटिंग के मिनिट्स में वह दिया है। जो भी सदस्य चाहें, मैं सर्कुलेट करा दूंगा। ये मिनिट्स सब मंत्रियों को भेजे जाते हं। ...*(व्यवधान)* मैं पढ़ रहा हूं और आप पढ़ने नहीं दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रूपचन्द पाल, यह निरंतर विरोध क्या है?

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: एक मिनिस्टर ने भी जो वहां थे, इस डाक्यूमेंट को रिजेक्ट नहीं किया। किसी ने अपने जो सुझाव दिये, जैसे किसी ने कहा...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: किसी को भी इस सदन की मर्यादा और शिष्टता की परवाह नहीं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: ऐसे कैसे चल सकता है? *...(व्यवधान)* इसका मतलब यह है कि आप अपनी बात कहें और मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। यह अजीब बात है। *...(व्यवधान)* यह प्रचार किया जा रहा है, यह षडयंत्र किया जा रहा है कि सरकार पीछे से कुछ लाना चाहती है और जब हम सफाई दे रहे हैं, चीजें सामने रख रहे हैं तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है।*...(व्यवधान)* यह क्या बात हुई? ऐसे थोड़े ही चल सकता है?*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री के उत्तर के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: जब सम्मानित सदस्य कहते हैं कि आप हमें जवाब दीजिए कि आपने किस तरीके से इस डाक्यूमेंट को बनाया, मैं जवाब दे रहा हूं।*...(व्यवधान)* मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा। सम्मानित सदस्य ने सवाल किया है, मैं उनका जवाब दे रहा हूं। नेता, प्रतिपक्ष ने कहा कि आप बिना किसी राय के ला रहे हैं।*...(व्यवधान)* मैं बता रहा हूं कि हमने कैसे राय की लेकिन आप सुनना ही नहीं चाहेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपने पहले से ही तय कर लिया है कि मिनिस्टर ने या सरकार ने कोई राय नहीं की, कोई मीटिंग नहीं हुई और यह थोपा जा रहा है। यह बिल्कुल गलत बात है।*...(व्यवधान)* बराए-मेहरवानी, आप शिक्षा के मामले में इस तरह की राजनैतिक सोच से ऊपर उठकर काम करें। हम उसी तरफ जा रहे हैं। हमने कोशिश की है।*...(व्यवधान)* अगर आप मेरी पूरी बात सुनेंगे,*...(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मुझे अपनी बात कहने की इजाजत मिलनी चाहिए। मैंने 7-8 घंटे सबकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आरोप लगाये जा रहे हैं, जिसको लेकर देश को तोड़ने की बात की जा रही है, जिसको लेकर एन.डी.ए. पार्टनर्स के बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आप बात सुनने को तैयार नहीं हैं। *...(व्यवधान)* अगर आप मेरी बात को सुनेंगे तो तथ्यों को जानेंगे और आप इस नतीजे पर आएंगे कि इससे ज्यादा जनतांत्रिक तरीके से आज तक करीकुलम फ्रेमवर्क डाक्यूमैंट इस देश में नहीं बना है। इस देश में आज तक नहीं बना है।*...(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): एन.डी.ए. के पार्टनर्स तो आपके खिलाफ भाषण दे रहे हैं।*...(व्यवधान)* समता पार्टी और टी.डी.पी.*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी के उत्तर के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैं उन सारी बातों को बताऊंगा क्योंकि आपने, हमारे कुछ लोगों ने खासतौर से साम्यवादी दल के लोगों ने एक प्रचार करना शुरू किया है कि*...(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: श्री डी.पी. यादव भी तो सरकार के खिलाफ बोले हैं।*...(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी: वह केवल इसीलिए है कि एक बात को पचास बार कहा जाये और फिर कहा जाए कि नहीं, आप तो यही कर रहे हैं। यह कम्युनिस्ट पार्टी का पुराना तरीका है। मैं जानता हूं, वह आज से नहीं हमेशा से रहा है। आज भी वही कर रहे हैं।*...(व्यवधान)* मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इनके चक्कर में मत आइए। आप इन विष-कन्याओं के चक्कर में मत आइए। आप बुरी तरह से फंस जाएंगे।*...(व्यवधान)* आप इन विष-कन्याओं का आलिंगन मत कीजिए। आपको मुसीबत हो जाएगी। मैं सब बताऊंगा।*...(व्यवधान)* मेरी बात सुनें। हमने पूरे तौर पर इसमें*...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: आज जितने आपके साथी हैं, उससे ज्यादा कहीं संख्या में मेरे पास साथी हैं।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैं बार-बार कहता हूं, कांग्रेस के मित्रों से बार-बार कहता हूं कि आप 1986 का डाक्यूमेंट पढ़ लें, हमारे नेशनल करीकुलम फ्रेमवर्क को पढ़ लें और मुझे बताएं क्योंकि वह पालिसी उस समय बनी थी जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी भारत के प्रधान मंत्री थे और तब सबने समर्थन किया था। *...(व्यवधान)* मैं आज भी कहता हूं कि हम उस पालिसी के साथ बंधे हुए हैं। हमने पालिसी चेंज नहीं की है। आप बिना पढ़े कैसे कह रहे हैं?*...(व्यवधान)* मैं चाहता हूं कि आप इसे पहले पढ़ लें। उसके बाद हमसे कहें। इनके प्रचार में मत आइए। यह इनका पुराना तरीका है।*...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: करीकुलम चेंज नहीं किया है लेकिन गाड़ी का रास्ता बदल दिया*...(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी: करीकुलम चेंज नहीं किया, उसको रिव्यू किया है। उसमें आपकी पालिसी के तहत रिव्यू की बात की गई थी, उसी के तहत रिव्यू किया है। जिन बातों पर इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ था, उनको इम्पलीमेंटेशन करने की कोशिश की गई है। *...(व्यवधान)* पहले मैं उन सवालों का जवाब दे दूं जो सम्मानित सदस्यों ने उठाए हैं। फिर बाद में जो हमारे मित्र कह रहे थे कि हम बहस तो भगवाकरण पर कर रहे थे, उसकी तरफ भी मैं आऊंगा कि वह क्या है और किस कारण से है लेकिन पहले जो असली चीज है जिस पर बार-बार सवाल उठाये गये हैं, उनको जरा ध्यान से सुन लें।

यह कहा गया, आप कोई रिलीजियन चीज लाना चाहते हैं, बिलकुल नहीं लाना चाहते। कहा गया - रिलीजियस एजूकेशन भी नहीं देना चाहते हैं। हमने कहा - एजूकेशन एबाउट रिलीजियन बताना चाहते हैं। आज हो क्या रहा है? हमारे एक ज्वाइंट सैक्रेटरी, श्री मैथ्यु, को किसी ने सवेरे फोन किया और कहा - हैप्पी गुड फ्राइडे। एक सरकारी अधिकारी दूसरे अधिकारी को फोन करके कहता है - हैपी गुड फ्राइडे। क्या ये भारत के लोग स्वीकार करेंगे? क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि ईसाई धर्म के बारे में मूलभूत जानकारी किसी आफिसर स्तर के व्यक्ति के पास नहीं है। शाहबुद्दीन साहब ने बताया कि एन.सी.ई.आर.टी. के आफिसर को एक दिन किसी ने फोन किया और कहा - मुहर्रम मुबारक। क्या आप भारत में ऐसी शिक्षा चाहेंगे कि लोगों को यह भी पता न हो कि मुहर्रम और गुड-फ्राइडे का क्या मतलब है। श्री सोमनाथ चटर्जी जी को तो मुहर्रम और गुड-फ्राइडे से कोई मतलब नहीं है।*...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: आपके सचिव ने क्या लिखा है?*...(व्यवधान)* आपका उत्तर क्या है? आपने यह प्रश्न उठाया है।

डा. मुरली मनोहर जोशी: उन्होंने वह वापिस ले लिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: उन्होंने वह क्यों लिखा?*...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या आपने उसे बुक किया?*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी के उत्तर के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी: वह सबको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी: कृपया उत्तेजित न हों।

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं उत्तेजित क्यों न होऊं?

डा. मुरली मनोहर जोशी: यहां साफ-साफ लिखा है:

"सामाजिक मूल्यों का उद्देश्य मित्रता, सहकारिता, करुणा, स्वअनुशासन, साहस, सामाजिक न्यायप्रियता आदि है।"

ये शब्द मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थायी समिति के प्रतिवेदन से लिए गए हैं। उन्होंने इसकी सिफारिश की है और हमने इसमें आवश्यक परिवर्तन करते हुए स्वीकार किया है।

अन्य महत्वपूर्ण अध्याय जो अब तत्काल ध्यान दिए जाने के योग्य हैं, वह है धर्म। इस पर उस समिति द्वारा विस्तृत रूप से विचार किया गया है। हमने उससे लिया है। यद्यपि यह आवश्यक मूल्यों का एकमात्र स्रोत नहीं है, तो भी निश्चित रूप से मूल्य सृजन का बड़ा स्रोत है। आज जिस चीज की आवश्यकता है वह धार्मिक शिक्षा नहीं है, किन्तु धर्मों, उनके मूल, उसमें अंतर्निहित मूल्यों के बारे में और सभी धर्मों के दर्शन के तुलनात्मक अध्ययन के बारे में भी शिक्षा देना है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

किसी ने कहा - चार्वाक भी चाहिए। चार्वाक भी पढ़ायेंगे और चार्वाक जो फिलोसोफी है, वह भी पढ़ायेंगे। कहा गया - मार्कसिज्म नहीं पढ़ायेंगे? वह भी पढ़ायेंगे, लेकिन यह भी बतायेंगे कि वह फेल हो गया। दोनों चीजें बतायेंगे। एक चीज नहीं रखना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: हम बताएंगे कि आर.आर.एस. नीति देश के लिए खतरनाक है...*(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी: 1999 में चह्वाण समिति ने सामाजिक सम्बद्धता और सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव के बारे में पुरजोर आग्रह किया। शांति की संस्कृति के लिए एक अंतर सांस्कृतिक संवाद एवं बहुलवार के लिए युनेस्को के विभाग ने आध्यात्मिक सम्मेलन कराने का और एक ऐसे विश्व में जहां परस्पर विरोध और अंतर-धार्मिक झगड़े रोजमर्रा की चीजें हो गई हैं, विभिन्न धर्मों के बीच संवाद को संवर्द्धित करने की वकालत की है।

यह यूनेस्को ने कहा है मैंने नहीं। यह जनवरी, 2000 में यूनेस्को के संकल्प में कहा गया है। मैं उस बैठक में उपस्थित था। मैंने वह उद्धृत किया है जो कहा गया है:

> "बचपन में शुरू से ही बच्चों को भिन्नता की खोज और दूसरे हमें सहनशक्ति, आदर तथा विश्वास के मूल्यों के प्रति प्रेरित करना चाहिए जिससे दूसरों के प्रति व्यवहार और दृष्टिकोण में बदलाव आएगा।"

अत: हम पुन: कहते हैं कि सभी धर्मों को समान आदर देना होगा। सर्व धर्म समभाव। किसी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।

[हिन्दी]

हम फर्स्ट टाइम सर्व धर्म समभाव को अपने कैरिकुलम के माध्यम से बच्चों को बताने की कोशिश कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी के उत्तर के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: हमने जो किया है, वह सबके सामने है। यह डाकुमेंट सबको भेजा गया। आज तक हमें किसी ने नहीं कहा कि यह गलत है। सिर्फ इतना ही त्रिपुरा के मिनिस्टर ने कहा कि इसे करते समय बहुत प्रिकोशन की जरूरत है। हमारे एन.सी.ई.आर.टी. के डायरेक्टर ने जो रेस्पोंसेस दिए हैं, उसमें सब ने कहा है कि इसका पूरा ध्यान रखा जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस मामले में जो भी पुस्तकें लिखी जाएंगी, उनके बारे में मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जब तक सभी धार्मिक व्यक्तियों और प्रमुख लोगों से आप इसे क्लियर नहीं करा लेंगे तब तक वे नहीं आएं, क्योंकि उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जो किसी को हर्ट करे, किसी के बारे में कोई गलतफहमी पैदा करे। सब धर्मों के अंदर समानता है। इस समानता को ध्यान में रखते हुए...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: हम कैसे भरोसा करें कि आप जो कह रहे हैं वह सही कह रहे हैं।...*(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी: जो पुस्तकें लिखी जाएंगी, वे सब के सामने आएंगी।...*(व्यवधान)* उस पर भी हम कमेंट्स लेंगे। ...*(व्यवधान)* हम इसी तरह से भेजते हैं।...*(व्यवधान)* आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। संस्कृत के बारे में यह कहा गया कि आप इस एक भाषा को क्यों कम्पलसरी कर रहे हैं। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि वह कम्पलसरी कहीं नहीं है। संस्कृत एक इलैक्टिव विषय के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जाए, यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। सब कमेटियों ने बार-बार बहुत जोर देकर कहा है। संस्कृत आयोग मैंने नहीं बनाया था, इस बारे में पहले से इतनी संस्थाएं बनी हुई हैं। वेद विद्या, प्रतिष्ठान, सांदीपनी वेद प्रतिष्ठान, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, संस्कृत आयोग हमने नहीं बनाए। संस्कृत आयोग की जो सिफारिशें हैं, उन्हें भी पढ़ लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी पढ़ लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रिट थी, उस रिट को इन्होंने खारिज किया। यह जस्टिस कुलदीप सिंह का निर्णय है, उस निर्णय के आखिर में वह कहते हैं—

[अनुवाद]

> "हम लोग इसलिए यह कहते हुए अपनी बात समाप्त कर रहे हैं कि हमारे सांस्कृतिक विरासत का पोषण करने के लिए संस्कृत के महत्व को ध्यान में रखते हुए जिसके कारण राजकीय शिक्षा नीति में भी इसके अध्ययन की आवश्यकता को महत्व दिया गया है, अरबी तथा परशियन की स्थिति को

[डा. मुरली मनोहर जोशी]

माने बिना केवल संस्कृत को ऐच्छिक विषय बनाए जाने से धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धान्त को किसी प्रकार आघात नहीं पहुंचेगा।''

आप पूरे निर्णय को देख सकते हैं। यह 1994 में हुआ था...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या उन्होंने संस्कृत कहा?

डा. मुरली मनोहर जोशी: उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा है कि धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की आधारभूत विशेषता है और इस मामले में यह उन्होंने इस संबंध में विस्तृत रूप से टिप्पणी की है। यदि माननीय अध्यक्ष महोदय अनुमति दें तो मैं उनके उन तर्कों को पढ़ सकता हूं। प्रश्न यह उठा कि संस्कृत की पढ़ाई धर्म निरपेक्षता के विरुद्ध है...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हमने यह कभी नहीं कहा। महोदय, माननीय मंत्री जी हमारे मुंह से कहा मनवाने का प्रयास कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: आपने नहीं कहा।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: फिर किसने बोला?...*(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी: हमारे सम्माननीय मित्र मणिशंकर जी इस समय यहां नहीं हैं, उन्होंने यह सवाल उठाया था कि आपने एजुकेशन पालिसी में अरेबिक और परशियन को क्यों नहीं किया, खाली संस्कृत को क्यों किया, जबकि पालिसी में अरेबिक और परशयन भी था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: नहीं, अरबी और परशियन को निकाल दिया गया और इन्हें अब विदेशी भाषाओं की सूची में शामिल कर लिया गया है। पहले उन्हें भारतीय शास्त्रीय भाषाओं के नाम से जाना जाता था।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: मेरे पास रिकार्ड है। इन्होंने यह सवाल पूछा,...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में आधुनिक भारतीय भाषा अनुभाग में अरबी और परशियन पढ़ायी जा रही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कोई भी अध्यक्षपीठ को सम्बोधित नहीं कर रहा है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: किसी ने मना नहीं किया।

मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में वे पढ़ाई जाती हैं

[अनुवाद]

पर आधुनिक भारतीय भाषाओं के रूप में नहीं...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: वह विभाग आधुनिक भारतीय भाषा विभाग के नाम से जाना जाता है। श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी उपकुलपति थे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: डा. मुरली मनोहर जोशी, कृपया आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: अध्यक्ष जी, अरेबिक और पर्शियन मेरी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं और पढ़ाई जाती रहेंगी और मैं तो उनको प्रमोट कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने उनके लिए क्या किया है। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने एक चिट्ठी प्रधान मंत्री जी को लिखी है और उसमें उन्होंने कैरीकूलम फ्रैमवर्क के बारे में बहुत सारे सवाल उठाए हैं और हमारे एन.सी.ई.आर.टी. के अफसरों ने उनकी सारी बातों का जवाब दिया है और उसके बाद जस्टिस कृष्णा अय्यर ने हमको चिट्ठी लिखी:-

[अनुवाद]

''प्रिय डा. मुरली मनोहर जोशी,

मैंने 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद' (एन.सी.ई.आर.टी.) के शैक्षिक नीति संबंधी कुछ जानकारी से

संबंधित एक वक्तव्य पर हस्ताक्षर किये हैं। वास्तव में यह नीति से संबंधित नहीं है। यह प्रधानमंत्री को सम्बोधित था जो अंतत: एन.सी.ई.आर.टी. को पहुंच गया। उसे प्राप्त करने वाले अधिकारी एन.सी.ई.आर.टी. के प्रो. राजपूत ने मेरे वक्तव्य में उठाई गई आपत्तियों के सम्बन्ध में मुझे एक स्पष्टीकरण भेजा है। एन.सी.ई.आर.टी. के स्पष्टीकरण से मैं ऊपरी तौर पर संतुष्ट हूं। मेरे पास एन.सी.ई.आर.टी. के स्पष्टीकरण पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए मैंने इसे स्वीकार कर लिया है और एन.सी.ई.आर.टी. के इस कदम की आलोचना बंद कर दी है। मैं आशा करता हूं कि एन.सी.ई.आर.टी. अपने द्वारा रखी गयी स्थिति को वास्तविक रूप से व्यवहार में भी अपनाएगा।''

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी: पहली बार आप कृष्णा अय्यर को सपोर्ट कर रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): हम इमरजेंसी से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं।

[अनुवाद]

डा. मुरली मनोहर जोशी: हम सभी लोगों से चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और इसका ब्यौरा दे रहे हैं...*(व्यवधान)* जो कुछ हमने अरेबिक और फारसी के लिए किया है वह पिछले 50 सालों में नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय के उत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: अध्यक्ष जी, हमारे मंत्रालय की तरफ से संस्कृत की तरह अरबी और फारसी के लिए जो स्कीम चलाई जा रही है, उसके लिए नेशनल कौंसिल फार प्रमोशन आफ उर्दू लैंग्वेज नोडल एजेंसी है। इसके लिए अरबी, फारसी सिखाने के उद्देश्य से खोले जाने वाले संस्थानों और मदरसों को हम अनुदान दे रहे हैं। वह सहायता है अरबी-फारसी पढ़ाने के लिए अनुदान, लाइब्रेरी और रीडिंग रूम के लिए सहायता, भारती भाषाओं में अरबी-फारसी के शब्दकोश तैयार करने के लिए सहायता, अरबी-फारसी के लिए छात्रवृत्तियां, अरबी-फारसी में निकलने वाली पत्र-पत्रिकाओं को सहायता, क्लासिक भाषाओं में रिसर्च के लिए आर्थिक अनुदान। इस स्कीम के तहत जो धनराशि अनुदान के तौर पर दी गयी है उसका विवरण यह है। सन् 1998-1999 में 73 वालिंटरी आर्गेनाइजेशन को सहायता दी। सन् 1999-2000 में 155 को सहायता दी। सन् 2000-2001 में 200 को सहायता दी। रिसर्च स्कालरशिप को 1998-1999 में में 5 लाख 17 हजार रुपया दिया गया था 1999-2000 में 15 लाख रुपया दिया गया और 2000-2001 के लिए साढ़े 19 लाख दिया गया है। आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक, मणिपुर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के अंदर वालिंटरी आर्गेनाइजेशन्स को सहायता दी गयी है। आंध्र प्रदेश में 6 टीचर्स मांगे गये थे वे उनको दिये गये। असम में 59 टीचर्स मांगे गये थे, मणिपुर में 9 टीचर्स, कर्नाटक में 6 टीचर्स, तमिलनाडु में 5 टीचर्स और उत्तर प्रदेश में 8 टीचर्स मांगे गये थे।...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: किसी मदरसे को सहाता दी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राशिद अलवी, उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की है। आप कैसे बोल सकते हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी: उसके बाद अरबी तथा पर्शियन के अंशकालिक शिक्षण के लिए राज्यवार वित्तीय सहायता दी जाती है।

[हिन्दी]

तो 287 टीचर्स हमने दिये। वालिंटरी आर्गेनाइजेशन्स को 155 दिये और 16 लाख रुपया इस पर खर्च हुआ।

उर्दू की प्रमोशन के लिए जो काम हुआ, वह मैं आपको बता चुका हूं लेकिन फिर बताना चाहता हूं और आज सुबह भी कहा है कि जो खर्चा काउंसिल का पहले एक करोड़ रुपए भी नहीं होता था, लगभग 12 करोड़ रुपए वर्ष 2001-2002 के लिए रखे गए हैं। हर साल इसका पैसा बढ़ता जा रहा है। मैंने उर्दू में खत्ताती के लिए और उन बच्चों के लिए जो कम्प्यूटर डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, उर्दू मीडियम में सौ कम्प्यूटर सैंटर्स दिए हैं। सात हजार बच्चे आज उसके अन्दर पढ़ रहे हैं। इससे डेढ़-दो हजार बच्चों को नौकरियां मिलती हैं। आप यह कैसे कह सकते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने पूरे तौर पर उर्दू अखबारों की मदद करने की कोशिश की। पहली बार यू.एन.आई. की सर्विस जो उर्दू के अखबार ले रहे हैं, हम उसे 50 परसैंट सब्सिडाइज कर रहे हैं। मेरी आज भी उर्दू के एडिटर्स के साथ मीटिंग हुई थी। उन्होंने कुछ सिफारिशें की थीं। सरकार उन पर गौर करेगी। कोई भाषा ऐसी नहीं है - न उर्दू, न अरेबिक, न परशियन जिस

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डा. मुरली मनोहर जोशी]

के लिए हमारे मंत्रालय ने काम न किया हो। आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि भारी आर्थिक संकट के बाद भी हमने इन कामों को आगे बढ़ाया है। हमने कोई भाषा नहीं छोड़ी। यह कहना कि इन भाषाओं में दिक्कत होगी, हमने 800 के करीब टीचर्स मदरसों को दिए हैं। यदि कोई साईंस टीचर कोई मदरसा आधुनिकीकरण के लिए मांगेगा तो हम उसे टीचर की तनख्वाह देंगे। पहले जिन टीचर्स की तनख्वाह 1500 रुपए थी, मैंने उनकी तनख्वाह को बढ़ा कर तीन हजार रुपए कर दिया। आप कैसे कहते हैं कि हम भेदभाव करते हैं? हम हर भाषा के साथ न्याय कर रहे हैं। अभी हमने मिजोरम में सैंट्रल यूनिवर्सिटी दी। हैदराबाद में उर्दू यूनिवर्सिटी बनी है। कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसके साथ हमने कुछ न किया हो, जिसे आगे बढ़ाने के लिए काम न कर रहे हों। यह कहना कि आप केवल एक तरफ की बात कर रहे हैं, उचित नहीं होगा। यह पूछा गया कि संस्कृत के लिए क्या किया और उर्दू, अरेबिक, परशियन के लिए क्या किया?

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना आपके शासन काल के दौरान नहीं हुई थी।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: उर्दू यूनिवर्सिटी का रेजोल्यूशन पास था लेकिन यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जमीन से लेकर बाकी सारे इंतजाम हम कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: इसका उद्घाटन श्री आई.के. गुजराल द्वारा किया गया था।

डा. मुरली मनोहर जोशी: हां, वह एक संकल्प था परन्तु इसका कार्यान्वयन नहीं हो सका। इसका कार्यान्वयन हम कर रहे हैं।

[हिन्दी]

यदि हमारी नीयत खराब होती। उर्दू के सात भेदभाव करने का इरादा होता तो कह सकते थे कि इस सरकार ने रैजोल्यूशन पास किया लेकिन इसे इम्पलीमैंट नहीं किया। हम उसे इम्पलीमैंट कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ इम्पलीमैंट कर रहे हैं। आप देखें कि हमने उसकी एग्जीक्यूटिव कैसी बनाई है और लोग क्या काम कर रहे हैं? एक सवाल कल गुजरात के बारे में उठाया गया जिस में यह कहा गया था कि गुजरात में गलत किताबें चल रही हैं। गुजरात के एजुकेशन सैक्रेटरी ने जो जवाब दिया था, वह मेरे पास है, मैं उसे बताना चाहता हूं। मेरे सैक्रेटरी से जो उनकी बात हुई वह यह है कि:

[अनुवाद]

"कृपया गुजरात राज्य पाठ्यपुस्तक बोर्ड द्वारा प्रकाशित नवीं और दसवीं कक्षा स्तर के सामाजिक अध्ययन विषय के पाठ्यपुस्तकों के संबंध में संसद की स्थायी समिति की बैठकों में हुई चर्चा के संबंध में उप शैक्षणिक सलाहकार के दिनांक अमुक मार्च के पत्र सं. अमुक और दूरभाष पर हुई बातचीत का संदर्भ लें। मामले को पाठ्यपुस्तक बोर्ड के पास भेजा गया और यह जानकारी दी गयी कि वर्ष 1992 से नवीं तथा दसवीं कक्षा के सामाजिक अध्ययन विषय की पाठ्यपुस्तक में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।"

ये पुस्तकें 1992 में लिखी गयी थीं। उस समय कौन इस कार्य को देख रहा था। मैं तो नहीं था। 1992 में कांग्रेस की सरकार थी। इसलिए वे उससे पहले लिखे गए थे।

आगे उनका कहना है-

"जिन पैराग्राफों का संसदीय समिति की चर्चाओं में संदर्भ दिया गया है, वे कई वर्षों से पुस्तक में मौजूद हैं। तथापि पाठ्यपुस्तक बोर्ड ने माननीय संसद सदस्यों द्वारा की गयी टिप्पणी और सुझावों को नोट किया है और आश्वासन दिया है कि उन संस्करणों में उपयुक्त संशोधन किए जायेंगे।"

ये संशोधन कर दिये गये हैं। उन्होंने कहा है कि जून 2001 से संशोधित संस्करण उपलब्ध होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी: किसने कहा है?

डा. मुरली मनोहर जोशी: यह गुजरात से है।

[हिन्दी]

आपने एक दिमाग बना लिया है, एक माइंड सैट करके बना लिया है कि इस बात को लेकर जरूर सरकार के ऊपर आघात करना है।...*(व्यवधान)* आप शांति से सुनिए, धैर्य से सुनिए। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। आप इस रूप में मत जाएं।...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: अध्यक्ष महोदय, गुजरात में जो टैक्सट बुक पढ़ाई जा रही है, उसमें बताया गया है कि राम मन्दिर के लिये साढ़े तीन लाख लोगों ने कुरबानी दी है...*(व्यवधान)* 1992 में कैसे हुआ?

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैं आपको यही बता रहा हूं कि यह गुजरात सरकार की टैक्सट-बुक नहीं है, न एन.सी.ई.आर.टी. की है और न ही हमारी सरकार की है। इसे सरकार की मान्यता नहीं है। मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, यह हमारी पहुंच के बाहर है, वह हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। चर्चेज में क्या पढ़ाया जा रहा है, किस प्राइवेट स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, एन.सी.ई.आर.टी. को इससे कोई मतलब नहीं है। हम उसको अप्रूव नहीं करते। अगर कोई बच्चा इम्तिहान देने आयेगा या हमारे यहां सर्टिफिकेट लेने आयेगा तो उसे उन्हीं चीजों का इम्तिहान देना होगा जिन चीजों के हमारी तरफ से अप्रूव्ड कोर्सेज माने गये हैं। हर सरकार अपना-अपना पाठ्यक्रम अलग से बनाती है। इसके लिये एक बेसिक फ्रेमवर्क रहता है। हम कहते हैं कि इनफर्मेशन एंड टैक्नौलौजी पढ़ाइये, अब यह राज्य सरकारों के ऊपर है कि वे कक्षा-5 या कक्षा-8 से पढ़ायें। अगर हम कहते हैं कि कक्षा-10 के इम्तिहान में आना है तो यहां कम्प्यूटर लर्निंग होनी चाहिये। यदि इनफर्मेशन, कम्युनिकेशन्स या टैक्नौलोजी पढ़ाने का जिक्र किया है तो पहले उसे देखिये। हमने कहा है कि कम्प्यूटर एजूकेशन इस तरह की होनी चाहिये लेकिन टीचिंग लर्निंग के अंदर एजूकेशन होनी चाहिये। इसी चीज का इम्पलीमेंटेशन जरूरी था और वह सारा फ्रेमवर्क एंड कैरीकुलम में रखा गया है। आप इस तरफ गौर कीजिये।

अध्यक्ष महोदय, यहां रिलीजियस एजुकेशन का जिक्र किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, रात्रि के 9.30 बज चुके हैं और कितना समय आप चाहते हैं?

डा. मुरली मनोहर जोशी: महोदय, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं।

[हिन्दी]

मुझे आधा घंटा लग जायेगा। यहां कहा जा रहा है कि हिस्ट्री में बदलाव किया जा रहा है। जी, नहीं। हिस्ट्री में कहीं कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। हमारे पास प्रो. यशपाल की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि बच्चों का कैरीकुलम लोड कम किया जाये। इसलिये चार सब्जैक्ट्स को मिलाकर एक किताब बनाई गई है। यहां किसी तरफ से कहा गया कि इतिहास को ऐसा लिखवाइये, वैसा लिखवाइये। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इतिहास की जो मान्यताप्राप्त चीजें हैं, केवल वे ही लिखी जायेंगी। हमने यह जरूर कहा है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल: आप सच्चाई को तोड़-मोड़ कर बदल नहीं सकते।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: 32 मिनटों से उन्होंने कोई सुसंगत बात नहीं बोली है। मैं नहीं समझता कि वे अब भी कोई संगत बात कहेंगे।...*(व्यवधान)*

रात्रि 9.33 बजे

(इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, वे हमारे द्वारा उठायी गयी किसी भी महत्वपूर्ण बात का जवाब नहीं दे रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैं आपको बताना चाहता हूं...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं हैं। आप मुझे इजाजत दें तो मैं उन्हें बता सकूं क्योंकि मैं अब ऐसी बातें बताने वाला हूं जो उन लोगों के लिये तकलीफदेह हैं। वे क्या चाहते हैं कि इतिहास कैसे पढ़ाया जाये?

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, डिसकशन शुरू करने वाले वाक आउट करके चले जायें।

[अनुवाद]

यह बहुत गलत बात है। उन्होंने ही चर्चा आरम्भ की और फिर भी उन्हें जवाब सुनने का धैर्य नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल: वह सही मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं। वह इतिहास की बात कर रहे हैं...*(व्यवधान)* वे सच्चाई को तोड़-मरोड़कर बदलना चाहते हैं। वे इतिहास को विकृत कर रहे हैं। यह हमारी आलोचना का विषय है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रूपचंद पाल आप मंत्री महोदय को पिछले पूरे 32 मिनटों के दौरान लगातार बोलने में बाधा पहुंचाते रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: मैं उन्हें बांधा नहीं पहुंचा रहा बल्कि वे महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको धैर्य रखना चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। हम कौन सा इतिहास पढ़ायें...*(व्यवधान)* माननीय सदस्य मेरी बात कृपापूर्वक सुनें। हमारे सी.पी.एम. के दोस्त कैसा इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, वह मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। मेरे पास मार्क एंड एंजल द्वारा लिखी किताब- दी फर्स्ट इंडियन वार आफ इंडिपेंडेंस, 1987-59 है जिसमें एक आर्टिकल है। इस किताब को छापने वाले प्रोग्रेस पब्लिशर्स, मास्को हैं। इसके पृष्ठ-26 पर क्या लिखा है, उसे आप देखें।

22 जुलाई, 1853 को न्यूयार्क डेली ट्रिब्यून नम्बर 3840 आफ 8 अगस्त, 1853 बार्ड कार्ल मार्क्स में यह छपा है, वह कहते हैं-

[अनुवाद]

"भारतीय समाज का कोई इतिहास ही नहीं है।"

मुझे बोलने दें, क्या आप इससे सहतम हैं? इसके अनुसार-

"भारतीय समाज का कोई इतिहास ही नहीं है। जिसे हम इतिहास कहते हैं वह बार-बार आने वाले हमलावरों का इतिहास है जिन्होंने उस अप्रतिरोधक और अपरिवर्तनशील समाज की निष्क्रियता के कारण अपने साम्राज्यों की स्थापना की। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि इंग्लैंड को भारत के ऊपर विजय पाने का अधिकार था या नहीं बल्कि क्या हम अंग्रेजों द्वारा विजित भारत की अपेक्षा भारत के उपर तुर्कों द्वारा, पर्शियनों द्वारा रूसियों द्वारा विजय को अधिक पसंद करते हैं।"

श्री रूपचंद पाल: महोदय, वे कार्ल मार्क्स की बात कर रहे हैं...*(व्यवधान)* वे अपने मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं...*(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी: महोदय, क्या यही इतिहास की समझ है, जो हमारे मार्क्सवादी मित्र हमें पढ़ाना चाहते हैं?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

क्या वे यह चाहेंगे कि यह बताया जाए, मैं आगे पढ़ता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: डा. मुरली मनोहर जोशी, आप सबको गलत साबित करना चाह रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: क्या यह भारत में किसी विश्वविद्यालय में पढ़ायी जाती है?...*(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी: महोदय, यह हमारे मार्क्सवादी मित्रों की समझ है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री के उत्तर के सिवाय और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी: महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: इसलिए मैं आपसे हमेशा कह रहा हूं कि आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें न कि सदस्यों को।

डा. मुरली मनोहर जोशी: महोदय, मैं उन्हें सम्बोधित नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप उनके प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे हैं। कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

डा. मुरली मनोहर जोशी: महोदय, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न उठा रहा हूं- क्या यह इतिहास की समझ है जिससे मेरे मार्क्सवादी मित्र सहमत हैं? क्या सभा इससे समहत है? क्या इसे पढ़ाया जाना चाहिए?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

इसके क्या परसेप्शन है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल: यह वहां पर नहीं है।...*(व्यवधान)* आप यहां पर इसे अपने हिसाब से रूपांतरित कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, कृपया अपनी बात समाप्त करें। कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. मुरली मनोहर जोशी: महोदय, क्या यही इतिहास होना चाहिए। मैं अपने मार्क्सवादी मित्रों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: डा. जोशी, आप झूठे मुद्दों के आधार पर गढ़े मुर्दे उखाड़ना चाहते हैं।*...(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी: महोदय, यह इतिहास की समझ है जो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया है।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री के उत्तर के सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी: क्या वे इससे सहमत हैं? क्या कोई इस समझ से असहमत है?*...(व्यवधान)* मैं आपका आभारी हूं*...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, उनके द्वारा सिफारिश की गयी बाल भारती की पुस्तकें पढ़ायी जा रही हैं।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, क्या सभा में व्यवहार करने का यही तरीका है?

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं जानना चाहता हूं कि यह गलत है या सही है।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, यह बहुत तर्कसंगत बिन्दु है।

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया पहले माननीय मंत्री की बात सुन लें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री के उत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैंने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि सरकार ने उसे अनुमोदित नहीं किया है। मैंने यह कहा है*...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. मुरली मनोहर जोशी: महोदय, ये पुस्तकें सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं हैं। ये पुस्तकें हमारी पाठ्यचर्या का भाग नहीं हैं। मैंने यह कहा है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। अभी एक सम्मानित सदस्य ने कहा कि ये लोग बताना चाहते हैं कि आर्यन्स बाहर से नहीं आये, यह बताना चाहते हैं कि वैदिक सिविलाइजेशन यहां बहुत पुरानी थी और वह हिस्ट्री बताना चाहते हैं जो सम्मानित सदस्य के हिसाब से अनअथराइण्ड है। मैं लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहूंगा, 'सेमिनार' इस पत्रिका में स्वयं रोमिला थापर ने कहा है*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री के उत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैं उद्धृत कर रहा हूं:

"दूसरी सहस्राब्दि, ई.पू. के दौरान उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी भाग में बड़े पैमाने पर आक्रमण होने का वास्तव में कोई सबूत नहीं है।"

यह इतिहास पुस्तकों में पढ़ा है।

श्री रूपचन्द पाल: कोई भी इतिहासकार आपकी बात से सहमत नहीं है*...(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैं 'दि सेमिनार' से उद्धृत कर रहा हूं। इसकी लेखिका रोमिला थापर हैं जो मेरे मार्क्सवादी मित्र के अनुसार प्रसिद्ध इतिहासकार हैं और विशेषज्ञ हैं*...(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: इसमें क्या गलत है?

डा. मुरली मनोहर जोशी: इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यह स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है जिसको हम कहते हैं कि इसका संशोधन कीजिए। इसके बाद वामपंथी एक और इतिहासकार श्री भगवान सिंह हैं। उन्होंने कहा है कि इनकी एक किताब है। 'दि वैदिक हरप्पन्स', इसका पाठ इस प्रकार है:

"यह पुस्तक उस समय लिखी जा रही है जब सभी ओर नित नूतन अवधारणाओं का प्रार्दुभाव हो रहा है। दो वर्ष पूर्व

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डा. मुरली मनोहर जोशी]

जब मैंने इस पुस्तक का पहला प्रारूप पूरा किया उस समय संशय का कुहासा काफी घना था। गत दो वर्षों के दौरान इतनी तेजी से बदलाव आया है कि इस छोर से उस छोर तक सब कुछ बदल गया है। आज क्षमायाचक वे लोग हैं जो हड़प्पा सभ्यता को गैर-वैदिक मानते हैं। वह स्वागत योग्य परिवर्तन विभिन्न देशों के विभिन्न विषयों के विद्वानों द्वारा विगत कुछ वर्षों में ईरान, मध्य एशिया तथा अफगानिस्तान सहित मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, मेहरगढ़, ईराक, नौशेरा तथा अन्य स्थलों में किए गए व्यापक क्षेत्र कार्य से प्राप्त महत्वपूर्ण सामग्री के विश्लेषण के परिणामस्वरूप आया है तथा साथ ही इस परिवर्तन में इन सभी आंकड़ों के प्रति जांच का भी योगदान रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय द्वारा कही बात के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री एस. जयपाल रेड्डी: क्या मंत्री महोदय हमें इतिहास पढ़ाएंगे?...*(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैं पढ़ा नहीं रहा हूं। मैं केवल यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि दो अलग-अलग मत हैं। पहला मत है कि आर्य बाहर से आक्रमणकारियों के रूप में भारत आए थे। अब नई खोजों के प्रकाश में ...

श्री एस. जयपाल रेड्डी: नई खोज क्या है?

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैं आपको बताऊंगा...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: यह आपका एजेंडा है...*(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी: नहीं, यह मेरा एजेंडा नहीं है...*(व्यवधान)* कृपया प्रतीक्षा कीजिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

डा. मुरली मनोहर जोशी: जी हां, महोदय...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सदस्यों द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक नहीं है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. मुरली मनोहर जोशी: कृपया मेरी बात सुनिए...*(व्यवधान)* क्या विद्यार्थियों को नई खोजों के बारे में नहीं बताना चाहिए?...*(व्यवधान)* क्या दोनों मत विद्यार्थियों के समक्ष नहीं रखने चाहिए?...*(व्यवधान)* क्या छात्रों को नहीं बताया जाना चाहिए कि नयी फाइंडिंग्ज आ गई हैं? क्या सैटेलाइट इमेजिंग से सरस्वती नदी का जो पुराना पार्ट दिख रहा है वह नहीं बताया जाना चाहिए? प्रसिद्ध लेखक मोहम्मद रफीक मुगल द्वारा लिखित इस पुस्तक का शीर्षक 'एन्शियन्ट चोलिस्तान बार आरकेलाजी एण्ड आरकीटेक्चर'...*(व्यवधान)* इस पुस्तक के लेखक मोहम्मद रफीक हैं...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: बहुत हो गया।

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत हो गया और आप जो कर रहे हैं वह भी बहुत हो गया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है? सभा में प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिए। यदि आप कोई महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण चाहते हैं तो आप उत्तर के पश्चात् मंत्री महोदय से पूछ सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, उन्हें श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कविता 'भारत तीर्थ' पढ़नी चाहिए। उनका पूरा उत्तर गोपनीय होगा और वे भ्रमित भी नहीं होंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सभा में महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए कह रहे हैं लेकिन मंत्री महोदय के उत्तर को नहीं सुन रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैं कैसे कनक्लूड करूं? मैं निवेदन कर रहा था कि नई-नई फाइंडिंग्ज सामने आ रही हैं।...*(व्यवधान)* सैटेलाइट इमेजिंग से जो चीजें सामने आई हैं वह क्या बच्चों के सामने न रखी जाएं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उन्हें टैगोर की कविता 'भारत तीर्थ' पढ़नी चाहिए। उन्होंने ऐसा किया है। यह उनकी समस्या है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, द्वारा कही गई बात के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री एस. जयपाल रेड्डी, वे आपकी बात नहीं मान रहे हैं। आप यह कैसे कह सकते हैं? वे आपकी बात नहीं मान रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: क्या यह न बताया जाए कि एक व्यू यह बता रहा है जो बड़े स्कालर्स का है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हर कोई सभा में प्रक्रिया के बारे में बोलता है। वे आपकी बात नहीं मान रहे हैं। आप किस तरह यह मामला उठा सकते हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: केवल मैं नहीं कह रहा हूं। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि आप इसे मानें या उसे मानें। मैं कह रहा हूं कि जो दो व्यूज सामने आए हैं वह बच्चों को बताए जाएं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप बताइए आप किसे मानते हैं?

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैं बताऊंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, आप हमेशा सभा में व्यवधान डालते हैं। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैं मानता हूं कि जब तक किसी प्रश्न के बारे में पूरा व्यू क्लियर नहीं होता तब तक जितने व्यूज हैं वे सामने आने चाहिए और इसमें किसी तरह का पक्षपात मैं नहीं करना चाहता।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ सीमा होती है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: जितने व्यूज हैं, वे सबके सामने आने चाहिए। जो सरस्वती नदी का पुराना कोर्स आफ फ्लो सैटेलाइट इमेजिंग से निकला और उसके चारों तरफ लोगों ने खुदाई की, उसमें उनको हड़प्पन सिविलाइजेशन से ज्यादा संख्या में प्रमाण मिले और वे कहते हैं कि यह सिविलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन से पुरानी है और वैदिक है तो यह भी बच्चों के सामने जाना चाहिए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, रात्रि के 9.45 हो चुके हैं। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, ये किस अंतर्राष्ट्रीय इतिहासकार का उल्लेख कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय के उत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैंने मोहम्मद रफीक अहमद का उल्लेख किया है। मैंने रोमिला थापर तथा एक अन्य वामपंथी विद्वान डा. भगवान सिंह का भी उल्लेख किया है जिसको आप कह सकें कि यह तो आपसे संबंधित है या आपकी राय का है। वह भी मेरे पास बहुत सामान है, लेकिन मैंने वे प्रमाण रखे हैं जो इंटरनैशनली रिकमंडेड हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: बाल भारत के बारे में बताइए।

डा. मुरली मनोहर जोशी: बाल भारती सरकार का नहीं है। मैंने बता दिया कि उससे सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है और वह हमारे पाठ्यक्रम का अंग नहीं है। मैंने कहा है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या आप उसकी निन्दा करते हैं?

डा. मुरली मनोहर जोशी: न मैं उसकी निन्दा करता हूं और न प्रशंसा। ऐसे बहुत से और भी विद्यालय हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, ये आपसे निरंतर प्रश्न पूछ रहे हैं और आप निरंतर उन्हें उत्तर दे रहे हैं। यह क्या है?

श्री एस. जयपाल रेड्डी: ये निरंतर लीक से हट रहे हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी: बिलकुल नहीं।

अध्यक्ष महोदय: श्री जयपाल रेड्डी, आप सभा की कार्यवाही में निरंतर व्यवधान डाल रहे हैं। यह सब क्या है? इसकी कोई सीमा होनी चाहिए।

...(व्यवधान)

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैं उद्धृत करता हूं:

"सही तिथियों के बारे में कहना अभी भी जल्दबाजी होगी। छठी शताब्दी ई.पू. से दक्षिण एशिया का समग्र कालक्रम 100 वर्षों में गुण-दोषों का एक जाल है। पूर्णत: विशुद्ध कालक्रम विश्लेषण के आधार पर हम हिन्दु सभ्यता और आर्य सभ्यता के पतन के बीच निश्चित संबंध भी स्थापित नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि हम ऐसा करते हैं तो तथाकथित आक्रमण और पद्धतियों को साबित करने का वास्तविक सबूत क्या है?"

प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय विद्वान श्री डले ने यह कहा था...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रूपचन्द पाल: घर में जाकर पढ़िए।

डा. मुरली मनोहर जोशी: घर में नहीं, मैं आपको बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं कि मुझे एक सम्मानित सदस्य ने कहा कि आप यह बताना चाहते हैं कि आर्यभट्ट को कम लोग जानते हैं और भी बहुत सी बातें उन्होंने कहीं, लेकिन वे सम्मानित सदस्य आज सदन में मौजूद नहीं हैं। उन्होंने मेरे बच्चों की शिक्षा के बारे में सवाल उठाया, अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के बारे में कहा। माननीय सदस्यों, यह सवाल मेरे या आपके बच्चों की शिक्षा का सवाल नहीं है, यह हिन्दुस्तान के 20 करोड़ बच्चों की शिक्षा का सवाल है। वे जिस भाषा में बोले, उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए, वैसे शब्दों का इस्तेमाल वे ही कर सकते हैं। मेरी शिक्षा हिन्दी में हुई है। इसलिए उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मैं नहीं कर सकता। मुझे प्रसन्नता होती, यदि वे एक अच्छे स्तर पर यहां वाद-विवाद करते, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे वे किसी कानवेंट हाईस्कूल की डिबेट में भाग ले रहे हैं। उन्होंने चेष्टा नहीं की कि वे उस स्तर से ऊंचे उठें।

अब यह कहा गया कि हम हिन्दुस्तान के बालकों को कुछ ऐसा बताना चाहते हैं जिसमें लाजिक नहीं है। मेरे पास ऐसे बहुत उद्धरण हैं कि पुराने भारत में क्या था। मैं सिर्फ दो-तीन उद्धरण आपके सामने रखूंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल: वे ये सब बातें घर में पढ़ सकते हैं। इन सब बातों की कोई सीमा होती है। हम उनके इस बोगस इतिहास को सुनने के लिए तैयार नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ सदस्यों ने ये प्रश्न पूछे थे इसलिए मंत्री महोदय उनका उत्तर दे रहे हैं।

श्री रूपचन्द पाल: हमें भी इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय: ये प्रश्न वाद-विवाद के दौरान उठाए गए थे।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: हमने ये प्रश्न नहीं पूछे थे।

अध्यक्ष महोदय: आपने प्रश्न न पूछे हों लेकिन किसी अन्य सदस्य ने पूछा होगा।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: किसी ने यह प्रश्न नहीं पूछा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: अध्यक्ष जी, यह कहा गया कि हिन्दुस्तान के बारे में आप क्या पढ़ाना चाहते हैं, इसके क्या फायदा होगा, क्या पहले यह ज्ञान नहीं था और क्या नहीं, क्या लोगों को मालूम नहीं है, सब लोग जानते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी एस्ट्रौनौमी में कितना ज्ञान भरा पड़ा है, जो हम बच्चों को बताना चाहते हैं। यह एक पेपर है, जिसे जान, एफ.आर.एस. एडनबर्ग ने

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लिखा है। यह पत्र 1790 में प्रकाशित हुआ था। वे इंग्लैण्ड में रॉयल खगोलज्ञ थे। उन्होंने हिन्दुस्तान की एस्ट्रौनौमीकल एलीमेंट की बात कही और यह बताया...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: यह सब बातें सभी पाठ्यपुस्तकों में लिखी हुई हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी: यह किसी पाठ्यपुस्तक में नहीं लिखा हुआ है। बच्चों को यह बात नहीं पता है। जब मैंने यह बात अनेक खगोलज्ञों तथा खगोल विज्ञान के अध्यापकों को बताई तो उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं थी। इसलिए, मैं यहां उद्धृत कर रहा हूं।

"कान्तिवृत्त की तिर्यकता में केन्द्रित सूर्य के समीकरण की वर्तमान समय से की गई तुलना उस अवधि के बारे में इंगित करती प्रतीत हुई जो अभी भी बहुत दूर है तथा इससे ऐसा लगता है कि भारत में इस खगोल विज्ञान का आरंभ 1,000 अथवा 1200 वर्ष पूर्व अर्थात् 4,300 वर्ष ई.पू. हुआ है।"

"इसके लिए आवश्यक समय ने गणना और प्रेक्षण की कला को इतनी पूर्णता प्रदान की जितनी कलयुग के आरंभ के समय में थी और इससे निष्कर्ष को बल मिलता है।"

इसमें पुन: कहा गया है:

"खगोल विज्ञान के माध्यम से ही दूरस्थ वस्तुओं की कुछ किरणों को आधुनिक पर्यवेक्षक के सामने अभिसारित किया जा सकता है ताकि उसे जीवन मिल सके। यद्यपि यह अल्प है लेकिन शुद्ध और अटूट है तथा असारता और अंधविश्वास के झूठ से मुक्त है।"

[हिन्दी]

यह कहा गया कि आप ऐस्ट्रौनौमी में कुछ नहीं कर रहे हैं, एस्ट्रोलौजी में कर रहे हैं। ऐस्ट्रौनौमी में अभी मेरे मंत्रालय ने 40 करोड़ रुपये खर्च करके हैनले, लद्दाख में, दुनिया का सबसे अच्छा और ऊंचा आप्टीकल टैलीस्कोप लगाया है।...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: आप ऐस्ट्रौलौजी मत पढ़ाइए। ...*(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी: हमने 300 करोड़ रुपये खर्च करके बायनोकुलर्स टैलीस्कोप लगाया है। आपने ऐस्ट्रोलौजी का जिक्र किया। हमारे आने से पहले बहुत से इंस्टीट्यूशन्स में ऐस्ट्रोलौजी पढ़ाई जा रही थी। ऐसा नहीं है कि हमने कोई नया काम शुरू कर दिया है। मेरे पास वह तमाम लिस्ट है जिन यूनीवर्सिटीज में यह पहले से पढ़ाई जा रही थी। राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर, विक्रम यूनिवर्सिटी, उज्जैन, चौधरी चरण सिंह यूनीवर्सिटी, मेरठ, एम.एस. यूनिवर्सिटी, बड़ौदा, कवि कुलगुरू कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: यह विश्व विद्यालय अनुदान आयोग की पाठ्यपुस्तकों का भाग नहीं है।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: जहां ऐस्ट्रोलौजी ऐज यू.जी.सी. कोर्सेस पढ़ाई जा रही थी। ये वि.अ.आ. के पाठ्यक्रम हैं। अवधेश प्रताप यूनीवर्सिटी, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनीवर्सिटी, दरभंगा, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति, सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी, श्री शंकराचार्य यूनीवर्सिटी आफ संस्कृत, इर्णाकुलम।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: क्या ये विश्वविद्यालय मुख्यधारा में हैं?

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: सारी यूनीवर्सिटीज सरकारी कानून से बनी हैं, एक्ट आफ गवर्नमैंट से बनी हैं। यह आज की नहीं हैं, पहले से बनी हुई हैं।...*(व्यवधान)* हमसे पहले जो कोर्सेस पढ़ाए जा रहे हैं।...*(व्यवधान)* आप सुन लीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: कलकत्ता विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा अन्य इस तरह के विश्वविद्यालयों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: अभी बताता हूं। जब कोर्सेज के बारे में यू.जी.सी. ने इन्फार्म किया तब 42 यूनीवर्सिटीज ने ऐप्लाई किया और उनको छांटा गया। उसके बाद 20 यूनीवर्सिटीज ने इसे लिया। अगर ये यूनीवर्सिटीज मेनस्ट्रीम में नहीं हैं तो क्या हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: जब आप धनराशि का प्रस्ताव करेंगे तो सभी आएंगे...*(व्यवधान)* आप धनराशि का प्रस्ताव कर रहे हैं इसलिए लोग आएंगे।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: जो 45 कोर्सेज दिए गए हैं, वे यू.जी.सी. के अनेक विषयों में दिए गए हैं, उनकी सूची भी मैं दे सकता हूं। यह उसमें से केवल एक विषय है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, ये यह कहकर विश्वविद्यालयों का अपमान कर रहे हैं कि आप पैसा दें तो यूनीवर्सिटी आ जाएगी...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: मुझे खेद है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री के उत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: रांची यूनीवर्सिटी, पंजाब यूनीवर्सिटी, रविन्द्र भारती यूनीवर्सिटी, सौराष्ट्र यूनीवर्सिटी, यूनीवर्सिटी आफ मैसूर, राजस्थान यूनीवर्सिटी, बी.आई.टी. मेसरा, यूनीवर्सिटी आफ जम्मू, लखनऊ यूनीवर्सिटी, आगरा यूनीवर्सिटी - ये उन 42 यूनीवर्सिटीज में से हैं जिन्होंने ऐप्लाई किया और उसमें से छांटा गया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: खगोल विज्ञान का अध्ययन करने के लिए अपेक्षित अर्हता क्या है?...*(व्यवधान)* किस कक्षा से विद्यार्थी खगोल विज्ञान पढ़ेंगे?...*(व्यवधान)* क्या कोर्स है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: आपको कोर्सेज भिजवा देंगे। ...*(व्यवधान)* मुझे इसके लिए सूचना की आवश्यकता है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: यह 1986 की नीति का एक भाग है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: यह मुख्यत: हमारे स्कूल्स के जो करिकुलम फ्रेमवर्क हैं, यूनीवर्सिटीज में हमारी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं होता। उसके बारे में यू.जी.सी. की मार्फत जो कुछ होता है, वही होता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: इसका तात्पर्य यह है कि आपके कार्यभार संभालने से पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस विषय की पेशकश नहीं की थी...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: यूनीवर्सिटीज में जो कोर्सेज चल रहे थे, वे सब यू.जी.सी. की एप्रूवल से हैं। जो कोर्स यू.जी.सी. के एप्रूवल से नहीं होते, उसकी डिग्री नहीं दी जा सकती, यह मालूम होना चाहिए। अब आप कह रहे हैं तो मैं फॉरेन यूनीवर्सिटी भी आपको बता दूं, जहां एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती है,

[अनुवाद]

कैपलर कालेज आफ एस्ट्रोलोजिकल आर्टस एण्ड साइंस, यू.एस.ए., एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंक.; दि अमेरिकन फेडरेशन आफ एस्ट्रॉलॉजर्स, दि नोयल टायल मास्टर्स डिग्री सर्टीफिकेशन कोर्स इन एस्ट्रोलौजी; ऐन शेरमन कोर्सपांडेंस कोर्सिस; दि एस्ट्रोलौजी प्रोक्टिशनर कोर्स; पर्सनलाइज्ड एस्ट्रोलौजी लैसन्स फ्रॉम ए.सी.एस.; जैफरी वोल्फ ग्रीन्स स्कूल फॉर एवोल्यूशनरी एस्ट्रौलौजी, सिएटल, वाशिंगटन; करोल डिवाइन्स एक्सप्लोरिंग एस्ट्रोलाजी; ग्लीन पैरीस एस्ट्रो साइकोलाजी मैंटरशिप प्रोग्राम; एस्ट्रोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम बाइ एमली केलेसो; एस्ट्रोलॉजी, दि कास्मिक पैटर्न; दि कार्ल पायने टोवे कोर्सपोंडेंस कोर्स; एन.डब्ल्यू. इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेज; एस्ट्रोलॉजी आफ दि शीयर्स कोर्सपोंडेंस कोर्स; इन्स्टीट्यूट आफ वैदिक एस्ट्रोलाजी; ऑनलाइन कॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी; दि फैकल्टी ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल स्टडीज; दि मायो स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी; एस्ट्रोलॉजी इन्स्ट्यूट; अमेरिकन इन्स्ट्यूट ऑफ वैदिक स्टडीज; स्कूल ऑफ एस्ट्रोलाजी इन आस्ट्रेलिया; इंग्लिश हबर स्कूल, स्विटजरलैण्ड; मैनहट्टन स्कूल ऑफ एस्ट्रोलाजी; यूनीवर्सिटी आफ प्लाई आउथ, यू.के.; यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यू.के; यूनीवर्सिटी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

ऑफ साउथैम्पसन, यू.के. और यूनीवर्सिटी ऑफ मैनचैस्टर, यू.के. कोई चीज ऐसी नहीं की गई, जो नई हो, अजूबा हो। यह देश में पहले से चल रही है और दुनिया में चल रही है। यहां बैठे हुए बहुत से सम्मानित सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया कि जैसे हमने एकदम से ऊपर से लाकर इसको डाल दिया। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ऐसे जो यूनिवर्सिटी में कोर्सेज चल रहे थे, उसी के आधार पर और कोर्सेज ऑफर किये गये और यह कोर्स बी.ए. डिग्री के लिए है, बी.एससी. डिग्री के लिए नहीं हैं। दुनिया में और जगह से हमने मालूम किया तो ये कोर्सेज ज्यादातर बी.ए. डिग्री के तौर पर किये जाते हैं। आर्ट्स के एक कोर्स के तौर पर उन्होंने इसको एप्रूव किया है। इसलिए यह बात कि हमने कोई नई चीज की है, हमारा कोई हिडेन एजेण्डा है या हम भाषाओं के साथ पक्षपात करना चाहते हैं या हम किसी विशेष धर्म की शिक्षा देना चाहते हैं, बिल्कुल गलत है। हमारी सरकार की यह पालिसी है और हम इसको मानते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: एस्ट्रोलॉजी साइंस है या क्या है?

डा. मुरली मनोहर जोशी: बी.ए. की डिग्री दी जा रही है तो क्या होगा। जो यू.जी.सी. ने एप्रूव किया है, वही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री जयपाल रेड्डी, आज आपको क्या हो गया है?

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, भारत की संसद में कभी ऐसा दकियानूसी वाद-विवाद नहीं हुआ है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय के उत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: अब यह क्या हो रहा है? मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन सच्ची बात सुनने में भी लोगों को तकलीफ हो रही है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, मेरा आपसे निवेदन है कि जो...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप एक घंटे से अधिक समय ले चुके हैं। कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं। उसके बाद भी एक ही आर्गूमेंट दिया जा रहा है। यह तो हमने नहीं कहा कि आप एस्ट्रोलाजी जरूर पढ़िये, यह यू.जी.सी. का कहना नहीं है। कैरीकुलम में टेंथ क्लास तक एस्ट्रोलॉजी कोई सबजैक्ट नहीं है, जिस पर बहस हुई है। यू.जी.सी. और यूनिवर्सिटीज के बीच में क्या होता है, वह अपनी उनकी एक व्यवस्था है। उसके अन्तर्गत जो फैसले होते हैं, उसके मुताबिक यह हो रहा है। यह ट्रांसपेरेंट काम है, इसे यू.जी.सी. के चेयरमैन ने अकेले नहीं भेजा। बोर्ड की कमेटी है, पूरे कमीशन ने बैठकर फैसला किया और उसमें उन्होंने यह फैसला किया कि बी.ए. की डिग्री होनी चाहिए। हमारे पास जितने कमेण्ट्स आते थे कि यह साइंस है कि नहीं तो हमने उनको बताया कि यू.जी.सी. के लोग इसे साईंस के तौर पर नहीं पढ़ा रहे हैं, उनका रैजोल्यूशन इसको बी.ए. की डिग्री देने के लिए है। इसके पीछे कोई इरादा किसी तरह का नहीं है। लेकिन अगर उसके पीछे राजनैतिक षडयंत्र हो और चालबाजी हो कि सरकार को इस आधार पर बदनाम करने की कोशिश की जाये और हमारे देश में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जाये तो यह नहीं होगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय के उत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: अगर किसी को यह संदेह हो तो मैं इसको रिपीट करना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस पर वक्तव्य है, हमारा एन.डी.ए. का फैसला है और मेरी मिनिस्ट्री का यह फैसला है कि इस देश की शिक्षा पूरे तौर पर पंथनिरपेक्ष होगी, किसी एक धर्म के ऊपर आधारित नहीं होगी, सभी धर्मों के साथ सद्भावना रहे, सबके प्रति समभाव रहे, इक्वल रैस्पैक्ट फॉर आल रिलीजन रहे, यह हमारा उद्देश्य है और इसी आधार पर यह डाकूमैंट बना है।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 10.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 21 अगस्त, 2001/30 श्रावण, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पी.एल.एस.–48.18.20/2001 (एन०)
280

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।